निवेशक संबंध विभाग
प्रधान कार्यालय :
स्टार हाउस, सी–5,"जी" ब्लॉक,
8वी मंजिल,
बांद्रा कुर्ला संकुल,
बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051
दूरध्वनि : (022)- 6668 4490
फेक्स : (022)- 6668 4491
इमेल:headoffice.share@bankofindia.co.in

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

INVESTOR RELATIONS CELL
HEAD OFFICE :
Star House, C-5, "G" Block,
8th Floor (East Wing),
Bandra- Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai – 400 051
Phone : (022)- 6668 4490
Fax : (022)- 6668 4491
E-Mail : headoffice.share@bankofindia.co.in

संदर्भ क्र. Ref. No.:HO:IRC:RB:2020-21:117 दिनांक Date: 11.08.2020

The Vice President – Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051.	The Vice-President – Listing Department, BSE Ltd., 25, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001.

प्रिय महोदय/महोदया Dear Sir / Madam,

Submission of Revised Annual Report 2019-20

It is submitted that in terms of Regulation 34 (1) of the SEBI LODR Regulation – 2015, Bank has uploaded its Annual Report for the year 2019-20 on the website of stock exchange on 20.07.2020. The Bank has made the following additional disclosures in the annual report which was also noted by the members in the Annual General Meeting held on Tuesday, August 11, 2020:

Page No	Particulars
246	Basel-III (Pillar 3) Disclosure

Please find enclosed our revised Annual Report 2019-20 for your record and request you to upload the same on your website.

धन्यवाद / Thanking you.

भवदीय Yours faithfully,

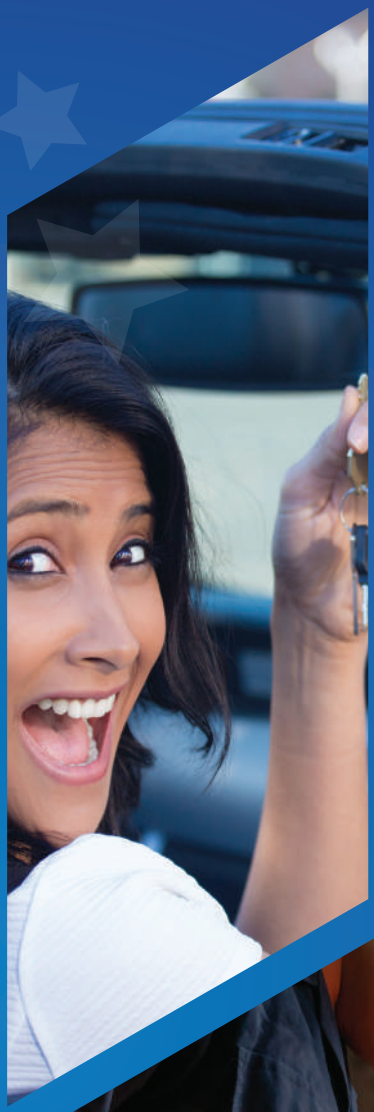
बैंक ऑफ़ इंडिया BANK OF INDIA प्र.का. H.O. निवेशक संबंध कक्ष Investor Relations Cell

(राजीव भाटिया Rajeev Bhatia)
कंपनी सचिव Company Secretary

Common:AGM 2020/Letters for AGM/Voting Results and Submission of AR 2019 20

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India









जहाँ आकांक्षाएँ हों साकार
FULFILLING ASPIRATIONS

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report 2019-20

निदेशक मंडल / Bank of India



श्री पी. आर. राजगोपाल (कार्यापालक निदेशक), श्री डी. हरीश, श्री देवब्रत सरकार, श्री ए. के. दास (एमडी एवं सीईओ), श्री जी. पद्मनाभन (अध्यक्ष), श्री सुब्रत दास, श्रीमती दक्षिता दास, श्री सी. जी. चैतन्य (कार्यापालक निदेशक)

Shri P. R. Rajagopal (Executive Director), Shri D. Harish, Shri Debabrata Sarkar, Shri A. K. Das, (MD & CEO), Shri G. Padmanabhan (Chairman), Shri Subrata Das, Smt. Dakshita Das, Shri C. G. Chaitanya (Executive Director)

बैंक ऑफ इंडिया / Bank of India

(भारत सरकार का उपक्रम),
(A Government of India undertaking),

प्रधान कार्यालय:
स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051.
फोन: 022-6668 44 44
ई-मेल: HeadOffice.share@bankofindia.co.in
वेबसाइट: www.bankofindia.co.in

Head Office:
Star House, C-5, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai - 400 051.
Phone: 022-6668 44 44
E-mail.: HeadOffice.share@bankof india.co.in
Website: www.bankofindia.co.in

महत्वपूर्ण सूचनाएँ		Important Informtion	
कट-ऑफ दिनांक:	4 अगस्त - रिमोट ई वोटिंग तथा वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु	Cut of date:	4th August 2020 - for remote E-voting and to participate in AGM through VC
बही बंदी:	5 अगस्त 2020 से 11 अगस्त 2020 तक (दोनों दिन सहित)	Book Closure:	From 5th August 2020 to 11th August 2020 (both days inclusive)
रिमोट ई वोटिंग:	7 अगस्त 2020 से (प्रात: 10:00 बजे) शुरु 10 अगस्त 2020 (शाम 5.00 बजे) समाप्त	Remote E-voting:	Start 7th August 2020 (10.00 A.M.) End 10th August 2020 (5.00 P.M.)
वार्षिक आम बैठक:	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अन्य ओडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा मंगलवार 11 अगस्त 2020 को सुबह 11.00 बजे	Annual General Meeting:	Tuesday, 11th August 2020 at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC)/ other Audio Visual Means (OAVM)

विषय सूची

Contents

अवलोकन Overview

2	सांविधिक लेखा परीक्षक	2	Statutory Auditors
2	महाप्रबंधक	2	General Managers
3	अध्यक्ष का संबोधन	3	Chairman's Statement
5	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य	5	Managing Director & CEO's Statement

सांविधिक रिपोर्ट Statutory Reports

9	निदेशक रिपोर्ट	12	Directors' Report
15	प्रबंधन विचार - विमर्श एवं विश्लेषण	30	Management Discussion & Analysis
44	कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व रिपोर्ट	44	Corporate Social Responsibility Report
46	कॉरपोरेट शासन रिपोर्ट	46	Corporate Governance Report
67	निदेशकों की गैर - अयोग्यता प्रमाणपत्र	67	Certificate of Non-Disqualification of Directors
69	सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (फार्म MR-3)	69	Secretarial Audit Report (Form - MR-3)
73	सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण	73	CEO/CFO Certificate
73	मुख्य कार्यपालक अधिकारी की घोषणा	73	Declaration by CEO
215	बासेल-III (स्तंभ 3) - प्रकटन	246	Basel-III (Pillar 3) - Disclosures
273	वार्षिक आम बैठक की सूचना	273	Notice of Annual General Meeting

वित्तीय विवरण Financial Statements

76	तुलनपत्र	76	Balance Sheet
77	लाभ एवं हानि खाता	77	Profit & Loss Account
78	नकदी प्रवाह विवरण	78	Cash Flow Statement
89	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	89	Significant Accounting Policies
102	खातों के भाग स्वरुप टिप्पणियां	102	Notes Forming Part of Accounts
148	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	148	Independent Auditor's Report
160	समेकित वित्तीय विवरण	160	Consolidated Financial Statements

सांविधिक लेखा परिक्षक Statutory Auditors

मेसर्स एनबीएस एण्ड कं., सनदी लेखाकार	M/s. NBS & Co. Chartered Accountants
मेसर्स बंशी जैन एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार	M/s. Banshi Jain & Associates, Chartered Accountants
मेसर्स चतुर्वेदी एण्ड कं., सनदी लेखाकार	M/s. Chaturvedi & Co. Chartered Accountants

महाप्रबंधक General Managers

देवेंद्र शर्मा (सी.वी.ओ)	DEVENDRA SHARMA (C.V.O)
रमेश चंद ठाकुर	RAMESH CHAND THAKUR
प्रसाद अंबादास जोशी	PRASAD AMBADAS JOSHI
राज कुमार मित्रा	RAJ KUMAR MITRA
सुदीप्त कुमार मुखर्जी	SUDIPTA KUMAR MUKHERJEE
रवि प्रकाश गुप्ता	RAVI PRAKASH GUPTA
अरविंद वर्मा	ARVIND VERMA
विश्वनाथ गुंटा	VISWANATH GUNTA
स्वरूप दासगुप्ता	SWARUP DASGUPTA
एस रवि कुमार जोयसुला	S. RAVI KUMAR JOSYULA
सलिल कुमार स्वाईं	SALIL KUMAR SWAIN
देवेंद्र पॉल शर्मा	DEVENDER PAUL SHARMA
के. राजारमन	K RAJARAMAN
सुनील कुमार रेलन	SUNIL KUMAR RELAN
परशुराम पांडा	PARSHURAM PANDA
अरुण कुमार जैन	ARUN KUMAR JAIN
राघवेंद्र वेंकटशेषन कोल्लेगल	K. V. RAGHAVENDRA
मनोज दास	MONOJ DAS
सुरेश कुमार वर्मा	SURESH KUMAR VERMA
लाल ब्रृज	LAL BRIJ
विवेक वाही	VIVEK WAHI
प्रकाश कुमार सिन्हा	PRAKASH KUMAR SINHA
बी विजयकुमार ए	B VIJAYAKUMAR A
अभिजीत बोस	ABHIJIT BOSE
अशोक कुमार पाठक	ASHOK KUMAR PATHAK
मकरंद दिवाकर अत्रे	MAKARAND DIWAKAR ATREY
सुधीरंजन पाढी	SUDHIRANJAN PADHI
शिव प्रकाश काली	SIVA PRAKASH KALI
श्रीपद डी. एस. कारापुरकर	SRIPAD D. S. CARAPURCAR
पुंडरीकाक्ष्य दाश	PUNDARIKAKSHYA DASH
अजित कुमार मिश्रा	AJIT KUMAR MISHRA
राजेश कुमार राम	RAJESH KUMAR RAM
शिव बजरंग सिंह	SHIV BAJRANG SINGH
सुनील शर्मा	SUNIL SHARMA
धर्मवीर सिंह शेखावत	DHARMVEER SINGH SHEKHAWAT
मीनाकेतन दाश	MINA KETAN DAS
के. वी. प्रकाश	KOORAPATI VENKATESWARA PRAKASH
सुशांत शेखर दाश	SUSANTA SEKHAR DASH
संजय कुमार वर्मा	SANJAY KUMAR VERMA
प्रशांत जयवंत नाईक	PRASHANT JAYWANT NAIK
पी. हरि किशन	PINAPALA HARI KISHAN
प्रफुल्ल कुमार गिरि	PRAFULLA KUMAR GIRI
लोकेश कृष्ण	LOKESH KRISHNA
शरद भूषण राय	SHARDA BHUSHAN RAI
रवींद्र कुमार दाश	RABINDRA KUMAR DASH

अध्यक्ष का संबोधन
Chairman's Statement



प्रिय शेयरधारकों तथा हितधारकों,

1. वर्ष 2019-20 अनेक वैश्विक चुनौतियों के साथ आरंभ हुआ। अमेरिका-चीन व्यापार तनाव, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में मैक्रो-इकनॉमिक दबाव, यूरोप में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बाधाएं, बिना समझौते के ब्रेक्जिट के इर्द-गिर्द अनिश्चितता तथा चीन में कड़ी मुद्रा नीति इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियां थीं। आई.एम.एफ ने अपनी सभी तिमाही समीक्षाओं में, वर्ष 2019 के लिए वृद्धि दर के अनुमान को, अप्रैल 2019 में 3.9% से जनवरी 2020 में 2.9% तक, क्रमबद्ध तरीके से कम किया। वर्ष की समाप्ति में, कोविड-19 महामारी के प्रकोप ने वैश्विक विकास की संभावनाओं को और अधिक प्रभावित किया। वस्तुत:, त्वरित गति से पूरी दुनिया में कोविड-19 के प्रसार तथा अनेक देशों के द्वारा लॉकडाउन लगाए जाने की परिस्थिति ने असल में वैश्विक प्राथमिकता को 'वृद्धि' से 'अस्तित्व को बचाने' की दिशा में मोड़ दिया।

2. राष्ट्रीय स्तर पर, वर्ष के आरंभ में जी.डी.पी वृद्धि दर, जिसकी संभावना 7.0% से अधिक के रहने की थी, वह विनिर्माण क्षेत्र में दबाव तथा निजी खपत एवं निवेश व्यय में कमी के कारण तिमाही-दर-तिमाही आधार पर कम होती गई। नवीनतम आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में जी.डी.पी वृद्धि दर के 4.2% रहने की संभावना है, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 में 6.1% थी।

3. सामान्य रूप से आर्थिक वृद्धि में कमी के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंकिंग व्यवस्था में जमाराशियों तथा अग्रिमों की वृद्धि दर में कमी आयी। विशेष तौर पर अग्रिमों की वृद्धि दर, 6.1% के साथ, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 13.3% की तुलना में लगभग आधी हो गई। परंतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में लाभप्रदता मानदंडों तथा गुणवत्ता के दृष्टिकोण से, बैंकिंग क्षेत्र की सामान्य स्थिति में सुधार आया।

Dear Shareholders and Stakeholders,

1. The year 2019-20 started with a host of global challenges. To mention a few, US-China trade tensions, macro-economic stress in certain emerging market economies, disruption in automobile sector in Europe, uncertainty around no deal Brexit and tight money policy in China. The IMF, in its every quarterly review, lowered successive growth rate estimates for the year 2019, from 3.9 % in April, 2019 to 2.9% in January,2020. The outbreak of Covid-19 pandemic towards end of the year, further clouded the global growth prospects. In fact, the spread of Covid-19 across the globe at quick pace and lockdown imposed by many countries virtually altered the global priority from 'growth' to 'survival'.

2. Domestically, the GDP growth which was anticipated at over 7.0% at the beginning of the year, continued to slip quarter on quarter with stress on manufacturing sector and contraction in private consumption and investment expenditure. The latest estimate put the GDP growth for FY 2019-20 at 4.2% against 6.1% during FY 2018-19.

3. Reflecting general economic slowdown, the deposits and advances of the banking system witnessed lowered growth rate during FY 2019-20. Particularly, the advances growth rate halved to 6.1% from 13.3% during FY 2018-19. However, the general health of the Banking Sector improved during FY 2019-20, in terms of profitability parametres and assets quality.

4. वर्ष के दौरान आर.बी.आई द्वारा अनेक नीतिगत पहलें की गईं। उनमें से कुछ उल्लेखनीय पहलें, जिनका बैंकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, वे हैं - दबावग्रस्त आस्तियों के संबंध में विवेकपूर्ण ढांचा, लार्ज एक्सपोजर ढ़ाचे में संशोधन, रिटेल एवं एम.एस.एम.ई खंड पर ब्याज दरों को बाह्य बेंचमार्क से जोड़ना आदि। इस वर्ष, नीतिगत दरों में परिवर्तनों का आगे अंतरित करने के संबंध में भी सुधार देखा गया।

5. 2019-20 के दौरान एक दूरगामी प्रगति यह रही कि बड़े, मजबूत, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी, नए युग के बैंक बनाने के लिए 10 पी.एस.बी का विलय, 4 संस्थाओं (एन्टिटी) के रूप में किया गया।

6. भविष्य का बैंकिंग मॉडल, अनिवार्य रूप से डिजिटल नवाचारों के आसपास बुना जाएगा। 'फिन टेक' तथा 'बिग टेक', वित्तीय इको-सिस्टम में काफी हद तक प्रवेश कर चुके हैं। अतः प्रौद्योगिकीय प्लैटफॉर्म को अपग्रेड करने के अतिरिक्त, बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए तथा डिलीवरी व्यवस्था को सुधारने के लिए फिनटेक के साथ मिलकर कार्य करें। यह इस संदर्भ में है कि सरकार का 'ईज'(EASE) सुधार एजेंडा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको ध्यान में रखकर आपका बैंक, प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के पथ पर है तथा डिजिटाइजेशन की कार्यक्षमता का विस्तार कर रहा है।

7. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान यद्यपि उच्चतर प्रावधानों के कारण शुद्ध लाभ प्रभावित हुआ है, परंतु 7.56% की अच्छी कारोबारी वृद्धि, परिचालनात्मक लाभ में 42.34% की बढ़ोतरी, एन.पी.ए अनुपातों में कमी तथा एन.आई.एम में सुधार के रूप में आपके बैंक की आंतरिक मजबूती स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बैंक द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के कारण, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, हमारी वित्तीय शक्ति में और अधिक मजबूती आएगी।

धन्यवाद

जी. पद्मनाभन
अध्यक्ष

4. Several policy initiatives were taken by the RBI during the year. Notably among them, which had significant influence on banks are-Prudential framework on Stressed Assets, revision in Large Exposure Framework, linking of rate of interest on retail and MSME segments to external benchmark. The year also saw improvement in transmission of changes in policy rates.

5. One of the far reaching developments during FY 2019-20 has been merger of 10 PSBs into 4 merged entities in order to create large, stronger, globally competitive new age banks.

6. The future banking model, will essentially be woven around digital innovations. 'Fin Techs' and 'Big Techs' have now made significant inroad into the financial eco system. Therefore, apart from upgrading technology platform, the banks need to have a collaboration with 'Fin Techs' for expanding their reach and improving delivery mechanism. It is in this context, that the EASE reforms agenda of the Government assumes significance. Your Bank, visualizing this, is in the path of technology upgradation and expanding digitization functionalities.

7. During FY 2019-20, although the Net Profit was impacted by higher provisions, the inherent strength of your Bank is visible in the form of healthy business growth of 7.56%, increase in operating profit by 42.34%, reduction in NPAs ratios and improvement in NIM. With the various initiatives being undertaken by the Bank, there will be further cementing of financial strength during FY 2020-21.

Thank you

G. Padmanabhan
Chairman

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य
Managing Director & CEO's Statement



प्रिय शेयरधारकों तथा हितधारकों,

1. मैं सबसे पहले, आपके बैंक की 24वीं आम बैठक में, आप सब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए, आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, आपके समक्ष रखते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है।

2. वर्ष 2019-20 वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर, अनेक आर्थिक चुनौतियों वाला रहा। यह वर्ष, बढ़ती हुई व्यापार बाधाएं, भू-राजनैतिक तनाव, विकसित देशों में मांग में कमी तथा उभरती हुई अनेक अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक दबावों से भरा हुआ रहा जिसके कारण पूरे वर्ष के दौरान विकास के प्रति उत्साह में कमी रही। वर्ष के अंत में, अभूतपूर्व पैमाने पर पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी का प्रकोप एवं फैलाव भी, वैश्विक परिदृश्य के लिए, अनिश्चितता के साथ एक बड़े झटके के रूप में सामने आया। आई.एम.एफ. के अनुमानों के अनुसार, विभिन्न देशों द्वारा मौद्रिक उदार की नीति का पालन करने के बाद भी, वैश्विक आर्थिक वृद्धि, 2018 के 3.6% से घटकर, वर्ष 2019 में 2.9% हो गयी। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र द्वारा दर्ज कम वृद्धि तथा स्थिर पूँजी निर्माण दर में कमी के कारण, घरेलू अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि दर में कमी देखी गयी तथा वृद्धि दर, प्रथम तिमाही के 5.2% से कम होकर, चौथी तिमाही में 3.1% हो गयी। खाद्य मुद्रास्फीति के कारण, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, विशेष रूप से अगस्त 2019 से, मुद्रास्फीति बढ़ी हुई रही। सी.पी.आई. मुद्रास्फीति, जो अप्रैल 2019 में 2.99% थी, वह जनवरी 2020 में 7.59% हो गयी तथा इसके बाद वर्ष के अंत में कम होकर 5.91% हो गयी।

3. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंकिंग व्यवस्था में जमाराशियों तथा अग्रिमों में कम वृद्धि देखी गयी। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान जमाराशियों में 10.0% की वृद्धि के विरुद्ध, 7.9% की वृद्धि दर्ज की गयी तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अग्रिमों में 13.3% के विरुद्ध, 6.1% की वृद्धि दर्ज की

Dear Shareholders & Stakeholders,

1. At the very outset, I extend a very warm welcome to each one of you to the 24th Annual General Meeting of your Bank. I have great pleasure in placing before you the Annual Report of your Bank for the year ended March 31, 2020.

2. The year 2019-20 featured several economic challenges both globally and domestically. The rising trade barriers, geopolitical tensions, demand slowdown in developed countries and economic strains in a number of emerging market economies marked the year, which dampened growth impulses throughout the year. The outbreak and spread of Covid-19 pandemic globally on an unprecedented scale towards the year end also came up as a large shock with uncertainty around growth outlook. As per the estimate by the IMF, the world economic growth declined from 3.6% in 2018 to 2.9% in 2019, even after monetary easing pursued by several counties. During FY 2019-20, the domestic economy also witnessed moderation in growth rate and GDP growth rate came down from 5.2% in Q1 to 3.1% in Q4, mainly due to lower growth registered by the manufacturing sector and drop in the fixed capital formation rate. Inflation during the year FY2019-20 remained elevated, especially since August,2019, driven mainly by food inflation. The CPI inflation which was 2.99% in April 2019 rose to 7.59% in January, 2020, after which it sobered down to 5.91% by the year end.

3. Both the Deposits and Advances growth in the Banking System witnessed lower growth during FY 2019-20. The Deposits grew by 7.9% during the year against 10.0% during FY 2018-19 and advances grew at 6.1% against 13.3% during

गयी। समग्र रूप से, विशेषत: प्रथम तिमाही के बाद, सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में उल्लेखनीय कमी आयी, परन्तु माहवार बदलाव दिखाई दे रहे थे। यू.एस. फेड द्वारा मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव, आर.बी.आई. के मौद्रिक नीति रुख में परिवर्तन के साथ उनके द्वारा लगातार नीतिगत दरों में कमी, लिक्विडिटी में ढील तथा सबसे महत्वपूर्ण, कच्चे तेल की कीमतों में कमी, प्रतिफल के कम होने के मुख्य कारण थे। आर.बी.आई. के विदेशी मुद्रा परिचालनों, एस.एल.आर. में कमी तथा सरकार द्वारा उच्चतर व्यय सहित अनेक कारणों की वजह से अप्रैल तथा मई 2019 को छोड़कर, पूरे वर्ष के दौरान, लिक्विडिटी की स्थिति आधिक्य (सरप्लस) की बनी रही।

4. वर्ष के दौरान, आर.बी.आई. द्वारा अनेक मौद्रिक तथा विनियामकीय परिवर्तन घोषित किये गये। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रेपो दरों को पाँच बार कम किया गया। ऐसी पिछली कटौती, 27 मार्च, 2020 को की गयी जिसमें 75 बीपीएस की कमी की गयी। माँग को बढ़ाने हेतु और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए ऐसा किया गया। इसके अतिरिक्त मार्च 2020 के दौरान सी.आर.आर. को 4.0% से कम करके 3.0% किया गया। अंतरण की व्यवस्था को सुधारने के लिए अक्टूबर, 2019 में रिटेल तथा एम.एस.ई. खण्डों के ऋणों की बाह्य बेंचमार्किंग को आरंभ किया गया। टिकाऊ लिक्विडिटी उपलब्ध कराने के साथ-साथ, मौद्रिक अंतरण में मदद करने के लिए, दीर्घकालिक रेपो परिचालन (एल.टी.आर.ओ.) तथा लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टी.एल.टी.आर.ओ.) को आरंभ किया गया है जो इस वर्ष के दौरान एक उल्लेखनीय प्रगति है। कोविड-19 महामारी से होने वाले आर्थिक दबाव को कम करने के लिए आर.बी.आई. द्वारा अनेक राहत उपाय घोषित किये गये हैं, जिनमें तीन माह तक (बाद में 6 माह तक बढ़ाया गया) मीयादी ऋण की किस्तों का स्थगन तथा ब्याज के भुगतान का स्थगन, विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

5. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, लाभप्रदता तथा एन.पी.ए. मानदण्डों के दृष्टिकोण से, बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार देखा गया। विशेष तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में, परिचालनात्मक लाभों तथा सकल एवं शुद्ध एन.पी.ए. अनुपातों में कमी के संदर्भ में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष के दौरान, सरकार द्वारा पूँजी प्रदान करने से कुछ पी.एस.बी. के सी.आर.ए.आर. अनुपात में भी सुधार हुआ है।

6. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, आपके बैंक के द्वारा, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आरंभ की गई नई पहलें तथा बैंक के कार्य-निष्पादन के प्रमुख बिन्दु प्रस्तुत हैं।

7. **वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक के कार्यनिष्पादन संबंधी मुख्य - मुख्य बातें :**

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक की जमाराशियों तथा अग्रिमों की वृद्धि दर, बैंकिंग प्रणाली की गति से अधिक रही। बैंक की जमाराशियों में 11.2% की बढ़ोतरी हुई जबकि बैंकिंग प्रणाली में यह दर 7.9% थी। इसी प्रकार, बैंक के अग्रिम 7.0% प्रतिशत बढ़े जबकि बैंकिंग प्रणाली की वृद्धि दर 6.1% थी। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जमाराशियों तथा अग्रिमों के संदर्भ में आपके बैंक का, बाजार में हिस्सा बढ़ा है।

FY 2018-19. The overall G-Sec yield witnessed significant fall, particularly after the 1st quarter, although month wise variations were visible. The main reasons for the softening of yield were change in monetary policy stance by the US Fed, consecutive policy rate cuts by RBI along with change in policy stance, easing of liquidity and above all, drop in crude oil prices. The liquidity condition, barring April and May,2019, remained in surplus mode for rest of the year on account of several factors including, RBI's forex operations, reduction of SLR, higher spending by the Government.

4. Several monetary and regulatory policy changes were announced by the RBI during the year. The repo rate was reduced five times during FY 2019-20, the last cut was done by 75 bps on 27th March, 2020 in order to revive demand and lessen the adverse impact of the Covid-19. Apart from this, CRR was also reduced from 4.0% to 3.0% during March, 2020. In order to improve transmission mechanism, external Benchmarking of loans to Retail and MSE segments were introduced in October, 2019. One of the notable developments during the year has been introduction of Long Term Repo Operations (LTRO) and Targeted Long Term Repo Operations (TLTRO) for providing durable liquidity as well as to facilitate monetary transmission. To mitigate the economic distress arising out of Covid-19 pandemic, several relief measures were announced by the RBI, prominent among them are moratorium on term loan instalment and deferment of repayment of interest up to three months (later extended for six months).

5. The performance of the Banking Sector during FY 2019-20 witnessed improvement in terms of profitability and NPA parametres, particularly in the case of PSBs wherein there has been notable improvement in operating profits and reduction in Gross and Net NPA ratios. The CRAR ratio of certain PSBs, with infusion of capital by the Government, also improved during the year.

6. Against the above backdrop, let me present before you the highlights of the Bank's performance and major initiatives taken by your bank during the year FY 2019-20.

7. **Highlights of the Bank's Performance during FY 2019-20**

- During 2019-20, both the deposits and advances of the Bank grew at a higher pace than that of the Banking System. The Bank's deposits increased by 11.2% against Banking System's growth rate of 7.9%. Similarly, the Bank's advances grew by 7.0%, against Banking System's growth rate of 6.1%. Consequently, your Bank's market share both in deposits and advances during FY 2019-20 has moved up.

- पूरे वर्ष के लिए परिचालनात्मक लाभ में 42.34% की बढ़ोतरी हुई। यह वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 8092 करोड़ था जो वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढ़कर रु.11,519 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष के दौरान, रु. 5547 करोड़ की शुद्ध हानि की तुलना में, इस वर्ष के दौरान निवल हानि को रु.2957 करोड़ तक सीमित किया गया। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आईआरएसी मानदंडों के अतिरिक्त कुछ खातों में अत्यधिक प्रावधानीकरण के कारण निवल हानि हुई।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, शुद्ध ब्याज आय तथा गैर-ब्याज आय में वृद्धि हुई और उनमें क्रमश: 11.71% तथा 44.09% की बढ़ोतरी हुई ।
- वैश्विक एन.आई.एम. में सुधार हुआ। यह वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2.56% था जो वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढ़कर 2.93% हो गया। इसी अवधि में घरेलू एन.आई.एम. भी 3.03% से बढ़कर 3.28% हो गया।
- लागत पर आय के अनुपात में काफी कमी दर्ज की गयी। यह वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 56.93% था जो वित्तीय वर्ष 2019-20 में कम होकर 47.57% हो गया।
- सकल एन.पी.ए. अनुपात में कमी आयी। यह मार्च 2019 में 15.84% था जो कम होकर मार्च, 2020 में 14.78% हो गया।
- शुद्ध एन.पी.ए. अनुपात में भी कमी आयी। यह मार्च, 2019 में 5.61% था जो मार्च 2020 में 3.88% हो गया अर्थात् 173 बीपीएस की कमी हुई।
- मार्च 2020 में प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर), 83.75% के अपने उच्चतम स्तर तक पहुँच गया जो मार्च, 2019 में 76.95% था।
- पूंजीगत अनुपातों में बड़ी क्षति को रोकते हुए जोखिम भारित आस्तियों (आर.डब्ल्यू.ए.) में काफी कमी आयी। ये मार्च 2019 में रु.3,05,953 करोड़ थीं जो कम होकर मार्च 2020 में रु.2,94,189 करोड़ के स्तर पर आ गईं अर्थात् इनमें रु.11,764 करोड़ या 3.85% की कमी दर्ज की गयी।

8. **पहल**

- आपका बैंक, आंतरिक व्यवस्थाओं तथा प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है ताकि ग्राहक सुविधाओं को बढ़ाया जा सके एवं बैंक के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पर बल दिया जा सके। इनमें से कुछ प्रमुख हैं :
- प्रौद्योगिकी को उन्नत करने तथा डिजिटलीकरण की दिशा में आपका बैंक निरन्तर प्रयास कर रहा है। फिनैकल 7 से फिनैकल 10 के प्रौद्योगिकी प्लैटफार्म के अपग्रेडेशन के लिए 'स्टार महाशक्ति' परियोजना, पहले से प्रक्रियाधीन है जिसे वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आरंभ किया जायेगा। अन्य कदमों के अतिरिक्त, 'पूर्व चेतावनी संकेतों' (ई.डब्ल्यू.एस) की ट्रैकिंग तथा 'इंटरप्राइज वाइड धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन' नामक दो आई.टी सक्षम समाधान, जो कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं, उन्हें शीघ्र ही सक्रिय किया जायेगा।

- The Operating Profit for full year increased by 42.34% from Rs.8,092 crore during FY 2018-19 to Rs. 11,519 crore during FY 2019-20. The net loss during the year was contained at Rs. 2,957 crore vis a vis net loss of Rs. 5,547 crore during the last year. It is pertinent to mention that net loss was due mainly to aggressive provisioning in certain accounts over and above IRAC norms.
- There has been growth in both Net Interest Income and Non-Interest income during FY 2019-20, which went up by 11.71% and 44.09%, respectively.
- Global NIM improved from 2.56% for FY 2018-19 to 2.93% for FY 2019-20. Domestic NIM also rose from 3.03% to 3.28% during the same period.
- Cost to income ratio significantly got reduced from 56.93% during FY 2018-19 to 47.57% during FY 2019-20.
- Gross NPA ratio reduced from 15.84% in March,2019 to 14.78% in March,2020.
- Net NPA Ratio reduced from 5.61% in March, 2019 to 3.88% in March,2020, i.e. by 173 bps.
- Provision Coverage Ratio (PCR) touched all time high of 83.75% in March,2020 compared to 76.95% in March 2019.
- The Risk Weighted Assets (RWAs) reduced significantly from Rs.3,05,953 crore in March, 2019 to Rs. 2,94,189 crore in March, 2020, i.e. by Rs.11,764 crore or 3.85%, preventing major impairment in capital ratios.

8. **Initiatives**

Your Bank has been taking various initiatives to strengthen internal systems and procedures so as to enhance customer convenience and boost competitive edge of the Bank. The prominent among them are:

- Your Bank is on a continuous drive towards pursuing Technology Upgradation and Digitization measures. The Project "Star Mahashakti", i.e. upgradation of technology platform from Finacle 7 to Finacle 10, which is already in process, will be rolled out during FY 2020-21. Among others, two significant IT enabled solutions i.e. tracking of "Early Warning Signals" and "Enterprise wide Fraud Risk Management" which are also in the process of implementation will be activated soon.

- वर्ष के दौरान आपके बैंक ने, ग्राहक सेवाओं को सुधारने तथा ऋण आवेदन की प्रक्रिया को ऑटोमेट (स्वत: संचालित) करने के लिए वेब आधारित रिटेल ऑनलाइन मॉड्यूल आरंभ किया है।
- बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए, इंटरनेट बैंकिंग तथा मोबाइल बैंकिंग सेवाएं एवं बैंक की अन्य कार्यक्षमताओं को अतिरिक्त सुविधाओं से युक्त किया गया है।
- टर्न अराउंड टाइम में सुधार के लिए, आपके बैंक में पहले से ही कृषि, रिटेल तथा एम.एस.एम.ई ऋण के लिए विशेष प्रसंस्करण केन्द्र हैं। वर्तमान में बैंक के पास, 57 कृषि बैंकिंग केन्द्र, 60 रिटेल करोबार केन्द्र तथा 56 एस.एम.ई सिटी सेंटर हैं, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान और अधिक बढ़ाया जायेगा।
- पर्याप्त उत्पादकता तथा दक्षता प्राप्त करने के लिए एवं भविष्य के नेतृत्व को सुदृढ़ करने के लिए बैंक के द्वारा एच.आर. के क्षेत्र में अनेक पहल की गई हैं जैसे जॉब फैमिली का शुभारंभ, कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली, व्यक्ति-परक विकास एवं उत्तरवर्ती योजना। समीक्षाधीन वर्ष एम्पलॉई एंगेजमेंट एक्सरसाइज (स्टार अन्वेषण) के आरंभ का साक्षी रहा जो बैंक के कार्य को मानव और मानवी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और ऊंचाई पर ले जाएगा।

9. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अपने पद से निवृत्त हुए श्री दीनबन्धु मोहापात्रा, एम.डी एवं सी.ई.ओ, श्री एन. दामोदरन, कार्यपालक निदेशक, सुश्री आर. सेबास्टियन, आर.बी.आई. नामिति निदेशक, श्री एस.सी. मुर्मु, आर.बी.आई. नामिति निदेशक तथा सुश्री वेणी थापर, गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक सहित, आपके बैंक के बोर्ड के निदेशकों द्वारा दिये गये बहुमूल्य योगदान हेतु, मैं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक प्राधिकरणों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने श्रेष्ठ सहयोग तथा बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया। मैं, बैंक की ओर से तथा अपनी ओर से, अपने कारोबारी सहयोगियों, ग्राहकों, शेयरधारकों तथा हितधारकों, वित्तीय संस्थाओं और प्रतिनिधि बैंकों को, हमारे प्रति विश्वास, भरोसा रखने एवं सहयोग हेतु, आभार प्रकट करता हूँ और उनके सतत संरक्षण, मार्गदर्शन एवं सहयोग की कामना करता हूँ। अंत में मैं, अपने प्रतिबद्ध स्टाफ सदस्यों के ईमानदार एवं निष्ठापूर्ण प्रयासों हेतु विशेष तौर पर उनकी सराहना करता हूँ।

शुभकामनाओं के साथ,

ए. के. दास
एम.डी. एवं सी.ई.ओ

- During the year, your Bank launched web based retail on-line module as a measure towards improving customer services and automation of loan origination process.
- The Internet banking and mobile banking services and functionalities of the Bank were enriched with additional features for better customer experience.
- For improving Turn Around Time, your Bank is already having specialized processing centres for Agriculture, Retail and MSME credit. At present, the Bank is having 57 Agricultural Banking Centres, 60 Retail Business Centres and 56 SME City Centres, which would be further expanded during FY 2020-21.
- Several initiatives in HR areas such as introduction of Job family, performance management system, individual development and succession planning have been adopted by the Bank in order to have a substantial productivity and efficiency gain and to reinforce future leadership. The year under review also saw initiation of an Employee Engagement Exercise (Star Anveshan) which promises to take human as well as humane aspects of the Bank's functioning a notch higher.

9. I wish to place on record the valuable contribution made by the directors on your Bank's Board including Shri Dinabandhu Mohapatra, MD & CEO, Shri N. Damodharan, Executive Director, Ms R Sebastian, RBI Nominee Director, Shri S. C. Murmu, RBI Nominee Director and Ms Veni Thapar, Non-official Part Time Director, who demitted office during FY 2019-20. The Bank also thanks the Government of India, Reserve Bank of India, SEBI and other regulatory authorities, who have provided excellent support and valuable guidance. On behalf of the Bank and on my personal behalf I would like to thank our Business Associates, Customers, Shareholders and Stakeholders, Financial Institutions and Correspondent Banks for their trust, faith and active association and look forward to their continued patronage, guidance and support. Last, but not the least, I also place on record my appreciation for the sincere and unstinted efforts put in by our committed staff members.

With warm regards

A. K. Das
MD & CEO

निदेशक रिपोर्ट

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए, खातों की लेखा-परीक्षित विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी के साथ, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशक मंडल को प्रसन्नता है।

कार्य-निष्पादन:

घरेलू कारोबार:

- बैंक के समग्र घरेलू कारोबार में 12.04% वृद्धि हुई है। यह 31 मार्च 2019 को रु. 749,920 करोड़ था तथा यह 31 मार्च, 2020 को बढ़कर रु. 840,209 करोड़ हो गया।
- कासा जमाराशियां, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.79% वृद्धि के साथ रु.197,751 करोड़ रहीं। एस.बी. एवं सीडी जमाराशियों में क्रमशः 8.39% और 11.53% की वृद्धि हुई। घरेलू जमाराशियों में कम लागत की जमाराशियों (कासा) की हिस्सेदारी यथा 31.03.2020 को 41.50% रही।
- बैंक की कुल घरेलू जमाराशियां, 14.40% बढ़कर यथा दिनांक 31.03.2019 के रु.421,783 करोड़ से, यथा दिनांक 31.03.2020 को रु.482,539 करोड़ हो गईं।
- कुल घरेलू अग्रिम, 9.00% वृद्धि के साथ, 31.03.2019 को रु. 328,137 करोड़ से बढ़कर, 31.03.2020 को रु. 357,670 करोड़ हो गए। यथा 31.03.2020, घरेलू सीडी अनुपात 74.12 प्रतिशत रहा।
- यथा 31.03.2020, कुल अग्रिमों में राम अग्रिमों (अर्थात् रिटेल, कृषि तथा एमएसएमई) का हिस्सा, 47.28% (अर्थात् रु.169,110 करोड़) रहा जो 31.03.2019 को 49.19% (अर्थात् रु.161,425 करोड़) था।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, समायोजित निवल बैंक ऋण के 40.81% के स्तर पर रहा और समायोजित निवल बैंक ऋण में कृषि ऋण की हिस्सेदारी 17.10% रही।
- रिटेल ऋणों में 7.69% की वृद्धि हुई। यह ऋण 31.03.2019 के रु. 56,492 करोड़ से बढ़कर 31.03.2020 को रु. 60,834 करोड़ हो गया। यथा 31.03.2020 को, कुल घरेलू कारोबार में रिटेल क्रेडिट का हिस्सा, 17.01% रहा।
- एम.एस.एम.ई ऋण, दिनांक 31.03.2019 के रु. 54,595 करोड़ से 2.74% बढ़कर, दिनांक 31.03.2020 को रु. 56,092 करोड़ हो गया। दिनांक 31.03.2020 को कुल घरेलू ऋण में से एम.एस.एम.ई ऋण का हिस्सा 15.68% था।

विदेशी कारोबार:

- विदेशी कारोबार में 14.29 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी तथा यह 31.03.2020 को रु.131,817 करोड़ के स्तर पर रहा जो 31.03.2019 को रु. 153,803 करोड़ था।
- सकल विदेशी अग्रिम में 7.54% की वृद्धि दर्ज की गई। यह दिनांक 31.03.2019 के रु. 54,723 करोड़ से दिनांक 31.03.2020 को रु. 58,852 करोड़ हो गया।
- यथा 31.03.2020 को, विदेशी ऋण-जमा अनुपात 80.66 प्रतिशत रहा।

वैश्विक कारोबार:

- बैंक के वैश्विक कारोबार में 7.56% की वृद्धि दर्ज हुई जो यथा 31 मार्च, 2019 को रु. 903,723 करोड़ था, वह यथा 31 मार्च 2020 को बढ़कर रु. 972,026 करोड़ हो गया।
- कुल वैश्विक जमाराशियां, 31.03.2019 के रु. 520,862 करोड़ से बढ़कर 31.03.2020 को 555,505 करोड़ हो गईं।
- कुल वैश्विक सकल अग्रिम, 31.03.2019 के रु. 382,860 करोड़ से बढ़कर यथा 31.03.2020 को रु. 416,521 करोड़ हो गया।
- यथा 31.03.2020 को, वैश्विक ऋण-जमा अनुपात 74.98% रहा।

वित्तीय मानदण्ड:

- परिचालन लाभ में 42.34 प्रतिशत (रु. 3,426 करोड़) की वृद्धि दर्ज की गयी। यह, यथा 31.03.2020 को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर रु. 11,519 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया।
- यथा 31.03.2020 को निवल हानि रु. 2,957 करोड़ के स्तर पर रही, जो 31.03.2019 को रु. 5,547 करोड़ थी।
- यथा 31.03.2019 के 14.19% की तुलना में, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, यथा 31.03.2020 को 13.10% रहा।
- निवल मालियत (नेट वर्थ), यथा 31.03.2019 को रु.26,152 करोड़ से, यथा 31.03.2020 को रु.21,505 करोड़ रही।
- प्रतिशेयर बही मूल्य, रु. 65.61 रहा।
- सकल एन.पी.ए राशि में 1.47 प्रतिशत (अर्थात् रु. 889 करोड़) की वृद्धि हुई। यह राशि 31.03.2020 को रु. 61,550 करोड़ के स्तर पर पहुँच गई जो यथा 31.03.2019 को रु. 60,661 करोड़ थी।
- सकल एन.पी.ए का प्रतिशत जो 31.03.2019 को 15.84 प्रतिशत था, वह कम होकर 31.03.2020 को 14.78 प्रतिशत हो गया।
- निवल एन.पी.ए में 25.15 प्रतिशत (अर्थात् रु. 4,809 करोड़) की कमी दर्ज की गयी। यह, यथा 31.03.2020 को रु.14,311 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया जो 31.03.2019 को रु. 19,119 करोड़ था।
- 31.03.2020 को निवल एन.पी.ए प्रतिशत, कम होकर 3.88 प्रतिशत हो गया जो 31.03.2019 को 5.61 प्रतिशत था।

वर्ष 2019-20 के लिए बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन का सार इस प्रकार है -

(राशि करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	वृद्धि (%)
निवल ब्याज आय	13,658	15,257	11.71
गैर-ब्याज आय	4,659	6,713	44.09
परिचालन व्यय	10,697	10,451	-2.30
परिचालन लाभ	8,092	11,519	42.34
प्रावधान / आकस्मिकताएं	13,639	14,476	6.13
निवल लाभ / हानि	-5,547	-2,957	
प्रति शेयर आय (रु.)	-29.79	-9.10	
प्रति शेयर बही मूल्य (रु.)	94.75	65.61	
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	-24.57	-12.41	
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (%)	-0.84	-0.43	

वर्ष 2019-20 के प्रमुख वित्तीय अनुपात नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

(प्रतिशत) (%)

मानदण्ड	2018-19	2019-20
अग्रिम पर प्रतिफल	8.23	8.62
निवेश पर प्रतिफल	7.40	7.24
निधियों पर प्रतिफल	6.60	6.61
जमा राशियों की लागत	4.50	4.57
निधियों की लागत	4.39	4.23
निवल ब्याज मार्जिन	2.56	2.93
परिचालन व्ययों की तुलना में गैर ब्याज आय	47.97	64.23
औसत कार्यशील निधि की तुलना में अन्य आय	0.77	0.97
औसत कार्यशील निधि की तुलना में परिचालन व्यय	1.73	1.63
औसत कार्यशील निधि की तुलना में स्टाफ व्यय	0.98	0.96
औसत कार्यशील निधि की तुलना में अन्य परिचालन व्यय	0.76	0.67
आस्ति उपयोग अनुपात	1.31	1.80
कुल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय	11.18	13.68
निवल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय	27.31	30.56
निवल आय अनुपात पर लागत	56.93	47.57

पूंजी

वर्ष के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित पूँजीगत लिखतों का निर्गम कर रु. 4638.00 करोड़ की नई पूँजी का सृजन किया है। बैंक ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान कोई बॉण्ड जारी नहीं किया है।

निर्गम की तारीख	शेयरों की संख्या	मूल्य	राशि (करोड़)	विवरण
20.04.2019	517633928	89.60	4638.00	भारत सरकार को अधिमानी निर्गम

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने कॉल आप्शन का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित बॉण्डों को रिडीम किया है -

श्रृंखला	राशि (करोड़)	रिडीम करने की तारीख
अपर टीयर II - श्रृंखला III	500.00	28.07.2019
अपर टीयर II - श्रृंखला IV	500.00	28.08.2019
आईपीडीआई - श्रृंखला V	325.00	09.12.2019
अपर टीयर-II बॉण्ड श्रृंखला V	1000.00	20.01.2020

पूंजी पर्याप्तता :

- बासेल III फ्रेमवर्क के अनुरूप, बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.10% था, जो की 10.875% विनियामक अपेक्षा की तुलना में उच्चतर है।
- पूंजी पर्याप्ता (बासेल III) का विवरण निम्नलिखित है :

(रु. करोड़ में)

विवरण	बासेल - III			
	31.03.2019		31.03.2020	
सीईटी 1 सीआरएआर	**33,683**	**11.01%**	**29,059**	**9.88%**
एटी 1 सीआरएआर	---	---	---	---
टियर - 1 पूँजी	33,870	11.07%	29,119	9.90%
टियर - 2 पूँजी	9,534	3.12%	9,419	3.20%
कुल पूँजी	43,404	14.19%	38,538	13.10%
जोखिम भारित आस्तियाँ	305,953		294,189	

कारोबार पहल :

चालू वर्ष के दौरान बैंक ने तुरंत टर्न अराउंड हेतु विभिन्न पहल कार्यान्वित किये हैं। इनमें से कुछ निम्नानुसार है:-

- ग्राहकों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने एवं कारोबार विकास, वसूली, निचले स्तर पर डिजिटाइजेशन और शाखाओं को पुन: सक्रिय करने हेतु **क्षेत्र प्रबंधक** तथा **स्टार प्राइम की** अवधारणा का कार्यान्वयन किया गया।
- **आर.ए.एम अग्रिमों** (रिटेल,कृषि और एमएसएमई) के पक्ष में ऋण पोर्टफोलियो को पुनर्व्यवस्थित करने और कॉर्पोरेट क्षेत्र को हमारे एक्सपोजर को कम करने की कार्यनीति ।
- एनपीए के त्वरित समाधान हेतु ''**मिशन समाधान**'' नामक निष्पक्ष ओ.टी.एस योजना तैयार की गई है।
- ''**स्वर्ण धारा**''- स्वर्ण ऋणों में तेजी लाई गई है।
- टेक-सैवी ग्राहकों हेतु उच्च कोटि की डिजिलाइज्ड सेवाओं सहित, चयनित शाखाओं को ''**स्टार डिजी**'' के रूप में नया रूप देना।
- वसूली, एनपीए में कमी तथा ऋण निगरानी/ट्रिगर प्रबंधन के लिए प्रत्येक अंचल में ''**वार रूम**'' एवं ''**वॉचरूम**'' बनाये गए हैं।
- 'पूर्व चेतावनी संकेत' की ट्रैकिंग के लिए **तकनीक समर्थित ऋण निगरानी प्रणाली** कार्यान्वयन के अधीन है।
- हम **संपर्क रहित (कॉन्टैक्टलेस) प्लैटफॉर्म** (psbloansin59minutes.com) से जुड़ गए हैं।
- एम.एस.एम.ई उधारकर्ताओं के लिए **जी.एस.टी आधारित वित्तपोषण** आरंभ किया गया।
- हम **उद्यमी मित्र पोर्टल** पर सक्रियतापूर्वक सहभागिता कर रहे हैं जो एम.एस.एम.ई ऋणों का बाजार (मार्केटप्लेस) है।
- **डिजी शाखाएं**: युवा ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 255 चयनित शाखाओं को डिजी शाखाओं में परिवर्तित किया गया।
- **स्टार महाशक्ति :** आईटी प्लेटफार्म को फिनेकल 7 से फिनेकल 10 के रूप में अद्यतन किया जा रहा है।
- **केन्द्रीकृत प्रक्रिया केन्द्र :** वर्तमान संरचना के अंतर्गत सभी अंचलों में आर.ए.एम व्यवसाय में वृद्धि के लिए 11 नये आर.बी.सी, 28 नये एस.एम.ई. सिटी सेंटर तथा पृथक स्वर्ण ऋण कक्ष खोले गए हैं।
- येन मुद्रा में क्रेडिट संव्यवहार के लिए ''**भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा येन क्रेडिट संव्यवहार के लिए एक प्राधिकृत बैंक के रुप**'' में चयनित।
- **डिजिटाइजेशन एवं वैकल्पिक प्रस्तुति माध्यमों** पर ध्यान केन्द्रित करना।
- कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) के माध्यम से विकास की संभावना वाले केन्द्रों को सक्रिय करना। इन्हें ''**स्टार प्वाइंट**'' नाम दिया गया है। इनका उद्देश्य हमारी पहुँच को फैलाना है।

- रिटेल ऋण कारोबार को बढ़ाने तथा रिटेल ऋणों में अग्रणी बनने के लिए **टैब एप्लिकेशन पर रिटेल ऋण** आरंभ किया गया।
- दबावग्रस्त आस्तियों/एनपीए के त्वरित समाधान के लिए **दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल (एसएएमवी)** को तैयार किया गया है।
- समर्पित स्टाफ के साथ, सक्रिय ऋण निगरानी के लिए **"उधारकर्ता हेल्थ प्रोफाइल (बीएचपी)"** का निर्माण किया गया।
- टी.ए.टी एवं दक्षता को बेहतर करने के लिए **एम.एस.एम.ई ऋण की प्रक्रिया को डिजिटल बनाना।**
- ग्राहकों के लिए कार्ड का उपयोग किए बिना एटीएम से तत्काल नकद आहरण हेतु **यूपीआई क्यूआर का उपयोग कर कार्ड रहित नकद आहरण (QR Cash)** का आरंभ किया गया।
- ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अधिक विशेषताओं के साथ **मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग को अपग्रेड किया गया।**
- दस्तावेजों के उचित प्रबंधन के लिए **दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस)** का आरंभ किया गया तथा यह हमारे डाटा को अधिक लचीले और परेशानीमुक्त तरीके से स्टोर, ट्रैक, प्रबंधित और प्राप्त करने में भी सहायता करेगा।
- एस.एम.एस व ग्राहक यू.आर.एल और हमारे बैंक की वेबसाइट की सहायता से **कोविड-19** संबंधित ऋण/कार्यशील पूंजी/योजना विशेष का प्रचार-प्रसार किया गया। यह लीड जेनरेट करने और इच्छुक ग्राहक का समय पर सुविधाएं देने में भी सहायता करेगा।
- **बीओआई सेवा** - दिनांक 07.09.2019 को वेबसाइट पर हमारे चैटबॉट का अंग्रेजी संस्करण आरंभ किया गया था। चैटबॉट का हिंदी संस्करण भी उपलब्ध करवाया गया है।
- वित्तीय समावेशन की पहल के रूप में, ग्रामीण एवं जहां बैंक नहीं है, उन क्षेत्रों में **बाधा रहित आई.सी.टी तकनीक आधारित मूलभूत बैंकिंग सेवाएँ** आरंभ की गईं।
- रियल टाइम धोखाधड़ी निगरानी के लिए **"इंटरप्राइज़ वाइड धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन"** संरचना प्रक्रियाधीन है।
- परिचालनात्मक लागत कम करने के लिए **घरेलू/विदेशी शाखाओं और ए.टी.एम को युक्तिसंगत (रेशनलाइज)** बनाने की प्रक्रिया की जा रही है।
- संपूर्ण देश में स्थित शाखाओं में **सरकारी खाते एवं पेंशन खाते** खोलने के लिए विशेष अभियान।
- अपने कार्ड संबंधित गतिविधि पर पूर्ण नियंत्रण रखने हेतु ग्राहकों के लिए **डेबिट कार्ड कंट्रोल ऐप एवं क्रेडिट कार्ड कंट्रोल ऐप** का आरंभ किया गया।
- क्रेडिट ऑफ-टेक और वित्तीय समावेशन एवं डिजिटल बैंकिंग के विस्तार के लिए 18 जिलों में **"ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम"** आयोजित किया गया तथा 200 से अधिक जिलों में इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
- बैंक द्वारा नियोजित एजेंटों से बैंकिंग सेवा उपलब्ध करवाने के लिए **यूनिवर्सल टच पॉइंट्स** (कॉल सेंटर, वेबसाइट और किसी ऐप) के माध्यम से **द्वार पर बैंकिंग (डीएसबी)** सुविधा का आरंभ किया।

पुरस्कार एवं सम्मान :

बैंक को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया:

- बैंक ऑफ इंडिया को रीडर्स डाइजेस्ट ट्रस्टेड ब्रांड 2019 द्वारा बैंकों के वर्ग में **दूसरा सबसे विश्वसनीय ब्रांड** का पुरस्कार प्रदान किया गया।
- भारतीय बैंकिंग सम्मेलन एवं पुरस्कार, 2019 में साइनेक्स ग्रुप द्वारा बैंक ऑफ इंडिया को **बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक 2019** की रैंक दी गई।
- पी.एफ.आर.डी.ए द्वारा आयोजित ए.पी.वाई फार्मेशन डे कैंपेन (वित्त वर्ष 2019-20) में **बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर बैंक**।
- ई.टी.बी.एफ.एस.आई एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2019 - क्यूआर कैश के लिए वर्ष का **सर्वाधिक इनोवेटिव लार्ज साइज बैंक**।
- **बीओआई मोबाइल ऐप के लिए गोल्ड श्रेणी** में स्कॉच ऑर्डर आफ मेरिट अवॉर्ड 2019।
- **बीओआई मोबाइल ऐप के लिए सिल्वर श्रेणी** में स्कॉच अवॉर्ड 2019।
- बैंक ऑफ़ इंडिया को **सर्वश्रेष्ठ सूचना सुरक्षा कार्यों के निष्पादन** हेतु आई.डी.जी मीडिया से सी.एस.ओ-100 अवॉर्ड 2019 प्रदान किया गया।
- बैंक को **इंफोसिस फिनैकल क्लाइंट्स इनोवेशन** 2019 से सम्मानित किया गया।

लक्ष्य, कार्यनीति एवं भविष्य की योजना

- अपने वर्तमान ग्राहक आधार का लाभ लेकर, बैंक की रिटेल, कृषि और एम.एस.एम.ई ऋण प्रोफाइल को बढ़ाना।
- कम लागत जमा, जैसे कि कासा (सी.ए.एस.ए) को प्राप्त करके फंडिंग लागत को कम रखना।
- आस्ति गुणवत्ता सुधारने और एन.पी.ए स्तर को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- क्रॉस विक्रय के अवसर को बढ़ाने, लागत को कम करने और ग्राहक के अनुभव को बेहतर करने के लिए तकनीक का लाभ लेना।
- हमारे कारोबार का दीर्घ अवधि तक संचालन सुनिश्चित करने के लिए हमारी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाना।

निदेशक के उत्तरदायित्व का कथन :

निदेशक यह पुष्टि करते हैं कि मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों को तैयार करने में;

क) लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है और महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई कुछ हो तो, उसके लिए उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

ख) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई लेखांकन नीति का सदैव पालन किया गया है। उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में, बैंक की स्थिति के संबंध में तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु, बैंक के लाभ हानि खाते के विषय में, सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।

ग) बैंक की आस्तियों को बचाने के लिए एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं उन्हें रोकने के लिए, भारत में कार्यरत बैंकों पर लागू कानूनों के अनुरूप, पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रखरखाव के लिए, उचित एवं उपयुक्त सावधानी रखी जाती है।

घ) वार्षिक लेखा, संस्था की निरन्तरता के आधार पर तैयार किए गए हैं।

ङ) बैंक द्वारा अनुसरण की जाने वाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से परिचालन में हैं।

च) समस्त लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था बनायी गयी है और यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसी व्यवस्था पर्याप्त है और प्रभावी रूप से परिचालन में है।

DIRECTOR'S REPORT

The Board of Directors have pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the audited statement of accounts and the cash flow statement for the year ended 31st March 2020.

Performance:

Domestic Business:

- Overall Domestic Business of the Bank increased by 12.04% reached at Rs. 840,209 crore as on 31.03.2020 from Rs. 749,920 crore as on 31.03.2019.
- CASA deposits increased by 8.79% on Y-O-Y and Stood at Rs. 197,751 crore, SB deposits and CD Deposits grew by 8.39% and 11.53% respectively. Share of low cost deposits (CASA), in domestic deposits stood at 41.50% as on 31.03.2020.
- Total Domestic deposits of the Bank increased by 14.40% reached at Rs. 482,539 crore as on 31.03.2020 from Rs. 421,783 crore as on 31.03.2019.
- Gross Domestic Advances registered a growth of 9.00% from Rs. 328,137 crore as on 31.03.2019 to Rs. 357,670 crore as on 31.03.2020. The domestic CD Ratio stood at 74.12% as on 31.03.2020.
- Share of RAM Advances to Total advances is 47.28% (i.e. Rs. 169,110 crore) as on 31.03.2020 as compared to 49.19% (i.e. Rs. 161,425 crore) as on 31.03.2019.
- Priority Sector lending constituted 40.81% of Adjusted Net Bank Credit and the share of Agricultural Credit to Adjusted Net Bank Credit was 17.10%.
- Retail Credit grew by 7.69% from Rs 56,492 crore as on 31.03.2019 to Rs. 60,834 crore as on 31.03.2020. The share of Retail Credit to Total Domestic Credit was 17.01% as on 31.03.2020.
- MSME Credit grew by 2.74% from Rs 54,595 crore as on 31.03.2019 to Rs 56,092 crore as on 31.03.2020. The share of MSME Credit to Total Domestic Credit was 15.68% as on 31.03.2020.

Overseas Business:

- Overseas business has de-grown by 14.29% and stood at Rs. 131,817 crore as on 31.03.2020 as compared to Rs. 153,803 crore as on 31.03.2019.
- Gross Foreign Advances registered a growth of 7.54% from Rs. 54,723 crore as on 31.03.2019 to Rs. 58,852 crore as on 31.03.2020.
- The Overseas CD Ratio stood at 80.66% as on 31.03.2020.

Global Business:

- Gross Business of the Bank registered a growth of 7.56% from Rs. 903,723 crore as on 31.03.2019 to Rs. 972,026 crore as on 31.03.2020.
- Total Global deposits increased to Rs. 555,505 crore as on 31.03.2020 from Rs. 520,862 crore as on 31.03.2019.
- Total Global Gross Advances increased to Rs. 416,521 crore as on 31.03.2020 from Rs. 382,860 crore as on 31.03.2020.
- The Global CD Ratio stood at 74.98% as on 31.03.2020.

Financial Parameters:

- Operating profit increased by 42.34% (Rs. 3426 crore) reached at Rs.11,519 crore as on 31.03.2020 on Y-O-Y basis.
- Net loss stood at Rs. 2,957 crore as on 31.03.2020 from Rs. 5,547 crore as on 31.03.2019.
- Capital Adequacy Ratio stood at 13.10% as on 31.03.2020 from 14.19% as on 31.03.2019.
- Net Worth stood at Rs. 21,505 crore as on 31.03.2020 from Rs. 26,152 crore as on 31.03.2019.
- Book value per share is Rs.65.61.
- Gross NPA amount increased by 1.47% (i.e. Rs. 889 crore) reached at Rs. 61,550 crore as on 31.03.2020 from Rs. 60,661 crore as on 31.03.2019.
- Gross NPA percentage reduced to 14.78% as on 31.03.2020 from 15.84% as on 31.03.2019.
- Net NPA amount reduced by 25.15% (i.e. Rs. 4,809 crore) reached at Rs. 14,311 crore as on 31.03.2020 from Rs. 19,119 crore as on 31.03.2019.
- Net NPA percentage reduced to 3.88% as on 31.03.2020 from 5.61% as on 31.03.2019.

The Financial performance of the Bank for the year 2019-20 is summarised below:

(Amount in crore)

Particulars	2018-19	2019-20	Growth (%)
Net Interest Income	13,658	15,257	11.71
Non-Interest Income	4,659	6,713	44.09
Operating Expenses	10,697	10,451	-2.30
Operating Profit	8,092	11,519	42.34
Provisions / Contingencies	13,639	14,476	6.13
Net Profit/ Loss	-5,547	-2,957	
Earnings per share (Rs.)	-29.79	-9.10	
Book Value per share (Rs.)	94.75	65.61	
Return on Equity (%)	-24.57	-12.41	
Return on Average Assets (%)	-0.84	-0.43	

Key Financial Ratios for the year 2019-20 are presented below:

(Percentage) (%)

Particulars	2018- 19	2019-20
Yield on Advances	8.23	8.62
Yield on Investments	7.40	7.24
Yield on Funds	6.60	6.61
Cost of Deposits	4.50	4.57
Cost of Funds	4.39	4.23
Net Interest Margin	2.56	2.93
Non Interest Income to Operating Expenses	47.97	64.23
Non Interest Income to AWF	0.77	0.97
Operating Expenses to Average Working Fund	1.73	1.63
Staff Expenses to Average Working Fund	0.98	0.96
Other Operating Expenses to Average Working Fund	0.76	0.67
Asset Utilisation Ratio	1.31	1.80
Non Interest Income to Total Income	11.18	13.68
Non Interest Income to Net Income	27.31	30.56
Cost to Income Ratio	56.93	47.57

CAPITAL

During the year Bank has raised fresh capital of Rs.4638.00 corers by issue of the following capital instruments. Bank has not raised any Bonds during the financial year.

Date of issue	No. of shares	Price	Amount (Crores)	Details
20.04.2019	517633928	89.60	4638.00	Preferential issue to the Govt of india

During the year ended March 31, 2020, Bank redeemed following bonds by exercising call option

Series	₹ in Crore	Date of redemption
Upper Tier II – Series III	500.00	28.07.2019
Upper Tier II – Series IV	500.00	28.08.2019
IPDI- Series V	325.00	09.12.2019
Upper Tier-II Bonds Series V	1000.00	20.01.2020

CAPITAL ADEQUACY:

- As per Basel III framework, the Bank's Capital Adequacy Ratio was 13.10% which is higher than the regulatory requirement of 10.875%
- Details of Capital Adequacy (BASEL III) are :

(Rs. in crore)

Particulars	BASEL-III			
	31.03.2019		31.03.2020	
CET1 CRAR	**33,683**	**11.01%**	**29,059**	**9.88%**
AT1 CRAR	---	---	---	---
Tier I Capital	33,870	11.07%	29,119	9.90%
Tier II Capital	9,534	3.12%	9,419	3.20%
Total Capital	43,404	14.19%	38,538	13.10%
Risk Weighted Assets	305,953		294,189	

Business Initiatives:

During the current year the Bank has implemented various initiatives for a Prompt Turn Around. A few of them are mentioned as under:

- Concept of **Area Managers** and **Star Prime** implemented for being more customer focused and for business development, recovery, digitization at ground level and re-activation of branches.
- Strategy for re-balancing of portfolio in favour of **RAM advances** (Retail, Agriculture and MSME) and reducing exposure to Corporate sector.
- A non-discriminatory OTS Scheme called **"Mission Samaadhan"** formulated for quick resolution of NPAs.
- **"Swarna Dhara"** – Gold Loans have been intensified.
- Refurbishing select branches as **"Star Digi"** branches with high end digitalized services for tech savvy customers.
- **"War Room"** and **"Watch room"** formed in each Zone for Recovery, NPA reduction and credit monitoring/trigger management.
- **Tech-driven Credit Monitoring System** for tracking of 'Early Warning Signals' under implementation.
- On boarded the **Contactless Platform** (psbloansin59minutes.com)
- Launched **GST based Financing** to MSME Borrowers.
- Actively **participating in the Udyami Mitra Portal** - marketplace for new MSME loans.
- **Digi Branches:** 255 Select Branches converted to Digi Branches for meeting the demands of Next Gen Customers.
- **Star Mahashakti-** Up gradation of IT platform from FINACLE 7 to FINACLE 10.
- **Centralised processing centres:** New 11 RBCs and 28 new SME City Centres opened and separate Gold Loan cells formed in all Zones within the existing infrastructure to increase RAM business.
- Selected as an **"Authorized bank for Yen credit transaction by GOI-MOF"** for Yen credit transaction.
- Focus on **Digitisation and Alternate Delivery Channels.**
- Activation of Growth Centers through Business Correspondents (BCs) called **"Star Points"** for expanding our outreach.
- Launched **Retail loans on Tab application** to augment new Retail business and generation of leads in retail loans.
- Creation of **Stressed Asset Management Vertical (SAMV)** for faster resolution of Stressed assets/NPAs.
- **"Borrower Health Profile (BHP)"** built-up for Proactive Credit Monitoring with dedicated manpower.

- **Digitalizing the process of MSME Credit** to improve the TAT and efficiency.
- **Cardless Cash withdrawal using UPI QR (QRCash)** has been launched for Customers to withdraw cash from ATMs readily without the use of cards.
- **Mobile and Internet Banking system upgraded** with enhanced features for better customer experience.
- **Document management system (DMS)** has been introduced for retrieval of documents and also helps us to store, track, manage and access our data in a more flexible and hassle free way.
- **COVID-19** related specific loans/working capital/scheme promotion has been done using SMS and custom URL, using our BOI website. It also helps us in monitoring to generate leads and facilitate timely credit to interested customer.
- **BOI SEVA** – OUR Chatbot is launched on website in English version on 7/9/2019. Hindi version of the Chatbot has also since been made available.
- As an FI initiative, **seamless ICT Technology based basic banking** services enabled in Rural & unbanked areas.
- **"Enterprise wide Fraud Risk Management"** framework for real-time fraud monitoring is under process.
- **Rationalisation of Domestic/overseas branches** and ATMs being undertaken to reduce the Operational Cost.
- Special drive for opening **of Government Accounts & Pension accounts** among branches across the country.
- **Debit Card Control App & Credit Card Control App** have been launched to enable customers to have a full control over the card activity.
- **Customer Outreach Initiative'** conducted in 18 districts and participated in more than 200 districts for augmenting credit off-take and expansion of financial inclusion and digital banking.
- **Door Step Banking (DSB) through Universal Touch points** (Call Centre, Website and an App) has been introduced for providing banking services to customers from the Agents engaged by the Bank.

AWARDS AND RECOGNITION:

The Bank has been conferred Awards during FY 2019-20 in various fields as under:

- Bank of India has won the **second Most Trusted Brand Award** in the Banks category awarded by the Reader's Digest Trusted Brand, 2019.
- In the India Banking Summit & Awards 2019, Bank of India ranked as **Best Public Sector Bank 2019** by Synnex Group.
- **Best Performing Public Sector Bank** in APY Formation Day Campaign (FY2019-20) by PFRDA.
- ETBFSI Excellence Awards 2019- **Most Innovative Large Size Bank** of the Year for QR Cash.
- SKOCH ORDER-OF-MERIT AWARD 2019 in **GOLD Category for BOI Mobile**.
- SKOCH Award 2019 in **SILVER Category for BOI Mobile**.
- Bank of India has been conferred CSO-100 Award-2019 from IDG Media for **Implementation of Best Information Security Practices**.
- Bank has won **Infosys Finacle Clients Innovation** Award 2019.

VISION, STRATEGY AND FUTURE OUTLOOK

- Expand the Bank's retail, agriculture and MSME lending profile by leveraging its existing customer base.
- Continue to contain funding cost by sourcing low cost deposits such as CASA.
- Focus on improving asset quality and containing NPA levels.
- Leverage technology to increase cross selling opportunities, reduce cost and enhance customer experience.
- Improving our risk management systems to ensure long-term sustainability of our business

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2020:

a) The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any,

b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied. Reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for the year ended March 31, 2020.

c) Proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities,

d) Annual accounts have been prepared on a going concern basis,

e) Internal financial controls system to be followed by the Bank were laid down and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively,

f) Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

प्रबंधन विचार - विमर्श एवं विश्लेषण

वैश्विक परिदृश्य

2017 तथा 2018 में विकास की गति के धीमेपन के साथ, 2019 के दौरान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अस्थिर रहा। अमेरिका-चीन के व्यापार संबंधी तनाव का तेज होना, यूरोप में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बाधाएं, ब्रेक्जिट के संबंध में अनिश्चितता, कर्ज को नियंत्रित करने के विनियामकीय कदम के कारण चीन में घरेलू माँग में कमी, ऐसे कारण थे जिनसे विकास की संभावनाएं प्रभावित हुईं। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष, अर्जेंटीना, ईरान, तुर्की, वेनेजुएला जैसे कुछ देशों में सामाजिक संघर्ष, विभिन्न क्षेत्रों में भू-राजनैतिक तनाव तथा कैरेबियाई, ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका आदि में प्राकृतिक आपदाएं भी आईं एवं इन सबने आर्थिक झटके के रूप में कार्य किया। वर्ष के दौरान सबसे अभूतपूर्व बात यह हुई कि दिसम्बर, 2019 में कोविड 19 महामारी शुरू हुई, जिसने दुनिया भर के लगभग सभी देशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसके परिणामस्वरूप हुए लॉकडाउन ने आर्थिक गतिविधियों को लगभग रोक दिया, जिससे आर्थिक दबाव और बढ़ा, यद्यपि इसका ज्यादा असर वित्त वर्ष 2020-21 में दिखाई देगा।

आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, कई देशों ने मौद्रिक उदारता का सहारा लिया और प्रमुख केन्द्रीय बैंकों ने अधिक उदारवादी रुख अपनाया। यू.एस. फेडरेशन ने फंड दरों में कई बार कमी की और यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने दरों को कम करने के अतिरिक्त मात्रात्मक (क्वान्टिटेटिव) सहूलियत की भी घोषणा की। ब्राजील, चिली, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, दक्षिण अफ्रीका जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं तथा उभरते हुए बाजारों के केन्द्रीय बैंकों ने भी नीतिगत दरों में कटौती का सहारा लिया।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ) ने, वर्ष 2018 में 3.6% के विरूद्ध वर्ष 2019 में 2.9% के वैश्विक उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगाया है। विकसित देशों की वृद्धि दर 1.7% रहने का अनुमान है जो वर्ष 2018 में 2.2% था। उभरती हुई बाज़ार व्यवस्थाओं की 2019 में वृद्धि दर 3.7% रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2018 में 4.5% थी।

घरेलू आर्थिक परिदृश्य

मांग तथा निवेश दर में कमी के कारण वर्ष 2019-20 के दौरान घरेलू आर्थिक परिदृश्य धीमा रहा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.) के आकलन के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी) वृद्धि दर 2018-19 में 6.1% से घटकर वित्त वर्ष 2019-20 में 4.2% हो गयी। कृषि क्षेत्र ने उच्चतर विकास दर दर्ज की। यह 2018-19 के दौरान 2.4% थी, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 4.0% हो गयी। खनन क्षेत्र की विकास दर में भी सुधार हुआ। यह 2018-19 में -5.8% थी, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 में 3.1% हो गयी। परन्तु विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर में तेज गिरावट दर्ज की गयी। यह 2018-19 के दौरान 5.7% थी जो 0.03% के स्तर पर आ गयी। "बिजली गैस तथा जल आपूर्ति" क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र में भी 2018-19 के दौरान क्रमश: 8.2% तथा 6.1% के वृद्धि दर के विरूद्ध 4.1% तथा 1.3% की कमतर वृद्धि दर देखी गयी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में कमी आयी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक - 0.7 % की नकारात्मक दर से बढ़ा जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 3.8% था। सभी तीन उपखण्डों अर्थात् खनन, विनिर्माण तथा बिजली उत्पादन ने कमतर वृद्धि दर दर्ज की। विनिर्माण क्षेत्र में 1.3% की नकारात्मक वृद्धि दर रही जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 3.9% थी। पूंजीगत वस्तुओं, बुनियादी ढ़ाँचे एवं निर्माण तथा उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में उपयोग आधारित वर्गीकरण यह प्रतिपादित करता है कि इन क्षेत्रों में क्रमश: -13.7%, -4.0% तथा -8.4% तक संकुचन देखा गया।

वर्ष के दौरान, खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ी हुई रही। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी. पी.आई) जो अप्रैल, 2019 में 2.99% था, वह खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति के कारण, धीरे-धीरे जनवरी, 2019 में 7.59% के स्तर तक पहुंच गया। परन्तु इसके बाद सीपीआई मुद्रास्फीति में कमी आयी तथा मार्च, 2020 में यह 5.91% के स्तर पर रही।

विदेशी कारोबार के क्षेत्र में, निर्यात तथा आयात, इन दोनों में नकारात्मक वृद्धि दर रही। 2019-20 के दौरान ये क्रमश: - 4.02% तथा - 9.17% के स्तर पर रहे जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान क्रमश: 8.6% तथा 10.7% थे। चालू खाता घाटा कम स्तर पर रहा। यह 2019-20 में जीडीपी का 0.9% रहा जो 2018-19 में 2.1% था मुख्य रुप से यह ट्रेड(व्यापार) घाटे में कमी के कारण हुआ जो 2019-20 में यूएस डॉलर 157.5 बिलियन रहा जबकि 2018-19 में यह यूएस डॉलर 180.3 बिलियन था।

बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में प्रगति

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंकिंग व्यवस्था में जमाराशियों तथा अग्रिमों में वृद्धि की दर पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम रही। जमाराशियों में 7.9% तथा अग्रिमों में 6.1% की वृद्धि हुई जो वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्रमश: 10.0% तथा 13.3% थे।

आर्थिक वृद्धि को शक्ति देने के लिए, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आर.बी.आई ने नीतिगत रेपो दरों में पांच बार कटौती की तथा जून 2019 से मौद्रिक नीति के रुख को 'तटस्थ' से 'उदार' (अकोमोडेटिव) के रूप में परिवर्तित कर दिया। मार्च, 2020 में सी.आर.आर. को 4.0% से कम करके 3.0% किया गया। स्थिर लिक्विडिटी तथा मौद्रिक अंतरण में मदद करने के लिए आर.बी.आई द्वारा अनेक नीतिगत परिवर्तन किये गये जैसे - प्रतिपक्षियों पर बैंकों के एक्सपोजर के लिए मानदण्डों को निर्धारित करते हुए लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एल.ई.एफ.), रिटेल तथा एम.एस.ई खण्डों के ऋणों की बाह्य बेंचमार्किंग, दीर्घावधि रेपो परिचालन(एल.टी.आर.ओ.) तथा लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन(टी.एल.टी.आर.ओ.)

कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने तथा व्यापक(मैक्रो) आर्थिक दबाव के न्यूनीकरण के लिए मार्च, 2020 आर.बी.आई द्वारा अनेक मौद्रिक तथा विनियामकीय उपाय घोषित किये गये। रेपोदर तथा सी.आर.आर. में कमी के अतिरिक्त, 01 मार्च 2020 से प्रभावी होकर मीयादी ऋण किस्तें पर स्थगन तथा ब्याज की चुकौती का स्थगन, तीन माह की अवधि के लिए (जिसे बाद में 6 माह तक बढ़ाया गया) दिया गया तथा आहरण शक्ति में कमी के कारण कार्यशील पूंजी सीमा के पुनर्मूल्यांकन को भी अनुमति दी गयी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, लाभप्रदता तथा आस्ति गुणवत्ता के दृष्टिकोण से बैंकों का प्रदर्शन सुधरा है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुन: पूंजीकरण से अनेक बैंकों का सी.आर.ए.आर. ज्यादा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह हुआ कि सरकार ने राष्ट्रीय उपस्थिति एवं वैश्विक पहुंच के लिए सुदृढ़ बैंक बनाने हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विलय का निर्णय लिया।

आरंभ के कुछ महीनों को छोड़कर, वर्ष के दौरान लिक्विडिटी की स्थिति, आधिक्य (सरप्लस) की दिशा में ही रही। आर.बी.आई. का ओपन मार्केट परिचालन, यूएस डॉलर 5 बिलियन खरीद/बिक्री स्वैप ऑक्शन, आर.बी.आई. का विदेशी मुद्रा परिचालन, एस.एल.आर. में कमी तथा दीर्घावधि रेपो परिचालन (एल.टी.आर.ओ.) का आरंभ, ऐसे कारक थे जिनकी वजह से व्यवस्था में सरलतापूर्वक तरलता उपलब्ध थी।

वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल कम हुए। 10 वर्षीय बैंचमार्क प्रतिफल जो 29 मार्च, 2019 को 7.46% था वह 31 मार्च 2019 को 6.11% हो गया। अतिरिक्त लिक्विडिटी, आर.बी.आई. द्वारा नीतिगत दरों में कटौती, यूएस फेडरल रिज़र्व द्वारा नीतिगत रूख में बदलाव तथा सबसे ज्यादा तो कच्चे तेल कम कीमतों के कारण सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल की दिशा अधोमुखी रही।

वैश्विक तेल की कीमतों में कमी, औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी की वापसी आदि अनेक सकारात्मक संकेतों के कारण जनवरी, 2020 तक इक्विटी बाजार ने ऊर्ध्व गति का अनुभव किया तथा इस दौरान यह 40,000 के आँकड़े को पार कर गया। परन्तु बाद में, कोविड-19 सहित कई प्रतिकूल घटनाक्रमों के कारण मार्च अंत तक सेंसेक्स 29,468 के स्तर तक गिर गया।

विदेशी मुद्रा बाजार में, वर्ष के दौरान, रुपये को मूल्यह्रास का सामना करना पड़ा। एफ.बी.आई.एल. संदर्भ दर के अनुसार यू.एस. डॉलर के सापेक्ष, रुपये की विनिमय दर, 29 मार्च 2019 को रु.69.17 से कम होकर यथा 31 मार्च, 2020 रु.75.39 हो गयी। वैश्विक वृद्धि संबंधी चिन्ताओं के कारण पोर्टफोलियो निवेश को वापस लेने सहित विभिन्न कारकों की वजह से वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में 2.1% का तथा दूसरी छमाही में 6.2% का मूल्यह्रास, रुपया में देखा गया।

भारतीय लेखाकंन मानक (Ind-AS) के कार्यान्वयन हेतु कार्यनीति एवं उसकी प्रगति

आरबीआई ने अपने परिपत्र डीबीआर.बीपी.सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019 के माध्यम से अगले आदेश तक भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन को आस्थगित कर दिया, क्यों कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में आरबीआई ने जो विधि संबंधी संशोधन करने की अनुशंसा की है, उन पर भारत सरकार विचार कर रही है। बैंक, स्टियरिंग समिति से विचार-विमर्श करने/उनसे अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, जून-2018 से तिमाही प्रारूप भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) वित्तीय विवरण (पीएफएस) प्रस्तुत करता रहा है। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन संबंधी सम्पूर्ण प्रगति रिपोर्ट के साथ पीएफएस भी प्रस्तुत किया जाता है। बैंक अब भारतीय लेखांकन मानक के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु वर्तमान कोर बैंकिंग सिस्टम में संशोधन/परिवर्तन तथा नये सिस्टम प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

बैंक की मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि रणनीति:

वर्तमान में बैंक ने अपने मध्यम और दीर्घ अवधि लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की है।

- एनपीए प्रबंधन और ऋण निगरानी पर अधिक फोकस करना.
- ग्राहक सेवा में सुधार के माध्यम से निम्न लागत जमाराशियाँ/कासा में वद्धि करना।
- रिटेल ऋण के संबंध में आस्तियाँ पोर्टफोलियाँ रिबैलिसिंग करना।
- गैर-मूलभूत आस्तियाँ का मुद्रीकरण करना।
- परिचालनगत व्यय की कम करना।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

1. संसाधन संग्रहण विभाग

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु.13,293 करोड़ की वृद्धि सहित बचत जमाराशियों में 8.39% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है। साथ ही, चालू जमाराशियों में रु.2,692 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ वर्ष-दर-वर्ष 11.53% की वृद्धि दर्ज हुई है। परिणामस्वरूप समग्र रूप से कासा के आँकडों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.79% की वृद्धि के साथ रु.15,986 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। बचत बैंक जमा डायमण्ड ग्राहक सेगमेंट (औसत तिमाही शेष रु.1 लाख एवं उससे अधिक) में वर्ष-दर-वर्ष 8.55% तथा चालू जमा डायमण्ड ग्राहक सेगमेंट (औसत तिमाही शेष रु. 2 लाख एवं उससे अधिक) में वर्ष-दर-वर्ष 6.80% की वृद्धि दर्ज की गई है। कासा अनुपात मार्च 2019 के 43.36% से घटकर मार्च 2020 में 41.50% रहा । यद्यपि कुल मीयादी जमा में खुदरा मीयादी जमा का हिस्सा वित्तीय वर्ष 18-19 के 91.78% की तुलना में घटकर वित्तीय वर्ष 19-20 में 84.35% हो गया है, परंतु कुल जमा में 14.42% की वृद्धि दर्ज की गयी है।

2. अग्रिम:

बैंक का वैश्विक सकल अग्रिम, यथा 31.03.2019 के रु.382,860 करोड़ से बढ़कर 31.03.2020 को रु.416,521 करोड़ हो गया। यह 8.79% की वृद्धि है। सकल घरेलू ऋण में 9.00% की संतुलित वृद्धि दर्ज की गयी। यह 31.03.2019 को रु.328,137 करोड़ था जो 31.03.2020 को रु.357,670 करोड़ हो गया। बैंक, ए.जी.एम./सी.एम. की अध्यक्षता में 10 लार्ज कॉर्पोरेट शाखाओं तथा अन्य बड़ी शाखाओं के माध्यम से कॉर्पोरेट/मिड कॉर्पोरेट की विशेषीकृत आवश्यकताओं को पूरा करता है। रिटेल, एसएमई तथा कृषि के अन्य ग्राहकों की आवश्यकताएं 5,083 शाखाओं तथा विशेष प्रसंस्करण केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से पूरी की जाती हैं।

कोविड 19 महामारी की आर्थिक समस्या के कारण दबाव अनुभव करने वाले उधारकर्ताओं के लिए, आर.बी.आई. के कोविड 19 विनियामकीय पैकज के अंतर्गत बैंक ने विशेष योजना आरंभ की है।

3. खुदरा:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान खुदरा ऋण सेगमेंट में 7.69% की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान हमने आवास ऋणों पर विशेष ध्यान दिया है, जिसके परिणामस्वरूप हमें काफी अच्छी वृद्धि प्राप्त हुई है। वर्ष के दौरान आवास ऋण सेगमेंट रु.32,417 करोड़ से बढ़कर रु.35,994 करोड़ हो गया तथा उसमें 11.03% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान वाहन ऋण सेगमेंट रु.5,089 करोड़ से बढ़कर रु.5,599 करोड़ हो गया तथा इसमें 10.02% की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक ने मारुति-सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई मोटर्स तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ गठजोड़ किया है। हमारा बैंक पीएसयू/पीएसई/प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट्स/संस्थानों के नियोक्ता के साथ गठजोड़ व्यवस्था के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराता है। आवास ऋण, वाहन ऋण तथा वैयक्तिक ऋणों के अलावा हम संपत्ति पर ऋण तथा शिक्षा ऋण भी देते हैं। हमारे बैंक ने 3 उत्पादों यथा आवास ऋण, वाहन ऋण तथा व्यक्तिगत ऋण पीएसबी 59 प्लैटफॉर्म पर जारी किए।

4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) :

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) एक अत्यंत महत्वपूर्ण खंड है तथा इसका देश के विनिर्माण जीडीपी में लगभग 8%, विनिर्माण उत्पादन में 45% तथा निर्यात में लगभग 40% योगदान है। यह लगभग 60 मिलियन लोगों के लिए रोजगार सृजित करता है। एमएसएमई क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है जिसने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

एमएसएमई के महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा बड़ी संख्या में कारोबार करने वाले समूह को इसके दायरे में लाने के लिए, भारत सरकार ने अब एमएसएमई की परिभाषा को संशोधित किया है, यह दिनांक 01.07.2020 से प्रभावी होगा।

नई परिभाषा/वर्गीकरण के अनुसार, रु.1 करोड़ तक के संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश के साथ तथा रु.5 करोड़ तक के कुल टर्नओवर वाले सभी उद्यमों को सूक्ष्म उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

रु.10 करोड़ तक के संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश के साथ तथा रु.50 करोड़ तक के कुल टर्नओवर वाले सभी उद्यमों को लघु उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

रु.50 करोड़ तक के संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश के साथ तथा रु.250 करोड़ तक के कुल टर्नओवर वाले सभी उद्यमों को मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया तथा डिजिटल इंडिया जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं ने बैंक स्तर पर, एमएसएमई ऋण में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं।

कार्य-निष्पादन

- एमएसएमई क्षेत्र को ऋण के संबंध में बैंक का कार्य-निष्पादन यथा 31.03.2020 निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित है:

रु. करोड़ में

विवरण	मार्च 19 वास्तविक	मार्च 20 वास्तविक	वर्षानुवर्ष वृद्धि	
			राशि	%
कुल एमएसएमई (सिडबी सहित)	54,595	56,092	1,497	2.74
कोर एमएसएमई (सिडबी को छोड़कर)	53,878	55,617	1,739	3.22
एमएसएमई प्राथमिकता	53,809	55,242	1,433	2.66
सूक्ष्म उद्यम	26,941 (प्राथमिकता प्राप्त) (एएनबीसी का 8.86%)	28,184 (प्राथमिकता प्राप्त) (एएनबीसी का 8.88%)	1,243	4.61

- वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान यथा 31 मार्च, 2020 तक 209,417 नये खाते खोले गए हैं जिनकी स्वीकृत सीमा रु.12,770 करोड़। इन खातों की बकाया राशि रु. 9,131 करोड़ है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, यथा 31.03.2020 को मुद्रा के अंतर्गत संवितरण रु. 7,500 करोड़ के बजट के समक्ष रु.6,274 करोड़ था।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, "ऑनलाइन पीएसबी ऋण" के माध्यम से कुल 8,755 खाते संस्वीकृत किये गये थे, जिसकी राशि रु.1,729 करोड़ थी।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, लगभग 99,000 खातों में जिनकी राशि रु.2,500 करोड़ है, उनमें हमने भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति के अनुसार एक बारगी एमएसएमई पुन:संरचना के अनुसार खातों की पुन:संरचना की है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, रु.3,905 करोड़ की गारंटीकृत राशि के साथ सीजीटीएमएसई के अंतर्गत 31,166 नये खाते तथा 31.03.2020 को रु.28,771 करोड़ की कुल राशि के साथ 397,269 समेकित खाते सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवर किये गये हैं।
- एमएसएमई खण्ड के अंतर्गत लगभग कुल एनपीए 22% था।

वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रमुख उपलब्धियाँ

- पीसीजी के अंतर्गत विभिन्न पूल बॉयआउट किये गये।
- नए उधारकर्ताओं तक पहुंच तथा नए बाजार ढूंढने के लिए विभिन्न एनबीएफसी के साथ को-ऑरिजिनेशन।
- एमएसएमई उधारकर्ताओं हेतु अस्थायी तरलता असंतुलन (बेमेल) को पूरा करने के लिए स्टैंडबाई ऋण व्यवस्था शुरू की।
- टीआरईडीएस (TReDS): अब, हम तीनों टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म अर्थात: आरएक्सआईएल/इनवॉइसमार्ट/एम1 एक्सचेंज पर आ गए हैं।
- सभी 206 एमएसएमई शाखाओं में, एमएसएमई उधारकर्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए हमारे सभी प्रशासनिक कार्यालयों में एसएमई नोडल अधिकारियों तथा सभी एसएमई केन्द्रित शाखाओं में रिलेशनशिप मैनेजर चिह्नित किए हैं।
- एएनबीजी (ANBC) के 7.5% के लक्ष्य पर, यथा 31.03.2020 को एएनबीसी के 8.88% कुल बकाया के साथ सूक्ष्म उद्यमों के अंतर्गत विनियामक लक्ष्य को प्राप्त किया है।
- कार्यशील पूंजी सीमा तथा इनपुट क्रेडिट की बढ़ती आवश्यकताओं हेतु जीएसटी का पालन करने वाले उधारकर्ताओं के लिए नये उत्पाद आरंभ किए गये हैं।
- विभिन्न क्षेत्रों जैसे फुटवियर, वस्त्र (टेक्सटाइल), ग्लास, दवाइयां आदि में क्लस्टर आधारित ऋण के अंतर्गत नयी योजनाएं चिह्नित एवं स्वीकृत की गई हैं।
- स्टार एमएसएमई वेलकम ऑफर के अंतर्गत, एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता में गतिवर्धन हेतु ब्याज दर में छूट के साथ अभियान आरंभ किया गया है।
- हमने अंडरराइटिंग तथा मूल्यांकन मानदण्डों जैसे सीएमआर का प्रयोग/ probe42 के साथ टाइ-अप/ऋण प्रक्रिया का ऑटोमेशन आदि क्षेत्रों में सुधार हेतु विभिन्न उपाय शुरू किये हैं।
- एमएसएमई हेतु रेपो से संबंद्ध दरों को आरंभ किया है ।

5. कृषि वित्त:

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम :

बैंक, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थापित अपनी शाखाओं एवं 57 कृषि बैंकिंग केंद्रों (एबीसी) के नेटवर्क के माध्यम से प्राथमिकता प्राप्त एवं कृषि क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर रहा है। बैंक ने प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत रु.126,138 करोड़ (वि.वर्ष 19-20 के एएनबीसी औसत का 40.81%)

की बकाया राशि का शानदार स्तर प्राप्त किया है। इसमें कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रु.52,819 करोड़ (वि.वर्ष 19-20 के एएनबीसी औसत का 17.09%) है तथा कृषि के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को रु.26,415 करोड़ (वि.वर्ष 19-20 के एएनबीसी औसत का 8.60%) का ऋण शामिल है। एस.एम.ई के अंतर्गत रु.52,198 करोड़ का ऋण दिया गया है जिसमें एम.एस.एम.ई सूक्ष्म क्षेत्र में रु.27,161 करोड़ (वि.वर्ष 19-20 के एएनबीसी औसत का 8.60%), शिक्षा में रु.2,860 करोड़, आवास में रु.18,058 करोड़ तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण की श्रेणी में रु. 203 करोड़ शामिल है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राथमिकता क्षेत्र, एस.एफ तथा एम.एफ, एम.एस.एम.ई - सूक्ष्म तथा कमजोर वर्गों को ऋण के अंतर्गत, विनियामक अनुपातों को प्राप्त किया है।

₹ करोड़ में

मद	बकाया राशि		वर्षानुवर्ष वृद्धि		ए.एन.बी.सी औसत का % (वि.व 19-20)	आरबीआई बेंचमार्क (%में)
	मार्च 19	मार्च 20	राशि	%		
कुल कृषि	57,302	52,819*	-4,483	-7.82	17.09	18.00
लघु एवं संपार्श्विक किसान	28,455	26,415	-2,040	-7.17	8.60	8.00
सूक्ष्म उद्यम	26,148	27,161	1,013	3.87	8.60	7.50
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	130,494	126,138	-4,356	-3.34	40.81	40.00

* कुल कृषि में, बकाया आर.एफ.आई.डी तथा पी.एस.एल.सी शामिल है।

कृषि के अंतर्गत बैंक की शाखाओं ने वर्ष के दौरान रु.14,261 करोड़ संवितरित किए। वर्ष के दौरान, बैंक ने लचीले रूप से ऋण उपयोग के लिए रु.3,216 करोड़ की ऋण सीमा के साथ 2.49 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत बैंक, कम आय वर्गों को 4% की छूट प्राप्त ब्याज दर पर वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। बैंक ने वर्ष के दौरान डी.आर.आई योजना के अंतर्गत 263 मामले स्वीकृत किए हैं जिसमें 1.60 करोड़ की राशि शामिल है। यथा मार्च 2020, अल्पसंख्यक समूहों को बैंक का ऋण एक्सपोज़र रु.16,657 करोड़ है (15 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण का 14.28 प्रतिशत)। दिनांक 31.03.2020 को कमजोर वर्गों के अंतर्गत बकाया राशि रु.36,858 करोड़ (मार्च एएनबीसी का 11.62% है)। यथा 31.03.2020, खाद्य एवं कृषि उद्योग को बैंक का वित्तपोषण रु. 6,094 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में, वषानुवर्ष आधार पर, स्वर्ण ऋण में रु. 1,741 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गयी जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में, रु. 1,945 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गयी थी। स्वर्ण ऋण के अंतर्गत कुल बकाया रु. 6,823 करोड़ था जिसमें कृषि स्वर्ण ऋण में रु. 5,293 करोड़ था।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम): ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के जीवन से गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) एक महत्वपूर्ण योजना है। वर्ष के दौरान बैंक ने इस योजना के अंतर्गत 0.93 लाख उधारकर्ताओं को रु.1,822 करोड़ के ऋण संवितरित किये गये हैं।

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) : यथा 31.03.2020 को बैंक के पास 4.56 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का ग्राहक आधार है जिसमें से 1.60 लाख एस.एच.जी को ऋण सुविधा से जोड़ा गया है तथा इसमें से 1.16 लाख महिला एस.एच.जी हैं। एस.एच.जी की निगरानी के लिए ऑफ़साइट संव्यवहारों, वित्तीय तथा डाटा डिजिटलीकरण हेतु बैंक ने दोहरा बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन आरंभ किया है।

अग्रणी बैंक योजना : बैंक के पास 51 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है जो झारखण्ड (15), महाराष्ट्र (14), मध्य प्रदेश (13), उत्तर प्रदेश (07) तथा ओडिशा (2) - इन पांच राज्यों में फैली हुई हैं तथा बैंक, झारखण्ड राज्य में एसएलबीसी संयोजक भी है।

स्वर्ण ऋण : यथा 31.03.2020 को कुल स्वर्ण ऋण के अंतर्गत हमने रु. 1,741 करोड़ की वृद्धि तथा कृषि स्वर्ण ऋण के अंतर्गत रु. 117 करोड़ की वृद्धि दर्ज की है जो पिछले वर्ष के बकाया से 34.26 प्रतिशत तथा 26.75 प्रतिशत ज्यादा है।

केसीसी सैचुरेशन : वर्ष 2019-20 के दौरान, हमारे द्वारा इस अभियान के अंतर्गत 186,262 नये ग्राहक जोड़े गये।

6. वित्तीय समावेशन : वित्तीय समावेशन विभाग:

बैंक यह मानता है कि वित्तीय समावेशन के माध्यम से व्यवसाय करना व्यावहारिक है तथा इस दिशा में बैंक ने अपने दृष्टिकोण को "सीएसआर" से "आर्थिक व्यवहार्यता" की ओर मोड़ दिया है। वित्तीय क्षेत्र की अपेक्षानुसार अत्यंत कम लागत के संव्यवहारों को समर्थित एवं संरक्षित करने हेतु आईसीटी आधारित समाधान आवश्यक हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) से वित्तीय समावेशन अभियान को गति प्राप्त हुई है। कारोबार प्रतिनिधि मॉडल के नेतृत्व में आई.सी.टी. के माध्यम से उन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ने ये सेवाएं दी हैं जहाँ बैंकिंग सेवाएं नहीं थीं।

पीएमजेडीवाई एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं:

इस वर्ष के दौरान 20.01 लाख प्रधानमंत्री जन-धन योजना खाते खोले गए हैं। भारत सरकार द्वारा चलाई गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी बैंक की सक्रिय भागीदारी रही है। उक्त वर्ष के दौरान पीएमएसबीवाई (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) के अंतर्गत बैंक ने 15.77 लाख खातों को कवर किया है। इस अवधि में पीएमजेजेबीवाई (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना) के अंतर्गत 6.45 लाख खाते कवर किये गए हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बैंक ने 3.76 लाख एपीवाई (अटल पेंशन योजना) को कवर किया है। हमारे बैंक को एपीवाई में कार्य निष्पादन के लिए "लीडरशिप कैपिटल 2.0" पुरस्कार प्रदान किया गया है।

स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी)

बैंक, झारखंड, ओड़िशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में 42 आरसेटी परिचालित कर रहा है। वर्ष के दौरान आरसेटी ने 1,007 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये तथा 28,547 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया और 46% (13,019) का नियोजन सुनिश्चित किया गया तथा 56% (7,290) अभ्यर्थियों को ऋण प्रदान किया गया ताकि लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में उनकी मदद की जा सके।

वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी)

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी केन्द्रों में उन जिला स्थानों पर एफएलसीसी/एफएलसी स्थापित किए गए हैं जहाँ बैंक के पास अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है। बैंक की 51 एफ.एल.सी. सभी 51 अग्रणी जिलों में कार्यरत हैं। प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त एफ.एल.सी मामला-दर-मामला आधार पर दबावग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए उपचारात्मक परामर्श तथा संचार माध्यमों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों के माध्यम से निवारक परामर्श भी देते हैं। अब तक 15,74,443 जरूरतमंद विपदाग्रस्त लोगों को सलाह दिया गया।

वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) : पायलट परियोजना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या एफआईडीडी.एफसीसी.सं 4520/12.01.018/2016-17 दिनांक 04.05.2017 के माध्यम से बैंकों को वित्तीय साक्षरता में नवोन्मेषी कार्य एवं भागीदारी करने के लिए कहा है। इस संदर्भ में यह निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) की सहायता से 9 राज्यों के 80 ब्लॉक में 80 सीएफएल स्थापित करने के लिए पायलट परियोजना का आरंभ किया जाए। योजना के अनुसार आरबीआई द्वारा पहचान किए गए एनजीओ/एजेंसियों के साथ मिलकर बैंक द्वारा पायलट परियोजना को लागू किया जायेगा।

हमारे बैंक को क्रिसिल फाउंडेशन के साथ रत्नागिरी जिले के 5 ब्लॉक में 5 सीएफएल खोलने की जिम्मेदारी दी गई है। तदनुसार, हमने सीएफएल के साथ मिलकर रत्नागिरी जिले में 5 सीएफएल (खेड़, चिपलूण, मंडणगढ़, गुहागर और दापोली) खोले हैं। सभी सीएफएल अक्टूबर, 2017 से कार्य कर रहे हैं और हाल ही में हमें झारखंड राज्य के खूंटी जिले में स्वाधार (SWADHAR) के साथ मिलकर 5 सीएफएल खोलने की जिम्मेदारी दी गई है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :

विलय के बाद, हम 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित कर रहे हैं यथा उत्तरप्रदेश में **आर्यावर्त बैंक (एबी)**, मध्य प्रदेश में **मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (एमपीजीबी)** महाराष्ट्र राज्य में **विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (वीकेजीबी)**, जिनके अंतर्गत यथा दिनांक 31.03.2020 को 82 जिलों में 2557 शाखाओं का नेटवर्क है। इन सभी प्रायोजित आरआरबी को बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त अध्यक्ष द्वारा प्रबंधित किया जाता है और इनके कार्यनिष्पादन की प्रधान कार्यालय से एफआई एवं आरआरबी (प्रभाग) द्वारा निगरानी की जाती है।

सभी तीन आरआरबी की शाखाएं और प्रशासनिक कार्यालय सिस्टम द्वारा रिपोर्ट जनरेट करने की सुविधा के साथ सीबीएस प्लैटफॉर्म पर हैं। इन आरआरबी में आरटीजीएस, एनईएफटी और एटीएम की सुविधा है। इनका कुल मिश्रित कारोबार ₹ 76,626 करोड़ यथा दिनांक 31.03.2020 का है।

7. अंतरराष्ट्रीय :

सभी टाइम जोन के 20 देशों में बैंक की कुल 24 शाखाएं (23 परिचालनगत), 1 प्रतिनिधि कार्यालय, 4 अनुषंगी एवं 1 सहयोगी/संयुक्त उद्यम हैं। यथा दिनांक 31.03.2020 (अनंतिम आंकड़े) को बैंक के वैश्विक व्यवसाय में विदेशी परिचालन का हिस्सा 14.29% है।

विदेशी अनुषंगी एवं सहयोगी :

- पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके
- बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि.
- बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.
- बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.
- इंडो-ज़ाम्बिया बैंक लि. (आईजेडबी) - संयुक्त उद्यम

वर्ष के दौरान, बैंक ने बीजिंग में अपने प्रतिनिधि कार्यालयों को बंद किया है, हाँगकाँग के साथ कौलून शाखा का विलय किया तथा केन्या में किसुमु शाखा बंद की है।

बैंक ने हमारी अनुषंगी बीओआई (बोत्सवाना) लिमिटेड को बंद करने के साथ बोत्सवाना में भी परिचालन बंद कर दिया।

8. ऋण निगरानी

बैंक के ऋणों की आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने तथा उसमें सुधार लाने और ऋण जोखिम को कम करने के लिए ऋणों एवं एकल खातों की निगरानी अनिवार्य है। स्वीकृत शर्तों के अनुपालन तथा निधियों के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करना ऋण निगरानी का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करना कि ऋण आस्तियाँ, मानक श्रेणी में ही रहें, चिह्नित दबावग्रस्त खातों/निगरानी के अधीन खातों को अपग्रेड करने का प्रयास किया जाय तथा सुधारात्मक कार्रवाई की जाय ताकि खातों को मानक श्रेणी से अवमानक श्रेणी में जाने से रोका जा सके। कमजोरी के संकेत/चूक की संभावना/डिलिक्वेंसी वाले दबावग्रस्त खातों को पहचानने तथा उनकी निगरानी करने के लिए, विभाग, विभिन्न उपकरण तथा पद्धतियों का प्रयोग कर रहा है ताकि संभावित स्लिपेज को प्रभावी तरीके से रोका जा सके तथा आस्ति की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।

प्रभावी निगरानी तथा नियंत्रण के लिए उपकरण:-

पूर्व चेतावनी संकेत

- हमारे बैंक में शीघ्र ही पूर्ण रूप से तकनीकी आधारित ईडब्ल्यूएस समाधान की शुरूआत की जाएगी। संव्यवहार एवं गैर-संव्यवहार दोनों पर आधारित डाटा के आधार पर चेतावनी जनरेट की जाएगी। जनरेट की गई चेतावनी कमजोरी को पहचानने तथा सक्रिय सुधारात्मक उपाय करने में सहायक होंगी। यह उपाय खातों में धोखाधड़ी की शीघ्र पहचान करने में सहायता करेंगा। हम अंतर्निहित कार्य-प्रवाह के साथ, ईडब्ल्यूएस हेतु स्वचालित समाधान विकसित कर रहे हैं। हम बैंक के आंतरिक डाटा, रेटिंग डाटा तथा बाह्य डाटा फीड को एकीकृत कर रहे हैं। कार्यान्वित होने के बाद शाखाओं को खातों की गहन निगरानी हेतु सक्षम बनाने के लिए यह स्वत: ईडब्ल्यूएस जनरेट करेगी।

क्रिलिक रिपोर्टिंग

- एसएमए श्रेणी में खाते के वर्गीकरण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई, पुन:संरचना आदि सुधारात्मक कदम उठाने हैं। आरबीआई के संशोधित दिशा-निर्देशों को अनुसार 5 करोड़ तथा इससे अधिक की ऋण सीमा वाले दबावग्रस्त खातों को साप्ताहिक आधार पर क्रिलिक प्लेटफॉर्म पर आरबीआई को रिपोर्ट किया जाना है।

सिस्टम से आस्ति का वर्गीकरण (सास्कल) :

- सास्कल एक संभावना बताने वाला प्रोग्राम है जो वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर दो माह से अधिक की अवधि के अतिदेय को प्रदर्शित करते हुए संभावित स्लिपेज को पहचानता है। इसके अतिरिक्त इसमें तीन माह से अधिक तक स्टॉक/क्यूआईसी स्टेटमेंट न जमा करना, सीसी खातों में अपर्याप्त/कोई जमा न होना जैसी वित्तीय अनियमितता प्रदर्शित करने वाले खातों को भी शामिल किया जाता है। इस संबंध में यदि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई न की जाए तो इससे खाता डाउनग्रेड हो सकता है। मानक आस्तियों को डाउनग्रेड होने से रोकने के लिए विभिन्न स्तरों से इन खातों की विशेषतौर पर निगरानी की जाती है।

ऋण प्रक्रिया लेखापरीक्षा

- ऋण प्रक्रिया लेखापरीक्षा (सीपीए) यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि स्वीकृति की संवितरण पूर्व तथा संवितरण पश्चात् शर्तों/अनुबन्धों का अनुपालन किया जा रहा है। सीपीए का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि

संवितरण करने वाले अधिकारी द्वारा बैंक निधियों का संवितरण करने से पूर्व, प्रतिभूति के सृजन/प्रतिभूति की पूर्णता हेतु सभी आवश्यक कदम उठाये गये हैं ताकि उक्त प्रतिभूतियों की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित की जा सके। अब, सीपीए को रियल टाइम में निगरानी के लिए फिनेकल के साथ एकीकृत किया गया है।

स्टॉक लेखापरीक्षा :

- हम पात्र खातों में स्टॉक तथा प्राप्य राशि के संबंध में समयपूर्वक लेखा-परीक्षा किया जाना सुनिश्चित करते हैं ताकि जब भी आवश्यक हो, सक्रिय/सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। स्टॉक की लेखापरीक्षा ज्यादातर वैसे मानक अग्रिम खातों के संबंध में लागू है, जिनका कार्यशील पूँजी एक्सपोजर रु.5 करोड़ तथा इससे अधिक है। इसे प्रतिवर्ष किया जाना अपेक्षित है। कमजोरी के अंतर्निहित संकेत, जैसे अनियमित स्थिति, साख पत्र के अंतर्गत अतिदेय बिल, गारंटी लागू करना, खातों की समीक्षा न होना आदि, जो बैंक की आस्तियों की गुणवत्ता के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, का टेली/वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न प्लैटफॉर्म एवं स्तरों पर फॉलोअप किया जाता है।

एनपीए को प्रतिदिन चिह्नित करना :

- एनपीए की पहचान करने में और अधिक पारदर्शिता लाने एवं विनियामकीय दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक, दिनांक 01.09.2020 से एनपीए को प्रतिदिन चिह्नित करेगा। रत्नागिरी और मुबंई उत्तर अंचलों में पहले से ही एनपीए को प्रतिदिन चिह्नित करने के कार्य का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

निगरानी के अन्य साधन :

- अनुपालन स्तर को मजबूत करने के लिए संवितरण से पूर्व तथा संवितरण के पश्चात् संबंधी प्रसंविदाओं के कार्यान्वयन की केन्द्रीयकृत निगरानी करना।
- बैंक ने संव्यवहार निगरानी के सत्यापन, निरीक्षण आदि के लिए रु.250 करोड़ से अधिक के खातों में विशेष निगरानी हेतु एएसएम नियुक्त किए हैं।
- ईडब्ल्यूएस के अवलोकन पर खातों की रेड फ्लैगिंग तथा विनियामकीय दिशा-निर्देशों के अनुसार नियत समय-सीमा के भीतर धोखाधड़ी के दृष्टिकोण की जांच करने के लिए नीतियां बनाई गई हैं। आरबीआई के क्रिलिक प्लेटफॉर्म में खाते के धोखाधड़ी युक्त घोषित हो जाने के बाद त्वरित रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाती है।

कोविड-19-विनियामकीय राहत पैकेज :

- आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, दिनांक 01.03.2020 से 31.08.2020 तक सभी उधारकर्ताओं हेतु ऋणस्थगन लाभ को बढ़ा दिया गया है तथा ऋणस्थगन का चयन न करने और चुकौती को जारी रखने के लिए, हमने उधारकर्ताओं के हित के लिए एसएमएस/मिस कॉल अलर्ट सुविधा की शुरूआत की है।

9. एनपीए प्रबंधन :

बैंक ने एनपीए और बट्टे खाते डाले गये खातों में वसूली के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यनीतियों को आत्मसात करते हुए और आस्ति वसूली शाखाओं की शुरूआत करके तथा जमीनी स्तर पर स्टाफ के साथ मिलकर काम करके लगातार अथक प्रयास किये हैं।

दिनांक 31.03.2020 को एनपीए की स्थिति निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ में)

विवरण	यथा 31.03.2019 को स्थिति	यथा 31.03.2020 को स्थिति
सकल एनपीए	60,661	61,550
निवल एनपीए	19,119	14,311
सकल एनपीए (%)	15.84%	14.78%
निवल एनपीए (%)	5.61%	3.88%
प्रावधान कवरेज अनुपात (%)	76.95%	83.75%

किये गये प्रयासों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित कार्यनीतियों में से कुछ के माध्यम से वसूली में सुधार आया है:

- एनपीए का एबीसी विश्लेषण
- अस्थायी नकदी प्रवाह असंतुलन से एनपीए हुए खातों को कम से कम समय में अपग्रेड करने के उद्देश्य से उनमें परिचालन रोकना।
- कुल अतिदेय की वसूली के पश्चात पूरे खाते का अपग्रेडेशन करना।
- उस खाते की पुर्नरचना करना जिसे दीर्घावधि सहयोग की आवश्यकता हो।
- एन.सी.एल.टी. में आवेदन करना तथा जहाँ हम लीडर नहीं हैं, वहाँ कन्सोर्टियम के अन्य बैंकों को इसके लिए प्रेरित करना।
- मुकदमा दायर करना और डीआरटी के जरिए शीघ्र निपटान के लिए रोक की समाप्ति पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- ट्रैकिंग विकल्प के साथ, एनपीए उधारकर्ताओं द्वारा, ओटीएस आवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा।
- उन खातों में जिनका बैंक के लाभ व हानि खाते में सकारात्मक प्रभाव है, उनके संबंध में ओटीएस किए जाने को प्रेरित करना।
- सरफेसी अधिनियम के प्रावधान तुरन्त लागू करना।
- ओटीएस अनुमोदित खातों में वसूली की ट्रेकिंग को सुनिश्चित करना ताकि वे असफल न हों।
- सभी पात्र मामलों में उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ता घोषित करने की प्रक्रिया आरंभ करना।
- प्रक्रिया को और तेज बनाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विशाल ई-नीलामी करना।
- विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेना।
- जिन मामलों में मुकदमा/डिक्री फाइल कर दिया गया है अब उनकी ऑनलाइन निगरानी की जाती है।
- बैंक स्तर पर आयोजित की गई उन जेएलएफ बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया जाता है जहाँ बैंक अग्रणी बैंक है या सहायता संघ (कन्सोर्टियम) का सदस्य है।

10. कोषागार

फॉरेक्स कारोबार : ट्रेजरी, बैंक का विदेशी विनिमय कारोबार संभालता है तथा फॉरवर्ड ,ऑप्शन तथा स्वैप के माध्यम से ग्राहकों को हेजिंग सुविधा उपलब्ध करता है। मुंबई में केंद्रीकृत ट्रेजरी के अतिरिक्त, बैंक के नई दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई तथा कोलकाता में 4 सैटेलाइट डीलिंग रूम हैं ताकि ग्राहकों को बेहतर ग्राहक सेवाएं उपलब्ध करायी जा सकें। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, मर्चेंट तथा इंटरबैंक टर्नओवर क्रमश: रु. 1.32 लाख करोड़ तथा रु. 28.05 लाख करोड़ रहे। इस वित्त वर्ष के दौरान बैंक का फॉरेक्स कारोबार टर्नओवर रु. 29.37 लाख करोड़ रहा। मुद्रा फ्यूचर की ट्रेडिंग में ट्रेजरी सक्रियतापूर्वक सहभागिता करता है तथा यह सभी एक्सचेजों में एक अग्रणी बैंक है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान करेंसी फ्यूचर में बैंक का टर्नओवर यूएसडी 90.79 बिलियन है। बैंक को करेंसी फ्यूचर व्यवसाय के लिए विभिन्न पुरस्कार दिये गए हैं।

2018-19 के लिए बैंक को करेंसी डेरिवेटिव सेग्मेंट (बैंक) के अंतर्गत सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए बीएसई के द्वारा **"टॉप वॉल्यूम परफॉमर"** पुरस्कार, एन.एस.सी के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के अंतर्गत करेंसी डेरिवेटिव सेग्मेंट में **"मार्केट एचीवर्स अवार्ड"** तथा बी.एस.ई के द्वारा सभी बैंको की श्रेणी के अंतर्गत **"करेंसी डेरिवेटिव सेग्मेंट में सर्वोत्तम कार्य-निष्पादन"** तथा **"बीएसई बॉन्ड प्लेटफॉर्म पर उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन"** पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

ट्रेज़री परिचालन व निवेश : बैंक ने 2019-20 के दौरान के सभी क्षेत्रों में अर्थात-मुद्रा बाजार,फॉरेक्स, बॉण्ड तथा डेरिवेटिव में सक्रिय भूमिका अदा करना जारी रखा। रेपो/टीआरईपीएस विण्डोज़ से उधार लेने हेतु अतिरिक्त एसएलआर का उपयोग करने के लिए बैंक ने समय-समय पर एसएलआर निवेशों को विनियामक आवश्यकता, जो कि एन.डी.टी.एल का 18.25% है, उससे अधिक पर बनाये रखा। यथा दिनांक 31.03.2020 को सकल एसएलआर निवेश रु.117,744 करोड़ (कुल निवेश का 74.35%) था और गैर-एसएलआर निवेश रु.38,522 करोड़ (कुल निवेश का 24.65%) रहा। गैर एसएलआर निवेश में रु. 21,699 करोड़ के "पुन: पूंजीकरण" के बॉण्ड भी शामिल हैं। ट्रेजरी ने सक्रियतापूर्वक अपने निवेशों पोर्ट फोलियो को प्रबंधित किया है तथा एस.एल.आर ए.एफ.एस पोर्टफोलियो के एम-ड्यूरेशन को, 31.03.2019 को 2.65 से 31.03.2020 को 1.51 तक कम किया है। ये निवेश,बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति के अनुसार किये जाते हैं और बाज़ार में होने वाले बदलावों/विनियामक आवश्यकताओं से तालमेल बनाए रखने हेतु समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी :

मोबाइल बैंकिंग

- वर्तमान में मोबाइल बैंकिंग के हमारे 23,45,449 पंजीकृत यूजर हैं जिसमें 22,52,338 एंड्राइड यूजर तथा 93,111 आईओएस यूजर्स हैं। बीओआई मोबाइल ऐप में हमने अंग्रेजी और हिंदी सहित 12 भाषाओं को आरंभ किया है।
- एंड्राइड 10 के साथ बीओआई मोबाइल ऐप को कंपैटिबल करने के लिए हमने आवश्यक परिवर्तन किए हैं। इसमें हमने सरकार की सूक्ष्म बीमा योजना जैसे पीएमजेजेबीवाई तथा पीएमएसबीवाई को भी आरंभ किया है जहां ग्राहक नई पॉलिसी के लिए पंजीकरण कर सकते हैं तथा मौजूदा पॉलिसी की रसीद देख सकते हैं।
- हमने आवर्ती जमा मॉड्यूल भी आरंभ किया है जिसके माध्यम से ग्राहक आर.डी खाता खोल सकते हैं, देख सकते हैं तथा परिपक्वता पूर्व बंद कर सकते हैं।
- ऑटो फेच ओटीपी सुविधा भी सक्षम की गई है।
- हमने (1) पिछले एक माह (2) पिछले तीन माह (3) पिछले छह माह तथा (4) पिछले 1 वर्ष के लिए एम-पासबुक विवरणी डाउनलोड करने की सुविधा दी है। बीओआई मोबाइल ऐप के बिल-पे खंड में अब फास्टटैग रिचार्ज करने की सुविधा उपलब्ध है।

वेबसाइट से संबंधित प्रगति

- ओटीएस निवेदन को ऑनलाइन जमा करने तथा उसकी स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए हमने ऑनलाइन ओटीएस (एकबारगी निपटान एप्लिकेशन) आरंभ किया है।
- हमने ऑनलाइन पीओएस सर्वे फॉर्म विकसित किया है। वेबसाइट के माध्यम से दर्ज शिकायतों के संदर्भ में शिकायत समाधान पर फीडबैक को दर्ज करने के लिए हमने शिकायत प्रतिपुष्टि फॉर्म विकसित किया है।
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ऋण के लिए सेंट्रल प्रपोजल ट्रैकिंग सिस्टम (सीपीटीएस)
- केन्या केंद्र की आवश्यकता के अनुसार केन्या हेतु ऑनलाइन शिकायत मॉड्यूल विकसित किया गया जो यूएटी स्तर तक प्रगति में है।
- चैटबॉट-बीओआई सेवा के लिए डैशबोर्ड प्रयुक्त किया गया ताकि बैंक की टीम, चैटबॉट इंपुट में फॉलबैक के सारांश को देख सके।

इंटरनेट बैंकिंग

- वॉइस सक्षम कैप्चा का आरंभ।
- आईबी तथा पेमेंट गेटवे के बीच इंक्रिप्टेड संप्रेषण।
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) खाते की विवरणी इंटरनेट बैंकिंग में सक्षम की गई है।
- रिटेल इंटरनेट बैंकिंग से एएसबीए डिबेंचर निवेदन।
- विंडो प्लैटफार्म तथा एम.ए.सी. उपकरणों के लिए नए स्टार टोकन क्लाइंट को जारी किया गया।
- सीबीडीटी फॉर्म 26क्यूडी भुगतानों का आरंभ।
- 10 साल से अधिक की अवधि के लिए टीडीआर खोले जाने को रोकने की व्यवस्था की गई है।
- बल्क एनईएफटी/आरटीजीएस में सुधार।
- एनईएफटी भुगतान में जंक कैरेक्टरों को रोकना।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खंड

- हमने सफलतापूर्वक निर्धारित समय सीमा में 02.01.2020 को, सभी 3 आरआरबी में समेकित रूप से, 19.80 लाख लाभार्थियों को पीएम किसान की किस्त जमा की है।

- बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित 03 आरआरबी में धन शोधन निवारण (एएमएल) सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन परियोजना।
- हमने नये एकीकृत आरआरबी का नेटवर्क माइग्रेशन पूरा किया है। सीएमपीजीबी (सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक) का पूर्ववर्ती-एनजेजीबी के साथ तथा एयूपीजीबी (इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक) का पूर्ववर्ती-जीबीए के साथ; वर्तमान में क्रमश: मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (एमपीजीबी) तथा आर्यावर्त बैंक (एबी)।
- हाल में एकीकृत आरआरबी में सीटीएस कार्यान्वयन। नवंबर तथा दिसंबर के महीने में एमपीजीबी की 17 शाखाओं में सीटीएस का कार्यान्वयन पूरा किया गया। आर्यावर्त बैंक (एबी) की 4 शाखाओं में जनवरी में सीटीएस कार्यान्वयन को पूरा किया गया।
- एनईएफटी 24/7- 16.12.2019 से आरआरबी में सफलतापूर्वक 24/7 एनईएफटी को कार्यान्वित किया गया है।

शाखाओं की नेटवर्क संरचना में सुधार

- 4900 शाखाओं को 2 एमबीपीएस या उच्चतर बैंड विथ में अपग्रेड किया गया।

किसी भी समय और कहीं भी ऋण प्रसंस्करण - रिटेल ऋण टैब/ मोबाइल एप्लिकेशन

- आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण तथा वाहन ऋण के लिए रिटेल ऋणों को पीएसबी59मिनट पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
- ग्राहकों को पीएसबी59मिनट पोर्टल के माध्यम से तत्काल सैद्धांतिक अनुमोदन उपलब्ध कराया जाता है तथा आगे, अंतिम स्वीकृति के लिए आवेदन को कैप्स में प्रसंस्कृत किया जाता है।
- हमारी वेबसाइट पर रिटेल ऑनलाइन मॉड्यूल आरंभ किया गया है जिसके माध्यम से ग्राहक, रिटेल ऋणों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा आगे इसका प्रसंस्करण करने के लिए हमारे कैप्स एप्लीकेशन के साथ इसे एकीकृत किया गया है। आवेदन फॉर्म तथा संबंधित दस्तावेजों को तत्काल कैप्स में अपलोड किया जा सकता है।
- रु. 2 करोड़ तक के सभी एमएसएमई ऋणों के प्रसंस्करण के लिए कैप्स में एमएसएमई ऋण प्रारूप-2 तथा प्रारूप-3 आरंभ किया गया है।

मेघतारा - नवीनतम क्लाउड सुविधा तैयार करना

- बैंक के निजी क्लाउड को सृजित करने हेतु क्लाउड आर्किटेक्चर के संभावित लाभ को अधिकतम करने के लिए। बैंक तथा विनियामक की आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु।
- हमने निजी क्लाउड इंफ्रा पर, सफलतापूर्वक 218 वीएमएस में से 207 वीएमएस को माइग्रेट किया है। एमबी, जीपीएस, यूपीआई तथा मेल बॉक्स जैसे वीएम माइग्रेशन के लिए लंबित हैं जिसके लिए हम संबंधित एप्लिकेशन के पक्ष से डाउनलोड टाइम प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं।
- वर्चुअल आधारभूत संरचना को अपग्रेड किया गया है तथा क्लाउड के साथ एकीकृत किया गया है।
- बैकअप सर्वर कार्यान्वयन लंबित है तथा सभी वीएम के माइग्रेशन के बाद एफआई स्विच अपलिंक अपग्रेडेशन आरंभ किया जाएगा।
- डीसी में निजी क्लाउड आधारभूत संरचना का कार्य पूरा हो गया है।

स्टार डेस्क पर मॉड्यूल का सृजन / स्टारडेस्क में फॉर्म

- सतर्कता पोर्टल का नवीनीकरण।
- अनुपालन पोर्टल का सृजन।
- संदर्भ संख्या सृजन के लिए एप्लिकेशन।
- डीआरओ के स्थयीकरण हेतु परीक्षा के लिए क्विज मॉड्यूल की स्थापना।
- जोनल बजट आवंटन के लिए एप्लिकेशन/फॉर्म।
- स्टार डेस्क पर ज्ञान पोर्टल में एएमओ द्वारा स्थानीय कार्यशाला के संदर्भ में ऑनलाइन प्रतिपुष्टि फॉर्म।
- स्टारडेस्क पर ज्ञान पोर्टल पर प्रशिक्षण महाविद्यालय में स्टाफ के सेट-अप के लिए ऑनलाइन फॉर्म।
- स्टार डेस्क पर अनुपालन पोर्टल में एनबीजी, अंचल, शाखा तथा अनुपालन अधिकारी के लिए मासिक निगरानी रिपोर्ट फॉर्म।
- हिन्दी रिपोर्टिंग फॉर्म में बदलाव।

डाटा वेयरहाउस की नई पहल

शाखाओं की डेटाशीट :

- जमाराशि, अग्रिम, क्षेत्रवार ऋण, संवितरण, एनपीए, वसूली, ओटीएस इत्यादि शाखा कारोबार के आंकड़ों को शामिल करके शाखा डेटाशीट 01.01.2020 को जारी की गई।
- हमने शाखा की ईमेल आईडी पर सभी शाखाओं को साप्ताहिक आधार पर शाखा डेटाशीट भेजना आरंभ किया है।
- शाखा डाटा शीट, प्रधान कार्यालय विभागों/एनबीजी/आंचलिक कार्यालयों की तदर्थ आवश्यकताओं के लिए 3750 से अधिक की संख्या में रिपोर्ट उपलब्ध कराती है।
- इस अवधि के दौरान एसएपी बीओ में 56 नई रिपोर्टों को एकीकृत किया गया। इसमें बीपीआर विभाग हेतु आंचलिक कार्यालय निगरानी उपकरण के 22 रिपोर्ट शामिल हैं। (जाँच के अधीन)

सूचना प्रौद्योगिकी की नई पहल

दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली :

- दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) एक ऐसी व्यवस्था है (डिजिटल दस्तावेजों के प्रबंधन के मामले में कंप्यूटर प्रोग्राम पर आधारित) जिसका प्रयोग दस्तावेजों को ट्रैक करने, प्रबंधित करने तथा उसका भंडारण करने एवं कागज की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। यह अलग-अलग उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाए और संशोधित किए गए विभिन्न वर्जन का रिकॉर्ड रखने (हिस्ट्री ट्रैकिंग) में भी मदद करती है।

- हमने परिसर विभाग को डीएमएस एक्सेस दे दिया है। हमने डीएमएस के कार्यान्वयन की जांच, खाता खोलने की प्रक्रिया हेतु शाखाओं में, सीबीओडी विभाग में तथा एफबीडी विभाग के लिए स्विफ्ट सेंट्रलाइजेशन में किया है।

मोबाइल एप्लिकेशन पर भुगतान नियंत्रक (कार्ड कंट्रोल)

- आदरणीय एमडी एवं सीईओ, सभी कार्यपालक निदेशकों तथा दो निदेशकों की उपस्थिति में हमारे माननीय अध्यक्ष के कर-कमलों से दिनांक 06.06.2019 को डेबिट कार्ड के लिए "कार्ड शील्ड" तथा क्रेडिट कार्ड के लिए "कार्ड कंट्रोल" नामक दो एप्लिकेशन का शुभारंभ किया गया।
- अब कार्ड कंट्रोल आईओएस पर भी उपलब्ध है। हम हमारे बीओआई मोबाइल ऐप में इन एप्लिकेशनों अर्थात कार्ड शील्ड तथा कार्ड कंट्रोल को एकीकृत करना प्रस्तावित करते हैं। इसके अतिरिक्त ऐप के माध्यम से सीमा में किसी भी परिवर्तन के लिए एसएमएस/ईमेल अलर्ट भेजा जाएगा।

डोरस्टेप बैंकिंग

- डोरस्टेप बैंकिंग एक सुविधा है जो ग्राहकों को दी जाती है ताकि उन्हें सामान्य बैंकिंग कार्यों जैसे नकद जमा, नकद निकासी, चेक जमा या मांग ड्राफ्ट बनाने के लिए शाखा में न जाना पड़े। बैंक अपनी ओर से सेवा प्रदाता नियुक्त कर, ग्राहकों को उनके कार्यस्थल पर इन सुविधाओं को उपलब्ध कराता है।
- हमने डोरस्टेप बैंकिंग आरंभ कर दी है तथा यूएटी किया है।

रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन

- बड़ी मात्रा में, बार-बार होने वाले कार्यों को संभालने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा मशीन लर्निंग क्षमताओं के साथ सॉफ्टवेयर का प्रयोग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) है जो कार्य पहले मनुष्यों द्वारा किए जाते थे।
- इन कार्यों में पूछताछ, गणनाएं, रिकॉर्ड तथा संव्यवहरों का रखरखाव शामिल हो सकता है। वैकल्पिक प्रस्तुति माध्यम (एडीसी) विभाग के द्वारा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) किया गया है तथा यह अप्रैल 2019 से सफलतापूर्वक चल रहा है। हमने तीन नई प्रक्रियाओं को ऑटोमेट किया है।

12. जोखिम प्रबंधन :

जोखिम तथा नियंत्रण :

बैंक ने जोखिमों तथा प्रतिफलों के बीच ट्रेड-ऑफ को बनाये रखने के लिए, एकल और पोर्टफोलियो आधार पर, प्रासंगिक जोखिमों का अनवरत मूल्यांकन सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्थाएं स्थापित की हैं। हमारे बैंक में जोखिम प्रबंधन, बोर्ड (आर.कॉम.) द्वारा संचालित कार्य है, जिसमें शीर्ष स्तर पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति होती है जिसको, विभिन्न जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए उच्च कार्यपालकों की परिचालनात्मक स्तर की समितियों जैसे आस्ति देयता प्रबंध समिति (एएलसीओ), सीआरएमसी (ऋण जोखिम प्रबंधन समिति), एमआरएमसी (बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति) और सोओआरएम (परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन के लिए समिति) से सहयोग प्राप्त होता है।

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में सभी स्रोतों के जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण शामिल है जिनसे बैंक एक्सपोज्ड है। ये प्रक्रियाएं विभिन्न नीतियों यथा उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम प्रबंधन, संपार्श्विक प्रबंधन, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन, बाज़ार जोखिम प्रबंधन, एक्सपोजर (बैंक एक्सपोजर एवं बड़ा एक्सपोजर ढ़ांचा), डेरिवेटिव्स, ए.एल.एम, विदेशी विनिमय और डीलिंग रूम परिचालन इत्यादि के अंतर्गत समाविष्ट हैं। सभी गतिविधियों और उत्पादों के संबंध में संभावित जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी व उसका न्यूनीकरण, व्यापक विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है और इसकी जांच, परिचालनात्मक स्तर की जोखिम समितियों और कार्यबलों द्वारा की जाती है। चिह्नित जोखिमों के मूल्यांकन/मापन के लिए, विवेकपूर्ण सीमाओं हेतु पद्धतियां एवं प्रणालियां, बासल अनुपालन करने वाला क्रेडिट रेटिंग मॉडल, क्रेडिट लेखा-परीक्षा, बाजार जोखिमों हेतु संवेदनशीलता आधारित उपाय जैसे एम-ड्यूरेशन, पीवी-01 तथा वीएआर मॉडल, परिचालनात्मक जोखिम के लिए प्रमुख जोखिम संकेतकों (के.आर.आई) की निगरानी के साथ-साथ स्वंय मूल्यांकन कवायद (आरसीएसए) स्थापित है।

01 अप्रैल 2013 से प्रभावी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक, ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एस.ए.), बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत मूल्यांकन पद्धति (एस.एम.एम) और परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण (बी.आई.ए.) के आधार पर, बासल III विनियमन के अंतर्गत, पूंजी पर्याप्तता की गणना की दिशा में चला गया है। बैंक द्वारा, विभिन्न जोखिमों के मूल्यांकन/मापन, इसकी जोखिम वहन करने की क्षमता की सीमा और जोखिम वहन करने की क्षमता के संबंध में आतंरिक पूंजी के समुचित स्तर हेतु, वार्षिक आधार पर, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) संपन्न की जाती है। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, बैंक को संभावित प्रभाव के बारे में बेहतर जानकारी उपलब्ध करा कर, जोखिम मूल्यांकन को और बेहतर बनाने के लिए, स्ट्रेस परीक्षण प्रक्रिया मौजूद है। इसके अतिरिक्त, फील्ड कार्यकारी स्तर पर भी जोखिम संस्कृति पर ध्यान देने के लिए बैंक के पास सभी 08 एनबीजी तथा 54 अंचलों में फील्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधक हैं।

बैंक के बढ़ते हुए कारोबार को देखते हुए आंतरिक नियंत्रकों को सुदृढ़ बनाकर बैंक के ब्रांड, प्रतिष्ठा और आस्तियों की सुरक्षा हेतु, सूचना सुरक्षा खतरों से बचना, बैंक के सूचना जोखिम प्रबंधन प्रणाली का स्पष्ट उद्देश्य है। बैंक अपने ग्राहकों और खाताधारकों से संबंधित डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर सतर्क है और इसे साइबर हमले से सुरक्षित करने का अत्यधिक ध्यान रखता है। बैंक द्वारा डेटा सेंटर में कैप्टिव सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) स्थापित किया गया है। बैंक द्वारा रियल टाइम आधार पर सूचना सुरक्षा उल्लंघन प्रयासों/घटनाओं/वारदातों की 24X7 निगरानी के लिए विभिन्न सूचना सुरक्षा परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। वेब तथा ई-मेल चैनलों के लिए उन्नत सुरक्षा उपकरण जैसे एसआईईएम (सुरक्षा जानकारी तथा घटना प्रबंधन), पीआईएम (विशेषाधिकार पहचान प्रबंधन), डीएएम (डेटाबेस गतिविधि निगरानी), डब्ल्यूएएफ (वेब एप्लिकेशन फायरवाल), एनबीएडो (नेटवर्क बिहेवियर अनामली डिटेक्शन), एंटी-एपीटी (उन्नत परसिस्टेंस थ्रेट) और एंटी डीडीओएस कार्यान्वित कर दिये गए हैं। खतरे को दूर करने, उन्हें रोकने, उनका पता लगाने तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई करने पर ध्यान देते हुए विभिन्न नए सुरक्षा उत्पाद, खरीद तथा कार्यान्वयन के अंतिम चरण में हैं। विपरीत परिस्थितियों में आईटी सेवाओं की सुरक्षा के संबंध में बैंक ने पर्याप्त रेजिलीयेंस प्राप्त किया है। बैंक, आईएसओ 27001:2013

(आईएसएमएस) और आईएसओ 22301:2012 (बीसीएमएस) प्रमाणपत्र धारक है और पीसीआई-डीएसएस वी3-2 प्रमाण-पत्र प्राप्ति के अग्रिम चरण में है। सभी संवेदनशील एप्लिकेशन और सेवाओं के लिए नियमित जोखिम व कमजोरी (वल्नरेबिलिटी) मूल्यांकन प्रक्रिया समयबद्ध उपचारात्मक गतिविधियों सहित पूरी की जाती है। पूरे बैंक में अध्ययन एवं संचार के विविध माध्यमों से व्यापक स्तर पर स्टाफ के साथ-साथ ग्राहकों के लिए सुरक्षा जागरूकता अभियान, विशेष रूप से सोशल इंजीनियरिंग के संबंध में आयोजित किए जाते हैं।

13. वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यम :

बैंक ऑफ़ इंडिया डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न डिजिटल उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान कर रहा है। विभिन्न प्रकार के डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं। बैंक ने ग्राहकों के कार्डों एवं कार्ड संबंधित लेनदेनों को सुरक्षित करने में सहायता करने के लिए कार्ड नियंत्रण एप्लिकेशन आरंभ किये है। काफी ग्राहकों द्वारा भीम यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग एवं इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाया जा रहा है। बैंक ने मर्चेंट ग्राहकों को पीओएस ईडीसी मशीन, भीम आधार पे/भारत क्यूआर डिवाइस प्रदान करता है। 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार, बैंक ने विभिन्न महानगरों, शहरी, अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 48,361 डिवाइस स्थापित किए हैं।

बैंक के सभी एटीएम अद्यतन सुरक्षा विशेषताओं से युक्त हैं। हमने अपनी सभी एटीएम मशीनों में दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों की सहायता हेतु वाइस गाइडेंस सुविधा भी प्रदान की है। 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार अपने ग्राहकों को बिना बाधा रहित नकदी जमा/आहरण की सुविधा प्रदान करने के लिए 1800 नए युग की कैश रिसाइकलर मशीनों को भी स्थापित किया गया है।

14. संव्यवहार बैंकिंग :

डिजिटल बैंकिंग के जरिए ग्राहकों, विशेष रूप से लार्ज कार्पोरेट, सरकारी संस्थानों एवं उच्च निवल मालियत वाले व्यक्तियों के 'नकदी प्रवाह' का प्रबंधन करके बैंक के लिए थोक आय एवं फ्लोट सृजित करने के लिए बैंक ने एक अलग संव्यवहार बैंकिंग विभाग स्थापित किया है। विभाग के कार्यों में चेक वसूली, पीडीसी वसूली एवं एवं प्रत्यक्ष डेबिट अधिदेश, अन्य सेवाएं जैसे नकदी प्रबंधन सेवाएं (घर-घर बेंकिंग), ऑनलाइन शेयर बाजार, (1 खाते में 3, एएसबीए, एसवाईएनडीएएसबीए), पेमेंट गेटवे, एनपीसीआई प्लैटफार्म पर एनएसीएच गतिविधियां तथा स्टार चैनल वित्त का परिचालन शामिल है।

विभाग ने पिछले वर्ष अर्थात् 2018-19 में रु. 100.38 करोड़ की आय की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में 150.59 करोड़ की आय दर्ज की है।

15. थर्ड पार्टी उत्पाद प्रभाग :

जीवन बीमा :

जीवन बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए बैंक का अपनी संयुक्त उद्यम जीवन बीमा कंपनी अर्थात् स्टार यूनियन दाई-इची जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ कॉरपोरेट एजेंसी समझौता है। पूरे भारत में बैंक के पास 8,800 से ज्यादा कर्मचारी हैं, जो आईआरडीएआई से प्रमाणित 'निर्धारित व्यक्ति' हैं। सूडलाइफ के विभिन्न जीवन बीमा उत्पादों की बिक्री के अतिरिक्त, हम बैंक के रिटेल ऋण के अंतर्गत आवास एवं शिक्षा ऋण के सम्बन्ध प्रतिस्पर्धी प्रीमियम पर वैकल्पिक बीमा प्रदान करते हैं। इस संबंध में बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु.1080 करोड़ का प्रीमियम प्राप्त किया है तथा इस प्रकार रु.78.60 करोड़ (अनंतिम) की कमीशन आय अर्जित की है।

साधारण बीमा:

बैंक ने दो साधारण बीमा कंपनियों अर्थात् रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के उत्पादों की बिक्री के लिए समझौता किया है। हमने सह-ब्रांडिंग कर "रिलायंस बीओआई स्वास्थ्य बीमा" उत्पाद आरंभ किया है, जो पूरे परिवार द्वारा प्रयोज्य (फैमिली फ्लोटर) पॉलिसी है। यह बैंक ऑफ़ इंडिया के ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी प्रीमियम पर उपलब्ध है। बैंक ने ₹ 154.30 करोड़ का साधारण बीमा प्रीमियम प्राप्त किया है तथा इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रु.18.60 करोड़ की कमीशन आय अर्जित की है।

केवल (स्टैंडअलोन) स्वास्थ्य बीमा:

स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा श्रेणी के अंतर्गत बैंक ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इस क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2019-20 में बैंक ने 39.06 करोड़ प्रीमियम प्राप्त किये, अतः वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु.4.16 करोड़ की अनंतिम कमीशन आय अर्जित की।

म्यूचुअल फंड उत्पाद :

हमारे ग्राहकों की सभी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए बैंक एकल वित्तीय केन्द्र बना हुआ है। हमारे पास अनेक वित्तीय उत्पाद हैं जिसमें हमारी अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी बीओआई-एक्सा म्यूचुअल फंड सहित 10 आस्ति प्रबंधन कंपनियों के उत्पाद शामिल हैं। हम इनके म्यूचुअल फंड उत्पादों का विपणन करते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने इस क्षेत्र में रु.2.82 करोड़ की अनंतिम आय अर्जित की है।

16. विपणन एवं प्रचार-प्रसार:

बैंक के छवि निर्माण के साथ-साथ बैंक के उत्पादों एवं सेवाओं की दृश्यता को बढ़ाने के लिए बैंक का प्रचार एवं जन-संपर्क विभाग, विभिन्न संचार माध्यमों से कॉरपोरेट अभियान चलाता है। मीडिया संबंधी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देशभर में बैंक के विविध उत्पादों का प्रचार-प्रसार, बैंक की थीम लाइन **"रिश्तों की जमापूंजी"** के साथ किया जाता है। रेडियो चैनलों, टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंक के उत्पादों का प्रचार-प्रसार प्रभावी ढंग से किया गया है। प्रिंट मीडिया में बड़े राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और विभिन्न प्रमुख पत्रिकाओं तथा 'आउट ऑफ़ होम' (ओओएस) गतिविधियों यथा होर्डिंग/बिल बोर्ड/गैन्ट्री के माध्यम से भी बैंक के उत्पादों का प्रचार किया जाता है।

17. कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास:-

बीपीआर विभाग बैंक में मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ चेंज मैनेजमेंट के अन्य पहलुओं, जिसमें संगठनात्मक संरचना, उत्पाद एवं नीतियां शामिल हैं, में सुधार लाने के लिए कार्य करता है। वर्ष 2019-20 के दौरान की गई ग्राहक केंद्रित मुख्य पहलें निम्नलिखित हैं:-

- **बीओआई स्टार एनआरआई शील्ड:-** एनआरआई ग्राहकों के लिए एनआरई टीडीआर प्लस तथा एफसीएनआर (बी) प्लस नामक नई जमा योजनाएं बनाई गई हैं, जो परिपक्वता पर अधिक लाभ के लिए वायदा कवर और एफसीएनआर स्कीम को मिलाकर एनआरआई जमा राशियों को आकर्षित कर सकती हैं। ग्राहक को

जमा के अंतिम मूल्य (एंड वैल्यू) की जानकारी उत्पाद योजना के चयन के समय ही हो जाती है।

- **शाखाओं का वर्गीकरण:-** समुचित स्टाफ एवं ग्राहक सेवा प्रस्तुति की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित मानदंडों के तहत दिनांक 31.03.2019 को शाखाओं का पुनःवर्गीकरण किया गया है।
- **सेवा प्रभारों का रेशनलाइजेशन:-** उद्योग में अन्य की तुलना में सस्ते एवं ग्राहक के अनुकूल बनाने के लिए हमने अपने सेवा प्रभारों को रेशनलाइज किया गया है।
- **आरबीआई के दिशा निर्देशानुसार हमारे बैंक के साथ स्विफ्ट (SWIFT) का केंद्रीकरण:-** धोखाधड़ी से बचने एवं अपने ग्राहक को बेहतर, सुगम एवं विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीकृत स्विफ्ट परिचालन को फिनेकल से लिंक करने की प्रक्रिया चल रही है।
- **स्टार परामर्श- स्टाफ परामर्श योजना:-** सम्मेलन, कॉन्क्लेव एवं प्रशिक्षण केंद्रों सहित सभी फोरम पर परिचालात्मक कुशलता एवं प्रभावकारी सेवाओं के लिए स्टाफ द्वारा दिए गए सभी विचारों एवं सुझावों को शामिल करने के लिए योजना में विस्तार किया गया है। वर्ष के दौरान 1214 सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से 63 का कार्यान्वयन के लिए चयन किया गया एवं 13 को पुरस्कृत किया गया।
- **अंचलों का गठन:-** सरल कार्य-पद्धति और बेहतर ग्राहक सेवा के लिए वर्तमान आंध्र प्रदेश अंचल से दो अंचलों, विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा, का गठन किया गया है।

18. निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा:

बैंक में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा, जोखिम आधारित प्रबंधन लेखापरीक्षा (घरेलू), समवर्ती लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा तथा विदेशी शाखाओं की लेखापरीक्षा पर बोर्ड अनुमोदित नीति उपलब्ध है। इन नीतियों को, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन करने तथा आरबीआई एसपीएआरसी रिपोर्ट में उल्लिखित क्षेत्रों को कवर करने तथा साथ ही बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के निर्देशों के अनुसार समीक्षित/संशोधित किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, विभाग ने 3261 शाखाओं और कार्यालयों की लेखापरीक्षा आयोजित की। समवर्ती लेखापरीक्षा में कार्यरत सीए द्वारा 847 शाखाओं, ट्रेजरी शाखा, डाटा सेंटर तथा प्रधान कार्यालय के विभागों को कवर किया जाता है तथा बैंक के आंतरिक अधिकारियों द्वारा सभी विदेशी शाखाओं को कवर किया गया है। समवर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा 51.50% वैश्विक जमा तथा 74.25% से अधिक वैश्विक अग्रिम को कवर किया गया।

बैंक ने निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु समय-समय पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं:

- "उच्च जोखिम तथा अधिक" रेटिंग वाली शाखाओं में विवेकाधीन लेखापरीक्षा आयोजित की गई।
- लेखापरीक्षाधीन शाखाओं में निवारक सतर्कता उपायों के प्रभाव का मूल्यांकन।
- निर्यात संव्यवहारों/आयात अग्रिम विप्रेषणों से संबंधित संव्यवहारों की जांच/सत्यापन के लिए चयनित प्राधिकृत डीलर शाखाओं की विशेष लेखापरीक्षा।
- बैंक के आंतरिक सूचना सिस्टम लेखापरीक्षकों द्वारा डाटा सेंटर तथा आपदा रिकवरी साइट की आईएस लेखापरीक्षा।
- ब्याज मानदंडों के सत्यापन, ब्याज प्रक्रिया को लागू करने तथा नमूना खातों में ब्याज की जाँच को सुनिश्चित करने हेतु डाटा सेंटर की समवर्ती लेखापरीक्षा।
- शीर्ष प्रबंधन, कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को सभी महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की निर्देशों के अनुसार नियमित रिपोर्टिंग की जाती है।
- जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए), समवर्ती लेखापरीक्षा, सेवा शाखा, करेंसी चेस्ट और प्रबंधन लेखा परीक्षा के लिए बैंक ने यूनिफाइड ऑडिट मैनेजमेंट सॉल्यूशन(यूएएमएस) अर्थात् स्टार ऑडिट लागू किया।

19. विधि एवं सूचना का अधिकार:

बैंक का विधि विभाग सपोर्ट विभाग के रूप में कार्य करता है तथा प्रधान कार्यालय के विभिन्न कार्यात्मक विभागों में सामने आने वाले मामलों पर सलाह, प्रलेखीकरण, मुकदमों इत्यादि के संबंध में प्लैटफार्म उपलब्ध कराता है।

विभिन्न एनबीजी/अंचलों, घरेलू शाखाओं/विदेशी शाखाओं तथा बैंक की अनुषंगियों द्वारा संदर्भित मामलों पर कार्रवाई करने के अतिरिक्त, यह विभाग, विभिन्न संविदाओं/सेवा स्तरीय करारों (एसएलए), सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर खरीद, विभिन्न प्रकार की टाई-अप व्यवस्थाओं/नये उत्पादों इत्यादि के प्रलेखों की ड्राफ्टिंग/वेटिंग के द्वारा, विशेषज्ञ विभागों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, अंतरराष्ट्रीय विभाग, कोषागार विभाग, कार्ड उत्पाद विभाग, संव्यवहार बैंकिंग विभाग इत्यादि विशेषज्ञ विभागों की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

सूचना के अधिकार ने समाज में महत्वपूर्ण स्थान अर्जित कर लिया है तथा विभिन्न स्तरों पर बैंक के द्वारा बहुत ज्यादा आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। बैंक ने विभिन्न अंचलों/एनबीजी में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित किये हैं। विधि विभाग के उप महाप्रबंधक (विधि), प्रधान कार्यालय को बैंक का सीपीआईओ नामित किया गया है तथा महाप्रबंधक, विधि विभाग को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। आवेदन या अपील को निपटाने की प्रक्रिया यह है कि विभिन्न विभागों से वांछित जानकारी को एकत्र किया जाता है तथा 30 दिनों की निर्धारित अवधि के दौरान उसे आवेदकों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट बिन्दुओं पर अन्य अंचलों/एनबीजी का भी मार्गदर्शन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त स्टाफ सदस्यों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विधि विभाग, विधियों में संशोधन तथा नये विधानों पर एनबीजी/अंचलों को परिपत्र जारी करता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त विधि विभाग निम्नलिखित से संबंधित कार्य भी करता है -

- बैंक द्वारा दायर वादों के संबंध में, वाद पत्र का अनुमोदन तथा ऐसे वादों की निगरानी करना।
- बैंक के विरुद्ध दायर रिट, वादों, अपीलों, दावों इत्यादि पर परामर्श देना, आवेदनों/शपथ पत्रों इत्यादि, जहाँ भी आवश्यक हो, उनकी जाँच करना।

- विभिन्न अधिनियमों पर विचाराधीन संशोधनों / नये विधानों सहित विभिन्न मामलों पर मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा आईबीए के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देना।
- शेयर विभाग के शेयर अंतरण मामले पर राय देना।
- बैंक के विरुद्ध वाद/बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है/प्रावधान आवश्यकताएं/अंचलों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई इत्यादि।
- वाद दायर/डिक्री किए गए मामलों से संबंधित डाटा/सांख्यिकी, एकत्रित तथा संकलित करना तथा विभिन्न प्राधिकारियों जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्त मंत्रालय इत्यादि को प्रस्तुत करना। इसके अतिरिक्त विधि विभाग आरबीएस डाटा से संबंधित कार्रवाई भी करता है।

20. अनुपालन विभाग

वर्ष 2008 से बैंक में स्वतंत्र अनुपालन विभाग है। महाप्रबंधक श्रेणी के मुख्य अनुपालन अधिकारी विभाग के प्रमुख होते हैं, जो धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएल अधिनियम) के अनुसार "प्रमुख अधिकारी" के रूप में भी पदनामित होते हैं। इसका कार्यक्षेत्र बैंक के घरेलू और विदेशी परिचालन के लिए बैंक के सांविधिक, विनियामक एवं आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन करना है।

बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन कार्यनीति अपना रहा है। बैंक के घरेलू परिचालनों के विभिन्न कार्यक्षेत्रों हेतु अनुपालन नियमों को अपनाकर बैंक अपनी अनुपालन संस्कृति को निरंतर बढ़ा रहा है। अनुपालन विभाग विनियामक दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का छमाही अनुपालन निरीक्षण कार्य, तिमाही अनुपालन निरीक्षण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के अंतर्गत की गई कार्रवाई का अनुपालन तथा अविरत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ट्रांश III संबंधी अनुपालन नियमों का परीक्षण कर रहा है।

बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ धन-शोधन निवारण (एएमएल) संबंधी उपाय/ आतंकवाद के वित्त पोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) संबंधी दिशा-निर्देशों को लागू करने/ निगरानी करने की जिम्मेदारी भी विभाग को सौंपी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार सभी खातों में केवाईसी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। धन शोधन अधिनियम, 2002 के प्रावधान तथा अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार इसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित केवाईसी/ एएमएल/ सीएफटी नीति तैयार की है, जिसे भारत में स्थित शाखाओं ने अपनाया है। सभी ग्राहकों को जोखिम अवधारणा के आधार पर उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। आरबीआई के वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार वर्गीकरण की समीक्षा छमाही आधार पर की जाती हैं। विभाग स्टाफ सदस्यों को केवाईसी/ एएमएल और उसके अनुपालन से संबंधित पहलुओं पर प्रशिक्षण देना भी सुनिश्चित करता है।

अनुपालन विभाग सभी विनियामक एजेंसियों के लिए संपर्क का सिंगल पॉइंट है। यह जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) के कार्य में आरबीआई को जवाब देने हेतु फोकल प्वाइंट है। बैंक के समस्त विभागों के समन्वयन से आरबीएस रिपोर्ट बनाई जाती हैं तथा अनुपालन विभाग उन्हें आरबीआई में प्रस्तुत करता है।

विदेशों में स्थित कार्यालय, जो अपने संबंधित क्षेत्र पर आधारित अनुपालन नीतियों के साथ ही केवाईसी-एएमएल -सीएफटी नीतियों का पालन करते हैं, उनके अनुपालन संबंधी कार्यों की देखरेख भी प्रधान कार्यालय का अनुपालन विभाग करता है। विदेश स्थित प्रत्येक केंद्र/ शाखा/ सहयोगी संस्था से संबंधित अनुपालन कार्यों की निगरानी हेतु एक अनुपालन अधिकारी होता है। विदेश स्थित शाखाएं लागू विनियामक आवश्यकताओं (स्वदेश/ मेजबान देश के विनियामक दिशानिर्देश, जो भी कड़े हों) का पालन करती हैं तथा तत्सम्बन्धी पुष्टिकरण/अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। विदेश स्थित प्रत्येक शाखा का अनुपालन अधिकारी तिमाही आधार पर अनुपालन संबंधी जांच करता है तथा प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

21. राजभाषा

बैंक में एक सुस्थापित राजभाषा विभाग है जो भारत सरकार की राजभाषा नीति से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करता है। वर्ष के दौरान 'ख' क्षेत्र में नराकास रत्नागिरी को बैंक श्रेणी में भारत सरकार का 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' (द्वितीय स्थान) प्राप्त हुआ है। नराकास (बैंक) नागपुर को भारत सरकार द्वारा 'ख' क्षेत्र में (क्षेत्रीय पुरस्कार) 'प्रथम स्थान' प्राप्त हुआ है। हमारा बैंक दोनों नराकासों का संयोजक है। हमारे बैंक को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग से अप्रैल से सितम्बर, 2019 के दौरान राजभाषा हिन्दी के बेहतर कार्यान्वयन के लिए 'ख' क्षेत्र में द्वितीय सर्वोत्कृष्ट संस्था के रूप में 'प्रशस्ति पत्र' माननीय सुश्री दक्षिता दास, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा प्रदान किया गया। हिन्दी के बेहतर कार्यान्वयन के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अंचलों को 19 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बैंक ने 147 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया है जिसमें 3784 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, प्रधान कार्यालय के स्टाफ सदस्यों के लिए भारत सरकार, हिन्दी शिक्षण योजना के तहत 'पारंगत' कक्षा का आयोजन बैंक परिसर में किया गया। बैंक में दिनांक 26 नवम्बर, 2019 से 26 नवम्बर, 2020 तक 'नागरिक कर्तव्य जागरूकता अभियान' चलाया जा रहा है। विश्व हिन्दी दिवस के अवसर पर देश में विभिन्न विद्यालयों में बैंक द्वारा वाद-विवाद तथा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्टाफ सदस्यों के राजभाषा संबंधी कौशल को बढ़ाने तथा अपग्रेड करने के लिए राजभाषा ई-लर्निंग मॉडयूल-2 'राजभाषा विधि शब्दावली' तैयार किया गया। प्रधान कार्यालय के विभागों हेतु हिन्दी ई-मेल प्रतियोगिता तिमाही आधार पर पूरे वर्ष चलाई गयी। 15 अगस्त से 14 सितम्बर, 2019 तक हिन्दी माह मनाया गया जिसमें दैनिक कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में रूचि विकसित करने के लिए स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं/ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हमारे बैंक के दिव्यांग (दृष्टिहीन) राजभाषा अधिकारियों के लिए बैंक के एक दिव्यांग राजभाषा अधिकारी द्वारा 'ब्रेल लिपि' में राजभाषा नीति, वार्षिक कार्यक्रम तथा द्विभाषी टिप्पणियां तैयार की गई हैं। इनका विमोचन निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हमारे राजभाषा अधिकारयों की समीक्षा बैठक में हमारे कार्यपालक निदेशक (अब एमडी एवं सीईओ) श्री ए.के.दास की उपस्थिति में किया गया।

'हिन्दी कार्यशाला सहायिका पुस्तिका' तैयार की गयी। प्रधान कार्यालय के विभागों एवं अंचलों हेतु अलग-अलग 'राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता' आयोजित की गयी। क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी एवं द्विभाषी संदर्भ साहित्य तैयार किया गया। बैंक 7 नराकास के संयोजन का दायित्व सफलतापूर्वक निभा रहा है।

22. मानव संसाधन, अध्ययन एवं विकास और गृहपत्रिका :

मानव संसाधन विभाग:

बैंक की एच.आर. रूपांतरणीय कार्यनीति, क्षमता संवर्धन तथा योग्यता प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करती है ताकि समुचित कौशल युक्त स्टाफ

की उपलब्धता, वर्तमान स्टाफ का इष्टतम उपयोग तथा उचित प्रशिक्षण एवं सर्टिफिकेशन के माध्यम से ऋण, वित्त एवं आयोजना, कोषागार तथा फॉरेक्स, एच.आर., आईटी तथा एनालिटिक्स, जोखिम प्रबंधन तथा अनुपालन एवं लेखा-परीक्षा जैसे बैंकिंग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कौशल में कमी को पूरा करते हुए स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। प्रतिभा प्रबंधन योजना का लक्ष्य यह है कि उत्तरवर्ती प्रबंधन योजना के रूप में नेतृत्व प्रदान करने वालों की संधारणीय तथा सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जा सके। इसके अतिरिक्त बैंक ने कर्मचारी नियोजन सर्वेक्षण तथा अपनी एच.आर. पॉलिसी के अंतर्गत 360 डिग्री फीडबैक प्रक्रिया आरंभ की है।

वर्ष के दौरान बैंक ने 606 सामान्य बैंकिंग अधिकारी, 442 विशेषज्ञ अधिकारी और 1824 लिपिक भर्ती किए हैं। कॉर्पोरेट क्रेडिट, जोखिम प्रबंधन, कोषागार, आईटी और विपणन जैसे क्षेत्रों में मानव कौशल में कमी को पूरा करने हेतु बैंक निरंतर प्रयासरत है।

आरक्षण नीति का अनुपालन :

बैंक, भारत सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन कर रहा है। प्रधान कार्यालय और आंचलिक कार्यालयों में भर्ती अनुभाग एवं एससी/एसटी कक्ष आरक्षण नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं तथा एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों का निवारण करते हैं। प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक को एससी/एसटी एवं ओबीसी हेतु मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पद-आधारित आरक्षण रोस्टर रखे जाते हैं।

एससी / एसटी / ओबीसी स्टाफ का प्रतिनिधित्व :

मार्च - 2020	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी	कुल
कुल	21,773	20,777	7,217	49,767
एससी	3,891	3,344	2,404	9,639
कुल स्टाफ की तुलना में %	17.87	16.09	33.31	19.37
एसटी	1,868	2,427	825	5,120
कुल स्टाफ की तुलना में %	8.58	11.68	11.43	10.28
ओबीसी	5,635	5,223	1,772	12,630
कुल स्टाफ की तुलना में %	25.88	25.14	24.55	25.38

अध्ययन एवं विकास:

प्रशिक्षण महाविद्यालयों, एमडीआई तथा क्षमता निर्माण से संबंधित सभी गतिविधियों के देशव्यापी प्रभारी के रूप में अध्ययन एवं विकास कार्यों के लिए एक अलग विभाग कार्यरत है। बैंक में प्रतिभा विकास तथा क्लासरूम प्रशिक्षण प्रदान करने का ध्यान अध्ययन एवं विकास विभाग द्वारा रखा जा रहा है। बैंक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर बदलती व्यावसायिक गतिशीलता को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाने एवं स्टाफ को सही कौशल तथा जानकारी प्रदान करने हेतु ई-लर्निंग मॉड्यूल की शुरुआत की गई है। 21604 अधिकारियों ने विभिन्न ई-लर्निंग मॉड्यूल उत्तीर्ण किए हैं।

बैंक के 7 प्रशिक्षण कॉलेजों ने 24500 से अधिक स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण दिया है। बैंक के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों में अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण प्रमाणन कार्यक्रम भी आरंभ किया गया है। सहायक महाप्रबंधकों के लिए कार्यपालक विकास कार्यक्रम इन-हाउस आयोजित किए गए तथा उप महाप्रबंधकों हेतु ये कार्यक्रम एक प्रतिष्ठित संस्थान के संकाय सदस्यों की मदद से इन-हाउस आयोजित किए गए। नेतृत्व कौशल पर बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु महाप्रबंधकों और उप महाप्रबंधकों को एक प्रतिष्ठित संस्थान में नामित किया गया। चुनिन्दा कार्यपालकों को भी अन्य संस्थानों में साइबर सिक्योरिटी पर प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया। बैंक ने दृष्टिबाधित स्टाफ सदस्यों हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए ताकि वे अपना कार्य अधिक संतुष्टि व सरलता से कर सकें।

बैंक की गृह पत्रिका तारांगण :

हमारी द्विभाषी गृह पत्रिका "तारांगण" सन् 1964 से बैंक ऑफ़ इंडिया के स्टाफ सदस्यों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक माध्यम रही है। किसी भी संस्था के कर्मचारियों की सार्थक सहभागिता के लिए गृह पत्रिका एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा गृह पत्रिका निरंतर अपने कर्मचारियों को कला, संगीत, खेल, संस्कृति आदि के क्षेत्र में अपना हुनर दिखाने का एक मंच प्रदान करती है। तारांगण हमेशा से अपने पाठकों का मनोरंजन और ज्ञानवर्धन करता रहा है।

स्टाफ सदस्यों द्वारा बैंकिंग एवं आर्थिक जगत से संबंधित लेखों के माध्यम से तारांगण ज्ञान के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अंचलों/शाखाओं/कार्यालयों/विदेशी केंद्रों द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों को भी तारांगण में स्थान दिया जाता है। तारांगण की डिजिटल प्रति अब स्टाफ पोर्टल "एच.आर.एम.एस" और बैंक की कॉरपोरेट वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विगत कई वर्षों में हमारी गृह पत्रिका ने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए और बैंक का नाम रोशन किया है।

23. ग्राहक श्रेष्ठता शाखा बैंकिंग :

हमारा बैंक पारदर्शी तरीके से उच्च स्तरीय सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा बैंक नियमित आधार पर ग्राहक अभिमुखता कार्यक्रम चलाता है और ग्राहकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए नियमित आधार पर ग्राहक बैठकों का आयोजन करता है ताकि उन्हें बैंक के द्वारा प्रस्तुत विविध बैंकिंग उत्पादों पर उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके। विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप विविध नीतियां जैसे कि ग्राहक अधिकार नीति, ग्राहक स्वीकार्यता, कस्टमर केयर एवं ग्राहक सेवा नीति और शिकायत निवारण नीति तैयार की गई है तथा विनियामक प्राधिकरणों के निदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तन करने के लिए समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है। इन सभी नीतियों को सर्वजन हेतु वेबसाइट पर भी रखा गया है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार हमने आंतरिक लोकपाल नियुक्त किया है।

ग्राहक सेवा में विस्तार हेतु बैंक ने उक्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- एरोली (मुंबई) और बेगमपेट (हैदराबाद) में स्थित हमारे पूर्ण विकसित कॉल सेंटर ग्राहकों को सहायता प्रदान कर रहे हैं।
- विफल एटीएम/पीओएस लेनदेन संबंधी शिकायतों में तेजी लाने के लिए हमने अपने ओसीआरएम मोड्यूल में डिजिटल शिकायत स्ट्रीम को शामिल किया है।
- ग्राहकों की शिकायत निवारण में उनकी संतुष्टि स्तर का विश्लेषण करने के लिए हमने अपने परिचालनात्मक ग्राहक संबंध प्रबंधन (ओसीआरएम) में फीडबैक प्रणाली को भी शामिल किया है।

- हमारे विविध उत्पादों व सेवाओं के लिए ग्राहकों से फीडबैक एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु पूरे भारत में थर्ड पार्टी द्वारा ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है। हमने ऑवरऑल संतुष्टि में 10 में से 7.74 रेटिंग प्राप्त की है, जहाँ 10 अधिकतम को दर्शाता है।

24. शाखा नेटवर्क एवं विस्तार:

भौगोलिक रूप से भारत एवं विदेश में बैंक का शाखा नेटवर्क काफी फैला हुआ है। 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार, बैंक की भारत में 5083 शाखाएं थी। विदेशों में बैंक की 24 शाखाएं एवं 1 प्रतिनिधि कार्यालय है तथा सभी टाइम जोन एवं वैश्विक स्तर पर सभी महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्रों पर बैंक की उपस्थिति है। बैंक की 20 अनुषंगियाँ तथा एक संयुक्त निकाय भी है। वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक ने 1 नई शाखा खोली है। बैंक के शाखा नेटवर्क की संरचना निम्न प्रकार है

श्रेणी	31-03-2019		31.03.2020	
	शाखाओं की संख्या	कुल का %	शाखाओं की संख्या	कुल का %
महानगरीय	994	19.52	991	19.50
शहरी	812	15.95	810	16.00
अर्ध-शहरी	1454	28.55	1454	28.50
ग्रामीण	1832	35.98	1828	36.00
कुल घरेलू शाखाएं	5092	100	5083	100
विदेशी शाखाएं	27	-	24	
कुल शाखाएं	5119	-	5107	

25. घरेलू अनुषंगी प्रबंधन विभाग

बैंक की अनुषंगी/सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम

बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड (बीओआईएसएल) : बैंक का बीओआईएसएल में निवेश रु.6.64 करोड़ है, जो बैंक की 100% अनुषंगी है। बीओआईएसएल राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (भारत) लि. (सीडीएसएल) दोनों निक्षेपागारों हेतु निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के रूप में कार्य करता है। कंपनी महाराष्ट्र, गुजरात, नई दिल्ली, तामिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, कर्नाटक और उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से ब्रोकर टर्नओवर स्टाम्प शुल्क के संग्रहण का भी कारोबार करता है।

बीओआई एक्सा निवेश प्रबंधक प्रा.लि. तथा बीओआई एक्सा ट्रस्टी सेवा प्रा.लि. : ये अनुषंगी, सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र विनियम के तहत म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो प्रबंधन के कारोबार में है। बैंक ऑफ़ इंडिया रु.60.69 करोड़ के निवेश के साथ इन दोनों कंपनियों में 51% शेयरधारक है।

बीओआई मर्चेंट बैंकर लि. (बीओआईएमबीएल): बीओआई मर्चेंट बैंकर्स को 31.10.2014 को सामूहिक ऋण, बॉन्ड तथा डिबेंचर की व्यवस्था करने सहित मर्चेंट बैंकिंग कारोबार करने हेतु संस्थापित किया गया था। रु.10 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के साथ यह बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है।

एसटीसीआई फाइनांस लि. : 1994 में स्थापित एसटीसीआई वित्तीय लि. जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। बैंक ऑफ़ इंडिया एसटीसीआई में रु.380 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के साथ 29.96% (रु.130.10 करोड़ का निवेश) धारिता वाला सबसे बड़ा हितधारक है। एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि. (एसटीसीआईपीडी), एसटीसीआई फाइनांस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी है। एसटीसीआईपीडी ने 25 जून 2007 से परिचालन शुरू किया तथा यह देश के अग्रणी डीलरों में से एक है।

स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (सुड लाइफ): अपने ग्राहकों को जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया तथा दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जापान ने "स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी" का गठन किया है। कंपनी ने फरवरी 2009 से बीमा कारोबार आरंभ किया। कंपनी में बीओआई की धारिता 28.96% (रु.75 करोड़) है, यूबीआई की धारिता 25.10% तथा दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की धारिता 45.94% है।

निवेश/गठबंधन:

एएसआरईसी (इंडिया) लि. को जांच तथा आस्ति पुनर्गठन गतिविधियां करने के लिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया के विनिर्दिष्ट उपक्रम द्वारा शुरू किया गया था। कंपनी की रु.98 करोड़ की इक्विटी पूंजी में बैंक की हिस्सेदारी 26.02% (रु.27.60 करोड़ का निवेश) है।

नेशनल कोलेट्रल मैनेजमेंट सर्विसेस लि. (एनसीएमएल) को नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि. (एनसीडीईएक्स) द्वारा प्रवर्तित है। यह प्रतिभूतियों तथा वस्तुओं के सुरक्षित प्रबंधन तथा नियंत्रण रखने के लिए संपार्श्विक प्रबंधन सेवाओं को बढ़ावा देने तथा उपलब्ध कराने हेतु 28.09.2004 को निगमित हुआ। रु.3 करोड़ की प्रदत्त पूंजी निवेश के साथ कंपनी की इक्विटी पूंजी में बैंक की धारिता 2.34% है।

स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विस प्रा. लि. एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसे स्विफ्ट और बैंक ऑफ़ इंडिया सहित 9 प्रमुख बैंकों द्वारा प्रोन्नत किया गया है। स्विफ्ट के पास इक्विटी की 55% धारिता है और शेष 45% धारिता 9 प्रमुख बैंकों के पास है। कंपनी में रु.7.71 करोड़ के निवेश के साथ बैंक ऑफ़ इंडिया का इक्विटी स्टेक 3.26% है।

एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लि. (पहले एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ़ इंडिया लि. (SMERA)) एक प्रमुख ऋण रेटिंग एजेंसी डून एण्ड ब्रैडस्ट्रीट के सहयोग से सिडबी द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान स्थापित की गई थी। इस कंपनी का प्रमुख उद्देश्य एक व्यापक, पारदर्शी और विश्वसनीय रेटिंग प्रदान करना है जिससे एसएमई क्षेत्र को बड़ी मात्रा में और आसानी से ऋण की उपलब्धता होगी। रु.0.28 करोड़ के निवेश के साथ इसकी इक्विटी पूंजी में बैंक की धारिता मात्र 1.88% है।

अन्य महत्वपूर्ण निवेश : बैंक का, सीईआरएसएआई (रु.2.15 करोड़) यू.वी.एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कं.लि. (रु.0.15 करोड़), क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (रु.0.50 करोड़), एग्रीकल्चरल फाइनांस कॉर्पोरेशन लि. (रु. 1.26 करोड़) सिडबी (रु.45.30 करोड़), सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन लि. (रु.1.11 करोड़), लॉस डाटा कंसोर्टियम सीओआरडीईएक्स (रु. 1 करोड़) एसबीआईडीएफ़एचआई (रु. 5.54 करोड़), एनपीसीआई (रु. 10 करोड़), एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लि. (रु.27.50 करोड़) सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लि. (रु.1 करोड़) इन्वेस्ट एसेट सिक्यूरिटी स्टेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. (रु.10 करोड़) में भी महत्वपूर्ण निवेश है।

26. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन :

उत्तम कॉर्पोरेट शासन, धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है। यह सच है कि धोखाधड़ी को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सक्रिय फ्रेमवर्क और दृष्टिकोण के साथ, अन्य कारोबारी जोखिमों की तरह धोखाधड़ी जोखिमों का प्रबंधन किया जा सकता है और कम किया जा सकता है।

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन विभाग निम्न क्षेत्रों में सभी धोखाधड़ी संबंधी मामलों की स्वतंत्र रूप से देखरेख करता है:

- बैंक हेतु एफ़आरएम (धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) तथा एलओसी (लुक-आउट सर्कुलर) नीति तैयार करना एवं उसका प्रशासन।
- नियत समय के भीतर आरबीआई को रिपोर्टिंग और धोखाधड़ी की निगरानी करना।
- धोखाधड़ियों पर केंद्रीकृत डाटा का रखरखाव।
- की गई धोखाधड़ियों और धोखाधड़ियों के प्रयासों का विश्लेषण।
- धोखाधड़ी मामलों के मूल कारणों का विश्लेषण और निदान तथा उपचारी उपायों का कार्यान्वयन, उत्पाद की कमियों के संबंध में जोखिम कम करना।
- व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं तथा परिपाटियों में कमियों को रोकना जिसके कारण धोखाधड़ी हो रही है,
- परिपत्रों/अनुदेशों के जरिए समान प्रकृति की धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली और धोखाधड़ी के कारणों की जानकारी देना ताकि उक्त प्रकार की धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।
- स्टाफ को धोखाधड़ी निवारण पर शॉर्ट अलर्ट संदेशों टिकरों/ आवधिक संदेशों एमएमएस/प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जागरूक करना।
- धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए आवधिक अंतराल पर जाँच बिंदु परिचालित करना।
- प्रधान कार्यालय में धोखाधड़ी पर कार्यबल समिति की बैठक का आयोजन करना और धोखाधड़ियों पर आंचलिक कार्यबल समिति की बैठक की निगरानी करना।
- सभी वितरण चैनलों को शामिल करने वाले उद्यम व्यापक धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समाधान (ईएफ़आरएम) को प्राप्त कर लिया है तथा यह वर्तमान में कार्यरत है।

27. सर्तकता प्रबंधन :

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सामान्य निगरानी में, बैंक में सतर्कता प्रशासन के लिए, मुख्य सर्तकता अधिकारी के द्वारा सर्तकता विभाग की अध्यक्षता की जाती है।

घरेलू परिचालनों, विदेशी परिचालनों तथा अनुषंगियों में, बैंक के अधिकारियों के सभी सतर्कता संबंधी मामलों को सर्तकता विभाग कवर करता है। बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा प्रायोजित तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अर्थात विदर्भ-कोंकण ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त बैंक तथा मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक भी, सतर्कता विभाग द्वारा कवर किये जाते हैं। सतर्कता विभाग, मुख्य सतर्कता अधिकारी के अंतर्गत कार्य करता है जिनकी सहायता एक उप महाप्रबंधक तथा अन्य अधिकारी करते हैं जिन्हें जांच तथा अनुशासनात्मक मामलों के क्षेत्र में अनुभव है। परिचालनात्मक सहायता के लिए, सतर्कता विभाग, प्रधान कार्यालय के सीधे नियंत्रण में सतर्कता इकाईयाँ कार्य कर रहीं हैं जो सभी राष्ट्रीय बैंकिंग समूहों (एन.बी.जी.) को कवर करती हैं। ऐसी प्रत्येक इकाई की अध्यक्षता, एक सहायक महाप्रबंधक करते हैं जिनकी सहायता सक्षम सपोर्ट स्टाफ करते हैं।

निवारक, सहभागी तथा दण्डात्मक सतर्कता के मूलभूत आधार पर सतर्कता विभाग कार्य करता है तथा इसका लक्ष्य यह है कि संस्था की प्रबंधकीय दक्षता के स्तर को बढ़ाया जाय। सतर्कता विभाग ने सतर्कता संदर्भ मैन्युअल को 2019 में संशोधित किया गया है जिसमें समय-समय पर डी.एफ.एस, सी.वी.सी तथा बैंक द्वारा जारी परिपत्रों, दिशा-निर्देशों तथा अनुदेशों इत्यादि का सार एकत्रित किया गया है।

28. लाभांश वितरण नीति

सेबी - सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकता विनियमन के खंड 43ए के अनुसार बैंक ने लाभांश वितरण नीति बनाई है और यह हमारी वेबसाइट -https://www.bankofindia.co.in/pdf/DDP.pdf पर उपलब्ध है।

29. कारोबार दायित्व रिपोर्टिंग 2019-20

सेबी - सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकता विनियमन के खंड 32 (2) (एफ़) के अनुसार कारोबार दायित्व रिपोर्ट हमारी वेबसाइट - www.bankofindia.co.in पर उपलब्ध है।

30. बासल ।। I (स्तंभ 3) - प्रकटन (समेकित) मार्च 2020 :

बासल III पूँजी विनियमों पर, आर.बी.आई परिपत्र डीबीओडी. संख्या.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 दिनांक 1 जुलाई 2015 के साथ पठित आरबीआई परिपत्र डीबीआर.संख्या.बीपी. बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च 2015 "पूँजी पर्याप्तता और चलनिधि मानक संशोधनों पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश" के अनुसार बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे बासल III फ्रेमवर्क के अंतर्गत लीवरेज अनुपात और चलनिधि कवरेज अनुपात सहित स्तंभ 3 प्रकटन को लागू करें। ये प्रकटन बैंक की वेबसाइट पर लिंक http: //www.bankofindia.co.in/regDisclosureSec.aspx पर उपलब्ध हैं।

आभार

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रति उनके यथोचित मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। बोर्ड, वित्तीय संस्थाओं एवं संपर्ककर्ता बैंकों के प्रति भी उनके सहयोग एवं सहायता के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। बोर्ड, ग्राहकों, कारोबार सहयोगियों एवं शेयरधारकों के सतत सहयोग हेतु आभार व्यक्त करता है। साथ ही बोर्ड, बैंक के समग्र निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों के प्रति भी उनकी समर्पित सेवाओं और सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

बोर्ड के निदेशकों हेतु एवं उनकी ओर से

हस्ता/-

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25.06.2020

ए. के. दास
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

GLOBAL SCENARIO

The global economic scenario remained volatile during 2019 with slowdown in the growth momentum of 2017 and 2018. A host of factors such as intensifying US-China trade tensions, disruptions in the automobile sector in Europe, Brexit related uncertainty and slower domestic demand in China due to regulatory measures to contain debt overhang impacted growth prospects. Apart from this, the year was also marked by social conflicts in certain countries like Argentina, Iran, Turkey, Venezuela etc, geopolitical tensions across various regions and natural disasters in Caribbean, Australia and Africa etc, which acted as economic shocks. The most unprecedented development during the year has been the outbreak of Covid-19 pandemic towards December,2019, which engulfed almost all the counties across the globe. The resultant lockdown almost brought economic activities to a halt adding to the economic stress, although the larger impact of this will be visible in FY 2020-21.

In order to lift economic growth, several countries resorted to monetary easing and major central banks turned more accommodative. The US Fed reduced fund rates several times and European Central Bank, apart from reducing rate also announced quantitative easing. The Central Banks of emerging market and developing economies, such as Brazil, Chile, Indonesia, Mexico, Russia, South Africa etc also resorted to policy rate cuts.

The International Monetary Fund (IMF) has estimated world output growth for 2019 at 2.9 % against 3.6% in 2018. The growth rate of advanced countries is estimated at 1.7% vis a vis 2.2% of 2018 and that of the emerging market economies at 3.7% in 2019 against 4.5% in 2018.

DOMESTIC ECONOMIC SCENARIO

The domestic economic scenario during the year 2019-20 remained muted with fall in demand and investment rate. As per the estimate of National Statistical Office (NSO), the Gross Domestic Product (GDP) growth rate decelerated from 6.1% in FY 2018-19 to 4.2% in FY 2019-20. The agricultural sector registered higher growth rate from 2.4% during 2018-19 to 4.0% during FY 2019-20 and growth rate of mining activity improved from -5.8% in 2018-19 to 3.1% in 2019-20. The manufacturing sector growth rate, however, came down steeply from 5.7% during 2018-19 to 0.03%. The 'electricity, gas, water supply sector and construction sector also witnessed lower growth rate of 4.1% and 1.3% against 8.2% and 6.1% growth rate during 2018-19, respectively.

The industrial output contracted during the year FY 2019-20, with Index of Industrial Production (IIP) registering growth at -0.7% against 3.8% during FY 2018-19. All the three sub-segments viz. mining, manufacturing and electricity registered lower growth rate with manufacturing sector having negative growth rate of 1.3% vis a vis 3.9% during FY 2018-19. The use based classification indicates that the capital goods, infrastructure and construction goods and consumer durables witnessed contraction by -13.7%, -4.0% and -8.4% respectively.

Retail inflation remain elevated during the year. The Consumer Price Index (CPI) which stood at 2.99% in April, 2019 gradually went up to 7.59% in January, 2020 because of food price inflation. However, CPI inflation declined thereafter and stood at 5.91% in March, 2020. On the external sector front, both exports and imports showed negative growth at -4.02% and -9.17% during 2019-20, respectively vis a vis 8.6% and 10.7% growth rate of FY 2018-19. The current account deficit stood lower at 0.9 per cent of GDP in 2019-20 against 2.1 per cent in 2018-19 with reduction in trade deficit to US$ 157.5 billion in 2019-20 from US$ 180.3 billion in 2018-19.

BANKING AND FINANCIAL SECTOR DEVELOPMENT

The Deposits and Advances growth rate of the Banking System during FY 2019-20 remained much below than that of the last year. The deposits rose by 7.9% and advances by 6.1% in comparison with 10.0% deposits and 13.3% advances growth rate during FY 2018-19.

In order to boost economic growth, RBI cut policy repo rate five times during FY 2019-20 and changed monetary policy stance from 'neutral' to 'accommodative' from June, 2019. The CRR was also reduced from 4.0% to 3.0% during March, 2020. Several policy changes were introduced by RBI such as Large Exposure Framework (LEF) prescribing norms for banks' exposure on counterparties, external Benchmarking of loans to Retail and MSE segments, Long Term Repo Operations (LTRO) and Targeted Long Term Repo Operations (TLTRO) to provide durable liquidity and to facilitate monetary transmission.

To lessen the adverse impact of Covid-19 pandemic and alleviate macro-economic stress, several monetary and regulatory measures were declared by RBI in March 2020. Apart from reduction in repo rate and CRR, moratorium on term loan instalment and deferment of repayment of interest up to three months (which was later extended for six months) were granted with effect from March 1, 2020 and re-assessment of working capital limit in case of fall in drawing power was allowed.

The performance of banks during FY 2019-20 in terms of profitability and asset quality has improved and with recapitalisation of PSBs, CRAR of several banks also stood higher. One of the significant developments during FY 2019-20 has been the decision of the Government for merger of PSBs to create strong banks having national presence and global reach.

The liquidity condition during the year, barring a few months in the beginning, remained in surplus mode. Several factors, such as RBI's open market operation, US$ 5 billion buy/ sell swap auction, forex operations of RBI, reduction in SLR and introduction of Long Term Repo Operations (LTRO) contributed to easy liquidity condition in the system.

The G-Sec yield softened during the year, with 10 year benchmark yield dropping from 7.46 % as on March 29, 2019 to 6.11% as on March 31, 2019. The surplus liquidity, the policy rate cuts by RBI, change in policy stance by US Federal Reserve and above all benign crude oil prices helped G-Sec yield to have a downward bias.

The equity market experienced upward movement till January, 2020 during which sensex crossed 40,000 mark because of several positive cues such as fall in global oil prices, recovery in industrial output etc. However, subsequently, because of a number of adverse developments including that of Covid-19, the sensex began to fall to 29,468 by March end.

In the foreign exchange market, rupee exhibited depreciating bias during the year. The exchange rate of rupee vis-à-vis US dollar in terms of FBIL Reference rate moved down from Rs.69.17 as on March 29, 2019 to Rs.75.39 as on March 31, 2020. The rupee depreciated by 2.1% in the first half and 6.2% in second half during

FY 2019-20, due to various factors, including withdrawal of portfolio investment on global growth concerns

STRATEGY FOR IND-AS IMPLEMENTATION AND ITS PROGRESS

RBI vide its circular DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019, deferred implementation of Ind AS till further notice as the legislative amendments in Banking Regulation Act, 1949, as recommended by RBI are under consideration of the Government of India.Bank has been submitting quarterly Proforma Ind AS Financial Statements (PFS) from June-2018 after discussion/ approval by Steering Committee. The PFS are also presented to Audit Committee of Board along-with the overall progress report regarding Ind AS implementation. Bank is now in the process of acquiring new systems and modifications / changes in existing core banking system for smooth implementation of Ind AS.

Bank's Medium term and long term strategy:

Presently Bank has identified the following priority areas for achieving its medium and long term Goals.

- More focus on NPA Mangement and Credit Monitoring
- Increase in Low cost Deposit/CASA through improvement in Customer Service
- Rebalancing Assets Portfolio in favour of retail lending.
- Monetization Non-Core Assets
- Curtailling Operational expenses

BUSINESS REVIEW

1. RESOURCE MOBILISATION:

There has been a YoY growth in saving bank deposit of 8.39% in FY 19-20, with an increase of Rs 13,293 crore. Moreover, the current deposits has shown YoY growth of 11.53% amounting to an increase of Rs 2,692 crore. This has resulted in Overall CASA figures increasing by Rs.15,986 crore showing YoY growth of 8.79%. Saving Bank Deposit diamond customers segment (with average quarterly balance of Rs.1 lakh & above) registered a YoY growth of 8.55% & Current Deposit diamond customers segment (with average quarterly balance of Rs 2 lakh & above) registered a YoY growth of 6.80%. CASA ratio has decreased from 43.36% in March'19 to 41.50% in March'20. The share of retail term deposits to total term deposit has decreased to 84.35 % in FY 19-20 as compared to 91.78% in FY 18-19, however the total deposits have shown an increase of 14.42%.

2. ADVANCES:

Global Bank's Gross Advances increased from Rs. 382,860 crores as on 31.03.2019 to Rs. 416,521 crores as on 31.03.2020 with an increase of 8.79%. Gross Domestic Credit registered a moderate growth of 9.00% from Rs. 328,137 crore as on 31.03.2019 to Rs. 357,670 crore as on 31.03.2020. Bank caters to specialised needs of Corporates/Mid Corporates through 10 Large Corporate Branches and other Large Branches headed by AGMs/CMs. The requirements of other clients from Retail, MSME and Agriculture are met through the Network of 5,083 branches and the Specialized Processing Centers.

Bank has launched special scheme under RBIs COVID 19 Regulatory Package for borrowers facing stress on account of economic fallout of the pandemic.

3. RETAIL:

The Retail loan segment grew at 7.69% during FY 19-20. We kept our special focus on Home Loans during the year, which has yielded us a good growth. The Home loan segment during the year recorded a growth of 11.03% from Rs. 32,417 crore to Rs. 35,994 crore. The Vehicle Loan segment recorded growth of 10.02% from Rs. 5,089 crore to Rs. 5,599 crore during the year. Bank has tie-up arrangement with Maruti Suzuki, Tata Motors, Hyundai Motors and Mahindra and Mahindra. Our Bank also extends Personal Loans to employees of PSUs/PSEs/Reputed Corporates/ Institutions under tie up arrangement with employer. Apart from Home Loans, Vehicle loans & Personal Loans, we also extend Loan against Property and Education Loans. Our Bank has launched 3 products viz Home loan, vehicle loan and personal loan on PSB 59 platform.

4. MSME (MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISE):

Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is a very important segment and contribute nearly 8 % of the country's manufacturing GDP, 45 % of the manufacturing output and nearly 40 % of the exports. It generate employment for about 60 million people. MSME sector is considered to be the backbone of Indian economy that has contributed substantially in the socio economic development of the country.

Considering the importance of the MSME and to bring larger business population under its fold, Government of India has now revised the definition of the MSMEs. w.e.f 01.07.2020

As per new definition /classification all enterprises with investment in plant & machineries up to Rs 1 crore and with turnover up to Rs 5 crore will be classified as Micro enterprises.

All enterprises with investment in plant & machineries up to Rs 10 crore and turnover up to Rs 50 crore will be classified as Small enterprises.

All enterprises with investment in Plant & machineries up to Rs 50 crore and turnover up to Rs 250 crore will be classified as Medium enterprises.

Focus on programmes, such as, Make in India, Skill India and Digital India have also brought major changes in MSME credit at Bank's level.

PERFORMANCE

- Performance of the Bank in lending to MSME Sector as on 31.03.2020 is depicted as under:

(Rs. in crore)

Particulars	March'19 Actual	March'20 Actual	Y-O-Y Growth	
			Amt.	%
Total MSME (Including SIDBI)	54,595	56,092	1,497	2.74
Core MSME (Excluding SIDBI)	53,878	55,617	1,739	3.22
MSME Priority	53,809	55,242	1,433	2.66
Micro Enterprises	26,941 (Priority) (8.86% of ANBC)	28,184 (Priority) (8.88% of ANBC)	1,243	4.61

- During the current financial year up to 31.03.2020, 209,417 new accounts have been added with sanctioned limit of Rs. 12,770. crore. These accounts have outstanding of Rs. 9,131 crore.

- During the FY 19-20 total sanction under MUDRA as on 31.03.2020 was Rs. 6,274 crore against budget of Rs. 7,500 crore.
- During FY 19-20 total 8,755 accounts were sanctioned through "online psb loans" amounting to Rs. 1,729 crore.
- During the FY 19-20, We have undertaken Restructuring of accounts as per One time MSME Restructuring as permitted by Reserve Bank of India in approx. 99,000 accounts amounting to Rs. 2,500 crore.
- During FY 19-20, 31,166 new accounts covered under CGTMSE with total guarantee amount of Rs. 3,905 crore and cumulative accounts covered CGTMSE is 397,269 with total amount of Rs. 28,771 crore as on 31.03.2020.
- Total NPA under MSME segment was approximately at 22%.

HIGHLIGHTS OF FY19-20

- Undertaken various Pool Buyouts under PCG.
- Entering into Co-origination with different NBFCs for reaching out to new set of borrowers and exploring new markets.
- Launched Stand by Line of Credit for MSME borrowers to meet temporary liquidity mismatches.
- **TReDS:** We have now on boarded all the three TReDS platforms i.e. RXIL / Invoicemart / M1 Exchange.
- Identified Relationship managers in all SME focused branches and SME nodal officers at all our administrative offices for providing assistance to MSME borrowers in all 206 SME branches.
- Achieved the regulatory target under micro enterprises with total outstanding being 8.88% of ANBC as on 31.03.2020 against target of 7.5% on ANBC.
- Launched new products for GST compliant borrowers for increased requirement of working capital limits and input credit.
- Identified and approved new schemes under cluster based lending in different sectors such as footwear, textile, glass, medicine etc.
- Initiated Campaigns with concession in ROI for accelerating credit flow to MSME sector; under Star MSME Welcome offer.
- We have initiated various measures for improved Underwriting & Assessment Parameters like use of CMR/ tie-up with Probe42 / automation of loan process etc.
- Introduced Repo Linked Rates for MSME.

5. AGRICULTURE FINANCE:

Priority Sector Advances:

The bank is serving to the priority and agriculture sectors, through its network of rural and semi-urban branches and 57 Agricultural Banking Centres (ABCs) set up in these areas. The Bank has registered an outstanding level of Rs 1,26,138 crore (40.81 % of Average FY 19-20 ANBC) under Priority Sector Advances consisting of Agriculture Rs 52,819 crore (17.09% of Average FY 19-20 ANBC). Out of which SF & MF Rs.26,415 crore (8.60% of Average FY 19-20 ANBC), SME Rs 52,198 crore out of which MSME Micro Rs. 27,161 crore (8.60 % of Average FY 19-20 ANBC), Education Rs 2,860 crore, Housing Rs 18,058 crore and other priority sector advances is Rs 203 crore. The Bank has surpassed the regulatory ratios under Priority sector, SF & MF, MSME Micro and credit to weaker sections of FY 2019-20.

Amt in crs

Particulars	Amt O/S	Y-O-Y Growth		% of Average ANBC (FY 19-20)		RBI Bench-mark (in%)
		Mar 19	Mar 20	Amount	%	
Total Agriculture	57,302	52,819*	-4,483	-7.82	17.09	18.00
Small & Marginal Farmers	28,455	26,415	-2,040	-7.17	8.60	8.00
Micro Enterprises	26,148	27,161	1,013	3.87	8.60	7.50
Priority Sector Advances	130,494	126,138	-4,356	-3.34	40.81	40.00

*Total Agriculture includes outstanding of RIDF & PSLC.

Under Agriculture, Bank branches disbursed Rs. 14,261 crore during the year. Bank has issued 2.49 lakhs Kisan Credit Cards during the year with credit limits of Rs. 3,216 crore for flexible credit utilization. The Bank also extends financial assistance under Differential Rate of Interest at concessional rate of interest of 4% to low income groups. The Bank has sanctioned 263 cases under DRI scheme during the year involving Rs, 1.60 crore. Bank's credit exposure to the Minority Communities is Rs. 16,657 crores as on March 20 (14.28% of Priority Sector Lending against target of 15%). Amount O/s as on 31.03.2020 under weaker section is Rs. 36,858 crore (11.62 % of March ANBC). Bank's finance to Food & Agro Industries as on 31.03.2020 is Rs. 6,094 crore.

Gold Loan has registered Rs.1,741 crore growth on Y-o-Y basis in FY 19-20 whereas in FY 18-19 growth was Rs. 1,945 crore. The total outstanding under gold loan is Rs. 6,823 crore of which agri gold loan is Rs.5,293 crore.

National Rural Livelihood Mission (NRLM): It is an important poverty eradication programme for rural poor. During the year Bank has disbursed Rs 1,822 crore to 0.93 lakhs borrowers.

Self Help Groups (SHGs): Bank has customer base of 4.56 lakhs Self Help Groups (SHGs) as on 31.03.2020 of which 1.60 lakhs SHGs are credit linked including 1.16 lakhs women SHGs as on 31.03.2020. Bank has introduced Dual Biometric authentication for offsite transactions, financial and Data Digitalization for monitoring of SHGs.

Lead Bank Scheme: The Bank has Lead Bank responsibility in 51 districts spread across five states of Jharkhand (15), Maharashtra (14), Madhya Pradesh (13), Uttar Pradesh (7) and Odisha (2). The Bank is convener of the State Level Bankers' Committee (SLBC) in the state of Jharkhand.

Gold Loan: As on 31.03.2020 we have registered growth of Rs.1,741 crore under total gold loan & Rs.1,117 crore growth under Agri. Gold Loan which is 34.26% and 26.75% over previous year O/s.

KCC Saturation: During FY.19-20 we have added 186262 new KCC customer under KCC Saturation Campaign.

6. FINANCIAL INCLUSION:

Bank considers Financial Inclusion as a viable business proposition and has shifted outlook from "CSR" to "economic viability". ICT based solution to support and secure sufficiently low cost transactions required by the financial sector. Financial inclusion drive gained momentum with Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY) programme. Bank has provided banking services in unbanked rural areas through ICT led Business Correspondents model.

PMJDY AND SOCIAL SECURITY SCHEMES:

During the year 20.01 Lakh PMJDY account has been opened. Bank has also actively participated in Social security schemes launched by Govt of India. During the year bank has covered 15.77 Lakh account under PMSBY (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana). 6.45 Lakh account has been covered under PMJJBY (Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana) in this period. There are 3.76 Lakh number of APY (Atal Pension Yojana) has been canvassed by the bank in FY 19-20. Our Bank has been awarded with " Leadership Capital 2.0" for its performance under APY.

STAR SWAROJGAR PRASHIKSHAN SANSTHAN (RSETIS):

Bank is operating 42 RSETIs in the States of Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and West Bengal. During the year the RSETIs have conducted 1,007 training programs and imparted training to 28,547 candidates ensuring settlement of 46% (13,019) and providing credit linkage to 56% (7290) candidates to enable them for gainful employment.

FINANCIAL LITERACY AND CREDIT COUNSELING CENTRES (FLCC):

FLCC/FLCs are established as per Reserve Bank of India guidelines at Rural and Urban Centers at district locations where Bank is having Lead Bank responsibility. Bank's 51 FLCs are functional in all 51 Lead districts. The FLCs in addition to imparting training also undertake remedial counselling on case to case basis for the distressed borrowers, preventive counselling through media, workshops and seminars. At present 15,74,443 needy distressed people were given counseling.

CENTRE FOR FINANCIAL LITERACY (CFL): PILOT PROJECT:

Reserve Bank of India vide their circular no. FIDD.FLC. NO.4520/12.01.018/ 2016-17 dated 04.05.2017, asked Banks to explore innovative and participatory approaches to financial literacy. In this context, it has been directed to commission a pilot project for setting up 80 CFLs in 80 Blocks across 9 states with the support of Financial Inclusion Fund (FIF). As per scheme the pilot project will be implemented by bank in collaboration with NGO / agencies identified by RBI.

Our Bank have been given responsibility for opening of 5 CFL in 5 Blocks of Ratnagiri District in collaboration with CRISIL Foundation. Accordingly we have opened all 5 CFL (Khed, Chipun, Mandangad, Guhagar and Dapoli) in Ratnagiri District in collaboration with CRISIL Foundation. All CFL are working since October 2017 and recently we have been given responsibility to open 5 CFL in collaboration with SWADHAR, in Khunti District in Jharkhand State.

REGIONAL RURAL BANKS:

Post amalgamation, we are sponsoring 3 RRBs, **Aryavart Bank (AB)-** in Uttar Pradesh, **Madhya Pradesh Gramin Bank (MPGB)** in Madhya Pradesh and **Vidharbha Konkan Gramin Bank (VKGB)** in Maharashtra state, covering 82 districts with a network of 2557 branches as on 31.03.2020. All these sponsored RRBs are managed by the Chairmen deputed from Bank of India and the performances are being monitored by General Manager FI & RRB (Div.) from Head Office.

All three RRBs Branches and Administrative offices are on CBS platform with system generated report facility. These RRBs are enabled on RTGS, NEFT and ATM platform. They have a combined business mix of Rs. 76,626 crore as on 31.03.2020.

7. INTERNATIONAL:

The Bank has 24 Branches (23 operational), 1 Representative Office, 4 Subsidiaries and 1 Associate/Joint Venture spread across 20 countries of all time zones. The contribution of foreign operations in Bank's global business mix has been 14.29% as on 31.03.2020.

Overseas Subsidiaries and Associates:

- PT Bank of India Indonesia Tbk
- Bank of India (Tanzania) Ltd
- Bank of India (New Zealand) Ltd
- Bank of India (Uganda) Ltd
- Indo-Zambia Bank Ltd. (IZB) - Joint Venture

During the year, the Bank has closed its representative offices at Beijing, merged Kowloon Branch with Hong Kong, and closed Kisumu Branch in Kenya.

The Bank also wrapped up operations in Botswana with closure of our subsidiary BOI (Botswana) Ltd.

8. CREDIT MONITORING:

Monitoring of the credit portfolio and individual accounts is essential in order to maintain and improve the asset quality of the credit portfolio of the bank and minimize credit risks. The main objective of Credit Monitoring is to ensure Compliance of sanction terms and end use of funds. It has to further ensure that the credit assets remain in standard category, endeavor made for up-gradation of identified stressed accounts/ watch list accounts and take corrective action to prevent slippage of the accounts from Standard to Sub-standard. The Department has been using various tools and methods for identifying and monitoring stressed accounts with signs of weakness /potential default/delinquencies to ensure good asset quality coupled with containment of probable slippages effectively.

Tools for efficient monitoring & control process:-

Early Warning Signal:

- A fully technology based EWS solution will be shortly implemented in our Bank. Alerts will be generated on the basis of both transaction & non transaction based Data. The alerts generated will help the Bank for identifying weakness & initiate proactive remedial measures. The solution also help the Bank in early identification of Fraud in accounts. We are developing

automated solution for EWS with inbuilt work flow. We are integrating Banks internal data, rating data and external data feeds. Once implemented it will generated automated EWS for branches to enable them close monitoring in accounts.

CRILIC Reporting:

- Identification of the accounts in SMA category triggers mitigating steps such as follow-up for regularization, restructuring etc. In terms of RBI's revised guidelines, stressed accounts with credit limit of Rs.5crore and above are reported to RBI on CRILC platform on weekly basis.

System Asset Classification (SASCL):

- A predictive program in identifying the probable slippages showing overdue of more than two months period based on record of recovery as well as for accounts showing technical irregularities such as non-submission of Stock/QIS statement over three months insufficient/ no credit in CC accounts etc. This may cause downgrading of accounts if timely corrective action is not taken. These accounts are monitored specifically by various verticals for containment of downgrading of standard assets.

Credit Process Audit

- Credit Process Audit is to ensure compliance of Pre and Post disbursement terms of sanction terms/ covenants, where in the disbursing officer, before parting with the Banks funds, has taken all necessary measures for creation/perfection of security with a view to ensure enforceability of the said securities. Now, CPA is Finacle integrated to monitor in real-time.

Stock Audit:

- We ensure timely conduct of Stock & Receivables audit in eligible accounts and take active/preventive steps wherever warranted. The stock audit is applicable mostly for standard advance accounts having working capital exposure of Rs. 5crore and above. It is required to be conducted annually. Assets showing inherent signs of weakness, such as out of order position, overdue Bills under Letters of Credit, invocation of guarantees, review overdue etc., which pose a threat to the bank's asset quality, are followed up at various platforms & levels through Tele/ Video conferencing.

Daily marking of NPA:

- The Banks is migrating to daily marking of NPA w.e.f. 01.09.2020, to have more transparency in identification of NPA & for compliance of regulatory guidelines. Daily NPA Marking is already implemented in Ratnagiri and Mumbai North Zone.

Other monitoring tools:

- Centralized monitoring of Pre-disbursement & post disbursement covenants implemented for strengthening Compliance level.
- Bank has appointed ASMs for specialized monitoring in accounts above Rs. 250 crore for verification of transaction monitoring, Inspections etc.
- Policies are in place for Red Flagging of accounts on observance of EWS & examination of Fraud angle within a specified timeline in terms of regulatory guidelines. Prompt reporting is ensured once account is declared fraud, in RBI's CRILC platform.

COVID19- regulatory relief package :

- In terms of RBI guidelines, moratorium benefit has been extended to all the borrowers from 01.03.2020 to 31.08.2020 and to opt out of moratorium and to continue the repayment, we have made available and introduced SMS/Missed call alert for the benefit the borrowers.

9. NPA MANAGEMENT:

The Bank made sustained relentless efforts for NPA and Written Off recovery by adopting Board approved strategies with activation of Asset Recovery Branches, staff at grass root levels.

The NPA Position of as on 31.03.2020 are as under:

(Amount in Crore)

Particular	Position as on 31.03.2019	Position as on 31.03.2020
Gross NPA	60,661	61,550
Net NPA	19,119	14,311
Gross NPA (%)	15.84%	14.78%
Net NPA (%)	5.61%	3.88%
Provision Coverage Ratio (%)	76.95%	83.75%

The measures initiated resulted in improved recovery through some of the following strategies:

- ABC analysis of NPA.
- Holding-on operations in NPA accounts arising out of temporary Cash Flow mismatch, for up-gradation within short span of time.
- Up-gradation of the entire account after recovery of the total overdue.
- Restructuring in accounts which need long term support.
- Filing application with NCLT and pursuing other Banks in the consortium where we are not leader.
- Filing of suit, follow-up for vacation of stay and for speedy resolution through the DRT.
- Facility of online submission of OTS application by NPA borrowers with tracking option.
- Driving OTS in accounts which have positive impact on Bank's profits & loss A/c.
- Invoke promptly the provisions of SARFAESI Act.
- Tracking of recovery in OTS approved accounts to ensure that they don't fail.
- Initiating the process of declaring Borrowers as wilful defaulters in all eligible cases
- Conducting Mega E-auctions on Pan-India basis to fast forward the process.
- Participation in the National Lok Adalat at various levels.
- Suit filed/decreed cases are now monitored online.

- Proactive participation in JLM meetings conducted at Bank level in all cases where Bank is Leader and also a member of consortium.

10. TREASURY

Forex Business: The Treasury manages the foreign exchange business of the bank, providing hedging solutions to the customers through forwards, options and swaps. Apart from having Centralized Treasury at Mumbai, the Bank has 4 satellite dealing rooms situated at New Delhi, Ahmedabad, Chennai and Kolkata so as to provide better services to the customers. During the FY 19-20, Merchant and interbank turnover was Rs.1.32 lakh crore and Rs. 28.05 lakh crore respectively. The aggregate turnover of Bank's forex business during the year was Rs. 29.37 lakh crore. The treasury actively participates in trading in Currency Futures and is one of the leading banks in all the exchanges. During the FY 19-20 Bank's Turnover in Currency Futures was USD 90.79 Bn. Bank has been conferred various awards for Currency Futures business.

The Bank was awarded **"TOP VOLUME PERFORMER"** by BSE for Best Performance in Currency Derivatives Segment (Banks) 2018-19, **"MARKET ACHIEVERS' AWARD"** in Currency Derivatives Segment amongst Public Sector Banks by NSE and **"BEST PERFORMER IN CURRENCY DERIVATIVE SEGMENT"** and **"OUTSTANDING PERFORMER ON BSE BOND PLATFORM"** amongst all Banks' Category by BSE.

Treasury Operations & Investments: Bank continued to play an active role in all segments of the market – Money market, Forex, Bonds and Derivatives 2019-20. Bank has maintained a higher level of investments by holding SLR investments in excess of the regulatory requirement of 18.25% of NDTL from time to time to utilize excess SLR for borrowing from Repo/ TREPS windows. As on 31.03.2020 the gross SLR investments were Rs. 117,744 crore (74.35% of total investments) and Non-SLR investments stood at Rs. 38,522 crores (24.65% of total investments). The Non- SLR investments also includes Recapitalisation Bonds of Rs. 21,699 crore. The treasury dynamically managed its investment portfolio and brought down M-Duration of SLR AFS portfolio from 2.65 as on 31.03.2019 to 1.51 as on 31.03.2020. The investments are made in accordance with the Board approved investment policy which is reviewed periodically to respond to market developments/regulatory requirements.

11. INFORMATION TECHNOLOGY:

Mobile Banking

- Currently we have 23,45,449 registered users in Mobile Banking that includes 22,52,338 Android users and 93,111 iOS users. We have introduced 12 languages including English and Hindi in BOI Mobile App.
- We have made necessary changes to make BOI Mobile app compatible with Android 10. We have also introduced Government Micro Insurance Schemes like PMJJBY and PMSBY where customer can enroll for new policy and view policy receipt of existing policies.
- We have also introduced Recurring Deposit module that enables customer to open, view and premature closure of RD accounts.
- Auto fetch OTP feature has also been enabled.
- We are also providing options to download mPassbook statements for (i) Last one month (ii) Last three months (iii) Last six months and (iv) Last one year. FASTAG recharge is now available in Billpay section of BOI Mobile App

Website related development

- We have introduced Online OTS (One Time Settlement) application to submit OTS requests online and track their status online.
- We have developed Online POS survey form. We have also developed Grievance Feedback form to capture feedback on grievance resolutions for complaints logged through website
- Central Proposal Tracking System (CPTS) for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Loan
- Development of Online Grievance Module for Kenya Site as per requirement from Kenya center is in progress on UAT.
- Dashboard for Chatbot-BOI SEVA is deployed for Bank Team to view a summary of fallback in chatbot inputs.

Internet Banking

- Introduction of Voice-enabled Captcha.
- Encrypted communication between IB and payment gateways.
- Senior Citizen Savings Scheme (SCSS) account statement has been enabled in Internet Banking.
- ASBA Debenture Request through from Retail Internet Banking
- Release of new Startoken client for Windows platform and for MAC devices.
- Introducing CBDT Form 26QD payments.
- Restricting opening of TDR for duration greater than 10 years.
- Revamping of Bulk NEFT/RTGS.
- Restriction of Junk Characters in NEFT payment.

Regional Rural Banks Segment

- We have credited the PM KISAN instalment to 19.80 lakh beneficiaries combining all 3 RRBs on 02.01.2020 within stipulated timeline successfully.
- Anti-Money Laundering (AML) Software Implementation Project in all 3 RRBs sponsored by Bank of India.
- We have completed the Network Migration of the newly amalgamated RRBs, CMPGB (Central Madhya Pradesh Gramin Bank) with eNJGB and AUPGB (Allahabad UP Gramin Bank) with eGBA; presently Madhya Pradesh Gramin Bank (MPGB) and Aryavart Bank (AB) respectively.
- CTS Implementation in newly amalgamated RRBs - In 17 branches of MPGB, CTS Implementation was completed in the month of November and December. In

4 branches of Aryavart Bank (AB), CTS Implementation was completed in January.

- NEFT 24/7 - NEFT 24/7 has been implemented in RRBs successfully from 16.12.2019.

Improving the Network Infrastructure of Branches

- 4900 Branches upgraded with 2 MPBS or higher bandwidth.

Anytime Anywhere Loan Processing - RETAIL LOAN TAB/MOBILE APPLICATION

- Retail Loans have been integrated with PSB59min Online portal for Home Loan, Personal Loan and Vehicle Loan.
- In-principle approval is instantly provided to the customer through the PSB59min portal and application processed in CAPS for further final Sanction.
- Retail Online Module introduced on our website, through which customers are able to apply for Retail Loans online and same is integrated with our CAPS application for further processing. The application form and the documents can be uploaded instantly in CAPS.
- MSME Loans Format - 2 and Format – 3 has been introduced in CAPS for processing all MSME loans upto Rs. 2.00 crore.

Meghtara- Creating State of Art Cloud Facility

- To create Bank's private Cloud to maximize the potential benefits of Cloud Architecture. For compliance of Bank's and Regulatory requirements.
- We have migrated 207 VMs out of 218 VMS successfully on private cloud infra. The VMs which are pending for Migration are MB, GPS, UPI and Mailbox for which we are in process of seeking downtime from the application owners.
- Virtual infrastructure has been upgraded and integrated with Private Cloud at DR.
- Backup Server implementation is pending and FI Switch uplink Up gradation will be started after all VMs migration.
- In DC Private Cloud infrastructure implementation is completed.

Stardesk Development of modules /forms in Stardesk:

- Vigilance Portal revamp
- Development of Compliance Portal
- Application for Reference number generation
- Quiz module setup for DRO confirmation exam
- Application/Form for Zonal Budget allocation
- Online feedback form on locational workshop by AMOs in GyanPatal Portal on Stardesk
- Online Form for setup of staff at training college in GyanPatal Portal on Stardesk
- Monthly monitoring report form for NBG, Zone , Branch and Compliance Officer in Compliance Portal on Stardesk
- Modification for Hindi Reporting Forms

New initiatives of Datawarehouse:

Branch Datasheet:

- Branch Datasheet was launched on 01/01/2020 containing Branch Business figures viz. Deposit, Advances, Sector Wise Credit, Disbursement, NPA, Recovery, OTS etc.
- We have started sending Branch Datasheet weekly to all Branches to their Branch email IDs.
- Branch Datasheet provides Provided 3750+ no. of reports for adhoc requirements of HO departments / NBGs / Zonal Offices.
- Integrated 56 new reports in SAP BO during the period. These includes 22 reports of ZO monitoring tool for BPR dept. (under testing).

New initiatives of Information Technology:

Document Management System:

- A document management system (DMS) is a system (based on computer programs in the case of the management of digital documents) used to track, manage and store documents and reduce paper. It facilitates keeping a record of the various versions created and modified by different users (history tracking).
- We have provided DMS access to premises department. We have also tested DMS Readiness in Branches for Account Opening process, CBOD Dept. and Swift Centralization for FBD Dept.

Payment Modulator (Card Control) on mobile application:

- Two applications namely "Card Shield" for Debit Cards and "Card Control" for Credit Cards have been inaugurated on 06/06/2019 at the hands of our esteemed Chairman in the presence of respected MD and CEO, all Executive Directors and two Directors.
- Card Control is now available in iOS also. We propose to integrate these applications viz Card Shield and Card Control into our BOI Mobile App. Further SMS/ Email alert to be sent for any change in limits through the App.

Doorstep Banking:

- Doorstep banking is a facility provided to Customers so that they don't have to visit bank branch for routine banking activities like cash deposit, cash withdrawal, cheque deposit or making a demand draft. The bank extends these facilities at Customer's work place by appointing a service provider on their behalf.
- We have initiated doorstep banking and the UAT has been conducted.

Robotic Process Automation:

- Robotic process automation (RPA) is the use of software with artificial intelligence (AI) and machine learning capabilities to handle high-volume, repeatable tasks that previously required humans to perform.

- These tasks can include queries, calculations and maintenance of records and transactions. Proof of Concept (PoC) has been carried out in Alternate Delivery Channel (ADC) department and running successfully from April 2019. We have automated three new processes.

12. RISK MANAGEMENT:

Risk and Control:

Bank has established mechanism to ensure ongoing assessment of relevant risks on an individual as well as on a portfolio basis to maintain the trade-off between risks and returns. Risk Management is a Board (R.Com) driven function in the Bank with the Risk Management Committee of the Board at the apex level, supported by operational level committees of Top Executives for managing various risks, such as Asset Liability Management Committee (ALCO), CRMC (Credit Risk Management Committee), MRMC (Market Risk Management Committee) and CORM (Committee for Operational Risk Management).

The process of Risk Management consists of identification, measurement, monitoring and control of all sources of risk to which the Bank is exposed to. These processes are covered under various policies on Enterprise Wide Risk Management, Credit Risk Management, Collateral Management, Operational Risk Management, Market Risk Management, Exposure (Bank Exposure & Large Exposure Framework), Derivatives, ALM, Foreign Exchange and Dealing Room operations etc. The identification, measurement, monitoring & mitigation of potential risks, in all activities and products is done through detailed analysis and vetting of the same is done by the operational level risk committees and task forces. Tools and systems for prudential limits, Basel Compliant Credit Rating Models, Credit Audit. Sensitivity based measures such as M Duration, PV01, and VaR models for Market Risks, Self-assessment exercise (RCSA) coupled with tracking of Key Risk Indicators (KRI) for Operational Risk are in place for assessing / measuring the identified risks.

Bank has migrated to computation of Capital Adequacy under Basel III regulation based on Standardized Approach (SA) for Credit Risk, Standardised Measurement Method (SMM) for Market Risk and Basic Indicator Approach (BIA) for Operational Risk as per the RBI guidelines effective 01st April, 2013. The Bank undertakes Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) on a yearly basis for assessment / measurement of various risks, the limits of its risk-bearing capacity and appropriate level of internal capital in relation the Risk Appetite. Stress Testing Process is in place for enhancing risk assessment by providing the Bank a better understanding of the likely impact even in extreme unfavorable circumstances. In addition , Bank has field level Risk Managers at all 8 NBGs and 54 Zones to predicate the risk culture at the field functionary level also.

Bank's Information Risk Management System has clear objective to obviate Information Security risks in the face of acceleration in Bank's business by strengthening internal controls to protect the brand, reputation and assets of the Bank. Bank is vigilant of the security and privacy of the data related to its patrons and account holders and takes utmost care to protect it from cyber-attacks. Bank has put in place Captive Security Operation Centre (SOC) at Data Center. Bank has implemented information security tools for Real-Time monitoring of Information Security breach attempts / incidents / events on 24x7 basis. Advanced security tools like SIEM (Security Information and Event Management), PIM (Privilege Identity Management), DAM (Database Activity Monitoring), WAF (Web Application Firewall), NBAD (Network Behaviour Anomaly Detection), Anti-APT (Advance Persistence Threat) for Web & Email Channels and Anti-DDoS have been deployed. Various new security solutions focusing on threat hunting, prevention, detection and response are in the advanced stage of procurement and implementation. Bank has developed reasonable resilience to safeguard IT services in adverse situations. The Bank is ISO 27001:2013 (ISMS) and ISO 22301:2012 (BCMS) certified and the PCI-DSSV3-2 certification is in the advanced stage of acquisition. Risk and vulnerability assessment exercises are regularly carried out for all critical applications and services with timely remedial activities. Security awareness campaigns, especially with respect to social engineering, are conducted across the Bank encompassing staff as well as customers through various channels of learning and communication.

13. ALTERNATE DELIVERY CHANNEL:

Bank of India is providing various digital products and services to promote digitalisation. Different variants ofDebitand Credit Cards are issued. Bank has launched card control application to help customers secure their cards and card related transactions. BHIM UPI, Mobile Banking and Internet Banking services are availed by large number of customers. Bank provides Point of Sale (POS) EDC machines, BHIM Aadhaar Pay / Bharat QR devices to merchant customers. As on 31.03.2020, Bank has installed 48,361 devices in various metro, urban, semi-urban and rural areas.

All ATMs of the Bank are compliant with latest security features.We have also enabled Voice Guidance facility in all our ATMs to help the visually challenged. 1800 New Age Cash Recycler Machines are installed as on 31.03.2020 to facilitate seamless cash deposit / withdrawal experience to our customers.

14. TRANSACTION BANKING:

Bank set up separate Transaction Banking Department (TrBD) to generate bulk income and float for the Bank by providing management of "cash flows" of customer's especially large corporate, government institutions and high net worth individuals through digital banking. The main function comprises of Cheque collections, PDC collections and Direct Debit mandates, other services viz. Cash Management Services (Doorstep Banking), On-line Share Trading - (3 in 1 A/cs, ASBA SYNDASBA), Payment Gateways, NACH activities on NPCI platform and operational aspect of Star Channel Finance.

The Department has posted an income Rs. 150.59 crore in the Cunent FY 19-20 vis-a-vis Rs. 100.38 crore income of previous FY 18-19.

15. THIRD PARTY PRODUCTS DIVISION:

LIFE INSURANCE:

Bank is having its Corporate Agency arrangement with Bank's Joint Venture life Insurance Companyi.e. Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. for distributing life insurance products. Bank has more than 8800IRDAI certified Specified Personplaced at various branches across India. Besides distributing various life insurance products of SUD Life, we also market/distribute optional Life Insurance cover to Bank's Retail Home loan and Education Loan borrowers under Group Insurance Policy at a competitive premium. Bank has collected life insurance premium of Rs. 1,080 crore thus earned commission income of Rs. 78.60 crore for the FY 19-20.

GENERAL INSURANCE:

Bank has tie up arrangement with two general insurance companies i.e.The New India Assurance Co. Ltd. and Reliance General Insurance Co. Ltdto distribute their products. We also have a co-branded health insurance product –"Reliance BOI Swasthya Bima"which is a Family Floater policy available for Bank of India account holders at a competitive premium. Bank has collected General Insurance premium of Rs. 154.30 crore thus earned commission income of Rs. 18.60 crore for the FY 19-20.

STANDALONE HEALTH INSURANCE:

Bank has tie-up arrangement with Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. under Standalone Health Insurance category. Bank has collectedHealth Insurance premium of Rs. 39.06 crore thus earnedcommission income of Rs. 4.16 crore for the FY19-20.

MUTUAL FUNDS PRODUCTS:

Bank continues to be a shop for all financial needs for our customers. We have basket of financial products which also consists of 10 Asset Management Companies including BOI AXA Mutual Fund, our own joint venture company for distribution of their mutual Fund products. Bank has earned a commission of Rs. 2.82 crore from Mutual Fund business during FY 19-20.

16. MARKETING & PUBLICITY:

Bank's Publicity and Public Relation Department executes multi-media corporate campaigns to enhance the visibility of Bank's products and services along with image building. Bank's various products down the line across the country are executed by various media plan, on the lines of Bank's theme **"Relationship Beyond Banking"**. Bank has been continuously undertaking the publicity of Bank's products through Radio channels, Television and Digital platform in a big way. The promotion of Bank's product through print media in major national / regional dailies and various top magazines and Out Of Home (OOH) activities i.e. hoarding/Bill Boards/ Gantries is also undertaken.

17. BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING

BPR Department works on improving the existing systems and processes in the Bank as also on other aspects of change management that include the organizational structure, products, & policies. The major **customer centricinitiatives** taken during 2019-20 are:

Project works/initiatives during FY 19-20:

- **BOI Star NRI Shield:** Prepared new deposit schemes called NRE TDR Plus and FCNR (B) plus for NRI customers which can attract NRI deposits by combining FNCR scheme with forward cover for better yield on maturity. End value of the deposit is known to the customer upfront at the time of opting the product scheme
- **Categorization of Branches:** Re-categorization of branches as on 31.03.2019 done under revised norms for ensuring right staffing and ease of customer service delivery.
- **Rationalization of Service Charges:** Our service charges have been rationalized in order to make it customer friendly and cheaper compared to others in the industry.
- **Centralization of SWIFT as per RBI guidelines with our Bank:** Centralized SWIFT operation having link with FINACLE is underway to avoid fraud & provide better, smooth and reliable services to our customers.
- **Star Paramarsh – Staff Suggestion Scheme:** Expanded the scheme to cover all ideas & suggestions of staff given at all fora, including at conferences, conclaves, & training centers, for operational efficiency & service effectiveness. Suggestions received during the year: 1214, Selected for implementation: 63, Awarded prizes: 13.
- **Creation of Zones:** Two new zones Visakhapatnam and Vijayawada Zones created from existing A. P. Zone for smooth functioning and better customer service.

18. INSPECTION & AUDIT:

Bank has board approved policy on Risk Based Internal Audit, Risk Based Management Audit (Domestic), Concurrent Audit, Information System Audit and Audit of Foreign Branches. The policies were reviewed/revised to comply with the Guidelines issued by the Department of Financial Services, MOF, GOI and covers the areas mentioned in the RBI SPARC report, MOF guidelines and also as per the directions of Audit Committee of the Board. During the FY 19-20, the Department conducted audit of 3261 branches and offices. Concurrent Audit covers 847 Branches, Treasury Branch, Data Centre and HO Departments by practicing CAs and all the Foreign Branches are covered in-house by Bank's officers. Concurrent Auditors covered more than 51.50% of Global Deposits and more than 74.25% of Global Advances. Bank also conducts special assignments to meet requirements of the Bank from time to time in areas of:

- Discretionary Audit conducted at branches with 'High Risk and above' rating.
- Assessment of impact of preventive vigilance measures at branches under audit.

- Special Audit of select Authorized Dealer (AD) branches for checking / verification of transactions relating to Export transactions / Import Advance Remittances.
- IS Audit of Data Centre & Disaster Recovery site by Bank's Internal Information System auditors.
- Concurrent audit of Data Centre to ensure verification of interest parameters, application of interest process and checking of interest in sample accounts.
- Regular reporting on all important Audit findings are made to Top Management, Audit Committee of Executives and Audit Committee of the Board as per the directions.
- Bank has implemented Unified Audit Management Solution (UAMS) i.e. Star Audit. For Risk Based Internal Audit (RBIA), Concurrent Audit , Service Branch , Currency Chest and Management Audit.

19. LEGAL & RIGHT TO INFORMATION ACT:

Legal Department of the Bank acts as support department and provides platform for various matters of Opinion, Documentation, Litigation etc. emanating from various other functionals.

Besides attending to referral matters of various NBGs/ Zones, Domestic Branches / Foreign Branches and Bank's subsidiaries, the Department also caters to the specific needs of specialized Departments like Information Technology Department, International Department, Treasury Department, Card Products Department, Transaction Banking Department etc. by Drafting / Vetting of documents of various contracts/ Service Level Agreements (SLAs), Software / Hardware procurement, various types of tie-up arrangements /new products etc.

The Right to Information Act has taken a pivotal role in the Society and lot many applications are received by the Bank at various levels. Bank has identified Central Public Information Officer and Appellate Authority at various Zones / NBGs. Deputy General Manager (Law) of Legal Department, Head Office is designated as the CPIO of the Bank, and the General Manager, Legal Department is the Appellate Authority. The procedure for disposing of application or appeals involves collecting the desired information from various Departments and supplying the same to the applicant within the fixed time duration of 30 days and also to guide the other Zones / NBG on specific points.

Moreover, with a view to create awareness among the staff, Legal Department issues circulars and guidance to NBGs/ Zones on the amendments on Statutes and New Legislations.

In addition to the above, the Legal Department also attends to:

- Approval of Plaints in respect of suits filed by Bank and Monitoring of said cases.
- Advising on writs, cases, appeals, claims etc. filed against the Bank, vetting of the applications/affidavits etc. wherever required.
- Attending to the various queries of Ministry, Reserve Bank of India and IBA on different matters including new Legislation / amendments under consideration on various Acts.
- Opinion on Share transmission matters of share Dept.
- Cases against Bank/ Claim against Bank not acknowledged as debt/provision requirement/ follow up with Zones etc.
- Collection and compilation of data/statistics pertaining to suit filed/ decreed cases and submission to various authorities like Reserve Bank of India, MOF etc. RBS data.

20. COMPLIANCE DEPARTMENT:

An independent Compliance Department since the year 2008. headed by Chief Compliance Officer in the rank of General Manager. Compliance of statutory, regulatoryand Bank's internal guidelines is the scope of compliance function in the Bank, both for Domestic and Overseas operation who is also designated as "Principal Officer" in line with Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PML Act).

Bank is adopting Board approved Compliance Function Policy framed as per Reserve Bank of India guidelines. Bank is continually enhancing its compliance culture with adoption of Compliance Rulesfor different work areas of Bank's domestic operations. The compliance department is conducting half-yearly compliance testinge xercise, quarterly compliance testing of implementation of Regulatory guidelines, compliance audit of action taken to RBI observations made under Risk Based Supervision and test check for Tranche III compliance rules prescribedby RBI to ensure compliance sustainability.

Bank has also vested with the responsibility of implementation/ monitoring Know Your Customer (KYC) / Anti Money Laundering (AML) Measures/ Combating Financing of Terrorism (CFT) Guidelines in the Bank.Compliance with KYC norms in all accounts, as directedby RBI is ensured. As per the provisions of Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PML Act) and its subsequenta mendments thereto and the Rules made thereunder as well as the guidelines issued by the RBI, Bank has put inplace Board approved KYC/ AML/CFT Policy which is adopted by branches in India. All customers have been classified into High, Medium or Low Risk categorybased on the Risk perception. As per extant RBI guidelines,the review of the Risk categorisation is done once in everysix months. The department also ensures for imparting oftraining on KYC / AML and its related compliance aspects tothe staff members.

The Compliance department is the single point of contact for all the Regulatory Agencies.It is the focal point of the Bank to respond to RBI inconducting Risk Based Supervision (RBS). The RBS reports are attended in coordination with all the departments of Bank and compliance is submitted to RBI.

The compliance department at HO is also overseeing compliance function of overseas establishments who follow their respective territory based compliance policies as well as KYC-AML-CFT Policies. Each overseas Centre/ Branch/subsidiary has a compliance officer to look after the respective compliance function. Overseas branches comply with the applicable regulatory requirements (home country / host country regulatory guidelines whichever is stringent) and submit confirmations / compliance sustainability reports. The compliance officerof eachoverseas Branch undertakes QuarterlyCompliance testing and submits reports to Head Office.

21. OFFICIAL LANGUAGE:

There is a well-established Official Language Department in our bank which ensures the implementation of the provisions and the progressive use of hindi regarding official language policy of the Government of India. During the year, in 'B" region for bank's category, TOLIC Ratnagiri has been awarded 'Rajbhasha Kirti Puraskar', Second Prize by the Government of India. TOLIC (Bank) Nagpur has been awarded 'First Prize' in 'B' region (regional awards) by the Government of India. Our bank is the convener for both the TOLICs.For the period from April to September, 2019, the 'Appreciation Certificate' was awarded by Hon'ble Ms.Dakshita Das, Additional Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India to our bank as the second best institution in 'B' region for the better implementation of official language hindi. Total 19 awards have been received by the different zones working in different regions of the country for the better implementation of Hindi. Our bank has organized 147 hindi workshops in which 3784 staff members have been trained. Further, 'Parangat' class under Hindi Teaching Scheme, Government of India has been organizedin the bank's premisesfor the staff members of the head office. From 26 November, 2019 to 26 November, 2020 Citizen Duties Awareness Campaign is being celebrated in our bank. On the occasion of Vishva Hindi Diwas, our bank has organized debate and speech competitions in different schools throughout the country. Rajbhasha E-learning module-2 on 'Rajbhasha Legal Glossary' has been prepared to enhance and upgrade the skill regarding official language of staff members. Hindi E-mail competition on quarterly basis is continued during the whole year for the departments of head office. Hindi Month was celebrated from 15 August, 2019 to 14 September, 2019 in which different competitions/ programmes have been organized for the staff members to develop interest towards the use of hindi for their daily works. For the divyang (blind) official language officers of our bank, the official language policy, annual programme and bilingual notings in 'Brail Script' have been prepared by one divyang official language officer of bank. The same have been released by the Director (Implementation),DOL, MHA, Govt. of India in a review meeting of our official language officers in presence of our Executive Director (now MD&CEO) Shri. A.K.Das.

Hindi Workshop Reference Book has been prepared by the head office. 'Rajbhasha Shield Competition' has been organized for the departments of head office and zones separately. Reference books have been prepared in regional languages, hindi and bilingual. Our bank is successfully carrying out the responsibility of the convenorship of 7 TOLICs.

22. HUMAN RESOURCES, LEARNING & DEVELOPMENT AND IN HOUSE JOURNALS:

HR Department:

Bank's HR transformation strategy is focused on Capacity Building and Talent Management to ensure availability of manpower with right set of skills, its optimum utilization and to bridge skill gaps in critical areas of Banking such as Credit, Finance & Planning, Treasury & FOREX, HR, IT & Analytics, Risk Management and Compliance & Audit through appropriate training and certification. The Talent Management programme is aimed at building a robust and sustainable pipeline of leaders as a succession management plan. Additionally, Bank has also started Employee Engagement Survey and 360 degree Feedback process under its HR Initiatives.

Bank has during the year 2019-20, recruited 606 General Banking Officers, 442 Specialist officers and 1824 Clerks. Endeavour is to bridge the human skill gaps in areas of Corporate Credit, Risk Management, Treasury, IT and Marketing on an on-going basis.

Compliance with Reservation Policy:

The Bank is complying with the reservation policy of Government of India. Recruitment and SC/ST Cells at Head Office and Zonal Offices ensure to implement the reservation policy and redressal of grievances relating to SC/ ST/OBC Employees. General Managers at Head Office are designated as Chief Liaison Officer for SC/STs and OBCs. Officers from SC/ST/OBC categories are designated as Cell / Liaison Officers at Zonal Offices. Post-based Reservation Rosters are maintained as per Government guidelines.

Representation of SC/ST/OBC Staff:

As on March 2020	Officers	Clerks	Sub-Staff	Staff Total
Total	21,773	20,777	7,217	49,767
SC	3,891	3,344	2,404	9,639
% to total Staff	17.87	16.09	33.31	19.37
ST	1,868	2,427	825	5,120
% to total Staff	8.58	11.68	11.43	10.28
OBC	5,635	5,223	1,772	12,630
% to total Staff	25.88	25.14	24.55	25.38

LEARNING AND DEVELOPMENT:

A separate independent Department as overall countrywide in charge of the training colleges, MDI and all related activities including capacity building. In house talent development and imparting of class room trainings are being taken care of by the Learning and Development Department. Bank has introduced E-Learning modules for enhancing the competencies of employees and to equip the staff with right skills and knowledge for meeting ever changing business dynamics across different segments. 21604 officers have done various e learning modules. The Bank's 7 Training Colleges have imparted training to 24500+ staff members. To enhance the capabilities of officers in key work areas of the Bank, the Capacity building certification programmeis also launched. Executive Development Programmes for AGMs were conducted in-house and for DGMs these programmes were conducted in house with the help of faculty support from one of the institutes of repute. GMs and DGMs have been nominated for outside training programme on Leadership Excellence at one of the Institutes of repute. Also select Executives were nominated for training on Cyber security at outside Institute. Bank has also conducted, special training programmes for visually impaired staff members to enable them to perform their job with greater satisfaction and ease.

BANK'S HOUSE JOURNAL 'TAARANGAN'

Our bilingual house Journal 'Taarangan has been the medium of expression of BOI's in-house talent since 1964. House journals are also an important tool for employee engagement in any organization. Taarangan has been quite effective in this role. It has constantly provided a platform to our employees to showcase their creative talent, in the field of Art, Music, Culture, sports etc. Taarangan provides entertainment as well as enlightens our readers. It continues to churn out interesting and insightful articles for the readers.

Taarangan also provides opportunities for knowledge sharing wherein articles relevant to the prevailing banking and economic scenario are shared by staff members.It also covers and highlights various activities conducted by Zones/ Branches/Offices/Overseas Centres. Taarangan is also available in digital form in staff portal "HRMS" and on Bank's corporate website. Over the years our house magazine has received several awards and brought laurel to our Bank.

23. CUSTOMER EXCELLENCE BRANCH BANKING:

The Bank is committed to providing Customer service of a high order in a transparent manner. The Bank undertakes customer orientation programs and Customer Meetings on a regular basis to provide necessary information so as to enable them to take appropriate decision on different banking products offered by the Bank.

Various policies such as Customer Rights Policy, Customer Acceptance, Customer Care & Customer Severance Policy and Grievance Redressal Policy are in place as per the regulatory requirements and same are reviewed from time to time to incorporate the changes as per the directions/ guidelines of the regulatory authorities. All these policies are placed in public domain. We have appointed Internal Ombudsman as per RBI guidelines.

The Bank has taken several initiatives during the year to enhance Customer service.

- Our full-fledged Call center continues to provide assistance to the customers from Airoli (Mumbai) and Begumpet (Hyderabad).
- To speed up the complaints relating to the failed ATM/ POS transactions, we have incorporated the Digital Complaint Stream in our OCRM module.
- We have also included Feedback system in our Operational Customer Relationship Management (OCRM) to analyze the level of Customer Satisfaction in their grievance redressal.
- Customer Satisfaction Survey is conducted by Third party PAN India for the feedback and suggestions from the customers for our various products and services. We have received the overall satisfaction rating 7.74 on the scale of 10, where 10 is on higher side.

24. BRANCH NETWORK & EXPANSION

Bank has a geographically well spread branch network in India and aboard. Bank had 5083 branches in India as on 31.03.2020. In the foreign countries 24 branches, 20 Subsidiaries, 1 Joint Venture and 1 representative offices keep Bank's presence felt in all times Zones and important financial centers of the globe. During the year 2019-20, Bank has opened 1 new branch. Composition of Bank's Branch Network is as under:

Category	31-03-2019		31.03.2020	
	No of Brs.	% to total	No of Brs.	% to total
Metropolitan	994	19.52	991	19.50
Urban	812	15.95	810	16.00
Semi-Urban	1,454	28.55	1,454	28.50
Rural	1,832	35.98	1,828	36.00
Total Domestic Branches	5,092	100	5,083	100
Overseas	27	-	24	-
Total Branches	5,119	-	5,107	-

25. BANK'S DOMESTIC SUBSIDIARY/ASSOCIATES/JOINT VENTURES:

BOI SHAREHOLDING LIMITED (BOISL):

Bank has investment of Rs.6.64 crore in BOISL, a 100% subsidiary of the Bank. BOISL acts as Depository Participant (DP) of both the Depositories, National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL). The Company also undertakes collection of Broker Turnover Stamp Duty on behalf of Government of Maharashtra, Gujarat, New Delhi, Tamil Nadu, Telangana, West Bengal, Haryana, Karnataka and Uttarpradesh.

BOI AXA INVESTMENT MANAGERS PVT. LTD.& BOI AXA TRUSTEE SERVICES PVT. LTD:

These subsidiaries are in the business of Mutual Fund and Investment Advisory Services under SEBI Investment Advisor Regulations. Bank of India is holding 51% Stake in both the Companies with Investment of Rs.60.69 crore.

BOI MERCHANT BANKERS LIMITED (BOIMBL):

BOI Merchant Bankers Limited was promoted on 31.10.2014 to undertake merchant banking business including arranging of Syndicated Loans, Bonds and Debentures. It is a wholly owned subsidiary of the Bank with paid up capital of Rs.10 crore.

STCI FINANCE LIMITED:

Established in 1994, STCI Finance Ltd., acts as a non deposit taking NBFC. Bank of India with 29.96% holding (Investment of Rs. 130.10 crore) is the largest stakeholder in STCI, with a Paid up Capital of Rs.380 crore. STCI Primary Dealer Ltd. (STCIPD) is a wholly owned subsidiary of STCI Finance Limited. STCIPD commenced its operations from 25th June 2007 and is one of the leading primary dealers in the country.

STAR UNION DAI-ICHI LIFE INSURANCE COMPANY LTD. (SUDLIFE):

Bank of India, Union Bank of India and Dai-Ichi Life Insurance Company, Japan have formed "Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company" to provide life insurance services to its clients. The company commenced insurance business in February 2009. BOI holds 28.96% (Investment of Rs.75 crore), UBI holds 25.10%, and Dai-ichi Life Insurance Company holds 45.94% stake of the Company.

INVESTMENT / ALLIANCES :

ASREC (India) Ltd. was floated by the Specified Undertaking of the Unit Trust of India (SUUTI) to undertake securitization and asset reconstruction activities. Bank holds 26.02% stake (Investment of Rs.27.60 crore), in the equity capital of the company of Rs. 98 crore.

National Collateral Management Services Ltd. (NCML): is promoted by the National Commodity and Derivatives Exchange Ltd. (NCDEX). It was incorporated on 28.09.2004 to promote and provide collateral management services for securing, managing and controlling securities and commodities. Bank holds stake of 2.34% in the equity capital of the company with Investment of Rs.3 crore.

SWIFT India Domestic Service Pvt. Ltd.ajoint venture company promoted by SWIFT and 9 major Banks including Bank of India. SWIFT is holding 55 % equity and remaining 45% is held by 9 major Banks. Bank of India has an equity stake of 3.26% in the company with Rs. 7.71 croreInvestment.

Acuite Ratings & Research Limited (Earlier SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA)) was set up during FY 2005-06 by SIDBI in association with Dun & Bradstreet, one of the leading providers of commercial data and analytics. The Company's objective is to provide comprehensive, transparent and reliable ratings which would facilitate greater and easy flow of credit to SME sector. Bank holds a stake of 1.88% in the equity capital with investment of Rs. 0.28crore.

Other Strategic Investments:

Bank also has strategic investments in CERSAI (Rs. 2.15 crore), U.V. Asset Reconstruction Co. Ltd. (Rs. 0.15 crore) Clearing Corporation of India (Rs. 0.50 crore), Agricultural Finance Corporation Ltd. (Rs. 1.26 crore), SIDBI (Rs.45.30 crore), Central Ware Housing Corporation Ltd. (Rs.1.11 crore), Loss Data Consortium CORDEX (Rs.1 crore), SBIDFHI (Rs.5.54 crore), NPCI (Rs.10crore), MCX Stock Exchange Ltd. (Rs.27.50 crore), CSC e-Governance services India Ltd. (Rs.1 crore), Invent Assets Securitisation and Reconstruction Pvt. Ltd. (Rs.10 crore).

26. FRAUD RISK MANAGEMENT

Good corporate governance serves as an important factor in control of fraudulent activities. It may be true that Fraud itself cannot be eliminated but fraud risks can be managed and mitigated like other business risks with a proactive framework and approach.

Fraud Risk Management Department handles all fraud related matters independently in areas of:

- Devising and Administration of FRM (Fraud Risk Management) and LOC (Look-out Circular) Policy for the Bank,
- Reporting to RBI within stipulated timeline and Monitoring of Frauds,
- Maintenance of Centralized data on frauds,
- Analysis of Perpetrated and Attempted Frauds,
- Diagnostic and root cause analysis of fraud cases and implementation of remedial measures and steps to mitigate risks thereof in respect of product deficiencies,
- Plugging the loopholes in the systems, procedures & practices leading to perpetration of frauds,
- Dissemination of modus operandi & reasons for occurrence of fraud revealed by way of Circulars/ instructions to avoid the risk of recurrence of frauds of similar nature,
- Sensitizing staff through short alerts messages through tickers / periodical messages through MMS/ training/ Video Conferencing on Fraud prevention,
- Periodical circulation of checklist on prevention of frauds,,
- Convening meeting of Task Force Committee on frauds at HO and monitoring the meeting of Zonal Task Force Committee on frauds,
- Enterprise wide Fraud Risk Management Solution (EFRM) encompassing all delivery channels has been acquired and it is currently underway.

27. VIGILANCE MANAGEMENT:

Vigilance department is headed by Chief Vigilance Officer for vigilance administration in the Bank under the general superintendence of the Central Vigilance Commission (CVC).

The vigilance department covers all vigilance related matters of bank's officials in domestic operation, overseas operations, and subsidiaries. The vigilance administration of three Regional Rural banks sponsored by Bank of India, viz. Vidharbha-Konkan Gramin Bank, Aryavart Bank and Madhya Pradesh Gramin Bank are also covered by vigilance department. The Vigilance Department works under Chief vigilance Officer assisted one Deputy General Manager and other officials having background/experience in the field of investigation and disciplinary matters. For operational convenience Vigilance Department has operationalized 8 Vigilance Units under the direct control of Vigilance Department, Head Office, which covers all the 8 National Banking Groups (NBGs). Each such unit is headed by an Assistant General Manager who is assisted by an able team of support staff.

The Vigilance department functions under the basic premises of Preventive, Participative and punitive vigilance with the objective of enhancing the level of managerial efficiency and effectiveness in the organisation. The vigilance department has brought out a revised Vigilance Reference Manual in 2019 collating the gists of circulars, guidelines, and instructions etc., issued by the DES, CVC and Bank from time to time.

28. DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

In terms of Clause 43A of SEBI-Listing Obligation and Disclosure Requirement Regulations, Bank has formed a Dividend Distribution Policy and the same is available on our website - https://www.bankofindia.co.in/pdf/DDP.pdf

29. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORTING-2019-20

In terms of Clause 32 (2) (F) of SEBI-Listing Obligation and Disclosure Requirement Regulations, the Business Responsibility Report is available on our website - www. bankofindia.co.in

30. BASEL-III (PILLAR 3) DISCLOSURE (CONSOLIDATED) MARCH 2020

In terms of RBI Circular DBOD.No.BP.BC.1/21.06.201/2015-16 dated July 1, 2015 on Basel III Capital Regulations read together with RBI Circular DBR.No.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015 on Prudential Guidelines on Capital adequacy and Liquidity Standard – Amendments, requires Banks to make applicable Pillar 3 disclosures including Leverage Ratio and Liquidity Coverage Ratio under the Basel III framework. These disclosures are available on Bank's website at the link https://www.bankofindia.co.in/RegDisclosureSec.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board expresses its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities and Exchange Board of India and other regulatory authorities for their valuable guidance and s upport. The Board also thanks financial Institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers, business associates and shareholders. The Board also wishes to place on record its appreciation of staff members for their dedicated service and contribution for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board Directors

Sd/-
A. K. Das
MD & CEO

Place : Mumbai
Date : 25.06.2020

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

बैंक ऑफ़ इंडिया, भारत का एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है जो जिस समाज में यह कार्य करता है, उसके सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति निरंतर समर्पित रहता है। बैंक ऑफ़ इंडिया यह मानता है कि जिस समाज ने, इतने वर्षों में, इस बैंक को इतने बड़े आकार में फलने-फूलने का अवसर दिया है, वह इस प्रगति के बदले कछ प्राप्त करने का अधिकारी है।

बैंक ऑफ़ इंडिया दृढ़तापूर्वक यह मानता है कि सी.एस.आर. के अंतर्गत किये गये कार्य प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देते हैं तथा कारोबारी संस्था की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। सामाजिक कल्याण तथा सामाजिक विकास के संबंध में विभिन्न सामाजिक दायित्वों का निर्वहण कर बैंक ऑफ़ इंडिया ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बैंक मुख्य रूप से स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामीण विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे शैक्षणिक कार्यों, गरीबों एवं वंचितों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने, सामाजिक आर्थिक विकास कार्यों, स्वच्छता, पेय जल प्रदान करने, जीवन स्तर सुधारने, कौशल विकास, महिला, बाल तथा एससी/एसटी/ओबीसी के कल्याण इत्यादि क्षेत्रों से संबंधित सी.एस.आर. कार्यों से जुड़ा हुआ है।

कंपनी अधिनियम 2013 के नये प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत गठित कंपनियों को सी.एस.आर. के अंतर्गत व्यय करना है। बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में पूरे देश में सी.एस.आर. से संबंधित कार्यों को उदारतापूर्वक किया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ऑफ़ इंडिया ने कुल रु.565.38 लाख की विभिन्न सीएसआर परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। सीएसआर गतिविधियों की अपनी अवधारणा के तहत बैंक ने विभिन्न परियोजनाओं में सहायता की है जिसका वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है :

1. स्वच्छ भारत अभियान - रु.9.59 लाख
2. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान - रु.116.65 लाख
3. पर्यावरण संपोषणीयता और परिस्थितिकीय संतुलन - रु.31.14 लाख
4. सामाजिक कल्याण सहित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण - रु.64.44 लाख
5. मूल शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण - रु.10.29 लाख
6. स्थानीय समुदाय सेवा/सामाजिक गतिविधि - रु.333.27 लाख

हमारे बैंक ने अपनी प्रत्येक ग्रामीण शाखा से 5 बालिकाओं को टैग कर सरकार की पहल स्टार एंजल इंडिया ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान'' की बालिका शिक्षा को सुनिश्चित करने के लक्ष्य को स्वीकार किया है। लाभार्थी बालिका को कक्षा-1 से स्नातक तक उसके शैक्षिक व्यय हेतु प्रतिवर्ष रु.1200/- की छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जा रही है। बैंक ऑफ़ इंडिया ने विभिन्न एनजीओ और चैरिटेबल सोसायटी के माध्यम से गरीब और वंचित नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कैंपों को प्रायोजित कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता प्रदान की है। हमारे बैंक ने गरीब मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पतालों में चिकित्सीय उपकरण भी उपलब्ध करवाए हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त बैंक ने जल संरक्षण और वनराई भण्डारों का निर्माण जैसे पर्यावरण संपोषणीयता संबंधी गतिविधियों में भी सहायता प्रदान की है।

एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में हमारा बैंक, शिक्षा का प्रायोजित करके, शिक्षा संबंधी वस्तुओं का दान करके, दिव्यांग और अनाथों की सहायता कर, मूल शिक्षा को बढ़ाने में निरंतर सहायता प्रदान कर रहा है और इसके साथ ही, गरीब व वंचित लोगों को बेहतर जीवन के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु कौशल प्रशिक्षण

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Bank of India, a premier financial institution of the country believes in continuous dedication towards socio-economic development of communities in which it operates. Bank of India believes that the society which has helped the Bank to grow to such an enormous size over the years, deserves to get back something in return for its development.

The Bank strongly believes that CSR activity is an important instrument that provides competitive advantage and reputation of the business concern. BOI has created its individual brand image in the field of Corporate Social Responsibility (CSR) by taking various social initiatives for social welfare and community development. The Bank is engaged in the CSR activities mostly in the area of Swachhta Bharat Abhiyan, Rural Development, Environment sustainability, Educational program such as Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan, Extending health care to poor/under privileged, socioeconomic development, sanitation, providing drinking water, improving standard of living , skill development, welfare of women, children and SC/ST/OBC etc.

The Bank has been generously contributing to CSR activities over the last few years throughout the length and breadth of the country. It has approved various CSR projects during the year 2019-20 aggregating Rs. 565.38 lakh. Under its concept of CSR activities, Bank has assisted in various projects bifurcated as under:

The Bank has been generously contributing to CSR activities over the last few years throughout the length and breadth of the country.

Bank of India has approved various CSR projects during the year 2019-20 aggregating Rs. 565.38 lakh. Under its concept of CSR activities, Bank has assisted in various projects bifurcated as under:

1. Swachh Bharat Abhiyan-Rs. 9.59 lakh
2. Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan-Rs. 116.65 lakh
3. Environmental Sustainability and Ecological balance-Rs.31.14 lakh
4. Health and Family Welfare including Social welfare -Rs.64.44 lakh
5. Basic Education, Skill development training -Rs.10.29 lakh
6. Local community service/ social activity- Rs.333.27 lakh

Our Bank has adopted the government's initiative Star Angel India – "Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan" - aimed at ensuring education of the girl by tagging of 5 girl child from each of our rural branch. The beneficiary girl child is being provided scholarship @ Rs. 1200/- per girl child per annum for her educational expenses from Std-I up to Graduation. Bank of India has assisted in health sector by sponsoring health camps for poor and underprivileged citizen through various NGOs and Charitable societies. Our Bank also provided medical equipments to hospitals catering medical services to poor patients. In addition to the above Bank aided activities in environment sustainability like water conservation and constructions of vanrai bandharas.

As a responsible corporate citizen, our Bank has been continuing to support basic education by sponsoring education, donating education materials, extending assistance to differently abled and orphans, and also providing skill training for better life opportunities

भी दे रहा है। बैंक ने छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन तथा विभिन्न विद्यालयों एवं नगरपालिका कार्यालयों में महिलाओं के लिए इनसिनरेटर उपलब्ध कराये हैं। उपर्युक्त के साथ-साथ, बैंक ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत उपायों हेतु सहायता प्रदान की है। कोविड-19 महामारी में, बैंक ने कोविड-19 को फैलने से रोकने और समाज में व्यापक स्तर पर राहत उपलब्ध करवाने के लिए सीएसआर गतिविधियों हेतु रु.2.00 करोड़ के विशिष्ट बजट को मंजूरी दी है।

to poor and underprivileged. Bank has provided sanitary napkin vending machines in schools for girls and incinerators in various schools and municipal offices for females. In addition to the above, Bank has contributed for relief measures for various natural calamities during the last financial year. In wake of spread of COVID -19, Bank has accorded exclusive budget of Rs.2.00 crore towards CSR activities be undertaken to prevent the spread of COVID 19 and provide the relief to society at large.

कॉर्पोरेट प्रशासन प्रणाली

प्रशासन प्रणाली संहिता पर बैंक का दर्शन :

बैंक की कॉर्पोरेट शासन प्रणाली का दर्शन, शेयरधारक के मूल्य में वृद्धि करते हुए, अपने कारोबार के संचालन में नैतिकता के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता पर आधारित है। बोर्ड, कार्यपालकों तथा अन्य पदाधिकारियों का पारस्परिक संबंध इस तरह गठित है कि उनकी विशिष्ट भूमिकाएं स्पष्टतया निर्धारित हैं तथा इससे कॉरपोरेट कार्यनिष्पादन में सुधार आता है। बैंक, उच्च प्रकटन मानकों तथा पारदर्शिता के अनुसरण के प्रति भी प्रतिबद्ध है। सर्वश्रेष्ठ कार्य-प्रणालियों का अनुसरण करते हुए बैंक ने कारोबार के प्रत्येक पक्ष की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

बोर्ड के निदेशक :

समय-समय पर यथा संशोधित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत बैंक का गठन किया गया है। सामान्य पर्यवेक्षण, बैंक के कारोबार तथा कामकाज का प्रबंधन तथा निदेशन, निदेशक मंडल के पास है जिसकी अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष करते हैं। अगस्त 2015 से, बैंक में एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं।

समीक्षागत वर्ष (2019-20) के अंतर्गत बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य थे:

श्री जी. पद्मनाभन	अध्यक्ष
श्री अतनु कुमार दास (20.01.2020 से)	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
श्री दीनबंधु मोहापात्रा (दिनांक 30.06.2019 तक)	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
श्री सी. जी. चैतन्य	कार्यपालक निदेशक
श्री पी.आर. राजगोपाल (दिनांक 18.03.2020 से)	कार्यपालक निदेशक
श्री अतनु कुमार दास (दिनांक 19.01.2020 तक)	कार्यपालक निदेशक
श्री एन. दामोदरन (दिनांक 30.11.2019 तक)	कार्यपालक निदेशक
श्रीमती दक्षिता दास	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री सुब्रत दास (दिनांक 13.08.2019 से)	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
श्री एस.सी. मुर्मू (दिनांक 26.04.2019 से 12.08.2019 तक)	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
श्रीमती आर. सेबास्टियन, (दिनांक 25.04.2019 तक)	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
श्रीमती वेणी थापर (दिनांक 20.06.2019 तक)	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
श्री डी. सरकार	शेयरधारक निदेशक
श्री डी. हरीश	शेयरधारक निदेशक

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशकों को छोड़कर शेष सभी निदेशकगण, बोर्ड के गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। केंद्रीय सरकार को छोड़कर, बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन बाध्यताएं) विनियमन-2015 (सेबी-एलओडीआर) के विनियम 16 (बी) के अनुरूप स्वतंत्र निदेशक हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए पहचान कार्यक्रम का विवरण हमारी वेबसाइट अर्थात् www.bankofindia.co.in में उपलब्ध है।

हमारा कोई भी निदेशक दूसरे किसी निदेशक का रिश्तेदार नहीं है।

CORPORATE GOVERNANCE

Bank's Philosophy on code of Governance:

The Bank's corporate governance philosophy is woven around its total commitment to ethical practices in the conduct of its business, while striving to enhance shareholders' value. The interrelation between the Board, the executives and other functionaries is so configured as to have distinctly demarcated roles and improved corporate performance. The Bank is also committed to following high disclosure standards and transparency. In line with the best practices, the Bank has formed various committees of the Board to monitor every aspect of business.

Board of Directors:

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended from time to time. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman. Since August 2015, the Bank has a Non-Executive Chairman and a full time Managing Director & Chief Executive Officer.

During the year under review (2019-20) the Composition of the Board was as under:

Shri G. Padmanabhan	Chairman
Shri Atanu Kumar Das (from 20.01.2020)	Managing Director & CEO
Shri Dinabandhu Mohapatra (upto 30.06.2019)	Managing Director & CEO
Shri C. G. Chaitanya	Executive Director
Shri P R Rajagopal (from 18.03.2020)	Executive Director
Shri Atanu Kumar Das (Upto 19.01.2020)	Executive Director
Shri N Damodharan (upto 30.11.2019)	Executive Director
Ms. Dakshita Das	Govt. Nominee Director
Shri Subrata Das (from 13.08.2019)	RBI Nominee Director
Shri S C Murmu (From 26.04.2019 to 12.08.2019)	RBI Nominee Director
Smt. R Sebastian (Upto 25.04.2019)	RBI Nominee Director
Ms. Veni Thapar (Upto 20.06.2019)	Part time Non Official Director
Shri D. Sarkar	Shareholder Director
Shri D. Harish	Shareholder Director

All directors, other than the Managing Director & CEO and the Executive Directors, are non-executive Directors on the Board. The Directors representing shareholders of the Bank other than the Central Government are independent directors within the meaning of Regulation 16 (b) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement Regulations- 2015 (SEBI-LODR).

Details of familiarization programmes imparted to independent directors are available on our website i.e. www.bankofindia.co.in.

None of the Directors is a relative of other Director.

वर्ष 2019-20 के दौरान और अब तक बैंक में कार्यग्रहण करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्री अतनु कुमार दास - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री अतनु कुमार दास ने अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया है तथा यू.जी.सी. की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। आई.आई.टी. खड़गपुर से डॉक्टरेट करते समय, वर्ष 1994 में, श्री दास ने अर्थशास्त्री के रूप में बैंकिंग उद्योग में कदम रखा।

26 वर्षों के बैंकिंग जीवन में, उन्हें नीतिगत तथा परिचालनात्मक, इन दोनों स्तरों पर कार्य करने का अनुभव है। जनवरी 2015 में दिल्ली के क्षेत्रीय प्रमुख का प्रभार ग्रहण करने से पूर्व, वे तीन वर्षों से अधिक समय तक विजया बैंक के लखनऊ क्षेत्र के प्रमुख रहे। विजया बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय में श्री दास ने अन्य विभागों के अतिरिक्त आयोजना एवं विकास जैसे महत्त्वपूर्ण विभाग को संभाला है।

श्री दास, आई.आई.एम.(कोझिकोड), आई.आई.एम.(अहमदाबाद), ए.एस.सी.आई, एन.आई.बी.एम., बी.टी.सी. तथा फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ़ बिजनेस मैनेजमेन्ट जैसे प्रमुख संस्थानों में आयोजित अनेक महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में शामिल हुए हैं।

श्री दास ने 17.02.2017 को बैंक ऑफ़ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का पदभार ग्रहण किया था तथा वे वित्त, जोखिम प्रबंधन, आयोजना, विकास तथा समन्वय, कार्यनीति एवं आर्थिक आसूचना, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, वित्तीय समावेशन तथा अन्य महत्त्वपूर्ण विभागों को देख रहे थे।

उन्होंने दिनांक 20.01.2020 को बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ. का पदभार ग्रहण किया है।

श्री पी आर राजगोपाल - कार्यपालक निदेशक

53 वर्षीय श्री पी.आर. राजगोपाल ने वाणिज्य तथा विधि (बी.एल.) में स्नातक किया है। उन्होंने 1995 में अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ़ इंडिया में अपने कैरियर की शुरूआत की तथा वर्ष 2000 में वरिष्ठ प्रबंधक हुए। वे विधिक सलाहकार के रूप में भारतीय बैंक संघ में संक्षिप्त अवधि के लिए स्थानांतरित हुए तथा वर्ष 2004 तक बैंक ऑफ़ इंडिया में वापस आने से पूर्व तक वे आई.बी.ए. के साथ रहे। उन्होंने वर्ष 2004 में यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया में कार्यभार ग्रहण किया तथा वर्ष 2016 में महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत हुए। कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत होने के उपरांत उन्होंने 01.03.2019 को इलाहाबाद बैंक में कार्यभार ग्रहण किया।

उन्होंने 18.03.2020 को बैंक ऑफ़ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का पदभार ग्रहण किया है।

श्री सुब्रत दास

श्री सुब्रत दास, भारतीय रिज़र्व बैंक में मुख्य महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय निदेशक हैं। उन्होंने सीधी भर्ती ग्रेड बी अधिकारी के रूप में 1991 में भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यभार ग्रहण किया था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरूआत कानपुर कार्यालय से की। उन्होंने विश्लेषणात्मक एवं अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र में एम.ए. किया है। उन्होंने विधि में स्नातक किया है। उन्होंने सी.ए.आई.आई.बी. किया है तथा हिंदी की प्राज्ञ परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। श्री सुब्रत दास ने विभिन्न कार्यालयों के विभिन्न विभागों जैसे निर्गम विभाग, बैंकिंग, एन.सी.सी., पूर्ववर्ती डी.बी.ओ.डी., एच.आर.एम.डी (कार्मिक एवं प्रशासन) तथा करेंसी अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है।

हैदराबाद आने से पूर्व उनकी पिछली तैनाती क्षेत्रीय निदेशक, देहरादून के पद पर थी। वर्तमान में वे क्षेत्रीय निदेशक के रूप में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के मामले देख रहे हैं।

Brief Profile of the Directors who joined the Bank during the year 2019-20 and till date:

Shri Atanu Kumar Das- Managing Director & CEO

Shri Atanu Kumar Das is a post graduate in Applied Economics and NET holder from UGC. While pursuing a doctoral degree at IIT, Kharagpur, Shri Das joined the Banking Industry as Economist in the year 1994.

In his 26 years of banking experience, he has been involved at both policy and operational levels. Prior to assuming charge as Delhi Regional Head in January 2015, he was heading Vijaya Bank's Lucknow Region for more than 3 years. At Vijaya Bank's Corporate Office, Shri Das was handling Planning & Development, a very key department, among others.

He has been part of several important training programs/ workshops conducted at premier institutions like IIM (Kozhikode), IIM (Ahmedabad), ASCI, NIBM, BTC, Frankfurt School of Business Management and IDRBT.

He had taken charge as Executive Director of Bank of India on 17.02.2017 and was overseeing functioning of Finance, Risk Management, Planning, Development & Co-ordination, Strategy & Economic Intelligence, Information Technology, Human Resources, Financial Inclusion and other key Departments.

He has taken charge as Managing Director & CEO of Bank of India w.e.f. 20.01.2020.

Shri P R Rajagopal- Executive Director

Shri P R Rajagopal, aged 53 year is a commerce graduate and Bachelor in Law (BL). He started his career in Bank of India as an officer in 1995 and become Senior Manager in 2000. Seconded to Indian Banks' Association as Legal Adviser and was with IBA till 2004 till repatriation to Bank of India. He joined Union Bank of India in 2004 and elevated to the rank of General Manager in the year 2016. On elevation to the position of Executive Director, he joined Allahabad Bank on 01.03.2019

He has taken charge as Executive Director, Bank of India on 18.03. 2020.

Shri Subrata Das

Shri Subrata Das, Chief General Manager and Regional Director joined the Reserve Bank of India in the year 1991 as Direct Recruit Grade B and started his career from Kanpur Office. He possesses a Master's Degree in Analytical and Applied Economics, he is a Law Graduate, completed CAIIB and also passed Hindi Pragya. Shri Subrata Das worked in various Offices in different departments like Issue Department, Banking, NCC, erstwhile DBOD, HRMD (Personnel & Administration) and also worked as Currency Officer.

He worked as Regional Director, Dehradun in his last posting before coming to Hyderabad. At present he is handling the affairs of both the States viz, Telangana & Andhra Pradesh as Regional Director.

निदेशकों के अन्य विवरण (यथा 31.03.2020)
OTHER PARTICULARS OF DIRECTORS (As on 31.03.2020)

क्र.सं. SR. No.	निदेशकों के नाम Name of Directors	श्रेणी (अध्यक्ष/ कार्यपालक/यथा गैर-कार्यपालक/ स्वतंत्र/नामिती Category (Chair- person/ Executive / Non-Executive/ independent/ Nominee)	बैंक के इक्विटी शेयरों की धारिता Holding of Bank's Equity shares	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तिथि Date of Appointment as Director	विशेषज्ञता का क्षेत्र Area of Expertise	अन्य कंपनियों में निदेशक पद Directorships of other Companies	बोर्ड समितियों के सदस्य* Member of Board Committees*	
							सदस्य Member	अध्यक्ष Chairman
1	श्री जी. पद्मनाभन Shri G. Padmanabhan	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष Non-Executive Chairman	-	14.08.2015	बैंकिंग Banking	1. हलडाइन ग्लास लि., Haldyn Glass Ltd 2. आदित्य बिरला सनलाईफ ट्रस्टी प्रा.लि. Aditya Birla sunlife Trustee Pvt. Ltd	1	1
2	श्री ए. के. दास Shri Atanu Kumar Das	कार्यपालक Executive	4750	20.01.2020	बैंकिंग Banking	1. जनरल इन्शुरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया General Insurance Corporation of India	2	1
3.	श्री सी.जी चैतन्य Shri C. G. Chaitanya	कार्यपालक Executive	10000	09.10.2017	बैंकिंग Banking	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि., India Infrastructure Finance Company Ltd.	4	0
4.	श्री पी आर राजगोपाल Shri P R Rajagopal	कार्यपालक Executive	-	18.03.2020	बैंकिंग Banking	-	2	0
5.	सुश्री दक्षिता दास Ms Dakshita Das	नामिती Nominee	-	13.07.2018	प्रशासन Administratin	1. जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया General Insurance Corporation of India 2. नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टीज लि. National Investment and Infrastructure Fund Trustee Ltd.	3	0
6.	श्री सुब्रत दास Shri Subrata Das	नामिती Nominee	-	13.08.2019	बैंकिंग Banking	-	1	-
7.	श्री डी. सरकार Shri D. Sarkar	स्वतंत्र Independent	500	25.10.2017	लेखा Accounting	1. विस्तारा आईटीसीएल (इंडिया) लि. Vistara ITCL (India) Ltd. 2. एसेट रिकन्स्ट्रक्शन क.(आई) लि. Asset Reconstruction Co (I) Ltd. 3. हिंदुजा लीलैंड फ़ाइनेंस लि. Hinduja Leyland Finance Ltd. 4. बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि. BOI Merchant Bankers Ltd 5. लर्निंग कर्व एडुटेक सोल्यूशंन (पी) लि. Learning Curve Edutech Solution (P) Ltd. 6. इनसेपशन ऍडवांइसर्स(पी)लि. Inception Advisors (P) Ltd. 7. ईजी होम फाइनेंस लि. Easy Home Finance Ltd. 8. इमामी लि. Emami Limited 9. जीओसीएल कार्प लि. GOCL Corp Ltd 10. आईडीएल एक्सप्लोसिव्स लि. IDL Explosives Ltd. 11. एचजीएचएल होल्डिंग्स लि. HGHL Holdings Ltd	3	3
8.	श्री डी. हरीश Shri D. Harish	स्वतंत्र Independent	1300	25.10.2017	मानव संसाधन Human Resources	-	1	-

* सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 की अनुसूची V के उपबंध सी के अनुपालन में, बैंक ने केवल लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक संबंध समिति की अध्यक्षता/सदस्यता पर विचार किया है।

* In compliance of Clause C of Schedule V of SEBI LODR Regulations 2015, the Bank has considered the Chairmanship/Membership of the Audit Committee and the Stakeholders' Relationship committee only.

बोर्ड की बैठकों का संचालन :

वित्तीय-वर्ष 2020 के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को बोर्ड की कुल 14 बैठकें आयोजित की गईं :

16.05.2019	23.05.2019	28.05.2019	27.06.2019	30.07.2019	08.08.2019
16.09.2019	01.11.2019	27.11.2019	21.01.2020	31.01.2020	18.02.2020
19.03.2020	30.03.2020				

वर्ष के दौरान, कारोबार समीक्षा समिति को भी बोर्ड में सम्मिलित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-2020 में बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

Conduct of Board Meetings:

During the FY 2020, 14 Board Meetings were held on the following dates:

During the year the Business Review Committee was also unified with the Board. Details of attendance of the Directors at the Board Meetings in FY 2019-2020 are as follows:

निदेशकों के नाम Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	दर्ज की गयी उपस्थिति Attendance Recorded	अवधि (से-तक) Period (From – To)
श्री जी. पदमनाभन Shri G. Padmanabhan	14	14	01.04.2019 to 31.03.2020
श्री अतनु कुमार दास Shri Atanu Kumar Das	14	14	01.04.2019 to 31.03.2020
श्री डी.मोहापात्रा Shri D. Mohapatra	04	04	01.04.2018 to 30.06.2019
श्री जी.जी.चैतन्य C. G. Chaitanya	14	14	01.04.2019 to 31.03.2020
श्री पी.आर. राजगोपाल Shri P R Rajagopal	02	02	18.03.2020 to 31.03.2020
श्री एन. दामोदरन Shri N Damodharan	09	09	01.04.2019 to 30.11.2019
सुश्री दक्षिता दास Ms Dakshita Das	14	04	01.04.2019 to 31.03.2020
श्री सुब्रत दास Shri Subrata Das	08	08	13.08.2019 to 31.03.2020
श्री एस.सी. मुर्मू Shri S C Murmu	06	04	26.04.2019 to 12.08.2019
सुश्री वेणी थापर Ms Veni Thapar	03	03	01.04.2019 to 20.06.2019
श्री डी. सरकार Shri D. Sarkar	14	14	01.04.2019 to 31.03.2020
श्री डी. हरीश Shri D. Harish	14	14	01.04.2019 to 31.03.2020

बोर्ड समितियां

कॉरपोरेट प्रशासन और जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रणनीतिक महत्व वाले विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देने हेतु बैंक के निदेशक मंडल ने निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड समितियां निम्नानुसार हैं :-

क्रम संख्या	समिति का नाम
1.	बोर्ड की प्रबंधन समिति
2.	बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति
3.	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
4.	शेयरधारक संबंध समिति
5.	शेयर अंतरण समिति
6.	जोखिम प्रबंधन हेतु निदेशकों की समिति

Board Committees

The Board of Directors of the Bank has constituted various committees of directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Government of India Guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Board Committees are as under:

Serial No.	Name of the Committee
1.	Management Committee of the Board
2.	Credit Approval Committee of the Board
3.	Audit Committee of the Board
4.	Stakeholders' Relationship Committee
5.	Share Transfer Committee
6.	Committee of Directors for Risk Management

क्रम संख्या	समिति का नाम
7.	ग्राहक सेवा हेतु निदेशकों की समिति
8.	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
9.	कारोबार समीक्षा समिति
10.	निवेश अनुमोदन समिति
11.	बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु समिति
12.	आईटी कार्यनीति एवं डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति
13.	पदोन्नति संबंधी निदेशकों की समिति
14.	बोर्ड की एचआर संबंधी संचालन समिति
15.	उच्च राशि एनपीए और हानि परिसंपत्तियों की निगरानी समिति
16.	इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति
17.	बोर्ड की स्वतंत्र निदेशकों की समिति
18.	अनुशासनिक कार्यवाही समिति
19.	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
20.	एमडी एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकों तथा महाप्रबंधकों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन संबंधी समिति

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति :

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। प्रबंधन समिति वित्तीय स्वीकृतियों, समझौतों/बट्टे खाते में डालने संबंधी प्रस्तावों, वाद/अपील दायर करने आदि के संबंध में बोर्ड को प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करती है। दिनांक 31.03.2020 तक इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, 2 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक और 2 अन्य निदेशकों सहित 6 सदस्य शामिल थे।

वित्तीय-वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 28 बैठकें हुईं :

Serial No.	Name of the Committee
7.	Committee of Directors for Customer Services
8.	Nomination and Remuneration Committee
9.	Business Review Council
10.	Investment Approval Committee
11.	Committee for Monitoring on Large Value Frauds
12.	IT Strategy and Digital Payment Promotion Committee
13.	Directors Promotion Committee
14.	Steering Committee of the Board on HR
15.	Committee for Monitoring High Value NPAs and Loss Assets
16.	Review Committee for Wilful Defaulters
17.	Independent Directors' Committee of the Board
18.	Disciplinary Proceeding Committee
19.	Corporate Social Responsibility Committee
20.	Committee for Performance Evaluation of MD&CEO, Executive Directors and General Managers

1. Management Committee of the Board:

The Management Committee of the Board is constituted as per the provisions of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provision) Scheme, 1970. The Management Committee exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals, etc. As on 31.03.2020, it comprised of 6 members consisting of the Managing Director and CEO, 2 Executive Directors, RBI Nominee Director and 2 other Directors.

The Management Committee of the Board met 28 times during the FY 2019-20 on the following dates:

23.04.2019	13.05.2019	28.05.2019	06.06.2019	19.06.2019	28.06.2019
17.07.2019	08.08.2019	26.08.2019	07.09.2019	16.09.2019	26.09.2019
22.10.2019	31.10.2019	13.11.2019	27.11.2019	29.11.2019	09.12.2019
20.12.2019	26.12.2019	10.01.2020	22.01.2020	07.02.2020	18.02.2020
28.02.2020	12.03.2020	19.03.2020	27.03.2020		

उपर्युक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का रिकार्ड निम्नानुसार है :
Attendance record of the members in the above meetings is shown below:

निदेशकों के नाम Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	कितनी बैठकों में उपस्थित Attendance Recorded	अवधि (से-तक) Period (From – To)
श्री अतनु कुमार दास Shri Atanu Kumar Das	28	26	01.04.2019 to 31.03.2020
श्री डी.मोहापात्रा Shri D. Mohapatra	06	06	01.04.2019 to 30.06.2019
श्री जी.जी.चैतन्य Shri C. G. Chaitanya	28	28	01.04.2019 to 31.03.2020
श्री पी.आर. राजगोपाल Shri P R Rajagopal	02	02	18.03.2020 to 31.03.2020

निदेशकों के नाम Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	कितनी बैठकों में उपस्थित Attendance Recorded	अवधि (से-तक) Period (From – To)
श्री अतनु कुमार दास Shri Atanu Kumar Das	28	26	01.04.2019 to 31.03.2020
श्री एन. दामोदरन Shri N Damodharan	17	17	01.04.2019 to 30.11.2019
श्री सुब्रत दास Shri Subrata Das	20	20	13.08.2019 to 31.03.2020
श्री एस.सी. मुर्मू Shri S C Murmu	07	05	26.04.2019 to 12.08.2019
श्रीमती आर. सेबास्टियन, Smt R Sebastian	01	00	01.04.2019 to 25.04.2019
श्री डी. सरकार Shri D. Sarkar	27	27	01.04.2019 to 31.03.2020
श्री डी. हरीश Shri D. Harish	27	25	01.04.2019 to 31.03.2020

2. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति:

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के पत्र संदर्भ सं.13/1/2006-बीओ.1 दिनांकित 31 जनवरी, 2012, द्वारा जारी निदेशों के अनुसार बैंक ने बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया है। यह ऋण अनुमोदन समिति हमारे बैंक के मामले में रु.600 करोड़ तक के किसी एकल ऋण प्रस्ताव के बारे में बोर्ड के अधिकारों का इस्तेमाल करेगी और ऐसी सीमाओं से अधिक एक्सपोज़र के मामलों पर प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, वित्त के प्रभारी महाप्रबंधक और जोखिम प्रबंधन के प्रभारी महाप्रबंधक और संबंधित ऋण के प्रभारी महाप्रबंधक इस समिति के सदस्य हैं। समिति की बैठकों की अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ करते हैं। वित्तीय-वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 18 बैठकें हुईं :

2. Credit Approval Committee of the Board:

In terms of the directions of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their communication reference No.13/1/2006-BO.1 dated 31st January 2012, the Bank has constituted the Credit Approval Committee of the Board. The Credit Approval Committee shall exercise the powers of the Board in respect of any single credit proposal upto Rs. 600 Crore in case of our Bank and in case of exposure exceeding such limits shall be considered by the Management Committee.

The members of the committee are the Managing Director & CEO, the Executive Directors, The General Manager in-charge of Finance and the General Manager in-charge of Risk Management and the General Manager in charge of Credit concerned. The committee meetings are being chaired by the Managing Director & CEO of the Bank. Credit Approval Committee of the Board met 18 times during the FY 2019-2020 on the following dates:

08.04.2019	10.05.2019	28.05.2019	28.06.2019	24.07.2019	02.08.2019
26.08.2019	06.09.2019	27.09.2019	18.11.2019	18.12.2019	30.12.2019
28.01.2020	10.02.2020	24.02.2020	11.03.2020	23.03.2020	31.03.2020

उपर्युक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड निम्नानुसार है :
Attendance record of the members in the above meetings is shown below:

निदेशकों के नाम Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	कितनी बैठकों में उपस्थित Attendance Recorded	अवधि (से-तक) Period (From – To)
श्री अतनु कुमार दास Shri Atanu Kumar Das	18	16	01.04.2019 to 31.03.2020
श्री डी.मोहापात्रा Shri D. Mohapatra	04	04	01.04.2019 to 30.06.2019
श्री जी.जी.चैतन्य Shri C. G. Chaitanya	18	18	01.04.2019 to 31.03.2020

निदेशकों के नाम Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	कितनी बैठकों में उपस्थित Attendance Recorded	अवधि (से-तक) Period (From – To)
श्री अतनु कुमार दास Shri Atanu Kumar Das	18	16	01.04.2019 to 31.03.2020
श्री पी.आर. राजगोपाल Shri P R Rajagopal	2	2	18.03.2020 to 31.03.2020
श्री एन. दामोदरन Shri N Damodharan	10	10	01.04.2019 to 30.11.2019

3. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति :

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। यह एसीबी दिशानिर्देश देती है तथा बैंक के संपूर्ण लेखापरीक्षा कार्य के परिचालन का निरीक्षण भी करती है।

लेखापरीक्षा समिति में 4 सदस्य हैं, अर्थात निरीक्षण और लेखापरीक्षा के प्रभारी कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक और 2 अन्य निदेशक। वित्तीय-वर्ष 2019-20 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की निम्नलिखित तारीखों को 12 बैठकें हुईं :

3. Audit Committee of the Board:

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction and also oversees the operation of the total audit function of the Bank.

The Audit Committee comprises of 4 members viz. Executive Director in charge of Inspection & Audit, Government Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and 2 other directors. During the FY 2019-20, the Audit Committee met 12 times on the following dates:

02.05.2019	16.05.2019	20.06.2019	30.07.2019	27.08.2019	05.09.2019
26.09.2019	01.11.2019	07.11.2019	22.01.2020	31.01.2020	19.03.2020

उपर्युक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का रिकार्ड निम्नानुसार है :

The attendance record of the members in the above meetings is shown below:

निदेशकों के नाम Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	कितनी बैठकों में उपस्थित Attendance Recorded	समय (से-तक) Period (From – To)
श्री जी. पद्मनाभन Shri G. Padmanabhan	12	12	01.04.2019 to 31.03.2020
श्रीमती वेणी थापर Ms Veni Thapar	03	03	01.04.2019 to 20.06.2019
श्री अतनु कुमार दास Shri Atanu Kumar Das	09	09	01.04.2019 to 19.01.2020
श्री सी.जी. चैतन्य Shri C. G. Chaitanya	12	10	01.04.2019 to 31.03.2020
श्री पी आर राजगोपाल Shri P R Rajagopal	01	01	18.03.2020 to 31.03.2020
श्री एन. दामोदरन Shri N. Damodharan	09	09	01.04.2019 to 30.11.2019
सुश्री दक्षिता दास Ms Dakshita Das	12	03	01.04.2019 to 31.03.2020
श्री सुब्रत दास Shri Subrata Das	08	08	13.08.2019 to 31.03.2020
श्री एस.सी. मुर्मू Shri S C Murmu	04	03	26.04.2019 to 12.08.2019

बोर्ड के निदेशकों के समक्ष स्वीकार किए जाने हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व बैंक के गैर-लेखा परीक्षित तिमाही परिणामों और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई।

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board prior to the placing before the Board of Directors for approval.

4. स्टेक होल्डर संबंध समिति :

सेबी-एलओडीआर विनियमन 2015 के विनियम 20 के प्रावधान के अनुरूप कॉर्पोरेट शासन पर सेबी के दिशानिर्देशों के अनुपालन में शेयरों के अंतरण, तुलन पत्र प्राप्त न होने, लाभांश प्राप्त न होने इत्यादि के संबंध में शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण हेतु स्टेकहोल्डर संबंध समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान निवेशकों से अबतक प्राप्त सभी शिकायतों/सदंर्भों का उत्तर दिया गया/निपटाया गया। संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद प्रायःसात दिनों के अंदर निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई की जाती हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशकगण और दो स्वतंत्र निदेशक हैं। श्री डी.सरकार, शेयरधारक निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं।

श्री राजीव भाटिया, कंपनी सचिव, इस उद्देश्य के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक को 8 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन सभी शिकायतों का निवारण किया गया है और दिनांक 31.03.2020 को एससीओआरईएस (SCORES) में कोई शिकायत लंबित नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की दिनांक 19.06.2019 को बैठक हुई। सदस्यों का उपस्थिति रिकार्ड निम्नानुसार है :

4. Stakeholders Relationship Committee:

In compliance of Regulation 20 of SEBI-LODR Regulations – 2015, Stakeholders' Relationship Committee, has been constituted, for redressal of the grievances of the shareholders/ investors with regard to the transfer of shares, non-receipt of Balance Sheet, non-receipt of dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied / redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Executive Directors and Two Independent Directors. It is headed by Shri D. Sarkar, Shareholder Director of the Bank.

Shri Rajeev Bhatia, Company Secretary, is the Compliance Officer of the Bank for this purpose.

During the year 2019-20, Bank has received 8 Complaints. All of these have been resolved and there are no pending complaints at SCORES as on 31.03.2020.

The Committee met on 19.06.2019 during the FY 2020. The attendance record of the members is shown below:

निदेशकों के नाम Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	कितनी बैठकों में उपस्थित Attendance Recorded	समय (से-तक) Period (From – To)
श्री डी.सरकार Shri D. Sarkar	1	1	01.04.2019 to 31.03.2020
श्री एन दामोदरन Shri N Damodharan	1	1	01.04.2019 to 31.03.2020
श्री अतनु कुमार दास Shri Atanu Kumar Das	1	1	01.04.2019 to 31.03.2020
श्री सी.जी चैतन्य Shri C. G. Chaitanya	1	1	01.04.2019 to 31.03.2020
श्री डी. हरीश Shri D. Harish	1	1	01.04.2019 to 31.03.2020

5. शेयर अंतरण समिति :

इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और दो अन्य निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 4 बैठकें हुईं :

5. Share Transfer Committee:

It comprises of Managing Director & CEO, Executive Directors and two other Directors. The Committee met 4 times during the FY 2019-2020 on the following dates:

28.05.2019	08.08.2019	26.12.2019	28.02.2020

6. जोखिम प्रबंधन के लिए निदेशकों की समिति :

इस समिति का गठन बैंक द्वारा लिए गए समस्त जोखिमों की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और दो अन्य निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 4 बैठकें हुईं :

6. Committee of Directors for Risk Management:

This committee was formed to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank. It comprises of Chairman, Managing Director & CEO, Executives Directors and three other directors. The committee met 4 times during the FY 2019-2020 on the following dates:

27.06.2019	16.09.2019	27.11.2019	21.01.2020

7. ग्राहक सेवा के लिए निदेशकों की समिति :

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप सितंबर 2004 में ग्राहक सेवा के लिए निदेशकों की समिति का गठन किया गया था। समिति का कार्य बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता अनवरत रूप से सुधार लाने की है और ग्राहक सेवा हेतु गठित स्थायी समिति (प्रधान कार्यालय में) के प्रदर्शन की समीक्षा करना है। इसमें प्रबंध निदेशक व सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक और अन्य दो निदेशक शामिल होते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 3 बैठकें हुईं :

7. Committee of Directors for Customer Service:

As per the RBI guidelines, the Customer Service Committee of the Board was formed in September 2004. The functions of the committee are to bring about improvement in the quality of customer service provided by the Bank on an ongoing basis and to review the performance of the Standing Committee on Customer Service (at the head office). It comprises of Managing Director & CEO, Executive Directors, GOI Nominee Director and two other directors. The committee met 3 times during the FY 2019- 2020 on the following dates:

20.06.2019	26.09.2019	20.12.2019

8. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के चयन के लिए व्यक्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रखे गए 'फिट एंड प्रोपर' मानदंड को पूरा करना होगा। इस समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71/मास्टर डायरेक्शन डीबीआर-एपीपीएल.नं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 के अनुसार किया गया है। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में 3 गैर-कार्यपालक निदेशक अर्थात् श्री डी. सरकार, श्री जी. पद्मनाभन, एवं श्री डी. हरीश शामिल हैं। चूंकि वर्ष 2019-20 में शेयरधारकों के मध्य निदेशकों का चयन नहीं हुआ था, इसलिए वर्ष के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं हुई। समिति की बैठक 15.06.2020 को समप्पन हुई (सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 26 मार्च, 2020 को इसकी तिथि बढ़ाकर 30.06.2020 कर दिया है)

8. Nomination and Remuneration Committee:

Under the provisions of Section 9 (3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Reserve Bank of India has laid down `Fit and Proper' criteria to be fulfilled by the persons to be elected as directors on the Boards of the Nationalised Banks. The committee was formed in terms of Reserve Bank of India Notification No. RBI/DBR/2019-20/71/ Master Direction DBR-Appl. No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019. The Nomination and Remuneration Committee consists of 3 Non-Executive Directors i.e. Shri D Sarkar, Shri G Padmanabhan, and Shri D Harish. As there was no election of directors amongst shareholders conducted during 2019-20, the committee did not met during the year. The committee met on 15.06.2020 (SEBI vide its circular dated March 26, 2020 extended its date to 30.06.2020)

9. कारोबार समीक्षा समिति :

नियामक कैलेण्डर मदों की आवधिक समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया था। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और अन्य दो निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान इस समिति की निम्नलिखित तारीखों पर बैठकें हुईं। उसके बाद, यह बोर्ड से जुड़ गई,

9. Business Review Committee:

The Committee was formed to review the regulatory calendar items periodically. This committee consisted of the Chairman, Managing Director & CEO, Executive Directors and two other Directors. During the FY 2019-2020, it met on following dates. After that it was unified with the Board.

02.05.2019	27.06.2019	08.08.2019	07.11.2019

10. निवेश अनुमोदन समिति :

निवेश संबंधित निर्णय लेने के लिए निवेश अनुमोदन समिति का गठन किया गया। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, महप्रबंधक - जोखिम प्रबंधन और महप्रबंधक - वित्त शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर इसकी बैठकें हुईं:

10. Investment Approval Committee:

The Investment Approval Committee was formed to take investment decisions. It consists of the Managing Director & CEO, Executive Directors, General Manager – Risk Management and General Manager – Finance. During the FY 2019- 2020 it met on the following dates:

09.04.2019	13.06.2019	28.06.2019	02.08.2019	06.09.2019	03.10.2019
18.11.2019	26.11.2019	03.12.2019	18.12.2019	30.12.2019	10.02.2020
31.03.2020					

11. बड़े मूल्य की धोखाधडियों की निगरानी हेतु समिति :

बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु समिति का गठन किया गया था। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और अन्य तीन निदेशक शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर इसकी बैठकें हुईं :

11. Committee for Monitoring of Large Value Frauds:

The Committee was formed to monitor large value frauds. This committee consist of the Chairman, Managing Director & CEO, Executive Directors and three other Directors. During the FY 2019-2020, it met on following dates:

06.06.2019	27.08.2019	10.12.2019	19.03.2020

12. आईटी कार्यनीति एवं डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति :

आई.टी.संबंधी कार्यनीतियों पर निर्णय लेने के लिए तथा आई.टी. परियोजनाओं के क्षेत्र में हुए विकास की निगरानी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में, यह समिति गठित की गई।इसमें अध्यक्ष,एमडी एवं सीईओ,कार्यपालक निदेशकगण, तथा अन्य दो गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं। वर्ष के दौरान इसे डिजीटल भुगतान संवर्धन समिति के साथ जोड़ दिया गया। वित्तीय-वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को इस समिति की बैठकें हुईं :

12. IT Strategy and Digital Payment Promotion Committee:

The committee was formed in compliance of guidelines issued by Reserve Bank of India to take decision on IT Strategies and to monitor the development in the area of IT Projects. IT Strategy Committee consists of Chairman, MD and CEO, Executive Directors, and two other Non-Executive Directors. During the year it was unified with Digital Payment Promotion committee. During the FY 2019-2020 it met on the following dates.

06.06.2019	27.06.2019	27.08.2019	16.09.2019	27.11.2019	18.02.2020

13. निदेशकों की पदोन्नति समिति :

इस समिति का गठन वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया। इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक शामिल होते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

13. Directors Promotion Committee:

The committee was formed on Ministry of Finance (DFS) Guidelines. It consist of Chairman, Managing Director & CEO and RBI Nomee Director. During the year 2019-20, this committee did not met.

14. बोर्ड की एचआर संबंधी संचालन समिति :

इस समिति का गठन एचआर संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए किया गया था। अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, सरकार द्वारा नामित निदेशक और अन्य एक निदेशक इस समिति के सदस्य होते हैं। **वित्तीय-वर्ष 2019-2020 के दौरान** निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें हुईं :

14. Steering Committee of the Board on HR:

The Committee was formed to consider the HR related matters. The Members of this committee are Chairman, Managing Director & CEO, Executive Directors, Govt. Nominee Director and one other directors. During the FY 2019-2020 it met on the following dates:

28.05.2019	27.08.2019	27.11.2019	21.01.2020

15. अत्यधिक बड़े मूल्य वाले एनपीए और हानि आस्तियां की निगरानी हेतु समिति :

समिति सबसे अधिक राशि वाले 30 एनपीए खातों में वसूली की निगरानी और उनकी समीक्षा के लिए गठित की गई। इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, सरकार द्वारा नामित निदेशक और संयोजक के रूप में महाप्रबंधक-वसूली विभाग शामिल होते हैं। वित्तीय-वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को इस समिति की बैठकें हुईं :

15. Committee for Monitoring High value NPAs and Loss Assets:

The Committee was formed to monitor recovery & review of top 30 NPAs. This committee consist of the Chairman, Managing Director & CEO, Executive Directors, Govt. Nominee Director and General Manager – Recovery Department as convener. During the FY 2019-2020, it met on following dates:

02.05.2019	06.06.2019	08.08.2019	22.10.2019	10.12.2019	18.02.2020

16. इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा अन्य दो गैर-कार्यपालक निदेशक इस समिति के सदस्य होते हैं। वित्तीय-वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को इस समिति की बैठकें हुईं :

16. Review Committee for Wilful Defaulters:

The Members of this committee are Managing Director & CEO and two other non-Executive Directors. During the FY 2019-2020 it met on the following dates:

20.06.2019	26.09.2019	20.12.2019	22.01.2020

17. बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की समिति :

दो शेयरधारक निदेशक इस समिति के सदस्य होते हैं। बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की समिति की बैठक 19.06.2019 को ही हुई।

17. Independent Directors' Committee:

The two Shareholder Directors are the members of this committee. The Independent Directors' Committee of the Board met on 19.06.2019

18. अनुशासनिक कार्यवाही समिति:

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, सरकार द्वारा नामित निदेशक, आरबीआई नामित निदेशक और अन्य एक गैर-कार्यपालक निदेशक इस समिति के सदस्य होते हैं। वित्तीय-वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें हुईं :

18. Disciplinary Proceedings Committee:

The Members of this committee are Managing Director & CEO, Govt. Nominee Director, RBI Nominee Director and one other Non-Executive Directors. During the FY 2019-2020 it met on the following dates:

20.06.2019	26.09.2019	20.12.2019	12.03.2020

19. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति:

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के अध्यक्ष हैं। कार्यपालक निदेशकगण और दो गैर-कार्यपालक निदेशक इस समिति के सदस्य हैं। निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें हुईं :

19. Corporate Social Responsibility Committee:

The Managing Director & CEO is the Chairman of the Committee. Executive Directors and two non-executive directors are members of this committee. The Committee met on following dates:

20.06.2019	16.09.2019	20.12.2019

20. एमडी एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकों एवं महाप्रबंधकों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन संबंधी समिति:

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के फाइल नं. 9/5/2009-आईआर दिनांक 30.08.2019 के निर्देशों के अनुसार इस समिति का गठन किया गया है। अध्यक्ष, सरकार द्वारा नामित निदेशक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक इस समिति के सदस्य होते हैं।

विगत वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

श्री जी. पद्मनाभन, अध्यक्ष, श्री दीनबंधु मोहापात्रा, एमडी व सीईओ, श्री एन. दामोदरन, श्री अतनु कुमार दास, श्री सी.जी. चैतन्य, श्री देवब्रत सरकार और श्री डी. हरीश दिनांक 27.06.2019 को आयोजित बैंक की विगत अर्थात तेईसवीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थित हुए।

शेयर अंतरण और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

शेयर अंतरण, लाभांश/ ब्याज का भुगतान और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी कार्यकलापों पर कार्रवाई हमारे पंजीयक एवं अंतरण एजेंट के कार्यालय में की जाती है। इनमें से किसी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायत/कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्नलिखित पते पर संपर्क करने का अनुरोध है :

इक्विटी शेयरों और डिबेंचर/बॉण्ड्स के लिए
बिगशेयर सर्विसेस प्रा. लि.
ईकाई : बैंक ऑफ इंडिया,
प्रथम तल, भारत टिन वर्क्स बिल्डिंग, वसंत ओसिस के सामने, मकवाना मार्ग, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059, फोन: 022-6263 8200, फैक्स: 022-6263 8299, Email: investor@bigshareonline.com

उपर्युक्त के अलावा, निवेशक निम्नलिखित पते पर बैंक के शेयर विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं:

स्टार हाउस, 8 वीं मंजिल, पूर्वी खण्ड, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला संकुल,
बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051,
फोन 022-66684444, फैक्स- 022-66684491,
ई-मेल : headoffice.share@bankofindia.co.in

20. Committee for Performance Evaluation of Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors and General Manager

This committee is constituted as per Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services directives F. No. 9/5/2009-IR dt. 30.08.2019. The Members of this committee are Chairman, Govt. Nominee Director and RBI Nominee Director.

Attendance of the Directors at the last Annual General Meeting:

Shri G Padmanabhan, Chairman, Shri Dinabandhu Mohapatra, MD & CEO, Shri N. Damodharan, Shri Atanu Kumar Das, Shri C G Chaitanya, Shri Debabrata Sarkar and Shri D Harish attended the last Annual General Meeting i.e. Twenty Third Annual General Meeting of the Bank held on 27.06.2019.

Share Transfers and Redressal of Shareholders`/Investors` Grievances:

Share Transfers, Dividend / Interest Payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgement of any of these documents and for queries/complaints/grievances, shareholders and investors are requested to contact:

For Equity Shares and Debentures/ Bonds:
Bigshare Services Pvt. Ltd.,
Unit: Bank of India,
1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis,
Makwana Road, Marol, Andheri (East), Mumbai-400 059,
Phone: 022 – 6263 8200, Fax: 022 – 6263 8299
Email: investor@bigshareonline.com

Apart from the above, investors may also contact the Bank at its Investor Relations Cell at:

Star House, 8th Floor, East Wing, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051,
Phone: 022 – 6668 4444, Fax: 022 - 6668 4491,
E-mail: headoffice.share@bankofindia.co.in.

आम सभा की बैठकें :
General Body Meetings:

क्र.सं. Sr. No.	बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	विशेष संकल्प Special Resolution
1	पोस्टल बैलेट Postal Ballot	16.01.2020		1. विभिन्न प्रकार के माध्यमों से इक्विटी शेयर जारी करने हेतु बहुप्रयोजन अनुमोदन। 2. बॉण्ड्स जारी करने के लिए बहुप्रयोजन अनुमोदन। 1. Omnibus approval for issue of Equity Shares through various modes 2. Omnibus approval for issue of bonds.
2	तेईसवीं वार्षिक आम बैठक Twenty Third Annual General Meeting	27.06.2019 10.30 पूर्वाह्न A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम,स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई- 400 051 Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.	कुछ नहीं Nil
3	असाधारण आम बैठक Extra ordinary General Meeting	25.03.2019 11.00 पूर्वाह्न A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई- 400 051 Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.	भारत सरकार को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना। Issue of Shares to Government of India on preferential basis
4	पोस्टल बैलेट Postal Ballot	15.02.2019		1. भारत सरकार को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना। 2. विभिन्न प्रकार के माध्यमों से इक्विटी शेयर जारी करने हेतु बहुप्रयोजन अनुमोदन। 3. बॉण्ड्स जारी करने के लिए बहुप्रयोजन अनुमोदन। 1. Issue of Shares to Government of India on preferential basis. 2. Omnibus approval for issue of Equity Shares through various modes 3. Omnibus approval for issue of bonds.
5	असाधारण आम बैठक Extra ordinary General Meeting	04.09.2018 10.30 पूर्वाह्न A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम,स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई- 400 051 Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.	ईएसपीएस के अंतर्गत बैंक के स्टाफ सदस्यों एवं बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को शेयर जारी करना। Issue of Shares to Staff Members of the Bank and Whole Time Directors of the Bank under ESPS
6.	बाइसवीं वार्षिक आम बैठक Twenty Second Annual General Meeting	13.07.2018 10.30 पूर्वाह्न A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम,स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई- 400 051 Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.	कुछ नहीं Nil
7.	असाधारण आम बैठक Extra ordinary General Meeting	20.02.2018 10.30 पूर्वाह्न A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम,स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई- 400 051 Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.	भारत सरकार को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना। Issue of Shares to Government of India on preferential basis

क्र.सं. Sr. No.	बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	विशेष संकल्प Special Resolution
8.	असाधारण आम बैठक Extra ordinary General Meeting	12.10.2017 10.15 पूर्वाह्न A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम,स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई- 400 051 Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.	बैंक के शेयरधारकों में से दो शेयरधारक निदेशकों का चुनाव। Election of two Shareholder directors amongst the shareholders of the Bank
9.	इक्कीसवीं वार्षिक आम बैठक Twenty First Annual General Meeting	11.07.2017 10.30 पूर्वाह्न A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम,स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई- 400 051 Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.	कुछ नहीं Nil

प्रकटन :

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 , बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के अंतर्गत बैंक शासित है। सेबी ने यह स्पष्ट किया है कि विनियम 15(2) के अंतर्गत सूचीबद्ध संस्थाएं जो कंपनियां नहीं किंतु कार्पोरेट निकाय हैं या कारपोरेट शासन प्रणाली के प्रावधानों के अन्य संविधियों के विनियम के अधीन है, जैसा कि कुछ विनियमों के तहत स्पष्ट किया गया है यह उस सीमा तक लागू होगा जहां उनके संबन्धित प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा संबंधित संविधि का उल्लंघन न हो रहा हो।

i) निदेशकों का पारिश्रमिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक अन्य निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा किसी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता है, बैठक शुल्क निम्नानुसार है :

बैठक :	बैठक के अनुसार राशि
1) बोर्ड बैठक में शामिल होने के लिए	: रु. 40,000/-
2) बोर्ड समिति की बैठक में शामिल होने के लिए	: रु. 20,000/-
3) बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करने के लिए	: रु. 10,000/- (उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त)
4) बोर्ड समिति की बैठक की अध्यक्षता हेतु	: रु. 5,000/- (उपर्युक्त (ख) के अतिरिक्त)

प्रतिवर्ष रु. 15 लाख की कुल अधिकतम सीमा के अधीन।

ii) महत्वपूर्ण संव्यवहारों और आर्थिक संबंधों का प्रकटन

बैंक कारोबार की सामान्य प्रकृति के अलावा बैंक ने कोई महत्वपूर्ण भौतिक संव्यवहार इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों आदि से नहीं किया है जिसका बैंक के हितों से कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास हो सकता हो। बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशक के बीच वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुए हैं।

बैंकिंग में यह सुस्थापित प्रथा है कि बोर्ड और बोर्ड की उप समितियों की उन चर्चाओं में निदेशक भाग नहीं लेते हैं जिनमें उनसे संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता हो।

Disclosures:

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. SEBI has clarified under Regulation 15 (2) that for listed entities which are not companies, but body corporates, or are subject to regulations under other statues the provisions of Corporate Governance, as specified under certain regulations shall apply to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines or directives issued by the relevant authorities.

i) Remuneration of Directors :

The remuneration of the Managing Director & CEO and Executive Directors is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the other directors except sitting fees which is as under:

Meeting		:	Amount per meeting
a)	For attending Board Meeting	:	Rs. 40,000/-
b)	For attending Meeting of Board Committee	:	Rs. 20,000/-
c)	For chairing Board meeting	:	Rs. 10,000 (in addition to (a) above)
d)	For chairing Meeting of Board Committee	:	Rs. 5,000/- (in addition to (b) above)

Subject to overall ceiling of Rs. 15 lakhs per annum.

ii) Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-a-vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.

iii) प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि

भारत सरकार ने अपनी राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 31 मार्च, 2019 से 6 अप्रैल, 2019 के माध्यम से बैंक की प्राधिकृत पूंजी रु. 3000 करोड़ से बढ़ाकर रु. 6000 करोड़ कर दी है।

iv) सार्वजनिक निर्गमों, अधिकार निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि की आगम राशियॉ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पूंजी को बढ़ाने के लिए बैंक ने निम्नलिखित इक्विटी शेयर जारी किए हैं :

आबंटन की तारीख	विवरण (निवेशक)	शेयरों/बॉन्डों की संख्या	प्रति शेयर मूल्य	राशि (रु. करोड़ में)
20.04.2019	भारत सरकार	51,76,33,928	89.60	4,638.00

पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सशक्त करने के लिए तथा बैंक की लंबी अवधि के स्रोतों को विकसित करने के लिए टियर-I पूंजी संवर्धित करने के प्राथमिक उद्देश्य से निधि बढ़ाई गई तथा इस उद्देश्य हेतु उसका उपयोग किया गया।

v) किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक पर पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

vi) सेबी एलओडीआर विनियमन-2015 के विनियम 40 (9) के अनुसार अंतरण करने, प्रेषण, उप विभाजन, समेकन, नवीनीकरण एवं प्रस्तुतीकरण के एक माह के भीतर इक्विटी शेयर्स के विनिमय के संबंध में जानकारी के साथ-साथ व्यावसायिक कंपनी सचिव से प्रत्येक छह माह में एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाता है। ये प्रमाण पत्र जारी किए जाने के 30 दिनों के भीतर बीएसई और एनएसई के वेब-पोर्टल, जहां शेयर सूचीबद्ध हैं, पर लोड किए जाते हैं।

vii) सेबी के परिपत्र सं. डी एवं सीसी/एफआईटीटीसी/सीआइआर-16 दिनांक 31 दिसंबर, 2002 की शर्तों के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ कुल प्रविष्ट इक्विटी शेयर पूंजी के समाधान एवं बैंक ऑफ़ इंडिया की कुल जारी/प्रदत्त इक्विटी पूंजी सहित प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किए जाने के प्रयोजन के साथ-साथ अभ्यासी कंपनी सचिव की फर्म के द्वारा तिमाही आधार पर एक कैपिटल रिपोर्ट का समाधान (reconciliation) किया जाता है। इस संबंध में जारी प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं एवं बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाते हैं जहां बैंक ऑफ़ इंडिया के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं।

viii) वर्तमान में बैंक का कोई महत्त्वपूर्ण अनुषंगी नहीं है।

ix) **स्वतंत्र निदेशकों की बैठक:- स्वतंत्र** निदेशकों की अलग बैठक 19.06.2019 को आयोजित की गयी थी।

x) **गैर-कार्यपालक निदेशकों का प्रशिक्षण:-** वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक की उद्योग प्रकृति एवं कारोबारी मॉडल से परिचय कराने के लिए निदेशकों को निम्नलिखित प्रशिक्षण प्रदान किया गया :

iii) Increase in Authorised Capital.

The Government of India vide their Gazette Notification dated March 31, 2019 to April 6, 2019 increased the authorised capital of the Bank from Rs 3000 crore Rs. 6000 crore.

iv) Proceeds from Public issues, Right issues, Preferential issues etc.

During the year under review, the Bank has raised the following capital by issue of Equity Shares:

Date of Allotment	Particulars (Investors)	Number of Shares/ Bonds	Price per Share	Amount (Rs. in Crore)
20.04.2019	Government of India	51,76,33,928	89.60	4,638.00

The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier-I Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long- term resources of the Bank and the same were utilised for the said purpose.

v) No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the year under review.

vi) As required under regulation 40(9) of the SEBI LODR Regulations-2015, a certificate is obtained every six months from a practising Company Secretary, with regard to, inter alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares within one month of the lodgement. The certificates are uploaded on the web portals of BSE and NSE, where the equity shares are listed, within 30 days of issuance.

vii) In terms of SEBI's circular No.D&CC/FITTC/CIR-16 dated December 31, 2002 a Reconciliation of Capital Audit is conducted on a quarterly basis by a firm of practising company secretaries, for the purpose of, inter alia, reconciliation of the total admitted equity share capital with the depositaries and in the physical form with the total issued/paid up equity capital of Bank of India. Certificate issued in this regard is placed before the Board of Directors and forwarded to BSE and NSE, where the equity shares of Bank of India are listed.

viii) At present the Bank does not have any material subsidiary.

ix) **Independent Directors Meeting:** The separate meeting of Independent Directors was held on 19.06.2019.

x) **Training of Non-Executive Directors:** During the year 2019-20 the Bank has provided the following training to Directors to familiarize them with the nature of industry and business mode of the Bank:

क्र. सं	तारीख	निदेशकों के नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम
1.	21-22 **नवम्बर,** 2019	**श्री सुब्रत दास**	आईपीई उसमानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	निदेशकों के लिए बोर्ड उन्मुख कार्यक्रम
2.	21-22 **नवम्बर**, 2019	**श्री डी. हरीश**	आईपीई उसमानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	निदेशकों के लिए बोर्ड उन्मुख कार्यक्रम
3.	21-22 **नवम्बर**, 2019	**श्री डी. सरकार**	आईपीई उसमानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	निदेशकों के लिए बोर्ड उन्मुख कार्यक्रम

xi) बैंक के वेबसाइट - https://www.bankofindia.co.in/codeconduct पर निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण संहिता प्रदर्शित की गई है।

xii) विसल ब्लोवर नीति को बैंक के बेवसाइट https://www.bankofindia.co.in/PageMenuDocs/POLICY.pdf पर प्रदर्शित किया गया है।

xiii) संबंधित नीति का लेनदेनः- संबंधित पक्ष लेनदेन को लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट की जाती है। संबंधित पक्ष के लेनदेन पर बैंक की नीति को बैंक के वेबसाइट https://www.bankofindia.co.in/SEBIPartyTransaction पर पोस्ट किया गया है। संबंधित पक्ष के लेनदेन का विस्तृत वर्णन एएस-18 के अंतर्गत है।

xiv) पारिश्रमिक नीति - प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अन्य स्टाफ सदस्यों के वेतन का निर्धारण भारतीय बैंक संघ के साथ हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार होता है।

संचार के साधन :

तिमाही तथा अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम (अलेखापरीक्षित किंतु सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अध्यधीन) तथा लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम इकॉनोमिक टाइम्स/बिज़नेस स्टैंडर्ड में अंग्रेजी में, मुंबई लक्षद्वीप में मराठी (क्षेत्रीय भाषा) में तथा बिज़नेस स्टैण्डर्ड/नवभारत टाइम्स/नवभारत में हिन्दी में प्रकाशित हुए। परिणाम को बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किया गया है। संस्थागत निवेशकों हेतु की गई प्रस्तुतियां भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

जैसा कि सेबी द्वारा अपेक्षित है तथा सूचीबद्ध करारनामे के अनुसार, बैंक ऑफ़ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज के अपने वेब पोर्टलों पर ऑनलाइन वित्तीय तथा अन्य सूचनाएं फ़ाइल करता है।

वित्तीय कैलेंडर : 1 अप्रैल, 2020 से

बैंक ऑफ़ इंडिया के वार्षिक लेखापरीक्षित खातों तथा लाभांश अनुशंसा पर चर्चा हेतु बोर्ड की बैठक	25.06.2020
24वीं वार्षिक आम बैठक का दिनांक, समय, स्थल	मंगलवार 11 अगस्त, 2020 सुबह 11:00 बजे. व्हिडीयो कॉन्फरन्सिंग या अन्य ऑडियो व्हिज्युअल साधन (OAVM) सुविधा के जरिए. बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय स्टार हाउस, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई-400 051
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	ईमेल के द्वारा
बही बंद करने की तिथि	05.08. 2020 से 11.08. 2020 (दोनो दिन सम्मलित)
प्रथम 3 तिमाहियों के अलेखापरीक्षित परिणाम पर विचार करने हेतु बोर्ड की बैठक	संबंधित तिमाही के 45 दिनों के भीतर।

Sr. No.	Date	Name of Directors	Name of Institute	Name of Course
1.	21-22 November 2019	Shri Subrata Das	IPE Osmania University, Hyderabad	Board Orientation Program for Directors
2.	21-22 November 2019	Shri D Harish	IPE Osmania University, Hyderabad	Board Orientation Program for Directors
3.	21-22 November 2019	Shri D Sarkar	IPE Osmania University, Hyderabad	Board Orientation Program for Directors

xi) Code of Conduct for Directors and Senior Management is posted on Bank's website – https://www.bankofindia.co.in/codeconduct

xii) Whistle Blower Policy is posted Bank's website – https://www.bankofindia.co.in/PageMenuDocs/POLICY.pdf

xiii) Related Policy transaction – The Related party transactions are reported to Audit Committee. The Bank's policy on Related Party transaction is posted Bank's website – https://www.bankofindia.co.in/SEBIPartyTransaction. The details of related party transactions are as detailed under AS-18.

xiv). Remuneration Policy - The remuneration of the Managing Director & CEO, Executive Directors is fixed by the Government of India. Salary of the other staff members is as per the tripartite agreement of the IBA.

Means of Communication:

The quarterly and half-yearly financial results (unaudited but subject to limited review by the Statutory Auditors) and audited Annual results were published in the Economic Times/ Business Standard/ in English, Mumbai Lakshadeep in Marathi (Regional language) and Business Standard/ Navbharat Times/Navbharat in Hindi. The results were also displayed on the Bank's website at **www.bankofindia.co.in.** The presentations made to institutional investors are also available on Bank's website.

As required by SEBI and in the Listing Regulations, Bank of India, files its financial and other information online on their web portals of the stock exchange.

Financial Calendar: From 1st April, 2020:

Board Meeting for considering Annual Audited Accounts of Bank of India and recommendation of dividend	25.06.2020
Date, Time, Venue of 24th AGM	Tuesday, 11th August, 2020. At 11.00 A.M. through Video Conferecing (VC) or other Audio Visual means (OVAS) facility at Bank of India, Head Office, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051
Posting of Annual Report	By Email
Book Closure dates	05.08.2020 to 11.08.2020
Board Meeting for considering Un-audited result for first 3 quarters	Within 45 days of the relevant quarter.

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण :

बैंक के शेयरों का दि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लि., और दि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. में सूचीकरण किया गया है। स्टॉक स्क्रिप कोड निम्नानुसार हैं :

दि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई)	532149/BANKINDIA
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. (एनएसई)	BANKINDIA EQ
आईएसआईएन नंबर	INE084A01016

उक्त दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

बैंक ने समय-समय पर वचनपत्रों/डिबेंचर्स (टियर I एवं II पूंजी) के रूप में अपरिवर्तनीय बॉंड जारी किये हैं। तत्संबंधी ब्यौरा निम्नानुसार है :

Listing on Stock Exchanges

The shares of the Bank are listed on The BSE Ltd. and The National Stock Exchange of India Limited. The stock scrip codes are as follows:

The BSE Ltd. (BSE)	532149/ BANKINDIA
National Stock Exchange of India Limited (NSE)	BANKINDIA EQ
ISIN Number	INE084A01016

Annual listing fee for 2020-21 has been paid to both of the stock exchanges.

The Bank has issued Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes / Debentures (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof are as under:

बैंक ऑफ़ इंडिया बाण्ड - टियर I एवं टियर II पूंजी स्थिति यथा 31.03.2020

BANK OF INDIA BOND – TIER I and TIER II CAPITAL POSITION AS ON 31.03.2020

क्र.सं. Sr. No.	निर्गम का विवरण	Particulars of the Issue	कुल मूल्य (रु. करोड़ में) Total Value (Rs. in Crores)	आईएसआईएन नं. ISIN No.
1.	9.05% आईपीडीआई बॉण्ड - श्रृंखला-VI	9.05% IPDI Bonds-Series VI	300.00	INE084A09225
2.	8.48% अपर टियर II श्रृंखला - VI	8.48% Upper Tier II Series –VI	1000.00	INE084A09217
3.	9.80% टियर II श्रृंखला X	9.80% Tier II Series X	1000.00	INE084A08037
4.	9.80% टियर II श्रृंखला XI	9.80% Tier II Series XI	500.00	INE084A08045
5.	8.52% टियर II श्रृंखला XII	8.52% Tier II Series XII	3000.00	INE084A08060
6.	8.57% टियर II श्रृंखला XIII	8.57% Tier II Series XIII	1500.00	INE084A08094
7.	8.00% टियर II श्रृंखला XIV	8.00% Tier-II Series XIV	1000.00	INE084A08110
	कुल	**TOTAL**	**8300.00**	

इन सभी बॉण्डों का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. में सूचीकरण किया गया है तथा बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान कर दिया है।

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd. and the Bank has paid the Annual listing fee for 2020-2021 to the Stock Exchange.

ऋण श्रेणी निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग):
Credit Ratings (Outlooks):

क्र.सं. Sr. No.	जारीकर्ता रेटिंग Issuer Rating	कॉर्पोरेट रेटिंग (लंबी/छोटी) Corporate Rating (Long/ Short)	कॉर्पोरेट प्रशासन रेटिंग Corporate Governance Rating	बैंक सावधि जमा Bank Fixed Deposit	आईपीडीआई बॉन्ड IPDI Bonds	टियर II बॉन्ड Tier II Bonds	जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposit
1.	मूडी की निवेशक सेवा Moody's Investor Service	Baa3/ P3 (स्थिर) (Stable)	-	-	-	-	-
2.	स्टैंडर्ड एण्ड पूअर (एस एंड पी) Standard & Poor (S&P)	BB+/ B (स्थिर) (Stable)	-	-	-	-	-
3.	फिच रेटिंग्स Fitch Ratings	BBB-/ F3 (स्थिर) (Stable)	-	-	-	-	-
4.	क्रिसिल लिमिटेड CRISIL Limited	-	-	-	AA+ (स्थिर) (Stable)	AA+ (स्थिर) (Stable)	A1+
5.	सीएआरई CARE	-	-	-	AA- (स्थिर) (Stable)	AA- (स्थिर) (Stable)	-
6.	आईसीआरए ICRA	-	CGR-2	MAA+ (स्थिर) (Stable)			
7.	ब्रिकवर्क रेटिंग Brickwork Ratings	-	-	-	AA (स्थिर) (Stable)	AA (स्थिर) (Stable)	-
8.	इंडिया रेटिंग India Rating	AA+ (नकारात्मक) (Negative)	-	-	-	AA+ (नकारात्मक) (Negative)	-

शेयरों का अमूर्तीकरण :

बैंक के शेयरों का लेन-देन अनिवार्य रूप से केवल अमूर्त (डीमैट) रूप में किया जाता है। बैंक ने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए दोनों निक्षेपागारों यथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) एवं केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया है।

दिनांक 31/03/2020 की स्थिति के अनुसार, शेयरधारकों द्वारा अमूर्त एवं मूर्त रूप से धारित शेयरों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

Dematerialisation of Shares:

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31/03/2020 are as under:

		शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरधारकों का % Shareholders in %	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारिता का % Shareholding %
एनएसडीएल	**NSDL**	124273	36.61	265164750	8.10
सीडीएसएल	**CDSL**	123333	36.34	2998025586	91.48
मूर्त	**Physical**	91825	27.05	13733014	0.42
कुल	**Total**	**339431**	**100.00**	**3276923350**	**100.00**

शेयरधारिता का पैटर्न यथा 31.03.2020 :
Shareholding Pattern as on 31.03.2020:

शेयरधारकों का वर्ग	Category of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या Number of Share-holders	शेयरों की संख्या of Shares	शेयरधारिता % % of Holding	लॉक इन के तहत शेयर Shares under Lock-in	लॉक इन के तहत शेयरों का % % of Shares under Lock-in
प्रवर्तक (केन्द्रीय सरकार)	Promoter(Government of India)	1	2919690866	89.10	2142176058	73.37
म्यूचुअल फंड	Mutual Funds	10	14181532	0.43	0	0.00
वित्तीय संस्थाएं/बैंक	Financial Institution/Bank	27	13917644	0.42	0	0.00
बीमा कंपनी	Insurance Company	23	156617565	4.78	0	0.00
कॉर्पोरेट निकाय	Bodies Corporate	1416	14426520	0.44	0	0.00
विदेशी वित्तीय संस्था निवेशक	Foreign Financial Institution Investor	45	19073716	0.58	0	0.00
भारतीय लोग	Indian public	335713	135530881	4.14	200	0.00
अन्य	Others	2196	3484626	0.11	0	0.00
कुल	**Total**	**339431**	**3276923350**	**100.00**	**2142176258**	**73.37**

एकल व्यक्तियों (जन सामान्य) की शेयरधारिता जिनके पास कुल शेयरों की संख्या का 1% से अधिक है :
Shareholding of persons (Public) holding more than 1% of the total number of shares:

शेयरधारक का नाम	Name of the Shareholder	शेयरों की संख्या Number of Shares	शेयरधारिता % % of Holding
भारतीय जीवन बीमा निगम	Life Insurance Corporation of India	14,95,47,565	4.56

शेयरधारिता का संवितरण यथा दिनांक 31 मार्च, 2020 :
Distribution of Shareholdings as on 31st March, 2020:

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	No. of Equity Shares held	फोलियो Folio		शेयर Shares	
		संख्या Nos.	प्रतिशत %age	संख्या Nos.	प्रतिशत %age
500 तक	Upto 500	2,89,314	85.23	3,79,57,765	1.16
501 से 1000	501 to 1000	20,094	5.92	1,55,31,297	0.47
1001 से 5000	1001 to 5000	27,518	8.11	6,18,53,271	1.89
5001 से 10000	5001 to 10000	1,821	0.54	1,31,55,157	0.40
10001 एवं उससे अधिक	10001 & Above	684	0.20	3,14,84,25,860	96.08
कुल	**Total**	3,39,431	100.00	3,27,69,23,350	100.00

शेयर मूल्य/मात्रा :

एनएसई में मासिक रूप से उच्च एवं निम्न भाव (कोटेशन) एवं शेयरों के लेन-देन की मात्रा निम्नानुसार है:-

Share Price/Volume:

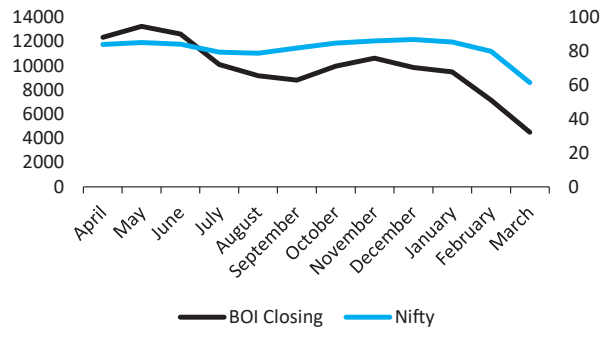
The monthly high and low quotation and the volume of Shares traded on NSE are as under:

अवधि	Period	अधिकतम रु. Highest Rs.	न्यूनतम रु. Lowest Rs.	लेनदेन किए गए शेयरों की मात्रा Volume of Share Traded
अप्रैल, 2019	April, 2019	108.15	87	147477747
मई, 2019	May, 2019	101.2	78.95	208818218
जून, 2019	June, 2019	98.5	81.9	135045796
जुलाई, 2019	July, 2019	96.4	69.8	231985874

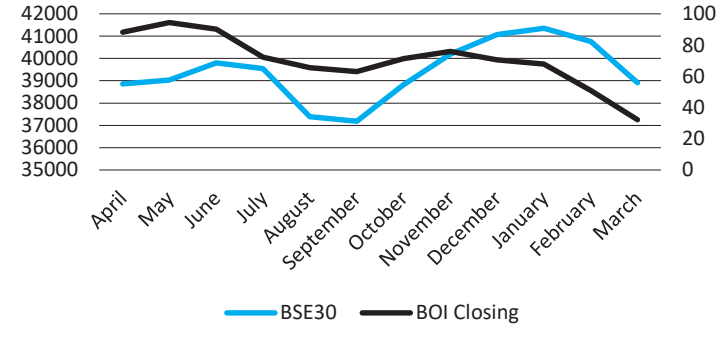
अवधि	Period	अधिकतम रु. Highest Rs.	न्यूनतम रु. Lowest Rs.	लेनदेन किए गए शेयरों की मात्रा Volume of Share Traded
अगस्त, 2019	August, 2019	71.95	61.4	167569576
सितम्बर, 2019	September, 2019	72.85	61.95	167863645
अक्टूबर, 2019	October, 2019	72.65	57.45	177002328
नवम्बर, 2019	November, 2019	79.8	63.9	252693754
दिसम्बर, 2019	December, 2019	76.5	65.85	57123254
जनवरी, 2020	January, 2020	71.75	65.15	39677521
फरवरी, 2020	February, 2020	68.85	50.3	25805571
मार्च, 2020	March, 2020	54.2	30.4	44739061
31.03.2020 को लेखा बंदी मूल्य	Closing Price as on 31.03.2020			32.25
बाजार पूंजीकरण	Market Capitalisation			रु. Rs. 10568 करोड़ Crore

व्यापक आधारित सूचियों (broad based indices) की तुलना में प्रदर्शन
Performance in comparison to Broad Based Indices:

एनएसई में बैंक ऑफ इंडिया का शेयर मूल्य
Bank of India Share Price on NSE



बीएसई में बैंक ऑफ इंडिया का शेयर मूल्य
Bank of India Share Price on BSE



अन्य अनुपालन :

1. स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेट शासन प्रणाली के अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन में कारोबारी कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है।
2. कंपनी सचिव से प्राय: इस आशय का प्रमाणपत्र कि निदेशक मण्डल के किसी भी निदेशक को कंपनी के निदेशक/ कॉर्पोरेट मामलों या ऐसी किसी वैधानिक स्वायत्तता द्वारा नियुक्त अथवा जारी रखे जाने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है.
3. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपार्ट:
 सेबी-एलओडीआर 2015 के विनियम 24A के अनुपालन में वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपार्ट (फॉर्म एम. आर-3) संलान है।
4. अनुषंगियों की वित्तीय स्थिति:
 सेबी-एलओडीआर 2015 के विनियम 46 (2) के अनुपालन में अनुपंगियों की लेखा-परीक्षित विवरणी हमारी वेबसाइट www.bankfinindia.co.in पर अपलोड कर दी गई है.

Other compliances:

1. The certificate issued by the practising company secretary, regarding compliance of mandatory stipulations of corporate governance in terms of the listing agreement with the Stock Exchange is attached.
2. A certificate from a Company Secretary in practice that none of the directors on the board of the company have been debarred or disqualifed from being appointed or continuing as directors of companies by the Board / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.
3. Secretarial Audit Report:
 In Compliance of Regulation 24A of SEBI LODR 2015. The Annual Secretarial Complince Report (Form MR 3) is enclosed.
4. Financial Statements of Subsidiaries:
 In Compliance of Regulation 46(2) of SEBI LODR 2015 the Audited Financial Statements of subsidiaries have been uploaded on our website i.e. www.bankofindia.co.in

अनिवार्य/गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन :

बैंक ने सेबी सूचीकरण विनियम - 2015 की अनुसूची II के भाग-ई की निम्नलिखित विवेकपूर्ण अपेक्षाओं (discretionary Requirements) का अनुपालन किया है :

Compliance of Mandatory / Non Mandatory Requirements:

The Bank has complied with the following Discretionary Requirement as mentioned under Part –E of Schedule II of SEBI Listing Regulations- 2015:

क्र.सं. Sr. No.	अपेक्षाएं जो अनिवार्य हैं Non Mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of implementation
1	**बोर्ड -** गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय को रखने का हकदार है। **The Board –** A Non-Executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the company's expenses	अध्यक्ष का पद गैर-कार्यपालक है और बैंक में उनका पृथक कार्यालय है। The Chairman's Position is a Non- Executive and he is having a separate office in the Bank.
2	**शेयरधारकों का अधिकार-** विगत छह महीनों की महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा शेयरधारकों को भेजी जा सकती है। **Shareholder's Rights-** A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six- months, may be sent to shareholders.	तिमाही/वर्ष में आज तक/वार्षिक वित्तीय विवरण एवं प्रमुख विशेषताएं एनएसई और बीएसई को भेजी जाती हैं और अखबारों में प्रकाशित की जाती हैं तथा बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती हैं। अतः शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना नहीं भेजी जाती है। The quarterly/year to date/ Annual Financial Results are sent to NSE & BSE & published in Newspapers and placed on Bank's website including highlights. As such, information to Shareholders is not sent individually.
3	**लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत** - सूचीबद्ध संस्था असंशोधित लेखापरीक्षा मत वाली वित्तीय विवरण की व्यवस्था का चयन कर सकती है। **Modified Opinion (s) in Audit Report** –The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरण असंशोधित लेखापरीक्षा मत के साथ हैं। The Bank's Annual Financial Statements are with unmodified audit opinion.
4	**अध्यक्ष एवं सीईओ के पृथक पद** - सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है। **Separate Posts of Chairperson and Chief Executive Officer.** The listed entity may appoint Separate persons to the post of Chairperson and Managing Director or Chief executive officer.	बैंक के पास यह पद है। The Bank is having this position.

आर. एस. पडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

कॉर्पोरेट शासन प्रणाली पर प्रमाणपत्र

सदस्यगण,

बैंक ऑफ़ इंडिया

स्टार हाऊस, सी-5, जी ब्लॉक

बांद्रा कुर्ला कॉप्लेक्स

बांद्रा (पूर्व),

मुंबई - 400 051.

हमने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड (स्टॉक एक्सचेंज) के साथ हुए सूचीकरण करार के तहत कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों, जिनका उल्लेख सेबी सूचीकरण बाध्यताएं एंव प्रकटन आवश्यकताएं विनियम, 2015 के विनियम 17-27 , 46 एवं अनुसूची V के प्रावधानों में किया गया है, के अनुपालन के प्रमाणीकरण के प्रयोजन से बैंक ऑफ इंडिया ("दी बैंक/कंपनी") के सभी संगत अभिलेखों की जांच की है ।

कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जांच कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली तथा उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी ।

यह प्रमाणत्र न तो भविष्य में बैंक की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक की दक्षता या प्रभावशीलता के संचालन से संबन्धित है ।

हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने ऊपर उल्लेख किए गए सेबी (एलओडीआर) 2015 में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों को पूरा किया है ।

कृते आर. एस. पडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनिक कोड: S2007MH094000)

हस्ता/-
सीएस राजश्री पाड़िया
एफसीएस : 6804
सीपी : 7488

स्थान : मुंबई
दिनांक 20 मई, 2020

R. S. PADIA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

The Members

Bank of India,

Star House, C-5, "G" Block,

Bandra Kurla Complex,

Bandra (East)

Mumbai – 400 051.

We have examined all relevant record of Bank of India ("the Bank/ Company") for the purpose of certifying compliances of conditions of Corporate Governance under the Regulation 17 to 27, 46 and Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 entered into with National Stock Exchange of India Ltd and BSE Limited (Stock Exchanges) for the Financial Year ended 31st March, 2020.

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was Limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliances of conditions of Corporate Governance.

This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in the above mentioned SEBI (LODR) 2015.

For R.S. Padia & Associates
Company Secretaries
(ICSI Unique Code: S2007MH094000)

Sd/-
CS Rajshree Padia
FCS: 6804
CP: 7488

Place: Mumbai
Date: 20th May,2020

निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाणपत्र

[सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) तथा अनुसूची V, अनुच्छेद सी, उपबंध (10)(i) के अनुसार]

यूडीआईएन : F005769B000201580

प्रति,

बैंक ऑफ़ इंडिया,

स्टार हाउस, सी-5, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,

बांद्रा(पूर्व), मुंबई-400 051

हमने बैंक ऑफ़ इंडिया, जिसका स्क्रिप्ट कोड (BANKINDIA।532149) तथा प्रधान कार्यालय, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 (इसके बाद इसे **'बैंक'** कहा जाएगा), है, से प्राप्त प्रासंगिक रिकॉर्ड, रिटर्न तथा प्रकटनों की जांच की है, जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) के साथ पठित अनुसूची V अनुच्छेद सी उपबंध 10(i) के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी करने के प्रयोजन से बैंक द्वारा हमारे समक्ष इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया गया था।

हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और यथा आवश्यक माने गए सत्यापनों एवं बैंक, और उसके अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम एतद्द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि नीचे बताये गए के अनुसार बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को 31 मार्च 2020 समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय, या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रखे जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्रं सं.	निदेशक का नाम	पद	बैंक में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री जी.पद्मनाभन	गैर-कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष	14 अगस्त, 2015
2.	श्री अतनु कुमार दास	कार्यपालक निदेशक - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	20 जनवरी, 2020
3.	श्री सी.जी.चैतन्य	कार्यपालक निदेशक	9 अक्टूबर, 2017
4.	श्री पी.आर. राजगोपाल	कार्यपालक निदेशक	18 मार्च,2020
5.	श्रीमती दक्षिता दास	गैर-कार्यपालक नामिति निदेशक	13 जुलाई,2018
6.	श्री सुब्रत दास	गैर-कार्यपालक नामिति निदेशक	13 अगस्त 2019
7.	श्री देवब्रत सरकार	गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष शेयरधारक निदेशक	25 अक्टूबर 2017
8.	श्री. डी. हरीश	गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक - शेयरधारक निदेशक	25 अक्टूबर 2017

नियुक्ति की पात्रता को सुनिश्चित करना/ बोर्ड में प्रत्येक निदेशक को जारी रखना, बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व है हमारे सत्यापन के आधार पर इन पर, विचार प्रकट करना। यह प्रमाणपत्र, भविष्य में न तो बैंक की व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता हेतु आश्वासन है जिससे प्रबंधन, बैंक संबंधी व्यवसाय करता है।

कृते प्रदीप पुरवार एवं एसोसिएट
कंपनी सचिव
विशिष्ट पहचान संख्या:
(S2003MH071600)
(पीआर: 599/2019)

हस्ता/-
प्रदीप कुमार पुरवार
प्रोपराइटर

एफ़सीएस सं. 5769
सीओपी सं. 5918

स्थान : ठाणे
दिनांक 5 मई, 2020

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10) (i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

UDIN: F005769B000201580

To,
Bank of India
Star House, C 5, G Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400 051

We have examined the relevant records, returns and disclosures received from Bank of India having Script Code (BANKINDIA | 532149) and having its head office at C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400 051 (hereinafter referred to as '**the Bank**'), produced to us by the Bank electronically for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C clause 10 (i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2020 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Sr. No.	Name of Director	Designation	Date of Appointment in the Bank
1.	Mr. G Padmanabhan	Non-Executive - Independent Director -Chairperson	14th August, 2015
2.	Mr. Atanu Kumar Das	Executive Director – Managing Director & Chief Executive Officer	20th January, 2020
3.	Mr. C G Chaitanya	Executive Director	9th October, 2017
4.	Mr. P R Rajagopal	Executive Director	18th March, 2020
5.	Mrs. Dakshita Das	Non-Executive - Nominee Director	13th July, 2018
6.	Mr. Subrata Das	Non-Executive - Nominee Director	13th August, 2019
7.	Mr. Debabrata Sarkar	Non-Executive - Independent Director -Shareholder Director	25th October, 2017
8.	Mr. D Harish	Non-Executive - Independent Director -Shareholder Director	25th October, 2017

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Pradeep Purwar & Associates
Company Secretaries
[Unique Identification No.:
S2003MH071600]
[PR: 599/2019]

Sd/-
Pradeep Kumar Purwar
Proprietor
FCS No. 5769
CoP No. 5918

Place: Thane
Date: May 5, 2020

Pradeep Purwar & Associates
Company Secretaries

सेवा में,
सदस्य गण,
स्टार हाउस, सीट5, 'जी' ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा(पूर्व), मुंबई-400 051

निर्धारित तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय रिकॉर्ड पर हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने उन लेखा कार्य प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की विषय-वस्तु की सटीकता के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने हेतु उपयुक्त हैं। सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य दर्शाए गए है यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया है। हमें विश्वास है कि पालन की गई प्रक्रियाएं एवं कार्य प्रणालियाँ हमारी राय हेतु तर्कसंगत आधार उपलब्ध कराती हैं।
3. हमने बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड और खाता बहियों की सटीकता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहाँ कहीं भी अपेक्षित था, हमने विधि, नियम एवं विनियम और घटनाओं आदि के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. बैंकिंग विनियम के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही उस क्षमता या प्रभावशीलता, जिससे प्रबंधन बैंक के कारोबार का संचालन करता है, का आश्वासन है।
7. आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रण सहित लेखा परीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण यह अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ महत्वपूर्ण गलत विवरण या महत्वपूर्ण गैर अनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता, भले ही लेखा परीक्षा उचित रूप से नियोजित और निष्पादित की गई हो।

कृते प्रदीप पुरवार एवं एसोसिएट
कंपनी सचिव
विशिष्ट पहचान संख्या:
(S2003MH071600)
(पीआर: 599/2019)

हस्ता/-
प्रदीप कुमार पुरवार
प्रोपराइटर
एफ़सीएस सं. 5769
सीओपी सं. 5918

स्थान : ठाणे
दिनांक 5 मई, 2020

To,
The Members,
Bank of India
Star House, C 5, G Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400 051

Our report of even date is to be read along with this letter:

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Bank.
4. Wherever required, we have obtained the Management Representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of provisions of Banking Regulations and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.
7. Due to inherent limitations of an audit including internal, financial and operating controls, there is an unavoidable risk that some material mis-statements or material non-compliances may not be detected, even though the audit was properly planned and performed.

For Pradeep Purwar & Associates
Company Secretaries
[Unique Identification No.:
S2003MH071600]
[PR: 599/2019]

Sd/-
Pradeep Kumar Purwar
Proprietor
FCS No. 5769
CoP No. 5918

Place: Thane
Date: May 5, 2020

फार्म संख्या एमआर-3

सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 24 ए के अनुसरण में]

यूडीआईएन: F005769B000266931

सेवा में,

सदस्य गण,

बैंक ऑफ़ इंडिया

हमने **बैंक ऑफ़ इंडिया** (इसके बाद इसे 'बैंक' कहा जायेगा) के द्वारा, लागू विधिक प्रावधानों तथा अच्छी कॉरपोरेट परिपाटी के अनुपालन की सचिवीय लेखा-परीक्षा की है। सचिवीय लेखा-परीक्षा इस प्रकार से की गयी कि हमें कॉरपोरेट परिचालन/विधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उसके संबंध में अपने मत को प्रकट करने का पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है।

सचिवीय लेखा-परीक्षा के दौरान बही, दस्तावेज, कार्यवृत्त बही, फॉर्म एवं दायर विवरणी तथा बैंक के द्वारा रखे गये अन्य दस्तावेजों के सत्यापन एवं बैंक, उसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के आधार पर भी, हम एतद्-द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार से, बैंक ने, 31 मार्च, 2020 की समाप्त वित्त वर्ष की लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित सूचीबद्ध विधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है। इसके अतिरिक्त हमारे मत में बैंक के पास उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन व्यवस्था भी स्थापित है। उक्त प्रक्रिया तथा व्यवस्था उस सीमा तक तथा उस प्रकार की है जैसा कि इसके बाद रिपोर्टिंग में प्रतिपादित किया गया है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक के द्वारा रखी गयी बही, दस्तावेजों, कार्यवृत्त बही, दायर विवरणी तथा फार्म एवं अन्य रिकॉर्ड का अध्ययन किया है :

i) कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बने नियम **(जिस सीमा तक लागू)**;

ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा इसके अंतर्गत बने नियम;

iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बने विनियम तथा उप विधि;

iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम:

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर तथा टेकओवर का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग पर निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी जारी करना तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2018;

(घ) क्लायंट से व्यवहार करने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यू तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट का रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 तथा

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

For the Financial Year ended 31st March, 2020

[Pursuant to Regulation 24A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

UDIN: F005769B000266931

To,
The Members,
Bank of India

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Bank of India (hereinafter called 'the Bank'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2020 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2020 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 and the rules made thereunder (to the extent applicable);

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):

(a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

(b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

(c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

(d) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding dealing with client; and

(e) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

v) चूँकि बैंक संसद के अधिनियम के अंतर्गत गठित कॉरपोरेट निकाय है, अतः बैंक के संबंध में लागू विशेष अधिनियम यथा - राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एंव अतिरिक्त प्रावधान) योजना, 1970 सहित बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (ञ्अधिनियमट), भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970

हमने निम्नलिखित लागू उपबन्धों के अनुपालन का भी अध्ययन किया है :

(क) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के द्वारा जारी सचीवीय मानक,

(ख) बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के साथ किये गये सूचीकरण संबंधी करार

(ग) बैंक ऑफ़ इंडिया शेयर एवं बैठक विनियम 2007

संबंधित वित्तीय वर्ष में रिपोर्ट के अंतर्गत निम्नलिखित अधिनियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के प्रावधान लागू नहीं थे : -

(क) भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत से बाहर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋण के संबंध में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बने तत्संबधी नियम एवं विनियम;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डेब्ट प्रतिभूतियों का जारीकरण एवं सूचीकरण) विनियम, 2008;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्वटी शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2009 तथा

(ड.) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाईबैक) विनियम, 1998

समीक्षा की अवधि के दौरान, रोटोमैक ग्रुप कंपनियों में धोखाधाड़ी पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश के अलावा बैंक ने आवश्यक सीमा तक सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बैंक का निदेशक मंडल, कार्यपालक निदेशकों, गैर कार्यपालक निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित है। समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल के संघटन में किए गए परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालनार्थ किए गए थे।

निदेशक मंडल की बैठकें निर्धारित करने हेतु सभी निदेशकों को यथोचित नोटिस दी जाती है, अधिकतर मामलों में कार्यसूची तथा कार्यसूची के संबंध में विस्तृत जानकारी अग्रिम रूप से प्रेषित की जाती है तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से पहले कार्यसूची की मदों के संबंध में अधिक जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने की व्यवस्था उपलब्ध है।

बहुमत से लिया गया निर्णय अंतिम होता है तथा सदस्यों के ऐसे कोई असहमतिपूर्ण विचार नहीं थे जिन्हें कार्यवृत्त में रखने तथा रिकार्ड करने की आवश्यकता थी।

(v) The Banking Regulation Act, 1949 ('the Act'), Reserve Bank of India Act, 1934 and The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 along with The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, being the special acts governing the Bank, since the Bank is a body corporate constituted under the Act of Parliament.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(a) The Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India, and

(b) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited.

(c) Bank of India Shares and Meeting Regulation 2007.

Provisions of the following Acts, Regulations and Guidelines were not applicable to the Bank under the financial year under report:

(a) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(b) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;

(c) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

(d) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; and

(e) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards etc. as mentioned above, to the extent applicable except the compliance of Reserve Bank of India's direction on Frauds' in Rotomac Group Companies.

We further report that the Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda are sent in advance in most cases and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through and there were no dissenting members' views which were required to be captured and recorded as part of the minutes.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा उसकी निगरानी हेतु, बैंक के आकार तथा परिचालन के अनुरूप, बैंक में उचित प्रणाली तथा प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरानः

(i) बैंक की प्राधिकृत शेयर पूँजी, वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग से प्राप्त अनुमोदन के माध्यम से, मौजूदा रुपया तीन हजार करोड़ से बढ़कर रुपया छः हजार करोड़ हो गयी जिसकी अधिसूचना दिनांक 29 मार्च 2019 को हुई तथा दिनांक 6 अप्रैल 2019 को इसे आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया गया।

(ii) नकद पर, भारत सरकार (प्रवर्तक) को प्रत्येक आई.एन.आर 10/- पर 51,76,33,928 इक्विटी शेयर आवंटित किये गये। यह आई.एन.आर 89.60 प्रति शेयर की एक्सरसाइज कीमत पर किये गये जिसमें आई.एन. आर 79.60 प्रति इक्विटी शेयर का प्रीमियम शामिल था तथा जिसकी कुल राशि आई.एन.आर 4,638 करोड़ थी। यह अधिमानी आधार पर यथा दिनांक 20 अप्रैल 2019 को किया गया।

(iii) 20 जून 2019 से प्रभावी होकर श्रीमती वेणी थापर, जो कि सनदी लेखाकार संवर्ग के अंतर्गत अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक तथा लेखा-परीक्षा समिति की अध्यक्ष थीं, वे बोर्ड की निदेशक तथा बैंक की लेखा-परीक्षा समिति की सदस्य नहीं रहीं।

iv) बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीनबंधु मोहापात्रा ने 30 जून 2019 को सेवानिवृत्त होने पर, अपने कार्यालय से पदत्याग कर दिया;

v) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 13 अगस्त, 2019 के माध्यम से श्री एस.सी. मुर्मू के स्थान पर तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेश तक केन्द्र सरकार द्वारा बैंक के बोर्ड में सरकारी नामिति निदेशक के रूप में श्री सुब्रत दास, मुख्य महाप्रबंधक, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया को नामित किया गया था;

(vi) दिनांक 26 अप्रैल 2019 के पत्र के माध्यम से श्रीमती आर. सेबस्टियन के स्थान पर तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेश तक बैंक के बोर्ड में सरकारी नामिति निदेशक के रूप में केन्द्र सरकार के द्वारा श्री एस.सी. मुर्मू को नामित किया गया।

vii) श्री एन. दामोदरन, कार्यपालक निदेशक ने 30 नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त होने पर अपने कार्यालय से पदत्याग कर दिया;

viii) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 20 जनवरी 2020 के माध्यम से बैंक के वर्तमान कार्यपालक निदेशक श्री अतनु कुमार दास को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है;

ix) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 18 मार्च 2020 के माध्यम से श्री पी. आर. राजगोपाल, कार्यपालक निदेशक, इलाहाबाद बैंक को बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 28 फरवरी 2022 तक या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो तक नियुक्त किया गया;

x) बैंक ने अपने कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया तथा 29 जुलाई 2019 को 'बीओआईअपर टियर II बान्ड्स सीरिज - III' बॉन्ड्स के बॉन्ड होल्डर को मूलधन तथा खंडित अवधि के ब्याज की चुकौती (अदायगी) की जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के डब्ल्यूडीएम में सूचीबद्ध किया गया था;

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period:

(i) The Authorized Share Capital of the Bank increased from the existing Rupees Three Thousand Crores to Rupees Six Thousand Crores vide approval received from the Ministry of Finance, Department of Financial Services vide its Notification dated 29th March, 2019 and the same was published in the Official Gazette on 6th April, 2019;

(ii) 51,76,33,928 Equity Shares of INR 10/- each were allotted to Government of India (Promoters) for cash at an exercise price of INR 89.60 per share including premium of INR 79.60 per equity share aggregating to INR 4,638 Crores on preferential basis on 20th April, 2019;

(iii) Mrs. Veni Thapar, Part Time Non-Official Director under Chartered Accountant category and Chairperson of the Audit Committee ceased to be a Director on the Board and Member of the Audit Committee of the Bank with effect from 20th June, 2019;

(iv) Mr. Dinabandhu Mohapatra, Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank, demitted his office with effect from 30th June, 2019 on attaining the age of Superannuation;

(v) Mr. Subrata Das, Chief General Manager, Reserve Bank of India was nominated by the Central Government as a Government Nominee Director on the Board of the Bank with immediate effect and until further orders vice Mr. S. C. Murmu, vide letter dated 13th August, 2019 issued by the Ministry of Finance.

(vi) Mr. S C Murmu was nominated by the Central Government as a Government Nominee Director on the Board of the Bank with immediate effect and until further orders vice Smt. R Sebastian vide letter dated 26.04.2019

(vii) Mr. N Damodharan, Executive Director demitted his office from 30th November 2019 on attaining the age of superannuation;

(viii) Mr. Atanu Kumar Das, present Executive Director of the Bank, was appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Bank for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier, vide letter dated 20th January, 2020 issued by the Ministry of Finance;

(ix) Mr. P. R. Rajagopal, Executive Director, Allahabad Bank, was appointed as the Executive Director on the Board of the Bank with effect from date of assumption of office till 28th February 2022, or until further orders, whichever is earlier, vide letter dated 18th March, 2020 issued by the Ministry of Finance;

(x) The Bank exercised its call option and made repayment of principal and broken period Interest to the Bond Holder of `BOI Upper Tier II Bonds Series-III' bonds on 29th July, 2019, which were listed on the WDM segment of the National Stock Exchange of India Limited;

xi) बैंक ने अपने कॉल आप्शन का प्रयोग किया तथा 28 अगस्त 2019 को 'बीओआईअपर टियर II बॉन्ड्स सीरिज - IV' बॉन्ड्स के बॉन्ड होल्डर को मूलधन तथा खंडित अवधि के ब्याज की चुकौती की जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के डब्ल्यूडीएम सेगमेंट में सूचीबद्ध किया गया था;

xii) बैंक ने अपने कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया तथा 9 दिसंबर 2019 को 'बीओआई9% आईडीपीआई बॉन्ड्स सीरिज - V' बॉन्ड्स के बॉन्ड होल्डर को मूलधन एवं खंडित अवधि के ब्याज की चुकौती की जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के डब्ल्यूडीएम सेगमेंट में सूचीबद्ध किया गया था;

xiii) बैंक ने अपने कॉल आप्शन का प्रयोग किया तथा 20 जनवरी 2020 को 'बीओआई8.54% अपर टियर II सीरिज - V' बॉन्ड्स के बॉन्ड होल्डर को मूलधन तथा खंडित अवधि के ब्याज की चुकौती की जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के डब्ल्यूडीएम सेगमेंट में सूचीबद्ध किया गया था;

xiv) श्री श्रीपद डी. एस. करारपुरकर, महाप्रबंधक 21 सितंबर 2019 को मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था;

xv) बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना) लिमिटेड, बैंक की एक विदेशी सहायक कंपनी 5 दिसंबर 2019 से बंद हो गई, जिसके फलस्वरूप नियामक को बैंकिंग लाइसेंस समर्पित करना पड़ा;

xvi) 6 दिसंबर 2019 को बैंक का निदेशक मण्डल:

- क्वालीफाइड संस्थागत प्लेसमेंट, पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट या उपयुक्त समय पर अनुमत अनुसार इश्यू के अन्य माध्यम से 125 इक्विटी शेयरों तक का अनुमोदन जारी करना;
- उचित समय पर एक या अधिक श्रंखला (Tranche) में रूपये दस हजार करोड़ की राशि तक इन प्रतिभूतियों को जारी करना (टियर-I, टियर-II बॉन्ड, अधिमानी शेयर) जो निजी प्लेसमेंट/पब्लिक इश्यू के आधार पर टियर-I तथा/या टियर-II पूंजी के लिए वर्गीकृत किया जा सकता है।

 तथा 16 जनवरी 2020 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से विशेष संकल्पों को पारित करके बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया:
- रु.10/- प्रति शेयर के 125 करोड़ तक नए इक्विटी शेयर जारी करके पूंजी बढ़ाना, प्रत्येक शेयर का निर्गम मूल्य सेबी (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है; और
- रुपये दस हजार करोड़ तक की राशि के लिए ऋण इन्स्ट्रूमेंट जारी करना, जो टियर-I तथा टियर-II पूंजी के लिए या अन्यथा वर्गीकृत हैं।

xvii) बैंक ने 15 जनवरी 2020 को इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में अपनी पूरी इक्विटी हिस्सेदारी 3.50% की ब्रिकी के लिए एक शेयर खरीद करार पर हस्ताक्षर किये ।

कृते प्रदीप पुरवार एवं एसोसिएट
कंपनी सचिव
विशिष्ट पहचान संख्या:
(S2003MH071600)
(पीआर: 599/2019)

हस्ता/-
प्रदीप कुमार पुरवार
प्रोपराइटर
एफ़सीएस सं. 5769
सीओपी सं. 5918

स्थान : ठाणे
दिनांक 21 मई, 2020.

(xi) The Bank exercised its call option and made repayment of principal and broken period Interest to the Bond Holder of `BOI Upper Tier II Bonds Series-IV' bonds on 28th August, 2019, which were listed on the WDM segment of the National Stock Exchange of India Limited;

(xii) The Bank exercised its call option and made repayment of principal and broken period Interest to the Bond Holder of `BOI 9% IPDI Bonds Series-V' bonds on 9th December, 2019, which were listed on the WDM segment of the National Stock Exchange of India Limited;

(xiii) The Bank exercised its call option and made repayment of principal and broken period Interest to the Bond Holder of `BOI 8.54% Upper Tier II Series-V' bonds on 20th January, 2020, which were listed on the WDM segment of the National Stock Exchange of India Limited;

(xiv) Mr. Sripad D. S. Carapurcar, General Manager was appointed as the Chief Risk Officer of the Bank on 21st September, 2019;

(xv) Bank of India (Botswana) Ltd ceased to be an overseas subsidiary of the Bank with effect from 5th December, 2019 consequent to surrender of the Banking license to the Regulator;

(xvi) The Board of Directors of the Bank on 6th December, 2019:

- approved issuance of upto 125 Equity Shares on through Qualified Institutional Placement, public issue, rights issue, private placement or such other mode of issue as permitted at an appropriate time;
- issuance of such securities (including Tier I, Tier II bonds, preference shares) which may be classified for Tier I and / or Tier II capital on private placement / public issue basis, in one or more tranches upto an amount of Rupees Ten Thousand Crores at an appropriate time.

 And approval of the shareholders of the Bank received by passing of Special Resolutions through Postal Ballot on 16th January, 2020 to:
- raise capital by issue of upto 125 Crore fresh Equity Shares of INR 10/- each at such issue price as may be determined in accordance with SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations. 2018; and
- issue debt instruments which classify for Tier – I and Tier – II capital or otherwise, for an amount upto Rupees Ten Thousand Crores.

(xvii) The Bank executed a Share Purchase Agreement for sale of its entire equity stake of 3.50% in Equifax Credit Information Services Private Limited on 15.01.2020 .

For Pradeep Purwar & Associates
Company Secretaries
[Unique Identification No.:
S2003MH071600]
[PR: 599/2019]
Sd/-
Pradeep Kumar Purwar
Proprietor
FCS No. 5769
CoP No. 5918

Place: Thane
Date: 21 May, 2020.

सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

प्रति,

निदेशक मंडल,

बैंक ऑफ़ इंडिया, मुंबई.

विषय : सेबी सूचीकरण विनियम-2015 के विनियम 17(8) तथा अनुसूची II भाग बी के अंतर्गत प्रमाणपत्र

एतद्-द्वारा हम प्रमाणित करते हैं कि :

(क) हमने संबंधित वर्ष (2019-20) की वित्तीय विवरणियों तथा नकद प्रवाह विवरणियों की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणियों में तात्विक रूप से कोई गलत विवरण नहीं दिया गया है या इनमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छोड़ा गया है या इसमें कोई ऐसे कथन नहीं हैं जो भ्रामक हों।

(ii) ये सभी विवरणियां कुल मिलाकर बैंक की गतिविधियों की सही और उचित स्थिति दर्शाती हैं और ये वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।

(ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है जो धोखाधड़ीपूर्ण हो, अवैध हो अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियम की स्थापना एवं रखरखाव की जिम्मेदारी और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना स्वीकार करते हैं और ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन अथवा डिजाइन में कमियों का प्रकटन, यदि कोई हो, लेखा-परीक्षक और लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष किया गया है जिसके बारे में हमें जानकारी है और इन कमियों को सुधारने के प्रयोजन से हमने कदम उठाए हैं या कदम उठाया जाना प्रस्तावित है।

(घ) हमने लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समितियों को यह सूचित किया है :

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में किया गया है; तथा

(iii) ऐसी किसी बड़ी धोखाधड़ी की हमें जानकारी मिली हो तथा जिसमें प्रबंधन अथवा कोई कर्मचारी शामिल हो जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका हो।

कृते बैंक ऑफ इंडिया

हस्ता/- हस्ता/-

(के. वी. राघवेन्द्र) **(ए. के. दास)**

मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई दिनांक : 25 जून, 2020

CEO / CFO CERTIFICATE

To

The Board of Directors,

Bank of India, Mumbai.

Re: Certificate Under Regulation 17(8) and Schedule II Part B of SEBI Listing Regulations-2015

This is to certify that

(a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year (2019-20) and that to the best of our knowledge and belief

(i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading

(ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we were aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee –

(i) significant changes in internal control over financial reporting during the year

(ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Bank of India

Sd/- Sd/-

(K V Raghavendra) **(A K Das)**

Chief Financial Officer Managing Director & CEO

Place : Mumbai Date: 25.06.2020

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा घोषणा

बैंक ने सभी निदेशकों और कोर प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की है, जिसका टेक्स्ट बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। निदेशकों एवं कोर प्रबंधन ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इस आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ता/- हस्ता/-

(के. वी. राघवेन्द्र) **(ए. के. दास)**

मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई दिनांक : 25 जून, 2020

DECLARATION BY CEO

Bank has laid down a Code of Conduct for all the directors and Core Management of the Bank, the text of which is posted on the Bank's website. The Directors and Core Management has affirmed compliance with the Code of conduct for the financial year ended 31st March, 2020.

Sd/- Sd/-

(K V Raghavendra) **(A K Das)**

Chief Financial Officer Managing Director & CEO

Place : Mumbai Date: 25.06.2020

NOTES

बैंक ऑफ़ इंडिया

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2020

एवं

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु

लाभ एवं हानि खाता

BANK OF INDIA

BALANCE SHEET

As at 31st March, 2020

&

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

For the Year Ended 31st March, 2020

तुलन पत्र यथा 31 मार्च 2020

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2020

(000' छोड़े गए है) (000's Omitted)

	विवरण		Particulars	अनुसूची Schedule No	यथा As at 31-03-2020 ₹	यथा As at 31-03-2019 ₹
I.	पूंजी और देयताएं	I.	CAPITAL AND LIABILITIES			
	पूंजी		Capital	1	**32,776,625**	27,600,285
	आरक्षिती एवं अधिशेष		Reserves & Surplus	2	**405,386,540**	389,211,250
	शेयर आवेदन रकम, जो आबंटन हेतु लंबित है		Share Application Money, pending allotment		**-**	46,380,000
	जमाराशियां		Deposits	3	**5,555,049,786**	5,208,623,485
	उधार		Borrowings	4	**397,524,659**	442,411,678
	अन्य देयताएं एवं प्रावधान		Other Liabilities and Provisions	5	**179,217,207**	138,001,739
	कुल		**TOTAL**		**6,569,954,817**	**6,252,228,437**
II.	**आस्तियां**	II.	ASSETS			
	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष		Cash and balances with Reserve Bank of India	6	**292,392,508**	292,365,626
	बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		Balances with Banks and money at call and short notice	7	**572,170,546**	655,749,238
	निवेश		Investments	8	**1,585,729,874**	1,476,390,350
	अग्रिम		Advances	9	**3,688,833,041**	3,410,059,443
	अचल आस्तियां		Fixed Assets	10	**89,819,999**	89,200,364
	अन्य आस्तियां		Other Assets	11	**341,008,849**	328,463,416
	कुल		**TOTAL**		**6,569,954,817**	**6,252,228,437**
	आकस्मिक देयताएं		Contingent Liabilities	12	**3,523,099,081**	3,113,092,079
	वसूली के लिए बिल		Bills for Collection		**250,562,509**	285,003,999

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.
तुलन-पत्र, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'ए' के अनुसार तैयार किया गया है।
The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form `A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

के.वी.राघवेन्द्र	**पी.आर.राजगोपाल**	**सी.जी.चैतन्य**	**ए.के.दास**	**जी पद्मनाभन**
K.V. Raghavendra	**P R Rajagopal**	**C.G.Chaitanya**	**A.K. Das**	**G Padmanabhan**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	अध्यक्ष
Chief Financial Officer	Executive Director	Executive Director	Managing Director & CEO	Chairman

निदेशक DIRECTORS

दक्षिता दास	**सुब्रत दास**	**डी सरकार**	**डी हरीश**
Dakshita Das	**Subrata Das**	**D Sarkar**	**D Harish**

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एनबीएस एण्ड कं.	कृते बंशी जैन एण्ड एसोशिएटस	**कृते चतुर्वेदी एंड कं.**
For NBS. & Co.	For Banshi Jain & Associates	For Chaturvedi & Co
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 110100W) (FRN 110100W)	(एफआरएन 100990W) (FRN 100990W)	(एफ़आरएन 302137E) (FRN302137E)
शरत शेट्टी Sharath Shetty	विशाल शेठ Vishal Sheth	आर.के.नंदा R.K.Nanda
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
सदस्यता सं. 132775 M. No. 132775	सदस्यता सं 121170 M. No. 121170	सदस्यता सं. 510574 M. No. 510574

स्थान: मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक 25.06.2020 / Date : 25th June, 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2020

(000' छोड़े गए है) (000's Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	को समाप्त वर्ष For the year ended 31-03-2020 ₹	को समाप्त वर्ष For the year ended 31-03-2019 ₹
I. आय	I. INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest earned	13	**423,532,668**	407,678,113
अन्य आय	Other income	14	**67,130,741**	46,588,883
कुल	**TOTAL**		**490,663,409**	**454,266,996**
II. व्यय	II. EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	**270,962,884**	271,101,410
परिचालनगत व्यय	Operating expenses	16	**104,514,011**	102,243,485
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions and Contingencies		**144,755,376**	136,391,105
कुल	**TOTAL**		**520,232,271**	**509,736,000**
III. लाभ	III. PROFIT			
अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि)	Net Profit/(Loss) for the period		**(29,568,862)**	(55,469,005)
घटाएं: विशेष मद	Less: Extra ordinary Item			
जोड़े: अग्रानीत लाभ	Add: Profit brought forward		**(205,827,390)**	(149,623,085)
कुल	**TOTAL**		**(235,396,252)**	**(205,092,090)**
IV. विनियोग	IV. APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		**-**	-
निवेश घट-बढ़ आरक्षितियों से अंतरण	Transfer from Investment Fluctuation Reserve		**-**	-
राजस्व आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Revenue Reserve		**-**	-
पूंजी आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		**2,427,630**	735,300
राजस्व और अन्य आरक्षिति से अंतरण	Transfer from Revenue & Other Reserves		**-**	-
अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Final Dividend (including dividend tax)		**-**	-
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act,1961		**-**	-
लाभ एवं हानि खाते में शेष	Balance in Profit and Loss Account		**(237,823,882)**	(205,827,390)
कुल	**TOTAL**		**(235,396,252)**	**(205,092,090)**
महत्वपूर्ण लेखांकन नितियां	Significant accounting policies	17		
लेखे पर नोट	Notes to Accounts	18		
प्रति शेयर अर्जन (आधार एवं तनुकृत)	Earnings Per Share (Basic and Diluted)		**(9.10)**	(29.79)

ऊपर बताई गई अनुसूचियां लाभ-हानि खाते का अभिन्न अंग हैं।

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.

लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'बी' के अनुसार तैयार किया गया है।

The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form 'B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

के.वी.राघवेन्द्र	पी.आर.राजगोपाल	सी.जी.चैतन्य	ए.के.दास	जी पद्मनाभन
K.V. Raghavendra	**P R Rajagopal**	**C.G.Chaitanya**	**A.K. Das**	**G Padmanabhan**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	अध्यक्ष
Chief Financial Officer	Executive Director	Executive Director	Managing Director & CEO	Chairman

निदेशक DIRECTORS

दक्षिता दास	सुब्रत दास	डी सरकार	डी हरीश
Dakshita Das	**Subrata Das**	**D Sarkar**	**D Harish**

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एनबीएस एण्ड कं.
For NBS. & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 110100W) (FRN 110100W)
शरत शेट्टी Sharath Shetty
भागीदार Partner
सदस्यता सं. 132775 M. No. 132775

कृते बंशी जैन एण्ड एसोशिएटस
For Banshi Jain & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100990W) (FRN 100990W)
विशाल शेठ Vishal Sheth
भागीदार Partner
सदस्यता सं 121170 M. No. 121170

कृते चतुर्वेदी एंड कं.
For Chaturvedi & Co
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 302137E) (FRN302137E)
आर.के.नंदा R.K.Nanda
भागीदार Partner
सदस्यता सं. 510574 M. No. 510574

स्थान: मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक 25.06.2020 / Date : 25th June, 2020

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकदी प्रवाह का विवरण

Statement of Standalone Cash Flow for the year ended 31st March, 2020

(₹ in '000)

विवरण	Particulars		वर्षान्त/ Year ended 31.03.2020	वर्षान्त/ Year ended 31.03.2019
क. परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	**A.**	**Cash Flow from Operating Activities:**		
कर पूर्व निवल लाभ		**Net Profit before taxes**	(46,027,225)	(87,134,074)
निम्नलिखित के लिए समायोजन :		**Adjustments for:**		
निवेशों पर परिशोधन/मूल्यह्रास		Amortisation/Depreciation on Investments	6,401,160	13,904,597
संयुक्त उद्यम एवं अनुषंगी में निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ		Profit on sale /redemption of investments in Joint Venture and Subsidiary	-	-
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on Fixed Assets	3,847,777	3,666,741
आस्तियों की बिक्री पर लाभ		Profit on sale of Fixed Asset	(466,672)	(4,302,226)
एन.पी.ए के लिए प्रावधान		Provision for NPA	144,153,945	157,696,534
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Standard Assets	8,586,322	1,263,172
अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Other Assets	5,054,312	(1,545,929)
गौण बॉण्ड/आईपीडीआई, अपर टियर II, बॉण्ड पर ब्याज के लिए भुगतान / प्रावधान		Payment / Provision for Interest on Subordinated Bonds, IPDI, Upper Tier II Bonds	8,458,195	10,151,050
प्राप्त लाभांश		Dividend received	(227,329)	(178,444)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		**Adjustments for:**		
जमाराशियों में बढ़ /(घट)		Increase /(Decrease) in Deposits	346,426,301	79,702
उधार में बढ़ /(घट)		Increase /(Decrease) in Borrowings	(21,637,019)	70,523,925
अन्य देयताओं और प्रावधानों में बढ़/(घट)		Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	31,159,494	45,078,719
निवेश में (बढ़)/घट		(Increase) / Decrease in Investments	(115,519,590)	(119,183,825)
अग्रिमों में (बढ़)/घट		(Increase)/ Decrease in Advances	(422,927,543)	(153,954,111)
अन्य आस्तियों में (बढ़)/घट		(Increase) / Decrease in Other Assets	12,915,991	5,880,368
प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी		Direct Taxes (Paid)/Refund	(8,537,405)	(33,861,562)
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**Net Cash Flow from Operating Activities (A)**	(48,339,286)	(91,915,363)
ख. निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह:	**B.**	**Cash Flow from Investing Activities:**		
अचल आस्तियों की खरीद		Purchase of Fixed Assets	(9,560,455)	(2,865,923)
अचल आस्तियों की बिक्री		Sale of Fixed Assets	6,049,891	4,195,650
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में अतिरिक्त निवेश		Additional investment in Subsidiaries/Joint Ventures/ Associates	(221,094)	-
प्राप्त लाभांश		Dividend received	227,329	178,444
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**Net Cash Flow from Investing Activities (B)**	(3,504,329)	1,508,171
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:	**C.**	**Cash Flow from Financing Activities:**		
शेयर पूंजी		Share Capital	5,176,339	10,163,111
शेयर प्रीमियम		Share Premium	41,203,661	97,304,903
शेयर आवेदन		Share Application	(46,380,000)	46,380,000
आईपीडीआई, गौण बॉण्ड, अपर टियर II बॉण्ड (निवल)		IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds (Net)	(23,250,000)	(64,000,000)
लाभांश (अंतरिम एवं अंतिम) भुगतान		Dividend (Interim & Final) paid	-	-
आई.पी.डी.आई, गौण बॉण्ड, अपर टियर II बॉण्ड पर ब्याज भुगतान		Interest Paid on IPDI, Subordinated Bonds, Upper Tier II Bonds	(8,458,195)	(10,151,050)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**Net Cash Flow from Financing Activities (C)**	**(31,708,195)**	**79,696,964**
नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग)		**Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)**	**(83,551,810)**	**(10,710,228)**
वर्ष के आरंभ में नकद और नकदी समतुल्य		**Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year**	**948,114,864**	**958,825,092**
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य		**Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**	**864,563,054**	**948,114,864**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकदी प्रवाह का विवरण

Statement of Standalone Cash Flow for the year ended 31st March, 2020 (Contd.)

विवरण	Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31.03.2020	वर्षान्त/ Year ended 31.03.2019
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य का समाधान	**Reconciliation of Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष (अनुसूची 6)	Cash and balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	292,392,508	292,365,626
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि (अनुसूची 7)	Balances with Banks and money at call and short notice (Schedule 7)	572,170,546	655,749,238
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य	**Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**	**864,563,054**	**948,114,864**

नकदी प्रवाह विवरणी के अनुसार नकद एवं नकद समतुल्य में हाथ में नकदी, एटीएम में, आरबीआई एवं अन्य बैंकों में शेष (जमाराशियां सहित) और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि जिसे तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सके, शामिल हैं।

Cash and cash equivalent as per cash flow statement comprises of cash in hand, in ATM, balances in current account with RBI and other Banks (including deposits) and money at call and short notice which can be readily convertible into cash.

के.वी.राघवेन्द्र	पी.आर.राजगोपाल	सी.जी.चैतन्य	ए.के.दास	जी पद्मनाभन
K.V. Raghavendra	**P R Rajagopal**	**C.G.Chaitanya**	**A.K. Das**	**G Padmanabhan**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	अध्यक्ष
Chief Financial Officer	Executive Director	Executive Director	Managing Director & CEO	Chairman

निदेशक DIRECTORS

दक्षिता दास	सुब्रत दास	डी सरकार	डी हरीश
Dakshita Das	**Subrata Das**	**D Sarkar**	**D Harish**

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एनबीएस एण्ड कं.
For NBS. & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 110100W) (FRN 110100W)
शरत शेट्टी Sharath Shetty
भागीदार Partner
सदस्यता सं. 132775 M. No. 132775

कृते बंशी जैन एण्ड एसोशिएटस
For Banshi Jain & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100990W) (FRN 100990W)
विशाल शेठ Vishal Sheth
भागीदार Partner
सदस्यता सं 121170 M. No. 121170

कृते चतुर्वेदी एंड कं.
For Chaturvedi & Co
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफ़आरएन 302137E) (FRN302137E)
आर.के.नंदा R.K.Nanda
भागीदार Partner
सदस्यता सं. 510574 M. No. 510574

स्थान: मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक 25.06.2020 / Date : 25th June, 2020

तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000' छोड़े गए है) (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2020 ₹	यथा As at 31-03-2019 ₹
अनुसूची - I : पूंजी	**SCHEDULE - 1 : CAPITAL**		
प्राधिकृत	**AUTHORISED**		
प्रत्येक ₹10 के 600,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 300,00,00,000)	600,00,00,000 (Previous year ended 300,00,00,000) Equity Shares of ₹10 each	**60,000,000**	**30,000,000**
जारी एंव अभिदत्त	**ISSUED AND SUBSCRIBED**		
प्रत्येक ₹10 के 327,81,00,450 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 276,04,66,522)	Equity Shares 327,81,00,450 (Previous year ended 276,04,66,522) of ₹10 each	32,781,004	27,604,665
कुल	**TOTAL**	**32,781,004**	**27,604,665**
प्रदत्त पूंजी	**PAID-UP CAPITAL**		
प्रत्येक ₹10 के 327,69,23,350 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 275,92,89,422)	327,69,23,350 Equity Shares (Previous year ended 275,92,89,422) of ₹10/- each	32,769,234	27,592,894
जोडें : जब्त शेयरों की राशि	Add: Amount of shares forfeited	7,391	7,391
कुल	**TOTAL ***	**32,776,625**	**27,600,285**
* उपर्युक्त में से 291,96,90,866 के पूर्णत: इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष की समाप्ति पर 240,20,56,938) प्रत्येक रु. 10 के रु. 2919.06 करोड़ (पिछले वर्ष की समाप्ति पर रु. 2402.06 करोड़) केंद्र सरकार द्वारा धारित है।	* Of the above, 291,96,90,866 Equity Shares (Previous year ended 240,20,56,938) of ₹10 each fully paid up amounting to ₹ 2919.69 crores (Previous year ended ₹2402.06 crores) is held by Central Government;		
अनुसूची - 2 : आरक्षितियां एवं अधिशेष	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS**		
I सांविधिक आरक्षितियां :	**I. Statutory Reserve :**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	70,868,842	70,868,842
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions during the period	-	-
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**70,868,842**	**70,868,842**
II. पूँजी आरक्षितियां :	**II. Capital Reserves :**		
क) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :	A) Revaluation Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	62,733,382	55,491,649
जोडें : परिसर के पुनर्मूल्यांकन पर वर्ष के दौरान जोड़	Add: Addition during the period on Revaluation of Premises	940,785	9,015,306
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन	Less: Adjustments during the period	(288,568)	(103,613)
घटाएं : राजस्व आरक्षिति में अंतरित किए गये पुनर्मूल्यांकित अचल आस्तियों की वजह से मूल्यह्रास	Less: Depreciation on revalued Fixed Assets transferred to Revenue reserve	739,178	1,877,186
(क) का कुल	**Total of (A)**	**63,223,557**	**62,733,382**
ख) अन्य	B) Others		
i) ''परिपक्वता तक धारित'' निवेशों को बिक्री पर लाभ	i) Profit on sales of Investments - "Held to Maturity"		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	23,135,538	22,400,238
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	2,427,630	735,300
(i) का उप-जोड़	Sub-total of (i)	25,563,168	23,135,538
ii) विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति	ii) Foreign Currency Translation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	20,056,276	18,343,885
जोड़ें/(घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन (निवल)	Add/ (Less) : Additions / adjustments during the period (Net)	3,334,475	1,712,391
(ii) का उप-जोड़	Sub-total of (ii)	23,390,751	20,056,276
(ख) का कुल	Total of (B)	**48,953,919**	**43,191,814**
(ii) का उप-जोड़	**TOTAL (II)**	**112,177,476**	**105,925,196**

तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000' छोड़े गए है) (000's Omitted)

				यथा As at 31-03-2020 ₹	यथा As at 31-03-2019 ₹
	अनुसूची - 2 : आरक्षितियां एवं अधिशेष (जारी..)		SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS (Contd.)		
III.	**शेयर प्रीमियम :**	**III.**	**Share Premium :**		
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	312,114,069	214,809,166
	जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन		Add : Additions during the period	41,203,661	97,304,903
	कुल (III)		**TOTAL (III)**	**353,317,730**	**312,114,069**
IV.	**राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां :**	**IV.**	**Revenue and Other Reserves :**		
i)	राजस्व आरक्षिति :	i)	Revenue Reserve :		
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	84,430,533	83,978,582
	जोड़े: अवधि के दौरान परिवर्धन		Add: Additions during the period	715,841	1,647,377
	अवधि के दौरान कटौतियाँ		Deductions during the period	-	1,195,426
	IV(i) का उप जोड़		**Sub-total of IV(i)**	**85,146,374**	**84,430,533**
ii)	निवेश आरक्षितियाँ :	ii)	Investment Reserve :		
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	-	-
	जोडें: लाभ और हानि विनियोजन से अंतरण		Add: Transfer from Profit & Loss Appropriations	-	-
	घटाएं : लाभ और हानि विनियोजन को अंतरण		Less:Transfer to Profit & Loss Appropriations	-	-
	IV (ii) का उप-जोड़		**Sub-total of IV(ii)**	**-**	**-**
iii)	निवेश अस्थिर आरक्षित :	iii)	Investment Fluctuation Reserve :		
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	-	-
	जोडें: लाभ और हानि विनियोजन से अंतरण		Add: Transfer from Profit & Loss Appropriations	-	-
	घटाएँ:लाभ और हानि विनियोजन को अंतरण		Less:Transfer to Profit & Loss Appropriations	-	-
	IV (iii) का उप-जोड़		**Sub-total of IV(iii)**	**-**	**-**
iv)	आयकर अधिनिय 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	iv)	Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	21,700,000	21,700,000
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		Additions during the period	-	-
	IV (iv) का उप-जोड़		**Sub-total of IV(iv)**	**21,700,000**	**21,700,000**
	जोड़ (IV)		**TOTAL (IV)**	**106,846,374**	**106,130,533**
V.	**समेकित लाभ-हानि खाते में शेष**	**V.**	**Balance in Profit and Loss Account :**	**(237,823,882)**	**(205,827,390)**
	कुल (I से V)		**TOTAL (I TO V)**	**405,386,540**	**389,211,250**
	अनुसूची - 3 : जमा राशियाँ		SCHEDULE - 3 : DEPOSITS		
क.	**I. माँग जमा राशियाँ :**	**A.**	**I. Demand Deposits :**		
	i) बैंको से		i) From Banks	8,039,596	5,547,152
	ii) अन्य से		ii) From Others	293,242,193	269,676,172
	कुल (I)		**TOTAL (I)**	**301,281,789**	**275,223,324**

तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000' छोड़े गए है) (000's Omitted)

			यथा As at 31-03-2020 ₹	यथा As at 31-03-2019 ₹
अनुसूची - 3 : जमा राशियाँ (जारी..)	SCHEDULE - 3 : DEPOSITS (Contd.)			
II. बचत बैंक जमाराशियाँ	II. Savings Bank Deposits		1,727,006,858	1,594,771,454
III. मीयादी जमाराशियाँ :	III. Term Deposits :			
i) बैंकों से		i) From Banks	353,339,891	512,777,522
ii) अन्य से		ii) From Others	3,173,421,248	2,825,851,185
कुल (III)	TOTAL (III)		3,526,761,139	3,338,628,707
कुल क (I, II, III)	TOTAL A (I, II, III)		5,555,049,786	5,208,623,485
ख. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां	B.	i) Deposits of branches in India	4,825,392,677	4,217,832,182
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां		ii) Deposits of branches outside India	729,657,109	990,791,303
कुल (ख)	TOTAL (B)		5,555,049,786	5,208,623,485
अनुसूची - 4 : उधार	SCHEDULE - 4 : BORROWINGS		`	`
I. भारत में उधार :	I.	Borrowings in India :		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक		i) Reserve Bank of India	188,770,000	111,000,000
ii) अन्य बैंक		ii) Other Banks		
क. टियर I पूंजी (आई.पी.डी.आई)		a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	1,150,000	1,800,000
ख. टियर II पूंजी		b. Tier II Capital	250,000	50,000
ग. अन्य		c. Others	-	16,800,000
जोड़ (ii)		Total (ii)	1,400,000	18,650,000
iii) अन्य संस्थाएं और एजेन्सियां		iii) Other Institutions and Agencies		
क. टियर I पूंजी (आई.पी.डी.आई)		a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	1,850,000	4,450,000
ख. टियर II पूंजी		b. Tier II Capital	79,750,000	99,950,000
ग. अन्य		c. Others	22,936,828	117,518,703
जोड़ (iii)		Total (iii)	104,536,828	221,918,703
कुल (I)		Total (I)	294,706,828	351,568,703
II. भारत के बाहर उधार	II.	Borrowings outside India		
क. टियर I पूंजी (आई.पी.डी.आई)		a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	-	-
ख. अपर टियर II पूंजी		b. Upper Tier II Capital	-	-
ग. अन्य		c. Others	102,817,831	90,842,975
कुल (II)		Total (II)	102,817,831	90,842,975
कुल (I, II)		Total (I, II)	397,524,659	442,411,678
उपर्युक्त में प्रतिभूति में शामिल उधार		Secured borrowings included in above	-	-

तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000' छोड़े गए है) (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2020 ₹	यथा As at 31-03-2019 ₹
अनुसूची- 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान	**SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**		
I. देय बिल	I. Bills Payable	11,251,125	12,801,694
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter-office adjustments (net)	1,816,388	-
III. उपर्जित ब्याज	III. Interest accrued	19,440,790	20,238,468
IV. आस्थगित कर देयता	IV. Deferred Tax Liabilities	16,852	28,819
V. अन्य (प्रावधानों सहित)*	V. Others (Including Provisions)*	146,692,052	104,932,758
कुल	**TOTAL**	**179,217,207**	**138,001,739**
*मानक आस्तियों रु. 2,76,65,585 हजार के संबंध में शामिल प्रावधान (गत वर्ष रु. 1,88,83,290 हजार)	* Includes provision for Standard Assets ₹ 2,76,65,585 thousand (Previous Year ₹ 1,88,83,290 thousand)		
अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	**SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**		
I. **हाथ में नकदी** (विदेशी करेंसी नोट एवं स्वर्ण सहित)	**I. Cash in hand** (including foreign currency notes and gold)	**32,300,213**	**24,556,246**
II. **भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष : ***	**II. Balances with Reserve Bank of India : ***		
i) चालू खातों में	i) In Current Account	260,092,295	267,809,380
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	-	-
कुल II	**TOTAL (II)**	**260,092,295**	**267,809,380**
कुल (I, II)	**TOTAL (I, II)**	**292,392,508**	**292,365,626**
* भारत के बाहर केंद्रीय बैंकों में शेष सहित	* Including balances with Central Banks outside India		
अनुसूची - 7 :बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि	**SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**		
I. **भारत में :**	**I. In India :**		
i) बैंकों में शेष	i) Balances with Banks		
क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	1,680,529	1,564,652
ख) अन्य जमाराशि खातों में	b) in Other Deposit Accounts	10,593,100	83,331,775
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	ii) Money at call and short notice		
क) बैंकों में	a) With Banks	1,934,710	-
ख) अन्य संस्थाओं में	b) With Other Institutions	110,000,000	-
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**124,208,339**	**84,896,427**
II. **भारत के बाहर :**	**II. Outside India :**		
i) चालू खातों में	i) In Current Accounts	18,505,320	2,862,033
ii) अन्य जमाराशि खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	335,043,705	368,128,701
iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	iii) Money at call and short notice	94,413,182	199,862,077
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**447,962,207**	**570,852,811**
कुल (I , II)	**TOTAL (I, II)**	**572,170,546**	**655,749,238**

तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000' छोड़े गए है) (000's Omitted)

			यथा As at 31-03-2020 ₹	यथा As at 31-03-2019 ₹
अनुसूची - 8 : निवेश	**SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS**			
I. भारत में निवेश :	**I. Investments in India :**			
i) सरकारी प्रतिभूति	i)	Government Securities	1,397,945,003	1,285,570,352
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii)	Other approved Securities	-	-
iii) शेयर	iii)	Shares	7,764,031	9,793,592
iv) डिबेंचर एवं बॉण्ड	iv)	Debentures and Bonds	78,124,831	79,386,216
v) सहायक कंपनियों में निवेश	v)	Subsidiaries and Associates	5,025,284	4,650,063
vi) अन्य (वाणिज्यिक दस्तावेज़, म्यूच्युअल फंड के यूनिट, पास थ्रु सर्टिफिकेट, प्रतिभूति रसीदें, जोखिम फंड आदि)	vi)	Others (Commercial Papers, Units of Mutual Funds, Pass Through Certificates, Security Receipts, Venture Fund etc.)	28,665,163	30,795,689
कुल (I)	**TOTAL (I)**		**1,517,524,312**	**1,410,195,912**
सकल	Gross		1,553,226,590	1,445,700,306
घटाएं: मूल्यह्रास एवं परिशोधन	Less: Depreciation and Amortisation		35,702,279	35,504,394
निवल	**Net**		**1,517,524,312**	**1,410,195,912**
II. भारत के बाहर निवेश :	**II. Investments outside India :**			
i) सरकारी प्रतिभूति (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i)	Government Securities (including local authorities)	37,919,719	32,113,683
ii) विदेश में अनुषंगियों और / या संयुक्त उद्यमों में	ii)	In Subsidiaries and/or joint ventures abroad	9,422,633	9,576,760
iii) अन्य निवेश(डिबेंचर, बॉण्ड आदि)	iii)	Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	20,863,210	24,503,995
कुल (II)	**TOTAL (II)**		**68,205,562**	**66,194,438**
सकल	Gross		68,598,438	66,481,458
घटाएं: मूल्यह्रास एवं परिशोधन	Less: Depreciation and Amortisation		392,876	287,020
निवल	**Net**		**68,205,562**	**66,194,438**
कुल (I, II)	**TOTAL (I, II)**		**1,585,729,874**	**1,476,390,350**
अनुसूची - 9 अग्रिम	**SCHEDULE - 9 : ADVANCES**			
क. i) खरीदे गए बिल और बट्टाकृत बिल	A.	i) Bills Purchased and Discounted	91,314,256	122,737,248
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण		ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	1,756,232,921	1,477,479,360
iii) मीयादी ऋण		iii) Term Loans	1,841,285,864	1,809,842,835
कुल (क)		**TOTAL (A)**	**3,688,833,041**	**3,410,059,443**
ख. अग्रिम का विवरण :	B.	Particulars of Advances :		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों के निमित्त अग्रिम शामिल है)		i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	2,592,028,815	2,526,260,004
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित		ii) Covered by Bank/Government Guarantees	244,622,145	161,899,796
iii) अप्रतिभूत		iii) Unsecured	852,182,081	721,899,643
कुल (ख)		**TOTAL (B)**	**3,688,833,041**	**3,410,059,443**

तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000' छोड़े गए है) (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2020 ₹	यथा As at 31-03-2019 ₹
अनुसूची - 9 अग्रिम (जारी..)	**SCHEDULE - 9 : ADVANCES (Contd.)**		
ग अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण :	C. Sectoral Classification of Advances :		
I. भारत में अग्रिम	I. Advances in India		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	1,125,757,202	1,121,314,154
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	778,764,153	629,785,792
iii) बैंक	iii) Banks	1,125	142,920
iv) अन्य	iv) Others	1,283,717,484	1,179,274,560
कुल (ग-I)	**TOTAL (C-I)**	**3,188,239,964**	**2,930,517,426**
II. भारत के बाहर अग्रिम :	II. Advances outside India :		
i) बैंक से देय	i) Due from Banks	98,760,964	99,380,579
ii) अन्य से देय	ii) Due from others		
क) खरीदे गए बिल और बट्टाकृत बिल	a) Bills Purchased and Discounted	29,992,194	32,707,804
ख) समूहनकृत ऋण	b) Syndicated Loans	104,699,596	129,690,731
ग) अन्य	c) Others	267,140,323	217,762,903
जोड़ (ग-II)	**TOTAL (C-II)**	**500,593,077**	**479,542,017**
कुल (ग-I, ग-II)	**TOTAL (C - I, C - II)**	**3,688,833,041**	**3,410,059,443**
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां	**SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS**		
I. परिसर :	**I. PREMISES :**		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance, at cost	17,147,477	17,109,272
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions / Adjustments during the period	162,231	209,549
घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां/ समायोजन	Less:Deductions / Adjustments during the period	59,974	171,344
उप-जोड	**Sub-total**	**17,249,734**	**17,147,477**
पुनर्मूल्यन के कारण इस तारीख तक जोड	Addition to date on account of revaluation	64,009,821	63,565,808
घटाएँ : तारीख को मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन के कारण सहित)	Less : Depreciation to date (including on account of revaluation)	4,719,996	4,449,395
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**76,539,559**	**76,263,890**
II. अन्य अचल आस्तियां : (फर्नीचर एवं फिक्स्चर सम्मिलित हैं)	**II. OTHER FIXED ASSETS :** (including Furniture and Fixtures)		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	34,701,194	32,725,686
जोडें: अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions / Adjustments during the period	8,480,161	2,238,681
घटाएं :वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Less:Deductions / Adjustments during the period	6,221,842	263,173
उप-जोड़	**Sub-total**	**36,959,513**	**34,701,194**
घटांए:इस तारीख को मूलहास	Less: Depreciation to date	26,595,386	23,762,970
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**10,364,127**	**10,938,224**
III. निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	**III. CAPITAL WORK IN PROGRESS**	**2,916,313**	**1,998,250**
कुल (I, II, III)	**TOTAL (I, II, III)**	**89,819,999**	**89,200,364**

तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000' छोड़े गए है) (000's Omitted)

				यथा As at 31-03-2020 ₹	यथा As at 31-03-2019 ₹
अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां	**SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS**				
I.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	I.	Inter-office adjustments (net)	-	23,575,657
II	उपचित ब्याज	II.	Interest accrued	30,665,142	31,521,737
III	अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/ स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	III.	Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	57,774,856	50,532,617
IV	लेखन सामग्री और स्टैम्प	IV.	Stationery and Stamps	64,231	54,749
V	आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	V.	Deferred Tax Assets (Net)	137,104,034	118,884,849
VI	अन्य	VI.	Others	115,400,586	103,893,807
	कुल		**TOTAL**	**341,008,849**	**328,463,416**
अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं	**SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES**				
I.	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	I.	Claims against the Bank not acknowledged as debts	14,993,043	15,013,941
II.	अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	II.	Liability for partly paid Investments	1,137,946	168,582
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	III.	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	2,946,157,883	2,551,539,928
IV.	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां :	IV.	Guarantees given on behalf of Constituents :		
	क) भारत में		a) In India	225,143,990	209,178,461
	ख) भारत के बाहर		b) Outside India	41,528,716	32,085,993
V.	स्वीकार, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व	V.	Acceptances, endorsements and other obligations	172,126,811	189,421,022
VI.	उपर्युक्त III में सूचीबद्ध के अलावा व्युत्पन्नी संविदाएँ	VI.	Derivative contracts other than listed at III above	109,638,304	106,090,890
VII.	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप में देनदार है	VII.	Other items for which the Bank is contingently liable	12,372,388	9,593,262
	कुल		**TOTAL**	**3,523,099,081**	**3,113,092,079**

लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000' छोड़े गए है) (000's Omitted)

					यथा As at 31-03-2020 ₹	यथा As at 31-03-2019 ₹
अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज (जारी..)	**SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED (Contd.)**					
I. अग्रिम/बिलों पर ब्याज/बट्टा	I.	Interest/Discount on advances/bills			288,047,398	272,503,460
II. निवेशों पर आय	II.	Income on Investments			107,041,490	99,728,865
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के शेषों पर ब्याज	III.	Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds			24,315,336	28,376,583
IV. अन्य	IV.	Others			4,128,444	7,069,205
कुल		**TOTAL**			**423,532,668**	**407,678,113**
अनुसूची - 14 : अन्य आय	**SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME**					
I. कमीशन, विनिमय और ब्रोक्रेज	I.	Commission, exchange and brokerage			13,560,972	12,434,825
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ	II.	Profit on sale of Investments	5,849,186	-		
घटाएं: निवेशों के विक्रय पर हानि		Less : Loss on sale of Investments	-	4,438,104	5,849,186	(4,438,104)
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	III.	Profit on sale of land, buildings and other assets	466,672	4,302,226		
घटाएं: भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि		Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	-	-	466,672	4,302,226
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ	IV	Profit on exchange transactions	15,033,014	130,87,282		
घटाएं: विनिमय संव्यवहारों पर हानि		Less : Loss on Exchange Transactions	-	4	15,033,014	13,087,278
V. अनुषंगियों/कंपनियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	V	Income earned by way of dividends etc., from subsidiaries / cos. and/ or JVs			227,329	178,444
VI. विविध आय	VI	Miscellaneous Income			31,993,568	21,024,213
कुल		**TOTAL**			**67,130,741**	**46,588,883**

लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000' छोड़े गए है) (000's Omitted)

				यथा As at 31-03-2020 ₹	यथा As at 31-03-2019 ₹
अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज	**SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED**				
I.	जमाओं पर ब्याज	I.	Interest on Deposits	236,366,872	229,906,259
II.	भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	II.	Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	25,825,954	30,957,820
III.	अन्य	III.	Others	8,770,058	10,237,331
	कुल		**TOTAL**	**270,962,884**	**271,101,410**
अनुसूची - 16 : परिचालनगत व्यय	**SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES**				
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	I.	Payments to and provisions for employees	61,414,517	60,210,417
II.	किराया, कर एवं बिजली	II.	Rent, Taxes and Lighting	7,211,408	7,085,389
III.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	III.	Printing and Stationery	762,183	749,124
IV.	विज्ञापन एवं प्रचार	IV.	Advertisement and Publicity	251,485	195,710
V.	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास*	V.	Depreciation on Bank's property*	3,847,777	3,666,741
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	VI.	Directors' fees, allowances and expenses	5,070	4,569
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	VII.	Auditors' fees and expenses (Including branch Auditors' fees & expenses)	787,984	706,370
VIII.	विधि प्रभार	VIII.	Law Charges	493,620	404,535
IX.	डाक व्यय, तार, टेलिफोन आदि	IX.	Postage, Telegrams, Telephones, etc.	1,657,425	1,366,133
X.	मरम्मत एवं रखरखाव	X.	Repairs and Maintenance	725,422	627,473
XI.	बीमा	XI.	Insurance	5,059,416	5,017,978
XII.	अन्य व्यय	XII.	Other Expenditure	22,297,704	22,209,046
	कुल		**TOTAL**	**104,514,011**	**102,243,485**
	* भूमि पर लगाए गए मूल्यह्रास प्रभार को रिवर्स करने के पश्चात		*After reversing depreciation charged on land earlier		

अनुसूची 17 :

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. तैयार करने का आधार:

संस्था की निरन्तरता की अवधारणा तथा यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो पूर्व के लागत के आधार पर, वित्तीय विवरण तैयार किये जाते हैं जो सभी महत्वपूर्ण पक्षों में भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) का पालन करते हैं। इसके अंतर्गत, लागू विधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा निर्धारित विनियामक नियम, लेखा मानक (ए.एस.), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के द्वारा जारी निदेश, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा प्रथाएं शामिल हैं। यदि अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तो, विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबन्धों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया जाता है।

2. आकलन का आधार:

वित्तीय विवरणी की तैयारी हेतु प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि वह वित्तीय विवरण की प्रभावी तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयता (आकस्मिक देयताएं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए आय एवं व्यय का आकलन तथा अनुमान प्रतिपादित करे। प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में प्रयुक्त आकलन उचित तथा तार्किक हैं। तथापि वास्तविक परिणाम आकलन से भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान तथा भविष्य की अवधि के लिए लेखांकित आकलन में किसी भी परिवर्तन को भविष्य में निर्धारित किया जाता है।

3. आय का निर्धारण:

क. यदि अन्यथा उल्लिखित न हो तो आय/व्यय को उपचय के आधार पर तय किया जाता है। विदेशी कार्यालयों के संबंध में संबंधित मेज़बान देश के स्थानीय कानूनों/मानकों के अनुसार आय निर्धारित की जाती है।

ख. अनर्जक आस्तियों पर ब्याज को छोड कर आय का निर्धारण समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

ग. बैंक गारंटी तथा साख पत्र जारी करने पर कमीशन का निर्धारण बीजी/एलसी की अवधि पर होता है।

घ. अन्य सभी कमीशन एवं विनिमय, ब्रोकरेज, फीस तथा अन्य शुल्कों की जब प्राप्ति हो जाती है, तब उसका आय के रूप में उनका निर्धारण होता है।

ङ. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अतिरिक्त) जिसे उसके अंकित मूल्य पर बट्टे के रूप में प्राप्त किया गया था, उसे निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित किया जाता है :

i. ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, केवल बिक्री/मोचन के समय ही इनका निर्धारण किया जाता है।

ii. जीरो-कूपन प्रतिभूतियों में, स्थिर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति की शेष परिपक्वता अवधि पर इसका लेखांकन किया जाता है।

SCHEDULE-17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. BASIS OF PREPARATION:

The financial statements are prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform, in all material aspects, to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards (AS), pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Banking Regulation Act, 1949 and accounting practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices/ branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

2. USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However, actual results can differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3. REVENUE RECOGNITION:

a. Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income/expenditure is recognised as per local laws/ standards of host country.

b. Interest income is recognised on time proportion basis except interest on non-performing assets.

c. Commission on issue of Bank Guarantee and Letter of Credit is recognised over the tenure of BG/LC.

d. All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.

e. Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:

i. On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.

ii. On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

च. निवेशों की बिक्री में हुए लाभ या हानि को, लाभ तथा हानि खाते में मान्यता दी जाती है। आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार, "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री के मामले में (करों तथा सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण करने हेतु आवश्यक राशि छोड़कर), इसके बराबर की राशि "आरक्षित पूंजी खाते" में विनियोजित की जाती है।

छ. जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, तब लाभांश को आय के रूप पहचाना जाता है।

ज. निर्धारण आदेश जारी होने के वर्ष में आयकर वापसी पर ब्याज, आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

झ. **एन.पी.ए. के संबंध में वसूलियों का विनियोजन** :

क) समझौता निपटान/विशेष ओटीएस, ख) न्यायालय/ डीआरटी/ एनसीएलटी के निर्णय तथा ग) एआरसी/एससी को समनुदेशन - इन तीन मामलों को छोड़कर, एनपीए में वसूली निम्नलिखित क्रम में प्रभावी की जाती है :-

- उधारकर्ता के खाते में नामे प्रभार,
- ऐसे खर्च/अपने जेब से खर्च, जो किये तो गये परंतु जिन्हें नामे नहीं किया गया,
- न वसूले गये ब्याज,
- अप्रभारित ब्याज,
- मूल धन

4. अग्रिम:

क. लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार में अग्रिमों को "अर्जक और अनर्जक" (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ख. इसके अतिरिक्त, लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ग. घरेलू शाखाओं के संबंध में, एनपीए से संबंधित प्रावधान, निम्नलिखित दर पर किये जाते हैं :

f. Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss account. As per RBI Guidelines, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves) is appropriated to 'Capital Reserve Account'.

g. Dividend Income is recognised when the right to receive the dividend is established.

h. Interest Income on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.

i. **Appropriation of recoveries in NPAs:**

In respect of NPAs, recoveries effected except through a.) compromise settlement /special OTS, b.) Judgement of a Court/DRT/NCLT and c.) Assignment to ARC's/SC's. is to be made in the following order:-

- Charges debited to borrower's account,
- Expenses/out of pocket expenses incurred but not debited,
- Unrealised interest,
- Uncharged interest,
- Principal

4. ADVANCES:

a. Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing Advances" (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.

b. NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.

c. In respect of domestic branches, NPA Provisions are made at the rates given as under:

एनपीए की श्रेणी	Category of NPAs	निवल बकाया अग्रिम पर प्रावधान % Provision % on net outstanding advance
अवमानक आस्ति:*	Sub Standard:*	
ऐसे एक्सपोज़र, जो आरंभ से गैर जमानती हैं	Exposures, which are unsecured ab initio	25%
आधारभूत संरचना ऋण खातों के संबंध में प्रतिभूति रहित एक्सपोज़र जहाँ कुछ सुरक्षा प्रावधान, जैसे एस्क्रो खाते उपलब्ध हैं (गैर प्रतिभूति इंफ्रा)	Unsecured exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available (unsecured – infra)	20%
अन्य	Others	15%
संदिग्ध :	Doubtful:	
जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में रहा)	Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category)	

एनपीए की श्रेणी	Category of NPAs	निवल बकाया अग्रिम पर प्रावधान % Provision % on net outstanding advance
- एक वर्ष तक	- Upto one year	25%
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक	- One year to three years	40%
- तीन वर्ष से अधिक	- More than three years	100%
ख) गैर जमानती हिस्सा	Unsecured portion	100%
हानि	Loss	100%

* बकाया अग्रिम पर

(घ) विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान, संबंधित विदेशी केन्द्र पर लागू विनियामकीय आवश्यकताओं अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों, इनमें से जो भी कड़े हो, उसके अनुसार होंगे।

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार, शुद्ध अग्रिम के परिकलन हेतु, कुल अग्रिमों में से अनर्जक आस्तियों, अप्राप्त ब्याज, ईसीजीसी दावा इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाएं जाते हैं।

(च) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, पुनर्निधारित/पुन:संरचित अग्रिमों के संबंध में, मौजूदा मूल्य में आकलित, पुनर्संरचित अग्रिम के फेयर वैल्यू में ह्रास के परित्याग के लिए प्रावधान किया जाता है। शुद्ध अग्रिम के परिकलन हेतु उक्त प्रावधान को घटाया जाता है।

(छ) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेचे जाने के मामले में, यदि बिक्री, निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बकाया में से धारित प्रावधान घटाकर) से कम है तो, इस कमी को आरबीआई के समय-समय पर जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते से नामे किया जाना है। यदि बिक्री का मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो जिस वर्ष राशि प्राप्त होती है, उस वर्ष में, एनपीए की बिक्री पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में वापस किया जाना है। परंतु किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाता है जब आस्ति का निवल बही मूल्य (एनबीवी), प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल द्वारा/अथवा एसआरएस/पीटीसी का रिडेम्पशन) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल, आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक सीमित होगा।

(ज) मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुन:संरचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों हेतु प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किये जाते हैं। विदेशी शाखाओं के मामलों में मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, संबन्धित विदेशी केन्द्र पर लागू विनियामकीय आवश्यकताओं के अनुसार अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों, इनमें से जो भी कड़े हों, उसके अनुसार किये जाते हैं।

(झ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निवल निधीकृत कंट्री एक्सपोज़र का (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) ग्रेड किये गये स्केल के आधर पर प्रावधान किये जाते हैं।

5. अस्थायी प्रावधान:

बैंक में प्रावधायी सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित किये जाने वाले अस्थायी

* On the outstanding advance

d. In respect of foreign branches, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

e. Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims, etc. are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

f. In respect of Rescheduled/Restructured advances, provision is made for the diminution in the fair value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

g. In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is debited to the Profit and Loss account as per the extant RBI guidelines issued from time to time. If the sale is at a price higher than the NBV, the excess provision on sale of NPAs may be reversed to profit and loss account in the year the amounts is received. However, any excess provision is reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SR's/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

h. Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines. In respect of foreign branches provision for Standard Assets is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

i. Provision for net funded country exposures (Direct/ Indirect) is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

5. FLOATING PROVISION:

The bank has framed a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to

प्रावधान की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग, नीति में निर्धारित, केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत, आकस्मिकताओं के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है।

6. डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वाइंट :

बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवार्ड पॉइंट का प्रावधान, एक्चुरीयल आकलन के आधार किया जाता है और क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट के लिए प्रावधान, संचित बकाया पॉइंट के आधार पर किया जाता है।

7. निवेश :

क. सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहार को, निपटान की तारीख पर मान्यता दी जाती है और अन्य सभी निवेशों को, ट्रेड की तारीख पर मान्यता दी जाती है।

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण, "परिपक्वता तक धारित", "कारोबार के लिये धारित" और "बिक्री के हेतु उपलब्ध" श्रेणियों में किया गया है। निवेशों के प्रकटन के उद्देश्य से इन्हें आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार छह वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है जैसे **क)** सरकारी प्रतिभूतियां, **ख)** अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां **ग)** शेयर, **घ)** डिबेंचर और बॉण्ड, **ङ)** अनुषंगियों और संयुक्त उद्यम में निवेश और **च)** अन्य।

क. वर्गीकरण का आधार

किसी निवेश का वर्गीकरण, उसके अर्जन के समय किया जाता है।

(i) परिपक्वता तक धारित

इसमें ऐसे निवेश शामिल हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों की इक्विटी में किए गए निवेश को भी, परिपक्वता तक धारित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) कारोबार के लिए धारित

इसमें ऐसे निवेश शामिल हैं जिन्हें अल्पकालिक मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ लेते हुए कारोबार के इरादे से अर्जित किया जाता है। खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर इन्हें बेच दिया जाना है।

(iii) बिक्री के लिए उपलब्ध

ऐसे निवेश शामिल हैं जिनका वर्गीकरण "परिपक्वता तक धारित" अथवा "कारोबार के लिये धारित" रूप में नहीं किया हैं, उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

ख. निवेश के अधिग्रहण की लागत

(i) इक्विटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति संव्यवहार कर इत्यादि को लागत में शामिल किया जाता है।

be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes.

6. DEBIT/CREDIT CARDS REWARD POINTS:

Provision for reward points in relation to the debit cards is provided for on actuarial estimates and Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points.

7. INVESTMENTS:

a. Transactions in Government Securities are recognised on Settlement Date and all other Investments are recognised on trade date.

b. Investments are categorised under `Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. For the purpose of disclosure of Investments, these are classified in accordance with RBI guidelines & Banking Regulation Act 1949, under six categories viz. **a.)** Government Securities, **b.)** Other Approved Securities, **c.)** Shares, **d.)** Debentures and Bonds, **e.)** Subsidiaries and Joint Ventures and **f.)** Others.

A. Basis of categorisation

Categorisation of an investment is done at the time of its acquisition.

(i) Held to Maturity

These comprise investments that the Bank intends to hold till maturity. Investments in equity of subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

(ii) Held for Trading

These comprise investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. Securities are to be sold within 90 days from the purchase date.

(iii) Available for Sale:

These comprise investments which do not fall either under "Held to Maturity" or "Held for Trading" category.

B. Acquisition Cost of Investment:

(i) Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.

(ii) कर्ज निवेशों पर ब्रोकरेज, कमीशन, खण्डित अवधि के लिए ब्याज भुगतान/प्राप्तियों को व्यय/आय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता है।

(iii) निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन, यदि कुछ हो तो, उसे लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

ग. मूल्यांकन का तरीका:

भारत में निवेशों का मूल्यांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं द्वारा किये गये निवेशों को संबंधित देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार जो मूल्य है अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जो मूल्य है - इन दोनों में जो भी कम हो, उसके अनुसार किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और अन्य सभी बट्टाकृत लिखतों का मूल्य, कैरिंग कॉस्ट (अर्थात् प्राप्त करने की लागत में, प्राप्त करते समय लागू दर में उपचित बट्टा को जोड़कर) के आधार पर निकाला जाता है।

(i) परिपक्वता तक धारित:

1. इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को उनके अर्जन लागत, परिशोधन को घटाकर, यदि कोई हो, पर लिया जाता है। अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत, यदि कोई हो, तो उसे स्थिर प्रतिफल पद्धति का उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है। प्रीमियम का इस प्रकार परिशोधन, आय में "निवेश पर ब्याज" शीर्ष के अंतर्गत समायोजित किया जाता है।

2. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों (भारत और विदेश दोनों में) में निवेश, पूर्व के लागत के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है, सिवाय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश के, जिन्हें कैरिंग कॉस्ट (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया जाता है। अस्थायी प्रकृति को छोड़कर, प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग ह्रास (डिमिन्युशन) का प्रावधान किया जाता है।

(ii) कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध :

1. इन श्रेणियों के अंतर्गत निवेशों का मूल्यांकन, विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य अथवा उचित मूल्य पर, एक-एक करके निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी के प्रत्येक वर्गीकरण में केवल निवल मूल्यह्रास लगाया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया जाता है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान के संबंध में, बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के पश्चात एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।

"कारोबार के लिये धारित" और "बिक्री के हेतु उपलब्ध" श्रेणियों में उद्धृत किए गए निवेश के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु, स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार दर/भाव, भारतीय प्राथमिक डीलर संघ (पीडीएआई) /निर्धारित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (एफआईएमएमडीए)/फाइनान्शियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेशों के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है, उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है :

(ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as expense/income and is excluded from cost/sale consideration.

(iii) Brokerage and Commission, if any, received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.

C. Method of valuation:

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Treasury Bills and all others discounted instruments are valued at carrying cost (ie acquisition cost plus discount accrued at the rate prevailing at the time of acquisition)

(i) Held to Maturity:

1. Investments included in this category are carried at their acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortised over the remaining period of maturity using constant yield method. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head “interest on investments”.

2. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e. book value). Suitable provision is made for diminution, other than of temporary nature, for each investment individually.

(ii) Held for Trading / Available for Sale:

1. Investments under these categories are individually valued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines and only the net depreciation in each classification for each category is provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

For the purpose of valuation of quoted investments in ”Held for Trading” and “Available for Sale” categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)/ Financial Benchmark India Pvt. Ltd. (FBIL) are used. Investments for which such rates/ quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

वर्गीकरण	मूल्यांकन का आधार
सरकारी प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर्स	अद्यतन तुलन पत्र (18 महीनों से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार ब्रेक अप मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी रु. 1
अधिमानी शेयर	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
पीएसयू/कॉरपोरेट बॉन्ड	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
म्यूचुअल फंड की यूनिट	अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर
वेंचर पूँजी निधि (वीसीएफ) की यूनिट	18 महीनों से पुरानी नहीं, ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी। यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो रु.1 प्रति वीसीएफ
प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएवी पर जो 6 माह से अधिक पुराना न हो।

Classification	Basis of Valuation
Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	at break up value as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise Re.1 per company.
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU/Corporate Bonds	on Yield to Maturity basis
Units of Mutual Funds	at the latest repurchase price/NAV declared by the fund in respect of each scheme
Units of Venture Capital Funds (VCF)	declared NAV or break up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at Re. 1/- per VCF.
Security Receipts	at NAV as declared by Securitisation Companies which is not more than 6 months old.

घ. विभिन्न श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण:

ए) एचटीएम से एएफएस/एचएफटी -

i) यदि किसी डिस्काउंट पर मूलत: प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था तो इसे अधिग्रहण कीमत/बही मूल्य पर अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद, इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

ii) यदि किसी प्रीमियम पर प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी में रखा गया था तो इसे एमोर्टाइजेशन की लागत पर एएफएस/एचएफटी श्रेणी में अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

बी) एएसएस/एचएफटी से एचटीएम में अंतरण - बही मूल्य या बाजार मूल्य में से जो की कम हो उस पर एएफएस/एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण किया जाता है। यदि अंतरण के समय बाजार मूल्य बही मूल्य से ज्यादा होता है तो बढ़ोतरी को नजरअंदाज किया जाता है। यदि बही मूल्य से बाजार मूल्य कम होता है तो वैसी प्रतिभूति के लिए किये गये मूल्यह्रास के प्रावधान को समायोजित किया जाता है एवं बही मूल्य को बाजार मूल्य तक कम किया जाता है तथा प्रतिभूति को बाजार मूल्य पर अंतरित किया जाता है।

सी) एएफएस से एचएफटी तथा इसके विपरीत - एएफएस से एचएफटी श्रेणी या इसके विपरीत, प्रतिभूति अंतरित करने के मामले में, अंतरण की तारीख पर प्रतिभूतियों का पुन: मूल्यांकन नहीं किया

D. Transfer of Securities between Categories:

A) HTM to AFS/HFT –

i) If the security was originally placed under the HTM category at a discount it is transferred at the acquisition price / book value. After transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

ii) If the security was originally placed in the HTM category at a premium, it is transferred to the AFS / HFT category at the amortised cost. After transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

B) AFS/HFT TO HTM- Transfer of scrips from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation held against this security is adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.

C) AFS TO HFT AND VICE-VERSA - In the case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the

जाता है तथा संकलित मूल्यह्रास का प्रावधान, यदि कुछ हो तो, उसे एचएफटी प्रतिभूतियां या इसके विपरीत, जैसा मामला हो, के विरुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान में अंतरित किया जाता है।

ङ. अनर्जक निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन:

(i) निवेशों को अर्जक और अनर्जक में वर्गीकृत किया जाता है जो घरेलू कार्यालयों के मामले में आरबीआई और विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामकों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर आधारित होते हैं।

(ii) अनर्जक निवेशों के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान किये जाते हैं।

(iii) परिपक्व एनपीआई को अनुसूची 11 में "अन्य अस्तियों" के अंतर्गत दिखाया गया है। (प्रावधान घटाकर)

च) रेपो/रिवर्स रेपो:

रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन संपार्श्विक ऋण और ऋण के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण वैसे ही किया जाता है जैसे सामान्य सीधी बिक्री/खरीद संव्यवहार के मामले में होता है और ऐसी प्रतिभूतियों का आवागमन रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग द्वारा होता है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है। लागत तथा राजस्व का लेखांकन, जैसा भी मामला हो, ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। तुलन पत्र में रेपो खाते में शेष को ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया और रिवर्स रेपो खाते में शेष को बैंक के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

छ) आस्तियों के विरुद्ध प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश

परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बी.पी.बी.सी. 9/21.04.048/2016-17, दिनांक 01 सितंबर 2016 के द्वारा जारी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने 01 अप्रैल 2018 से, प्रतिभूतीकरण के अंतर्गत एसआर के संबंध में मूल्यांकन पद्धति में संशोधन किया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार यदि बैंक के द्वारा बेची गयी दबावग्रस्त आस्तियों के विरुद्ध एसआर की मात्रा, प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत जारी तथा बेची गयी आस्तियों के विरुद्ध एसआर के संपूर्ण पोर्टफोलियो से 10 प्रतिशत से ज्यादा होती है, तो निम्नलिखित में से जो भी ज्यादा हो, उसके अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान होगा;

अ. एससी/आरसी के द्वारा घोषित किये गये निवल आस्ति मूल्य की शर्तों के अनुसार आवश्यक दर पर प्रावधान; तथा

आ. यह मानकर कि कल्पित रूप से ऋण बैंक की बही में जारी रहा, अंतर्निहित ऋणों पर लागू दर पर प्रावधान।

जब बैंक के द्वारा, एआरसी को बेची गयी वित्तीय संपत्ति के संबंध में, एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद/पास-थ्रू प्रमाणपत्र में निवेश किया जाता है तो निम्नलिखित में से जो भी कम होगा, उसके अनुसार बैंक की बही में बिक्री को निर्धारित जायेगा :

date of transfer and the provisions for the accumulated depreciation, if any, held are transferred to the provisions for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

E. Non performing Investments (NPIs) and valuation thereof:

(i) Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices.

(ii) In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

(iii) Matured NPIs are shown under 'Other Assets' Schedule11 (Net of Provision).

F. Repo / Reverse Repo:

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice in the balance sheet.

G. Investment in Security Receipts (SRs) backed by assets:-

In terms of RBI guidelines issued vide circular no DBR.No.BP.BC.9/21.04.048/2016-17 dated September 01, 2016, the bank has revised valuation methodology in respect of SRs under securitization, with effect from April 01, 2018. As per the revised guidelines, if the quantum of SRs backed by stressed assets sold by the bank exceeds 10% of entire portfolio of SRs backed by sold assets issued under that securitization, provision for depreciation will be higher of the following;

a. provisioning at a rate required in terms of net asset value declared by the SCs/RCs; and

b. provisioning at a rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank.

When Bank invests in the security receipts/ pass-through certificates issued by ARC in respect of the financial assets sold by the Bank to the ARC, the sale will be recognized in books of the bank at the lower of:

- प्रतिभूति रसीद/पास-थ्रू प्रमाणपत्र का मोचन मूल्य
- वित्तीय आस्ति का निवल बही मूल्य

जब तक की बिक्री या वसूली न हो जाये, उपर्युक्त निवेश उपर्युक्त निर्धारित मूल्य पर, बैंक की बही में जारी रहेगा।

8. डेरिवेटिव

वर्तमान में बैंक फॉरेक्स वायदा संविदा, ब्याज दर एवं करेंसी डेरिवेटिव का कार्य करता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला, ब्याज दर डेरिवेटिव, रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर है। बैंक द्वारा किये जा रहे मुद्रा डेरिवेटिव हैं - ऑप्शन, करेन्सी स्वैप तथा करेन्सी फ्यूचर। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, डेरिवेटिव को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है :

क. हेज/नॉन हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं।

ख. हेजिग डेरिवेटिव पर आय/व्यय उपचय आधार पर लेखांकित होती है।

ग. फॉरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और परिणामतः लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

घ. हेजिंग डेरिवेटिव की एमटीएम बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन)/ मूल्यह्रास होने पर सर्वप्रथम इनके संबंधित अंडरलाइंग आस्ति के मूल्यह्रास/बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन) से इसका समंजन (सेट ऑफ) किया जाता है तथा इसके परिणाम से निकले मूल्यह्रास को निर्धारित किया जाता है। यदि उक्त के परिणाम स्वरूप बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन) निकलता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

ङ. व्यापार के उद्देश्य से, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव के अलावा, ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव को बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और परिणामतः हानि, यदि कोई हो तो, उसको लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है। लाभ, यदि कोई हो तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

च. व्यापार के उद्देश्य से प्रविष्ट, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव का, संबंधित एक्सचेंज द्वारा प्रदत्त दरों के आधार पर, प्रचलित बाजार दरों पर अंकन किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि को, लाभ-हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

छ. ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण से, लाभ/हानियों को, निरस्तीकरण तिथि पर आय/व्यय के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। हेजिंग स्वैप की समाप्ति पर, किसी भी लाभ/हानि को, उस समय स्थगित किया जाता है तथा संविदा के अनुसार स्वैप की बची हुई अवधि या निर्दिष्ट आस्ति/देयता की अवधि - इन दोनों में जो भी कम हो, उस काल खण्ड में उसे निर्धारित किया जाता है।

ज. ऑप्शन संविदा की परिपक्वता अवधि पर, ऑप्शन शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

9. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

क. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामलों के अतिरिक्त जिन्हें पुनर्मूल्यन रकम पर बताया जाता है, अचल आस्तियों को पूर्व के लागत के

- the redemption value of the security receipts/ pass-through certificates, and
- the Net Book Value of the financial asset.

The above investment will be carried in the books of the bank at a price as determined above until its sale or realization.

8. DERIVATIVE:

The Bank presently deals in Forex Forward Contracts, interest rate, and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

a. The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

b. Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

c. Forex forward contracts are marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account

d. MTM appreciation/ depreciation of hedging derivative is first set off with the depreciation / appreciation of the corresponding underlying and the resultant depreciation is recognized. Resultant appreciation, if any, is ignored.

e. Interest Rate Derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit if any, is ignored.

f. Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

g. Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/ liabilities.

h. Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

9. PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

a. Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued, which

आधार पर बताया है। पुनर्मूल्यांकन से आयी वृद्धि (एप्रीसिएशन) को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में जमा किया जाता गया है।

ख. लागत में शामिल है - खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले या उसे पहले प्रयोग योग्य बनाने के लिए स्थान संबंधी तैयारी की संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय शामिल है। उपयोग की जा रही आस्तियों पर किए गए उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाएगा, जब ऐसी आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।

ग. 5 वर्ष से कम आकलित उपयोगी जीवन वाली आस्तियों को छोड़कर, सभी आस्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है (यथा कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा साइकल), जहाँ संबंधित आस्ति की पूरी लागत, उपयोगी जीवन के ऊपर परिशोधित की जाती है।

घ. मूल्यह्रास की दर तथा मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका नीचे दिया गया है -

are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

b. Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees, etc. incurred on the asset before it is put to use or capable of put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

c. 5% residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life less than 5 Years (eg. Computers, Computer Software and Cycles), where the entire cost of the assets is amortised over the useful life.

d. The rates of depreciation and method of charging depreciation is given below-

क्र. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	मूल्यह्रास की दर Rate of Depreciation	बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन Estimated useful life as determined by the Bank	मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका Method of charging depreciation
1	**भवन एवं भूमि**	Land & Building:			
1.a.	भूमि (फ्री होल्ड)	Land (Freehold)	शून्य NIL		
1.b.	पट्टाधारित भूमि	Leasehold Land		लीज प्रीमियम को पट्टे की अवधि पर परिशोधित की जाती है। Lease premium is amortised over the period of lease	
1.c.	भवन (भूमि की लागत सहित यदि पहले निर्धारित नहीं की गयी है)	Building (including cost of land if not ascertained separately)	1.58%	60 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
2.	**अन्य अचल आस्तियां:-**	Other Fixed Assets:-			
a.	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipment's	9.50%	10 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
b.	इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	Electrical Fitting and Equipment's	9.50%	10 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
c.	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	Air-conditioning plants, etc. and business machines	6.33%	15 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
d.	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	Motor cars, Vans & Motor cycles	11.88%	8 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
e.	साइकल	Cycle	20.00%	5 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
f.	कम्प्यूटर तथा कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग है।	Computers and Computer Software forming integral part of hardware	33.33%	3 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
g.	कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है।	Computer Software, not embedded in hardware	खरीदी के वर्ष में 100% in the Year of acquisition	-	आरबीआई द्वारा यथा निर्धारित As prescribed by RBI

ङ. खरीद/बिक्री के संबंध में मूल्य ह्रास को वर्ष के दौरान जितने दिनों के लिए आस्ति का प्रयोग किया गया, उसके आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

च. जैसा कि आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकित किया गया, उक्त आस्ति के बचे हुए, उपयोगी जीवन में पुनर्मूल्यांकित अंश का मूल्यह्रास किया जाता है। ऐसे मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि पर प्रभारित किया जाता है और इसके बराबर की राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरित किया जाता है।

छ. भारत के बाहर की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास, सीधी आरेख पद्धति पर आधारित होता है, उन स्थानों को छोड़कर जहाँ स्थानीय संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा अलग दर/पद्धति निर्धारित की गयी है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार :

विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन, आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के साथ पठित लेखामानक (एएस)11, "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव" के अनुसार किया जाता है:

क) समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण: भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालन के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

i. विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को, रिपोर्टिंग मुद्रा में आरंभिक मान्यता पर रिकॉर्ड किया जाता है, जो कॉगजेन्सिस/रायटर के पृष्ठ में प्रदर्शित दैनिक क्लोजिंग दर पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाया जाता है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर, रिपोर्ट किया जाता है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों को, जिन्हें पूर्व के लागत के अनुसार लगाया जाता है, उन्हें संव्यवहार की तारीख पर विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

iv. विदेशी मुद्रा में रखी गयी आकस्मिक देयताओं को एफईडीएआई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट किया जाता है।

v. बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत: लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

vi. एफईडीएआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा, उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को, संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित किया जाता है।

vii. मौद्रिक मदों के निपटान में, आरंभ में रिकार्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को, उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा, जिस समय यह उत्पन्न हुआ।

e. In respect of additions/sale during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year.

f. The revalued portion is depreciated over the balance useful life of the assets as assessed at the time of revaluation. Such depreciation is charged to Profit & loss and equivalent amount is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

g. Depreciation on fixed assets outside India is provided on Straight Line Method, except at the centres where different rates/method have been prescribed by the local statutory authorities.

10. TRANSACTION INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" read with extant RBI guidelines:

A. Translation in respect of Integral Foreign operations: Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

i. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the daily closing rate as available from Cogencis/ Reuter's page.

ii. Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.

iii. Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv. Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v. Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting notional profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.

vi. Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate as advised by FEDAI. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii. Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii. मुद्रा वायदा कारोबार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान, दैनिक आधार पर, विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसे लाभ/हानि को, लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

ख) समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण: विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :

i. आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर स्पष्ट किया जाता है।

ii. आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर, एफईडीएआई द्वारा सूचित "तिमाही औसत क्लोजिंग दर" पर स्पष्ट किया जाता है।

iii. सभी परिणामी विनिमय अंतरों को, संबंधित विदेशी शाखाओं में, निवल निवेशों के निपटान तक, एक अलग खाते "विदेशी मुद्रा स्पष्टीकरण रिज़र्व" में संचित किया जाता है।

iv. विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तिओं और देयताओं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में आंका जाता है।

11. कर्मचारी लाभ :

क. अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की बट्टाकृत रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान, जो कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है, उसे कर्मचारी द्वारा दी जा रही सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

ख. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ :

क. परिनिश्चित लाभ योजना:-

i) उपदान (ग्रैच्युटी)

बैंक, सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रैच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ, निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दिया जाता है। यह राशि, प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय, 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य है, जो उपदान संदाय अधिनियम, 1972 अथवा बीओआई उपदान निधि नियम, 1975 में निर्धारित अधिकतम राशि में, जो भी अधिक हो, के अधीन है। पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वेस्टिंग होती है। बैंक, निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन न्यासियों (ट्रस्टी) द्वारा किया जाता है,जो तिमाही रूप में एक स्वतंत्र बाह्य एक्चुरीयल मूल्यांकन पर आधारित है।

ii) पेंशन

बैंक, सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियमों के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित

viii. Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the Profit and Loss account.

B. Translation in respect of Non-Integral Foreign operations: Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

i. Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.

ii. Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.

iii. All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign branches.

iv. The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

11. EMPLOYEE BENEFITS:

A. Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

B. Long Term Employee Benefits:

a. Defined Benefit Plan:-

i.) Gratuity:

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act, 1972 or Bank of India Gratuity Fund Rules,1975, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent actuarial valuation carried out quarterly.

ii.) Pension:

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है। नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई पेंशन विनियमन,1995 के अनुसार बैंक, पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता, स्वतंत्र एक्चुरीयल मूल्यांकन पर आधारित है जो तिमाही रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के अंतर्गत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

ख. परिनिश्चित अंशदान योजना :

i) भविष्य निधि:

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत लाभ पाने का हक है। बैंक, एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करता है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते से प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ii) पेंशन

दिनांक 01 , 2010 को बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करता है। बैंक, ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को प्रेषित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक सीमित है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

सभी पात्र कर्मचारी निम्नलिखित के पात्र हैं -

i) छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिभाषित लाभ दायित्व है, एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप एक्चुरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

ii) अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन अवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, बिमारी अवकाश इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व हैं जो एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं।

iii) विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं सहायक कंपनियों के मामलों में, प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर, अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना, संबंधित देशों में विद्यमान कानूनों के आधार पर की जाती है।

12. प्रति शेयर अर्जन :

एएस 20 "अर्जन प्रति शेयर" के अनुसार, प्रति इक्विटी शेयर, बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन रिपोर्ट किये जाते हैं। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की गणना, कर पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।

per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of Bank of India Pension Regulations, 1995. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out quarterly and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

b. Defined Contribution Plan:

i) Provident Fund:

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

ii) Pension:

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

C. Other Long term Employee Benefit:

All eligible employees are entitled to the following-

i.) Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

ii.) Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, Sick leave etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

iii.) In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

12. EARNINGS PER SHARE:

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की गणना, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया डाइलूटिव संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लाकर की जाती है।

13. आय पर कर :

बैंक द्वारा किये गये वर्तमान कर तथा आस्थागित कर के व्यय की कुल राशि, आयकर व्यय है। आयकर अधिनियम, 1961 तथा लेखांकन मानक 22 "आय पर कर के लिए लेखांकन" के प्रावधानों अनुसार क्रमश: वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय का निर्धारण किया जाता है। इसमें विदेशी कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर कानूनों पर आधारित, भुगतान किये गये करों को ध्यान में रखा जाता है।

आस्थगन कर समायोजन में, वर्ष के दौरान स्थगित कर आस्ति या देयता में परिवर्तन शामिल होता है। वर्तमान वर्ष हेतु कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच अंतर तथा हानि को आगे ले जाने पर, समय के प्रभाव पर विचार करते हुए आस्थगित कर आस्ति एवं देयताओं को निर्धारित किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को लागू या पूर्णत: लागू कर दर तथा कर कानून का प्रयोग कर, आस्थगित कर आस्तियाँ तथा देयताएँ तय की जाती हैं। आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का प्रभाव, लाभ तथा हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

प्रबंधन के निर्णय के अनुसार यदि उगाही निश्चित है, तो प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित कर आस्तियाँ, निर्धारित एवं पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं। अनवशोषित मूल्यह्रास तथा कर हानि को आगे ले जाने पर आस्थगित कर आस्ति को तब ही निर्धारित किया जाता है जब इस बात के ठोस और निश्चित प्रमाण हों कि भविष्य के कर योग्य आय के विरुद्ध आस्थगित कर आस्ति की उगाही की जा सकती है।

14. आस्तियों का ह्रास

"स्थिर आस्तियों" (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि, यदि कोई हो तो, एएस 28 "आस्तियों का ह्रास" के अनुरूप, लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि, पुनर्मूल्यित आस्ति पर ह्रासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता, उस हद तक है जहां तक, एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम ह्रासित हानि से अधिक न हो।"

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां :

एएस 29 "प्रावधान आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक अस्तियों" के अनुसार बैंक, प्रावधानों को तभी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो और यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमनों के दायित्वों का निपटान करने की आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है।

16. शेयर जारी करने हेतु व्यय :

जिस वर्ष में शेयर जारी किया जाता है, उस वर्ष शेयर जारी करने के व्यय को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

13. TAXES ON INCOME:

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

Deferred Tax adjustments comprise changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognised by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future taxable income.

14. IMPAIRMENT OF ASSETS:

"Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset."

15. PROVISIONS, CONTINGENT LIABLITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

16. SHARE ISSUE EXPENSES:

Share issue expenses are charged to the Profit and Loss Account in the year of issue of shares.

अनुसूची 18

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो सभी आंकडे ₹ करोड़ों में हैं। कोष्ठक में दिए आंकडे पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

खातों के भाग स्वरूप टिप्पणियाँ :-

1. वर्ष के दौरान, सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2009 के अनुरूप बैंक ने अधिमानी आधार पर अंकित मूल्य रु.10/- प्रति शेयर के 51,76,33,928 इक्विटी शेयर का आबंटन किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

पूंजी के अंत: प्रवाह की तारीख	शेयरधारक का नाम	इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रति शेयर इश्यू मूल्य (रु. में)	राशि	आबंटन की तारीख
21.02.2019	भारत सरकार	51,76,33,928	89.60	4,638.00*	20.04.2019
	कुल	**51,76,33,928**		**4,638.00**	

* आरबीआई पत्र सं. डीबीआर.सीओ.बीपी.सं.8307/21.01.002/ 2018-19 दिनांक 2 अप्रैल, 2019 के संदर्भ में 21 फरवरी, 2019 को रु.4,638 की शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई और सीईटी-1 पूंजी यथा 31 मार्च,2019 की गणना पर विचार किया गया।

2. भारत सरकार ने अपने साप्ताहिक राजपत्र अधिसूचना दिनांक 31 मार्च, 2019 - 6 अप्रैल, 2019 के माध्यम से प्राधिकृत पूंजी को रु. 3000 (तीन हजार रुपए) से बढ़ाकर रु. 6000 (छः हजार रुपये) कर दिया।

3. अनुषंगी बही खातों का समतुलन, विदेशी शाखाओं, आंतर कार्यालय खातों, नोस्ट्रो खातों, उचंत, संदेय ड्राफ्ट, समाशोधन अन्तरों, इत्यादि के साथ शेष राशियों की पुष्टि/समाधान का कार्य सतत आधार पर प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में उपरोक्त का लम्बित अंतिम समाशोधन/समायोजन का वित्तीय विवरणों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है।

4. 31 मार्च 2019 को समाप्त विगत वित्तीय वर्ष में जिन लेखांकन नीतियों का पालन किया गया उन्हीं के आधार पर अवधि हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम तैयार किए गए ।

5. आरबीआई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित जानकारी दी जा रही है:

5.1 पूँजी (बासेल-III के अनुसार):

क्र सं.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
i)	सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी अनुपात (सीईटी-1) (%)	9.88%	11.01%
ii)	टियर - I पूंजी अनुपात (%)	9.90%	11.07%
iii)	टियर - II पूंजी अनुपात (%)	3.20%	3.12%
iv)	कुल अनुपात पूंजी (सीआरएआर) (%)	13.10%	14.19%
v)	भारत सरकार की शेयर धारिता का प्रतिशत	89.10%	87.05%
vi)	वर्ष के दौरान प्राप्त ईक्विटी पूंजी राशि	*4,638.00	10,746.80
vii)	शेयर आवेदन राशि आबंटन के लिए लबिंत	0.00	4,638.00

SCHEDULE 18

All figures are in ₹ crore unless specifically stated, figures in brackets relate to previous year.

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

1. During the year, Bank has made preferential allotment of 51,76,33,928 equity shares of ₹10 each, in accordance with the provisions of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009:-

Date of Capital Infusion	Name of the Shareholder	No. of equity shares	Issue price per share (in ₹)	Amount	Date of Allotment
21.02.2019	Government of India	51,76,33,928	89.60	4,638.00*	20.04.2019
	Total	**51,76,33,928**		**4,638.00**	

* In terms of Reserve Bank of India (RBI) letter no. DBR. CO.BP.No.8307/21.01.002/2018-19 dated April 2, 2019, the share application money of ₹ 4,638 received on February 21, 2019 has been considered for computation of CET 1 capital as on March 31, 2019.

2. The Govt. of India vide their weekly Gazette Notification dated March 31, 2019 - April 6, 2019 increased the authorised capital from ₹ 3,000 (Rupees Three Thousand) to ₹ 6,000 (Rupees Six Thousand).

3. Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/ reconciliation of balances with foreign branches, Inter-office accounts, NOSTRO Accounts, Suspense, Draft Payable, Clearing Difference, other office accounts, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of pending final clearance/adjustment of the above, is not likely to be significant.

4. The audited financial results for the period have been arrived at on the basis of the same accounting policies as those followed in the preceding financial year ended 31st March, 2019.

5. The following information is disclosed in terms of guidelines issued by RBI:

5.1. Capital (As per BASEL-III):

Sr. No.	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET1) (%)	9.88%	11.01%
ii)	Tier I Capital ratio (%)	9.90%	11.07%
iii)	Tier II Capital ratio (%)	3.20%	3.12%
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)	13.10%	14.19%
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India	89.10%	87.05%
vi)	Amount of Equity Capital Raised during the year	*4,638.00	10,746.80
vii)	Share application money pending for allotment	0.00	4,638.00

viii)	वर्ष के दौरान टियर - I पूंजी के रूप में प्राप्त राशि अर्थात पीडीआई		
	क) पीएनसीपीएस	0.00	0.00
	ख) पीडीआई	0.00	0.00
ix)	वर्ष के दौरान टियर - II राशि अर्थात डेट कैपिटल इन्स्ट्रूमेंट		
	क) डेट कैपिटल इन्स्ट्रूमेंट	0.00	0.00
	ख) पीसीपीएस /आरएनसीपीएस / आरसीपीएस	0.00	0.00

* वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रु. 4,638 की शेयर आबंटित राशि प्राप्त हुई थी तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आबंटन किया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.83/ 21.06.201/ 2015-16 दिनांक 1 मार्च, 2016 के अनुरूप, बैंक ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31 मार्च, 2020 के परिकलन में पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती, विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती और आस्थगित कर पर विचार किया है।

टियर I पूंजी में अभिवृद्धि करने हेतु प्राप्त किए गए बकाया नवोन्मेष सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई) बॉन्ड के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष में वर्धित	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बेसल III)
2010-11	आईपीडीआई	300.00	60.00
	कुल	**300.00**	**60.00**

टियर II पूंजी में अभिवृद्धि करने हेतु प्राप्त किए गए बकाया टियर II लिखतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष में वर्धित	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बासेल III)
2010-11	अपर टियर II	1,000.00	200.00
2013-14	टियर II	1,500.00	900.00
2015-16	टियर II	3,000.00	3,000.00
2016-17	टियर II	2,500.00	2,500.00
	कुल	**8,000.00**	**6,600.00**

बैंक ने कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया है तथा 28 जुलाई, 2019 को रु.500 राशि के अपर टियर II बॉण्ड सीरिज III तथा 28 अगस्त, 2019 को रु.500 राशि की सीरीज IV तथा 20 जनवरी, 2020 को रु.1,000 राशि के अपर टियर II बॉण्ड सीरिज V को रिडीम किया है। मूल बैंक ने भी 9 दिसम्बर, 2019 को रु.325 राशि के इन्नोवेटिव पर्पेचुअल बॉण्ड (आईपीडीआई) सीरिज V को रीडिम करने के लिए कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया है।

बैंक ने भी 11 जून, 2020 को कॉल ऑप्शन का प्रयोग करके रु.1,000 राशि के अपर टियर- II बॉण्ड सीरिज VI को रिडीम किया है। उपर्युक्त को यथा 31 मार्च, 2020 को टियर- II पूंजी की गणना में रु.200 की सीमा तक शामिल किया गया है।

viii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised during the year i.e. PDI		
	a) PNCPS	0.00	0.00
	b) PDI	0.00	0.00
ix)	Amount of Tier-II capital raised i.e. Debt Capital Instruments, during the year		
	a) Debt capital instruments	0.00	0.00
	B) PCPS / RNCPS / RCPS	0.00	0.00

* The share application money of ₹ 4,638 was received in FY 2018-19 and allotment was made in FY 2019-20.

Pursuant to RBI Circular No. DBR.No.BP. BC.83/21.06.201/2015-16 dated March 1, 2016, the Bank has considered revaluation reserve, foreign currency translation reserve and deferred tax assets in calculation of Capital Adequacy Ratios as on March 31, 2020.

Details of outstanding Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) bonds raised to augment Tier-I capital are as under:

Raised during the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2010-11	IPDI	300.00	60.00
	Total	**300.00**	**60.00**

Details of outstanding Tier-II Instruments raised to augment Tier -II capital are as under:

Raised during the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2010-11	Upper Tier-II	1,000.00	200.00
2013-14	Tier-II	1,500.00	900.00
2015-16	Tier-II	3,000.00	3,000.00
2016-17	Tier-II	2,500.00	2,500.00
	Total	**8,000.00**	**6,600.00**

Bank has exercised call option and redeemed Upper Tier II Bonds Series III amounting to ₹ 500 on July 28, 2019, Series IV amounting to ₹ 500 on August 28, 2019 and Upper Tier II Bonds Series V amounting to ₹ 1,000 on January 20, 2020. Bank has also exercised call option to redeem Innovative Perpetual Bonds (IPDI) Series V amounting to ₹ 325 on December 9, 2019.

Bank has also redeemed Upper Tier-II Bonds Series VI for an amount of ₹ 1,000 by exercising call option on June 11, 2020. The same has been considered in calculation of Tier II capital as on March 31, 2020 to the extent of ₹ 200.

5.2 निवेश

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2020	यथा 31.03.2019
1	निवेश का मूल्य		
	i) निवेशों का सकल मूल्य	1,62,182.50	1,51,218.18
	क) भारत में	1,55,322.66	1,44,570.03
	ख) भारत के बाहर	6,859.84	6,648.15
	ii) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	3,609.51	3,579.14
	क) भारत में	3,570.22	3,550.44
	ख) भारत के बाहर	39.29	28.70
	iii) निवेशों का निवल मूल्य	1,58,573.00	1,47,639.04
	क) भारत में	1,51,752.44	1,41,019.59
	ख) भारत के बाहर	6,820.56	6,619.45
2	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों की स्थिति		
	i) प्रारंभिक शेष	3,579.14	3,524.03
	ii) जोडें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान *	928.63	1,267.76
	iii) घटाएं : बट्टेखाते डालना/कमी/वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का राइट-बैक	899.74	1,215.94
	iv) जोड़ें/(घटाएं): विनिमय अंतर की वजह से समायोजन	1.48	3.29
	v) अंतिम शेष	3,609.51	3,579.14

i) राशि रू. 28,547.42 (पिछले वर्ष ₹ 25,199.35) की सरकारी प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य) को मार्जिन/प्रतिभूति निपटान के पक्ष में आरबीआई, सीसीआईएल, समाशोधन गृह और विनिमयों के पास मार्जिन के रूप में रखा गया है।

ii) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान ईक्विफिक्स क्रेडिट इन्फोर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 47.25 लाख शेयरों के बायबैक के तहत रु. 27.38 का लाभ अर्जित किया।

5.2.1. वर्ष के दौरान किए गए रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य पर):

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	बकाया यथा 31 मार्च, 2020
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां:				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	18,928.84 (15,041.10)	1,348.69 (5,144.96)	18,877.00 (12,033.42)
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां:				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	12,500.00 (12,300.00)	1,819.93 (364.56)	11,000.00 (0.00)
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

5.2. Investments

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
1	Value of Investments		
	i) Gross Value of Investments	1,62,182.50	1,51,218.18
	a) In India	1,55,322.66	1,44,570.03
	b) Outside India	6,859.84	6,648.15
	ii) Provisions for Depreciation	3,609.51	3,579.14
	a) In India	3,570.22	3,550.44
	b) Outside India	39.29	28.70
	iii) Net Value of Investments	1,58,573.00	1,47,639.04
	a) In India	1,51,752.44	1,41,019.59
	b) Outside India	6,820.56	6,619.45
2	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	i) Opening balance	3,579.14	3,524.03
	ii) Add: Provisions made during the year *	928.63	1,267.76
	iii) Less: Write-off/reduction/ write-back of excess provisions during the year	899.74	1,215.94
	iv) Add/(Less): Adjustments on account of exchange difference	1.48	3.29
	v) Closing balance	3,609.51	3,579.14

i) Government Securities (Face Value) amounting to ₹ 28,547.42 (previous year ₹ 25,199.35) are kept as margin with RBI, CCIL, Clearing House and Exchange towards margin/security settlement.

ii) During the year ended March 31, 2020, the Bank has earned a profit of ₹ 27.38 under buyback of 47.25 Lakh shares by Equifax Credit Information Services Private Limited.

5.2.1. Repo Transactions (in face value terms) undertaken during the year:

Particulars	Minimum out-standing during the year	Maximum out-standing during the year	Daily Average out-standing during the year	Out-standing as on March 31, 2020
Securities sold under repo:				
i) Government Securities	0.00 (0.00)	18,928.84 (15,041.10)	1,348.69 (5,144.96)	18,877.00 (12,033.42)
ii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Securities purchased under reverse repo:				
i) Government Securities	0.00 (0.00)	12,500.00 (12,300.00)	1,819.93 (364.56)	11,000.00 (0.00)
ii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

5.2.2. गैर-एसएलआर निवेश संविभाग:

i. गैर एसएलआर निवेशों के संबंध में जारीकर्ताओं के संघटन

5.2.2. Non-SLR Investment Portfolio:

i. Issuer Composition of Non SLR Investments

क्रं. सं. Sr. No.	जारीकर्ता / Issuer	राशि Amount	निजी तौर पर शेयर आबंटन Extent of Private Placement	'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूति* आबंटन Extent of 'Below Investment Grade' Securities*	'अश्रेणीकृत' प्रतिभूति आबंटन Extent of 'Unrated' Securities*	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियां का आबंटन Extent of 'Un-listed' Securities*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	सार्वजनिक उपक्रम / PSUs	2,035.38	1,284.02	0.00	616.25	0.00
		(2,847.89)	(2,276.20)	(0.00)	(616.25)	(0.00)
ii.	वित्तीय संस्थाएं / FIs	3,971.28	3,830.22	0.00	0.00	120.10
		(3,214.37)	(3,091.66)	(0.00)	(0.00)	(127.35)
iii.	बैंक / Banks	1,018.90	570.00	75.91	0.00	0.00
		(1,652.36)	(966.01)	(70.06)	(0.00)	(172.89)
iv.	निजी कॉर्पोरेट / Private Corporates	5,546.74	4,270.03	861.53	56.35	20.10
		(4,809.68)	(3,576.53)	(823.06)	(56.35)	(27.35)
v.	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम** Subsidiaries/Joint Ventures**	1,477.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		(1,442.96)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
vi.	अन्य * $ / Others * $	30,387.88	22,693.81	0.00	0.19	0.00
		(30,606.37)	(22,518.81)	(0.00)	(0.17)	(0.00)
	कुल / Total	**44,437.83**	**32,648.09**	**937.44**	**672.79**	**140.20**
		(44,573.63)	**(32,429.21)**	**(893.12)**	**(672.77)**	**(327.59)**
vii.	घटाएं: मूल्यह्रास हेतु किए गए प्रावधान Less: Provision held towards Depreciation	3,609.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		(3,441.82)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	निवल / Net	**40,828.29**	**32,648.09**	**937.44**	**672.79**	**140.20**
		(41,131.81)	**(32,429.21)**	**(893.12)**	**(672.77)**	**(327.59)**

* इक्विटी में निवेश, इक्विटी अभिविन्यस्त म्युचुअल फंड, जोखिम पूंजी, वर्गीकृत आस्ति समचित प्रतिभूति, केंद्र सरकारकी प्रतिभूतियाँ, प्रतिभूति रसीद, इत्यादि को इन श्रेणियों के तहत भिन्न नहीं किया गया है, क्योंकि इन्हें वर्गीकरण/सूचीकरण दिशानिर्देशों से छूट दी गई है।

** अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहायकों में निवेश को विभिन्न श्रेणियों में पृथक नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें आरबीआई के संबंधित दिशानिर्देशों के तहत कवर नहीं किया गया है।

$ रु. 21,699 (विगत वर्ष रु.21,699) का भारत सरकार गैर-एसएलआर पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड में निवेश शामिल है।

* Investment in Equity, Equity Oriented Mutual Funds, Venture Capital, Rated Assets Backed Securities, Central Govt. Securities, Security Receipts, etc. are not segregated under these categories as these are exempt from rating/listing guidelines.

** Investment in Subsidiaries/Joint Ventures/Associates have not been segregated into various categories as these are not covered under relevant RBI guidelines.

$ includes investment in GOI Non-SLR re-capitalisation bonds of ₹ 21,699 (previous year ₹ 21,699)

ii. अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

विवरण	2019-20	2018-19
प्रारंभिक शेष	2,468.11	2,594.60
वर्ष के दौरान परिवर्धन	235.65	65.29
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां	473.00	206.78
जोडें/(घटाएं): एक्सचेंज अंतर	37.83	15.00
अंतिम शेष*	2,268.59	2,468.11
धारित कुल प्रावधान	**2,195.89**	**2,257.42**

ii. Non-performing Non-SLR Investments:

Particulars	2019-20	2018-19
Opening balance	2,468.11	2,594.60
Additions during the year	235.65	65.29
Less: Reductions during the year	473.00	206.78
Add/(Less): Exchange difference	37.83	15.00
Closing balance	2,268.59	2,468.11
Total provisions held	**2,195.89**	**2,257.42**

5.2.3. (i) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री तथा हस्तांतरण:

01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान, एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण का कुल मूल्य, यथा 31 मार्च 2019 को एचटीएम श्रेणी में रखे गए बही मूल्य का 5% से ज्यादा नहीं है। उपर्युक्त उल्लिखित 5 प्रतिशत की सीमा में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे -

(ए) निदेशक मंडल के अनुमोदन से लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में बैंकों द्वारा जिन प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण किया जाना अनुमत है;

(बी) पूर्व घोषित ओपन मार्केट नीलामियों के तहत आरबीआई को बिक्री।

(सी) बैंक से भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीदी

(डी) लेखांकन वर्ष के आरंभ में अनुमति प्राप्त अंतरण के अतिरिक्त, एचटीएम के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों पर सीलिंग के कम होने के कारण एएफएस/एचएफटी में अंतरण या प्रतिभूतियों की बिक्री।

वि.व. 2019-20 के दौरान एचटीएम से प्रतिभूतियों की बिक्री (ओएमओ के अंतर्गत एकबारगी अंतरण एवं बिक्री के अलावा)	4,190.00	% में बिक्री (<5%) =4.97%
यथा 31.03.2019 को एचटीएम श्रेणी में सरकारी प्रतिभूतियाँ	84,277.58	

(ii) एचटीएम के अंतर्गत निवेश की बिक्री पर लाभ से संबंधित तथा उसके प्रीमियम के परिशोधन का विवरण:

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	वि.व. 2019-20 के दौरान एचटीएम से प्रतिभूतियों की बिक्री (अंकित मूल्य) (ओएमओ के अंतर्गत एकबारगी अंतरण एवं बिक्री के अलावा)	4,190.00
2	वर्ष 2019-20 के दौरान एचटीएम से प्रतिभूतियों की बिक्री द्वारा प्राप्त लाभ (ओएमओ के अंतर्गत बिक्री सहित)	373.16
3	वर्ष 2019-20 के दौरान एचटीएम प्रतिभूतियों में प्रीमियम का परिशोधन	298.20

5.3 डेरिवेटिव

5.3.1 वायदा दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2020	यथा 31.03.2019
i)	स्वैप अनुबंध की कल्पित मूल राशि	10,963.83	10,630.67
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा करार के अंतर्गत अपने दायित्व पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानियां	99.00	94.08
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने पर बैंक द्वारा अपेक्षित सम्पार्श्विक प्रतिभूति	स्वैप के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की जरूरत नहीं थी क्योंकि काउन्टर पार्टी या तो बैंक अथवा प्रीमियर कार्पोरेट थे.	

5.2.3. (i) Sale and transfer of securities to/from HTM Category during the financial year 2019-20:

The total value of sale and transfers of securities from HTM category during April 1, 2019 to March 31, 2020 has not exceeded 5% of the book value of investments held in HTM category as on March 31, 2019. The 5 per cent threshold referred to above will exclude:

(a) The one-time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Director permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year.

(b) Sale to the Reserve Bank of India under pre-announced OMO auctions.

(c) Repurchase of Government Securities by Government of India from banks.

(d) Sale of securities or transfer to AFS/HFT consequent to the reduction of ceiling on SLR securities under HTM, in addition to the shifting permitted at the beginning of the accounting year.

Sale of Securities from HTM during FY 2019-20 (Other than one time Shifting & sale under OMO)	4,190.00	Sale in % (<5%) =4.97%
Securities held in HTM Category as on 31.03.2019	84,277.58	

(ii) Details pertaining to Profit on Sale of Investment under HTM and amortisation of premium thereof:

Sr No	Particulars	Amount
1	Sale of Securities from HTM during 2019-20 (Face Value) (Other than one time Shifting & sale under OMO)	4,190.00
2	Profit earned by sale of securities from HTM during 2019-20 (including sale under OMO)	373.16
3	Amortization of premium in HTM securities during 2019-20	298.20

5.3. Derivatives

5.3.1. Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
i)	The notional principal of swap agreements	10,963.83	10,630.67
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	99.00	94.08
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	No collaterals were required for the swaps as counterparties were either banks or premier corporate	

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2020	यथा 31.03.2019
iv)	स्वैप से आए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	वर्ष के दौरान ब्याज दर स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का कोई संकेन्द्रण नहीं है।	
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	(-)1.66	6.80

5.3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2020	यथा 31.03.2019
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखत-वार)	0.00	0.00
(ii)	यथा 31 मार्च को बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेविरेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखत-वार)	0.00	0.00
(iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि और जो "उच्च प्रभावी" नहीं हो (लिखत-वार)	0.00	0.00
(iv)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य और जो "उच्च प्रभावी" नहीं हो (लिखत-वार)	0.00	0.00

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आरबीआई में आरआरसी खाता में तथा रेपो/रिजर्व रेपो संव्यवहार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कोई चूक एवं दंड नहीं लगाया गया है।

5.2.3 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

बैंक तुलन पत्र की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा कारोबारी उद्देश्यों और ग्राहक जरूरतों को पूरा करने के लिए डेरिवेटिव संविदाएं करता है जैसे कि ब्याज-दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली और मुद्रा तथा परस्पर लेन देन की मुद्रा का विकल्प या व्यापार के उद्देश्य हेतु ये उत्पाद जोखिम की प्रतिरक्षा, लागत घटाने तथा ऐसे संव्यवहारों से आय बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बैंक इस प्रकार के व्यवहार में जिस प्रकार के जोखिमों का सामना करता है, वे हैं ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनगत जोखिम आदि।

जोखिम प्रबंधन बैंक के कारोबार प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जोखिम की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने, समुचित जोखिम सीमाएं निर्धारित करने और उन जोखिमों और सीमाओं की निरंतर आधार पर अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों के जरिए देख-रेख करने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार की हैं। जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई हैं और उनकी नियमित आधार पर देख-रेख तथा समीक्षा की जाती है। बैंक का संगठन जोखिम के प्रबंधन में सहायक रहा है। डेरिवेटिव परिचालन में व्यापार क्रिया कलापों के ऋण जोखिमों की पर्याप्त जानकारी है।

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
iv)	Concentration of Credit Risk arising from the swaps	There is no concentration of credit risk arising from the interest rate swaps undertaken during the year	
v)	The fair value of the swap book	(-)1.66	6.80

5.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	0.00	0.00
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March(instrument-wise)	0.00	0.00
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00	0.00
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00	0.00

There was no default and penalty imposed by Reserve Bank of India in Repo/ Reverse Repo transactions and in RRC Account with RBI during the Financial year 2019-20.

5.2.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

i. Qualitative Disclosure

The Bank enters into derivative contracts such as interest rate derivatives, currency swaps and currency options to hedge on balance sheet assets and liabilities or to meet client requirements as well as for trading purpose as per policy approved by the Board. These products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield. In such transactions, the types of risks to which the bank is exposed to, are credit risk, market risk, operational risk etc.

Risk management is an integral part of bank's business management. Bank has risk management policies designed to identify and analyse risks, to set appropriate risk limits and to monitor these risks and limits on an on-going basis by means of reliable and up to date management information systems. The risk management policies and major control limits are approved by the Board of Directors and they are monitored and reviewed regularly. The organization of the Bank is conducive to managing risks. There is sufficient awareness of the risks and the size of exposure of the trading activities in derivative operations.

The Bank has a Risk Management Committee of Directors presided over by the Chairman.

अध्यक्ष (Chairman) की अध्यक्षता में बैंक के निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति है।

हैज/नान-हैज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहारों को भिन्न रूप से रिकार्ड किया जाता है। हेजिंग व्यूत्पन्नी पर आय/खर्च को उपचित आधार पर लेखांकित किया जाता है।

फोरेक्स फोरवर्ड संविदाओं को बाजार को चिन्हित किया गया है और परिणामत: लाभ और हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है।

व्यापार उद्देश्य से विनिमय व्यापार व्यूत्पन्न के अलावा ब्याज दर व्यूत्पन्न और मुद्रा व्यूत्पन्न को बाजार को चिन्हित किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई, को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है। निवल लाभ, यदि कोई, पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

व्यापार उद्देश्य से प्रविष्ट विनिमय व्यापार व्युत्पन्न का विनिमय द्वारा दिए गए दर के आधार पर प्रचलित मार्केट दरों पर मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत:लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है ।

व्यापार स्वैप की समाप्ति पर लाभ/हानि को समाप्ति तिथि पर आय/खर्च के रूप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप की समाप्ति पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैन की शेष अनुबंधित कम अवधि अथवा पदनामित आस्तियों/देयताओं की बकाया अवधि से संबद्ध किया जाता है।

विकल्प संविदा के परिपक्वता काल पर विकल्प शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है ।

बैंक में वरिष्ठ और उच्च प्रबंधन को आवधिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की उचित पद्धति है इसके साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित/या परिचालन आवश्यकतानुसार विनियामक प्राधिकारियों को भी रिपोर्ट भेजी जाती है। बैंक के पास निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न पहलूओं पर स्पष्ट डेरिवेटिव दिशा-निर्देश है। डेरिवेटिव लेन देन समवर्ती आंतरिक, सांविधिक और नियामक लेखा परीक्षा के शर्तो के अध्यधीन है।

संव्यवहारों के प्रतिपक्ष बैंक प्राथमिक डीलर और प्रीमियर कार्पोरेट्स ईकाइयां हैं। इनमें व्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमा के अंदर किया जाता है। बैंक ने ब्याज दर एवं विदेशी विनिमय डेरिवेटिव लेन-देनों के कारण उत्पन्न ऋण जोखिमों के मापन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वर्तमान ऋण जोखिम विधि अपनाई है। वर्तमान ऋण जोखिम विधि में वर्तमान ऋण जोखिम और इन संविदाओं के संभावी आगामी ऋण जोखिम का जोड़ है।

वर्तमान ऋण एक्सपोज़र इन संविदाओं के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का जोड़ है अर्थात् जब बैंक को प्रतिपक्ष से राशि प्राप्त करनी होती है।

संभावी आगामी ऋण जोखिम का निर्धारण इन संविदाओं के कतिपत मूल राशि, चाहे संविदा का शून्य, सकारात्मक अथवा नकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य हो, के साथ निम्नानुसार संबंधित एड-ऑन तत्वों के अनुसार लिखत के शेष परिपक्वता और स्वप का गुणा करके प्राप्त किया जाएगा।

The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Income/expenditure on hedging derivatives is accounted on accrual basis.

Forex forward contracts are marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

Interest rate derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit, if any, is ignored.

Exchange traded derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit & Loss account.

Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/ liabilities.

Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

Bank has a proper system of submitting periodical reports to Senior and Top Management and Board as well as regulatory authorities as required by RBI and/or as per operational requirements. Bank has clearly spelt derivative guidelines on various aspects approved by the Board of Director. The derivative transactions are subject to concurrent, internal, statutory and regulatory audits.

The counter parties to the transactions are banks, primary dealers and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The Bank has adopted the Current Exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposures arising on account of interest rate and foreign exchange derivative transactions. Current exposure method is the sum of current credit exposure and potential future exposure of these contracts.

The current credit exposure is the sum of positive mark to market value of these contracts i.e. when the Bank has to receive money from the counter party.

Potential future credit exposure is determined by multiplying the notional principal amount of these contracts irrespective of whether the contract has zero, positive or negative mark to market value by the relevant add-on factors as under according to the nature and residual maturity of the instrument.

अवशिष्ट परिपक्वता	कुल अनुमानित मूल राशि पर लागू परिवर्तनकारक तत्व	
	ब्याज दर संविदा	विनिमय दर संविदा
एक वर्ष या उससे कम	0.50%	2.00%
एक वर्ष से अधिक पांच वर्ष तक	1.00%	10.00%
पाँच वर्ष से अधिक	3.00%	15.00%

ऋण जोखिम की गणना करते समय "विक्रीगत विकल्पों" को वहाँ छोड दिया जाता है जहाँ कहीं प्रीमियम / शुल्क या किसी भी रूप में आय प्राप्त / वसूली होती हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशानुसार के अनुसार संविदा के वर्तमान बाजार मूल्य पर ऋण जोखिम की गणना की जाती हे। इस पर "मानक" श्रेणी के ऋण आस्ति पर लागू प्रावधान शर्तें भी लागू है। वर्तमान में जोखिमवाली आस्तियों पर 0.40% प्रावधान किया जाना है। हमारे खातों में बैंक उपर्युक्त के अनुसार अपेक्षित प्रावधान करते हैं।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव		ब्याजदर डेरिवेटिव	
1	डेरिवेटिव (अनुमानित मूल राशि)	16,178.19		10,963.83	
	क) हेजिंग हेतु	6,282.54		10,963.83	
		(9,818.24)		(10,522.15)	
	ख) कारोबार हेतु	9,895.65		0.00	
		(1,600.01)		(0.00)	
2	मार्क्ड टु मार्केट पोजिशन्स (1)				
	क) आस्ति (+)	27.87		99.00	
		(25.14)		(92.71)	
	ख) देयता (-)	15.93		101.48	
		((-)2.35)		(128.79)	
3	क्रेडिट एक्सपोजर [2]	179.31		241.22	
		(229.36)		(112.30)	
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से होने वाला संभाव्य प्रभाव (100*पीवी01)				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	0.00		37.68	
		(0.00)		(50.38)	
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	0.00		0.00	
		(0.40)		(0.00)	
5	वर्ष के दौरान देखी गई 100*पीवी01 की अधिकतम एवं न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम
	क) हेजिंग पर	0.00	0.00	2.76	0.20
		(0.00)	(0.00)	(50.38)	(50.35)
	ख) ट्रेडिंग पर	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.52)	(0.40)	(0.00)	(0.00)

Residual Maturity	Conversion factor applied on Notional Principal Amount	
	Interest Rate Contract	Exchange Rate Contract
One year or less	0.50%	2.00%
Over one year to five years	1.00%	10.00%
Over five years	3.00%	15.00%

While computing the credit exposure, “sold options” are excluded wherever the entire premium/fee or any other form of income is received / realized.

As per the extant RBI guidelines, credit exposures computed as per the current Mark to Market value of the contracts, also attracts provisioning requirement as applicable to the loan assets in the “Standard” category, of the concerned counterparty. At present, the provision is to be maintained at 0.40% of the risk weighted assets. The Bank makes the requisite provision as aforesaid in the books.

ii. Quantitative Disclosures

Sr No	Particulars	Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives	
1	Derivatives (Notional Principal Amount)	16,178.19		10,963.83	
	a) For hedging	6,282.54		10,963.83	
		(9,818.24)		(10,522.15)	
	b) For trading	9,895.65		0.00	
		(1,600.01)		(0.00)	
2	Marked to Market Positions [1]				
	a) Asset (+)	27.87		99.00	
		(25.14)		(92.71)	
	b) Liability (-)	15.93		101.48	
		((-)2.35)		(128.79)	
3	Credit Exposure [2]	179.31		241.22	
		(229.36)		(112.30)	
4	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) On hedging derivatives	0.00		37.68	
		(0.00)		(50.38)	
	b) On trading derivatives	0.00		0.00	
		(0.40)		(0.00)	
5	Maximum & Minimum of 100*PV01 observed during the year	Max	Min	Max	Min
	a) On hedging	0.00	0.00	2.76	0.20
		(0.00)	(0.00)	(50.38)	(50.35)
	b) On trading	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.52)	(0.40)	(0.00)	(0.00)

5.4 आस्ति गुणवत्ता

5.4.1 अनर्जक आस्ति - अनर्जक अग्रिम

विवरण	2019-20	2018-19
(i) निवल अग्रिमों में से निवल एनपीए (%)	3.88%	5.61%
(ii) एनपीए (सकल) का उतार-चढ़ाव		
क) आरंभिक शेष	60,661.12	62,328.46
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	16,328.81	24,133.26
ग) वर्ष के दौरान कमी	15,440.00	25,800.60
घ) अंतिम शेष	61,549.93	60,661.12
(iii) निवल एनपीए का उतार-चढ़ाव		
क) आरंभिक शेष	19,118.96	28,207.27
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	5,704.77	7,584.66
ग) वर्ष के दौरान कमी	10,503.63	16,672.97
घ) अंतिम शेष	14,320.10	19,118.96
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)		
क) आरंभिक शेष	39,391.69	31,871.97
ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	14,248.41	18,425.13
ग) बट्टे खाते में/अतिरिक्त प्रावधान को राइट बैक	8,558.76	10,905.41
घ) अंतिम शेष	45,081.34	39,391.69

5.4.2 अनर्जक आस्ति -

ए) अनर्जक निवेश

विवरण	2019-20	2018-19
(i) निवल निवेश पर निवल एनपीआई (%)	0.05%	0.14%
(ii) एनपीआई (सकल) का उतार चढाव		
क) आरंभिक शेष	2,468.12	2,594.60
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	273.48	84.02
ग) वर्ष के दौरान कमी	473.00	210.50
घ) अंतिम शेष	2,268.60	2,468.12
(iii) एनपीआई - मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
क) आरंभिक शेष	2,257.41	1,911.26
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	341.72	490.86
ग) वर्ष के दौरान कमी	403.23	144.71
घ) अंतिम शेष	2,195.90	2,257.41
(iv) एनपीआई के लिए प्रावधान का उतार-चढ़ाव		
क) आरंभिक शेष	210.70	683.34
ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	68.23	0.60
ग) राइट ऑफ़/अतिरिक्त प्रावधान का राइट बैक	69.77	473.24
घ) अंतिम शेष	72.70	210.70

5.4 Asset Quality

5.4.1 Non-Performing Asset - Non performing Advances

Particulars	2019-20	2018-19
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	3.88%	5.61%
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
a) Opening balance	60,661.12	62,328.46
b) Additions during the year	16,328.81	24,133.26
c) Reductions during the year	15,440.00	25,800.60
d) Closing balance	61,549.93	60,661.12
(iii) Movement of Net NPAs		
a) Opening balance	19,118.96	28,207.27
b) Additions during the year	5,704.77	7,584.66
c) Reductions during the year	10,503.63	16,672.97
d) Closing balance	14,320.10	19,118.96
(iv) Movement of provision for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
a) Opening balance	39,391.69	31,871.97
b) Provisions made during the year	14,248.41	18,425.13
c) Write-off/write-back of excess provisions	8,558.76	10,905.41
d) Closing balance	45,081.34	39,391.69

5.4.2 Non-Performing Asset -

(a) Non performing Investments

Particulars	2019-20	2018-19
(i) Net NPIs to Net Investment (%)	0.05%	0.14%
(ii) Movement of NPIs (Gross)		
a) Opening balance	2,468.12	2,594.60
b) Additions during the year	273.48	84.02
c) Reductions during the year	473.00	210.50
d) Closing balance	2,268.60	2,468.12
(iii) Provision for Depreciation - NPI		
a) Opening balance	2,257.41	1,911.26
b) Additions during the year	341.72	490.86
c) Reductions during the year	403.23	144.71
d) Closing balance	2,195.90	2,257.41
(iv) Movement of provision for NPIs		
a) Opening balance	210.70	683.34
b) Provisions made during the year	68.23	0.60
c) Write-off/write-back of excess provisions	69.77	473.24
d) Closing balance	72.70	210.70

(बी) परिपक्व एनपीआई (अनुसूची 11 'अन्य आस्तियों' में शामिल)

(i) निवेश का मूल्य:

विवरण	2019-20	2018-19
(i) निवेश का सकल मूल्य	1,204.94	822.02
(क) भारत में	740.25	391.95
(ख) भारत के बाहर	464.69	430.07
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	1,204.94	822.02
(क) भारत में	740.25	391.95
(ख) भारत के बाहर	464.69	430.07
(iii) निवेश का निवल मूल्य	-	-
(क) भारत में	-	-
(ख) भारत के बाहर	-	-

(ii) निवेश पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों की स्थिति:

विवरण	2019-20	2018-19
प्रारंभिक शेष	822.02	794.74
जोडें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	348.30	14.57
उप-योग	1,170.32	809.31
घटाएं : बट्टेखाते डालना/कमी/वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का राइट-बैक	3.22	0.00
जोड़ें/(घटाएं): विनिमय अंतर की वजह से समायोजन	37.84	12.71
अंतिम शेष	1,204.94	822.02

(b) Matured NPI (included in Schedule 11 'Other Assets'):

(i) Value of Investments:

Particular	2019-20	2018-19
(i) Gross Value of Investments	1,204.94	822.02
(a) In India	740.25	391.95
(b) Outside India	464.69	430.07
(ii) Provision for Depreciation	1,204.94	822.02
(a) In India	740.25	391.95
(b) Outside India	464.69	430.07
(iii) Net Value of Investments		-
(a) In India	-	-
(b) Outside India	-	-

(ii) Movement of provisions held towards depreciation on investments:

Particular	2019-20	2018-19
Opening Balance	822.02	794.74
Add: Provisions made during the year	348.30	14.57
Sub-total	1,170.32	809.31
Less: Write off/ write-back of excess provision during the year	3.22	0.00
Add/(Less): Adjustments on account of Exchange Diff	37.84	12.71
Closing Balance	1,204.94	822.02

5.4.3 पुनर्गठित खातों के विवरण - वर्ष 2019-20 के दौरान पुनर्गठन की शर्त पर ऋण आस्तियों के ब्यौरे (प्रबंधन द्वारा समेकित)

5.4.3 Particulars of Accounts Restructured- Details of Loan assets subjected to restructuring during 2019-20 (As compiled by the management and relied upon by the Auditors):

पुनर्गठित खातों के विवरण - वित्तीय वर्ष 2019-20 / Particulars of Accounts Restructured - F.Y. 2019-20												
क्र. सं. Sr No	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर मेकेनिजम के तहत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन के तहत Under SME Debt Restructuring				
	ब्यौरे Details	आस्तियों का विवरण Assets Classification	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	वित्तीय वर्ष के यथा 1 अप्रैल को पुनर्गठित खाते (प्रारम्भिक आंकड़े) Restructured Account As on April 1 of FY (Opening Figure)	उधारकर्ताओं की संख्या No of Borrowers	1	0	21	1	23	14564	142	110	1	14817
			(3)	(3)	(22)	(0)	(28)	(16)	(1)	(62)	(0)	(79)
		बकाया राशि Amount Outstanding	32	0	3411	948	4391	629	13	406	0	1048
			(115)	(229)	(4549)	(0)	(4983)	(125)	(3)	(805)	(0)	(933)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0	0	0.29	0	0.29	28.09	0.52	0.18	(0)	28.79
			(2)	(1)	(10)	(0)	(13)	(1)	(0)	(1)	(0)	(2)
2	वर्ष के दौरान ताज़ा पुनर्गठित Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या No of Borrowers	0	0	0	0	0	87789	1422	18	1	89230
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(14557)	(140)	(61)	(0)	(14758)
		बकाया राशि* Amount Outstanding*	0	0	10.12	0	10.12	2113.25	141.22	9.87	1.10	2265.44
			(0)	(0)	(28)	(0)	(28)	(483)	(8)	(1)	(0)	(492)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0	0	0	0	0	97.02	2.85	0.07	0	99.94
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(21)	(0)	(7)	(0)	(28)
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक प्रवर्ग में उन्नयन Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No of Borrowers	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	0
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(-1)	(0)	(0)
		बकाया राशि Amount Outstanding	-16.00	0.00	-112.00	0.00	-128.00	1.14	-1.14	0.00	0.00	0.00
			(-24)	(0)	(0)	(0)	(-24)	(52)	(0)	(-52)	(0)	(0)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7)	(0)	(-7)	(0)	(0)
4	ऐसे पुनर्गठित मानक अग्रिम जिन पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्चतर प्रावधानीकरण और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भार लगना बंद है और इसीलिए उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में पुनर्गठित मानक अग्रिमों के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं हैं। Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या No of Borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(1)	(0)	(0)	(0)	(1)	(4)	(0)	(0)	(0)	(4)
		बकाया राशि Amount Outstanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(25)	(0)	(0)	(0)	(25)	(18)	(0)	(0)	(0)	(18)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(1)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

पुनर्गठित खातों के विवरण - वित्तीय वर्ष 2019-20 / Particulars of Accounts Restructured - F.Y. 2019-20												
क्र. सं. Sr No	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर मेकेनिजम के तहत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन के तहत Under SME Debt Restructuring				
	ब्यौरे Details	आस्तियों का विवरण Assets Classification	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन Downgradations of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No of Borrowers	0	0	-3	3	0	-10	6	0	4	0
			(-1)	(-3)	(3)	(1)	(0)	(-2)	(1)	(0)	(1)	(0)
		बकाया राशि Amount Outstanding	0	0	-963.34	963.34	0	-68.88	45.63	-5.29	28.54	0
			(-36)	(-229)	(-684)	(949)	(0)	(-5)	(2)	(2)	(1)	(0)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0	0	0	0	0	-1.32	0.53	0.75	0.04	0
			(-1)	(-1)	(2)	(0)	(0)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते में डालना Write-offs of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No of Borrowers	0	0	3	0	3	5	1	6	0	12
			(0)	(0)	(4)	(0)	(4)	(4)	(0)	(12)	(0)	(16)
		बकाया राशि Amount Outstanding	0	0	297.90	3.11	301.01	35.43	0.59	30.61	1.21	67.84
			(0)	(0)	(517)	(2)	(519)	(9)	(0)	(352)	(1)	(362)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0	0	0.25	0	0.25	-14.98	0.24	0.72	0.04	-13.98
			(0)	(0)	(11)	(0)	(11)	(1)	(0)	(1)	(0)	(2)
7	वित्तीय वर्ष के यथा 31 मार्च को पुनर्गठित खाते (लेखाबंदी आकड़ें*) Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures)	उधारकर्ताओं की संख्या No of Borrowers	1	0	14	4	19	102339	1568	122	6	104035
			(1)	(0)	(21)	(1)	(23)	(14564)	(142)	(110)	(1)	(14817)
		बकाया राशि Amount Outstanding	17	0	1927.95	1908.02	3852.974	2638.77	198.08	380.43	28.68	3245.96
			(30)	(0)	(3376)	(948)	(4354)	(629)	(13)	(403)	(0)	(1045)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0	0	0.04	0	0.04	138.77	3.66	0.28	0	142.71
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(28)	(1)	(0)	(0)	(29)

क्र. सं. Sr No	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring		अन्य Others					कुल Total				
	ब्यौरे Details	आस्तियों का विवरण Assets Classification	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	वित्तीय वर्ष के यथा 1 अप्रैल को पुनर्गठित खाते (प्रारम्भिक आंकड़े) Restructured Account As on April 1 of FY (Opening Figure)	उधारकर्ताओं की संख्या No of Borrowers	2635	12046	853	8	15542	17200	12188	984	10	30382
			(13700)	(12046)	(902)	(2)	(26650)	(13719)	(12050)	(986)	(2)	(26757)
		बकाया राशि Amount Outstanding	1697.72	1179.56	9952.84	496.18	13326.3	2358.41	1192.52	13770.37	1444.22	18765.52
			(3137)	(1908)	(9827)	(264)	(15137)	(3377)	(2141)	(15181)	(264)	(20964)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	62.47	13.86	11.85	0	88.18	90.56	14.38	12.32	0	117.26
			(132)	(29)	(41)	(0)	(202)	(135)	(30)	(52)	(0)	(217)
2	वर्ष के दौरान ताज़ा पुनर्गठित Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या No of Borrowers	6	0	0	0	6	87795	1422	18	1	89236
			(25)	(1)	(0)	(0)	(26)	(14582)	(141)	(61)	(0)	(14784)
		बकाया राशि* Amount Outstanding*	520.52	0	10.4	0	530.92	2633.77	141.22	30.39	1.1	2806.48
			(155)	(498)	(162)	(0)	(815)	(638)	(506)	(191)	(0)	(1336)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	12.79	0	3.18	0	15.97	109.81	2.85	3.25	0	115.91
			(1)	(0)	(0)	(0)	(1)	(22)	(0)	(7)	(0)	(30)
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक प्रवर्ग में उन्नयन Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No of Borrowers	1	0	-2	0	-1	2	-1	-3	0	-2
			(2)	(0)	(-2)	(0)	(0)	(3)	(0)	(-3)	(0)	(0)
		बकाया राशि Amount Outstanding	120.14	0	-173.14	0	-53	105.28	-1.14	-285.14	0	-181
			(91)	(0)	(-117)	(-1)	(-27)	(119)	(0)	(-169)	(-1)	(-51)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	4.69	0	-4.69	0	0	4.69	0	-4.69	0	0
			(1)	(0)	(-1)	(0)	(0)	(7)	(0)	(-7)	(0)	(0)
4	ऐसे पुनर्गठित मानक अग्रिम जिन पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्चतर प्रावधानीकरण और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भार लगना बंद है और इसीलिए उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में पुनर्गठित मानक अग्रिमों के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं हैं। Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या No of Borrowers	2590	0	0	0	2590	2590	0	0	0	2590
			(11072)	(0)	(0)	(0)	(11072)	(11077)	(0)	(0)	(0)	(11077)
		बकाया राशि Amount Outstanding	26.02	0	0	0	26.02	26.02	0	0	0	26.02
			(292)	(0)	(0)	(0)	(292)	(335)	(0)	(0)	(0)	(335)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	1.3	0	0	0	1.3	1.3	0	0	0	1.3
			(9)	(0)	(0)	(0)	(9)	(11)	(0)	(0)	(0)	(11)
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन Downgradations of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No of Borrowers	-3	-4	-5	12	0	-13	2	-8	19	0
			(-8)	(-1)	(3)	(6)	(0)	(-11)	(-3)	(6)	(8)	(0)
		बकाया राशि Amount Outstanding	-161.15	-818.87	12.21	967.81	0	-230.03	-773.24	-956.42	1959.69	0
			(-577)	(-1258)	(1618)	(217)	0	(-619)	(-1485)	(935)	(1168)	(0)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	-3.61	-2.51	-0.26	6.38	0	-4.93	-1.98	0.49	6.42	0
			(-9)	(-14)	(23)	(0)	(0)	(-10)	(-15)	(24)	(0)	(0)

क्र. सं. Sr No	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring		अन्य Others					कुल Total				
	ब्यौरे Details	आस्तियों का विवरण Assets Classification	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते में डालना Write-offs of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No of Borrowers	2	0	12	0	14	7	1	21	0	29
			(11)	(1)	(50)	(0)	(62)	(15)	(1)	(66)	(0)	(82)
		बकाया राशि Amount Outstanding	128.62	16.47	1079.48	9.19	1233.76	164.05	17.06	1407.99	13.51	1602.61
			(775)	(17)	(1576)	(2)	(2371)	(784)	(17)	(2446)	(5)	(3252)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	26.54	2.85	2.51	6.38	38.28	11.56	3.09	3.48	6.42	24.55
			(53)	(1)	(52)	(0)	(106)	(54)	(1)	(64)	(0)	(119)
7	वित्तीय वर्ष के यथा 31 मार्च को पुनर्गठित खाते (लेखाबंदी आकड़ें*) Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures)	उधारकर्ताओं की संख्या No of Borrowers	47	12042	834	20	12943	102387	13610	970	30	116997
			(2636)	(12045)	(853)	(8)	(15542)	(17201)	(12187)	(984)	(10)	(30282)
		बकाया राशि Amount Outstanding	2021.59	344.22	8622.83	1454.8	12443.44	4677.36	542.3	10931.21	3391.5	19542.37
			(1739)	(1132)	(9913)	(478)	(13261)	(2397)	(1145)	(13692)	(1426)	(18661)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	48.5	8.5	7.57	0	64.57	187.27	12.16	7.89	0	207.32
			(62)	(14)	(12)	(0)	(88)	(91)	(14)	(12)	(0)	(117)

* इसमें बकाया शेष में वृद्धि शामिल है, जो यथा 31 मार्च, 2018 की बहियों में भी उपलब्ध है।
* Includes increase in outstanding which were also there in the books as at March 31, 2018.

5.4.3.2 दबावग्रस्त आस्तियों पर प्रकटन

(1) वर्तमान ऋणों की लचीली पुन:संरचना पर प्रकटन :

5.4.3.2. Disclosure on Stressed Assets

(1) Disclosure on Flexible Structuring of Existing Loans:

अवधि	Period	कितने उधारकर्ताओं के लिए लचीली पुन:संरचना पर विचार किया गया No of Borrowers taken up for flexible structuring	लचीली पुन:संररचना हेतु चयनित ऋणों की राशि Amount of loans taken up for flexible structuring		लचीली पुन:संरचना हेतु चयनित ऋणों की एक्सपोज़र भारित औसत अवधि Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
			मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	लचीली पुन:संरचना लागू करने से पूर्व Before applying flexible structuring	लचीली पुन:संरचना लागू करने से पश्चात After applying flexible structuring
विगत वित्तीय वर्ष	Previous Financial Year	0	0.00	0.00	0	0
चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2019 से मार्च 2020)	Current Financial Year (From April 2019 to March 2020)	0	0.00	0.00	0	0

(2) कार्यनीतिक ऋण पुन:संरचना योजना (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं) :

(2) Disclosure on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period):

खाते जहां एसडीआर शुरू किया गया है No. of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		जिन खातों में ऋण का इक्विटी में परिवर्तन लंबित है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		जिन खातों में ऋण का इक्विटी में परिवर्तन किया गया है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य / Nil						

(3) एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं) :

(3) Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period):

खाते जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णल ले लिया है No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		जिन खातों में ऋण का इक्विटी में परिवर्तन/इक्विटी शेयरों की गिरवी लंबित है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		जिन खातों में ऋण का इक्विटी में परिवर्तन / इक्विटी शेयरों की गिरवी की गई है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares has taken place		जिन खातों में नए शेयर जारी कर या प्रमोटर की इक्विटि की बिक्री द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन प्रस्तावित है वहां रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य / Nil								

4) कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटन (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं) :

(4) Disclosure on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period):

परियोजना ऋण खाते जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है No. of project loan accounts where the Bank has decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	मानक पुनर्रचित के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard restructured	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य / Nil			

5) दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय पुनर्रचना (एस4ए) हेतु योजना पर प्रकटन, जहां भी कार्यान्वित किया गया हो :

(5) Disclosure on Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), wherever implemented:

क्र.सं. Sr. No.	कुल बकाया राशि Aggregate Amount Outstanding	बकाया राशि Amount Outstanding		धारित प्रावधान Provision Held
		भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B	
मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard				
3	278.22	131.33	146.89	61.21
एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA				
4	336.14	112.82	223.32	265.18
कुल / Total				
7	614.36	244.15	370.21	326.39

5.4.4 आस्ति पुनर्निर्माण हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे

5.4.4 Details of financial assets sold to Securitisation/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

क. बिक्री के ब्यौरे :

A. Details of Sales:

क्र.सं. Sr.No.	विवरण	Particulars	2019-20	2018-19
i.	खातों की संख्या	Number of accounts	04	19
ii.	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)	Aggregate value (net of provision) of accounts sold to SC/RC	36.59	1,689.56
iii.	कुल प्रतिफल	Aggregate consideration	85.33	1,774.12
iv.	विगत वर्षों में अंतरित खातों मे वसूल किया हुआ अतिरिक्त प्रतिफल	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0.00
v.	निवल बही मूल्य पर कुल आय/(हानि)	Aggregate gain/(loss) over net book value	48.74	84.55

ख. प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्रचना कंपनी (आरसी) को बेचे गए एनपीए पर प्रतिभूति रसीदों में निवेश का विवरण :

प्रतिभूति रसीदों में निवेशों का बही मूल्य:

B. Details of Investments in Security Receipts against NPAs sold to Securitisation Company (SC) / Reconstruction Company (RC):

Book Value of Investments in Security Receipts:

विवरण	Particulars	एनपीए के समर्थन से बैंक द्वारा अंतर्निहीत रूप में बेचा गया Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		एनपीए के समर्थन से अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/एनबीएफसी द्वारा बेचा गया Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/ NBFC as underlying		कुल Total	
		2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
प्रतिभूतियों की प्राप्ति में निवेश का बही मूल्य	Book Value of investments in securities receipts	2,305.43	2,858.48	0.00	0.00	2,305.43	2,858.48

ग. एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री के संबंध में प्रावधान पर प्रकटन :

C. Disclosure on Provision in respect of sale of NPA to SCs/RCs:

क्र.सं. S.No	राशि Amount	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Provision made during the year	यथा 31.3.2020 को 'अन्य आरक्षितियों' से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान Unamortised provision debited from 'other reserves' as on 31.03.2020
शून्य / NIL			

घ. एनपीए की बिक्री से लाभ

D. Profit from sale of NPA:

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particular	2019-20	2018-19
1	एनपीए की बिक्री के संबंध में बुक किया गया लाभ	Profit booked in respect of sale of NPA	48.74	84.55

च. प्रतिभूति रसीदों में निवेश का प्रकटन

E. Disclosure of Investment in Security Receipts:

बैंक द्वारा बेचे गए एन.पी.ए. के आधार पर प्रतिभूति रसीद (एसआर) का बही मूल्य :

Book value of Security Receipts backed by NPAs sold by the Bank:

विवरण	Particulars	पिछले 5 सालों में जारी एसआर SRs issued within past 5 Years	5 साल पहले लेकिन पिछले 8 साल के अंदर जारी एसआर SRs issued more than 5 years ago but within past 8 Years ago	8 साल पहले जारी एसआर SRs issued more than 8 Years ago	कुल Total
(i) एसआर का बही मूल्य एनपीए के समर्थन से बैंक द्वारा अंतर्निहित रूप में बेचा गया	(i) Book value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying	387.31 (1,289.57)	1,767.62 (1,418.42)	150.49 (150.49)	2,305.43 (2858.48)
उपर्युक्त (i) के विरुद्ध प्रावधान	Provision held against (i) above	357.26 (450.94)	1,085.55 (658.87)	150.49 (150.49)	1,593.31 (1260.31)
(ii) एसआर का बही मूल्य एनपीए के समर्थन से अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान/ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान द्वारा अंतर्निहित रूप में बेचा गया	(ii) Book value of SRs backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/non-banking financial companies as underlying	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
उपर्युक्त (ii) के विरुद्ध प्रावधान	Provision held against (ii) above	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

5.4.5 खरीदी गई/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा (अन्य बैंकों से/को)

5.4.5 Details of non-performing financial assets purchased/ sold (from/to other banks)

ए) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा :

(a) Details of non-performing financial assets purchased:

विवरण Sr. No.		Particulars	2019-20	2018-19
1 (क) (a)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	No. of accounts purchased during the year	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(ख) (b)	कुल बकाया	Aggregate outstanding	शून्य / NIL	शून्य / NIL

विवरण Sr. No.		Particulars	2019-20	2018-19
2 (क) (a)	इनमें से वर्ष के दौरान कितने खातों का पुनर्गठन किया गया	Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(ख) (b)	कुल बकाया	Aggregate outstanding	शून्य / NIL	शून्य / NIL

बी) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा:

(b) Details of non-performing financial assets sold:

विवरण	Particulars	2019-20	2018-19
1. बेचे गए खातों की संख्या	1. No. of accounts sold	शून्य / NIL	शून्य / NIL
2. कुल बकाया	2. Aggregate outstanding	शून्य / NIL	शून्य / NIL
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	3. Aggregate consideration received	शून्य / NIL	शून्य / NIL

5.4.6 मानक आस्तियों पर प्रावधान

5.4.6 Provisions on Standard Assets:

विवरण	Particulars	यथा 31.03.2020 As at 31.03.2020	यथा 31.03.2019 As at 31.03.2019
आरबीआई मानकों के अनुरूप मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provisions towards Standard Assets held as per RBI Norms	2,766.56	1,888.33

5.4.7 आस्ति वर्गीकरण और एनपीए हेतु प्रावधानीकरण में अंतर:

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. परिपत्र सं. डीबीआर. बीपीबीसी.सं.32.21.04.18.2018-19 दिनांक 1 अप्रैल 2019 के अनुसार यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अभिनिर्धारित एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रवाधानीकरण, प्रावधानों और आकस्मिक व्ययों से पहले सूचित लाभ के 10% से अधिक होता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ज्ञात किए गए अतिरिक्त सकल एनपीए हेतु संदर्भित अवधि के लिए प्रकाशित-वृद्धिशील सकल एनपीए 15% से अधिक होता है तो बैंकों को आय निर्धारण, आस्तियों के वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबध में विवेकपूर्ण मानदंडों से विचलन का प्रकटीकरण करना अपेक्षित होता है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए हमारे बैंक का विचलन संबंधी विवरण निम्नलिखित हैं :-

5.4.7 Divergence in Asset Classification, and Provisioning for NPAs:

As per RBI circular No.DBR.BPBC.No.32.21.04.018.2018-19 dated April 1, 2019, in case the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before provisions and contingencies and for additional gross NPAs identified by RBI exceeds 15% of published incremental gross NPAs for the reference period, then the Banks are required to disclose divergence from prudential norms on income recognition, assets classification and provisioning. In view of the above, details of divergence of our Bank is as under:

क्र.स. S.No	ब्यौरे	Particulars	राशि/ Amount
1	बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए यथा 31 मार्च, 2019	Gross NPA as on 31st March, 2019 as reported by the Bank	60,661.11
2	आरबीआई के मूल्यांकन अनुसार सकल एनपीए यथा 31 मार्च, 2019	Gross NPA as on 31st March, 2019 as assessed by the RBI	61,778.11
3	सकल एनपीए में अंतर (2-1)*	Divergences in Gross NPA (2-1)*	1,117.00
4	बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया निवल एनपीए यथा 31 मार्च, 2019	Net NPA as on 31st March, 2019 as reported by the Bank	19,118.95
5	आरबीआई के मूल्यांकन अनुसार निवल एनपीए यथा 31 मार्च, 2019	Net NPA as on 31st March, 2019 as assessed by the RBI	20,235.95
6	निवल एनपीए में अंतर (5-4)	Divergences in Net NPA (5-4)	1,117.00
7	बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया एनपीए हेतु प्रावधान यथा 31 मार्च, 2019	Provision for NPA as on 31st March, 2019 as reported by the Bank	39,391.70

क्र.स. S.No	ब्यौरे	Particulars	राशि/ Amount
8	आरबीआई के मूल्यांकन अनुसार एनपीए-प्रावधान यथा 31 मार्च, 2019	Provision for NPA as on 31st March, 2019 as assessed by the RBI	40,837.70
9	एनपीए हेतु प्रावधान में अंतर (8-7)*	Divergences in Provisioning (8-7)*	1,446.00
10	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट किया गया कर पश्चात लाभ (पीएटी)	Reported Net Profit after tax (PAT) for the year ended 31st March 2019	(-)5,546.90
11	प्रावधान में अंतर की गणना करने के बाद 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु समायोजित (अनुमानित) निवल कर पश्चात लाभ (पीएटी)	Adjusted (Notional) Profits after Tax (PAT) for the year ended 31st March 2019 after taking into account divergence in provisioning	(-)6,992.90

* 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु खातों में सकल एनपीए तथा प्रावधानीकरण में विचलन का प्रभाव दिया गया है।

* Impact of the divergence in Gross NPA and Provisioning is given in the accounts for the year ended on March 31, 2020.

5.5 कारोबार अनुपात:

5.5 Business Ratios:

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	31.03.2020 (in % में)	31.03.2019 (in % में)
(i)	औसत कार्यशील निधियों में ब्याज आय का प्रतिशत	Interest Income as a percentage to average Working Funds	6.14	6.11
(ii)	औसत कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय का प्रतिशत	Non-interest income as a percentage to average Working Funds	0.70	0.97
(iii)	औसत कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ का प्रतिशत	Operating Profit as a percentage to average Working Funds	1.22	1.66
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल	Return on Assets	(-)0.84	(-)0.43
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि+अग्रिम, अंतरबैंक जमा सहित)	Business per employee(deposits plus advances including interbank deposits)	18.39	19.40
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ	Profit per employee	(-)0.112	(-)0.059

5.6 आस्ति देयता प्रबंधन

आस्तियों एवं देयताओं की कतिपय मदों का परिपक्वता प्रकार यथा 31 मार्च, 2020

5.6 Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31st March, 2020

विवरण Details	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 DAYS	15 से 28 दिन 15 to 28 DAYS	28 दिन से अधिक 3 महीने तक Over 28 days up to 3 months	3 महीनों से अधिक एवं 6 महीनों तक Over 3 months and up to 6 months	6 महीनों से अधिक एवं 1 वर्ष तक Over 6 months and up to 1 year.	1 वर्ष से अधिक एवं 3 3 वर्षों तक Over 1 year and upto 3 years.	3 वर्षों से अधिक एवं 5 5 वर्षों तक Over 3 years and up to 5years.	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल TOTAL (1 TO 10)
जमाराशियां	13,794.07	15,815.30	12,337.73	18,308.09	42,855.90	23,968.48	18,057.22	1,34,034.43	93,076.41	1,83,257.35	5,55,504.98
Deposits	(13,059.04)	(20,551.39)	(10,989.61)	(17,260.63)	(57,045.27)	(38,780.11)	(43,484.04)	(1,16,710.56)	(80,921.22)	(1,22,060.48)	(5,20,862.35)
अग्रिम	14,345.63	4,863.44	4,938.30	6,877.62	21,871.07	11,000.43	18,739.01	1,47,515.56	45,830.55	92,901.68	3,68,883.30
Advances	(20,214.38)	(3,878.12)	(6,709.26)	(5,839.57)	(65,547.16)	(30,904.11)	(40,542.35)	(1,08,355.23)	(33,510.28)	(25,505.48)	(3,41,005.94)
निवेश	0.00	901.90	275.23	443.94	5,455.33	1,531.22	8,071.68	19,127.76	22,351.24	1,00,414.68	1,58,572.99
Investments	0.00	(660.17)	(17.10)	(280.01)	(3,822.34)	(3,099.11)	(2,497.28)	(12,945.89)	(24,917.28)	(99,399.86)	(1,47,639.04)
उधार	824.70	3,379.94	8,500.00	10.49	5,675.93	150.45	3,893.49	9,017.46	1,500.00	6,800.00	39,752.47
Borrowings	(57.88)	(20,921.42)	(3,002.01)	(3.45)	(106.12)	(14.28)	(80.00)	(9,132.97)	(0.10)	(10,922.94)	(44,241.17)

विवरण Details	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 DAYS	15 से 28 दिन 15 to 28 DAYS	28 दिन से अधिक 3 महीने तक Over 28 days up to 3 months	3 महीनों से अधिक एवं 6 महीनों तक Over 3 months and up to 6 months	6 महीनों से अधिक एवं 1 वर्ष तक Over 6 months and up to 1 year.	1 वर्ष से अधिक एवं 3 3 वर्षों तक Over 1 year and upto 3 years.	3 वर्षों से अधिक एवं 5 5 वर्षों तक Over 3 years and up to 5years.	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल TOTAL (1 TO 10)
क. विदेशी मुद्रा आस्तियां	2,777.42	2,028.95	1,334.84	8,539.80	24,622.65	9,170.14	14,413.44	7,943.67	9,630.96	14,578.65	95,040.52
(a) Foreign Currency Assets	(2,741.63)	(10,518.39)	(2,842.02)	(9,207.15)	(17,191.35)	(10,601.62)	(15,739.06)	(13,537.63)	(5,730.44)	(11,136.42)	(99,245.71)
ख. विदेशी मुद्रा देयताएं	5,615.00	5,477.49	2,840.75	8,344.92	43,766.77	21,347.83	14,288.85	7,093.07	3,308.09	2,200.60	1,14,283.35
(b) Foreign Currency Liabilities	(3,410.08)	(11,892.24)	(1,962.64)	(5,712.28)	(49,037.83	(26,245.99)	(22,584.29)	(15,752.15)	(1,788.96)	(1,902.78)	(1,40,289.24)

5.7 एक्सपोज़र

आस्तियों की कीमत के उतार-चढ़ाव के प्रति जो संवेदनशील है, ऐसे क्षेत्रों को बैंक उधार दे रहा है।

5.7.1 रियल इस्टेट क्षेत्र को एक्सपोज़र, प्रबंधन द्वारा संकलित

5.7 Exposures

The Bank is lending to sectors, which are sensitive to asset price fluctuation.

5.7.1 Exposure to Real Estate Sector, as compiled by the management

क्र. सं. Sr. No.	प्रवर्ग		Category		31.03.2020	31.03.2019
1	प्रत्यक्ष एक्सपोज़र		Direct Exposure		48,452.49	43,967.39
	(क)	आवासीय बंधक	(a)	Residential Mortgages	42,942.12	39,363.92
		(i) आवासीय संपत्ति पर ऋण, बंधक द्वारा पूरी तरह से प्रतिभूत है, जो उधारकर्ता द्वारा काबिज है या काबिज किया जाएगा या किराये पर दिया है (नीचे दिये गए (ii) के अलावा)		(i) Lending fully secured by Mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented (other than (ii) below);	25,731.79	22,900.43
		(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में समावेश के लिए पात्र वैयक्तिक गृह ऋण		(ii) Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector	17,210.33	16,463.49
	(ख)	वाणिज्यिक रियल इस्टेट	(b)	Commercial Real Estate-	5,260.32	4,354.84
		वाणिज्यिक रियल इस्टेट (कार्यालय इमारत, रिटेल जगह, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, मल्टी-फैमिली आवासीय इमारत, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयर हाउस जगह, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकसित एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल होगी।		Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	5,260.32	4,354.84
	(ग)	गिरवी रखी गयी प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतित एक्सपोजर में निवेश	(c)	Investments in Mortgage Backed duties (MBS) and other securitised Exposures	250.05	248.63
		क) आवासीय ख) व्यवसायिक रियल इस्टेट		a) Residential b) Commercial Real Estate	1.42 248.63	0.00 248.63
2		अप्रत्यक्ष एक्सपोजर	Indirect Exposure		27,360.06	18,956.71
		नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसीज़) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित एक्सपोजर	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)		27,360.06	18,956.71
रियल इस्टेट सेक्टर हेतु कुल एक्सपोजर (1+2)			Total exposure to Real Estate Sector (1+2)		75,812.55	62,924.10

5.7.2 पूंजी बाजार हेतु एक्सपोजर

5.7.2 Exposure to Capital Market

क्र. सं. Sr. No	प्रवर्ग	Category	31.03.2020	31.03.2019
i)	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फण्ड में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी आधारभूत निधि केवल कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है;	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1,022.96	1,026.31
ii)	शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों/अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ ईएसओपीएस सहित) परिवर्तनीय बॉण्ड/ परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए अग्रिम;	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	4.16	8.34
iii)	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	4.32	7.69
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की युनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक, अर्थात जहाँ मूलभूत प्रतिभूति शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिटों के अलावा पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती हैं, किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम;	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	0.24	0.69
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं गैर जमानती अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा बाजार निर्धारकों की ओर से जारी गारंटियाँ;	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	1,102.46	1,297.87
vi)	संसाधनों की वृद्धि की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी के लिए प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बॉण्डों/ डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर कंपनियों के लिए स्वीकृत ऋण;	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new Companies in anticipation of raising resources;	0.00	9.58
vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के समक्ष कंपनियों के लिए पूरक ऋण;	Bridge loans to Companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix)	मार्जिन व्यवसाय हेतु स्टॉक ब्रोकरों के लिए वित्तपोषण;	Financing to stockbrokers for margin trading;	0.86	6.70
x)	उद्यम के लिए पूंजी निधि हेतु सभी निवेशों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)को इक्विटी के बराबर माना जाएगा और इस प्रकार पूंजी बाजार निवेश सीमा(प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों)के अनुसार गणना की जाएगी।	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	261.65	314.86
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोज़र		**Total Exposure to Capital Market**	**2,396.65**	**2,672.04**

5.7.3 जोखिम प्रवर्ग वार देश का एक्सपोज़र

आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक का देश में एक्सपोजर को विभिन्न जोखिम प्रवर्गों में वर्गीकृत कर निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध किया गया है ।

5.7.3 Risk Category wise Country Exposure

As per the extant RBI guidelines, the country exposure of the Bank is categorised into various risk categories listed in the following table.

क्र. सं. Sr. No.	जोखिम प्रवर्ग	Risk Category	यथा / As at 31.03.2020		यथा / As at 31.03.2019	
			एक्सपोज़र (निवल) Exposure (Net)	धारित प्रावधान Provision held	एक्सपोज़र (निवल) Exposure (Net)	धारित प्रावधान Provision held
1	नगण्य	Insignificant	46,417.29	38.29	47,256.54	40.16
2	न्यून	Low	22,932.16	18.98	17,877.75	10.02
3	साधारण	Moderate	53.56	0.00	176.65	0.00
4	उच्च	High	6,029.39	0.00	5,592.87	0.00
5	बहुत उच्च	Very High	4.51	0.00	134.49	0.00
6	प्रतिबंधित	Restricted	0.00	0.00	1.00	0.00
7	ऑफ क्रेडिट	Off credit	0.45	0.00	0.00	00.0
	कुल	**Total**	**75,437.36**	**57.27**	**71,039.30**	**50.19**

5.7.4 एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), सामूहिक उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) जिनका बैंक द्वारा उल्लंघन किया गया, के ब्यौरे :

बैंक ने आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमा के अंदर एकल उधारकर्ता एक्सपोजर तथा समूह उधारकर्ता एक्सपोजर लिया था।

क्र. सं	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोज़र सीमा	स्वीकृत सीमा	बकाया यथा 31.03.2020
1.	एकल उधारकर्ता			
	कुछ नहीं	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
2.	सामूहिक उधारकर्ता			
	कुछ नहीं	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)

5.7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

The Bank had taken single borrower exposure and Group Borrower exposure within the prudential limit prescribed by RBI.

Sr. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Outstanding as on 31.03.2020
1.	Single Borrower			
	None	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)
2.	Group Borrower			
	None	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)

5.7.5 गैर-जमानती अग्रिम :

विवरण	2019-20	2018-19
कुल गैर-जमानती अग्रिम	85,218.21	72,189.96
जिसमें से i) अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेन्स, प्राधिकार आदि जो बैंक को सांपार्श्विक के रूप में प्रभारित किए गए हैं के प्रभार पर बकाया अग्रिम की कुल राशि.	731.88	653.32
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य (जैसा कि उपर्युक्त (i))	2,284.30	480.38

5.7.5 Unsecured Advances:

Particulars	2019-20	2018-19
Total Unsecured Advances	85,218.21	72,189.96
Out of which i) Amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licenses, authorizations etc. charged to the Bank as collateral	731.88	653.32
ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above)	2,284.30	480.38

5.7.6 एमएसएमई पुनःसंरचना -

अग्रिमों की पुनःसंरचना के संबंध में आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. डीबीआरएन सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक

5.7.6 MSME Restructuring -

RBI vide circular no.DBRNo.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019 regarding restructuring of advances

01.01.2019 के माध्यम से मौजूदा एमएसएमई ऋणों की एक-बारगी पुन:संरचना को इस योजना के अंतर्गत "मानक" के रूप में वर्गीकरण किया है, जो निम्नलिखित है : -

पुन:संरचित खातों की संख्या	राशि
1,01,868 (14,757)	2,555.96 (479.25)

5.7.7 विविध : शून्य

5.7.8 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किए प्रावधान की राशि

विवरण	2019-20	2018-19
वर्तमान कर	177.28	(-)446.19
आस्थागित कर के लिए प्रावधान	(-)1,823.12	(-)2,720.32
कुल कर व्यय	**(-)1,645.84**	**(-)3,166.51**

भारत सरकार कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115बीएए को स्पष्ट किया है, जो घरेलू कंपनियों को विशेष शर्तों के अध्यधीन 1 अप्रैल 2019 से कम दर पर कॉरपोरेट कर के भुगतान का गैर-वापसी विकल्प प्रदान करता है। मूल बैंक ने आयकर अधिनियम के पूर्व के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की धारा 115बीएए के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प का मूल्यांकन किया है तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु आय पर कर को मानना जारी रखा है।

5.7.9 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगायी गई शास्तियों (पेनल्टीज़) का प्रकटन

विवरण	2019-20	2018-19
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अंतर्गत लगाई गई पेनल्टी	6.98	2.37

वर्ष के दौरान, बैंक ने धोखाधड़ी तथा करेंसी चेस्ट संबंधी वर्गीकरण (कुल 204 घटनाएं) हेतु आरबीआई के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए रु. 1.98 के दण्ड का भुगतान किया है। यद्यपि 27 मई, 2020 को "एनपीए खातों में विचलन - अग्रिमों संबंधी आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण", बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन हेतु आवश्यक", तथा "धोखाधड़ीयों का वर्गीकरण तथा रिर्पोटिंग" संबंधी आरबीआई द्वारा कुछ निर्देशों का अनुपालन न होने के कारण आरबीआई द्वारा रु.5.00 का दण्ड लगाया गया।

6. लेखांकन मानकों (एएस) के अनुसार अपेक्षित प्रकटन :

6.1 लेखांकन मानक - 5 अवधि के लिए निवल लाभ/हानि, पूर्व अवधि मदें एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन :

(i) पूर्व अवधि मद : वर्ष के दौरान, कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि आय/व्यय मद नहीं थी।

(ii) लेखांकन नीति में परिवर्तन :

समाप्त वर्ष 31 मार्च 2020 के दौरान, महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियों में पिछले वित्तीय वर्ष 2018 -19 की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं है।

wherein one- time restructuring of existing MSME Loan has been classified as "Standard" under this scheme, are as under:

No. of Account Restructured	Amount
1,01,868 (14,757)	2,555.96 (479.25)

5.7.7 Miscellaneous: Nil

5.7.8 Amount of Provisions made for Income-tax during the year

Particulars	2019-20	2018-19
Current Tax	177.28	(-)446.19
Deferred Tax	(-)1,823.12	(-)2,720.32
Total Tax Expense	(-)1,645.84	(-)3,166.51

Government of India has pronounced section 115BAA of Income Tax Act 1961 through Taxation Laws (Amendment) Act, 2019 which provides domestic companies a non-reversible option to pay corporate tax at reduced rate effective 1st April, 2019 subject to certain conditions. The Bank has evaluated the options available under section 115BAA of the Act and opted to continue to recognise the taxes on income for the year ended 31st March, 2020 as per the earlier provisions of Income-tax Act.

5.7.9 Disclosures of Penalties imposed by RBI & Other Regulators

Particulars	2019-20	2018-19
Penalty imposed under Section 46(4) of The Banking-Regulation Act, 1949 and under other regulations	6.98	2.37

During the year Bank has paid penalties of ₹ 1.98 towards violation of RBI guidelines on frauds classification & on currency chest (Total Instances 204). While on May 27, 2020 penalty of ₹ 5.00 was levied on Bank by RBI towards non-compliance of certain direction issued by RBI on "Income Recognition, Assets Classification and Provisioning pertaining to Advances – Divergence in NPA Accounts", "Opening of Current Accounts by Banks – Need for Discipline", and "Classification and reporting of frauds.

6. Disclosure requirements as per Accounting Standards (AS):

6.1 Accounting Standard – 5 Net Profit / loss for the period, Prior Period Items and changes in accounting policies:

(i) Prior Period Items:

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

(ii) Change in accounting policy:

There is no change in the Significant Accounting Policies adopted during the year ended 31st March 2020 as compared to those followed in the previous financial year 2018-19.

6.2 लेखांकन मानक 9 - राजस्व निर्धारण

अनुसूची 17: मुख्य लेखांकन नीतियों के लेखांकन नीति सं. 3 के अनुसार आय की कुछ मदों को वसूली के पश्चात स्वीकार किया जाता है। तथापि उक्त आय को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है।

6.3 लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ :

6.2 Accounting Standard 9 – Revenue recognition

Certain items of income are recognised on realisation basis as per Accounting Policy para 3 of Schedule 17: Significant Accounting Policies. However, the said income is not considered to be material.

6.3 Accounting Standard 15 – Employee Benefits:

क्र. सं. Sr. No	विवरण	Particulars	वि.व. FY 2019-20		वि.व. FY 2018-19	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(i)	**प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक पूर्वानुमान :** छूट दर आयोजन आस्तियों पर प्रतिफल दर वर्तमान वेतन वृद्धि ह्रास दर	**Principal actuarial assumptions used:** Discount Rate Rate of Return on Plan Assets Salary Escalation Current Attrition Rate	 6.82% 8.65% 5.50% 1.00%	 6.59% 8.62% 5.50% 1.00%	 7.79% 7.38% 5.50% 1.00%	 7.48% 8.28% 5.50% 1.00%
(ii)	**लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शानेवाली तालिका** अवधि के प्रारंभ में देयता - ब्याज लागत वर्तमान सेवा लागत प्रदत्त लाभ दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि **वर्ष के अंत में देयता**	**Table showing change in benefit obligation:** Liability at the beginning of the period Interest Cost Current Service Cost Benefit Paid Actuarial (gain)/loss on Obligation **Liability at the end of the year**	 1,683.78 102.87 75.36 350.68 236.48 **1,747.81**	 14,709.20 925.49 729.39 1,330.55 1,032.39 **16,065.92**	 1,754.54 124.14 65.58 321.93 61.45 **1,683.78**	 13,716.87 979.58 656.28 1,241.69 598.16 **14,709.20**
(iii)	**प्लान एसेट्स के उचित मूल्य की तालिका :** अवधि प्रारंभ में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल अंशदान प्रदत्त लाभ प्लान एसेट्स पर बीमांकित लाभ/(हानि) वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य **कुल बीमांकित लाभ/(हानि) जिसकी गणना की जाए**	**Table of Fair value of Plan Assets:** Fair Value of Plan Assets at the-Beginning of the period Expected return on Plan Assets Contributions Benefit Paid Actuarial gain/(loss) on Plan Assets Fair Value of Plan Assets at the end of the year **Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised**	 1,592.38 137.74 335.84 350.68 (-)65.81 1,649.47 **(-)302.29**	 14,314.88 1,233.94 1,405.03 1,330.55 204.30 15,827.60 **(828.09)**	 1,319.42 97.37 490.87 321.93 6.65 1,592.38 **(-)54.80**	 13,330.64 1,103.78 1,077.76 1,241.69 44.39 14,314.88 **(-)553.77**
(iv)	**प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल :** प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल प्लान एसेट्स पर बीमांकित लाभ/(हानि) **प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल**	**Actual return on Plan Assets:** Expected Return on Plan Assets Actuarial gain/(loss) on Plan Assets **Actual return on Plan Assets**	 137.74 (-)65.81 **71.93**	 1,233.94 204.30 **1,438.24**	 97.37 6.65 **104.02**	 1,103.78 44.39 **1,148.17**
(v)	**तुलन पत्र में मान्य राशि :** अवधि के अंत में देयता वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य **तुलन पत्र में मान्य राशि**	**Amount recognised in the Balance Sheet:** Liability at the end of the period Fair Value of Plan Assets at the end of the year **Amount Recognised in the Balance Sheet**	 1,747.81 1,649.47 **98.34**	 16,065.92 15,827.60 **238.32**	 1,683.78 1,592.38 **91.40**	 14,709.20 14,314.88 **394.32**

क्र. सं. Sr. No	विवरण	Particulars	वि.व. FY 2019-20		वि.व. FY 2018-19	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(vi)	**आय विवरण - पत्र में मान्य व्यय :**	**Expenses recognised in the Income-Statement:**				
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	75.36	729.39	65.58	656.28
	ब्याज लागत	Interest Cost	102.87	925.49	124.14	979.58
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	(-)137.74	(-)1,233.94	(-)97.37	(-)1,103.78
	विगत वर्षों के मान्य व्यय	Expenses recognized relating to prior years	0.00	0.00	0.00	0.00
	संक्रमण कालीन देयता-मान्य	Recognition of Transition Liability	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमांकिक (लाभ) या हानि	Actuarial (Gain) or Loss	302.29	828.09	54.80	553.77
	लाभ एवं हानि में मान्य व्यय	**Expense Recognised in P & L**	**342.78**	**1,249.03**	**147.15**	**1,085.85**
	परिशोधित व्यय (लाभ एवं हानि खाता से प्रभारित नहीं है)	Unamortised expenses (not charged to P&L Account)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(vii)	**तुलन पत्र समाधान :**	**Balance Sheet Reconciliation:**				
	प्रारंभिक निवल देयता (तुलन पत्र में मान्य की गई विगत अवधि की निवल राशि)	Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet)	91.39	394.32	435.11	386.23
	उपर्युक्त के अनुसार व्यय	Expenses as above	342.78	1,249.03	147.15	1,085.85
	नियोक्ता का अंशदान	Employer's Contribution	(-)335.83	(-)1,405.03	(-)490.87	(-)1,077.76
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in Balance Sheet**	**98.34**	**238.32**	**91.39**	**394.32**
(viii)	**आस्तियों का प्रवर्ग **:**	**Category of Assets **:**				
	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	Government of India Securities	73.99	2,192.01	71.88	1,986.75
	इक्विटी	Equity	0.00	161.97	0.00	196.25
	कार्पोरेट बॉण्ड	Corporate Bonds	142.46	4,605.86	176.03	4,102.59
	राज्य सरकार	State Government	300.91	5,012.41	340.09	4,504.91
	अन्य	Other	1,132.11	3,855.35	1,004.38	3,524.37
	कुल	**Total**	**1,649.47**	**15,827.60**	**1,592.38**	**14,314.87**
(ix)	**अनुभव समायोजन :**	**Experience Adjustment:**				
	प्लान देयता पर (लाभ)/हानि	**On Plan Liability (Gain)/Loss**	**(-)86.04**	**808.90**	**54.03**	**546.91**
	प्लान आस्तियों पर (हानि)/लाभ	**On Plan Asset (Loss)/Gain**	**100.21**	**155.64**	**14.29**	**37.73**

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ *

Other long term employee benefits*:

विवरण	Particulars	31.03.2020		31.03.2019	
		देयता Liability	वर्ष के दौरान किए गए/(डब्ल्यू/बैक) प्रावधान Provisions made/ (w/back) during the year	देयता Liability	वर्ष के दौरान किए गए/(डब्ल्यू/बैक) प्रावधान Provisions made/ (w/back) during the year
अवकाश नकदीकरण	Leave Encashment	846.05	54.62	791.43	83.02
छुट्टी यात्रा रियायत	Leave Travel Concession	62.09	(-)1.87	63.97	6.27
पुनर्वास लाभ	Resettlement Benefits	7.87	0.64	7.23	(-)0.21
माइलस्टोन अवार्ड	Milestone Awards	4.49	0.26	4.24	(-)0.14
बीमारी छुट्टी **	Sick Leave**	3.00	0.00	3.00	0.00

* अन्य दीर्घावधि लाभ के लिए एक्चुएरियल अनुमान ग्रैच्युटी के लिए प्रयुक्त के समान ही है।

बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना

* The actuarial assumptions for other long term benefits are same which are used for Gratuity.

The bank has recognised contribution to employees' Provident

है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि जो एक परिभाषित अंशदान योजना है, के लिए रू.161.42 (विगत वर्ष रू. 134.80) का अंशदान दिया है ।

** बैंक ने अब तक पूरी बीमारी छुट्टी अर्थात पूरी बकाया अवकाश शेष की देयता को मान्यता प्रदान किया है। बीमारी की छुट्टी के संबंध में कर्मचारी लाभ कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश नोट (एएस-15) - (2005 में संशोधित) के अनुरूप, इस संबंध में देयता को कर्मचारियों द्वारा ऐसी छुट्टी लिए जाने की संभावना के आधार पर इसे मान्य किया है।

बैंक के श्रेष्ठतम अनुमान के अनुसार तुलन पत्र की तारीख के बाद वार्षिक अवधि के दौरान पेन्शन के लिए रु. 756.04 (विगत वर्ष रु. 823.14) और ग्रैच्युटी के लिए रु.428.10 (विगत वर्ष रु. 212.31) का अंशदान किए जाने की संभावना है।

Fund/Defined contribution scheme as an expense. During the year, the bank has contributed ₹ 161.42 (Previous Year ₹ 134.80) towards such fund which is a defined contribution plan.

** The bank has been recognising the liability of sick leave to full extent hitherto i.e. entire outstanding leave balance. In line with the Guidance Note on implementation of Employee Benefits (AS-15) - (revised 2005) in respect of Sick Leave, the liability in this regard is recognised based on probability of availing such leaves by employees.

The Bank's best estimate of contributions expected to be paid during the annual period beginning after the Balance sheet date, towards Pension is ₹ 756.04 (Previous Year ₹ 823.14) and towards Gratuity is ₹ 428.10 (Previous Year: ₹ 212.31).

योजना में अधिशेष/घाटा:

Surplus /Deficit in the Plan:

विवरण	Particular	ग्रैच्युटी योजना / Gratuity Plan				
		वि.व. FY 2019-20	वि.व. FY 2018-19	वि.व. FY 2017-18	वि.व. FY 2016-17	वि.व. FY 2015-16
परिभाषित लाभ देयता	Defined benefit obligation	1,747.81	1,683.78	1,754.54	1,410.08	1,370.70
प्लान आस्तियां	Plan assets	1,649.47	1,592.38	1,319.42	1,360.32	1,223.87
अमान्य संक्रमणशील देयता	Unrecognised Transitional liability	0.00	0.00	326.34	0.00	0.00
अधिशेष / (घाटा)	Surplus/(deficit)	98.35	91.40	108.78	(-) 49.76	(-)146.83
प्लान देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	(-)86.04	54.03	(-)22.79	38.41	146.31
प्लान आस्ति (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain	100.21	14.29	(-)4.76	1.71	(-)6.41

विवरण	Particular	पेन्शन योजना / Pension Plan				
		वि.व. FY 2019-20	वि.व. FY 2018-19	वि.व. FY 2017-18	वि.व. FY 2016-17	वि.व. FY 2015-16
परिभाषित लाभ देयता	Defined benefit obligation	16,065.92	14,709.20	13,716.87	12,851.12	11,076.48
प्लान आस्तियां	Plan assets	15,827.60	14,314.88	13,330.64	12,321.80	10,515.60
अमान्य संक्रमणशील देयता	Unrecognised Transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष / (घाटा)	Surplus/(deficit)	(-)238.32	(-)394.32	(-)386.23	(-)529.32	(-)560.88
प्लान देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	808.90	546.91	(-)66.62	198.92	930.23
प्लान आस्ति (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain	155.64	37.73	33.27	103.05	101.74

6.4 लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग

भाग क : कारोबार खंड

6.4 Accounting Standard 17 - Segment Reporting

Part A: Business Segment

कारोबार खंड Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		(*)अन्य बैंकिंग (*)Other Banking Operations		कुल Total	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
राजस्व Revenue	15,237.64	13,611.87	17,953.98	15,607.04	15,872.39	16,578.61	0.00	0.00	49,064.01	45,797.52
गैर-आबंटित राजस्व Unallocated revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	127.38	366.15
अंतर खंड राजस्व Inter segment revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	125.05	(-) 263.85
कुल राजस्व Total Revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	49,066.34	45,899.82
परिणाम Results	4,237.12	1,797.02	(-)8,537.03	(-)10,462.20	736.79	931.05	0.00	0.00	(-)3,563.12	(-)7,734.13
गैर-आबंटित व्यय Unallocated Expenses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(-)1,039.61	(-) 979.28
कर पूर्व लाभ/ (हानि) Profit/(Loss) before tax	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(-)4,602.73	(-)8,713.41
आयकर Income Tax	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(-)1,645.84	(-)3,166.51
असाधारण लाभ/(हानि) Extraordinary Profit/(Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
निवल लाभ/(हानि) Net Profit/(Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(-)2,956.89	(-)5,546.90
अन्य जानकारी : Other Information :										
खंड आस्तियां Segment Assets	235,484.12	239,484.92	239,264.83	214,175.60	155,174.22	146,370.77	0.00	0.00	629,923.17	600,031.29
गैरआबंटित आस्तियां Unallocated Assets	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	27,072.31	25,191.55
कुल आस्तियां Total Assets	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	656,995.48	625,222.84
खंड देयताएं Segment Liabilities	227,077.33	229,093.29	257,652.67	230,500.49	122,971.51	114,950.68	0.00	0.00	607,701.51	574,544.46
गैर आबंटित देयताएं Unallocated Liabilities	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5,477.66	4,359.23
कुल देयताएं Total Liabilities	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	613,179.17	578,903.69

(*) बैंक का कोई अर्थपूर्ण "अन्य बैंकिंग परिचालन" नहीं है।

(*) The Bank does not have any significant “Other Banking Operations”.

भाग ख : भौगोलिक खण्ड

Part B: Geographical Segment

भौगोलिक खण्ड	Geographical Segments	स्वदेशी Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
विवरण	**Particulars**	**2019-20**	**2018-19**	**2019-20**	**2018-19**	**2019-20**	**2018-19**
राजस्व	Revenue	44,985.39	40,836.88	4,080.95	5,062.94	49,066.34	45,899.82
आस्तियां	Assets	563,189.32	509,620.78	93,806.16	115,602.06	656,995.48	625,222.84

बैंक ने लेखांकन मानक (एएस) 17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्राथमिक रिपोर्टिंग वाले खंडों और गौण खंड के रूप में भौगोलिक खंडों को मान्यता दी है।

प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

क) **कोषागार परिचालन :** खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

ख) **थोक बैंकिंग :** थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ग) **खुदरा बैंकिंग :** खुदरा बैंकिंग में वह निवेश सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं :

i) एक्सपोजर : अधिकतम कुल एक्सपोजर रु. 5 तक।

ii) कुल वार्षिक टर्नओवर रु. 50 से कम अर्थात मौजूदा कम्पनियों के मामले में विगत 3 वर्षों का औसत टर्नओवर और नई कम्पनियों के लिए पूर्वानुमानित टर्नओवर है।

अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्त्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाराशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

लागत का विनियोजन :

क) किसी खण्ड विशेष से प्रत्यक्षत: संबंधित व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।

ख) जो व्यय किसी खण्ड विशेष से प्रत्यक्षत: संबंधित न हो उन्हें कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

6.5. लेखांकन मानक 18 - संव्यवहारों से संबंधित पक्षकार :
(प्रबंधन द्वारा संकलित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया)

I) संबंधित पक्षकारों की सूची

(क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ :	श्री अतनु कुमार दास (20.01.2020 से) श्री दीनबंधु मोहापात्रा (30.06.2019 को सेवानिवृत्त)
कार्यपालक निदेशक गण :	श्री सी. जी. चैतन्य श्री पी. आर. राजगोपाल (18.03.2020 से) श्री अतनु कुमार दास (19.01.2020 तक) श्री नीलम दामोदरन (30.11.2019 को सेवानिवृत्त)

The Bank has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with Accounting Standard 17.

Primary Segment: Business Segments

a) **Treasury Operations:** 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.

b) **Wholesale Banking:** Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.

c) **Retail Banking :** Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:

i) Exposure – The maximum aggregate exposure up to ₹ 5.

ii) The total annual turnover is less than ₹ 50 i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

Allocation of Costs:

a) Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.

b) Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees/ business managed.

Secondary Segment: Geographical Segments

a) Domestic Operations

b) International Operations

6.5 Accounting Standard 18 - Related Party Transactions (As compiled by the management and relied upon by the Auditors):

I) List of Related Parties:

a. Key Managerial Personnel:

Managing Director & CEO:	Shri Atanu Kumar Das (from 20.01.2020) Shri Dinabandhu Mohapatra (superannuated on 30.06.2019)
Executive Directors:	Shri C. G. Chaitanya Shri P R Rajagopal (from 18.03.2020) Shri Atanu Kumar Das (upto 19.01.2020) Shri Neelam Damodharan (superannuated on 30.11.2019)

(ख) अनुषंगियाँ :

(i) बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड

(ii) बीओआई एक्सा इनवेस्टमेंट मैनजर्स प्राइवेट लि.

(iii) बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज् प्राइवेट लि.

(iv) बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि.

(v) पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके

(vi) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लि.

(vii) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.

(viii) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगान्डा) लि.

(ix) बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. (बिक्री की दिनांक-22.11.2019 तक)

(ग) सहायक

(i) एसटीसीआई फाइनैन्स लिमिटेड

(ii) एएसआरईसी (इंडिया) लि.

(iii) इंडो-जाम्बिया बैंक लि.

(घ) बैंक द्वारा प्रायोजित 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

i) मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक (पहले नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक)

ii) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक

iii) आर्यावर्त बैंक

(ङ) संयुक्त उद्यम:

स्टार यूनियन दाई ईची लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी लि.

क) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा आश्वासित)

पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगियों के साथ संव्यवहार और चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सरकार द्वारा नियंत्रित हैं उनके साथ संव्यवहारों का प्रकटन नहीं किया गया है क्यों कि संबंधित पार्टी प्रकटन के संबंध में आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-18 के पैरा 9 के अनुसार "सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यमों" को अन्य संबद्ध पार्टियों, जो स्वयं "सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम" हैं, के साथ किए गए अपने संव्यवहारों का प्रकटन करने से छूट प्राप्त है। इसके अलावा लेखांकन मानक-18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंक-ग्राहक रिश्ते की प्रकृति स्वरूप संव्यवहारों, जिसमें महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों एवं उनके रिश्तेदारों के साथ संव्यवहार शामिल हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है क्यों कि ऐसा प्रकटन गोपनीयता संबंधी बैंक के कर्तव्यों के प्रतिकूल होगा।

b. Subsidiaries

i. BOI Shareholding Limited

ii. BOI AXA Investment Managers Private Limited

iii. BOI AXA Trustee Services Private Limited

iv. BOI Merchant Bankers Limited

v. PT Bank of India Indonesia Tbk

vi. Bank of India (Tanzania) Limited

vii. Bank of India (New Zealand) Limited

viii. Bank of India (Uganda) Limited

ix. Bank of India (Botswana) Limited (upto the date of sale-22.11.2019)

c. Associates

i. STCI Finance Limited

ii. ASREC (India) Limited

iii. Indo Zambia Bank Limited

d. 3 Regional Rural Banks sponsored by the Bank

i. Madhya Pradesh Gramin Bank (erstwhile Narmada Jhabua Gramin Bank)

ii. Vidharbha Konkan Gramin Bank

iii. Aryavart Bank

e. Joint Venture:

Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Limited

a) Transactions with Related Parties (As compiled by Management and relied upon by the Auditors)

The transactions with wholly owned subsidiaries and regional rural banks being state controlled, have not been disclosed in view of Para 9 of AS - 18 on Related Party disclosure issued by ICAI exempting 'State Controlled Enterprises' from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also 'State Controlled Enterprises'. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel, since the disclosure would conflict with Bank's duties of confidentiality.

विवरण Particulars	अनुषंगियाँ/ सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम With Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार Key Management Personnel & their relatives		कुल TOTAL	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
वर्ष 2019-20 के दौरान संव्यवहार Transactions during the year 2019-20						
प्राप्त ब्याज Interest Received	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त ब्याज Interest Paid	115.80	73.61	0.00	0.00	115.80	73.6
प्राप्त लाभांश Dividend received	6.57	2.59	0.00	0.00	6.57	2.59
अन्य आय Other Income	79.88	85.65	0.00	0.00	79.88	85.65
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेज़री बिलों की बिक्री Sale of Govt. Securities/Treasury Bills	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेज़री बिलों की खरीद Purchase of Govt. Securities/Treasury Bills	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कार्पोरेट बॉन्ड और अन्य मौद्रिक बाजार लिखत की खरीद Puchase of Corporate Bonds and Other money market instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्राप्त की गयी जमराशि Deposits accepted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
परिपक्व जमाराशियां Matured Deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिये गए ऋण Loans Provided	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चुकाए गए ऋण Loans Repaid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एनपीए की बिक्री Sale of NPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
किए गए निवेश Investments made	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (ईएसपीएस) के अंतर्गत जारी इक्विटी शेयर Equity shares issued under Employee's Stock Purchase Scheme (ESPS)	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24
बकाया यथा 31.03.2020 Outstanding as on 31.03.2020						
देय Payable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जमाराशियां स्वीकार्य Deposits accepted	15.17	43.28	-	-	15.17	43.28
उधार Borrowing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिये गए ऋण Loans given	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जमाराशियों का नियोजन Placement of the Deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

विवरण Particulars	अनुषंगियाँ/ सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम With Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार Key Management Personnel & their relatives		कुल TOTAL	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
अन्य देयताएं Other Liabilities	3.25	3.52	0.00	0.00	3.25	3.52
प्राप्तियाँ (अग्रिम) Receivables (Advances)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवेश Investments	183.28	183.28	0.00	0.00	183.28	183.28
गैर वित्तपोषित प्रतिबद्धता Non Funded Commitment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पट्टे पर/एचपी व्यवस्था का लाभ उठाया गया Leasing / HP arrangements availed	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पटटे पर/एचपी व्यवस्था प्रदान की गयी Leasing / HP arrangements provided	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अचल संपत्तियों की खरीद Purchase of fixed assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अंचल संपत्तियों की बिक्री Sale of fixed assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य अस्तियाँ Other Assets	7.37	11.58	0.00	0.00	7.37	11.58

ख) मुख्य प्रबंधन कार्मिक: प्रदत्त पारिश्रमिक (रुपयों में) :

क्र. सं.	विवरण	2019-20	2018-19
1	श्री दीनबंधु मोहापात्रा	8,57,839	29,07,051
2	श्री अतनु कुमार दास	27,92,421	25,61,116
3	श्री नीलम दामोदरन	17,66,707	25,33,503
4	श्री सी.जी. चैतन्य	26,90,263	24,74,949
5	श्री पी.आर. राजगोपाल	89,146	0

6.6. लेखांकन मानक 19 - पट्टा वित्तपोषण : शून्य

6.7 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन (रुपयों में) :

क्र.सं.	विवरण	2019-20	2018-19
1	आधारभूत और तनुकृत *	(-)9.10	(-)29.79

आधारभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	2019-20	2018-19
(क) (A)	वर्ष के लिए इक्विटी शेयाधारकों को प्राप्य निवल लाभ / (हानि)	Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders	(-)2,956.89	(-)5,546.90
(ख) (B)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या	Weighted Average Number of Equity shares	325.01	186.22
(ग) (C)	मूलभूत प्रति शेयर आय (क/ख) (रु.)	Basic Earnings per Share (A/B) (₹)	(-)9.10	(-)29.79
(घ) (D)	प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु.)	Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

* आधारभूत एवं तनुकृत ई.पी.एस. समान ही है क्योंकि मंदी संभाव्य इक्विटी शेयर नहीं है।

b) Key Management Personnel: Remuneration paid in ₹:

Sr. No	Particulars	2019-20	2018-19
1	Shri Dinabandhu Mohapatra	8,57,839	29,07,051
2	Shri Atanu Kumar Das	27,92,421	25,61,116
3	Shri Neelam Damodharan	17,66,707	25,33,503
4	Shri C. G. Chaitanya	26,90,263	24,74,949
5	Shri P. R. Rajagopal	89,146	0

6.6 Accounting Standard 19 – Lease Financing: - Nil

6.7 Accounting Standard 20 - Earnings per Share in ₹:

Sr. No.	Particulars	2019-20	2018-19
1.	Basic & Diluted *	(-)9.10	(-)29.79

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.

* Basic & Diluted E.P.S. are same as there are no dilutive potential equity shares.

6.8 लेखांकन मानक 22 - आय पर करों के लिए लेखांकन

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

6.8 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

The major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

क्र.सं. Sr No	विवरण	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
	आस्थागित कर आस्तियां	**Deferred Tax Assets**		
i)	प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	On accou t of timing difference towards provision for doubtful debt and advances	14,949.33	13,123.92
ii)	अन्य प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	On account of timing difference towards other provisions/items	132.21	79.01
iii)	विदेशी मुद्रा अनुवाद रिजर्व के कारण (FCTR)	On account of Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)	234.08	214.70
iv)	अन्य	Others	392.16	422.10
	कुल आस्थगित कर आस्तियाँ	**Total Deferred Tax Assets**	**15,707.78**	**13,839.73**
	आस्थगित कर देयता	**Deferred Tax Liabilities**		
i)	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण	On account of Depreciation on fixed assets	287.02	265.58
ii)	प्रोदभूत ब्याज जो देय नहीं हैं के कारण	On account of interest accrued but not due on investments	952.07	927.38
iii)	आय कर अधिनियम 1961 की विशेष आरक्षिति यू/एस 36(1)(viii) के संबंध में कटौती के कारण*	On account of Deduction in respect of special reserve u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act 1961*	758.28	758.28
iv)	अन्य	Others	1.69	2.88
	कुल आस्थगित कर देयताएं	**Total Deferred Tax Liabilities**	**1,999.06**	**1,954.12**
	निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	**Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)**	**13,708.72**	**11,885.61**

* रू. 431.67 पुरानी आरक्षितियों में से और लाभ में से शेष

6.9 लेखांकन मानक 24 - बट्टाकरण परिचालन: समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020 के दौरान, बैंक ने अपनी विदेशी अनुषंगी बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. को बेच दिया है, जिसके लिए रु. 14.64 की राशि प्राप्त हुई। रु.19.18 के निवेश की बची हुई लागत का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

* ₹ 431.67 out of past reserves and balance out of profit

6.9 Accounting Standard 24 - Discontinuing Operations: During the year ended March 31, 2020 Bank has sold its overseas subsidiary i.e. Bank of India (Botswana) Ltd. for which consideration received is ₹ 14.64. The remaining cost of investment of ₹ 19.18 is fully provided.

6.10 लेखांकन मानक 27- संयुक्त उद्यमों में निवेश :

निवेशों में रू.75 (पिछले वर्ष रू.75) शामिल है जो निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में बैंक-हित को दर्शाता है :-

6.10 Accounting Standard 27 – Investments in Joint Venture

Investments include ₹ 75 (Previous year ₹ 75) representing Bank's interest in the following jointly controlled entity:

क्र.सं. Sr.No.	कंपनी का नाम	Name of the Company	राशि Amount	निवास देश Country of Residence	होल्डिंग % Holding %
1	स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि.,	Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd.	₹ 75	भारत / India	28.96%

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

विवरण	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
देयताएं	**Liabilities**		
पूंजी एवं आरक्षितियां	Capital & Reserves	190.24	173.80
जमाराशियां	Deposits	-	-
उधार	Borrowings	-	-
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	2,607.69	2,349.17
कुल	**Total**	**2,797.93**	**2,522.97**
आस्तियां	**Assets**		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां	Cash and Balances with Reserve Bank of India	10.62	38.16
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	Balances with Banks and Money at call and short notice	-	-
निवेश	Investments	2,640.40	2,313.18
अग्रिम	Advances	3.03	2.44
अचल आस्तियां	Fixed Assets	6.77	4.98
अन्य आस्तियां	Other Assets	137.11	164.21
कुल	**Total**	**2,797.93**	**2,522.97**
पूंजीगत बाध्यताएं	Capital Commitments	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएं	Other Contingent Liabilities	20.99	25.66
आय	**Income**		
अर्जित ब्याज	Interest Earned	10.39	9.22
अन्य आय	Other Income	29.75	29.77
कुल	**Total**	**40.14**	**38.99**
व्यय	**Expenditure**		
व्यय किया गया ब्याज	Interest Expended	-	-
परिचालन व्यय	Operating Expenses	13.27	8.54
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions & Contingencies	9.71	1.05
कुल	**Total**	**22.98**	**9.59**
लाभ / (हानि)	**Profit / (Loss)**	**17.16**	**29.40**

6.11. परिसंपत्तियों की हानि (लेखांकन मानक 28) : रू. शून्य

6.12. (लेखांकन मानक 29) : "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियाँ"

क. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार चढाव :

6.11 Impairment of Assets (Accounting Standard 28): ₹ Nil

6.12 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" (Accounting Standard 29)

A. Movement of Provisions for contingent liabilities:

विवरण	Particulars	विधिक मामले/आकस्मिकताएं* Legal cases/contingencies*	
		2019-20	2018-19
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	100.28	96.43
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	Provided during the year	0.87	3.85

विवरण	Particulars	विधिक मामले/आकस्मिकताएं* Legal cases/contingencies*	
		2019-20	2018-19
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	Amounts used during the year	1.96	0.00
अंतिम शेष	Closing Balance	99.19	100.28
	बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं Timing of outflow/uncertainties	समझौते/क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन Outflow on settlement /Crystallization	

* अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर

ख. आकस्मिक देयताएं

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता करने/ न्यायालय के बाहर का समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग, जैसा भी मामला हो, पर क्रमश: निर्भर करता है। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

7. अतिरिक्त देयताएं

7.1 प्रावधान और आकस्मिकताएं

लाभ और हानि खाते में दिखाए गए "प्रावधान और आकस्मिकताएं" का ब्रेक-अप निम्नानुसार है:

विवरण	Particulars	2019-20	2018-19
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	Provision for Depreciation on Investment	341.92	1,064.24
एनपीए हेतु प्रावधान	Provision towards NPA	14,415.39	15,769.65
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision towards Standard Assets	858.63	126.32
आयकर के लिए किया गया प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax)	(-)1,645.84	(-)3,166.51
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	**Other Provision & Contingencies**		
• पुनर्गठित खातों में त्याग हेतु प्रावधान	• Provision for Sacrifice in Restructured Accounts	(-)34.67	(-)227.83
• देशीय जोखिम हेतु प्रावधान	• Provision for Country Risk	7.08	(-)15.15
• अन्य प्रावधान	• Other Provisions	533.02	88.39
कुल	**Total**	**14,475.53**	**13,639.11**

7.2 अस्थायी प्रावधान

विवरण	Particulars	2019-20	2018-19
अस्थायी (फ्लोटिंग) प्रावधान खाते में प्रारम्भिक शेष	Opening Balance in the floating provisions account	232.22	232.22
जोड़े : लेखाकंन वर्ष में किए गए अस्थायी (फ्लोटिंग) प्रावधान की प्रमात्रा	Add: The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
घटाएँ : लेखाकंन वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि	Less: Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
अस्थिर प्रावधान खाते में अंतिम शेष	Closing Balance in the floating provisions account	232.22	232.22

* Excluding provisions for others

B. Contingent Liabilities:

Such liabilities are dependent upon, the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

7. Additional Disclosures

7.1 Provisions and Contingencies

The break-up of “Provisions and Contingencies” appearing in the Profit and Loss Account is as under:

7.2 Floating Provisions:

7.3 आरक्षितियों (रिजर्वस्) से ड्रॉ डाउन :

समाप्त वर्ष 31.03.2020 के दौरान आरक्षितियों से कोई ड्रा-डाउन नहीं किया गया है।

7.4 शिकायतों का प्रकटन

i) ग्राहकों की शिकायतें : प्रबंधन द्वारा यथा समेकित

क्र.सं. Sr. No		Particulars	2019-20	2018-19
(a)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	No. of complaints pending at the beginning of the year	281	220
(b)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	No. of complaints received during the year	25,455	34,736
(c)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	No. of complaints redressed during the year	25,389	34,675
(d)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	No. of complaints pending at the end of the year	347	281

ii) एटीएम से संबंधित शिकायतें : प्रबंधन द्वारा यथा समेकित

क्र.सं. Sr. No	विवरण	Particulars	2019-20	2018-19
(a)	वर्ष के आरंभ में लम्बित एटीएम से संबंधित शिकायतें	No. of ATMs complaints pending at beginning of the year	9,994	5,631
(b)	वर्ष के दौरान प्राप्त एटीएम से संबंधित शिकायतें	No. of ATMs complaints received during the year	4,83,904	3,25,776
(c)	वर्ष के दौरान निपटाई गई एटीएम संबंधी शिकायतें	No. of ATMs complaints redressed during the year	4,82,051	3,21,413
(d)	वर्ष के अंत में लम्बित एटीएम से संबंधित शिकायतें	No. of ATMs complaints pending at the end of the year	11,847	9,994

iii) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय :

क्र.सं. Sr. No	विवरण	Particulars	2019-20	2018-19
(a)	वर्ष के प्रारंभ में लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	8	2
(b)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	7	8
(c)	वर्ष के दौरान लागू किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	No. of Awards implemented during the year	15	2
(d)	वर्ष के अंत में लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	No. of unimplemented Awards at the end of the year	0	8

7.5 बैंक द्वारा अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसीज्) पर प्रकटन (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक ने अनुषंगियों की ओर से कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किए हैं। वर्ष 2011-2012 के दौरान, बैंक ने अपने पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. के लिए गवर्नर, बैंक ऑफ़ बोतस्वाना को वचनपत्र जारी किया है कि वित्तीय वायदे देय होने पर उन्हें पूरा किया जाएगा।

वर्ष 2010-11 के दौरान, अपने पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी बीओआई (न्यूज़ीलैंड) लि. के लिए न्यूज़ीलैंड के रॉयल बैंक के पक्ष में बैंक ने वित्तीय वायदे देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए अभिभावकीय गारंटी जारी की है।

यथा 31.03.2020 को वायदों पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं हुआ है।

7.3 Drawdown from Reserves:

There is no drawdown from reserves made during the year ended 31.03.2020.

7.4 Disclosure of complaints

i) Customer Complaints: As compiled by the management

ii) ATM Complaints: As compiled by the management

iii) Awards passed by the Banking Ombudsman:

7.5 Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by bank for Subsidiaries (As compiled by the management)

During the year 2019-20, the bank has not issued any Letter of Comforts on behalf of Subsidiaries. During the year 2011-12, the bank has issued an undertaking to the Governor, Bank of Botswana in respect of its wholly owned subsidiary, Bank of India (Botswana) Ltd to meet its financial commitments if they fall due.

During the year 2010-11, the bank issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand for its wholly owned subsidiary, BOI (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2020, no financial obligations have arisen on the above commitments.

7.6 प्रावधान कवरेज़ अनुपात (पीसीआर)

यथा 31 मार्च 2020 को बैंक के सकल अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान 83.74% है (पिछले वर्ष: 76.95%)

7.6 Provisioning Coverage Ratio (PCR)

The Provisioning to Gross Non-Performing Assets of the Bank as on 31st March 2020 is 83.74% (Previous year: 76.95%).

7.7 बैंक एश्योरेंस कारोबार से प्राप्त शुल्क, पारिश्रमिक :

7.7 Fees, remuneration received from Bancassurance business:

विवरण	Particulars	2019-20	2018-19
जीवन बीमा पॉलिसी	Life Insurance Business	78.60	68.73
गैर-जीवन बीमा पॉलिसी	Non-Life Insurance Business	18.59	23.38
स्वास्थ्य बीमा कारोबार	Health Insurance Business	4.16	3.16
कुल	**Total**	**101.35**	**95.27**

7.8 जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोज़र तथा एनपीए का संकेंद्रण

7.8 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

7.8.1 जमाराशियों का संकेंद्रण-

7.8.1 Concentration of Deposits –

विवरण	Particulars	2019-20	2018-19
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियां	Total Deposits of twenty largest depositors	35,480.63	19,603.83
बैंक की कुल जमाराशियाँ में से बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	6.39%	3.76%

7.8.2 अग्रिमों का संकेंद्रण -

7.8.2 Concentration of Advances –

विवरण	Particulars	2019-20	2018-19
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	Total Advances to twenty largest borrowers	76,397	60,815
बैंक के कुल अग्रिमों में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	16.59%	14.28%

7.8.3 एक्सपोज़र का संकेंद्रण:

7.8.3 Concentration of Exposures –

विवरण	Particulars	2019-20	2018-19
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	69,877	73,161
बैंक के उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं /ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the bank on borrowers/ customers	11.22%	12.68%

7.8.4 एनपीए संकेंद्रण

7.8.4 Concentration of NPAs

विवरण	Particulars	2019-20	2018-19
चार शीर्ष एनपीए खातों का कुल एक्सपोज़र	Total Exposure to top four NPA accounts	9,731	7,035

7.9 क्षेत्रवार एनपीए (प्रुडेन्शियल /तकनीकी राइट ऑफ को शामिल करते हुए) (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

7.9 Sector-wise Advances (Including Prudential/ Technical write off) (As compiled by management)

क्र. सं. Sr. No.	क्षेत्र	Sector	2019-20			2018-19		
			बकाया सकल अग्रिमों O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector	बकाया सकल अग्रिमों O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector
A	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**	**Priority sector**						
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	Agriculture & allied activities	50,631.18	11,027.65	21.78	50,337.96	10,534.29	20.93
2	प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में पात्र उद्योगों को अग्रिम	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	31,106.70	7,769.97	24.98	22,557.81	6,027.20	26.72
3	सेवाएं	Services	39,676.84	6,605.99	16.65	32,426.37	5,932.34	18.29
4	व्यक्तिगत ऋण	Personal loans	15,662.24	746.24	4.76	18,558.18	1,106.01	5.96
	उप योग (क)	**Sub-total (A)**	**1,37,076.96**	**26,149.85**	**19.08**	**1,23,880.32**	**23,599.84**	**19.05**
B	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	Non Priority Sector						
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	Agriculture & allied activities	1,191.93	231.19	19.40	1,842.81	318.70	17.29
2	उद्योग	Industry	85,816.60	31,217.46	36.38	1,52,775.78	39,212.85	25.67
3	सेवाएं	Services	1,26,180.58	20,576.18	16.31	1,04,372.01	19,531.00	18.71
4	व्यक्तिगत ऋण	Personal loans	35,804.38	1,764.38	4.93	26,283.32	4,292.60	16.33
	उप योग (ख)	**Sub-total (B)**	**2,48,993.49**	**53,789.21**	**21.60**	**2,85,273.92**	**63,355.15**	**22.21**
	योग (क+ख)	**Total (A+B)**	**3,86,070.45**	**79,939.05**	**20.71**	**4,09,154.24**	**86,954.99**	**21.25**

7.9.1 प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्रमाण पत्र (पीएसएलसी) (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित) :

7.9.1 Disclosure of Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) (As compiled by the Management):

वर्ष के दौरान खरीदे गए / Purchased during the year	वर्ष के दौरान बेचे गए / Sold During the Year
0.00 (5,090.00)	0.00 (0.00)

7.10 एनपीए का मूवमेंट :

7.10 Movement of NPAs:

विवरण	Particulars	2019-20	2018-19
सकल एनपीए यथा 01.04.2019 को (प्रारंभिक शेष)	Gross NPAs as on 01.04.2019 (Opening Balance)	60,661.12	62,328.46
वर्ष के दौरान (नए एनपीए) परिवर्धन	Additions(Fresh NPAs) during the year	16,328.81	17,902.53
उप-जोड़ (ए)	**Sub-total(A)**	**76,989.93**	**80,230.99**
घटाएं :-	Less:		
(i) अपग्रेडेशन	(i) Up gradations	1,303.25	3,368.81
(ii) वसूलियाँ - अपग्रेडेड खातों से की गई वसूली को छोड़कर	(ii) Recoveries-excluding recoveries made from upgraded accounts	6,509.26	8,784.61
(iii) तकनीकि प्रुडेंशियल राइट ऑफ	(iii) Technical/Prudential Write Offs	2,781.97	829.43
(iv) राइट ऑफ, उक्त (iii) के अंतर्गत छोडकर	(iv) Write offs other those under (iii) above	4,845.52	6,587.02
उप-जोड़ (बी)	**Sub-total (B)**	**15,440.00**	**19,569.87**
सकल एनपीए यथा 31.03.2020 (अंतिम शेष) (ए-बी)	**Gross NPAs as on 31.03.2020 (Closing Balance) (A-B)**	**61,549.93**	**60,661.12**

7.11 तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों का मूवमेंट :

7.11 Movement of Technically/Prudentially written-off accounts:

विवरण	Particulars	2019-20	2018-19
तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों में प्रारंभिक शेष	Opening Balance of Technical/prudential written-off accounts	22,291.32	20,269.15
जोडें : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते ड़ालना*	Add: Technical/prudential written-offs during the year*	7,054.28	4,104.33
उप-जोड (ए)	Sub-total(A)	29,345.60	24,373.48
घटाएं :- पूर्व में तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों में वर्ष के दौरान की गई वसूली* (बी)	Less: Recoveries/regular write off made from previously technical/prudential written-off accounts during the year*(B)	2,815.17	2,082.16
अंतिम शेष (ए-बी)	Closing Balance (A-B)	26,530.43	22,291.32

* विनिमय अंतर सहित

* including exchange difference

7.12 विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

7.12 Overseas Assets, NPAs and Revenue:

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	2019-20	2018-19
1	कुल आस्तियां	Total Assets	93,806.16	1,15,607.39
2	कुल एनपीए	Total NPAs	11,956.14	11,310.39
3	कुल राजस्व	Total Revenue	4,080.95	5,064.83

7.13 ऑफ बैलेन्स शीट प्रायोजित एसपीवी

7.13 Off-Balance Sheet SPVs sponsored:

स्पॉन्सर किए गए एसपीवी का नाम / Name of the sponsored SPV	
स्वदेशी / Domestic	विदेशी / Overseas
शून्य / NIL	शून्य / NIL

7.14 प्रतिभूतिकरण से सम्बद्ध प्रकटन :

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कोई स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) फ्लोट नहीं किया है।

7.14 Disclosure relating to Securitisation:

The Bank has not floated any Special purpose Vehicle (SPV) during the Financial Year 2019-20.

7.15 क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स :

बैंक ने कोई क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स नहीं किया है।

7.15 Credit Default Swaps:

The bank has not dealt with any Credit Default Swap.

7.15.1 इंट्रा-ग्रुप एक्स्पोज़र (प्रबंधन द्वारा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा समर्थित) :

7.15.1 Intra-Group Exposures (As compiled by the management and relied upon by the Auditors):

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	2019-20	2018-19
A	इन्ट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	Total amount of intra group exposures	4,474.40	5,671.59
B	टॉप 20 इन्ट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	Total amount of top 20 intra group exposure	4,474.40	5,671.59
C	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर कुल एक्सपोज़र की तुलना में इन्ट्रा ग्रुप एक्सपोज़र का प्रतिशत	% of Intra group Exposure to total exposure on Borrowers/Customers	0.78%	0.69%
D	इन्ट्रा ग्रुप एक्सपोज़रों पर सीमाओं के उल्लंघन के ब्यौरे और उन पर विनियामक की कार्रवाई, यदि कोई हो.	Details of breach of limits on intra group exposures and regulatory action thereon, if any.	निरंक Nil	निरंक Nil

7.16 जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड (डीईएएफ) को अंतरण :

7.16 Transfers to Depositors Education and Awareness Fund (DEAF)

विवरण	Particulars	वि.व. 2019-20	वि.व. 2018-19
डीईएएफ में अंतरित प्रारंभिक शेष राशि	Opening balance of amounts transferred to DEAF	784.01	539.24
जोड़े : वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित राशि	Add : Amounts transferred to DEAF during year	369.73	257.75
घटाएं : दावों के तहत डीईएएफ द्वारा राशि की प्रतिपूर्ति	Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	15.80	12.98
डीईएएफ में अंतरित राशि का अंतिम शेष	Closing balance of amounts transferred to DEAF	1,137.94	784.01

7.17 अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीई) : प्रबंधन द्वारा यथा समेकित

7.17 Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE): As compiled by the management

क्र. स. Sr. No.	विवरण	Particulars	वि.व. 2019-20	वि.व. 2018-19
A	प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	Opening balance provisions account	36.09	34.07
B	लेखा वर्ष में किए गए प्रावधानों की मात्रा	The quantum of provisions made in the accounting year	41.33	18.95
C	लेखा वर्ष के दौरान रिवर्स की गई राशि	Amount Reverse during the accounting year	0.67	16.92
D	प्रावधान खाते में अंतिम शेष	Closing balance in the provisions account	76.75	36.09

बैंक के पास 'अनहैज करेंसी एक्सपोजर' (यूएफ़सीई) वाली संस्थाओं पर एक्सपोज़र हेतु पूंजी एवं प्रावधानीकरण आवश्यकता संबंधी नीति है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र पर आधारित है।

यथा 31.03.2020, उपलब्ध डाटा और उधारकर्ताओं से नीति के अनुरूप प्राप्त घोषणा के आधार पर, एक्सपोज़र पर अतिरिक्त आरडब्ल्यूए रु.950.38 (विगत वर्ष रु. 399.69) है। इसकी तुलना में, अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यकता रु.103.35 (विगत वर्ष रु. 43.47) है।

7.18 कोविड 19 विनियामकीय पैकेज

पूरे विश्व में कोविड-19 के प्रसार से आर्थिक गतिविधि में कमी आयी है तथा वित्तीय बाजारों में अस्थिरता में वृद्धि हुई है। स्थिति अनिश्चित बनी हुई है तथा मूल बैंक लगातार आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। मूल बैंक के लिए मुख्य चुनौती नकदी प्रवाह में अस्थिरता से उत्पन्न होगी। इन घटनाओं तथा स्थितियों के बावजूद, संस्था की निरंतरता के आधार पर तथा भविष्य में मूल बैंक के परिणाम पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र सं. डीओआर सं.बीपी.बीसी.47/ 21.04.048/ 2019-20 दिनांक 27.03.2020; डीओआर.सं.बीपी.बीसी.63/ 21.04.048/ 2019-20 दिनांक 17.04.2020, तथा डीओआर सं.बीपी. बीसी.71/21.04.048/2019-20 दिनांक 23.05.2020 के माध्यम से कोविड-19 महामारी से उत्पन्न व्यवधानों के कारण ऋण अदायगी के बोझ को कम करने के लिए और अर्थक्षम कारोबारों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया है।

The bank has a policy with regard to capital and provisioning requirements for exposure to entities with unhedged foreign currency exposure (UFCE) which is based on RBI Circulars.

As on 31.03.2020, based on available data and declaration from the borrowers, wherever received in accordance with the policy, the additional RWA on this exposure is ₹ 950.38 (Previous Year ₹ 399.69). As against this, additional minimum capital requirement is ₹ 103.35 (Previous Year ₹ 43.47).

7.18 COVID 19 Regulatory Package:

The spread of COVID-19 across the globe has resulted in decline in economic activity and increase in volatility in financial markets. The situation continues to be uncertain and the Bank is evaluating the situation on ongoing basis. The major challenge for the Bank would arise from volatility in cash flows. Despite these events and condition, there would not be any significant impact on Bank's results in future and on the going concern assumption.

RBI vide circular no. DOR. No.BP.BC.47/21.04.048/2019-20 dated 27.03.2020; DOR.No.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 dated 17.04.2020, and DOR.No.BP.BC.71/21.04.048/ 2019-20 dated 23.05.2020 has announced measures to mitigate the burden of debt servicing brought out by disruptions on account of COVID-19 pandemic and to ensure the continuity of viable business.

मूल बैंक के मामले में उपर्युक्त परिपत्रों का प्रभाव विस्तृत रूप में निम्नलिखित है :

The impact of above circulars are detailed as under:

क्र.सं. S. No.	विवरण	Particular	राशि Amount
1	एसएमए/अतिदेय श्रेणी से संबंधित राशि, जहाँ ऋणस्थगन/स्थगन में वृद्धि की गई थी	Respective amounts in SMA/overdue categories, where the moratorium/deferment was extended	74,445.25
2	संबंधित राशि जहाँ आस्ति वर्गीकरण लाभ में वृद्धि की गई है	Respective amount where asset classification benefits is extended	4,144.82
3	तिमाही 4, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान किये गए प्रावधान	Provisions made during the Q4, FY2019-20	414.48
4	शेष बचे प्रावधानों तथा स्लिपेज पर संबंधित लेखा अवधि के दौरान समायोजित प्रावधान	Provisions adjusted during the respective accounting periods against slippages and the residual provisions	Nil

8. चलनिधि कवरेज अनुपात : प्रबंधन द्वारा यथा समेकित

मात्रात्मक प्रकटन :

8. Liquidity Coverage Ratio: As compiled by the management

Quantitative Disclosure:

		यथा /As on 31.03.2020*		यथा /As on 31.03.2019*	
	एलसीआर कॉम्पोनेंट्स LCR Components	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value Average@	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value Average @	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value Average @	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value Average@
उच्च् स्तरीय परिसंपत्ति आस्तियाँ / HIGH QUALITY LIQUID ASSETS					
1	कुल उच्च स्तरीय आस्तियां (एचक्यूएलए) / Total High Quality Assets (HQLA)		95,695.78		81,406.60
नकदी प्रवाह / CASH OUTFLOW					
2	खुदरा जमाराशियां तथा छोटे कारोबारी ग्राहकों की , जिसमें से Retail deposits and deposits from small business customers, of which	379,311.23	37,419.47	384,601.79	38,041.47
(i)	स्थिर जमाराशियां / Stable deposits	10,236.15	511.80	7,942.94	393.94
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां / Less stable deposits	369,075.08	36,907.68	376,658.85	37,647.54
3	अरक्षित थोक निधियां, जिसमें से : / Unsecured wholesale funding of which:	55,721.87	29,813.41	57,284.99	29,126.99
(i)	परिचालनगत जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार) / Operational deposits (all counterparties)	42.09	10.52	-	-
(ii)	गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)/ Non operational deposits (all counterparties)	43,123.34	17,252.55	46,452.64	18,586.66
(iii)	अरक्षित ऋण / unsecured debts	12,556.44	12,550.34	10,832.35	10,540.33
4	जमानती थोक निधियन / Secured wholesale funding		-		612.39
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से / Additional requirements, of which	18,021.05	5,447.80	13,773.10	5,069.89
(i)	ब्युत्पन्न एक्सपोज़र से संबंधित बहिर्गमन / Outflows related to derivative exposures and other collateral requirement	3,444.47	3,443.54	3,406.46	3,418.93
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित बहिर्गमन / Outflows related to loss of funding on debt products	-	-	162.27	64.91
(iii)	ऋण तथा चलनिधि सुविधाएं / Credit and liquidity facilities	14,576.59	2,004.27	10,204.37	1,586.05
6	अन्य संविदागत निधियन दायित्व / Other contractual funding obligations	24,900.20	24,876.79	25,312.35	25,345.11
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व / Other contingent funding obligations	34,641.37	1,043.44	42,324.56	1,583.89
8	कुल नकदी बहिर्गमन / TOTAL CASH OUTFLOWS		98,600.92		99,779.75
नकदी अंतर्वाह / CASH INFLOW					

		यथा /As on 31.03.2020*		यथा /As on 31.03.2019*	
	एलसीआर कॉम्पोनेंट्स LCR Components	**कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value Average@**	**कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value Average @**	**कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value Average @**	**कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value Average@**
9	जमानदी उधार (उदा:रिवर्स रेपो) / Secured lending(e.g. reverse repos)	6,824.06	4,470.43	9,301.63	6,701.47
10	पूर्णतया निष्पादक एक्सपोजर से अंतर्वाह / Inflows from fully performing exposurs	17,039.02	11,557.83	24,596.62	17,027.94
11	अन्य नकदी अंतर्वाह / Other cash inflows	12,198.89	10,393.72	11,365.42	10,144.82
12	कुल नकदी अंतर्वाह / TOTAL CASH INFLOWS	36,061.96	26,421.98	45,263.67	33,874.23
			कुल समायोजित मूल्य 3 Total Adjusted Value 3		कुल समायोजित मूल्य 3 Total Adjusted Value 3
21	कुल एचक्यूएलए / TOTAL HQLA		95,695.78		81,406.60
22	कुल निवल नकदी बहिर्गमन / TOTAL NET CASH OUTFLOWS		72,178.94		65,905.53
23	चलनिधि कवरेज अनुपात (%) / LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		132.58		123.52

नोट:

* समेकित आधार पर (घरेलू एवं विदेशी अनुषंगियां शामिल)

@ दिनांक 31 मार्च 2020 साथ ही साथ 31.03.2019 तक के डाटा हेतु विगत 4 तिमाहियों में दैनिक अवलोकनों का साधारण औसत लेकर(अर्थात वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 क्रमशः हेतु औसत) प्रकटन किए गए हैं। यह आरबीआई दिशानिर्देश संदर्भ सं. डीबीआर.नं.बीपी. बीसी.80/21.06.201/2014-15 दि. 31 मार्च 2015 के अनुरूप हैं।

आरबीआई के दिशानिर्देश संदर्भ सं. डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.80/ 21.06.201/2014-15 दि. 31 मार्च 2015 के अनुसार।

एलसीआर के संबंध में गुणात्मक प्रकटन

1 जनवरी, 2015 से बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है।

एलसीआर का मानक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित उच्च स्तरीय चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) को यथोचित स्तर पर अनुरक्षित करता है अत्यधिक चलनिधि दबाव परिदृश्य के अन्तर्गत 30 कलेंडर दिन सीमा के लिए चलनिधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए एचक्यूएलए को नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। गंभीर चलनिधि दबाव परिदृश्य में चलनिधि आस्तियों के स्टॉक की सहायता से बैंक कम से कम अगले 30 कैलंडर दिवस गुज़ार सके।

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च कोटी की चलनिधि आस्तियां}}{\text{अगले 30 कलेंडर दिनों तक कुल निवल नकदी बहिर्गमन}}$$

यहाँ ,

- एचक्यूएलए लेवल 1 तथा लेवल 2 आस्तियां सम्मिलित हैं, दूसरे शब्दों में यह नकदी हैं या नकदी मदों के करीब हैं जिसे आवश्यकता पड़ने पर बाज़ार में आसानी से उपयोग किया जा सकता है/भुनाया जा सकता है।

Note :

* *On consolidated basis (including domestic and foreign subsidiaries)*

@ *Disclosure as on 31.03.2020 as well as 31.03.2019 has been done by taking simple average of daily observations over previous 4 quarters (i.e. average for the FY 2019-20 & FY 2018-2019 respectively). This is as per RBI guidelines ref. no. DBR.No.BP. BC.80 /21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015.*

Qualitative disclosures with regard to LCR

W.e.f. 1st January 2015, the Bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) as directed by Reserve Bank of India.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. At a minimum, the stock of liquid assets should enable the bank to survive until next 30 calendar days under a severe liquidity stress scenario.

$$\text{LCR} = \frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}}$$

Here,

- HQLA comprises of level 1 and level 2 assets, in other words these are cash or near to cash items which can be easily used / discounted in the market in case of need.

- भारिबैं/बासेल द्वारा परिभाषा के अनुसार दबाव की स्थिति के अन्तर्गत कुल बहिर्गमन पर कुल अंतर्वाह का निवल नकदी बहिर्गमन अधिक रहता है। निवल नकदी बहिर्गमन के परकलन के लिए, अंतर्वाह को पूर्व परिभाषित हेयरकट के साथ माना जाता है तथा बहिर्गमन को पूर्व परिभाषित रन-ऑफ़ फैक्टर पर माना जाता है।
- यदि दबावग्रस्त निधियों का अंतर्वाह दबावग्रस्त निधियों के बहिर्गमन से अधिक है, तो कुल निधियों के बहिर्गमन का 25% एलसीआर के परिकलन के लिए कुल शुद्ध नकद निधियों के बहिर्गमन के रूप में लिया जाएगा।
- प्रभावी तिथि 01.01.2015 से, अविरत आधार पर 60% एलसीआर को बनाए रखना बैंकों के लिए आवश्यक है। प्रत्येक वर्ष 10% की बढ़ती वृद्धि के साथ दिनांक 01.01.2019 तक यह 100% तक पहुंच जाएगा।

	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%	100%

एलसीआर का मुख्य संचालक : एलसीआर के मुख्य संचालक, उच्च गुणवत्ता की चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) और खुदरा ग्राहकों से उच्च निधियन स्त्रोत की वजह से न्यून निवल नकदी हैं। एचक्यूएलए के पर्याप्त स्टॉक ने एलसीआर बनाए रखने में बैंक की सहायक की है।

एचक्यूएलए की संरचना : उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) की संरचना में प्रमुखतया नकदी शेष, अतिरिक्त एसएलआर, अतिरिक्त सीआरआर तथा एफएएलएलसीआर (चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करना) होता है।

आज की तिथि तक एचक्यूएलए संरचना का प्रकटन निम्नलिखित है :

हाथ में नकदी	3%
अतिरिक्त सीआरआर शेष	8%
न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता से अधिक सरकारी प्रतिभूति	6%
एफएएलएलसीआर (एमएसएफ के लिए अनुमत वर्तमान में एनडीटीएल का 7 प्रतिशत तक) सहित एमएसएफ के अन्तर्गत भारिबैं द्वारा अनुमत अनुसार न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता की अधिकता में सरकारी प्रतिभूतियां	9%
बासेल II के मानक दृष्टिकोण के अन्तर्गत 0%, जोखिम के विदेशी सार्वभौम द्वारा जारी या रारंटीकृत प्रतिभूतियां	5%
चलनिधि कवरेज अनुपात हेतु चलनिधि सुविधा	66%
लेवल 2 अस्तियां	3%

निधियन स्त्रोत का संकेन्द्रीकरण: बैंक का अधिकांश निधियन स्त्रोत खुदरा ग्राहकों से है अतएव बहिर्गमन दबाव तुलनात्मक ढंग से कम है। तथापि, मीयादी जमाराशियों के लिए किसी अप्रतिदेय विकल्प के अभाव में भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार बहिर्गमन अनुभाग के अन्तर्गत लगभग सभी जमाराशियों को बैंक ने शामिल किया है। बैंक का, किसी महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकार से अत्यधिक निधि प्राप्त नहीं है। महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकार से तात्पर्य है एकल प्रतिपक्षकार या सम्बद्ध प्रतिपक्षकारों का समूह जिनकी बैंक की कुल देयताओं में हिस्सेदारी 1% से अधिक है।

व्यत्पन्नी एक्सपोज़र तथा संभाव्य संपार्श्विक कॉल: डेरिवेटिव कारोबार में बैंक का बहुत कम क्सपोजर है जो उल्लेखनीय नहीं है।

एलसीआर में मुद्रा असंतुलन : भारिबैं दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक महत्वपूर्ण

- Net cash outflows are excess of total inflows over total outflows under stressed situation as defined by Basel / RBI. While arriving at the net cash outflow, the inflows are taken with pre-defined hair-cuts and the outflows are taken at pre-defined run-off factors.
- In case stressed inflows are more than the stressed outflows, 25% of total outflows shall be taken as total net cash outflows to arrive at the LCR.
- With effect from 01.01.2015, Banks are required to maintain minimum 60% LCR on an ongoing basis. The same shall reach 100% as on 01.01.2019 with incremental increase of 10% each year.

	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%	100%

Main Drivers of LCR: The main drivers of the LCR are adequacy of High Quality Liquid Assets (HQLA) and lower net cash outflow on account of higher funding sources from retail customers. Sufficient stock of HQLA helped the Bank to maintain adequate LCR.

Composition of HQLA: The composition of High Quality Liquid Assets (HQLA) mainly consists of cash balances, excess SLR, excess CRR and FALLCR (Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio).

The composition of HQLA as on date of disclosure is given below:

Cash in hand	3%
Excess CRR balance	8%
Government securities in excess of minimum SLR Requirement	6%
Government securities within the mandatory SLR Requirement, to the extent allowed by RBI under MSF including FALLCR (presently to the extent of 15 percent of NDTL as allowed for MSF)	9%
Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk weight under Basel II standardized approach and other securities adjustments on account of Repo/Reverse Repo transactions	5%
Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio	66%
Level 2 Assets	3%

Concentration of funding sources: Majority of Bank's funding sources are from retail customers (about 60%) therefore the stressed outflows are comparatively lower. However, in absence of any non-callable option for term deposits, the Bank has considered almost all deposits under outflow section as per RBI guidelines. Bank also does not have funding concentration from any significant counterparty. A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counter parties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities.

Derivative Exposures and potential collateral calls: Bank has very little exposure in derivative business which is not very significant.

Currency mismatch in the LCR: In terms of RBI guidelines, a

मुद्रा वह है जिसमें उस मुद्रा में कुल मूल्यवर्गित देयताएं बैंक की कुल देयताएं का 5 प्रतिशत या अधिक हो। हमारे मामले में यूएसडी एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्रा है। अतएव बैंक, एलसीआर का परिकलन यूएसडी मुद्रा में भी करता है।

चलनिधि प्रबंधन के संकेन्द्रीकरण के स्तर का वर्णन तथा समूह की इकाईयों में पारस्परिक क्रिया : उद्यम स्तर पर बैंक का चलनिधि प्रबंधन, बोर्ड स्तरीय कार्य है तथा बोर्ड की एक अलग उप-समिति (आर.कॉम) इसपर निगाह रखती है। एएलसीओ द्वारा नियमित अंतराल पर चलनिधि प्रबंधन की नियमित निगरानी की जाती है। बैंक की संपूर्ण चलनिधि प्रबंधन प्रक्रिया, बैंक की एएलएम नीति से शासित होती है।

घरेलू परिचालनों के लिए चलनिधि प्रबंधन के केन्द्रीय कार्य है जो प्रधान कार्यालय स्तर पर प्रबंधित किया जाता है। निगरानी तथा नियंत्रण के लिए तथा स्थानीय विनियामक का अनुपालन भी प्रत्येक केन्द्र के क्षेत्राधिकार अनुसार विदेशी चलनिधि प्रबंधन किया जाता है। बैंक का अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग विदेशी चलनिधि स्थिति पर निगरानी रखता है तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर केन्द्रीय रूप से सम्पूर्ण चलनिधि निगरानी की जाती है।

एलसीआर परिकलन में अन्य अंतर्वाह और बहिर्गमन जिन्हें एलसीआर के आम टेम्पलेट द्वारा कैप्चर नहीं किया जाता है परन्तु अपने चलनिधि प्रोफाइल के लिए संस्था इसे उपयुक्त समझती है : हमारे ध्यान में ऐसी कोई मद नहीं है।

9. अन्य नोट :

ए) आयकर :

I. आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है जिसके अंतर्गत रू 581.40 (विगत वर्ष रु. 631.93) की विवादित आय कर/ ब्याज कर देयताएं सम्मिलित हैं जिनके लिए ऐसे विवादों पर विगत आकलनों के संदर्भ में विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। कथित विवादों को के विरुद्ध भुगतान/समायोजनों को अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

II. लागू कर-विधियों के प्रावधानों और कतिपय विवादित मामलों में विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर उचित विचार किये जाने के बाद कर के प्रावधान का परिकलन किया गया है।

बी) वर्ष 2019-20 के लिए रिवार्ड पॉइंट का मूवमेंट :

significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities.

Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units: The liquidity management of the Bank at enterprise level is a Board level function and a separate sub-committee of the Board (R.Com.) keeps close watch on that. The periodical monitoring of the liquidity management is being monitored by the ALCO on regular intervals. The entire liquidity management process of the Bank is being governed by ALM Policy of the Bank.

The liquidity management for domestic operations is the central function, being managed at Head Office level. The overseas liquidity management is being handled at each centre, jurisdiction wise to keep close monitoring and control and also to comply with the local regulatory requirements as well. International Division of the Bank keeps watch on the overseas liquidity position and the overall liquidity monitoring is done at Head Office level centrally.

Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile: No such items as per our notice.

9. Other Notes:

a) Income Tax:

(i) Claims against the Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹ 581.40 (previous year ₹ 631.93) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions in respect of past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

(ii) Provision for taxes has been arrived at after due consideration of the provisions of the applicable tax laws and relevant judicial decisions on certain disputed issues.

b) Movement of Reward Points for 2019-20:

(यूनिट में / in Units)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	डेबिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट Reward points on Debit Card	क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट Reward points on Credit Card	कुल Total
1	प्रारंभिक शेष Opening Balance	3,07,55,40,977	33,82,63,818	3,41,38,04,795
		(2,16,61,69,724)	(22,18,64,993)	(2,38,80,34,717)
2	जोडें : ग्राहकों द्वारा वर्ष के दौरान अर्जित किए गए रिवार्ड पॉर्इंट Add: Reward points accrued during the Year by Customers	1,77,26,50,463	14,26,08,013	1,91,52,58,476
		(1,65,41,13,828)	(20,56,73,032)	(1,85,97,86,859)
3	घटाएं : रिवार्ड पॉर्इंट ग्राहकों द्वारा लाभ उठाया गया Less: Reward Points availed by customers	36,02,52,229	8,41,28,064	44,43,80,293
		(46,87,87,399)	(8,92,74,206)	(55,80,61,606)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	डेबिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट Reward points on Debit Card	क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट Reward points on Credit Card	कुल Total
4	घटाएं : रिवार्ड पॉइंट की समय सीमा समाप्त (वित्त 2019-20)	66,68,75,174	8,28,08,842	74,96,84,016
	Less: Reward Points Expired (FY 2019-20)	(27,59,55,175)	(0)	(27,59,55,175)
5	अंतिम शेष	3,82,10,64,037	31,39,34,925	4,13,49,98,962
	Closing Balance	(3,07,55,40,977)	(33,82,63,818)	(3,41,38,04,795)

सी) धोखाधडियों के संबंध में प्रकटन :

c) Disclosure regarding frauds:

वित्तीय वर्ष Financial Year	धोखाधडी की संख्या Number of frauds	सम्मिलित राशि Amount involved	संभावित हानि Probable Loss	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों की मात्रा Quantum of Provision made during the year	अन्य आरक्षित से नामे की गयी असंशोधित प्रावधान की मात्रा Quantum of unamortized provision debited from other reserve
2019-20	203 (211)	8,071.23 (4,172.17)	5,894.48 (3,135.97)	418.93 (3,230.09)	0.00 (0.00)

डी) अखिल भारतीय मजदूर संघ तथा सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक एसेसिएशन के बीच ग्यारहवां द्विपक्षीय समझौता 31 अक्टूबर, 2017 को समाप्त हो गया। 1 नवम्बर, 2017 से प्रभाव में आने वाले वेतन संशोधन समझौते के लंबित कार्यान्वयन के क्रम में, मजदूरी क्षेत्रों के लिए 31मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान रु.600 (पिछले वर्ष रु.600) का एक अंतरिम जोड़ प्रदान किया गया है। 31 मार्च, 2020 को किया गया संचयी प्रावधान रु.1,090 है।

ई) वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने अपनी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2019, 25 जनवरी 2019 तथा 31 जनवरी 2019 के माध्यम से निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन किया है, जो 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी है:

i. "नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक" (प्रायोजक बैंक, बैंक ऑफ इंडिया) के साथ "सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक" (प्रायोजक बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया) को समामेलित कर "मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक" (प्रायोजक बैंक, बैंक ऑफ इंडिया) बनाया गया।

ii. "आर्यावर्त ग्रामीण बैंक" (प्रायोजक बैंक, बैंक ऑफ इंडिया) के साथ "इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक" (प्रायोजक बैंक, इलाहाबाद बैंक) को समामेलित कर "आर्यावर्त बैंक" (प्रायोजक बैंक, बैंक ऑफ इंडिया) और

iii. "वनानचल ग्रामीण बैंक" (प्रायोजक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक) के साथ "झारखंड ग्रामीण बैंक" (प्रायोजक बैंक, बैंक ऑफ इंडिया) को समामेलित कर "झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक" (प्रायोजक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) बनाया गया ।

एफ) दवाबग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा पर आरबीआई के परिपत्र सं.डीबीआर.सं.

d) The 11th Bipartite Settlement entered into by the Indian Banks' Association on behalf of the member Banks with the All India Unions of Workmen expired on 31st October, 2017. In accordance with the pending execution of agreement for wage revision, to be effective from 1st November 2017, an ad-hoc sum of ₹ 600 (previous year ₹ 600) has been provided during financial year ended March 31, 2020 towards wage arrears. Cumulative provision held as on March 31, 2020 is ₹ 1,090.

e) Ministry of Finance, Department of Financial Service vide its Gazette Notifications dated January 11, 2019, January 25, 2019 and January 31, 2019 affected amalgamation of following Regional Rural Banks w.e.f. April 1, 2019:

i. "Narmada Jhabua Gramin Bank" (Sponsor Bank being Bank of India) with "Central Madhya Pradesh Gramin Bank" (Sponsor Bank being Central Bank of India) to form "Madhya Pradesh Gramin Bank" (Sponsor Bank being Bank of India)."

ii. Gramin Bank of Aryavart" (Sponsor Bank being Bank of India) with "Allahabad UP Gramin Bank" (Sponsor Bank being Allahabad Bank) to form "Aryavart Bank" (Sponsor Bank being Bank of India) and

iii. "Vananchal Gramin Bank" (Sponsor Bank being State Bank of India) with "Jharkhand Gramin Bank" (Sponsor Bank being Bank of India) to form "Jharkhand Rajya Gramin Bank" (Sponsor Bank being State Bank of India).

f) As per RBI Circular No.DBR.No.BP. BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed

बीपी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून 2019 के अनुसार, मूल बैंक ने 4(चार) खातों में रु.271 का अतिरिक्त प्रावधान किया है, जहाँ समीक्षा अवधि के 180 दिनों के अन्दर अर्थक्षम समाधान योजना का कार्यान्वयन नहीं किया गया है।

जी) यथा 31 मार्च 2020 को, आरबीआई द्वारा उल्लिखित एनसीएलटी खाता (सूची 1 एवं 2) के संबंध में बैंक रु.3,959.34 की बकाया राशि के 100% प्रावधान को होल्ड करता है।

एच) समाप्त वर्ष 31.03.2020 के दौरान, वसूली की अनिश्चितता के कारण, बैंक ने 6 एनपीए खातों में रु.3941.36 का अतिरिक्त प्रावधान किया है।

आई) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीओआर.सं.बीपी.बीसी.62/21.04.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल 2020 तथा डीओआर सं.बीपी.बीसी.72/21.04.048/201-20 दिनांक 23 मई, 2020 के अनुसार, जहां पर 30 दिन की समीक्षा अवधि समाप्त हो गयी है परन्तु यथा 01.03.2020 को 180 दिनों की समाधान अवधि समाप्त नहीं हुई है, उनके संबंध में समाधान के लिए बढ़ी हुई समय-सीमा निम्नलिखित के अनुसार है :

विवरण	राशि
दवाबग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण मानदण्ड के अंतर्गत संशोधित समाधान समय-सीमा	2,419.04

जे) बैंक द्वारा निर्धारित दवाबग्रस्त क्षेत्र के संदर्भ में आरबीआई परिपत्र डीबीआर.सं. बीपी.बीसी.64/21.04.048/2016-17 दिनांक 18 अप्रैल, 2017 के अनुसार, बैंक के निदेशक मण्डल ने एसएमए वर्गीकरण पर आधारित बैंक के पहचान किए गए दवाबग्रस्त क्षेत्र (जो कि वर्तमान में टेलीकम्यूनिकेशन, टेक्सटाईल, लोहा एवं स्टील, वाणिज्यिक रियल इस्टेट, मणि एवं आभूषण, सड़कें एवं पत्तन तथा खनन एवं उत्खनन है) संबंधी 5 बीपीएस से 100 बीपीएस का अतिरिक्त मानक आस्ति प्रावधान को अनुमोदित किया है। तदनुसार, 31 मार्च 2020 को रु.76.63 का अतिरिक्त प्रावधान किया गया ।

के) आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए, बैंक ने केन्द्र सरकार प्रतिभूतियों को जिनका बही मूल्य रु.8,765.54 है तथा राज्य सरकार प्रतिभूतियों को जिनका बही मूल्य रु.4,245.05 है, को एचटीएम से एएफएस श्रेणी में स्थानान्तरित किया है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने रु.197.91 की स्थानांतरण हानि प्रभारित करने के पश्चात रु.3,645.47 की बही मूल्य की केन्द्र सरकार प्रतिभूतियों तथा रु.1,944.68 बही मूल्य की राज्य सरकार प्रतिभूतियों को एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्थानान्तरित किया है। रु. 44.10 राशि की वेंचर कैपिटल निधि को एचटीएम से एएफएस श्रेणी में स्थानान्तरित किया है।

एल) उच्चतम न्यायालय के आदेश तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आवश्यक दिशानिर्देशों के संदर्भ में , बैंक ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रा लि. "DAMEPL" को मानक के रूप में रखा है। तथापि, आईआरएसी मानदण्डों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

Assets, Bank has made additional Provision of ₹ 271 in 4 (four) Accounts, where the viable Resolution Plan has not been implemented within 180 days of review period.

g) In respect of RBI referred NCLT accounts (List 1 & 2), as on March 31, 2020, Bank holds 100% provision of the outstanding value of ₹ 3,959.34.

h) During the year ended 31.03.2020, due to uncertainty of recovery, Bank has made additional provision of ₹ 3,941.36 in 6 NPA Accounts.

i) In terms of RBI Cir No DOR.No.BP.BC.62/21.04.048/2019-20 dated April 17, 2020 and DOR.No.BP.BC.72/21.04.048/2019-20 dated May 23, 2020, extended timelines for resolution from the date whereat review period of 30 days are over but the 180 days of resolution period had not expired as on 01.03.2020, are as under:

Particular	Amount
Revised Resolution Timelines under the Prudential Framework on Resolution of Stressed Assets	2,419.04

j) In terms of RBI Circular DBR.No.BP.BC.64/21.04.048/2016-17 dated April 18, 2017 regarding stressed sectors identified by Bank, the Board of Directors of the Bank has approved additional standard assets provision of 5 bps to 100 bps in respect of the Bank's stressed sectors identified (which are presently Telecommunication, Textile, Iron & Steel, Commercial Real Estate, Gems & Jewellery, Roads & Ports and Mining & Quarrying) based on SMA classification. Accordingly, an additional provision of ₹ 76.63 has been held as at March 31, 2020.

k) In accordance with the RBI guidelines, during the year ended 31st March 2020, Bank has shifted the Central Government securities with a book value of ₹ 8,765.54 and State Government securities with a book value of ₹ 4,245.05 from HTM to AFS category. Further, Bank has shifted from AFS to HTM category, Central Government securities with a book value of ₹ 3,645.47 and State Government securities with a book value of ₹ 1,944.68 after charging shifting loss of ₹ 197.91. Venture Capital Fund for an amount of ₹ 44.10 has been shifted from HTM to AFS category.

l) In terms of Supreme Court Order and necessary guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI), the Bank has kept Delhi Airport Metro Express Pvt. Ltd. "DAMEPL" as standard. However, necessary provision as per IRAC Norms have been made which are detailed as under:-

आईआरएसी मानदण्ड के अनुसार राशि को एनपीए के रूप में नहीं माना जाएगा Amount not treated as NPA as per IRAC norms	आईआरएसी मानदण्डों के अनुसार किए गए अपेक्षित प्रावधान Provisions required to be made as per IRAC norms	वास्तविक धारित प्रावधान Provision actually held
(1)	(2)	(3)
189.65	51.39	51.39

एम) खाता विशेष में बैंक का 100% प्रावधान था, जिसमें वसूली दूसरे पीएसयू बैंक के साथ विवादग्रस्त है। खाते को धोखाधड़ी के रूप में आरबीआई को रिपोर्ट किया गया है। चूँकि दोनों बैंकों 100% प्रावधान किया था, आरबीआई ने अपने पत्र (संदर्भ डीओएस.सीओ.एसएसएम (बीओआई) / 6557/13.37.007 /2019-20) दिनांक 13.04.2020 के माध्यम से बैंक को कुछ शर्तों के अधीन निरंतरता आधार पर विवादग्रस्त राशि का 50%(अर्थात् रु. 291.03 का 50%) का प्रावधान करने की अनुमति दी है। तदनुसार, बैंक का अब विवादग्रस्त राशि के लिए रु. 145.81 का प्रावधान है।

एन) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान बैंक को 08 निवेशकों की शिकायतें मिली हैं जिनका निपटान किया गया है। तिमाही की शुरूआत या अंत में निवेशकों की कोई शिकायत लंबित नहीं है।

ओ) वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण को पुष्ट करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ भी आवश्यक समझा गया है, पुन: समूहित/पुन: व्यवस्थित किया गया है। आरबीआई दिशानिर्देशों/ लेखांकन मानकों के संदर्भ में जहां-कहीं पहली बार प्रकटन किए गए हैं वहाँ पिछले साल के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।

m) Bank was holding 100% provision in a particular account, recovery of which is under dispute with another PSU Bank. The account has been reported as fraud to RBI. As both the Banks were holding 100% provision, RBI vide its communication (Ref. DoS. Co. SSM (BOI)/6557/13.37.007/2019-20) dated 13.04.2020 permitted the Bank to maintain a provision of 50% of the disputed amount on-going basis (i.e. 50% of ₹ 291.63) subject to certain conditions. Accordingly, the Bank now holds provision of ₹ 145.81 for the disputed amount.

n) The Bank has received 08 Investor complaints during the financial year ended March 31, 2020 which has been disposed-off. There are no pending investor complaints at the beginning or end of the quarter.

o) Previous year figures have been regrouped/ reclassified, wherever necessary, to confirm to current year classification. In cases where disclosures have been made for the first time in terms of RBI guidelines / Accounting Standards, previous year's figures have not been mentioned.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति/बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल

मत

1) हमने बैंक ऑफ़ इंडिया ('**बैंक**') के एकल वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है। इसमें यथा 31 मार्च, 2020 को तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरणी तथा संबंधित वर्ष के अंत में नकद प्रवाह की विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं, इन एकल वित्तीय विवरणियों में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के विवरण शामिल हैं:

(i) हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाएँ व कोषागार शाखाएँ; और

(ii) संबंधित सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 2387 घरेलू शाखाएँ; और

(iii) संबंधित स्थानीय लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 23 विदेशी शाखाएँ;

बैंक ने हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया है। तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी में उन 2675 शाखाओं की विवरणी भी शामिल है जिन्हें लेखापरीक्षित नहीं किया गया है। इन लेखापरीक्षित शाखाओं से 7.01% अग्रिम, 21.95% जमाराशियाँ, 5.94% ब्याज आय तथा 20.68% ब्याज व्यय सम्बन्धित है।

2) हमारे विचार से एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरणियाँ, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (अधिनियम) के द्वारा जैसा आवश्यक है, उसके अनुरूप जानकारी देती है तथा यह भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार एकरूप है और उचित एवं सही स्थिति प्रस्तुत करती है:

क) यथा दिनांक 31 मार्च, 2020 को बैंक के तुलनपत्र एवं बैंक की परिस्थिति के संबंध में उचित एवं सही स्थिति।

ख) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि खाते के विवरण के संबंध में हानि का वास्तविक शेष; और।

ग) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी के संबंध में सही व उचित स्थिति।

मत का आधार

3) हमने अपनी लेखा-परीक्षा, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "लेखा-परीक्षा पर मानक" (एसए) के अनुसार की है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी को विस्तारपूर्वक हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी खण्ड में प्रतिपादित किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा-परीक्षा के लिए जो प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाएं हैं, उसके अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

To

The President of India / The Members of Bank of India

Opinion

1) We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of Bank of India ('the **Bank**'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2020, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to Standalone Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of:

(i) 20 branches and Treasury branch audited by us;

(ii) 2387 domestic branches audited by respective Statutory Branch Auditors; and

(iii) 23 Foreign branches audited by respective local Auditors

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flows are the returns from 2675 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 7.01% of advances, 21.95% of deposits, 5.94% of interest income and 20.68% of interest expenses.

2) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 ("the Act") in the manner so required and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give true and fair view:

a) In case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2020,

b) true balance of loss, in case of Profit & Loss account for the year ended on that date; and

c) true and fair view of the cash flows, in the case of Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3) We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those Standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements* section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the

आवश्यकताओं तथा नैतिक आचार संहिता के अनुसार अपनी सभी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि निम्नलिखित अनुच्छेद "अन्य मामले" में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की शर्तों के अनुसार, उनके द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य तथा हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य, लेखा-परीक्षा संबंधी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामलों का प्रभाव

4) क) कोविड-19 महामारी के प्रभाव के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची - 18 का नोट सं.7.18 । यह स्थिति अनिश्चित है और बैंक प्रबंधन स्थिति और वर्तमान आधार पर बैंक के घरेलू व अंतरराष्ट्रीय कारोबार परिचालनों पर पड़े प्रभाव का आकलन कर रहा है;

ख) एनपीए खातों में किए गए प्रावधान के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची-18 का नोट सं. 9 (जी) एवं (एच)

इन मामलों में हमारी राय को संशोधित नहीं किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले

5) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा में महत्वपूर्ण लेखांकन मामले, वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है तथा उस पर विचार तैयार करने में हमने इन मामलों पर कार्रवाई को है तथा इन मामलों पर हम अलग से कुछ विचार नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए बैंक के महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों का निर्धारण किया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन को जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
1)	**भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान संबंधी नियमों का अनुपालन।** **अग्रिम :** बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों तथा अनुदेशों के आधार पर खातों को अर्जक अग्रिम तथा अनर्जक अग्रिम के अंतर्गत वर्गीकृत करना है। भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देश, बैंक द्वारा दी गयी सभी ऋण सुविधाओं के लिए हैं तथा इसका पालन अनिवार्य रूप से, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए किया जाना है। अर्जक तथा अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण सिस्टम द्वारा होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा प्रयुक्त सॉफ्टवेयर वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए खातों की पहचान निर्धारित करता है।	आईआरएसी नियमों/परिपत्रों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा बैंक की पॉलिसी के आधार पर हमने अग्रिमों तथा निवेशों की लेखा-परीक्षा की है। हमने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के सत्यापन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया है। **अग्रिम:** हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है: क) हमने शाखा के सांविधिक लेखापरीक्षकों को आईआरएसी नियमों तथा प्रक्रियाओं एवं बैंक के द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए सूचित किया है तथा हमने शाखा के सांविधिक लेखा-परीक्षकों को रिपोर्ट पर भरोसा किया है। ख) अग्रिमों के मामले में उससे संबंधित निर्धारण, वर्गीकरण तथा प्रावधान के लिए बैंक द्वारा सिस्टम में बनाए गये सत्यापन तथा लॉजिक एवं स्थापित नियंत्रण एवं आईटी प्रणाली को समझना।

Standalone Financial Statements under provision of the Act, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence obtained by us and audit evidences obtained by other auditors in terms of their reports referred to in "Other Matter" paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matters

4) a) Note No.7.18 of Schedule-18 of the accompanying Standalone Financial Statements regarding impact of COVID-19 pandemic. The situation continues to be uncertain and the management of the Bank is evaluating the situation and impact on its Domestic & International business operations of the Bank on an ongoing basis; and

b) Note No.9 (g) & (h) of Schedule-18 regarding provision made in NPA accounts

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters

5) Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report.

Sl. No.	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
1)	**Compliance of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning Norms on advances and investments as per guidelines issued by Reserve Bank of India** **Advances** Bank has to classify the accounts under performing advances and non performing advances based on the guidelines/ circulars and directives issued by Reserve Bank of India. The guidelines issued by Reserve Bank of India is for all credit facilities given by the bank and is to be mandatorily followed for the purpose of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning. Identification of performing and non performing advances is system driven. The software used by the bank identifies the accounts for classification and provisioning as per the guidelines issued by Reserve Bank of India.	We have carried out the audit of the advances and investments based on the IRAC Norms/Circulars and directives issued by Reserve Bank of India and the policy of the Bank. **Advances:** Our audit procedure includes: a) We have communicated to the branch statutory auditors to verify the compliance of IRAC Norms and procedures and the policies adopted by the bank and we have relied on the audit reports given by the branch statutory auditors. b) Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of advances.

	यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी नियमों के अनुसार आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो यह बैंक की वित्तीय विवरणो को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है	ग) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक तथा अनर्जक के रूप में किया गया है तथा इसके संबंध में प्रावधान किये गये हैं। घ) हमें आबंटित शाखाओं को लेखाॉ परीक्षण के दौरान हमने महत्वपूर्ण अग्रिमों के संबंध में पर्याप्त जाँच की है जिसमें विशेष रूप से उल्लिखित खाते (एसएमए) शामिल हैं तथा मूल्यांकन रिपोर्टों को जाँच के द्वारा प्रतिभूति संबंधी पक्षों को भी सत्यापित किया है। ङ) आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, ऋण लेखा-परीक्षा, सिस्टम लेखा-परीक्षा तथा बैंक द्वारा की गयी विशेष लेखा-परीक्षा पर भी भरोसा किया गया है। च) वित्तीय विवरणियों के समेकन के दौरान सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों तथा सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों के द्वारा अनुशंसित एमओसी का सत्यापन तथा वैधीकरण।
	निवेश : भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा अनुदेशों/परिपत्रों के आधार पर बैंक को निवेशों को अर्जक तथा अनर्जक में वगीकृत करना है। निवेशों का अर्जक तथा अनर्जक के रूप में निर्धारण आम तौर पर सिस्टम से होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन (वैल्यूएशन) किया जाता है तथा बीएससी/ एनएससी, एफआईएमडीए/एफबीआईएल दर इत्यादि पर उद्धृत मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी नियमों के अनुसार ठीक प्रकार से आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण आदि का प्रावधानीकरण नहीं किया जाता है तो वह बैंक के वित्तीय विवरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। बैंक की कुल आस्तियों में अग्रिम तथा निवेश, क्रमश: 56.15% तथा 24.14% है। चूँकि बैंक के व्यवसाय का बड़ा हिस्सा अग्रिम तथा निवेश है तथा इसमें विनियामक अनुपालन शामिल है, अत: हमने इस पक्ष को महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले के रूप में विचारित किया है।	**निवेश:** हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है: क) निवेश के मामले में उसकी पहचान, वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण, बैंक के द्वारा सिस्टम में स्थापित, लॉजिक तथा वैधीकरण एवं स्थापित नियंत्रण और आईटी प्रणाली को समझना। ख) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या निवेशों का मूल्यांकन तथा वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। ग) नमूना आधार पर यह भी सत्यापित किया गया कि क्या निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए उचित प्रावधान किया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया कि मूल्यह्रास का प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। घ) आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों तथा बैंक द्वारा की गयी सिस्टम लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर भी भरोसा जताया गया है।

	The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the bank.	c) On sample basis tested whether the classification of advances underperforming and non-performing and provisioning is carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India. d) During audit of branches allotted to us we have carried out substantive test on major advances including Specially Mentioned Accounts (SMA) and also verified the security aspect by checking the valuation reports. e) Reliance is also placed on the internal audit reports, concurrent audit reports, credit audit, system audit and special audits conducted by the bank. f) Verification and implementations of MOC's suggested by statutory branch auditors and statutory central auditors during consolidation of financial statements.
	Investments : Bank has to classify the investments underperforming and non-performing based on the guidelines/circulars and directives issued by Reserve Bank of India. Identification of performing and non performing investments is generally system driven. The valuation is done as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and the valuations are done based on the price quoted on BSE/NSE, FIMDA /FBIL rates etc. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the bank. Advances and Investments constitute 56.15% and 24.14% respectively of total assets of the bank. As advances and investments form part of a major portion of the business of the bank and the regulatory compliances involved, we have considered this aspect as Key Audit Matter.	Investments : Our audit procedure includes: a) Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of investments. b) On sample basis tested whether the classification and valuation of investments is carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India. c) On sample basis also verified whether proper provision for depreciation in the value of investments and ensured that provision for depreciation is done as per RBI guidelines. d) Reliance is also placed on the internal audit reports, concurrent audit reports and system audit conducted by the bank.

2)	**अनिश्चित कर के मुकदमों तथा आकस्मिक दायित्वों का मूल्यांकन।** टैक्स मुकदमों सहित बैंक के विरुद्ध वे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, को 31 मार्च, 2019 को 12वीं अनुसूची तथा 18वीं अनुसूची के वित्तीय विवरण से संबंधित नोट्स के नोट सं.9 (क) (i) में बताया गया है। अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत, सेवा कर अधिनियम/वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत कुछ भुगतानों पर प्रतिवर्ती प्रभार प्रणाली की प्रयोज्यता संबंधी विवाद चल रहे हैं। परिणामों की अनिश्चितता के कारण यह एक प्रमुख लेखा परीक्षा का विषय है, जिसमें इन परिणामों के संभावित परिणामों के अनुमानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं।	हमारी लेखा-परीक्षा जांच में निम्नलिखित शामिल है: क) मुकदमों/कर मूल्यांकनों की वर्तमान स्थिति को समझना; हमने कर संबंधित मुकदमों व आकस्मिक देयताओं की वर्तमान स्थिति की जांच की है। ख) हमने विभिन्न कर प्राधिकारियों से प्राप्त नवीनतम आदेशों, सूचनाओं तथा उनके बारे में की गई अनुवर्ती कार्रवाई को प्राप्त किया है; ग) हमने देयताओं के निर्धारण हेतु कर तथा अन्य मुकदमों के संबंध में प्राप्त नई जानकारी एकत्र की है। घ) आवश्यकता होने पर विधि तथा कर परामर्शदाताओं पर भरोसा जताया गया है।
3)	**सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का मूल्यांकन**: संव्यवहारों को रिकॉर्ड करने, आईआरएसी सहित आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न रिपोर्ट जनरेट करना, वित्तीय विवरण तैयार करना तथा विनियामकों को अनुपालन को रिपोर्ट करना आदि में आईटी कंट्रोल प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार को रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर तथा अन्य सहायक सिस्टमों के प्रभावी रूप से कार्य करने पर निर्भर है। हमने इसे प्रमुख लेखा-परीक्षा का विषय माना है क्योंकि नियंत्रण में चूक, वैधता को विफलता, त्रुटिपूर्ण इनपुट डाटा तथा गलत डाटा निकालने के परिणामस्वरूप प्रबंधन तथा विनियामकों को डाटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है।	हमारी लेखा-परीक्षा जांच में निम्नलिखित शामिल है: क) सिस्टम के परिचालन को प्रभावशीलता को समझना तथा उसकी जांच करना। ख) विभिन्न श्रेणी के ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए कोडिंग सिस्टम को समझना। ग) सिस्टम में उपलब्ध विभिन्न वैधीकरण का समझना तथा उनकी जांच करना। घ) बैंक की विनियमों/नीति में किसी भी प्रकार के परिवर्तनों के लिए उपयोगकर्ता को आवश्यकताओं की जांच। ङ) डाटा निकालने के लिए प्रयुक्त लॉजिक को जांच। च) जनरेट हुई रिपोर्टों को नमूना आधार पर समीक्षा छ) बैंक के सिस्टम लेखापरीक्षा पर भरोसा जताया गया है।
4)	**कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखकर की गई संशोधित लेखा-परीक्षा कार्यवाही:** कोविड-19 महामारी के कारण, हमारी लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरान केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन किया गया एवं यात्रा प्रतिबंधों को लगाया गया तथा आरबीआई ने, जहां प्रत्यक्ष फिजिकल रूप से पहुंचना संभव नहीं था, वहां बैंक को अप्रत्यक्ष रूप से लेखा-परीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। बैंक के शाखा परिसरों, एनबीजी कार्यालयों में बैंक जाकर लेखा-परीक्षा नहीं की जा सकी थी।	कोविड-19 महामारी के कारण, हमारी लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरान केंद्र एवं राज्य सरकारों/ स्थानीय प्रशासन द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन व अन्य यात्रा प्रतिबंध लगाए गए हैं, हम शाखाओं/एनबीजी कार्यालयों की यात्रा नहीं कर सके और संबंधित कार्यालयों में फिजिकल रूप से लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर सके। जहां कहीं भी फिजिकल पहुंच संभव नहीं थी, वहां, बैंक द्वारा हमें डिजिटल माध्यम ई-मेल और सीबीएस को अप्रत्यक्ष पहुंच तथा अन्य संबंधित एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर से हमें अपेक्षित रिपोर्ट/दस्तावेज/प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाए गए थे।

2)	**Evaluation of uncertain tax litigations and contingent liabilities** Claims against the bank not acknowledged as debt including tax litigations as on March 31, 2020 is disclosed in Schedule 12 and Note No.9(a)(i) of Schedule 18 to Standalone Financial Statements. Under Indirect Taxes, there are ongoing disputes regarding availability of input credits/ applicability of Reverse Charge Mechanism on certain payments under Service tax act/ Goods and Service Tax Act. This is a key audit matter due to uncertainty of the outcome which involves significant judgment to determine the possible outcome of these disputes.	Our audit approach involved: a) Understanding the current status of the litigations/tax assessments; We went through the current status of the tax litigations and contingent liabilities. b) We obtained the details of latest orders, communication received from various tax authorities and follow up action thereon; c) We gathered recent information received on the tax and other litigations for assessing the liabilities. d) Wherever required reliance is placed on the opinion of legal and tax consultants.
3	**Assessment of Information Technology (IT):** IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC, preparing financial statements and reporting of compliances to regulators etc. is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems. We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators	Our audit procedure includes:- a) Understanding and testing of operative effectiveness of the system. b) Understanding the coding system adopted by the bank for various categories of customers. c) Understanding and testing of different validations available in the system d) Checked the user requirements for any changes in the regulations/policy of the bank e) Testing of logic used for extracting the data. f) On sample basis reviewed the reports generated. g) Reliance is placed on system audit report of the bank.
4)	**Modified Audit Procedures carried out in light of COVID-19 outbreak:** Due to COVID-19 pandemic, Nation-wide lockdown and travel restrictions imposed by Central / State Government / Local Authorities during the period of our audit and the RBI directions to Bank to facilitate carrying out audit remotely wherever physical access was not possible, audit could not be conducted by visiting the Branch premises, NBG offices of the Bank.	Due to the outbreak of COVID-19 pandemic that caused nationwide lockdown and other travel restrictions imposed by the Central and State Governments/local administration during the period of our audit, we could not travel to the Branches /NBG offices and carry out the audit processes physically at the respective offices. Wherever physical access was not possible, necessary records/ reports/ documents/ certificates

	चूंकि हम शाखाओं/एनबीजी कार्यालयों के पदाधिकायों से व्यक्तिगत रूप से भौतिक/चर्चा एवं व्यक्तिगत बातचीत कर लेखा-परीक्षा के साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके, अत: ऐसी संशोधित लेखा-परीक्षा कार्यवाही को हमने महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले के रूप में चिन्हित किया है। तदनुसार, हमारी लेखा-परीक्षा की प्रणालियों को अप्रत्यक्ष लेखा-परीक्षा करने के लिए संशोधित किया गया था।	इस सीमा तक लेखा-परीक्षा प्रक्रिया हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और रिकॉर्डों के आधार पर की गई थी, जिस पर लेखा-परीक्षा संपन्न करवाने और वर्तमान अवधिहेतु रिपोर्टिंग के लिए लेखा-परीक्षा साक्ष्य के रूप में निर्भर थे। तदनुसार, हमने अपनी लेखा-परीक्षा प्रणाली को निम्नप्रकार से संशोधित किया था: क) जहां फिजिकल पहुंच संभव नहीं थी, वहां बैंक को कुछ शाखाओं/ कार्यालयों और अन्य कार्यालयों के संबंध में अप्रत्यक्ष(रिमोट) एक्सेस/ईमेल के माध्यम से अपेक्षित रिकॉर्डों/दस्तावेजों /सीबीएस और अन्य एप्लिकेशन का इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापन कार्य पूर्ण किया गया। ख) हमें ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई, स्कैन की गई दस्तावेजों की प्रतियों, विलेखों, प्रमाणपत्रों एवं अन्य संबंधित रिकॉर्डों का सत्यापन किया गया तथा बैंक के नेटवर्क की सुरक्षा हेतु अप्रत्यक्ष एक्सेस किया गया। ग) जांच करना तथा दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस), टेलीफोन पर संपर्क/ कॉन्फ्रेंस कॉल एवं ईमेल के माध्यम से अपेक्षित लेखा-परीक्षा संबंधी साक्ष्य एकत्रित करना। घ) हमारे लेखा-परीक्षा अवलोकनों का समाधान नामित पदाधिकारियों से प्रत्यक्ष संपर्क करने के स्थान पर टेलीफोन/ईमेल के माध्यम से संपर्क कर किया जाना। हमारी लेखापरीक्षा में निम्नलिखित शामिल है:-
5)	**आस्थगित कर आस्तियों का अभिनिर्धारण:** 31 मार्च, 2020 को बैंक ने रु.13708.72 करोड़ (वर्ष 2019-20 के लिए डीटीए द्वारा पहचान किया गया रु. 1823.12 करोड़) आस्थगित कर आस्तियों को पहचान की है।	हमारी लेखा परीक्षा में निम्नलिखित शामिल हैं: क) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा आयकर के लिए जारी लेखाकंन मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों को पहचान के मानदंडों का पालन किया जा रहा है।

	As we could not gather audit evidence in person/ physically/ through discussions and personal interactions with the officials at the Branches/NBG offices, we have identified such modified audit procedures as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit procedures were modified to carry out the audit remotely.	were made available to us by the Bank through digital medium, emails and remote access to CBS and other relevant application software. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports and records made available to us on which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period. Accordingly, we modified our audit procedures as follows: a) Conducted verification of necessary records/ documents/ CBS/ and other Application software electronically through remote access/emails in respect of some of the Branches / offices and other offices of the Bank wherever physical access was not possible. b) Carried out verification of scanned copies of the documents, deeds, certificates and the related records made available to us through emails and remote access over secure network of the Bank. c) Making enquiries and gathering necessary audit evidence through Document Management System (DMS), telephonic communication/conference calls and e-mails. d) Resolution of our audit observations telephonically/ through email instead of a face-to-face interaction with the designated officials.
5)	**Recognition of Deferred Tax Assets:** As on March 31, 2020 the Bank has recognised a net deferred tax asset of Rs.13,708.72 Crore. (For Year 2019-2020 recognised DTA Rs.1,823.12 Crore) Deferred tax assets should be recognised and carried forward only to the extent that	Our audit procedure includes:- a) We have verified that recognition criteria for Deferred Tax Asset as per Accounting Standard 22 Accounting for Taxes on Income issued by The Institute of Chartered Accountants of India have been complied with.

	आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण व प्रसारण केवल उसी सीमा तक किया जाना चाहिए जहाँ यह उचित सुनिश्चितता हो कि इस प्रकार की आस्थगित कर आस्तियों पर उपलब्ध भावी कर योग्य पर्याप्त आय को वसूली की जा सकती है। भावी समयावधि में पूर्वानुमानित लाभ पर आधारित अवधि में आस्थगित कर आस्तियों के अभिनिर्धारण की एक बड़ी धनराशि के कारण इस प्रकार की आस्तियों में अनिश्चितता तथा जोखिम बढ़ता है। अतः हमने इसे प्रमुख लेखा परीक्षा का विषय माना है।	ख) आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण के लिए बैंक प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त मान्यताओं तथा अन्य मानदंडों का मूल्यांकन।

वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा जानकारी

6) अन्य जानकारी के लिए मूल बैंक का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष के वक्तव्य में शामिल जानकारियाँ समाविष्ट है परंतु इसमें एकल वित्तीय विवरण और इस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है, यह अपेक्षा की जाती है कि ये उक्त तिथि के पश्चात् हमें उपलब्ध करवाया जाए।

एकल वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय में अन्य जानकारियां शामिल नहीं है तथा हम इस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को प्रस्तुत नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरण को हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य जानकारियों का अध्ययन करना तथा ऐसा करते हुए यह ध्यान रखना कि अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरण या लेखा परीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण गलत विवरण से वास्तव में असंगत है।

जब भी बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी गलत है तो हमें उक्त मामले के बारे में प्रशासन के प्रभारी से संपर्क करने की आवश्यकता होगी।

प्रबंधन तथा जिन्हें एकल वित्तीय विवरणों के संबंध में गवर्नेंस युक्त है, उनके उत्तरदायित्व

7) बैंक का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित भारत में सामान्यत: अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बैंक का वित्तीय प्रदर्शन तथा नकदी प्रवाह तथा वित्तीय स्थिति की एक वास्तविक तथा उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इस जिम्मेदारी में, बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों व अन्य अनियमितताओं से बचने तथा धोखाधड़ियों का पता लगाने के लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों, उपयुक्त लेखांकन नीति का चयन तथा अनुप्रयोग, विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत अनुमान एवं आकलन करना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेख बनाना, लागू करना एवं उसे बनाए रखना, जिन्हें लेखांकन रिकार्डों की पूर्णता एवं सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित किया जा रहा था, जो वित्तीय विवरणयों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित थे और जो वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रस्तुत

	there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised. Due to the huge amount of deferred tax assets recognised over a period based on the profit forecasted over future period of time increases the uncertainty and risk of recognition of such asset. Hence we have considered this as a Key Audit Matter.	b) Assessed the assumptions and other parameters used by the bank management for recognition of the deferred tax asset.

Information Other than the Financial Statements and Auditors Report thereon

6) The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Management report and Chairman's Statement but does not include the Standalone Financial Statements and our Auditor's report thereon, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7) The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy

करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त है, के समनुरूप उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों को बनाए रखना शामिल है।

वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में, संबंधित निदेशक मंडल बैंक को संस्थागत क्रियाशीलता को निरंतरता की क्षमता, प्रकटन, संस्था की निरंतरता से संबंधित मामलों, जो भी लागू हो तथा जब तक प्रबंधन लेखांकन का संस्था की निरंतरता के आधार पर प्रयोग न करे, चाहे वह बैंक का परिसमापन या परिचालन बंद करना चाहते हो या ऐसे करने के अलावा और कोई विकल्प न हो, का मूल्यांकन करने हेतु उत्तरदायी है। बैंक के निदेशक मंडल, बैंक की वित्तीय रेपोर्टिंग प्रकिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

8) हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि एकल वित्तीय विवरण समग्ररूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गंभीर गलत विवरणों से मुक्त है, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन (एसए) के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में हमेशा गलत विवरण यदि कोई हो, का पता लगा लिया जाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो सकते हैं तथा उन्हें गंभीर माना जाएगा और वे अलग-अलग या समग्र रूप से प्रयोक्ता द्वारा लिए गए इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णयों को पर्याप्त रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

मानक लेखांकन (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर आकलन करते हैं और पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इस के साथ ही हमः

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, की पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार एवं निष्पादित करते हैं और हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए गए गंभीर गलत विवरणों की जांच न करने का जोखिम त्रुटिवश दिए गए गलत विवरण की अपेक्षा उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में षडयंत्र, जालसाजी, इरादतन की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक कानून के विरूद्ध कार्य करना शामिल हो सकता है।
- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों को उपयुक्तता और लेखांकन के मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।
- संस्था की निरंतरता के आधार पर लेखांकन संबंधी प्रबंधन के उपयोग को उपयुक्तता और प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ऐसे मामलों या स्थितियों से संबंधित कोई अनिश्चितता है जो बैंक को संस्थागत निरंतरता को जारी रखने में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती हो, यदि हम महत्वपूर्ण अनिश्चितता के मौजूट होने का निष्कर्ष निकालते हैं या उक्त प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने में अपर्याप्त हो तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु हमें हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक को रिपोर्ट की तारीख

and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, the Board of Directors are responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

8) Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our

तक प्राप्त किए गए लेखांकन साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएँ या मामले बैंक को संस्थागत निरंतरता को रोकने के कारण हो सकते हैं।

- प्रकटन सहित एकल वित्तीय विवरण को समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन और वित्तीय विवरण में अंतर्निहित संव्यवहारों और मामलों को उचित प्रकार प्रस्तुत करने के तरीके का मूल्यांकन करते हैं।

एकल वित्तीय जानकारी में एकल या समग्र रूप में गलत जानकारी का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। इससे वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र की योजनाओं, तथा (ii) वित्तीय विवरण में पहचान किए गए किसी गलत विवरण के प्रभाव का आकलन करने में परिमाणात्मक महत्ता एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य विषयों में लेखा परीक्षा की समय-सीमा एवं नियोजित स्वरूप एवं हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पहचानी गई महत्वपूर्ण कमियाँ सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों को गवर्नेंस प्रभारी को सूचित करते है।

हम गवर्नेंस के प्रभारी को इस विवरण के साथ भी सूचित करते हैं कि हम आत्मनिर्भरता संबंधी सभी प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का तथा उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों अन्य मामलों जो हमारी आत्मनिर्भरता को प्रभावित कर सकते हैं. और संबंधित रक्षा उपायों जहाँ भी लागू है, का पालन किया है

प्रशासन को सूचित संबंधित मामलों से, हमने उन मामलों को निर्धारित किया है जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरण को लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसलिए प्रमुख लेखा संबंधी मामले हैं। इन मामलों को हम हमारी लेखा परीक्षक को रिपोर्ट में दर्शाते हैं। यदि कानून या विनियम इस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करें या जब हम यह तय करते हैं, बहुत ही कम परिस्थितियों में, कि इन्हें हमारी रिपोर्ट में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जनहित लाभों को बढ़ाने के संबंध में प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य मामले

9) 2410 शाखाओं (जिसमें 23 विदेशी शाखाएं शामिल हैं) के एकल वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा विशेष रूप से इस कार्य हेतु नियुक्त किए गए लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है। यथा 31 मार्च, 2020 को जिनका रु.1,85,126 करोड़ का वित्तीय विवरण बैंक के एकल वित्तीय विवरण में शामिल है तथा एकल वित्तीय विवरण में बताए गए के अनुसार उक्त तिथि को समाप्त वर्ष को जिनका कुल रु. 17,130 करोड़ का कुल राजस्व शामिल है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/जानकारी की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा हमारी राय में, जो इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशि एवं प्रकटन के संदर्भ में है, ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर यह पूर्णरूप से आधारित है।

इस मामले के संदर्भ में हमारी राय को संशोधित नहीं किया गया है।

conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Standalone Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Standalone Financial Statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

9) These Standalone Financial Statements incorporate the relevant returns of 2410 branches (including 23 foreign branches) audited by the other auditors specially appointed for this purpose. These branches audited by other auditors cover total assets of Rs.1,85,126 Crore at 31st March 2020 and total revenue of Rs.17,130 Crore for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the other auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such other auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

10) तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाते को बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुरूप तैयार किया गया है।

11) उपर्युक्त पैरा 7 से 9 में दी गई लेखा परीक्षा संबंधी सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/80 की अपेक्षाओं के अनुरूप और इसमें अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वित्तीय विवरण को हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार, आवश्यक सभी जानकारियों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिए हैं तथा वे संतोषजनक पाए गए हैं;

ख) हमारी जानकारी में आए हुए बैंक के लेन-देन संबंधित बैंक के अधिकार क्षेत्र में हैं, और

ग) बैंक से प्राप्त विवरणियाँ वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

12) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमारी राय में, विधि द्वारा यथा अपेक्षित लेखे की बहियाँ उचित रूप से बैंक द्वारा रखी गई हैं और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है इन बहियों की जांच से जहाँ तक प्रतीत होता हैं उनसे प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त है।

ख) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण हमारे द्वारा निरीक्षण न की गई शाखाओं से प्राप्त बही खाते और विवरणियों से मेल खाते हैं,

ग) बैंकिग विनियामक अधिनियम 1949 को धारा 29 के तहत बैंक के अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित/समीक्षा किए गए शाखा कार्यालयों के लेखों से संबंधित रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है तथा रिपोर्ट को तैयार करने में हमने उचित रूप से कार्रवाई की है, और

घ) हमारी राय में, तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने की सीमा तक अनुपालन करते हैं।

13) "सार्वजनिक के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग बाध्यताँए के संबंध में पत्र सं. डीओएस.एआरजी. सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 जिसे आरबीआई द्वारा जारी अनुवर्ती संप्रेषण दिनांक 19 मई, 2020 के साथ पढ़ा जाए, की अपेक्षानुसार, हम उपर्युक्त पत्र के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट करते हैं, जो निम्नलिखित है:

क) हमारी राय में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का एक सीमा तक, पालन करते हैं, वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों के असंगत नहीं है।

ख) ऐसे वित्तीय संव्यवहारों/मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं हैं, जिससे बैंक के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10) The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

11) Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 7 to 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

12) We further report that:

a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;

c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by Reserve Bank of India.

13) As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks–Reporting obligations for SCAs from FY: 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect

ग) यथा दिनांक 31 मार्च, 2020 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभिवेदन के आधार पर, बैंक के निदेशकों में से किसी को भी यथा दिनांक 31 मार्च, 2020 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के अनुसार एक निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य (डिस्क्वालीफाई) नहीं बताया गया है।

घ) खातों के प्रबंधन और उनसे संबंधित अन्य मामलों के संदर्भ में कोई शर्ते, सुरक्षित या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ङ) जैसा कि बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए दिनांक 19 मई, 2020 को आरबीआई से अनुमोदित "वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" को लागू करने के विकल्प पर कार्य किया है, इस संबंध में हम अन्य टिप्पणी नहीं देंगे।

on the functioning of the bank.

c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2020, none of the directors is disqualified as on March 31, 2020 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.

d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) As the Bank has exercised the option to implement "Internal Financial Controls with reference to the Financial Statements" from the financial year 2020-21 as permitted by RBI on May 19, 2020, we do not provide any comment in this regard.

कृते एनबीएस एंड कं.
For NBS & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 110100W) (FRN 110100W)

कृते बंशी जैन एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार For Banshi Jain & Associates
Chartered Accountants
(एफआरएन 100990W) (FRN 100990W)

कृते चतुर्वेदी एण्ड कं.
For Chaturvedi &Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(FRN 302137E) (एफआरएन 302137E)

शरत शेट्टी
Sharath Shetty
भागीदार Partner
सदस्यता सं. 132775 M. No. 132775
यूडीआईएन:- UDIN:- 20132775AAAAED2811

विशाल शेठ
Vishal Sheth
भागीदार Partner
सदस्यता सं. 121170 M. No. 121170
यूडीआईएन:- UDIN:-20121170AAAAJS2624

आर. के. नंदा
R.K. Nanda
भागीदार Partner
सदस्यता सं. 510574 M. No. 510574
यूडीआईएन:- UDIN:-20510574AAAAAY3159

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 25 जून, 2020 / Date: June 25, 2020

NOTES

बैंक ऑफ़ इंडिया

समेकित

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2020

एवं

लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु

BANK OF INDIA

CONSOLIDATED BALANCE SHEET

As at 31st March, 2020

&

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

For the Year Ended 31st March, 2020

समेकित तुलन-पत्र यथा 31 मार्च, 2020

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2020

(000' छोड़े गए है) (000's Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	यथा As at 31-03-2020 ₹	यथा As at 31-03-2019 ₹
पूँजी एवं देयताएं	CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी	Capital	1	32,776,625	27,600,285
आरक्षित एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	2	417,954,861	402,539,191
शेयर आवेदन रकम, लंबित आवंटन	Share Application Money, pending allotment		0	46,380,000
अल्पसंख्यक हित	Minorities Interest	2A	1,514,163	1,621,544
जमा राशियाँ	Deposits	3	5,573,864,271	5,225,549,623
उधार	Borrowings	4	397,524,659	442,651,923
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities and provisions	5	206,553,820	162,496,529
कुल	TOTAL		6,630,188,399	6,308,839,095
आस्तियाँ	ASSETS			
भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकदी और शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	294,465,455	293,220,915
बैंको में शेष एवं माँग तथा अल्प सूचना पर	Balances with Banks and money at call and short notice	7	571,625,138	655,379,035
निवेश	Investments	8	1,623,229, 081	1,509,050,173
अग्रिम	Advances	9	3,706,440,848	3,429,663,402
अचल आस्तियाँ	Fixed Assets	10	90,579,849	89,990,777
अन्य आस्तियाँ	Other Assets	11	343,848,028	331,534,793
कुल	TOTAL		6,630,188,399	6,308,839,095
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	3,523,213,663	3,113,172,967
वसूली हेतु बिल	Bills for collection		250,632,329	285,047,547
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर नोट	Notes to Accounts	18		

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।
The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

तुलन-पत्र, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'ए' के अनुसार तैयार किया गया है।
The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form `A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

के.वी.राघवेन्द्र	**पी.आर.राजगोपाल**	**सी.जी.चैतन्य**	**ए.के.दास**	**जी पद्मनाभन**
K.V. Raghavendra	**P R Rajagopal**	**C.G.Chaitanya**	**A.K. Das**	**G Padmanabhan**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	अध्यक्ष
Chief Financial Officer	Executive Director	Executive Director	Managing Director & CEO	Chairman

निदेशक DIRECTORS

दक्षिता दास	**सुब्रत दास**	**डी सरकार**	**डी हरीश**
Dakshita Das	**Subrata Das**	**D Sarkar**	**D Harish**

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एनबीएस एण्ड कं.
For NBS. & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 110100W) (FRN 110100W)

शरत शेट्टी Sharath Shetty
भागीदार Partner
सदस्यता सं. 132775 M. No. 132775

कृते बंशी जैन एण्ड एसोशिएटस
For Banshi Jain & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100990W) (FRN 100990W)

विशाल शेठ Vishal Sheth
भागीदार Partner
सदस्यता सं 121170 M. No. 121170

कृते चतुर्वेदी एंड कं.
For Chaturvedi & Co
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 302137E) (FRN302137E)

आर.के.नंदा R.K.Nanda
भागीदार Partner
सदस्यता सं. 510574 M. No. 510574

स्थान: मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक 25.06.2020 / Date : 25th June, 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2020

(000' छोड़े गए है) (000's Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2020	को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2019
I. आय	I. INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest earned	13	425,907,743	410,048,191
अन्य आय	Other income	14	68,088,891	47,909,122
कुल	**TOTAL**		493,996,634	457,957,313
II. व्यय	II. EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	271,914,608	272,071,159
परिचालनगत व्यय	Operating expenses	16	106,124,017	103,939,250
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions & Contingencies		145,252,055	136,921,107
कुल	**TOTAL**		523,290,680	512,931,516
सहायक संस्थाओं में शेयरों से आय/(हानि)	Share of earnings/(loss) in Associates	16A	(1,218,330)	713,310
अवधि के लिए अल्पसंख्यकों के हित कटौती करने से पहले समेकित निवल लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the period before deducting Minorities' interest		(30,512,377)	(54,260,893)
घटाएं:अल्पसंख्यकों के हित	Less: Minorities' Interest		(1,997)	4,770
अवधि के लिए समूह को दिया जाने वाला समेकित निवल लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the period attributable to the group		(30,510,379)	(54,265,663)
जोड़ें: समूह को देय अग्राणीत समेकित लाभ/(हानि)	Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		(204,145,456)	(149,144,493)
कुल	**TOTAL**		(234,655,835)	(203,410,156)
III. विनियोग	III. APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		0	-
निवेश घट बढ़ आरक्षितियाँ को अंतरण	Transfer from Investment Fluctuation Reserve			0
राजस्व आरक्षिति (से)/को अंतरण	Transfer to/ (from) Revenue Reserve			
पूँजी आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		795,817	0
विशेष आरक्षिति (से)/को अंतरण - करेंसी स्वैप	Transfer (from) / to Special Reserve - Currency Swap		2,427,630	735,300
अंतरिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Interim Dividend (including dividend tax)		0	0
अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Final Dividend (including dividend tax)		0	0
लाभांश कर - सहायक कंपनी के लिए	Dividend Tax - for Subsidiary		0	0
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित	Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		0	0
समेकित तुलन पत्र में शेष	Balance carried over to consolidated Balance sheet		(237,879,282)	(204,145,456)
कुल	**TOTAL**		(234,655,835)	(203,410,156)
विशेष लेखा नीतियाँ	Significant Accounting Policies	17		
लेखे पर नोट	Notes to Accounts	18		
प्रति शेयर अर्जन (₹)	Earnings Per Share (₹)		(9.39)	(29.14)

ऊपर बताई गई अनुसूचियां लाभ-हानि खाते का अभिन्न अंग हैं।
The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'बी' के अनुसार लाभ-हानि खाता तैयार किया गया है।
The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form `B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

के.वी.राघवेन्द्र **K.V. Raghavendra** मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer	पी.आर.राजगोपाल **P R Rajagopal** कार्यपालक निदेशक Executive Director	सी.जी.चैतन्य **C.G.Chaitanya** कार्यपालक निदेशक Executive Director	ए.के.दास **A.K. Das** प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO	जी पद्मनाभन **G Padmanabhan** अध्यक्ष Chairman

निदेशक DIRECTORS

दक्षिता दास **Dakshita Das**	सुब्रत दास **Subrata Das**	डी सरकार **D Sarkar**	डी हरीश **D Harish**

In terms of our report of even date attached

कृते एनबीएस एण्ड कं. For NBS. & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 110100W) (FRN 110100W) शरत शेट्टी Sharath Shetty भागीदार Partner सदस्यता सं. 132775 M. No. 132775 स्थान: मुंबई / Place: Mumbai दिनांक 25.06.2020 / Date : 25th June, 2020	कृते बंशी जैन एण्ड एसोशिएटस For Banshi Jain & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 100990W) (FRN 100990W) विशाल शेठ Vishal Sheth भागीदार Partner सदस्यता सं 121170 M. No. 121170	**कृते चतुर्वेदी एंड कं.** For Chaturvedi & Co सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ्आरएन 302137E) (FRN302137E) आर.के.नंदा R.K.Nanda भागीदार Partner सदस्यता सं. 510574 M. No. 510574

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण

Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2020

(000' छोड़े गए है) (000's Omitted)

विवरण		Particulars		वर्षान्त/ Year ended 31.03.2020	वर्षान्त/ Year ended 31.03.2019
क.	**परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**	A.	**Cash Flow from Operating Activities:**		
	कर पूर्व निवल लाभ		**Net Profit before taxes**	**(46,914,589)**	**(85,875,642)**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :		**Adjustments for:**		
	निवेशों पर परिशोधन/मूल्यह्रास		Amortisation / Depreciation on Investments	6,401,160	13,919,098
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on Fixed Assets	3,919,554	3,728,417
	आस्तियों की बिक्री पर लाभ		Profit on sale of Assets	(467,462)	(4,303,827)
	एन.पी.ए के लिए प्रावधान		Provision for NPA	144,462,442	158,151,411
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Standard Assets	8,720,518	1,267,918
	अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Other Assets	5,054,145	(1,545,141)
	गौण बॉण्ड/आईपीडीआई , अपर टियर II, बॉण्ड पर ब्याज		Interest on Subordinated Bonds, IPDI, Upper Tier II Bonds	8,458,195	10,151,050
	प्राप्त लाभांश		Dividend received	(143,038)	(114,861)
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		**Adjustments for:**		
	जमाराशियों में बढ़ /(घट)		Increase /(Decrease) in Deposits	348,314,648	(4,419,414)
	उधार में बढ़ /(घट)		Increase /(Decrease) in Borrowings	(21,877,264)	70,669,370
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में बढ़/(घट)		Increase / (Decrease)in Other Liabilities and Provisions	34,282,567	48,623,831
	निवेश में (बढ़)/घट		(Increase) / Decrease in Investments	(121,798,399)	(119,045,252)
	अग्रिमों में (बढ़)/घट		(Increase)/ Decrease in Advances	(421,239,888)	(154,925,607)
	अन्य आस्तियों में (बढ़)/घट		(Increase) / Decrease in Other Assets	13,184,895	5,451,447
	प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी		Direct Taxes (Paid)/Refund	(8,628,265)	(33,913,819)
	परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**Net Cash Flow from Operating Activities (A)**	**(48,270,781)**	**(92,181,021)**
ख.	**निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह:**	B.	**Cash Flow from Investing Activities :**		
	अचल आस्तियों की खरीद		Purchase of Fixed Assets	(9,618,793)	(2,978,162)
	अचल आस्तियों की बिक्री		Sale of Fixed Assets	6,046,779	4,257,222
	प्राप्त लाभांश		Dividend received	143,038	114,861
	सहायक कंपनियों के समेकन का प्रभाव		Impact of consolidation of subsidiaries	1,218,330	(713,310)
	अल्पसंख्यक हित		Minority Interest	(107,381)	30,073
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**Net Cash Flow from Investing Activities (B)**	**(2,318,026)**	**710,684**
	वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**Cash Flow from Financing Activities:**		
	शेयर पूंजी		Share Capital	5,176,339	10,163,111
	शेयर प्रीमियम		Share Premium	40,991,306	97,435,901
	मुद्रा शेयर आवेदन		Share Application Money	(46,380,000)	46,380,000
	आईपीडीआई, गौण बॉण्ड एवं अपर टियर II बॉण्ड (निवल)		IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds (Net)	(23,250,000)	(64,000,000)
	लाभांश भुगतान		Dividend paid	-	-
	आई.पी.डी.आई, गौण बॉण्ड, अपर टियर II बॉण्ड पर ब्याज भुगतान		Interest Paid on IPDI, Subordinated Bonds, Upper Tier II Bonds	(8,458,195)	(10,151,050)
	वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**Net Cash Flow from Financing Activities (C)**	**(31,920,550)**	**79,827,962**
	नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग)		**Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)**	**(82,509,357)**	**(11,642,375)**

विवरण	Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31.03.2020	वर्षान्त/ Year ended 31.03.2019
वर्ष के आरंभ में नकद और नकदी समतुल्य	Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the Year	948,599,950	960,242,325
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य	Cash and Cash Equivalents as at the end of the Year	866,090,593	948,599,950
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य का समाधान	Reconciliation of Cash and Cash Equivalents as at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष (अनुसूची 6)	Cash and balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	294,465,455	293,220,915
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि (अनुसूची 7)	Balances with Banks and money at call and short notice (Schedule 7)	571,625,138	655,379,035
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य	Cash and Cash Equivalents as at the end of the year	866,090,593	948,599,950

नकदी प्रवाह विवरणी के अनुसार नकद एवं नकद समतुल्य में हाथ में नकदी, एटीएम में, आरबीआई एवं अन्य बैंकों में शेष (जमाराशियां सहित) और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि जिसे तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सके, शामिल हैं।

Cash and cash equivalent as per cash flow statement comprises of cash in hand, in ATM, balances in current account with RBI and other Banks (including deposits) and money at call and short notice which can be readily convertible into cash.

के.वी.राघवेन्द्र **K.V. Raghavendra** मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer	पी.आर.राजगोपाल **P R Rajagopal** कार्यपालक निदेशक Executive Director	सी.जी.चैतन्य **C.G.Chaitanya** कार्यपालक निदेशक Executive Director	ए.के.दास **A.K. Das** प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO	जी पद्मनाभन **G Padmanabhan** अध्यक्ष Chairman

निदेशक DIRECTORS

दक्षिता दास **Dakshita Das**	सुब्रत दास **Subrata Das**	डी सरकार **D Sarkar**	डी हरीश **D Harish**

In terms of our report of even date attached

कृते एनबीएस एण्ड कं.
For NBS. & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 110100W) (FRN 110100W)

शरत शेट्टी Sharath Shetty
भागीदार Partner
सदस्यता सं. 132775 M. No. 132775

कृते बंशी जैन एण्ड एसोशिएटस
For Banshi Jain & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100990W) (FRN 100990W)

विशाल शेठ Vishal Sheth
भागीदार Partner
सदस्यता सं 121170 M. No. 121170

कृते चतुर्वेदी एंड कं.
For Chaturvedi & Co
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफ़आरएन 302137E) (FRN302137E)

आर.के.नंदा R.K.Nanda
भागीदार Partner
सदस्यता सं. 510574 M. No. 510574

स्थान: मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक 25.06.2020 / Date : 25th June, 2020

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) (000's Omitted)

		As at यथा 31-03 2020 ₹	As at यथा 31-03-2019 ₹
अनुसूची - 1 : पूँजी	**SCHEDULE - 1 : CAPITAL**		
प्राधिकृत	**AUTHORISED CAPITAL**		
प्रत्येक ‘10 के 600,00,00,000 (पिछले वर्ष के अंत में 300,00,00,000) इक्विटी शेयर	600,00,00,000 (Previous year 300,00,00,000) Equity Shares of ₹10 each	**60,000,000**	**30,000,000**
जारी एवं अभिदत्त पूँजी	ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL		
प्रत्येक रु 10 के 327,81,00,450 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 276,04,66,522)	Equity Shares 327,81,00,450 (Previous year 276,04,66,522) of ₹10 each	32,781,004	27,604,665
कुल	**TOTAL**	**32,781,004**	**27,604,665**
प्रदत्त पूँजी	**PAID-UP CAPITAL**		
प्रत्येक रु 10 के 327,69,23,350 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 275,92,89,422)	327,69,23,350 Equity Shares (Previous year ended 275,92,89,422) of ₹10 each fully paid-up.	32,769,234	27,592,894
जोडें: जब्त शेयरों की राशि	Add: Amount of shares forfeited	7,391	7,391
कुल	**TOTAL***	**32,776,625**	**27,600,285**
* उपर्युक्त में से प्रत्येक रू.10 के पूर्णत: प्रदत्त 2,91,96,90,866 शेयर (पिछले वर्ष की समाप्ति पर 240,20,56,938) जिनकी कीमत रू. 2919.69 करोड़ है, (पिछले वर्ष की समाप्ति पर रु.2402.06 करोड़) केन्द्र सरकार द्वारा धारित है।	* Of the above, 291,96,90,866 Equity Shares (Previous year 240,20,56,938) of ₹10 each fully paid up amounting to ₹2919.69 crores (Previous year ₹ 2402.06 crores) is held by Central Government		
अनुसूची - 2 : आरक्षितियाँ एवं अधिशेष	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS**		
I. सांविधिक आरक्षितियां :	I. Statutory Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	71,045,256	71,077,120
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Add: Additions/adjustments during the period	23,847	(31,864)
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**71,069,103**	**71,045,256**
II. पूँजी आरक्षितियाँ :	**II. Capital Reserves :**		
क) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :	A) Revaluation Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	63,243,218	56,047,354
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिसर के पुनर्मूल्यांकन पर परिवर्धन	Add: Additions during the year on revaluation of premises	940,785	9,015,306
घटाएँ: अवधि के दौरान समायोजन	Less: Adjustments during the period	(267,544)	(57,744)
घटाएँ: पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास /समायोजन	Less: Depreciation / adjustments on account of revaluation	739,178	1,877,186
(क) का कुल	Total of (A)	63,712,369	63,243,218
ख) अन्य	B) Others		
i) पूँजी मोचन आरक्षिति	i) Capital Redemption Reserve		
आरंभिक शेष	Opening Balance	5,000	5,000
जोड़े / घटाएं :परिवर्धन / कटौतियां	Add /Less: Additions/deductions	-	-
(i) का कुल उप-जोड़	Sub-total of (i)	5,000	5,000

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) (000's Omitted)

		As at यथा 31-03 2020 ₹	As at यथा 31-03-2019 ₹
ii) निवेशों की बिक्री पर लाभ-"परिपक्वता तक धारित"	ii) Profit on sale of Investments - "Held to Maturity"		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	23,135,537	22,400,237
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the period	2,427,630	735,300
(ii) का उप-जोड़	Sub-total of (ii)	25,563,167	23,135,537
(iii) समेकन पर पूँजीगत आरक्षिति	iii) Capital Reserve on Consolidation		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	268,264	268,264
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन समायोजन	Add: Adjustment during the period	467,697	-
(iii) का उप-जोड़	Sub-total of (iii)	735,961	268,264
(iv) विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति	iv) Foreign Currency Translation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	19,069,170	17,365,515
जोड़ें/(घटाएं): वर्ष के दौरान समायोजन (निवल)	Add/ (Less) : Adjustments during the period (Net)	3,077,895	1,703,655
(iv) का उप-जोड़	Sub-total of (iv)	22,147,065	19,069,170
(ख) का कुल	Total of (B)	48,451,193	42,477,971
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**112,163,562**	**105,721,189**
III. शेयर प्रीमियम :	**III. Share Premium :**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	318,041,578	220,605,677
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	40,991,306	97,435,901
जोड़े : जब्त किए गए शेयरों पर	Add: On forfeited shares annulled	-	-
कुल (III)	**TOTAL (III)**	**359,032,884**	**318,041,578**
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां :	**IV. Revenue and Other Reserves :**		
i) राजस्व आरक्षिति :	i) Revenue Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	90,176,624	89,802,968
जोड़ें: अब प्रावधान अपेक्षित नही	Add: Provision no longer required	1,511,658	1,647,377
जोड़ें: पूँजीगत आरक्षिति से अंतरण - विलय पर अधिशेष	Add: Transfer from Capital Reserve-Surplus on Merger	-	-
जोड़ें/(घटाएं): समायोजन	Add / (Less): Adjustments	208,159	(78,295)
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	-	-
जोड़ें: आकस्मिक आरक्षितियों से अंतरण	Add: Transfer from contingency Reserves	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	Less: Deductions during the period	27,847	1,195,426
(i) का उप-जोड़	Sub-total of (i)	91,868,594	90,176,624
ii) निवेश आरक्षिति :	ii) Investment Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	-	-
जोड़ें: लाभ और हानि विनियोजन से अंतरण	Add: Transfer from Profit & Loss Appropriations	-	-
घटाएँ:लाभ और हानि विनियोजन को अंतरण	Less:Transfer to Profit & Loss Appropriations	-	-
(ii) का उप-जोड़	Sub-total of (ii)	-	-

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) (000's Omitted)

		As at यथा 31-03 2020 ₹	As at यथा 31-03-2019 ₹
iii) निवेश अस्थिर आरक्षित :	iii) Investment Fluctuation Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	-	-
जोड़ें: लाभ और हानि विनियोजन से अंतरण	Add: Transfer from Profit & Loss Appropriations	-	-
घटाएँ:लाभ और हानि विनियोजन को अंतरण	Less:Transfer to Profit & Loss Appropriations	-	-
(iii) का उप-जोड़	Sub-total of (iii)	-	-
iv) आयकर अधिनिय 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	iv) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	21,700,000	21,700,000
अवधि के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the period	-	-
(iv) का उप-जोड़	Sub-total of (iv)	21,700,000	21,700,000
कुल (IV)	**TOTAL (IV)**	**113,568,594**	**111,876,624**
V. समेकित लाभ और हानि खाते में शेष :	**V. Balance in Consolidated Profit and Loss Account**	(237,879,282)	(204,145,456)
कुल (I से V)	**TOTAL (I TO V)**	**417,954,861**	**402,539,191**
अनुसूची- 2ए : अल्पसंख्यकों के हित	**SCHEDULE - 2A : MINORITIES INTEREST**		
उस तारीख को अल्पसंख्यक हित जब मूल कंपनी - सहायक कंपनी संबंध अस्तित्व में आए	Minority interest at the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	471,356	471,356
परवर्ती वृद्धि / (कमी)	Subsequent increase / (decrease)	1,042,807	1,150,188
तुलन पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक हित	Minority interest on the date of Balance sheet	**1,514,163**	**1,621,544**
अनुसूची- 3 : जमाराशियाँ	**SCHEDULE - 3 : DEPOSITS**		
क. I. माँग जमाराशियाँ :	**A. I. Demand Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	8,051,413	5,590,995
ii) अन्य से	ii) From Others	295,335,053	271,308,483
कुल (I)	TOTAL (I)	303,386,466	276,899,478
II. बचत बैंक जमाराशियाँ	**II. Savings Bank Deposits**	1,728,378,449	1,596,142,039
III. मीयादी जमा राशियाँ :	**III. Term Deposits :**		
i) बैंक से	i) From Banks	355,190,565	515,514,081
ii) अन्य से	ii) From Others	3,186,908,791	2,836,994,025
कुल (III)	TOTAL (III)	3,542,099,356	3,352,508,106
कुल क (I, II, III)	**TOTAL A (I to III)**	**5,573,864,271**	**5,225,549,623**
ख. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	B. i) Deposits of branches in India	4,824,885,548	4,217,280,493
ii) भारत के बाहर शाखाओं की जमा राशियाँ	ii) Deposits of branches outside India	748,978,723	1,008,269,130
कुल (ख)	**TOTAL (B)**	**5,573,864,271**	**5,225,549,623**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) (000's Omitted)

		As at यथा 31-03 2020 ₹	As at यथा 31-03-2019 ₹
अनुसूची - 4 : उधार	**SCHEDULE - 4 : BORROWINGS**		
I. भारत में उधार :	**I. Borrowings in India :**		
i) भारतीय रिजर्व बैंक	i) Reserve Bank of India	188,770,000	111,000,000
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks		
क. टियर I पूँजी	a. Tier I Capital	1,150,000	1,800,000
ख. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	250,000	50,000
ग. अन्य	c. Others	-	16,855,947
कुल (ii)	Total (ii)	1,400,000	18,705,947
iii) अन्य संस्थाएं और एजेंसियाँ	iii) Other Institutions and Agencies		
क. टियर I पूँजी	a. Tier I Capital	1,850,000	4,450,000
ख. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	79,750,000	99,950,000
ग. अन्य	c. Others	22,936,828	117,518,703
कुल (iii)	Total (iii)	104,536,828	221,918,703
कुल (I)	Total (I)	294,706,828	351,624,650
II. भारत से बाहर उधार	**II. Borrowings outside India**		
क. टियर I पूँजी	a. Tier I Capital	-	-
ख. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	-	-
ग. अन्य	c. Others	102,817,831	91,027,273
कुल (II)	Total (II)	102,817,831	91,027,273
कुल (I एवं II)	**Total (I & II)**	**397,524,659**	**442,651,923**
उपर्युक्त में सम्मिलित प्रतिभूति उधार	Secured borrowings included in above	-	-
अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान	**SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**		
I. देय बिल	I. Bills Payable	11,271,665	12,824,005
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter-office adjustments (net)	1,816,388	-
III. उपार्जित ब्याज	III. Interest Accrued	19,554,587	20,349,043
IV. आस्थगित कर देयता	IV. Deferred Tax liability	16,852	28,819
V. अन्य	V. Others	173,894,328	129,294,662
कुल	**TOTAL**	**206,553,820**	**162,496,529**
अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	**SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**		
I. हाथ में नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित)	I. Cash in hand (including foreign currency notes & Gold)	32,437,563	24,773,790
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष*	II. Balances with Reserve Bank of India : *		
i. चालू खातों में	i) In Current Account	261,884,145	268,447,125
ii. अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	143,747	-
कुल (II)	TOTAL (II)	262,027,892	268,447,125
कुल (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**294,465,455**	**293,220,915**
* भारत के बाहर केन्द्रीय बैंकों में शेष सहित	* Including balances with Central Banks outside India		

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) (000's Omitted)

		As at यथा 31-03 2020 ₹	As at यथा 31-03-2019 ₹
अनुसूची - 7 :बैंकों के पास शेष राशि और मांग तथा अल्प सूचना पर धन	**SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**		
I. भारत :	**I. In India :**		
i) बैंकों में शेष राशि	i) Balances with Banks		
क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	1,668,281	1,546,052
ख) अन्य जमा राशि खातों में	b) in Other Deposit Accounts	10,593,126	83,331,803
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धन	ii) Money at call and short notice		
क) बैंको में	a) With Banks	1,934,710	-
ख) अन्य संस्थानों में	b) With Other Institutions	110,000,000	-
कुल (I)	TOTAL (I)	124,196,117	84,877,855
II. भारत के बाहर :	**II. Outside India :**		
i) चालू खातों में	i) In Current Accounts	16,886,489	2,292,974
ii) अन्य जमा राशि खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	335,858,597	368,187,033
iii) माँग एवं अल्प सूचना पर धन	iii) Money at call and short notice	94,683,935	200,021,173
कुल (II)	TOTAL (II)	447,429,021	570,501,180
कुल (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**571,625,138**	**655,379,035**
अनुसूची - 8 : निवेश	**SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS**		
I. भारत में निवेश	**I. Investments in India :**		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	i) Government Securities	1,406,786,449	1,294,027,734
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	ii) Other approved Securities	3,835,744	3,361,449
iii) शेयर	iii) Shares	11,353,242	13,523,061
iv) डिबेंचर एवं बॉण्ड	iv) Debentures and Bonds	80,188,145	81,815,622
v) अनुषंगियों एवं सहायक कंपनियों में निवेश	v) Investment in Associates	14,549,559	15,055,110
vi) अन्य	vi) Others	37,226,620	36,521,644
कुल (I)	TOTAL (I)	1,553,939,759	1,444,304,620
II. भारत के बाहर निवेश	**II. Investments outside India :**		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	44,580,212	36,242,902
ii) डिबेंचर एवं बॉण्ड	ii) Debentures & Bonds	-	-
iii) सहायक कंपनियों में निवेश	iii) Investment in Associates	1,582,207	1,267,985
iv) अन्य	iv) Others	23,126,903	27,234,666
कुल (II)	TOTAL (II)	69,289,322	64,745,553
जोड़ (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**1,623,229,081**	**1,509,050,173**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) (000's Omitted)

		As at यथा 31-03 2020 ₹	As at यथा 31-03-2019 ₹
III. भारत में निवेश:	**III. Investments in India :**		
i) निवेशों का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	1,589,642,038	1,479,809,013
ii) मूल्यह्रास हेतु संकलित प्रावधान	ii) Aggregate provisions for depreciation	35,702,279	35,504,393
iii) निवल निवेश	iii) Net Investments	1,553,939,759	1,444,304,620
IV. भारत से बाहर निवेश	**IV. Investments outside India :**		
i) निवेशों का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	69,682,198	65,032,573
ii) मूल्यह्रास हेतु संकलित प्रावधान	ii) Aggregate provisions for depreciation	392,876	287,020
iii) निवल निवेश	iii) Net Investments	69,289,322	64,745,553
(III एवं IV) का कुल	**TOTAL (III & IV)**	**1,623,229,081**	**1,509,050,173**
अनुसूची - 9 : अग्रिम	**SCHEDULE - 9 : ADVANCES**		
क. i) खरीदे गए बिल और बट्टाकृत बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	91,314,536	122,737,248
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	1,767,126,614	1,489,320,012
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	1,847,999,698	1,817,606,142
कुल (क)	**TOTAL (A)**	**3,706,440,848**	**3,429,663,402**
ख. अग्रिमों का विवरण :	**B. Particulars of Advances :**		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों के निमित्त अग्रिम शामिल है)	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	2,609,564,685	2,545,863,964
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	244,652,401	161,899,796
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	852,223,762	721,899,642
कुल (ख)	**TOTAL (B)**	**3,706,440,848**	**3,429,663,402**
ग. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण :	**C. Sectoral Classification of Advances :**		
I. भारत में अग्रिम	I. Advances in India		
i) प्राथमिक क्षेत्र	i) Priority Sector	1,125,757,202	1,121,314,154
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	778,764,153	629,785,792
iii) बैंकों	iii) Banks	1,125	142,920
iv) अन्य	iv) Others	1,283,747,808	1,179,298,987
कुल (I)	**TOTAL (I)**	3,188,270,288	2,930,541,853
II. भारत के बाहर अग्रिम :	II. Advances outside India :		
i) बैंक से देय	i) Due from Banks	98,760,964	99,380,579
ii) अन्य से देय	ii) Due from others		
क) खरीदे गए बिल और बट्टाकृत बिल	a) Bills Purchased and Discounted	29,992,474	32,707,804
ख) समूहनकृत ऋण	b) Syndicated Loans	104,699,597	129,690,731
ग) अन्य	c) Others	284,717,525	237,342,435
कुल (II)	TOTAL (II)	518,170,560	499,121,549
कुल (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**3,706,440,848**	**3,429,663,402**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) (000's Omitted)

		As at यथा 31-03 2020 ₹	As at यथा 31-03-2019 ₹	
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियाँ	**SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS**			
I. परिसर :	**I. PREMISES :**			
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	17,880,685	17,878,425	
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Add: Additions /Adjustments during the period		119,790	238,584
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the period	64,958	236,324	
उप-जोड़	Sub-total	17,935,517	17,880,685	
पुनर्मूल्यन के कारण इस तारीख तक पुनर्मूल्यांकन आरिक्षति को जमा कुल परिवर्धन	Addition to date on account of revaluation credited to revaluation reserve	64,009,821	63,565,808	
घटाएं : इस तारीख को मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन के कारण सहित)	Less : Depreciation to date (including on account of revaluation)	4,815,048	4,559,437	
कुल (I)	TOTAL (I)	77,130,290	76,887,056	
II. अन्य अचल आस्तियां : फर्नीचर एवं फिक्स्चर सम्मिलित हैं)	**II. OTHER FIXED ASSETS : (including Furniture and Fixtures)**			
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	35,407,704	33,367,048	
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Add: Additions /Adjustments during the period		8,601,027	2,321,717
घटाएं :अवधि के दौरान कटौतियां/समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the period	6,282,027	281,061	
उप-जोड़	Sub-total	37,726,704	35,407,704	
घटांए:इस तारीख को मूलह्रास	Less: Depreciation to date	27,204,057	24,303,941	
कुल (II)	TOTAL (II)	10,522,647	11,103,763	
III. निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	**III. CAPITAL WORK IN PROGRESS**	2,926,912	1,999,958	
कुल (I से III)	**TOTAL (I to III)**	**90,579,849**	**89,990,777**	
अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां	**SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS**			
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	I. Inter Office Adjustment (Net)	32,105	23,575,657	
II उपचित ब्याज	II Interest Accrued	31,412,998	32,242,467	
III अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/ स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	III Tax paid in advance/tax deducted at source (Net)	57,816,265	50,564,781	
IV लेखन सामग्री और स्टैम्प	IV Stationery and Stamps	64,359	55,142	
V आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	V Deferred Tax Assets	137,603,952	119,357,305	
VI अन्य	VI Others	116,918,349	105,739,441	
कुल	**TOTAL**	**343,848,028**	**331,534,793**	
अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं	**SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES**			
I. बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	14,993,043	15,013,941	
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	II. Liability for partly paid Investments	1,170,051	168,582	
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	2,946,240,231	2,551,620,422	
IV. संघटकों का ओर से दी गई गारंटियां :	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :			
(क) भारत में	a) In India	225,143,990	209,178,461	
(ख) भारत के बाहर	b) Outside India	41,528,844	32,086,386	
V. स्वीकार, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व	V. Acceptances, endorsements and other obligations	172,126,811	189,421,022	
VI. ब्याज दर स्वैप	VI. Interest Rate Swaps	109,638,304	106,090,890	
VII. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप में देनदार है	VII. Other items for which the Bank is contingently liable	12,372,389	9,593,263	
कुल	**TOTAL**	**3,523,213,663**	**3,113,172,967**	

समेकित लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED PFROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000 छोडे गए हैं) (000's Omitted)

		को समाप्त वर्ष For the year ended 31-03-2020	को समाप्त वर्ष For the year ended 31-03-2019
अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश	**SCHEDULE - 13 : INTEREST AND DIVIDENDS EARNED**		
I. अग्रिम/बिलों पर ब्याज/बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills	289,767,396	274,149,940
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments	107,568,885	100,181,338
III. भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के शेषों पर ब्याज	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	24,442,496	28,647,724
IV. अन्य	IV. Others	4,128,966	7,069,189
कुल	**TOTAL**	**425,907,743**	**410,048,191**
अनुसूची - 14 : अन्य आय	**SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME**		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	I. Commission, exchange and brokerage	13,703,954	12,582,769
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ /(हानि)	II. Profit/(Loss) on sale of Investments	5,921,043	(3,896,080)
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि)	III. Profit / (Loss) on sale of land, buildings and other assets	467,462	4,303,827
IV विनिमय संव्यवहारों पर लाभ /(हानि)	IV. Profit / (Loss) on exchange transactions	15,087,426	13,146,699
V अनुषंगियों/कंपनियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	V. Income Earned by way of dividend etc. on subsidiaries/ companies and /or/ joint ventures	143,038	114,861
VI विविध आय	VI. Miscellaneous Income	32,765,968	21,657,046
कुल	**TOTAL**	**68,088,891**	**47,909,122**
अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज	**SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED**		
I. जमाओं पर ब्याज	I. Interest on Deposits	237,275,379	230,831,837
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	25,869,171	31,001,992
III. गौण ऋणों, आईआरएस आदि पर ब्याज	III. Interest on Subordinated Debts, IRS etc.	8,770,058	10,237,330
कुल	**TOTAL**	**271,914,608**	**272,071,159**
अनुसूची - 16 : परिचालनगत व्यय	**SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES**		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees	61,965,576	60,818,246
II. किराया, कर एवं बिजली	II. Rent, Taxes and Lighting	7,362,197	7,264,510
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	III. Printing and Stationery	771,831	759,429
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	IV. Advertisement and Publicity	258,787	209,650
V बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	V. Depreciation on Bank's property	3,919,554	3,728,417
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	VI. Directors' fees, allowances and expenses	47,787	44,462
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	VII. Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors' Fees & Expenses)	808,462	725,772
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges	535,528	539,938
IX. डाक व्यय, तार, टेलिफोन आदि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	1,727,467	1,448,434
X. मरम्मत एवं रखरखाव	X. Repairs and Maintenance	745,228	647,663
XI. बीमा	XI. Insurance	5,088,567	5,044,635
XII. अन्य व्यय	XII. Other Expenditure	22,893,033	22,708,094
कुल	**TOTAL**	**106,124,017**	**103,939,250**
अनुसूची - 16ए : सहयोगी कंपनी में उपार्जन/हानि का अंश	**SCHEDULE - 16 A : SHARE OF EARNINGS / LOSSES IN ASSOCIATES**		
I. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	I. Regional Rural Banks (RRBs)	(1,616,434)	465,075
II. अन्य	II. Others	398,104	248,235
कुल	**TOTAL**	**(1,218,330)**	**713,310**

कार्यसूची 17 :

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (समेकित वित्तीय विवरणियां)

1. लेखांकन परिपाटी :

संस्था की निरंतरता की अवधारणा तथा यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो पूर्व के लागत के आधार पर संलग्न समेकित वित्तीय विवरण (सीएसएस) तैयार किया गया है जो वस्तुत: सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) के सभी पक्षों का पालन करते हैं। इसके अंतर्गत, लागू विधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा निर्धारित विनियामक नियमों, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण(आईआरडीएआई), कंपनी अधिनियम 2013, लेखा मानक (ए.एस.), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के द्वारा जारी निदेशों, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा प्रथाओं को भी शामिल करते हैं। विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबन्धों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया जाता है, यदि इन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणी की तैयारी हेतु प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि वह वित्तीय विवरण की प्रभावी तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयता (आकस्मिक देयताएं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए आय एवं व्यय का आकलन तथा अनुमान प्रतिपादित करे। प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उपयोग किये गये आकलन उचित तथा तार्किक हैं। तथापि वास्तविक परिणाम आकलन से भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान तथा भविष्य की अवधि के लिए लेखांकित आकलन में किसी भी परिवर्तन को भविष्य में उल्लिखित किया जाता है।

2. समेकन का आधार :

समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किये गये है :-

क) बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) एवं उसकी अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियाँ, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीआई) द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानक (एएस) 21 के अनुसार तैयार की गयी हैं। ऐसा पंक्ति दर पंक्ति आधार पर किया जाता है तथा इसमें आस्ति, देयताएं, आय तथा आंतर समूह संव्यवहार हटाकर व्यय, शेष राशि, उगाही रहित लाभ/हानि को जोड़ा जाता है तथा एकरूप लेखांकन का पालन करने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण प्रकृति का आवश्यक समायोजन किया जाता है।

ख) अनुषगियों में मूल बैंक के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की इक्विटी में मूल बैंक के शेयर को गुडविल/आरक्षित पूँजी के रूप में मान्यता दी जाती है। यदि कुछ गुडविल हो तो उसे निर्धारित होने के तुरंत बाद बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

ग) समेकित वित्तीय विवरणी में अल्पसंख्यक हित, अनुषंगियों की निवल इक्विटी में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के शेयर के रूप में हैं।

घ) सहायक कंपनियों में निवेश का मूल्यांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)23 "समेकित वित्तीय विवरणियों में सहायक कम्पनियों में निवेश का लेखांकन" के अनुसार इक्विटी पद्धति से किया जाता है।

SCHEDULE 17:

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Consolidated Financial Statements)

1) ACCOUNTING CONVENTION:

The accompanying consolidated financial statements (CFS) have been prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform in all material aspects to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), Companies Act 2013, Accounting Standards (AS), pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Banking Regulation Act, 1949 and accounting practices prevailing in India. In respect of foreign offices/branches/subsidiaries/ associates, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However actual results can differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

2) BASIS OF CONSOLIDATION:

Consolidated financial statements of the group have been prepared on the basis of:

a) The financial statements of Bank of India (the Parent bank) and its subsidiaries in accordance with Accounting Standard (AS) 21 “Consolidated Financial Statements” issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group transactions, balances, unrealised profit/loss and making necessary adjustments of material nature wherever required to conform to uniform accounting.

b) The difference between cost to the parent bank of its investment in the subsidiaries and parent bank’s share in the equity of the subsidiaries is recognised as goodwill/capital reserve. Goodwill, if any, is written off immediately on its recognition.

c) Minority interest in the Consolidated Financial Statement consists of the share of the minority shareholders in the net equity of the subsidiaries.

d) Accounting for investment in Associate companies is done under Equity method in accordance with Accounting Standard (AS) 23, “Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements”, issued by ICAI.

ङ) संयुक्त उद्यमों में निवेशों का लेखांकन, आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)27 "संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार "आनुपातिक आधार" पर किया जाता है।

3. आय का निर्धारण:

3.1 बैंकिंग निकाय

(क) आय/व्यय को उपचय के आधार पर तय किया जाता है, यदि अन्यथा न उल्लिखित हो। विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित मेज़बान देश के स्थानीय कानूनों/मानकों के अनुसार आय निर्धारित की जाती है।

(ख) अनर्जक आस्तियों पर ब्याज को छोड़कर आय का निर्धारण, समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

(ग) बैंक गारंटी तथा साख पत्र जारी करने पर कमीशन का निर्धारण, बीजी/एलसी की अवधि पर होता है।

(घ) अन्य सभी कमीशन एवं विनिमय, ब्रोकरेज, फीस तथा अन्य शुल्कों की उगाही होने पर आय के रूप में उनका निर्धारण होता है।

(ङ) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अतिरिक्त) जिसे उसके अंकित मूल्य पर प्राप्त छूट के बाद खरीदा गया था, उस पर निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित की जाती है:-

i. ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, केवल बिक्री/मोचन के समय ही इसका निर्धारण किया जाता है।

ii. जीरो-कूपन प्रतिभूतियों में, स्थिर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति की शेष परिपक्वता अवधि पर इसका लेखांकन किया जाता है।

(च) निवेशों की बिक्री में हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में मान्यता दी जाती है। आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री के मामले में (करों तथा सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण करने हेतु आवश्यक राशि छोड़कर), इसके बराबर की राशि "आरक्षित पूँजी खाते" में विनियोजित की जाती है।

(छ) जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तब लाभांश को आय के रूप पहचाना जाता है।

(ज) निर्धारण आदेश जारी होने के वर्ष में आयकर वापसी पर ब्याज, आय के रूप में पहचाना जाता है।

(झ) एन.पी.ए. में वसूली का विनियोजन :

समझौता निपटान/विशेष ओटीएस, ख) न्यायालय/डीआरटी/एनसीएलटी के निर्णय तथा ग) एआरसी/एससी को समनुदेशन - इन तीन मामलों को छोड़कर एनपीए में वसूली निम्नलिखित क्रम में प्रभावी की जाती है :

- उधारकर्ता के खाते में नामे प्रभार
- ऐसे खर्च/अपने जेब से खर्च, जो किये तो गये परंतु जिन्हें नामे नहीं किया गया
- अप्राप्य ब्याज
- अप्रभारित ब्याज
- मूल धन

e) Accounting for investments in Joint Venture are consolidated on “Proportionate basis” as prescribed in Accounting Standard (AS) 27, “Financial Reporting of Interests in Joint Ventures” issued by ICAI.

3) REVENUE RECOGNITION:

3.1 Banking entities:

(a) Income/expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income/expenditure is recognised as per local laws/ standards of host country.

(b) Interest income is recognised on time proportion basis except interest on Non-performing Assets.

(c) Commission on issue of Bank Guarantee and Letter of Credit is recognised over the tenure of BG/LC.

(d) All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.

(e) Income (other than interest) on investments in “Held to Maturity” category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:

i. on interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.

ii. on zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

(f) Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss account. As per RBI guidelines, in case of profit on sale of investments under ‘Held to Maturity’ category, an equivalent amount (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves) is appropriated to ‘Capital Reserve Account’.

(g) Dividend income is recognised when the right to receive the dividend is established.

(h) Interest income on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.

(i) Appropriation of recoveries in NPAs:

In respect of NPAs, recoveries effected except through a.) compromise settlement /special OTS, b.) Judgement of a Court/DRT/NCLT and c.) Assignment to ARC’s/SC’s is to be made in the following order:-

- Charges debited to borrower’s account
- Expenses/out of pocket expenses incurred but not debited
- Unrealised interest
- Uncharged interest
- Principal

3.2 गैर बैंकिंग निकाय : बीमा

क) प्रीमियम आय :

प्राप्य होने पर, असम्बद्ध व्यवसाय के लिए, राइडर प्रीमियम सहित प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है। सहायक इकाइयों के सृजित होने पर, सम्बद्ध व्यवसाय के लिए प्रीमियम को निर्धारित किया जाता है। यथा लागू कर काटकर, प्रीमियम को निर्धारित किया जाता है।

व्यपगत पॉलिसी पर प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है, जब वैसी पॉलिसियाँ पुनः आरंभ की जाती हैं।

टॉप-अप प्रीमियम को एक प्रीमियम माना जाता है तथा सहायक इकाइयॉं सृजित करने पर उन्हें एक प्रीमियम माना जाता है। पीएमजेजेबीवाई के मामले में प्रीमियम को, बैंक को देय प्रशासनिक प्रभार तथा व्ययों की प्रतिपूर्ति (यथा लागू) को हटाकर निर्धारित किया जाता है।

ख) पॉलिसी के विरुद्ध ऋणों पर ब्याज, उपचय के आधार पर पहचाना जाता है।

ग) निवेश पर ब्याज आय उपचय के आधार पर पहचाना जाता है। इसका अपवाद अनर्जक निवेशों पर ब्याज आय है जिसे प्राप्त होने पर निर्धारित किया जाता है जैसा कि आईआरडीएआई दिशा-निर्देर्शों में निर्धारित किया गया है।

घ) परिशोधित आय/लागत:

असम्बद्ध निवेशों से संबंधित कर्ज प्रतिभूति/निश्चित आय प्रतिभूति के संबंध में अधिग्रहण पर प्रीमियम या डिस्काउन्ट, जैसा भी मामला हो, को परिपक्वता/धारित की अवधि पर सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है और ब्याज आय के निमित्त समायोजित किया जाता है।

ङ) लाभांश:

उद्धृत शेयरों के लिए लाभांश आय, पूर्व-लाभांश तारीख को पहचाना जाता है तथा गैर-उद्धृत शेयरों के लिए लाभांश आय तब पहचाना जाता है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित जाता है।

च) सम्बद्ध निधियों से आय:

पॉलिसी की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार सम्बद्ध निधियों से निधि प्रबंधन शुल्क, पॉलिसी प्रशासनिक शुल्क, मॉर्टेलिटी शुल्क आदि सहित सम्बद्ध निधियों से आय जब वसूली जाती है तब निर्धारित की जाती है।

छ) सम्बद्ध कारोबार हेतु ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि):

व्यय को छोड़कर बिक्री तथा बही लागत का अंतर सम्बद्ध व्यवसाय के लिए कर्ज प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) है। इसे बिक्री की तारीख पर भारित औसत आधार पर, परिकलित किया जाता है।

ज) असम्बद्ध कारोबार हेतु ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि):

व्यय को छोड़कर बिक्री तथा परिशोधन लागत का अंतर असम्बद्ध व्यवसाय के लिए कर्ज प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/

3.2 Non-Banking entities- Insurance:

a) Premium Income:

Premium including rider premium for non-linked business is recognised as income when due. Premium for linked business is recognised when the associated units are created. Premium is recognised net of Goods and Services Tax (GST) as applicable.

Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.

Top up premium under linked business is considered as single premium and recognised as income when the associated units are created. Premium in case of PMJJBY Scheme is recognised at net of administrative charges and reimbursement of expenses (as applicable) payable to the banks.

b) Interest on loans against policies is recognized for on accrual basis.

c) Interest income on investments is recognised on accrual basis except interest income on non-performing investments, which is recognised upon receipt as specified in IRDAI guidelines.

d) Amortised Income/Cost:

Premium or discount on acquisition, as the case may be, in respect of debt securities/fixed income securities, pertaining to non-linked investments is amortized on straight line basis over the period of maturity/holding and adjusted against interest income.

e) Dividend:

Dividend income for quoted shares is recognised on ex-dividend date, for non-quoted shares dividend income is recognised when the right to receive dividend is established.

f) **Income from linked funds**:

Income from linked funds which includes fund management charges, policy administrative charges, mortality charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policy and recognised on due basis.

g) Realized Gain/ (Loss) on Debt Securities for Linked Business:

Realized gain/(loss) on debt securities for linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the book cost, which is computed on weighted average basis, as on the date of sale.

h) Realized Gain/ (Loss) on Debt Securities for Non-Linked Business:

Realized gain/(loss) on debt securities for other than linked business is the difference between

(हानि) है। इसे बिक्री की तारीख पर भारित औसत आधार पर परिकलित किया जाता है।

झ) इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड/एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ)/अतिरिक्त टियर 1 बॉण्ड (एटी 1) की बिक्री पर लाभ/हानि:

व्यय को हटाकर बिक्री तथा बिक्री के दिन भारित औसत आधार पर निर्धारित बही लागत का अंतर, इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड इकाइयों/ईटीएफ/अतिरिक्त टियर 1 परपेचुअल बॉण्ड की बिक्री पर लाभ/(हानि) है। (म्यूचुअल फंड, ईटीएफ की बिक्री पर गणना नवीनतम उपलब्ध एनएवी पर होगी।)

असम्बद्ध व्यवसाय के मामले में "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" के अंतर्गत पूर्व में निर्धारित उचित मूल्य में जमा हुए परिवर्तन लाभ/(हानि) में शामिल हैं।

परन्तु जहाँ अंतिम संग्रहणीयता में उचित संभाव्यता की कमी हो, वहाँ आय का निर्धारण स्थगित रखा जाता है।

ञ) सम्बद्ध कारोबार के लिए अप्राप्त लाभ/(हानि):

सम्बद्ध कारोबार के लिए अप्राप्त लाभ और हानि को संबंधित निधि के राजस्व खाते में निर्धारित किया जाता है।

ट) उधार पर प्रतिभूति लेने और देने से आय:

उधार पर प्रतिभूति लेने और देने (एसएलबी) की व्यवस्था के अंतर्गत इक्विटी शेयर को देने पर प्राप्त फीस को उस अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है तथा इसे ब्याज आय के साथ जोड़ा जाता है।

ठ) पुनर्बीमा प्रीमियम:

पुनर्बीमा करने वाले के साथ प्रासंगिक समझौतों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय दिये गये पुनर्बीमा प्रीमियम को लेखांकित किया जाता है। पुनर्बीमा पर दिये गये प्रीमियम के विरुद्ध पुनर्बीमा पर दिये गये लाभ कमीशन को घटा दिया जाता है।

3.3 गैर बैंकिंग गतिविधियाँ - म्यूचुअल फंड और ट्रस्टी सेवाएं:

क) निवेश प्रबंधन करार के अनुसार, उपचय आधार पर, म्यूचुअल फंड योजना से प्रबंधन फीस का लेखांकन किया जाता है तथा जैसा की बीओआई एक्सा म्यूचुअल फण्ड की योजना के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, यह निवल आस्ति मूल्य के ऊपर आश्रित है।

ख) ट्रस्टी फीस को उस सीमा तक निर्धारित किया जाता है जिस सीमा तक यह संभव है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा तथा बीओआई एक्सा म्यूचुअल फंड के साथ आय को भरोसापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। ब्याज तथा अन्य आय, यदि कुछ हो तो उसका लेखांकन एक्चुरीयल आधार पर किया जाता है।

the sale consideration net of expenses and the amortized cost, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

i) Profit/(Loss) on sale of Equity Shares/ Mutual Fund/ Exchange Traded Funds (ETFs)/ Additional Tier 1 Bonds (AT 1):

Profit/ (Loss) on sale of equity shares/ mutual fund units/ ETFs/ Additional Tier 1 Perpetual Bonds is the difference between the sale consideration net of expenses & the book cost computed on weighted average basis as on the date of sale (mutual fund, ETFs sale considerations would be based on the latest available NAV).

In respect of non-linked business the Profit/ (Loss) includes the accumulated changes in the fair value previously recognized under “Fair Value Change Account”.

However, revenue recognition is postponed where ultimate collectability lacks reasonable certainty.

j) Unrealized Gain/ (Loss) for Linked Business:

Unrealized gains and losses for Linked Business are recognized in the Revenue account of respective fund.

k) Income from Security Lending and Borrowing:

Fees received on lending of equity shares under Securities Lending and Borrowing (SLB) mechanism is amortized on a straight-line basis over the period of lending and clubbed with the interest income.

l) Reinsurance Premium ceded:

Reinsurance Premium ceded is accounted for on due basis at the time of recognition of premium income in accordance with the terms and conditions of the relevant treaties with the reinsurers. Profit / commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

3.3 Non-Banking entities – Mutual Fund and Trustee Services:

a) Management fees from the scheme of mutual fund are accounted on an accrual basis in accordance with the investment management agreement and are dependent on the net asset value as recorded by the schemes of BOI AXA Mutual fund.

b) Trustee fees is recognized to the extent that it is probable that economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably arrangement with the BOI AXA Mutual Fund. Interest and other income, if any, is accounted on accrual basis.

ग) व्यापार की तारीख को, निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को, लाभ/हानि खाते में अंकित किया जाता है और एकल प्रतिभूति हेतु भारित औसत आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है।

3.4 गैर-बैंकिंग इकाइयों - मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं :

(क) यदि कंपनी का अंडररिटेन इश्यू के संबंध में इक्विटी शेयरों का कुछ डिवोल्वमेंट होता है तो इसे निवेश माना जायेगा। इन निर्गमों पर अंडरराइटिंग आय, लाभ हानि खाते में जमा की जायेगी तथा निवेश के वैल्यू के विरुद्ध नहीं घटाई जायेगी।

(ख) सेकेन्ड्री मार्केट परिचालन पर अर्जित बोक्रेज तथा कमीशन, कारोबार की तारीख के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे। ऑनलाइन पोर्टल परिचालन पर बोक्रेज, कारोबार की तारीख पर निर्धारित किये जायेंगे। इश्यू मार्केटिंग तथा संसाधन संग्रहण के संबंध में बोक्रेज तथा कमीशन उपलब्ध जानकारी की सीमा तक उपचित किये जायेंगे। डिपोजिटरी, पोर्टफोलियो प्रबंधन, निवेश बैंकिंग तथा अन्य आयों को उपचय आधार पर लेखांकित किया जायेगा।

4) गैर बैंकिंग गतिविधियां -बीमा : अन्य नीतियां:

क) भुगतान किये गये लाभ:

भुगतान किए गए लाभ में, पॉलिसी लाभ तथा दावा निपटान लागत, यदि कुछ हो तो, शामिल है।

सूचना की प्राप्ति पर, मृत्यु, राइडर तथा अभ्यर्पण दावे, लेखांकित किये जाते हैं। सम्बद्ध व्यवसाय के अंतर्गत सरेन्डर में व्ययगत पॉलिसियों पर भुगतान योग्य राशि भी शामिल है जो लॉक इन अवधि की समाप्ति पर लेखांकित की जाती है। लॉक इन अवधि के समाप्ति के बाद पॉलिसी को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। सरेंडर और समापन को निवल प्रभार के आधार पर लेखाकृत किया जाता है।

देय होने पर उत्तरजीविता, परिपक्वता तथा वार्षिक लाभ के दावे लेखांकित होते हैं।

जिस अवधि में संबंधित दावों का निपटान किया जाता है, उसी में पुनर्बीमा वसूलियों का लेखांकन किया जाता है।

न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष विवादित दावे, विवेक के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं, जैसा कि प्रबंधन, प्रत्येक ऐसे दावे के संबंध में तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर उचित समझता है।

ख) अधिग्रहण लागत:

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो बदलती रहती है तथा यह मुख्य रूप से नये बीमा करारों या उसके नवीनीकरण से संबंधित है तथा बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन, रिवार्ड तथा प्रोत्साहन, बिक्री स्टाफ लागत, चिकित्सा जांच लागत, पॉलिसी प्रकाशन व्यय, स्टांप ड्यूटी तथा अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं। इन्हें उस अवधि में खर्च किया गया माना जाता है जिसमें ये होते हैं।

प्रथम वर्ष में भुगतान किय गये कमीशन के लिए, भविष्य में वापसी, यदि कुछ हो तो, उसी वर्ष में लेखांकित की जाती है, जिस वर्ष में वह प्राप्त की गयी थी।

c) Profit or loss on sale of investment is recognised in the Profit & Loss Account on the trade date and determined on weighted average basis for individual security.

3.4 Non-Banking entities– Merchant Banking Services:

a) Devolvement of equity shares in respect of issues underwritten if any by the company shall be treated as investments. Underwriting income on these issues shall be credited to profit and loss account and shall not be netted against the value of investments.

b) Brokerage and commission earned on secondary market operations shall be recognised on the basis of trade dates. Brokerage on online portal operations shall be recognised on the basis of trade dates. Brokerage and commission in respect of issue marketing and resource mobilization shall be accrued to the extent of availability of information. Depository, Portfolio Management, Investment Banking and other fees shall be accounted for on accrual basis.

4) NON BANKING ENTITIES – Insurance : Other Policies:

a) Benefits paid:

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any.

Death, rider, surrender & withdrawal claims are accounted for on receipt of intimation. Under linked Business, surrender also includes amount payable on lapsed policies which are accounted for on expiry of lock in period. Surrenders and terminations are accounted net of charges.

Survival, maturity and annuity benefit claims are accounted for when due.

Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as that of the related claims.

Claims disputed before judicial authorities are provided for on prudent basis as considered appropriate by management based on facts and circumstances in respect of each such claim.

b) Acquisition Costs:

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of new and renewal insurance contracts and consist of cost like commission to insurance intermediaries, rewards and incentives, sales staff costs, medical examination costs, policy printing expenses, stamp duty and other related expenses. These are expensed in the period in which they are incurred.

Claw back in future, if any, for the first year commission paid, is accounted for in the year in which it is recovered.

ग) **पॉलिसी देयताएं:**

वर्तमान पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए मूल्यांकन कवायद की जाती है। सलाभ नीतियों के लिए पॉलिसीधारकों की यथोचित अपेक्षाओं (पीआरई) पर भी विचार होता है। भविष्य की विभिन्न परिस्थितियों में सभी पॉलिसीधारकों को लाभ देने के लिए पर्याप्त आरक्षितियाँ होनी चाहिए। प्रतिकूल विचलन के लिए मार्जिन (एमएडी) का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किसी संभावित विपरीत परिस्थितियों में भी पॉलिसीधारक के हित की रक्षा सुनिश्चित की जाय।

लागू पॉलिसियों के लिए बीमांकित देयता प्रीमियम पद्धति से तथा समूह व्यवसाय (क्रेडिट लाइफ व्यवसाय तथा रिवर्स बंधक ऋण सक्षम वार्षिकी को छोड़कर जहां सकल प्रीमियम पद्धति का प्रयोग होता है) के मामले में अनर्जित प्रीमियम रिवर्स पद्धति से बीमांकित देयता परिगणित होती है। सम्बद्ध देयताओं में यूनिट देयता तथा गैर-यूनिट देयता शामिल है। यूनिट देयता पॉलिसी का निधि मूल्य प्रदर्शित करती है तथा गैर-यूनिट देयता बीमा दावा व्यय आदि के लिए है। मूल्यांकन के लिए शासित मुख्य दिशा-निर्देश हैं - बीमा अधिनियम 1938, आईआरडीए अधिनियम 1999, आईआरडीए (बीमांकिक रिपोर्ट एवं जीवन बीमा व्यवसाय के लिए सारांश) विनियम, 2016, आईआरडीएआई जीवन बीमा व्यवसाय के लिए (आस्तियां, देयताएं तथा शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम 2016, भारतीय बीमांकिक संगठन द्वारा जारी बीमांकिक व्यवसाय मानक तथा मार्गदर्शन नोट्स एवं आईआरडीएआई द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र।

घ) **ऋण:**

बही मूल्य (चुकौतियों को हटाकर) तथा पूँजीगत ब्याज का समायोजन कर पॉलिसी के बदले ऋण का मूल्यांकन किया जाता है तथा यह किसी भी कमी के अधीन है।

ङ) **भविष्य में विनियोजन के लिए निधि:**

भविष्य में विनियोजनों के लिए शेष राशि ऐसी निधि को प्रदर्शित करती है जो तुलन पत्र तारीख को पॉलिसीधारकों या शेयरधारकों को आबंटित नहीं की गयी है। निधि में अंतरण तथा निधि से अंतरण अधिकता या व्यय से कम आय तथा कंपनी के पॉलिसीधारक की निधि से प्रत्येक लेखांकन अवधि में निकलने वाले विनियोजन को प्रदर्शित करता है। सहभागिता करने वाली पॉलिसियों के संबंध में पॉलिसीधारक को कोई भी आबंटन आवश्यक अनुपात में शेयरधारक को भी अंतरण आवश्यक करेगा।

गैर-सहभागिता वाले समूह वार्षिकी उत्पादों के संबंध में, प्रतिफल की अधिकता, फाइल तथा प्रयोग में परिभाषित, यदि हो, तो उसे वर्ष के दौरान अंतरिम वित्तीय अवधि में भविष्य के विनियोजन के लिए निधि मानी जाती है तथा उक्त को वर्ष के अंत में फाइल में निर्दिष्ट अनुपात में पॉलिसीधारक तथा शेयरधारक के मध्य बाँटा जायेगा।

च) **बंद पॉलिसी निधि:**

बंद पॉलिसी निधि का अर्थ है पृथक् निधि जिसे निम्नलिखित कारणों से अलग रखा गया है :

c) **Policy Liabilities:**

The valuation exercise is done to protect the interests of the existing policyholders. For With Profit policies the reasonable expectations of policyholders (PRE) are also considered. The reserves should be adequate to provide for all the policyholders benefits in various future scenarios. Adequate use of Margin for Adverse Deviation (MAD) is made to ensure that policyholders' benefits are protected even in some plausible adverse scenarios.

Actuarial liability for inforce policies and for those in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined using the gross premium method and in case of group business (except for Credit Life Business and Reverse Mortgage Loan Enabled Annuity where gross premium method is used), the actuarial liabilities have been calculated on the basis of Unearned Premium Reserve method. Linked liabilities comprise unit liability representing the fund value of policies and non-unit liability for meeting insurance claims, expenses etc. The main governing guidelines considered for valuation are the Insurance Act 1938, the IRDA Act 1999, IRDAI (Actuarial Report & Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016, IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations 2016, Actuarial Practice Standards and Guidance notes issued by Institute of Actuaries of India, Circulars issued by IRDAI from time to time.

d) **Loans:**

Loans against policies are valued at the aggregate of book values (net of repayments) plus capitalized interest and are subject to impairment if any. Loans are classified as short term in case the maturity is less than 12 months. Loans other than short term are classified as long term.

e) **Funds for Future Appropriation:**

The balance in the funds for future appropriations account represents funds, the allocation of which, either to policyholders or to shareholders has not been determined at the Balance Sheet date. Transfers to and from the fund reflect the excess or deficit of income over expenses and appropriations in each accounting period arising in the Company's policyholders' funds. In respect of participating policies, any allocation to the policyholders would also give rise to transfer to the shareholders in the required proportion.

In respect of the Non-participating Group Annuity products, the excess returns, if any as defined in file and use, is considered as funds for future appropriation in the interim financial periods during the year and the same would be distributed between policyholders and shareholders in the proportion prescribed in file and use at the year end.

f) **Discontinued Policies fund:**

Discontinued policy fund means the segregated fund that is set aside on account of:

i) अनुबंधित प्रीमियम का भुगतान न करना।

ii) पॉलिसी के बंद करने के विषय में पॉलिसीधारक से कंपनी द्वारा सूचना प्राप्त होने पर।

बंद की गयी पॉलिसियों के लिए निधि का भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बंद की गयी सम्बद्ध बीमा पॉलिसी के साथ व्यवहार) विनियम 2010 तथा उसके बाद जारी परिपत्रों के अनुसार लेखांकन किया जाता है।

5. अग्रिम:

लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार में अग्रिमों को "उत्पादक" और "अनर्जक अग्रिमों" (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

i) इसके अतिरिक्त, लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को अवमानक, संदिग्ध तथा हानि प्राप्त आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ii) घरेलू शाखाओं के संबंध में एनपीए से संबंधित प्रावधान, निम्नलिखित दर पर किये जाते है :

एनपीए की श्रेणी	निवल बकाया अग्रिम पर प्रावधान %
अवमानक आस्ति:*	
एक्सपोज़र, जो आरंभ से गैर जमानती है	25%
आधारभूत संरचना ऋण खातों के संबंध में प्रतिभूतिरहित एक्सपोजर जहां कुछ सुरक्षा प्रावधान जैसे एस्क्रो खाते उपलब्ध हैं (गैर प्रतिभूति इंफ्रा)	20%
अन्य	15%
संदिग्ध :	
जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में ही रहा)	
- एक वर्ष तक	25%
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक	40%
- तीन वर्ष से अधिक	100%
गैर जमानती हिस्सा	100%
हानि	100%

* बकाया अग्रिम पर

iv) विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान संबंधित विदेशी देश में लागू विनियामक आवश्यकताओं अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी कड़े हो, उसके अनुसार होगी।

v) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार निवल अग्रिम के परिकलन हेतु कुल अग्रिमों में से अनर्जक आस्तियो, अप्राप्य ब्याज, इसीजीसी दावा का निपटान इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाएं जाते हैं।

vi) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्निधारित/पुन:संरचित खातों के संबंध में विद्यमान मूल्य स्थिति में आकलित पुनर्संरचित अग्रिम के मूल्य में ह्रास के परित्याग के लिए प्रावधान किया जाता है। निवल अग्रिम के परिकलन हेतु इस प्रावधान को घटाया जाता है।

i) Non-payment of contracted premium

ii) Upon the receipt of the information by the Company from the policyholder about the discontinuance of the policy.

Fund for discontinued policies is accounted in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Treatment of Discontinued Linked Insurance Policies) Regulations 2010 and circulars issued thereafter.

5) ADVANCES:

Advances are classified into “Performing” and “Non-Performing Advances” (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.

i) NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.

ii) Provisions for NPAs are made at the rates given as under:

Category of NPAs	Provision % on net outstanding advance
Sub Standard:*	
Exposures, which are unsecured ab-initio	25%
Unsecured exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available (unsecured – infra)	20%
Others	15%
Doubtful:	
Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category)	
- Upto one year	25%
- One year to three years	40%
- More than three years	100%
Unsecured portion	100%
Loss	100%

* On the outstanding advance

iv) In respect of foreign entities, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to bank, whichever is stringent.

v) Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims, etc., are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

vi) In respect of Rescheduled/Restructured advances, provision is made for the diminution in the fair value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

vii) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेचे जाने के मामले में यदि बिक्री, निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बकाया में से धारित प्रावधान घटाकर) से कम है तो कमी को आरबीआई के समय-समय पर जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो जिस वर्ष राशि प्राप्त होती है उस वर्ष में एनपीए की बिक्री पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते से वापस किया जा सकता है। परंतु अतिरिक्त प्रावधान तब ही वापस किया जाता है जब प्राप्त नकद (केवल आरंभ में विचारित या एसआर /पीटीसी रिडेंपशन के द्वारा) आस्ति के निवल बही मूल्य (एनबीवी) से ज्यादा हो। परंतु कोई भी अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाता है जब आस्ति का निवल बही मूल्य(एनबीवी) प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल द्वारा/अथवा एसआरएस/पीटीसी का रीडेम्पशन) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक सीमित होगा।

viii) मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनःसंरचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों का प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं के मामलों में मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, संबन्धित विदेशी देशों में लागू विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी कड़े हों, उसके अनुसार होगी।

xi) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल निधिक देशी एक्सपोज़र के लिए श्रेणीबद्ध स्केल पर प्रावधान किया जाता है।

6) अस्थायी प्रावधान:

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित की जाने वाली अस्थायी प्रावधान की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग, नीति में निर्धारित केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है।

7) डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वाइंट :

बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवार्ड पॉइंट का प्रावधान एक्चवेरीयल आकलन के आधार किया जाता है और क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट के लिए प्रावधान संचित बकाया पॉइंट के आधार पर किया जाता है।

8) निवेश :

क) सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहार को निपटान तारीख पर मान्यता दी जाती है और अन्य सभी निवेशों को कारोबार की तारीख पर मान्यता दी जाती है।

ख) निवेशों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'परिपक्वता तक धारित', 'कारोबार के लिए धारित' और 'बिक्री हेतु धारित' श्रेणियों में किया गया है। भारत में किए गए निवेशों के प्रकटन के उद्देश्य से इन्हें आरबीआई दिशानिर्देशों और बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार छह वर्गों के तहत वर्गीकृत किया जाता है जैसे

i) सरकारी प्रतिभूतियाँ,
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां,
iii) शेयर,
iv) डिबेंचर और बॉंड,

vii) In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is debited to the Profit and Loss account as per the extant RBI guidelines issued from time to time. If the sale is at a price higher than the NBV, the excess provision on sale of NPAs may be reversed to profit and loss account in the year the amounts is received. However, any excess provision is reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SR's/ PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset

viii) Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines. In respect of foreign entities provision for Standard Assets is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to the Bank, whichever is stringent.

ix) Provision for net funded country exposures (Direct/ Indirect) is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

6) FLOATING PROVISION:

The bank has framed a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes.

7) DEBIT/CREDIT CARD REWARD POINTS:

Provision for reward points in relation to debit cards is provided for on actuarial estimates and Provision for reward points on credit cards is made based on the accumulated outstanding points.

8) INVESTMENTS:

a) Transactions in Government Securities are recognised on settlement date and all other Investments are recognised on trade date.

b) Investments are categorised under `Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. For the purpose of disclosure of Investments, these are classified in accordance with RBI guidelines & Banking Regulation Act 1949, under six categories viz.

i) Government Securities,
ii) Other Approved Securities,
iii) Shares,
iv) Debentures and Bonds,

v) अनुषंगियों और सहायक कंपनियों में निवेश और

vi) अन्य।

क. वर्गीकरण का आधार

निवेश का वर्गीकरण उसके अर्जन के समय किया जाता है।

(i) परिपक्वता तक धारित

इसमें ऐसे निवेश हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में किए गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) कारोबार के लिए धारित

इसमें ऐसे निवेश है जिन्हें अल्प मियादी मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ लेते हुए कारोबार के इरादे से अर्जन किया जाता है। खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर इसका कारोबार किया जाता है।

(iii) बिक्री के लिए उपलब्ध

ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण "परिपक्वता तक धारित" अथवा 'कारोबार के लिए धारित' रूप में नहीं किया हैं, उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

ख. निवेश का अधिग्रहण लागत

(i) इक्विटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति संव्यवहार कर इत्यादि लागत में शामिल है।

(ii) ब्रोकरेज, कमीशन, डेब्ट निवेश पर भुगतान/प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को आय/व्यय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता है।

(iii) निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन को लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

ग. मूल्यांकन का तरीका

भारत में निवेशों का मूल्यांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं में रखे गये निवेशों को संबंधित देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार मूल्य अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य, इन दोनों में जो भी कम हो उसके अनुसार किया जाता है।

ट्रेज़री बिल और वाणिज्यिक पत्रों (सी.पी.) को कैरिंग कॉस्ट (अर्थात् प्राप्त करने की लागत में, प्राप्त करते समय लागू दर में उपचित बट्टा को जोड़कर) पर मूल्यांकित किया जाता है।

(i) परिपक्वता तक धारित:

1. इस श्रेणी के तहत निवेशों को उनके अर्जन लागत, परिशोधन को घटाकर, यदि कोई हो, पर लिया जाता है। अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत, यदि कोई हो, को सतत अर्जन पद्धति का उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है। प्रीमियम का इस प्रकार परिशोधन, आय में 'निवेश पर ब्याज' शीर्ष के तहत समायोजित किया जाता है।

v) Subsidiaries and Joint Ventures and

vi) Others.

A. Basis of categorisation:

Categorisation of an investment is done at the time of its acquisition.

(i) Held to Maturity:

These comprise investments that the Bank intends to hold till maturity. Investments in equity of subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

(ii) Held for Trading:

These comprise investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. Securities are to be sold within 90 days from the purchase date.

(iii) Available for Sale:

These comprise investments which do not fall either under "Held to Maturity" or "Held for Trading" category.

B. Acquisition Cost of Investment:

(i) Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.

(ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as expense/income and is excluded from cost/sale consideration.

(iii) Brokerage and commission, if any, received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.

C. Method of valuation:

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Treasury Bills and all others discounted instruments are valued at carrying cost (i.e. acquisition cost plus discount accrued at the rate prevailing at the time of acquisition)

(i) Held to Maturity:

1. Investments included in this category are carried at their acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortised over the remaining period of maturity using constant yield method. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".

2. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों (भारत और विदेश दोनों में) में निवेश, पूर्व के लागत के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है सिवाय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश के जिन्हें कैरिंग कॉस्ट पर (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया जाता है। अस्थायी को छोड़कर प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग ह्रास (डिमिन्युशन) के लिए प्रावधान किया जाता है।

(ii) कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध :

1. इस श्रेणी के तहत निवेशों का मूल्यांकन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य अथवा उचित मूल्य पर एक-एक करके निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी के प्रत्येक वर्गीकरण में केवल निवल मूल्यह्रास लगाया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं रखा जाता है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान के संबंध में, बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के पश्चात एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।

"कारोबार के लिए धारित" और "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणियों में उद्धृत किए गए निवेश के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार दर/भाव, भारतीय प्राथमिक डीलर संघ (पीडीएआई) /निर्धारित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (एफआईएमएमडीए)/ फाइनान्शियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेश के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है :

वर्गीकरण	मूल्यांकन का आधार
सरकारी प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर	ब्रेक अप वैल्यू पर नवीनतम तुलन पत्र (18 महीनों से अधिक पुरानी नहीं), अन्यथा प्रति कंपनी रु. 1
अधिमान्य शेयर	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
पीएसयू/कॉर्पोरेट बॉन्ड	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
म्यूचुअल फंड के यूनिट	नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर
उद्यम पूँजी निधि (वीसीएफ)	18 महीनों से पुरानी नहीं ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी। यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो रु.1 प्रति वीसीएफ।
प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएवी पर जो 6 माह से अधिक पुरानी न हो।

घ. विभिन्न श्रेणियों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण:

(i) एचटीएम से एएफएस/एचएफटी -

क. यदि किसी डिस्काउंट पर मूलतः प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी में रखा गया था तो इसे अधिग्रहण कीमत/बही मूल्य पर अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का

2. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e. book value). Suitable provision is made for diminution, other than of temporary nature, for each investment individually.

(ii) Held for Trading / Available for Sale:

1. Investments under these categories are individually valued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines and only the net depreciation in each classification for each category is provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)/ Financial Benchmark India Pvt. Ltd. (FBIL) are used. Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

Classification	Basis of Valuation
Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	at break up value as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise Re.1 per company.
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU/Corporate Bonds	on Yield to Maturity basis
Units of Mutual Funds	at the latest repurchase price/NAV declared by the fund in respect of each scheme
Units of Venture Capital Funds (VCF)	declared NAV or break up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at Re. 1/- per VCF.
Security Receipts	at NAV as declared by Securitisation Companies which is not more than 6 months old.

D. Transfer of Securities between Categories:

(i) HTM to AFS/HFT :

a. If the security was originally placed under the HTM category at a discount it is transferred at the acquisition price / book value. After transfer,

तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

ख. यदि किसी प्रीमियम पर प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी में रखा गया था तो इसे एमोर्टाइज्ड लागत पर एएफएस/एचएफटी श्रेणी में अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

(ii) एएसएस/एचएफटी से एचटीएम में अंतरण : बही मूल्य या बाजार मूल्य में से जो कि कम हो उस पर एएफएस, एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण किया जाता है। यदि अंतरण के समय बाजारमूल्य बही मूल्य से ज्यादा होता है तो बढ़ोत्तरी को नजर अंदाज किया जाता है। यदि बही मूल्य से बाजार मूल्य कम होता है तो वैसी प्रतिभूति के लिए किये गये मूल्यह्रास के प्रावधान को समायोजित किया जाता है एवं बही मूल्य को बाजार मूल्य तक कम किया जाता है तथा प्रतिभूति को बाजारमूल्य पर अंतरित किया जाता है।

(iii) एएफएस से एचएफटी तथा इसके विपरीत :एएफएस से एचएफटी श्रेणी या इसके विपरीत प्रतिभूति अंतरित करने के मामले में अंतरण की तारीख पर प्रतिभूतियों का पुनः मूल्यांकन नहीं किया जाता है तथा रखे गये संकलित मूल्यह्रास का प्रावधान, यदि कुछ हो तो एचएफटी प्रतिभूतियां या इसके विपरीत, जैसा मामला हो इनके विरुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान में अंतरित किया जाता है।

ङ. अनर्जक निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन:

(i) निवेशों को अर्जक और अनर्जक में वर्गीकृत किया जाता है जो घरेलू कार्यालयों के मामले में आरबीआई और विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित होते हैं।

(ii) अनर्जक निवेशों के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान किया जाता है।

(iii) परिपक्व एनपीआई को अनुसूची 11 में "अन्य आस्तियों" के अंतर्गत दिखाया गया है। (प्रावधान घटाकर)

च. रेपो/रिवर्स रेपो:

रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन संपार्शिक उधार और उधार के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि प्रतिभूतियों का अंतरण वैसे ही किया जाता है जैसे सामान्य सीधी बिक्री/खरीद संव्यवहार के मामले में होता है और ऐसी प्रतिभूतियों का आवागमन रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग द्वारा होता है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है। लागत तथा राजस्व का लेखांकन, जैसा भी मामला हो, ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। तुलन पत्र में रेपो खाते में शेष को उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया और रिवर्स रेपो खाते में शेष को बैंक के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

छ. आस्तियों के विरुद्ध प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश

परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.बीसी. 9/21.04.048/2016-17 दिनांक 01 सितंबर 2016 के द्वारा जारी आरबीआई के

these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

b. If the security was originally placed in the HTM category at a premium, it is transferred to the AFS / HFT category at the amortised cost. After transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

(ii) AFS/HFT TO HTM: Transfer of scrips from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation held against this security is adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.

(iii) AFS TO HFT AND VICE-VERSA : In the case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer and the provisions for the accumulated depreciation, if any, held are transferred to the provisions for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

E. Non performing Investments (NPIs) and valuation thereof:

(i) Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices.

(ii) In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

(iii) Matured NPIs are shown under 'Other Assets' Schedule-11 (Net of Provision).

F. Repo / Reverse Repo:

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice in the balance sheet.

G. Investment in Security Receipts (SRs) backed by assets:-

In terms of RBI guidelines issued vide circular no DBR. No.BP.BC.9/21.04.048/2016-17 dated September 01,

दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने 01 अप्रैल 2018 से प्रतिभूतीकरण के अंतर्गत एसआर के संबंध में मूल्यांकन पद्धति में संशोधन किया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार यदि बैंक के द्वारा बेची गयी दबावग्रस्त आस्तियों के विरुद्ध एसआर की मात्रा प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत जारी तथा बेची गयी आस्तियों के विरुद्ध एसआर के संपूर्ण पोर्टफोलियो से 10 प्रतिशत से ज्यादा होती है तो निम्नलिखित में से जो भी ज्यादा हो उसके अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान होगा:

अ. एससी/आरसी के द्वारा घोषित किये गये निवल आस्ति मूल्य की शर्तों के अनुसार आवश्यक प्रावधानों के दर पर; तथा

आ. यह मानकर कि कल्पित रूप से ऋण बैंक की बही में जारी रहा, अंतर्निहित ऋणों पर लागू दर पर प्रावधान।

जब बैंक के द्वारा एआरसी को बेची गयी वित्तीय संपत्ति के संबंध में एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद/पास-थ्रू प्रमाणपत्र में बैंक निवेश करता है तो निम्नलिखित में से जो भी कम होगा उसके अनुसार बैंक की बही में बिक्री को पहचाना जायेगा :

- प्रतिभूति रसीद/पास-थ्रू प्रमाणपत्र का मोचन मूल्य
- वित्तीय आस्ति का निवल बही मूल्य

ज ब तक उपर्युक्त की बिक्री या वसूली न हो जाय तब तक उपर्युक्त विधि से निर्धारित कीमत पर बैंक की बही में उपर्युक्त निवेश जारी रहेगा।

2016, the bank has revised valuation methodology in respect of SRs under securitization, with effect from April 01, 2018. As per the revised guidelines, if the quantum of SRs backed by stressed assets sold by the bank exceeds 10% of entire portfolio of SRs backed by sold assets issued under that securitization, provision for depreciation will be higher of the following;

a. provisioning at a rate required in terms of net asset value declared by the SCs/RCs; and

b. provisioning at a rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank.

When Bank invests in the security receipts/ pass-through certificates issued by ARC in respect of the financial assets sold by the Bank to the ARC, the sale will be recognized in books of the bank at the lower of:

- the redemption value of the security receipts/ pass-through certificates, and
- the Net Book Value of the financial asset.

The above investment will be carried in the books of the bank at a price as determined above until its sale or realization.

डेरिवेटिव्स.

वर्तमान में बैंक, ब्याज दर एवं करेंसी डेरिवेटिव में फॉरेक्स वायदा संविदा का कार्य करता है। बैंक द्वारा किया जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव हैं - रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर। बैंक द्वारा किये जा रहे मुद्रा डेरिवेटिव हैं - करेन्सी स्वैप तथा करेन्सी फ्यूचर। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, डेरिवेटिव को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है :

(क) हेज/नॉन हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहारों को अलग-अलग रिकॉर्ड किया जाता है।

(ख) हेजिंग डेरिवेटिव पर आय/व्यय, उपचय आधार पर लेखांकित होती है।

(ग) फॉरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और परिणामतः लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

(घ) हेजिंग डेरिवेटिव की एमटीएम बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन)/ मूल्यह्रास होने पर सर्वप्रथम इनके संबंधित अंडरलाइंग आस्ति के मूल्यह्रास/बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन) से इसका समंजन (सेट ऑफ) किया जाता है तथा इसके परिणाम से निकले मूल्यह्रास को निर्धारित किया जाता है। यदि उक्त के परिणाम स्वरूप बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन) निकलता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

(ङ) ट्रेडिंग के उद्देश्य से, विनिमय व्यापार डेरिवेटिव के अलावा ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव को बाजार मूल्य पर (एमटीएम) अंकित किया जाता है और परिणामतः हानि, यदि कोई हो तो, उसे लाभ एवं हानि के रूप में निर्धारित किया जाता है। लाभ, यदि कोई हो तो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

9. DERIVATIVE

The Bank presently deals Forex Forward Contracts in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(a) The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

(b) Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

(c) Forex forward contracts are Marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(d) MTM appreciation/ depreciation of hedging derivative is first set off with the depreciation / appreciation of the corresponding underlying and the resultant depreciation is recognized. Resultant appreciation, if any, is ignored.

(e) Interest Rate Derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit if any, is ignored.

(च) ट्रेडिंग के उद्देश्य से प्रविष्ट, विनिमय व्यापार डेरिवेटिव का, विनिमय द्वारा प्रदत्त दरों के आधार पर, प्रचलित मार्केट दरों पर मूल्यांकन किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

(छ) ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण से लाभ/हानियों को, निरस्तीकरण तिथि पर आय/व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है। हेजिंग स्वैप के निरस्तीकरण पर, किसी भी लाभ/हानि को उस समय स्थगित किया जाता है तथा संविदा के अनुसार स्वैप की शेष अवधि या निर्दिष्ट आस्ति/देयता की अवधि - इन दोनों में जो भी कम हो, उस काल खंड में उसे निर्धारित किया जाता है।

(ज) ऑप्शन संविदा की परिपक्वता अवधि पर ऑप्शन शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

10. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण:

क. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामलों के अतिरिक्त, जिन्हें पुनर्मूल्यांकित रकम पर ही बताया जाता है, अचल आस्तियों को पूर्व के लागत के आधार पर बताया है। पुनर्मूल्यांकन से आयी वृद्धि (एप्रीसिएशन) को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में जमा किया जाता है।

ख. लागत में शामिल है - खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले या उसे पहले प्रयोग योग्य बनाने के लिए स्थान संबंधी तैयारी की संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय। उपयोग की जा रही आस्तियों पर किए गए उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाएगा जब ऐसी आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।

ग. 5 वर्ष से कम आकलित उपयोगी जीवन वाली आस्तियों को छोड़कर, सभी आस्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है (यथा कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा साइकल) जहाँ आस्ति की पूरी लागत, उपयोगी जीवन के ऊपर परिशोधित है।

घ. मूल्यह्रास की दर तथा मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका नीचे दिया गया है -

(f) Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(g) Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(h) Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

10. PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

a. Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued, which are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

b. Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees, etc. incurred on the asset before it is put to use or capable of put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

c. 5% residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life less than 5 Years (eg. Computers, Computer Software and Cycles), where the entire cost of the assets is amortised over the useful life.

d. The rates of depreciation and method of charging depreciation is given below-

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	मूल्यह्रास की दर Rate of Depreciation	बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन Estimated useful life as determined by the Bank	मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका Method of charging depreciation
1	भवन एवं भूमि	Land & Building:			
1.a.	भूमि (फ्री होल्ड)	Land (Freehold)	शून्य NIL		
1.b.	पट्टाधारित भूमि	Leasehold Land		पट्टे की अवधि में लीज प्रीमियम परिशोधित की जाती है। Lease premium is amortised over the period of lease	
1.c.	भवन (भूमि की लागत सहित यदि पहले निर्धारित नहीं की गयी है)	Building (including cost of land if not ascertained separately)	1.58%	60 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
2.	अन्य अचल आस्तियां:-	Other Fixed Assets:-			
a.	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipment	9.50%	10 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
b.	इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	Electrical Fitting and Equipment	9.50%	10 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
c.	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	Air-conditioning plants, etc. and business machines	6.33%	15 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	मूल्यह्रास की दर Rate of Depreciation	बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन Estimated useful life as determined by the Bank	मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका Method of charging depreciation
d.	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	Motor cars, Vans & Motor cycles	11.88%	8 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
e.	साइकल	Cycle	20.00%	5 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
f.	कम्प्यूटर तथा कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग है।	Computers and Computer Software forming integral part of hardware	33.33%	3 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
g.	कम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है।	Computer Software, not embedded in hardware	खरीदी के वर्ष में 100% in the Year of acquisition	-	आरबीआई द्वारा यथा निर्धारित As prescribed by RBI

ङ. वर्ष के दौरान, खरीद/बिक्री के संबंध में मूल्य ह्रास को, जितने दिनों के लिए संबंधित आस्ति का प्रयोग किया गया, उसके आनुपातिक आधार पर परिकलित किया जाता है।

च. आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के समय यथा मूल्यांकित, संबंधित आस्ति के बचे हुए उपयोगी जीवन में पुनर्मूल्यांकित अंश का मूल्यह्रास लिया जाता है। ऐसे मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि पर प्रभारित किया जाता है और इसके बराबर की राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरित किया जाता है।

छ. भारत के बाहर की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास, सीधी आरेख पद्धति पर आधारित होता है, उन स्थानों को छोड़कर जहाँ स्थानीय संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा अलग दर/पद्धति निर्धारित की गयी है।

11. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार :

विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन, आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के साथ पठित लेखामानक (एएस)11, ''विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव'' के अनुरूप किया जाता है:

क) समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:

भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालनों के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

i) विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को, रिपोर्टिंग मुद्रा में, आरंभिक मान्यता पर रिकार्ड किया जाता है। ऐसा, कॉगजेन्सिस/रायटर के पृष्ठ में प्रदर्शित साप्ताहिक औसत क्लोजिंग दर पर, रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाकर किया जाता है।

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती हैं।

iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें, जो पूर्व के लागत के अनुसार की जाती हैं उन्हें संव्यवहार की तारीख पर विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

e. In respect of additions/sale during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year.

f. The revalued portion is depreciated over the balance useful life of the assets as assessed at the time of revaluation. Such depreciation is charged to Profit & loss account and equivalent amount is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

g. Depreciation on fixed assets outside India is provided on Straight Line Method, except at the centres where different rates/method have been prescribed by the local statutory authorities.

11. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" read with extant RBI guidelines:

a) Translation in respect of Integral Foreign operations:

Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

i) Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the daily closing rate as available from Cogencis/ Reuter's page.

ii) Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.

iii) Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) विदेशी मुद्रा में रखी गई आकस्मिक देयताओं को एफईडीएआई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट किया जाता है।

v) बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का, निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामतः लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

vi) एफईडीएआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा, उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित किया जाता है।

vii) मौद्रिक मदों के निपटान में, आरंभ में रिकार्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को, उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुई।

viii) मुद्रा वादा बाजार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसी प्राप्ति/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

ख) समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण: विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :

i) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ-साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर स्पष्ट किया जाता है।

ii) आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर एफईडीएआई द्वारा सूचित "तिमाही औसतन क्लोजिंग दर" पर स्पष्ट किया जाता है।

iii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते - "विदेशी मुद्रा स्पष्टीकरण रिजर्व" में संचित किया जाता है।

iv) विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में आंका जाता है।

12. कर्मचारी लाभ :

i. अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की बट्टाकृत रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान, कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है। इसे कर्मचारी द्वारा दी जा रही सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

iv) Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting notional profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.

vi) Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate as advised by FEDAI. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii) Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii) Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the Profit and Loss account.

b) Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:

Transactions and balances of foreign entities are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

i) Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.

ii) Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.

iii) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign entities.

iv) The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

12. EMPLOYEE BENEFITS:

i. Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

ii. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ :

क. परिनिश्चित लाभ योजना:

ए. उपदान (ग्रैच्युटी)

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रैच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दी जाती है। यह राशि प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय 15 दिनों के बेसिक वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम 1972 अथवा बीओआई (कर्मचारी) उपदान नियम, 1975 में निर्धारित अधिकतम राशि में जो भी अधिक हो के अधीन है। पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वेस्टिंग होती है। बैंक निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन ट्रस्टी द्वारा किया जाता है जो तिमाही रूप में एक स्वतंत्र बाह्य ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन पर आधारित है।

बी. पेंशन

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियत के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है। नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई (कर्मचारी) पेंशन विनियमन,1995 के अनुसार बैंक पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता स्वतंत्र ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन पर आधारित है जो तिमाही रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के तहत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

ख. परिनिश्चित अंशदान योजना :

ए. भविष्य निधि:

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक के भविष्य निधि योजना के तहत लाभ पाने का हक है। बैंक एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करती है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

बी. पेंशन

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करता है। बैंक ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को प्रेषित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक सीमित है।

ग. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

सभी पात्र कर्मचारी निम्नलिखित के पात्र हैं -

i) छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिभाषित लाभ दायित्व है, एएस 15 - "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

ii. Long Term Employee Benefits:

A. Defined Benefit Plan

a. Gratuity

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act, 1972 or Bank of India Gratuity Fund Rules, 1975, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent actuarial valuation carried out quarterly.

b. Pension

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of Bank of India (Employees) Pension regulations, 1995. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out quarterly and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

A. Defined Contribution Plan:

a. Provident Fund

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

b. Pension

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

c. Other Long term Employee Benefits:

All eligible employees are entitled to the following-

i.) Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 – "Employee Benefits".

ii) अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन एवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, आकस्मिक लाभ इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व है जो एएस 15 - "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

iii) विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं सहायक कंपनियों के मामलों में प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना संबंधित देशों में विद्यमान कानून के आधार पर की जाती है।

13. प्रति शेयर अर्जन :

क) एएस 20 "अर्जन प्रति शेयर" के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर, बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन रिपोर्ट की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर की गणना, मूल अर्जन की कर पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से भाग कर की जाती है।

ख) प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की गणना, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया तरल संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लेकर की जाती है।

14. आय पर कर :

क) बैंक ग्रुप द्वारा किये गये, वर्तमान कर तथा आस्थागित कर के व्यय की कुल राशि आयकर व्यय है। आयकर अधिनियम, 1961 तथा लेखांकन मानक 22 - "आय पर करों के लिए लेखांकन'' के प्रावधानों अनुसार क्रमशः वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय का निर्धारण किया जाता है। इसमें विदेशी कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर कानूनों पर आधारित भुगतान किये गये करों को ध्यान में रखा जाता है।

ख) आस्थगन कर समायोजन में वर्ष के दौरान स्थगित कर आस्ति या देयता में परिवर्तन शामिल होता है। वर्तमान वर्ष हेतु कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच अंतर तथा हानि को आगे ले जाने पर समय के प्रभाव पर विचार करते हुए आस्थगित कर आस्ति एवं देयताओं को निर्धारित किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को लागू या पूर्णतः लागू कर दर तथा कर कानून का प्रयोग कर आस्थगित कर आस्तियाँ तथा देयताएँ तय की जाती हैं। आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का प्रभाव लाभ तथा हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

ग) प्रबंधन के निर्णय के अनुसार यदि उगाही निश्चित है तो प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित कर आस्तियाँ, निर्धारित एवं पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं। अनवशोषित मूल्यह्रास तथा कर हानि को आगे ले जाने पर आस्थगित कर आस्ति को तब ही निर्धारित किया जाता है जब इस बात के ठोस और निश्चित प्रमाण हों कि भविष्य के कर योग्य आय के विरुद्ध आस्थगित कर आस्ति की उगाही की जा सकती है।

घ) समेकित वित्तीय विवरणी में, आय कर व्यय, मूल तथा उसकी अनुषंगी/संयुक्त उपक्रम के संबंध में लागू कानूनों के अनुसार उनकी पृथक वित्तीय विवरणियों में प्रदर्शित कर व्ययों की राशि का कुल योग है।

ii.) Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, sick leave etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 – "Employee Benefits".

iii.) In respect of overseas branches, offices and subsidiaries, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

13. EARNINGS PER SHARE:

a) Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

b) Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

14. TAXES ON INCOME:

a) Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the BOI group. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

b) Deferred Tax adjustments comprise changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognised by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

c) Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future taxable income.

d) In consolidated Financial Statement, income tax expenses are the aggregate of the amounts of tax expense appearing in the separate financial statements of the parent and its subsidiaries/joint ventures, as per their applicable laws.

15) आस्तियों का ह्रास

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि, यदि कोई हो, तो एएस 28 "आस्तियों का ह्रास" के अनुरूप लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि, पुनर्मूल्यित आस्ति पर ह्रासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता, उस हद तक है जहां तक एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम ह्रासित हानि से अधिक न हो।

16) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां :

एएस 29 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां'' के अनुसार बैंक प्रावधानों को तभी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो और यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों का बहिर्गमनों की दायित्वों को निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है।

17) शेयर जारी करने हेतु व्यय :

जिस वर्ष में शेयर जारी किया जाता है, उस वर्ष शेयर जारी करने के व्यय को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

15) IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 “Impairment of Assets”. However, an impairment loss on revalued assets is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

16) PROVISIONS, CONTINGENT LIABLITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per AS 29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

17) SHARE ISSUE EXPENSES:

Share issue expenses are charged to the Profit and Loss Account in the year of issue of shares.

अनुसूची 18

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो सभी आंकडे ₹ करोड़ों में हैं। कोष्ठक में दिए आंकडे पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

समेकित वित्तीय विवरणपत्रों के भाग रूप नोट्स

1. अनुषंगियों (सब्सिडीरिज) के विवरण निम्नानुसार हैं जिनके वित्तीय विवरणपत्र बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक) के एकल वित्तीय विवरण पत्र के साथ समेकित हैं :

अनुषंगियों का नाम		निगमन (इन्कॉर्पोरेशन) देश	यथा 31.03.2020 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2019 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
स्वदेशी अनुषंगियां :				
क	बीओआई शेयरहोल्डिंग लि.	भारत	100%	100%
ख	बीओआई अक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि.	भारत	51%	51%
ग	बीओआई अक्सा ट्रस्टी सर्विसेज प्रा.लि	भारत	51%	51%
घ	बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि.	भारत	100%	100%
विदेशी अनुषंगियां:				
क	पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके	इंडोनेशिया	76%	76%
ख	बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लिमिटेड	तंजानियां	100%	100%
ग	बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैन्ड) लिमिटेड	न्यूजीलैन्ड	100%	100%
घ	बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड	युगांडा	100%	100%
ङ	बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लिमिटेड (22.11.2019 को बेची)	बोत्स्वाना	-	100%

2. समेकित विवरण पत्रों में विचार की गयी सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमियों के विवरण इस प्रकार है:

(i) सहयोगी:

सहयोगियों के नाम		निगमन देश	यथा 31.03.2020 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2019 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
क	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-			
	i) झारखण्ड ग्रामीण बैंक	भारत	-	35%
	ii) मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक (पहले नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक)	भारत	35%	35%
	iii) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	भारत	35%	35%
	iv) आर्यावर्त बैंक (पहले आर्यावर्त ग्रामीण बैंक)	भारत	35%	35%
ख	इंडो जाम्बिया बैंक लि.	जाम्बिया	20%	20%
ग	एसटीसीआई फाइनैन्स लिमिटेड	भारत	29.96%	29.96%
घ	एएसआरईसी (इंडिया) लि.	भारत	26.02%	26.02%

SCHEDULE 18

All figures are in ₹ Crore unless specifically stated. Figures in Brackets relate to previous year.

NOTES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. Particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of Bank of India (the Parent bank) are as under:

Name of Subsidiaries		Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2020	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2019
Domestic Subsidiaries:				
a)	BOI Shareholding Ltd.	India	100%	100%
b)	BOI AXA Investment Managers Pvt Ltd.	India	51%	51%
c)	BOI AXA Trustee Services Pvt Ltd.	India	51%	51%
d)	BOI Merchant Bankers Ltd	India	100%	100%
Overseas Subsidiaries:				
a)	PT Bank of India Indonesia Tbk	Indonesia	76%	76%
b)	Bank of India (Tanzania) Ltd.	Tanzania	100%	100%
c)	Bank of India (New Zealand) Ltd.	New Zealand	100%	100%
d)	Bank of India (Uganda) Ltd.	Uganda	100%	100%
e)	Bank of India (Botswana) Ltd. (sold on 22.11.2019)	Botswana	-	100%

2. Particulars of associates and joint venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

(i) Associates:

Name of Associates		Country of Incorpo-ration	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2020	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2019
a)	Regional Rural Banks-			
	i) Jharkhand Gramin Bank	India	-	35%
	ii) Madhya Pradesh Gramin Bank (erstwhile Narmada Jhabua Gramin Bank)	India	35%	35%
	iii) Vidharbha Konkan Gramin Bank	India	35%	35%
	iv) Aryavart Bank (erstwhile Gramin Bank of Aryavart)	India	35%	35%
b)	Indo Zambia Bank Limited	Zambia	20%	20%
c)	STCI Finance Ltd.	India	29.96%	29.96%
d)	ASREC (India) Ltd.	India	26.02%	26.02%

(ii) **संयुक्त उद्यम:**

संयुक्त उद्यमों के नाम	निगमन देश	यथा 31.03.2020 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2019 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि.	भारत	28.96%	28.96%

3. इन अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमियों एवं सहयोगियों के विवरणपत्र जो समेकन में इस्तेमाल किए जाते हैं मूल बैंक की यथा रिपोर्टिंग तारीख अर्थात 31 मार्च, 2020 तक बनाए गए हैं, सिवाय एक सहायक कंपनी - इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड (आईज़ेडबीएल) के। आईज़ेडबीएल के वित्तीय विवरण 31 दिसंबर, 2019 तक तैयार किए गए थे और 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार रिपोर्ट नहीं किए गए थे।

4. स्वदेशी अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमियों / सहयोगियों के मामले में, मूल बैंक और उनके द्वारा अपनायी गयी भिन्न-भिन्न लेखांकन पॉलिसियों के कारण उत्पन्न लेखागत समायोजन अनुषंगियों / संयुक्त उद्यम / सहयोगियों द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर किए गए है।

5. समेकित वित्तीय विवरण पत्र निम्न के आधार पर तैयार किए गए हैं :

(i) पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके के यथा 31.03.2020 के वित्तीय विवरण पत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और निगमन देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

(ii) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) के यथा 31.03.2020 के वित्तीय विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और निगमन देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

(iii) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. के यथा 31.03.2020 के वित्तीय विवरणपत्र निगमन देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप लेखा-परीक्षित किए गए हैं।

(iv) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. के यथा 31.03.2020 के वित्तीय विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

(v) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि., बीओआई एक्सा इंवेस्टमेंट मैनेजर प्रा.लि., बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसीज प्रा.लि., बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि., मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, एसटीसीआई फाइनेन्स लि. तथा स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरंस कंपनी लि. के 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए और इंडो जाम्बिया बैंक लि., के बारह माह 31.12. 2019 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र हैं।

(vi) एएसआरईसी (इंडिया) लि. के 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उनके प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र हैं।

6. वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक रु.10/- प्रति शेयर के 51,76,33,928 इक्विटी शेयरों का अधिमनी आबंटन किया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

(ii) Joint Venture:

Name of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2020	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2019
Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited	India	28.96%	28.96%

3. The financial statements of the subsidiaries, joint ventures and associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of the Parent Bank i.e. 31st March 2020 except for an associate Indo Zambia Bank Limited (IZBL). IZBL's financial statements are prepared upto 31st December 2019 and its management has reported no significant transactions for the quarter ended 31st March 2020.

4. In case of subsidiaries/joint venture/associates, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by them and the Parent Bank have been carried out on the basis of data provided by subsidiaries/joint venture/associates.

5. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of :

(i) Financial statements of PT Bank of India Indonesia Tbk as on 31.03.2020 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(ii) Financial statements of Bank of India (Tanzania) Ltd. as on 31.03.2020 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(iii) Financial statements of Bank of India (New Zealand) Ltd. as on 31.03.2020 duly audited as per the local requirements of the country of incorporation.

(iv) Financial statements of Bank of India (Uganda) Ltd. as on 31.03.2020 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(v) Audited financial statements of BOI Shareholding Ltd., BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd., BOI AXA Trustee Services Pvt. Ltd., BOI Merchant Bankers Ltd., Madhya Pradesh Gramin Bank, Vidharbha Konkan Gramin Bank, Aryavart Bank, STCI Finance Ltd. & Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd. for the financial year ended 31.03.2020 and Indo Zambia Bank Ltd. for the twelve months ended 31.12.2019.

(vi) Unaudited financial statements of ASREC (India) Ltd., for the financial year ended 31.03.2020 certified by their management.

6. During the year, Parent Bank has made preferential allotment of 51,76,33,928 equity shares of ₹ 10 each, in accordance with the provisions of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009:-

आबंटन की तारीख	शेयर धारक का नाम	इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रति शेयर इश्यू मूल्य (रू.में)	राशि	आबंटन की तारीख
21.02.2019	भारत सरकार	51,76,33,928	89.60	4,638.00*	20.04.2019
	कुल	**51,76,33,928**		**4,638.00**	

* आरबीआई पत्र सं. डीबीआर.सीओ.बीपी.सं.8307/ 21.01.002/2018-19 दिनांक 2 अप्रैल, 2019 के संदर्भ में 21 फरवरी, 2019 को रु.4,638 की शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई और सीईटी-1 पूंजी यथा 31 मार्च,2019 की गणना पर विचार किया गया।

7. भारत सरकार ने अपने साप्ताहिक राजपत्र अधिसूचना दिनांक 31 मार्च,2019-6 अप्रैल, 2019 के माध्यम को प्राधिकृत पूंजी को रु.3,000 (रुपये तीन हजार) से बढ़ाकर रु.6,000 (रुपये छः हजार) कर दिया।

8. मूल बैंक के संबंध में, अनुषंगी बही खातों का समतुलन, विदेशी शाखाओं, आंतर कार्यालय खातों, नोस्ट्रो खातों, उचंत, संदेय ड्राफ्ट, समाशोधन अन्तरों,अन्य ऑफिस इत्यादि के साथ शेष राशियों की पुष्टि/समाधान का कार्य सतत आधार पर प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में उपरोक्त का लम्बित अंतिम समाशोधन/समायोजन का वित्तीय विवरणों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है ।

9. भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में, 01.04.2019 से निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का समामेलन प्रभावी हुआ है :

हस्तांतरणकर्ता आरआरबी का नाम	हस्तांतरणकर्ता आरआरबी का प्रायोजक बैंक	आरआरबी के समामेलन के बाद नया नाम	हस्तांतरिती आरआरबी का प्रायोजक बैंक
नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ़ इंडिया	मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ़ इंडिया
सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया		
आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ़ इंडिया	आर्यावर्त बैंक	बैंक ऑफ़ इंडिया
इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक	इलाहाबाद बैंक		
झारखण्ड ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ़ इंडिया	झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया
वनानचल ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया		

इसके अतिरिक्त, डीएफएस के पत्र दिनांक 4 जनवरी, 2018 तथा 20 दिसम्बर 2018 के आधार पर प्रायोजक बैंकों के स्टेक के हस्तांतरण को शेयर के अंकित मूल्य पर लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान बैंक को रु.29.79 की निवल हानि हुई, जिसे समेकित वित्तीय परिणाम में "सहयोगियों के अर्जन /(हानि) का शेयर" के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा इसके साथ ही रु.46.77 की निवल पूंजी आरक्षिति निर्धारित की है।

10. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणपत्र के बारे में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है:

Date of Capital Infusion	Name of the Shareholder	No. of equity shares	Issue price per share (in ₹)	Amount	Date of Allotment
21.02.2019	Government of India	51,76,33,928	89.60	4,638.00*	20.04.2019
	Total	**51,76,33,928**		**4,638.00**	

* In terms of RBI letter no. DBR.CO.BP. No. 8307/21.01.002/2018-19 dated April 2, 2019, the share application money of ₹ 4,638 received on February 21, 2019 has been considered for computation of CET 1 capital as on March 31, 2019.

7. The Govt. of India vide their weekly Gazette Notification dated March 31, 2019 - April 6, 2019 increased the authorised capital from ₹ 3,000 (Rupees Three Thousand) to ₹ 6,000 (Rupees Six Thousand).

8. In respect of the Parent bank, balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/reconciliation of balances with foreign branches, Inter-office accounts, NOSTRO Accounts, Suspense, Draft Payable, Clearing Difference, other office accounts, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of pending final clearance/ adjustment of the above, is not likely to be significant.

9. In accordance with notification issued by Govt. of India, the following amalgamations have taken place between the Regional Rural Banks (RRBs) w.e.f. 01.04.2019:

Name of the Transferor RRBs	Sponsor Bank of Transferor RRBs	New name after amalgamation of RRB	Sponsor Bank of Transferee RRBs
Narmada Jhabua Gramin Bank	Bank of India	Madhya Pradesh Gramin Bank	Bank of India
Central Madhya Pradesh Gramin Bank	Central Bank of India		
Gramin Bank of Aryavart	Bank of India	Aryavart Bank	Bank of India
Allahabad UP Gramin Bank	Allahabad Bank		
Jharkhand Gramin Bank	Bank of India	Jharkhand Rajya Gramin Bank	State Bank of India
Vananchal Gramin Bank	State Bank of India		

Further, by virtue of DFS letter dated 4th January 2018 and 20th December 2018 the transfer of the stake of Sponsor Banks is taken at face value of the shares, as a result during the year Bank has recognized net loss of ₹ 29.79 which is included under the head “Share of earnings/(loss) in associates” in the Consolidated Financial Result and also recognized net Capital Reserve of ₹ 46.77.

10. The following information is disclosed in respect of consolidated financial statements in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India:

ए) पूँजी:

क्र. स.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
i)	सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी अनुपात (सीईटी-1) (%)	10.55%	11.71%
ii)	टियर - I पूंजी अनुपात (%)	10.57%	11.77%
iii)	टियर - II पूंजी अनुपात (%)	3.17%	3.09%
iv)	कुल अनुपात पूंजी - (CRAR) (%)	13.74%	14.86%
v)	भारत सरकार की शेयर धारिता का प्रतिशत	89.10%	87.05%
vi)	वर्ष के दौरान प्राप्त ईक्विटी पूंजी राशि	*4,638.00	10,746.80
vii)	शेयर आवेदन राशि आंबटन के लिए लबिंत	0.00	4,638.00
viii)	वर्ष के दौरान टियर - I पूंजी के रूप में प्राप्त राशि अर्थात पीडीआई	0.00	0.00
	क) पीएनसीपीस	0.00	0.00
	b) पीडीआई	0.00	0.00
ix)	वर्ष के दौरान टियर - II राशि अर्थात डेट कैपिटल इन्स्ट्रूमेंट		
	a) डेट कैपिटल इन्स्ट्रूमेंट	0.00	0.00
	b) पीसीपीएस/आरएनसीपीस/आरसीपीएस	0.00	0.00

* वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रु. 4,638 की शेयर आबंटित राशि प्राप्त हुई थी तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आबंटन किया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.83/ 21.06.201/ 2015-16 दिनांक 1 मार्च, 2016 के अनुरूप, बैंक ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31 मार्च, 2020 के परिकलन में पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती, विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती और आस्थगित कर पर विचार किया है।

टियर - I पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया नवोन्मेष सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष में वर्धित	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बेसल III)
2010-11	आईपीडीआई	300.00	60.00
	कुल	**300.00**	**60.00**

टियर II पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया टियर II लिखतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष में वर्धित	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना(बासेल III)
2010-11	अपर टियर II	1,000.00	200.00
2013-14	टियर II	1,500.00	900.00
2015-16	टियर II	3,000.00	3,000.00
2016-17	टियर II	2,500.00	2,500.00
	कुल	**8,000.00**	**6,600.00**

बैंक ने कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया है तथा 28 जुलाई, 2019 को रु.500 राशि के अपर टियर II बॉण्ड सीरिज III तथा 28 अगस्त, 2019 को रु.500 राशि की सीरीज IV तथा 20 जनवरी, 2020 को रु.1,000 राशि के अपर टियर II बॉण्ड सीरिज V को रिडीम किया है। मूल बैंक ने भी 9 दिसम्बर, 2019 को ₹ 325 राशि के इन्नोवेटिव पर्पेचुअल बॉण्ड (आईपीडीआई) सीरिज V को रीडिम करने के लिए कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया है।

a) Capital:

Sr. No.	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET-1) (%)	10.55%	11.71%
ii)	Tier-I Capital ratio (%)	10.57%	11.77%
iii)	Tier-II Capital ratio (%)	3.17%	3.09%
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)	13.74%	14.86%
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India	89.10%	87.05%
vi)	Amount of Equity Capital Raised during the year	*4,638.00	10,746.80
vii)	Share application money pending for allotment	0.00	4,638.00
viii)	Amount of Additional Tier-1 capital raised during the year i.e. PDI	0.00	0.00
	a) PNCPS	0.00	0.00
	b) PDI	0.00	0.00
ix)	Amount of Tier-II capital raised i.e. Debt Capital Instruments, during the year		
	a) Debt capital instruments	0.00	0.00
	B) PCPS / RNCPS / RCPS	0.00	0.00

* The Share application money of ₹ 4,638 was received in FY 2018-19 and allotment was made in FY 2019-20.

Pursuant to RBI Circular No. DBR.No.BP. BC.83/21.06.201/2015-16 dated March 1, 2016, the parent bank has considered revaluation reserve, foreign currency translation reserve and deferred tax assets in calculation of Capital adequacy Ratios as on March 31, 2020.

Details of outstanding Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) raised to augment Tier-I capital are as under:

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2010-11	IPDI	300.00	60.00
	Total	**300.00**	**60.00**

Details of outstanding Tier-II Instruments raised to augment Tier-II capital are as under:

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2010-11	Upper Tier-II	1,000.00	200.00
2013-14	Tier-II	1,500.00	900.00
2015-16	Tier-II	3,000.00	3,000.00
2016-17	Tier-II	2,500.00	2,500.00
	Total	**8,000.00**	**6,600.00**

The parent bank has exercised call option and redeemed Upper Tier II Bonds Series III Amounting to ₹ 500 on July 28, 2019, Series IV amounting to ₹ 500 on August 28, 2019 and Upper Tier II Bonds Series V amounting to ₹ 1,000 on January 20, 2020. The Parent Bank has also exercised call option to redeem Innovative Perpetual Bonds (IPDI) Series V amounting to ₹ 325 on December 9, 2019.

बैंक ने भी 11 जून, 2020 को कॉल ऑप्शन का प्रयोग करके रु.1,000 राशि के अपर टियर- II बॉण्ड सीरिज VI को रिडीम किया है। उपर्युक्त को यथा 31 मार्च, 2020 को टियर- II पूंजी की गणना में रु.200 की सीमा तक शामिल किया गया है।

(बी) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:

मदें	2019-20	2018-19
एनपीए के लिए प्रावधान	14,446.24	15,815.14
निवेशों के मूल्य में ह्रास	341.92	1,065.69
कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	(-)1,640.42	(-)3,161.00
मानक आस्तियों पर प्रावधान	872.05	126.79
अन्य प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों सहित)	505.41	(-)154.51
कुल	**14,525.20**	**13,692.11**

(सी) फ्लोटिंग प्रावधान - (मूल बैंक)

विवरण	2019-20	2018-19
प्रारम्भिक शेष	232.22	232.22
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
अंतिम शेष	232.22	232.22

(डी) आय कर - (मूल बैंक)

I. मूल बैंक के संबंध में आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत ऋण के रूप में अभिस्वीकृत न किए गए बैंक के विभिन्न दावों में रु. 581.40 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 631.93 करोड़) की विवादित आय कर/ब्याज कर देयता शामिल है जिसके लिए ऐसे विवादों पर विगत निर्धारणों के लिए विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। ऐसे विवादित देयों के विभिन्न भुगतान/समायोजन अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के तहत शामिल हैं।

II. लागू कर विधियों के प्रावधान तथा कुछ विवादित मामलों पर प्रासंगिक विधिक निर्णयों को ध्यान में रखने के बाद कर के लिए प्रावधान निकाला गया है।

(ई) अनुषंगियों के संबंध में मूल बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित और लेखापरीक्षकों द्वारा आश्वासित)

वर्ष 2019-20 के दौरान,मूल बैंक ने अनुषंगियाँ की ओर से किसी भी प्रकार का चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है। वर्ष 2011-12 के दौरान, मूल बैंक ने अपनी पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी, बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. के बारे में, उसकी वित्तीय वचनबद्धताओं, यदि कोई देय होती हैं, को पूरा करने के लिए गवर्नर, बैंक ऑफ बोत्स्वाना को एक वचनबंध जारी किया है।

वर्ष 2010-11 के दौरान मूल बैंक ने, रॉयल बैंक ऑफ न्यूज़ीलैंड के पक्ष में, उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बीओआई (न्यूज़ीलैंड) के लिए उसके वित्तीय दायित्वों, यदि वे देय होते हैं, को पूरा करने के लिए पैरेन्टल गारन्टी जारी की है।

यथा 31.03.2020 को उक्त वचनबद्धताओं पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं आया है।

11. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) के अनुरूप किए गए प्रकटन:

ए. लेखांकन मानक - 5 अवधि के लिए निवल लाभ/हानि, पूर्व अवधि मदें एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन :

(i) पूर्व अवधि मद :

वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि मद नहीं है।

Bank has also redeemed Upper Tier-II Bonds Series VI for an amount of ₹ 1,000 by exercising call option on June 11, 2020. The same has been considered in calculation of Tier II capital as on March 31, 2020 to the extent of ₹ 200.

(b) Provisions and Contingencies:

Items	2019-20	2018-19
Provision for NPA	14,446.24	15,815.14
Depreciation in Value of Investments	341.92	1,065.69
Provision for Taxation (including deferred tax)	(-)1,640.42	(-)3,161.00
Provision on Standard Assets	872.05	126.79
Other Provisions (including floating provisions)	505.41	(-)154.51
Total	**14,525.20**	**13,692.11**

(c) Floating Provisions - (Parent Bank)

Particulars	2019-20	2018-19
Opening Balance	232.22	232.22
Additions during the year	0.00	0.00
Reductions during the year	0.00	0.00
Closing Balance	232.22	232.22

(d) Income-Tax – (Parent Bank)

I. Claims against the Bank not acknowledged as debt appearing under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹ 581.40 (previous year ₹ 631.93) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions in respect of past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

II. Provision for taxes has been arrived at after due consideration of the provisions of the applicable tax laws and relevant judicial decisions on certain disputed issues.

e) Disclosure of Letter of comfort issued by the Parent bank for subsidiaries (As compiled by Management)

During the year 2019-20, the Parent bank has not issued any letter of comforts on behalf of Subsidiaries. During the year 2011-12, the Parent Bank has issued an undertaking to the Governor, Bank Botswana in respect of its wholly owned subsidiary, Bank of India (Botswana) Ltd to meet its financial commitments if they fall due.

During the year 2010-11, the Parent Bank issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand, for its wholly owned subsidiary, BOI (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2020 no financial obligations have arisen on the above commitments.

11. Disclosures in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):

A. AS – 5 Net Profit / loss for the period, Prior Period Items and changes in accounting policies:

(i) Prior Period Items:

There are no material prior period items during the year.

(ii) लेखांकन नीति में परिवर्तन (एएस-5) : वर्ष 2019-20 के दौरान लेखांकन नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(ii) Change in Accounting Policy (AS-5): There was no change in the accounting policy during the year 2019-20.

बी . लेखांकन मानक 15 - "कर्मचारी लाभ" (मूल बैंक)

B. AS-15 " Employee Benefits" (Parent Bank)

क्रम सं. Sr. No	विवरण	Particulars	FY 2019-20		FY 2018-19	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(i)	**प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक पूर्वानुमान :**	**Principal actuarial assumptions used:**				
	वर्तमान छूट दर	Discount Rate	6.82%	6.59%	7.79%	7.48%
	आयोजन आस्तियों पर प्रतिफल दर	Rate of Return on Plan Assets	8.65%	8.62%	7.38%	8.28%
	वर्तमान वेतन वृद्धि	Salary Escalation Current	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	संघर्षण दर	Attrition Rate	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
(ii)	**लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शानेवाली तालिका**	**Table showing change in benefit obligation:**				
	अवधि के प्रारंभ में देयता	Liability at the beginning of the period	1,683.78	14,709.20	1,754.54	13,716.87
	ब्याज लागत	Interest Cost	102.87	925.49	124.14	979.58
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	75.36	729.39	65.58	656.28
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	350.68	1,330.55	321.93	1,241.69
	दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि	Actuarial (gain)/loss on Obligation	236.48	1,032.39	61.45	598.16
	वर्ष के अंत में देयता	**Liability at the end of the year**	**1,747.81**	**16,065.92**	**1,683.78**	**14,709.20**
(iii)	**प्लान एसेट्स के उचित मूल्य की तालिका:**	**Table of Fair value of Plan Assets:**				
	अवधि प्रारंभ में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the-				
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Beginning of the period	1,592.38	14,314.88	1,319.42	13,330.64
	अंशदान	Expected return on Plan Assets	137.74	1,233.94	97.37	1,103.78
	प्रदत्त लाभ	Contributions	335.84	1,405.03	490.87	1,077.76
	प्लान एसेट्स पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Benefit Paid	350.68	1,330.55	321.93	1,241.69
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट् का उचित मूल्य	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(-)65.81	204.30	6.65	44.39
	मानने योग्य कुल बीमांकिक लाभ/(हानि)	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,649.47	15,827.60	1,592.38	14,314.88
		Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised	**(-)302.29**	**(-)828.09**	**(-)54.80**	**(-)553.77**
(iv)	**प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल :**	**Actual return on Plan Assets:**				
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	137.74	1,233.94	97.37	1,103.78
	प्लान एसेट्स पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(-)65.81	204.30	6.65	44.39
	प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल	**Actual return on Plan Assets**	**71.93**	**1,438.24**	**104.02**	**1,148.17**
(v)	**तुलन पत्र में मान्य राशि :**	**Amount recognised in the Balance Sheet:**				
	अवधि के अंत में देयता	Liability at the end of the period	1,747.81	16,065.92	1,683.78	14,709.20
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य अंतर	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,649.47	15,827.60	1,592.38	14,314.88
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in the Balance Sheet**	**98.34**	**238.32**	**91.40**	**394.32**
(vi)	**आय विवरण-पत्र में मान्य व्यय :**	**Expenses recognised in the Income-Statement:**				
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	75.36	729.39	65.58	656.28
	ब्याज लागत	Interest Cost	102.87	925.49	124.14	979.58
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	(-)137.74	(-)1,233.94	(-)97.37	(-)1,103.78
	विगत वर्षों के मान्य व्यय	Expenses recognized relating to prior years	0.00	0.00	0.00	0.00
	मान्य परिवर्तन देयता	Recognition of Transition Liability	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमांकिक (लाभ) या हानि	Actuarial (Gain) or Loss	302.29	828.09	54.80	553.77
	लाभ एवं हानि में मान्य व्यय	Expense Recognised in P & L	342.78	1,249.03	147.15	1,085.85
	अपरिशोधित व्यय (लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित नहीं)	**Unamortised expenses (not charged to P&L Account)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(vii)	**तुलन पत्र समाधान :**	**Balance Sheet Reconciliation:**				
	प्रारंभिक निवल देयता (तुलन पत्र में मान्य की गई विगत अवधि की निवल राशि)	Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet)	91.39	394.32	435.11	386.23
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	Expenses as above	342.78	1,249.03	147.15	1,085.85
	नियोक्ता का अंशदान	Employer's Contribution	(-)335.83	(-)1,405.03	(-) 490.87	(-)1,077.76
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in Balance Sheet**	**98.34**	**238.32**	**91.39**	**394.32**

क्रम सं. Sr. No	विवरण	Particulars	FY 2019-20		FY 2018-19	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(viii)	**आस्तियों का प्रवर्ग** **:	**Category of Assets** **:**				
	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	Government of India Securities	73.99	2,192.01	71.88	1,986.75
	इक्विटी	Equity	0.00	161.97	0.00	196.25
	कार्पोरेट बॉण्ड	Corporate Bonds	142.46	4,605.86	176.03	4,102.59
	राज्य सरकार	State Government	300.91	5,012.41	340.09	4,504.91
	अन्य	Other	1,132.11	3,855.35	1,004.38	3,524.37
	कुल	**Total**	**1,649.47**	**15,827.60**	**1,592.38**	**14,314.87**
(ix)	**अनुभव समायोजन : प्लान देयता पर (लाभ)/हानि**	**Experience Adjustment:** On Plan Liability (Gain)/Loss	(-)86.04	808.90	54.03	546.91
	प्लान एसेट पर (हानि)/लाभ	**On Plan Asset (Loss)/Gain**	**100.21**	**155.64**	**14.29**	**37.73**

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ * :

विवरण	31.03.2020		31.03.2019	
	देयता	वर्ष में किया गया प्रावधान	देयता	वर्ष में किया गया प्रावधान
अवकाश नकदीकरण	846.05	54.62	791.43	83.02
अवकाश यात्रा छूट	62.09	(-)1.87	63.97	6.27
पुनर्वास लाभ	7.87	0.64	7.23	(-)0.21
माइलस्टोन अवार्ड	4.49	0.26	4.24	(-)0.14
चिकित्सा अवकाश**	3.00	0.00	3.00	0.00

* अन्य दीर्घावधि लाभ के लिए बीमांकिक अनुमान ग्रेच्युटी के लिए प्रयुक्त के समान ही है।

मूल बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि के जो एक परिनिश्चित अंशदान योजना है, के लिए रू. 161.42 (विगत वर्ष रू. 134.80) का अंशदान दिया है।

** बैंक ने अब तक पूरी बीमारी छुट्टी अर्थात पूरी बकाया अवकाश शेष की देयता को मान्यता प्रदान किया है। बीमारी की छुट्टी के संबंध में कर्मचारी लाभ कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश नोट (एएस-15) - (2005 में संशोधित) के अनुरूप, इस संबंध में देयता को कर्मचारियों द्वारा ऐसी छुट्टी लिए जाने की संभावना के आधार पर इसे मान्य किया है।

मूल बैंक के श्रेष्ठतम अनुमान के अनुसार तुलन पत्र की तारीख के बाद वार्षिक अवधि के दौरान पेन्शन के लिए रु. 756.04 (विगत वर्ष रु. 823.14 और ग्रैच्युटी के लिए रु 428.10 (विगत वर्ष रु. 212.31) का अंशदान किए जाने की संभावना है।

योजना में अधिशेष/घाटा:

विवरण	ग्रैच्युटी योजना				
	वि.व. 2019-20	वि.व. 2018-19	वि.व. 2017-18	वि.व. 2016-17	वि.व. 2015-16
परिभाषित लाभ देयता	1,747.81	1,683.78	1,754.54	1,410.08	1,370.70
प्लान आस्तियां	1,649.47	1,592.38	1,319.42	1,360.32	1,223.87
अमान्य संक्रमणशील देयता	0.00	0.00	326.34	0.00	0.00

Other long term employee benefits*

Particulars	31.03.2020		31.03.2019	
	Liability	Provisions made/ (w/back) during the year	Liability	Provisions made/ (w/back) during the year
Leave Encashment	846.05	54.62	791.43	83.02
Leave Travel Concession	62.09	(-)1.87	63.97	6.27
Resettlement Benefits	7.87	0.64	7.23	(-)0.21
Milestone Awards	4.49	0.26	4.24	(-)0.14
Sick Leave**	3.00	0.00	3.00	0.00

* The actuarial assumptions for other long term benefits are same which are used for Gratuity.

The Parent bank has recognised contribution to employees' Provident Fund/Defined contribution scheme as an expense. During the year, the Parent Bank has contributed ₹ 161.42 (Previous Year ₹ 134.80) towards such fund which is a defined contribution plan.

** The Parent bank has been recognising the liability of sick leave to full extent hitherto i.e. entire outstanding leave balance. In line with the Guidance Note on implementation of Employee Benefits (AS-15) - (revised 2005) in respect of Sick Leave, the liability in this regard is recognised based on probability of availing such leaves by employees.

The Parent bank's best estimate of contributions expected to be paid during the annual period beginning after the Balance sheet date, towards Pension is ₹ 756.04 (Previous Year ₹ 823.14) and towards Gratuity is ₹ 428.10 (Previous Year: ₹ 212.31).

Surplus/ Deficit in the Plan:

Particular	Gratuity Plan				
	FY 2019-20	FY 2018-19	FY 2017-18	FY 2016-17	FY 2015-16
Defined benefit obligation	1,747.81	1,683.78	1,754.54	1,410.08	1,370.70
Plan assets	1,649.47	1,592.38	1,319.42	1,360.32	1,223.87
Unrecognised Transitional liability	0.00	0.00	326.34	0.00	0.00

विवरण	ग्रैच्युटी योजना				
	वि.व. 2019-20	वि.व. 2018-19	वि.व. 2017-18	वि.व. 2016-17	वि.व. 2015-16
अधिशेष / (घाटा)	**98.35**	**91.40**	**108.78**	**(-)49.76**	**(-)146.83**
प्लान देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	(-)86.04	54.03	(-)22.79	38.41	146.31
प्लान आस्ति (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	100.21	14.29	(-)4.76	1.71	(-)6.41

विवरण	पेन्शन योजना				
	वि.व. 2019-20	वि.व. 2018-19	वि.व. 2017-18	वि.व. 2016-17	वि.व. 2015-16
परिभाषित लाभ देयता	16,056.92	14,709.20	13,716.87	12,851.12	11,076.48
प्लान आस्तियां	15,827.60	14,314.88	13,330.64	12,321.80	10,515.60
अमान्य संक्रमणशील देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष / (घाटा)	(-)238.32	(-)394.32	(-)386.23	(-)529.32	(-)560.88
प्लान देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	808.90	546.91	(-)66.62	198.92	930.23
प्लान आस्ति (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	155.64	37.73	33.27	103.05	101.74

Particular	Gratuity Plan				
	FY 2019-20	FY 2018-19	FY 2017-18	FY 2016-17	FY 2015-16
Surplus/(deficit)	**98.35**	**91.40**	**108.78**	**(-)49.76**	**(-)146.83**
Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	(-)86.04	54.03	(-)22.79	38.41	146.31
Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain	100.21	14.29	(-)4.76	1.71	(-)6.41

Particular	Pension Plan				
	FY 2019-20	FY 2018-19	FY 2017-18	FY 2016-17	FY 2015-16
Defined benefit obligation	16,056.92	14,709.20	13,716.87	12,851.12	11,076.48
Plan assets	15,827.60	14,314.88	13,330.64	12,321.80	10,515.60
Unrecognised Transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/(deficit)	(-)238.32	(-)394.32	(-)386.23	(-)529.32	(-)560.88
Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/ Loss	808.90	546.91	(-)66.62	198.92	930.23
Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/ Gain	155.64	37.73	33.27	103.05	101.74

(सी) लेखांकन मानक 17 - "खंड रिपोर्ट करना"

भाग क: कारोबार खण्ड

(C) AS-17 "Segment Reporting"

Part A: Business Segment

कारोबार खण्ड	Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		कुल Total	
		2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
राजस्व	Revenue	15,229.21	13,605.51	17,953.98	15,319.33	16,137.92	16,660.94	49,321.11	45,585.78
गैर-आबंटित राजस्व	Unallocated Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	203.60	473.80
अंतर खंड राजस्व	Inter Segment Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125.05	263.85
कुल राजस्व	Total Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49,399.66	45,795.73
परिणाम	**Results**	**4,106.86**	**1,861.99**	**(-)8,537.03**	**(-)10,462.20**	**755.90**	**953.00**	**(-)3,674.27**	**(-)7,647.21**
गैर-आबंटित व्यय	Unallocated Expenses	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	(-)1,017.19	(-)940.36
कर पूर्व लाभ/ (हानि)	Profit/(Loss) Before Tax	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	(-)4,691.46	(-)8,587.57
आयकर	Income Tax	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	(-)1,640.42	(-)3,161.00
असाधारण लाभ/हानि	Extraordinary profit/loss	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0.00	0.00
निवल लाभ	**Net Profit**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**(-)3,051.04**	**(-)5,426.57**
अन्य जानकारी :	Other Information:								
खंड आस्तियां	**Segment Assets**	**236,699.52**	**240,775.39**	**239,264.83**	**214,175.60**	**157,280.34**	**148,307.76**	**633,244.69**	**603,258.75**
गैरआबंटित आस्तियां	Unallocated Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29,774.15	27,625.16
कुल आस्तियां	**Total Assets**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**663,018.84**	**630,883.91**
खंड देयताएं	Segment Liabilities	227,077.33	229,093.29	257,652.67	230,500.49	125,147.64	116,941.54	609,877.64	576,535.32
गैर आबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8,068.05	6,696.64
कुल देयताएं	**Total Liabilities**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**617,945.69**	**583,231.96**

नोट : गैर बैंकिंग अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों से संबंधित सूचना को गैर-आबंटित खंड के अंतर्गत शामिल किया गया है।
Note: Information in respect of Non-Banking subsidiaries/joint venture has been included under unallocated segment.

भाग ख : भौगोलिक खण्ड
Part B: Geographical Segment

भौगोलिक खण्ड	Geographical Segments	स्वदेशी Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
विवरण	Particulars	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2019-18
राजस्व	Revenue	45,057.67	40,464.06	4,341.99	5,331.67	49,399.66	45,795.73
आस्तियां	Assets	5,66,995.92	5,13,247.23	96,022.92	1,17,636.68	6,63,018.84	6,30,883.91

बीओआई समूह ने एएस 17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप कारोबारी खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को गौण खंड के रूप में मान्यता दी है।

I. प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

क) कोषागार परिचालन : खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

ख) थोक बैंकिंग : थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ग) खुदरा बैंकिंग : खुदरा बैंकिंग में वह निवेश सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं :

i) एक्सपोजर : अधिकतम कुल एक्सपोजर रु.5 करोड़ तक।

ii) कुल वार्षिक टर्नओवर रु.50 करोड़ से कम अर्थात मौजूदा कम्पनियों के मामले में विगत 3 वर्षों का औसत टर्नओवर और नई कम्पनियों के लिए पूर्वानुमानित टर्नओवर है।

घ) अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण:

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाराशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

ङ) लागत का विनियोजन :

- विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।
- विशेष खण्ड को सीधे न प्रदान किए गए व्ययों को कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

II. गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

The BOI group has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with AS-17.

I. Primary Segment: Business Segments

a) Treasury Operations: 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.

b) Wholesale Banking: Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.

c) Retail Banking : Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:

i) Exposure – The maximum aggregate exposure up to ₹ 5

ii) The total annual turnover is less than ₹ 50 i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

d) Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

e) Allocation of Costs

- Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment
- Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees / business managed.

II. Secondary Segment: Geographical Segments

a) Domestic Operations

b) International Operations

(डी) लेखांकन मानक-18 "संव्यवहारों से संबंधित पक्षकार" (मूल बैंक) :

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ:	श्री अतनु कुमार दास (20.01.2020 से) श्री दीनबंधु मोहापात्रा (30.06.2019 को सेवानिवृत्त)
कार्यपालक निदेशक गण:	श्री सी. जी. चैतन्य श्री पी. आर. राजगोपाल (18.03.2020 से) श्री अतनु कुमार दास (19.01.2020 तक) श्री नीलम दामोदरन (30.11.2019 को सेवानिवृत्त)

(D) AS-18 "Related Party Transactions" (Parent Bank):

Key Managerial Personnel:

Managing Director & CEO:	Shri Atanu Kumar Das (from 20.01.2020) Shri Dinabandhu Mohapatra (superannuated on 30.06.2019)
Executive Directors:	Shri C. G. Chaitanya Shri P. R. Rajagopal (from 18.03.2020) Shri Atanu Kumar Das (up to 19.01.2020) Shri Neelam Damodharan (superannuated on 30.11.2019)

प्रदत्त पारिश्रमिक :

Remuneration paid:

(रु.में)/(in ₹)

क्र. सं. Sr. No	विवरण	Name	2019-20	2018-19
1	श्री दीनबंधु मोहापात्रा	Shri Dinabandhu Mohapatra	8,57,839	29,07,051
2	श्री अतनु कुमार दास	Shri Atanu Kumar Das	27,92,421	25,61,116
3	श्री नीलम दामोदरन	Shri Neelam Damodharan	17,66,707	25,33,503
4	श्री सी.जी. चैतन्य	Shri C.G. Chaitanya	26,90,263	24,74,949
5	श्री पी.आर. राजगोपाल	Shri P. R. Rajagopal	89,146	0

लेखांकन मानक-18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंक-ग्राहक रिश्ते की प्रकृति स्वरूप संव्यवहारों, जिसमें महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों एवं उनके रिश्तेदारों के साथ संव्यवहार शामिल हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है क्यों कि ऐसा प्रकटन गोपनीयता संबंधी बैंक के कर्तव्यों के प्रतिकूल होगा।

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship, including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed, since the disclosure would conflict with Bank's duties of confidentiality.

(ई) लेखांकन मानक 19 - "पट्टा वित्तपोषण" (मूल बैंक): शून्य

(E) AS19 "Lease Financing" (Parent Bank): Nil

(एफ) लेखांकन मानक 20 - "प्रति शेयर अर्जन" रुपयों में:

(F) AS20 "Earnings per Share" in ₹:

आधारभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन:

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.:

क्र. सं.	विवरण	S. No.	Particulars	2019-20	2018-19
(क)	इक्विटी शेयाधारकों को प्रदान करने योग्य वर्ष के लिए निवल लाभ (रु करोड़) (ए)	(A)	Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders	(-)3,051.04	(-)5,426.57
(ख)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (रु करोड़)(बी)	(B)	Weighted Average Number of Equity shares (in crore)	325.01	186.22
(ग)	मूलभूत एवं तनुकृत आय (ए/बी) (रु.)	(C)	*Basic & Diluted Earnings per Share (A/B) (`)	(-)9.39	(-)29.14
(घ)	प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (रु.)	(D)	Nominal Value per Equity Share (`)	10.00	10.00

* Basic and Diluted E.P.S. are same as there are no dilutive potential equity shares.

* आधारभूत एवं तनुकृत ई.पी.एस. समान ही है क्योंकि मंदी संभाव्य इक्विटी शेयर नहीं है।

(जी) लेखांकन मानक 22 - "आय पर करों के लिए लेखाकंन" :

(G) AS-22 "Accounting for Taxes on Income":

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

The Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

विवरण	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
आस्थगित कर आस्तियां	Deferred Tax Assets		
प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	On account of timing difference towards provisions	15,131.49	13,171.31
अन्य	Others	626.24	715.81

विवरण	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
कुल आस्थगित कर आस्तियां	**Total Deferred Tax Assets**	**15,757.73**	**13,887.12**
आस्थगित कर देयता	**Deferred Tax Liabilities**		
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण	On account of depreciation on fixed assets	286.98	265.72
निवेश पर मूल्यह्रास के कारण	On account of depreciation on investment	0.00	0.00
प्रोदभूत ब्याज जो देय नहीं हैं के कारण	On account of interest accrued but not due	952.07	927.38
अन्य	Others	759.97	761.16
कुल आस्थगित कर देयताएं	**Total Deferred Tax Liabilities**	**1,999.02**	**1,954.26**
निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	**Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)**	**13,758.71**	**11,932.86**

(एच) लेखांकन मानक 24 - बट्टाकरण परिचालन :

भारत सरकार के निर्देशों अनुरूप एवं परिचालनों को तर्क संगत बनाने के लिए कार्यनीतिक पहल के भाग के रूप में, मूल बैंक ने वर्ष के दौरान विदेशी अनुषंगियां जैसे बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. को बेच दिया, जिसके के लिए रु. 14.64 की राशि प्राप्त हुई। रु. 19.18 के निवेश की बची हुई लागत का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

(आई) लेखांकन मानक-27 "संयुक्त उद्यमों में निवेश की वित्तीय रिपोर्टिंग":

निवेश में शामिल हैं रू.75 (पिछल वर्ष रू. 75) निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित ईकाई में बैंक की ब्याज का प्रतिनिधित्व :-

क्र. सं.	कंपनी का नाम	राशि	निगमन देश	होल्डिंग %
1	स्टार यूनियन दाई इची जीवन बीमा कंपनी लि.,	75	भारत	28.96%

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
देयताएं		
पूंजी एवं आरक्षितियां	190.24	173.80
जमाराशियां	-	-
उधार	-	-
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	2,607.69	2,349.17
कुल	**2,797.93**	**2,522.97**
आस्तियां		
भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी और शेष राशियां	10.62	38.16
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	-	-
निवेश	2,640.40	2,313.18
अग्रिम	3.03	2.44
अचल आस्तियां	6.77	4.98
अन्य आस्तियां	137.11	164.21
कुल	**2,797.93**	**2,522.97**
पूंजीगत बाध्यताएं	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएं	20.99	25.66

(H) Accounting Standard 24 - Discontinuing Operations: In consonance with the Government if india directives and as a part of strategic initiatives forrationalisation of Overseas Operations, dring the year the parent Bank has sold its overseas subsidiary i.e. Bank of India (Botswana) Ltd. for which consideration received is ₹ 14.64. The remaining cost of investment of ₹ 19.18 is fully provided.

(I) AS-27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures":

Investments include ₹ 75 (Previous year ₹ 75) representing Parent Bank's interest in the following jointly controlled entity:

Sr. No.	Name of the Company	Amount	Country of incorpo-ration	Holding %
1	Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd.	75	India	28.96%

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Liabilities		
Capital & Reserves	190.24	173.80
Deposits	-	-
Borrowings	-	-
Other Liabilities & Provisions	2,607.69	2,349.17
Total	**2,797.93**	**2,522.97**
Assets		
Cash and Balances with Reserve Bank of India	10.62	38.16
Balances with Banks and Money at call and short notice	-	-
Investments	2,640.40	2,313.18
Advances	3.03	2.44
Fixed Assets	6.77	4.98
Other Assets	137.11	164.21
Total	**2,797.93**	**2,522.97**
Capital Commitments	-	-

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
आय		
अर्जित ब्याज	10.39	9.22
अन्य आय	29.75	29.77
कुल	**40.14**	**38.99**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	-	-
परिचालन व्यय	13.27	8.54
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	9.71	1.05
कुल	**22.98**	**9.59**
लाभ / (हानि)	**17.16**	**29.40**

(जे) लेखांकन मानक-29 : "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां": (मूल बैंक)

क. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार चढाव

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएं*	
	2019-20	2018-19
प्रारंभिक शेष	100.28	96.43
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.87	3.85
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	1.96	0.00
अंतिम शेष	99.19	100.28
बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं	समझौते/क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन	

* अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर

ख. आकस्मिक देयताएं

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता करने/ न्यायालय के बाहर समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग जैसा भी मामला हो पर क्रमश: निर्भर करता हे। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

12. अन्य नोट :

(ए) जीवन-बीमा संयुक्त उद्यम के निवेशों का लेखा, बैंक के द्वारा पालन की जा रही लेखाकंन नीति के स्थान पर आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार रखा गया है। यथा 31 मार्च 2020 को कुल निवेश का लगभग 1.63% (विगत वर्ष 1.53%) बीमा संयुक्त उद्यम के निवेश से तैयार हुआ है।

(बी) भारत सरकार ने कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115बीएए को स्पष्ट किया है, जो घरेलू कंपनियों को विशेष शर्तों के अध्यधीन 1 अप्रैल 2019 से कम दर पर कॉरपोरेट कर के भुगतान का गैर-वापसी विकल्प प्रदान करता है। मूल बैंक ने आयकर अधिनियम के पूर्व के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की धारा 115बीएए के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प का मूल्यांकन किया है तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु आय पर कर को मानना जारी रखा है।

(सी) पूरे विश्व में कोविड-19 के प्रसार से आर्थिक गतिविधि में कमी आयी है तथा वित्तीय बाजारों में अस्थिरता में वृद्धि हुई है। स्थिति अनिश्चित बनी हुई है तथा मूल बैंक लगातार आधार पर स्थिति

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Other Contingent Liabilities	20.99	25.66
Income		
Interest Earned	10.39	9.22
Other Income	29.75	29.77
Total	**40.14**	**38.99**
Expenditure		
Interest Expended	-	-
Operating Expenses	13.27	8.54
Provisions & Contingencies	9.71	1.05
Total	**22.98**	**9.59**
Profit / (Loss)	**17.16**	**29.40**

(J) AS-29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets": (Parent Bank)

A. Movement of Provisions for contingent liabilities

Particulars	Legal cases/contingencies*	
	2019-20	2018-19
Opening Balance	100.28	96.43
Provided during the year	0.87	3.85
Amounts used during the year	1.96	0.00
Closing Balance	99.19	100.28
Timing of outflow/uncertainties	Outflow on settlement / crystallization	

*Excluding provisions for others

B. Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

12. Other Notes:

a) The investments of life insurance joint venture have been accounted for in accordance with the IRDAI guidelines instead of restating the same in accordance with the accounting policy followed by the Bank. The investments of the insurance joint venture constitute approximately 1.63% (previous year 1.53%) of the total investments as on 31st March, 2020.

b) Government of India has pronounced section 115BAA of Income Tax Act 1961 through Taxation Laws (Amendment) Act, 2019 which provides domestic companies a non-reversible option to pay corporate tax at reduced rate effective 1st April, 2019 subject to certain conditions. The Parent Bank has evaluated the options available under section 115BAA of the Act and opted to continue to recognise the taxes on income for the year ended 31st March, 2020 as per the earlier provisions of Income-tax Act.

c) The spread of COVID-19 across the globe has resulted in decline in economic activity and increase in volatility in financial markets. The situation continues

का मूल्यांकन कर रहा है। मूल बैंक के लिए मुख्य चुनौती नकदी प्रवाह में अस्थिरता से उत्पन्न होगी। इन घटनाओं तथा स्थितियों के बावजूद, संस्था की निरंतरता के आधार पर तथा भविष्य में मूल बैंक के परिणाम पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र सं. डीओआर सं.बीपी. बीसी.47/21.04.048/2019-20 दिनांक 27.03.2020; डीओआर.सं.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 दिनांक 17.04.2020, तथा डीओआर सं.बीपी. बीसी.71/21.04.048/2019-20 दिनांक 23.05.2020 के माध्यम से कोविड-19 महामारी से उत्पन्न व्यवधानों के कारण ऋण अदायगी के बोझ को कम करने के लिए और अर्थक्षम कारोबारों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया है।

मूल बैंक के मामले में उपर्युक्त परिपत्रों का प्रभाव विस्तृत रूप में निम्नलिखित है :

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	एसएमए/अतिदेय श्रेणी से संबंधित राशि, जहाँ ऋणस्थगन/स्थगन में वृद्धि की गई थी	74,445.25
2	संबंधित राशि जहाँ आस्ति वर्गीकरण लाभ में वृद्धि की गई है	4,144.82
3	तिमाही 4, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान किये गए प्रावधान	414.48
4	शेष बचे प्रावधानों तथा स्लिपेज पर संबंधित लेखा अवधि के दौरान समायोजित प्रावधान	शून्य

(डी) अखिल भारतीय मजदूर संघ तथा सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक एसेसिएशन के बीच ग्यारहवां द्विपक्षीय समझौता 31 अक्टूबर, 2017 को समाप्त हो गया। 1 नवम्बर, 2017 से प्रभाव में आने वाले वेतन संशोधन समझौते के लंबित कार्यान्वयन के क्रम में, मजदूरी क्षेत्रों के लिए 31मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान रु.600 (पिछले वर्ष रु.600) का एक अंतरिम जोड़ प्रदान किया गया है। 31 मार्च, 2020 को किया गया संचयी प्रावधान रु.1,090 है।

(ई) दवाबग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा पर आरबीआई के परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.45/21.04.048/ 2018-19 दिनांक 7 जून 2019 के अनुसार, मूल बैंक ने 4(चार) खातों में रु.271 का अतिरिक्त प्रावधान किया है, जहाँ समीक्षा अवधि के 180 दिनों के अन्दर अर्थक्षम समाधान योजना का कार्यान्वयन नहीं किया गया है।

(एफ) यथा 31 मार्च 2020 को, आरबीआई द्वारा उल्लिखित एनसीएलटी खाता (सूची 1 एवं 2) के संबंध में बैंक रु.3,959.34 की बकाया राशि के 100% प्रावधान को होल्ड करता है।

(जी) समाप्त वर्ष 31.03.2020 के दौरान, वसूली की अनिश्चितता के कारण, मूल बैंक ने एनपीए खातों में रु. 3941.36 का अतिरिक्त प्रावधान किया है।

(एच) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीओआर.सं.बीपी.बीसी. 62/ 21.04.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल 2020 तथा डीओआर सं.बीपी.बीसी.72/21.04.048/2019-20 दिनांक 23 मई, 2020 के अनुसार, जहां पर 30 दिन की समीक्षा अवधि समाप्त हो गयी है

to be uncertain and the Parent Bank is evaluating the situation on ongoing basis. The major challenge for the Parent Bank would arise from volatility in cash flows. Despite these events and conditions, there would not be any significant impact on Parent Bank's results in future and on the going concern assumption.

RBI vide circular no. DOR. No.BP. BC.47/21.04.048/2019-20 dated 27.03.2020; DOR. No.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 dated 17.04.2020, and DOR.No.BP.BC.71/ 21.04.048/2019-20 dated 23.05.2020 has announced measures to mitigate the burden of debt servicing brought out by disruptions on account of COVID-19 pandemic and to ensure the continuity of viable business.

The Impact of above circulars in case of Parent Bank are detailed as under:

S. No.	Particular	Amount
1	Respective amounts in SMA/overdue categories, where the moratorium/deferment was extended	74,445.25
2	Respective amount where asset classification benefits is extended	4,144.82
3	Provisions made during the Q4, FY2019-20	414.48
4	Provisions adjusted during the respective accounting periods against slippages and the residual provisions	Nil

d) The 11th Bipartite Settlement entered into by the Indian Banks' Association on behalf of the member Banks with the All Indian Unions of Workmen expired on 31st October, 2017. In accorance with the pending execution of agreement for wage revision , to be effective from 1st November, 2017 an ad-hoc sum of ₹ 600 (previous year ₹ 600) has been provided by Parent bank financial year ended March 31, 2020 towards wage arrears. Cumulative provision hele as on March 31, 2020 is ₹ 1,090.

e) As per RBI Circular No.DBR.No.BP. BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets, Parent Bank has made additional Provision of ₹ 271 in 4 (four) Accounts, where the viable Resolution Plan has not been implemented within 180 days of review period.

f) In respect of RBI referred NCLT accounts (List 1 & 2), as on March 31, 2020, Parent Bank holds 100% provision of the outstanding value of ₹ 3,959.34.

g) During the year ended March 31, 2020, due to uncertainty of recovery, Parent Bank has made additional provision of Rs. 3,941.36 in NPA Accounts.

h) In terms of RBI Cir No DOR.No.BP. BC.62/21.04.048/2019-20 dated April 17, 2020 and DOR.No.BP.BC.72/21.04.048/2019-20 dated May 23, 2020, extended timelines for resolution from the date whereat review period of 30 days are over but the

परन्तु यथा 01.03.2020 को 180 दिनों की समाधान अवधि समाप्त नहीं हुई है, उनके संबंध में समाधान के लिए बढ़ी हुई समय-सीमा निम्नलिखित के अनुसार है :

विवरण	राशि
दवाबग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण मानदण्ड के अंतर्गत संशोधित समाधान समय-सीमा	2,419.04

(आई) बैंक द्वारा निर्धारित दवाबग्रस्त क्षेत्र के संदर्भ में आरबीआई परिपत्र डीबीआर.सं. बीपी.बीसी.64/21.04.048/2016-17 दिनांक 18 अप्रैल, 2017 के अनुसार, बैंक के निदेशक मण्डल ने एसएमए वर्गीकरण पर आधारित बैंक के पहचान किए गए दवाबग्रस्त क्षेत्र (जो कि वर्तमान में टेलीकम्यूनिकेशन, टेक्सटाईल, लोहा एवं स्टील, वाणिज्यिक रियल इस्टेट, मणि एवं आभूषण, सड़कें एवं पत्तन तथा खनन एवं उत्खनन है) संबंधी 5 बीपीएस से 100 बीपीएस का अतिरिक्त मानक आस्ति प्रावधान को अनुमोदित किया है। तदनुसार, 31 मार्च 2020 को रु.76.63 का अतिरिक्त प्रावधान किया गया ।

(जे) खाता विशेष में बैंक का 100% प्रावधान था, जिसमें वसूली दूसरे पीएसयू बैंक के साथ विवादग्रस्त है। खाते को धोखाधड़ी के रूप में आरबीआई को रिपोर्ट किया गया है। चूँकि दोनों बैंकों 100% प्रावधान किया था, आरबीआई ने अपने पत्र (संदर्भ डीओएस.सीओ.एसएसएम (बीओआई) / 6557/13.37.007 /2019-20) दिनांक 13.04.2020 के माध्यम से बैंक को कुछ शर्तों के अधीन निरंतरता आधार पर विवादग्रस्त राशि का 50%(अर्थात् रु. 291.63 का 50%) का प्रावधान करने की अनुमति दी है। तदनुसार, बैंक का अब विवादग्रस्त राशि के लिए रु. 145.81 का प्रावधान है।

(के) मूल बैंक और अनुषंगियों के पृथक वित्तीय विवरणों में जिन अतिरिक्त जानकारियों का प्रकटन किया गया है, उनका समेकित वित्तीय विवरणों के सही और न्यायोचित दृष्टिकोण पर कोई प्रभाव नहीं है तथा कम महत्व की मदों से संबंधित जानकारी का प्रकटन समेकित वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।

(एल) पिछली अवधि के आंकड़ो को, जहां भी आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहित/पुन:व्यवस्थित किया गया है।

180 days of resolution period had not expired as on 01.03.2020, are as under:

Particular	Amount
Revised Resolution Timelines under the Prudential Framework on Resolution of Stressed Assets	2,419.04

i) In terms of RBI Circular DBR.No.BP. BC.64/21.04.048/2016-17 dated April 18, 2017 regarding stressed sectors identified by Parent Bank, the Board of Directors of the Parent Bank has approved additional standard assets provision of 5 bps to 100 bps in respect of the Parent Bank's stressed sectors identified (which are presently Telecommunication, Textile, Iron & Steel, Commercial Real Estate, Gems & Jewellery, Roads & Ports and Mining & Quarrying) based on SMA classification. Accordingly, an additional provision of ₹ 76.63 has been held as at March 31, 2020.

j) Bank was holding 100% provision in a particular account, recovery of which is under dispute with another PSU Bank. The account has been reported as fraud to RBI. As both the Banks were holding 100% provision, RBI vide its communication (Ref. DoS. Co. SSM (BOI)/6557/13.37.007/2019-20) dated 13.04.2020 permitted the Bank to maintain a provision of 50% of the disputed amount on-going basis (i.e. 50% of ₹ 291.63) subject to certain conditions. Accordingly, the Bank now holds provision of ₹ 145.81 for the disputed amount.

k) Additional information disclosed in the separate financial statements of the Parent bank and the subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material, have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements.

l) Previous Year's figures have been regrouped/ rearranged wherever considered necessary.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति/बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल

मत

1. हमने बैंक ऑफ़ इंडिया ('बैंक या मूल बैंक') की लेखा परीक्षा की है। इसमें यथा 31 मार्च, 2020 को समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरणी तथा संबंधित वर्ष के अंत में नकद प्रवाह की समेकित विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

 क) बैंक के लेखा परीक्षित खाते जिन्हें हमारे द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 25 जून, 2020 के माध्यम से लेखा परीक्षित किया गया है।

 ख) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 5 अनुषंगियों, 1 संयुक्त उद्यम और 5 सहायक संस्थाओं 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) के लेखा परीक्षित परिणाम तथा को प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया 3 विदेशी अनुषंगियों का और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा समीक्षित वित्तीय विवरण यथा दिनांक 31 मार्च, 2020 विशेषत: समेकन के उद्देश्य से है; और

 ग) एक सहायक संस्था का लेखापरीक्षा न किया गया परिणाम।

 बैंक को उपर्युक्त निकायों के साथ संयुक्त रूप से "समूह" के रूप में संदर्भित किया गया।

 हमारे विचार से एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं संस्थाओं के पृथक वित्तीय विवरण पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के संबंध में हमारे मत पर आधारित उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार एकरूप है और निम्नलिखित प्रस्तुत करते है:

 क) यथा दिनांक 31 मार्च, 2020 को बैंक के समेकित तुलनपत्र एवं बैंक की परिस्थिति के संबंध में उचित एवं सही स्थिति।

 ख) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि खाते के विवरण के संबंध में हानि का वास्तविक शेष।

 ग) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरणी के संबंध में सही व उचित स्थिति।

मत का आधार

2. हमने अपनी लेखा-परीक्षा, आईसीएआई के द्वारा जारी "लेखा-परीक्षा पर मानक" (एसए) के अनुसार की है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी को विस्तारपूर्वक हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी खण्ड में प्रतिपादित किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी नैतिक आचार

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

To

To The President of India / The Members of Bank of India

Opinion

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Bank of India ('the Bank' or "the Parent Bank") which comprise the consolidated Balance Sheet as at 31 March 2020, the consolidated Statement of Profit and Loss and the consolidated Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information which includes:

 a) Audited accounts of the bank which have been audited by us, vide our report dated June 25, 2020;

 b) Audited results of 5 Subsidiaries, 1 Joint Venture and 5 Associates (including 3 Regional Rural Banks) audited by other auditors and financial statements of 3 overseas subsidiaries prepared by the management as on 31st March, 2020 and reviewed by the other auditors specifically for consolidation purpose; and

 c) Un-audited results of 1 Associate.

 The above entities together with the Bank are referred to as the "Group".

 In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our consideration of the reports of other auditors on separate financial statements of the Subsidiaries, Joint Ventures and Associates, the unaudited financial statements and the other financial information of Associate as furnished by the management, the aforesaid consolidated financial statements are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

 a) true and fair view in case of the Consolidated Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2020

 b) true balance of loss in case of statement of Consolidated Profit / Loss account, for the year ended on that date; and

 c) true and fair view in case of Consolidated Cash flow statement, for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered

संहिता तथा उक्त 'अधिनियम' के प्रावधानों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा-परीक्षा के लिए जो प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाएं हैं, उसके अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा नैतिक आचार संहिता के अनुसार अपनी सभी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि निम्नलिखित अनुच्छेद 10 में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की शर्तों के अनुसार, उनके द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य तथा हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य, लेखा-परीक्षा संबंधी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामलों का प्रभाव

क) कोविड-19 महामारी के प्रभाव के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची - 18 का नोट सं.12 (सी)। यह स्थिति अनिश्चित है और बैंक प्रबंधन स्थिति और वर्तमान आधार पर बैंक के घरेलू व अंतरराष्ट्रीय कारोबार परिचालनों पर पड़े प्रभाव का आकलन कर रहा है;

ख) एनपीए खातों में किए गए प्रावधान के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची - 18 का नोट सं.12 (एफ) एवं (जी)

इन मामलों में हमारी राय को संशोधित नहीं किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा में 'महत्वपूर्ण लेखांकन मामले, वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है तथा उस पर विचार तैयार करने में हमने इन मामलों पर कार्रवाई को है तथा इन मामलों पर हम अलग से कुछ विचार नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए बैंक के महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों का निर्धारण किया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन को जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
1)	**भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान संबंधी नियमों का अनुपालन।** **अग्रिम :** बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों तथा अनुदेशों के आधार पर खातों को अर्जक अग्रिम तथा अनर्जक अग्रिम के अंतर्गत वर्गीकृत करना है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देश, बैंक द्वारा दी गयी सभी ऋण सुविधाओं के लिए हैं तथा इसका पालन अनिवार्य रूप से, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए किया जाना है।	आईआरएसी नियमों/परिपत्रों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा बैंक की पॉलिसी के आधार पर हमने अग्रिमों तथा निवेशों की लेखा-परीक्षा की है। हमने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के सत्यापन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया है। **अग्रिम:** हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है: क) हमने शाखा के सांविधिक लेखापरीक्षकों को आईआरएसी नियमों तथा प्रक्रियाओं एवं बैंक के द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए सूचित किया है तथा हमने शाखा के सांविधिक लेखा-परीक्षकों को रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidences obtained by us and the audit evidences obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in paragraph 10 below, is sufficient and appropriate to provide the basis for audit opinion on the consolidated financial statements.

Emphasis of Matter

a Note No.12 (c) of Schedule-18 of the Consolidated Financial Statements regarding impact of COVID-19 pandemic. The situation continues to be uncertain and the management of the Bank is evaluating the situation and impact on its Domestic & International business operations of the Bank on an ongoing basis; and

b Note No.12 (f) & (g) of Schedule-18 of the Consolidated Financial Statements regarding provision made in NPA accounts.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters

3. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements for the year ended March 31, 2020. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters of the Bank to be communicated in our report:

Sl. No.	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
1)	**Compliance of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning Norms on advances and investments as per guidelines issued by Reserve Bank of India** **Advances** Bank has to classify the accounts under performing advances and non performing advances based on the guidelines/circulars and directives issued by Reserve Bank of India. The guidelines issued by Reserve Bank of India is for all credit facilities given by the bank and is to be mandatorily followed for the purpose of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning.	We have carried out the audit of the advances and investments based on the IRAC Norms/ Circulars and directives issued by Reserve Bank of India and the policy of the Bank. **Advances:** Our audit procedure includes: a) We have communicated to the branch statutory auditors to verify the compliance of IRAC Norms and procedures and the policies adopted by the bank and we have relied on the audit reports given by the branch statutory auditors.

	अर्जक तथा अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण सिस्टम द्वारा होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा प्रयुक्त सॉफ्टवेयर वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए खातों की पहचान निर्धारित करता है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी नियमों के अनुसार आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो यह बैंक की वित्तीय विवरणो को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है	ख) अग्रिमों के मामले में उससे संबंधित निर्धारण, वर्गीकरण तथा प्रावधान के लिए बैंक द्वारा सिस्टम में बनाए गये सत्यापन तथा लॉजिक एवं स्थापित नियंत्रण एवं आईटी प्रणाली को समझना। ग) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक तथा अनर्जक के रूप में किया गया है तथा इसके संबंध में प्रावधान किये गये हैं। घ) हमें आबंटित शाखाओं को लेखाॉ परीक्षण के दौरान हमने महत्वपूर्ण अग्रिमों के संबंध में पर्याप्त जाँच की है जिसमें विशेष रूप से उल्लिखित खाते (एसएमए) शामिल हैं तथा मूल्यांकन रिपोर्टों को जाँच के द्वारा प्रतिभूति संबंधी पक्षों को भी सत्यापित किया है। ङ) आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, ऋण लेखा-परीक्षा, सिस्टम लेखा-परीक्षा तथा बैंक द्वारा की गयी विशेष लेखा-परीक्षा पर भी भरोसा किया गया है। च) वित्तीय विवरणियों के समेकन के दौरान सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों तथा सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों के द्वारा अनुशंसित एमओसी का सत्यापन तथा वैधीकरण।
	<u>निवेश :</u> भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा अनुदेशों/परिपत्रों के आधार पर बैंक को निवेशों को अर्जक तथा अनर्जक में वगीकृत करना है। निवेशों का अर्जक तथा अनर्जक के रूप में निर्धारण आम तौर पर सिस्टम से होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन (वैल्यूएशन) किया जाता है तथा बीएससी/एनएससी, एफआईएमडीए/एफबीआईएल दर इत्यादि पर उद्धृत मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी नियमों के अनुसार ठीक प्रकार से आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण आदि का प्रावधानीकरण नहीं किया जाता है तो वह बैंक के समेकित वित्तीय विवरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।	**<u>निवेश:</u>** हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है: क) निवेश के मामले में उसकी पहचान, वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण, बैंक के द्वारा सिस्टम में स्थापित, लॉजिक तथा वैधीकरण एवं स्थापित नियंत्रण और आईटी प्रणाली को समझना। ख) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या निवेशों का मूल्यांकन तथा वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। ग) नमूना आधार पर यह भी सत्यापित किया गया कि क्या निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए उचित प्रावधान किया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया कि मूल्यह्रास का प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

	Identification of performing and non performing advances are system driven. The software used by the bank identifies the accounts for classification and provisioning as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the bank.	b) Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of advances. c) On sample basis tested whether the classification of advances under performing and non-performing and provisioning is carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India. d) During audit of branches allotted to us we have carried out substantive test on major advances including Specially Mentioned Accounts (SMA) and also verified the security aspect by checking the valuation reports. e) Reliance is also placed on the internal audit reports, concurrent audit reports, credit audit, system audit and special audits conducted by the bank. f) Verification and implementations of MOC's suggested by statutory branch auditors and statutory central auditors during consolidation of financial statements.
	<u>Investments :</u> Bank has to classify the investments underperforming and non-performing based on the guidelines/circulars and directives issued by Reserve Bank of India. Identification of performing and non performing investments is generally system driven. The valuation is done as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and the valuations are done based on the price quoted on BSE/NSE, FIMDA /FBIL rates etc. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the bank.	**<u>Investments</u>** Our audit procedure includes: a) Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of investments. b) On sample basis tested whether the classification and valuation of investments is carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India. c) On sample basis also verified whether proper provision for depreciation in the value of investments and ensured that provision for depreciation is done as per RBI guidelines.

	बैंक की कुल आस्तियों में अग्रिम तथा निवेश, क्रमश: 56.15% तथा 24.14% है। चूँकि बैंक के व्यवसाय का बड़ा हिस्सा अग्रिम तथा निवेश है तथा इसमें विनियामक अनुपालन शामिल है, अतः हमने इस पक्ष को महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले के रूप में विचारित किया है।	घ) आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों तथा बैंक द्वारा की गयी सिस्टम लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर भी भरोसा जताया गया है।
2)	**अनिश्चित कर के मुकदमों तथा आकस्मिक दायित्वों का मूल्यांकन।** टैक्स मुकदमों सहित बैंक के विरुद्ध वे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, को 31 मार्च, 2019 को 12वीं अनुसूची तथा 18वीं अनुसूची के वित्तीय विवरण से संबंधित नोट्स के नोट सं.9(क)(i) में बताया गया है। अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत, सेवा कर अधिनियम/माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत कुछ भुगतानों पर प्रतिवर्ती प्रभार प्रणाली की प्रयोज्यता संबंधी विवाद चल रहे हैं। परिणामों की अनिश्चितता के कारण यह एक प्रमुख लेखा परीक्षा का विषय है, जिसमें इन परिणामों के संभावित परिणामों के अनुमानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं।	हमारी लेखा-परीक्षा जांच में निम्नलिखित शामिल है: क) मुकदमों/कर मूल्यांकनों की वर्तमान स्थिति को समझना; हमने कर संबंधित मुकदमों व आकस्मिक देयताओं की वर्तमान स्थिति की जांच की है। ख) हमने विभिन्न कर प्राधिकारियों से प्राप्त नवीनतम आदेशों, सूचनाओं तथा उनके बारे में की गई अनुवर्ती कार्रवाई को प्राप्त किया है; ग) हमने देयताओं के निर्धारण हेतु कर तथा अन्य मुकदमों के संबंध में प्राप्त नई जानकारी एकत्र की है। घ) आवश्यकता होने पर विधि तथा कर परामर्शदाताओं पर भरोसा जताया गया है।
3)	**सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का मूल्यांकन:** संव्यवहारों को रिकॉर्ड करने, आईआरएसी सहित आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न रिपोर्ट जनरेट करना, वित्तीय विवरण तैयार करना तथा विनियामकों को अनुपालन को रिपोर्ट करना आदि में आईटी कंट्रोल प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार को रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर तथा अन्य सहायक सिस्टमों के प्रभावी रूप से कार्य करने पर निर्भर है। हमने इसे प्रमुख लेखा-परीक्षा का विषय माना है क्योंकि नियंत्रण में चूक, वैधता को विफलता, त्रुटिपूर्ण इनपुट डाटा तथा गलत डाटा निकालने के परिणामस्वरूप प्रबंधन तथा विनियामकों को डाटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है।	हमारी लेखा-परीक्षा जांच में निम्नलिखित शामिल है: क) सिस्टम के परिचालन को प्रभावशीलता को समझना तथा उसकी जांच करना। ख) विभिन्न श्रेणी के ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए कोडिंग सिस्टम को समझना। ग) सिस्टम में उपलब्ध विभिन्न वैधीकरण को समझना तथा उनकी जांच करना। घ) बैंक की विनियमों/नीति में किसी भी प्रकार के परिवर्तनों के लिए उपयोगकर्ता को आवश्यकताओं की जांच। ङ) डाटा निकालने के लिए प्रयुक्त लॉजिक को जांच। च) जनरेट हुई रिपोर्टों को नमूना आधार पर समीक्षा छ) बैंक के सिस्टम लेखापरीक्षा पर भरोसा जताया गया है।

	Advances and Investments constitute 56.15% and 24.14% respectively of total assets of the bank. As advances and investments form part of a major portion of the business of the bank and the regulatory compliances involved, we have considered this aspect as Key Audit Matter.	d) Reliance is also placed on the internal audit reports, concurrent audit reports and system audit conducted by the bank.
2)	**Evaluation of uncertain tax litigations and contingent liabilities** Claims against the bank not acknowledged as debt including tax litigations as on March 31, 2020 is disclosed in Schedule 12 and Note No.9(a)(i) of Schedule 18 to Standalone Financial Statements. Under Indirect Taxes, there are ongoing disputes regarding availability of input credits/ applicability of Reverse Charge Mechanism on certain payments under Service tax act/Goods and Service Tax Act. This is a key audit matter due to uncertainty of the outcome which involves significant judgment to determine the possible outcome of these disputes.	Our audit approach involved: a) Understanding the current status of the litigations/ tax assessments; We went through the current status of the tax litigations and contingent liabilities. b) We obtained the details of latest orders, communication received from various tax authorities and follow up action thereon; We gathered recent information received on the tax and other litigations for assessing the liabilities. Wherever required reliance is placed on the opinion of legal and tax consultants.
3)	**Assessment of Information Technology (IT):** IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC, preparing financial statements and reporting of compliances to regulators etc. is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems. We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators.	Our audit procedure includes:- a) Understanding and testing of operative effectiveness of the system. b) Understanding the coding system adopted by the bank for various categories of customers. c) Understanding and testing of different validations available in the system d) Checked the user requirements for any changes in the regulations/policy of the bank e) Testing of logic used for extracting the data. On sample basis reviewed the reports generated. g) Reliance is placed on system audit report of the bank.

4)	**कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखकर की गई संशोधित लेखा-परीक्षा कार्यवाही** कोविड-19 महामारी के कारण, हमारी लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरान केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन किया गया एवं यात्रा प्रतिबंधों को लगाया गया तथा आरबीआई ने, जहां प्रत्यक्ष फिजिकल रूप से पहुंचना संभव नहीं था, वहां बैंक को अप्रत्यक्ष रूप से लेखा-परीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। बैंक के शाखा परिसरों, एनबीजी कार्यालयों में बैंक जाकर लेखा-परीक्षा नहीं की जा सकी थी। चूंकि हम शाखाओं/एनबीजी कार्यालयों के पदाधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से भौतिक/चर्चा एवं व्यक्तिगत बातचीत कर लेखा-परीक्षा के साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके, अत: ऐसी संशोधित लेखा-परीक्षा कार्यवाही को हमने महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले के रूप में चिन्हित किया है। तदनुसार, हमारी लेखा-परीक्षा की प्रणालियों को अप्रत्यक्ष लेखा-परीक्षा करने के लिए संशोधित किया गया था।	कोविड-19 महामारी के कारण, हमारी लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरान केंद्र एवं राज्य सरकारों/ स्थानीय प्रशासन द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन व अन्य यात्रा प्रतिबंध लगाए गए हैं, हम शाखाओं/एनबीजी कार्यालयों की यात्रा नहीं कर सके और संबंधित कार्यालयों में फिजिकल रूप से लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर सके। जहां कहीं भी फिजिकल पहुंच संभव नहीं थी, वहां, बैंक द्वारा हमें डिजिटल माध्यम ई-मेल और सीबीएस को अप्रत्यक्ष पहुंच तथा अन्य संबंधित एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर स हमें अपेक्षित रिपोर्ट/दस्तावेज़/प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाए गए थे। इस सीमा तक लेखा-परीक्षा प्रक्रिया हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेज़ों, रिपोर्टों और रिकॉर्डों के आधार पर की गई थी, जिस पर लेखा-परीक्षा संपन्न करवाने और वर्तमान अवधिहेतु रिपोर्टिंग के लिए लेखा-परीक्षा साक्ष्य के रूप में निर्भर थे। तदनुसार, हमने अपनी लेखा-परीक्षा प्रणाली को निम्नप्रकार से संशोधित किया था: क) जहां फिजिकल पहुंच संभव नहीं थी, वहां बैंक को कुछ शाखाओं/ कार्यालयों और अन्य कार्यालयों के संबंध में अप्रत्यक्ष(रिमोट) एक्सेस/ईमेल के माध्यम से अपेक्षित रिकॉर्डों/दस्तावेज़ों/ सीबीएस और अन्य एप्लिकेशन का इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापन कार्य पूर्ण किया गया। ख) हमें ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई, स्कैन की गई दस्तावेज़ों की प्रतियों, विलेखों, प्रमाणपत्रों एवं अन्य संबंधित रिकॉर्डों का सत्यापन किया गया तथा बैंक के नेटवर्क की सुरक्षा हेतु अप्रत्यक्ष एक्सेस किया गया। ग) जांच करना तथा दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस), टेलीफोन पर संपर्क/ कॉन्फ्रेंस कॉल एवं ईमेल के माध्यम से अपेक्षित लेखा-परीक्षा संबंधी साक्ष्य एकत्रित करना। घ) हमारे लेखा-परीक्षा अवलोकनों का समाधान नामित पदाधिकारियों से प्रत्यक्ष संपर्क करने के स्थान पर टेलीफोन/ईमेल के माध्यम से संपर्क कर किया जाना।

4)	**Modified Audit Procedures carried out in light of COVID-19 outbreak:** Due to COVID-19 pandemic, Nation-wide lockdown and travel restrictions imposed by Central / State Government / Local Authorities during the period of our audit and the RBI directions to Bank to facilitate carrying out audit remotely wherever physical access was not possible, audit could not be conducted by visiting the Branch premises, NBG offices of the Bank. As we could not gather audit evidence in person/ physically/ through discussions and personal interactions with the officials at the Branches/NBG offices, we have identified such modified audit procedures as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit procedures were modified to carry out the audit remotely.	Due to the outbreak of COVID-19 pandemic that caused nationwide lockdown and other travel restrictions imposed by the Central and State Governments/local administration during the period of our audit, we could not travel to the Branches /NBG offices and carry out the audit processes physically at the respective offices. Wherever physical access was not possible, necessary records/ reports/ documents/ certificates were made available to us by the Bank through digital medium, emails and remote access to CBS and other relevant application software. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports and records made available to us on which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period. Accordingly, we modified our audit procedures as follows: a) Conducted verification of necessary records/ documents/ CBS/ and other Application software electronically through remote access/emails in respect of some of the Branches /offices and other offices of the Bank wherever physical access was not possible. b) Carried out verification of scanned copies of the documents, deeds, certificates and the related records made available to us through emails and remote access over secure network of the Bank. c) Making enquiries and gathering necessary audit evidence through Document Management System (DMS), telephonic communication / conference calls and e-mails. d) Resolution of our audit observations telephonically/ through email instead of a face-to-face interaction with the designated officials.

5)	**आस्थगित कर आस्तियों का अभिनिर्धारण:** 31 मार्च, 2020 को बैंक ने रु.13708.72 करोड़ (वर्ष 2019-20 के लिए डीटीए द्वारा पहचान किया गया रु. 1823.12 करोड़) आस्थगित कर आस्तियों को पहचान की है। आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण व प्रसारण केवल उसी सीमा तक किया जाना चाहिए जहाँ यह उचित सुनिश्चितता हो कि इस प्रकार की आस्थगित कर आस्तियों पर उपलब्ध भावी कर योग्य पर्याप्त आय को वसूली की जा सकती है। भावी समयावधि में पूर्वानुमानित लाभ पर आधारित अवधि में आस्थगित कर आस्तियों के अभिनिर्धारण की एक बड़ी धनराशि के कारण इस प्रकार की आस्तियों में अनिश्चितता तथा जोखिम बढ़ता है। अतः हमने इसे प्रमुख लेखा परीक्षा का विषय माना है।	हमारी लेखापरीक्षा में निम्नलिखित शामिल है:- क) हमने पुष्टि की कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑ. फ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा आयकर के लिए जारी लेखाकंन मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों को पहचान के मानदंडों का पालन किया जा रहा है। ख) आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण के लिए बैंक प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त मान्यताओं तथा अन्य मानदंडों का मूल्यांकन।

समेकित वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा जानकारी

4. अन्य जानकारी के लिए मूल बैंक का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष के वक्तव्य में शामिल जानकारियाँ समाविष्ट है परंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण और इस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है, जिसे बैंक के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा निदेशकों की रिपोर्ट जारी किए जाने के समय प्राप्त किया जाएगा इसमें वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक शामिल होंगे, यदि कोई हो तो, यह अपेक्षा की जाती है कि ये उक्त तिथि के पश्चात् हमें उपलब्ध करवाया जाए।

वित्तीय विवरणों के संबंध में, हमारी राय में अन्य जानकारियां और बासेल III प्रकटन के अंतर्गत पिलर 3 शामिल नहीं है तथा हम इस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को प्रस्तुत नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरण को हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य जानकारियों का अध्ययन करना तथा ऐसा करते हुए यह ध्यान रखना कि अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरण या लेखा परीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण गलत विवरण से वास्तव में असंगत है।

यदि हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हम अन्य जानकारी, जो हमें लेखापरीक्षकों की इस रिपोर्ट से पहले प्राप्त होती है, के महत्वपूर्ण रूप से गलत होने का निष्कर्ष निकालते हैं तो हमें उस बारे में रिपोर्ट करनी होती है। इस संबंध में हमें कुछ रिपोर्ट नहीं करना है।

जब भी बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, इस संबंध में वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक शामिल है, यदि कोई हो तो, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते है कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी गलत है तो हमें उक्त मामले के बारे में प्रशासन के प्रभारी से संपर्क करने की आवश्यकता होगी।

5)	**Recognition of Deferred Tax Assets:** As on March 31, 2020 the Bank has recognised a net deferred tax asset of Rs.13,708.72 Crore.(For Year 2019-2020 recognised DTA Rs.1823.12 Crore) Deferred tax assets should be recognised and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised. Due to the huge amount of deferred tax assets recognised over a period based on the profit forecasted over future period of time increases the uncertainty and risk of recognition of such asset. Hence we have considered this as a Key Audit Matter.	Our audit procedure includes:- a) We have verified that recognition criteria for Deferred Tax Asset as per Accounting Standard 22 Accounting for Taxes on Income issued by The Institute of Chartered Accountants of India have been complied with. b) Assessed the assumptions and other parameters used by the bank management for recognition of the deferred tax asset.

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report thereon

4. The Parent bank's Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Management report and Chairman's Statement but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon, which will be obtained at the time of issue of this auditors' report, and the Directors' Report of the Bank including annexures in annual report, if any, thereon, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under Basel III Disclosure and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Director's Report of the Bank, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

प्रबंधन तथा जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में गवर्नेंस युक्त है, उनके उत्तरदायित्व

5. बैंक का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों जो, आईसीएआई द्वारा जारी "समेकित वित्तीय विवरण" के लेखांकन मानक 21, "समेकित वित्तीय विवरण में सहायक संस्था में निवेश" के लेखांकन मानक 23, और संयुक्त उद्यम में ब्याज की वित्तीय रिर्पोटिंग - लेखांकन मानक 27, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित भारत में सामान्यत: अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बैंक का समेकित वित्तीय प्रदर्शन तथा समेकित नकदी प्रवाह तथा समेकित वित्तीय स्थिति की एक वास्तविक तथा उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इस जिम्मेदारी में, बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधडियों व अन्य अनियमितताओं से बचने तथा धोखाधड़ियों का पता लगाने के लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों, उपयुक्त लेखांकन नीति का चयन तथा अनुप्रयोग, विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत अनुमान एवं आकलन करना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेख बनाना, लागू करना एवं उसे बनाए रखना, जिन्हें लेखांकन रिकार्डों की पूर्णता एवं सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित किया जा रहा था, जो वित्तीय विवरणयों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित थे और जो वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त है, के समनुरूप उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों को बनाए रखना शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में, संबंधित निदेशक मंडल बैक को संस्थागत क्रियाशीलता को निरंतरता की क्षमता, प्रकटन, संस्था की निरंतरता से संबंधित मामलों, जो भी लागू हो तथा जब तक प्रबंधन लेखांकन का संस्था की निरंतरता के आधार पर प्रयोग न करे, चाहे वह बैंक का परिसमापन या परिचालन बंद करना चाहते हो या ऐसे करने के अलावा और कोई विकल्प न हो, का मूल्यांकन करने हेतु उत्तरदायी है।

ग्रुप में शामिल बैंक के निदेशक मंडल, ग्रुप के निकायों की वित्तीय रेपोर्टिंग प्रकिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

6. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित वित्तीय विवरण समग्ररूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गंभीर गलत विवरणों से मुक्त है, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन (एसए) के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में हमेशा गलत विवरण यदि कोई हो, का पता लगा लिया जाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो सकते हैं तथा उन्हें गंभीर माना जाएगा और वे अलग-अलग या समेकित रूप से प्रयोक्ता द्वारा लिए गए इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णयों को पर्याप्त रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

मानक लेखांकन (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर आकलन करते हैं और पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इस के साथ ही हम:

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

5. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the accounting standard 21-"Consolidated Financial Statements", Accounting Standards 23- "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements" and "Accounting Standard 27 – Financial Reporting of Interest in Joint Venture" issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Board of Directors of the banks within the Group are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the Group Entities are responsible for assessing the ability of the Group to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the banks included in the Group are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group Entity's financial reporting processes.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

6. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, की पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार एवं निष्पादित करते हैं और हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए गए गंभीर गलत विवरणों की जांच न करने का जोखिम त्रुटिवश दिए गए गलत विवरण की अपेक्षा उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में षडयंत्र, जालसाजी, इरादतन की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक कानून के विरूद्ध कार्य करना शामिल हो सकता है।
- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों को उपयुक्तता और लेखांकन के मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।
- संस्था की निरंतरता के आधार पर लेखांकन संबंधी प्रबंधन के उपयोग को उपयुक्तता और प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ऐसे मामलों या स्थितियों से संबंधित कोई अनिश्चितता है जो बैंक को संस्थागत निरंतरता को जारी रखने में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती हो, यदि हम महत्वपूर्ण अनिश्चितता के मौजूट होने का निष्कर्ष निकालते हैं या उक्त प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने में अपर्याप्त हो तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु हमें हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक को रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखांकन साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएँ या मामले बैंक को संस्थागत निरंतरता को रोकने के कारण हो सकते हैं।
- प्रकटन सहित समेकित वित्तीय विवरण को समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन और वित्तीय विवरण में अंतर्निहित संव्यवहारों और मामलों को उचित प्रकार प्रस्तुत करने के तरीके का मूल्यांकन करते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के बैंकों की वित्तीय जानकारी से संबंधित पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। हम समेकित वित्तीय विवरण में शामिल बैंकों के वित्तीय विवरण को लेखा परीक्षा के अनुदेश, पर्यवेक्षण तथा निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक है। समेकित वित्तीय विवरण में शामिल अन्य बैकों, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, को लेखा परीक्षा के अनुदेश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए अन्य लेखा परीक्षक जिम्मेदार होगें, जिन्होंने लेखा परीक्षा की है । हम केवल हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय के लिए उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय जानकारी में एकल या समेकित रूप में गलत जानकारी का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। इससे वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र की योजनाओं, तथा (ii) वित्तीय विवरण में पहचान किए गए किसी गलत विवरण के प्रभाव का आकलन करने में परिमाणात्मक महत्ता एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the banks within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of the banks included in the consolidated financial statements of which we are the Independent auditors. For the other banks included in the consolidated financial statements, which have been audited by the other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

हम अन्य विषयों में लेखा परीक्षा की समय-सीमा एवं नियोजित स्वरूप एवं हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पहचानी गई महत्वपूर्ण कमियाँ सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों को गवर्नेंस प्रभारी को सूचित करते है।

हम गवर्नेंस के प्रभारी को इस विवरण के साथ भी सूचित करते हैं कि हम आत्मनिर्भरता संबंधी सभी प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का तथा उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों अन्य मामलों जो हमारी आत्मनिर्भरता को प्रभावित कर सकते हैं. और संबंधित रक्षा उपायों जहाँ भी लागू है, का पालन किया है

प्रशासन को सूचित संबंधित मामलों से, हमने उन मामलों को निर्धारित किया है जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरण को लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसलिए प्रमुख लेखा संबंधी मामले हैं। इन मामलों को हम हमारी लेखा परीक्षक को रिपोर्ट में दर्शाते हैं। यदि कानून या विनियम इस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करें या जब हम यह तय करते हैं, बहुत ही कम परिस्थितियों में, कि इन्हें हमारी रिपोर्ट में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जनहित लाभों को बढ़ाने के संबंध में प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य मामले

7. हमने निम्नलिखित के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की, जिन का वित्तीय विवरण समूह के समेकित वित्तीय विवरण में समाविष्ट किया गया है:

क) हमने 2410 शाखाओं (जिसमें 23 विदेशी शाखाएं शामिल हैं) के वित्तीय विवरण/जानकारी की लेखा-परीक्षा नहीं की है यथा 31 मार्च, 2020 को जिनका रु.1,85,126 करोड़ का वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में शामिल है तथा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में बताए गए के अनुसार उक्त तिथि को समाप्त वर्ष को जिनका कुल रु. 17,130 करोड़ का कुल राजस्व शामिल है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/जानकारी की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा हमारी राय में, जो इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशि एवं प्रकटन के संदर्भ में है, ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर यह पूर्णरूप से आधारित है।

ख) हमने 8(आठ) अनुषंगियों, 5(पांच) सहायक संस्थाओं, 1(एक) संयुक्त उद्यम, जिसका वित्तीय विवरण यथा 31 मार्च, 2020 को रु.12505.35 करोड़, रु.441.40 करोड़ का कुल राजस्व है, के वित्तीय विवरण की हमने लेखापरीक्षा नहीं की है तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रु. 92.82 करोड़ के कर लगाने के पश्चात् निवल हानि में समूह का हिस्सा है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण में दर्शाया गया है, जिसके वित्तीय विवरण की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई है। इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा/समीक्षा अन्य अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा सौंपी गई हैं तथा समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, जो इन अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों व सहायक संस्थाओं के संबंध में शामिल राशि व प्रकटन के संदर्भ में है तथा हमारी रिपोर्ट जो उपर्युक्त अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों व सहायक संस्थाओं के संदर्भ में है, पूर्ण रूप से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

7. We did not audit the financial statements of followings, whose financial statements are incorporated in the consolidated financial statements of the Group:

a) We did not audit the financial statements/ information of 2410 branches (including 23 foreign branches) included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs.1,85,126 crore at March 31, 2020 and total revenue of Rs.17,130 crore for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors;

b) We did not audit the financial statements of 8 (eight) Subsidiaries, 5 (five) Associates, 1 (one) Joint Ventures whose financial statements reflect total assets of Rs.12505.35 crore as at March 31, 2020, total revenues of Rs.441.40 crore and Group's share of net loss after tax of Rs.92.82 crore for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements, whose financial statements have not been audited by us. These financial statements have been audited/ reviewed by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, joint ventures and associates, and our report in so far as it relates to the aforesaid subsidiaries, joint ventures and associates, is based solely on the reports of the other auditors.

ग) समेकित वित्तीय विवरण में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में कर भुगतान के बाद समूह के रु.1.32 करोड़ की 1 (एक) सहायक कंपनी के संबंध में जिनके वित्तीय विवरण की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई निवल लाभ वाले हिस्से को भी शामिल किया गया है, जैसा कि समेकित वित्तीय परिणामों में दर्शाया गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की गई है तथा इन्हें हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है और उक्त समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, जो इन अनुषंगियों और सहायक कंपनी के संबंध में शामिल राशि एवं प्रकटन के संदर्भ में है, पूर्ण रूप से ऐसे लेखा परीक्षा न किए गए वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारियों पर आधारित है। हमारी राय में तथा बैंक के द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी बैंक के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरण पर निम्नलिखित अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट के निष्पादित कार्य पर निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षा न किए गए वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी के संदर्भ में हमारी राय को संशोधित नहीं किया गया है।

8. समेकित वित्तीय विवरण जिसमें वित्तीय विवरण जिसमें 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के परिणाम भी शामिल हैं। पूर्ण वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखा परीक्षित आंकड़ों और वर्तमान वर्ष की तीसरी तिमाही तक के वर्ष के प्रकाशित लेखा परीक्षा न किए गए आंकड़ों के संतुलन के परिणाम शामिल हैं, ये हमारे द्वारा सीमित समीक्षा के अध्यधीन थे।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ एवं हानि खाते को बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुरूप तैयार किया गया है।

10. उपरोक्त पैरा 5 से 8 में दी गई लेखा परीक्षा संबंधी सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/80 की अपेक्षाओं के अनुरूप और इसमें अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि

क) हमने समेकित वित्तीय विवरण को हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार, आवश्यक सभी जानकारियों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिए है तथा वे संतोषजनक पाए गए हैं,

ख) हमारी जानकारी में आए हुए समूह के बैंकों के लेन-देन समूह के । संबंधित बैंक के अधिकार क्षेत्र में हैं, और

ग) समूह के बैंकों से प्राप्त विवरणियाँ समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

11. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमारी राय में, विधि द्वारा यथा अपेक्षित लेखे की बहियाँ उचित रूप से बैंक द्वारा रखी गई हैं और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है इन बहियों की जांच से जहाँ तक प्रतीत होता हैं उनसे प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त है।

ख) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण हमारे द्वारा निरीक्षण न की गई शाखाओं से प्राप्त बही खाते और विवरणियों से मेल खाते हैं,

c) We did not audit the financial statements of 1(one) Associate whose financial statements reflect Group's share of total net profit after tax of Rs.1.32 crore for the year ended as on 31st March, 2020. These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this associate and our report relates to the aforesaid associate, in so far as is based solely on such unaudited financial statements. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Group.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on the Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of above matters with respect to the our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the un-audited financial statements/financial information certified by the management.

8. The Consolidated Financial Results include the results for the quarter ended 31st March 2020 being the balancing figure between the audited figures in respect of the full financial year and the published unaudited year to date figures up to the third quarter of the current financial year which were subject to limited review by us.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit & Loss account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit of the consolidated financial statements and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the banks within the Group, which have come to our notice, have been within the powers of the respective banks within the Group; and

c) The returns received from the banks within the Group have been found adequate for the purposes of our audit of the consolidated financial statements.

11. We further report that:

a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept so far as it appears from our examination of those books and the reports of the other auditors;

b) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the relevant books of accounts

ग) बैंकिग विनियामक अधिनियम 1949 को धारा 29 के तहत बैंक के अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित/समीक्षा किए गए घरेलू अनुषंगियों, सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों के लेखों पर रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है तथा विदेशी अनुषंगियों और सहायक कंपनियों के खातों पर रिपोर्ट हमें उपलब्ध करवाई गई है और रिपोर्ट को तैयार करने में हमने उचित रूप से कार्रवाई की है, और

घ) हमारी राय में, समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने की सीमा तक अनुपालन करते हैं।

12. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग बाध्यताएँ" के संबंध में पत्र सं. डीओएस.एआरजी. सं. 6270/08.91.001/ 2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 जिसे आरबीआई द्वारा जारी अनुवर्ती संप्रेषण दिनांक 19 मई, 2020 के साथ पढ़ा जाए, की अपेक्षानुसार, हम उपर्युक्त पत्र के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट करते है, जो निम्नलिखित है:

क) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का पालन करते हैं, वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों के असंगत नहीं है।

ख) ऐसे वित्तीय संव्यवहारों/मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं हैं, जिससे बैंक के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

ग) यथा दिनांक 31 मार्च, 2020 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभिवेदन के आधार पर, बैंक के निदेशकों में से किसी को भी यथा दिनांक 31 मार्च, 2020 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के अनुसार एक निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य (डिस्क्वालीफाई) नहीं बताया गया है।

घ) खातों के प्रबंधन और उनसे संबंधित अन्य मामलों के संदर्भ में कोई शर्ते, सुरक्षित या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ड़) जैसा कि बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए दिनांक 19 मई, 2020 को आरबीआई से अनुमोदित "वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" को लागू करने के विकल्प पर कार्य किया है, इस संबंध में हम अन्य टिप्पणी नहीं देंगे।

maintained for the purpose of the preparation of the consolidated financial statements;

c) The reports on the accounts of the domestic and overseas subsidiaries, associates and joint ventures reviewed/audited by other auditors and the reports of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been provided to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards; to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

12. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks–Reporting obligations for SCAs from FY: 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2020, none of the directors of the bank is disqualified as on March 31, 2020 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.

d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) As the Bank has exercised the option to implement "Internal Financial Controls with reference to the Financial Statements" from the financial year 2020-21 as permitted by RBI on May 19, 2020, we do not provide any comment in this regard.

कृते एनबीएस एंड कं.
For NBS & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 110100W) (FRN 110100W)

शरत शेट्टी
भागीदार Sharath Shetty
Partner
सदस्यता सं. 132775 M. No. 132775
यूडीआईएन:- UDIN:- 20132775AAAAEE7451

कृते बंशी जैन एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार For Banshi Jain & Associates
Chartered Accountants
(एफआरएन 100990W) (FRN 100990W)

विशाल शेठ
Vishal Sheth
भागीदार Partner
सदस्यता सं. 121170 M. No. 121170
यूडीआईएन:- UDIN:-20121170AAAAJT5745

कृते चतुर्वेदी एण्ड कं.
For Chaturvedi &Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(FRN 302137E) (एफआरएन 302137E)

आर. के. नंदा
R.K. Nanda
भागीदार Partner
सदस्यता सं. 510574 M. No. 510574
यूडीआईएन:- UDIN:-20510574AAAAAZ7894

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 25 जून, 2020 / Date: June 25, 2020

बासेल III (स्तंभ 3)- प्रकटन (समेकित) मार्च 2020

तालिका डीएफ 1

अनुप्रयोग का कार्यक्षेत्र

समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिस पर यह संरचना लागू होती है : बैंक ऑफ़ इंडिया

i. गुणात्मक प्रकटन

अ. ऐसे समूह संस्थाओं की सूची जो समेकन में शामिल हैं

संस्था इकाई का नाम/निगमन देश	क्या इकाई/संस्था लेखा समेकन के दायरे में शामिल है (हां/नहीं)	समेकन की विधि समझाएं	क्या इकाई समेकन के नियामक दायरे के तहत शामिल है (हां/नहीं)	समेकन की विधि समझाएं	समेकन की विधि में अंतर के कारण दें	समेकन के केवल एक दायरे के अंतर्गत समेकित है तो कारण दें
बैंक ऑफ़ इंडिया न्यूज़ीलैंड लि.	हां	अनुषंगी	हां	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.	हां	अनुषंगी	हां	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ इंडिया (तनज़ानिया) लि.	हां	अनुषंगी	हां	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया, टीबीके	हां	अनुषंगी	हां	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई शेयर होल्डिंग लि.	हां	अनुषंगी	हां	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेन्ट मैनेजर्स प्रा.लि.	हां	अनुषंगी	हां	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेस प्रा. लि.	हां	अनुषंगी	हां	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि.	हां	अनुषंगी	हां	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इन्श्यूरन्स कं. लि.	हां	संयुक्त उद्यम	नहीं	संयुक्त उद्यम	लागू नहीं	लागू नहीं
एसटीसीआई फायनान्स लि.	हां	सहायक कंपनी	हां	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
एएसआरईसी (इंडिया) लि.	हां	सहायक कंपनी	हां	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
इंडो-जांबिया बैंक लि.	हां	सहायक कंपनी	हां	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	हां	सहायक कंपनी	हां	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी आर्यवर्त बैंक	हां	सहायक कंपनी	हां	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	हां	सहायक कंपनी	हां	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं

* बैंक ऑफ़ इंडिया ने अपनी विदेशी अनुषंगी बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. को बेच दिया है तथा 22 नवम्बर, 2019 से प्रभावी होकर यह अनुषंगी नहीं है।

ख) लेखांकन तथा नियामक समेकन गुंजाइश, इन दोनों के तहत समेकन में शामिल न किए जाने वाले समूह संस्थाओं की सूची-

ऐसी कोई भी समूह संस्था नहीं है जिसके लिए लेखांकन समेकन गुंजाइश और नियामक समेकन गुंजाइश, इन दोनों के तहत समेकन हेतु विचार न किया गया हो।

(ii) मात्रात्मक प्रकटन:

(ग) ऐसी समूह संस्थाओं की सूची जो समेकन में शामिल हैं

संस्था का नाम/निगमीकरण का देश	संस्था की मुख्य गतिविधि	कुल बैलंस शीट इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र में दिए अनुसार) (इक्विटी+रिजर्व) (रु. मिलियन)	कुल बैलेंस शीट आस्तियां (कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में दिए अनुसार) (रु. मिलियन)
बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.	बैंकिंग	2,476.62	3,880.14
बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.	बैंकिंग	823.26	4,627.01
बैंक ऑफ़ इंडिया (तनज़ानिया) लि.	बैंकिंग	972.23	3,245.93
पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया, टीबीके	बैंकिंग	5,229.58	18,670.84
बीओआई शेयर होल्डिंग लि.	स्टॉक एक्सचेंज का समाशोधन व का निपटान	324.28	358.50
बैंक ऑफ़ इंडिया एक्सा इन्वेस्टमेन्ट मैनेजर्स प्रा.लि.	आस्ति प्रबंधन	528.09	577.79
बैंक ऑफ़ इंडिया एक्सा ट्रस्टी सर्विसेस प्रा. लि.	ट्रस्टीशिप सेवाएं	2.11	2.27
बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि.	मर्चेंट बैंकिंग सेवाएँ	148.18	150.98
स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इन्श्यूरन्स कं. लि.	जीवन बीमा	6,569.17	96,613.68
एसटीसीआई फाइनान्स लि.	एनबीएफसी-एनडीएसआई	19,004.53	112,202.36
एएसआरईसी (इंडिया) लि.	आस्ति वसूली कंपनी	1,450.41	1,982.34
इंडो जांबिया बैंक लि.	बैंकिंग	5,028.16	29,387.09
आरआरबी विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	(-)1967.78	47,611.27
आरआरबी आर्यावर्त बैंक	बैंकिंग	20,506.02	3,33,283.51
आरआरबी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	3,505.01	1,73,131.85

घ. सभी अनुषंगियों में पूंजीगत कमी की कुल राशि जिसे विनियामक समेकन, अर्थात गुंजाइश में शामिल नहीं किया गया जिनकी कटौती की जाती है:

अनुषंगियों में कोई कमी नहीं है।

ङ बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हित की समग्र राशि (उदाहरणार्थ चालू बही मूल्य) जिन्हें जोखिम-भारित आधार पर मापा जाता है:

बीमा कंपनियों के नाम/निगमीकरण का देश	संस्था की प्रमुख गतिविधि	कुल बैलेंस शीट इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन बैलेंस शीट में यथा प्रतिपादित) रु. मिलियन में	कुल इक्विटी में बैंक की हिस्सेदारी का % /मतदान अधिकार का अनुपात	कटौती पद्धति का उपयोग करने बनाम जोखिम भारितापद्धति का उपयोग करने से नियामक पूंजीपर मात्रात्मक प्रभाव (रु.मिलियन में)
स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	जीवन बीमा	2589.64	28.96	1875.00 (जोखिम भार 250%)

च. बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या नियामक पूंजी के अंतरण के संबंध में कोई प्रतिबंध या बाधाएं जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिशासित है।

नहीं

तालिका डीएफ - 2

पूंजी पर्याप्तता

i. गुणात्मक प्रकटन

क. वर्तमान तथा भावी कार्य-कलापों के समर्थन में अपनी पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन के लिए बैंक के दृष्टिकोण की संक्षेप में विवेचना।

1. बैंक ऑफ़ इंडिया :

बैंक समय-समय पर अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं का नियमित मूल्यांकन करता है। भविष्य में कारोबार वृद्धि, पूंजीगत आवश्यकताएं, नीति दिशा-निर्देश, मैक्रो आर्थिक परिदृश्य एवं जोखिम क्षमता, आदि का ध्यान रखने हेतु पूंजीगत योजना की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। सभी जोखिमों से व्यापक रूप से निपटने हेतु बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) विकसित की है।

2. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी) :

बैंक इंडोनेशिया के विनियमन के अनुरूप विदेशी मुद्रा व्यापार चलाने के लिए, बैंक की टियर-1 पूंजी कम-से-कम आईडीआर1 ट्रिलियन होना चाहिए।

3. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी) और बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. (अनुषंगी) :

पर्यवेक्षण उद्देश्य हेतु बैंक ऑफ़ तंजानिया (बीओटी) और बैंक ऑफ़ युगांडा (बीओयू) द्वारा कार्यान्वित अनुसार, बासेल समिति द्वारा विकसित दिशानिर्देशों पर आधारित तकनीक का प्रयोग करते हुए, बैंक प्रबंधन द्वारा पूंजी पर्याप्तता तथा नियामक पूंजी के प्रयोग की नियमित निगरानी की जाती है। आवश्यक सूचना तिमाही आधार पर बीओटी और बीओयू स्थानीय विनियामक के पास प्रस्तुत है। 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी होकर आईएफआरएस-9 को कार्यान्वित किया गया है।

बैंक की नियामक पूंजी, जो इसके प्रबंधन द्वारा प्रबंधित है, वह दो टियर में विभाजित है:

टियर 1 पूंजी : शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा आस्थागित प्रभार सांविधिक आरक्षितियाँ, तथा टियर-1 पूंजी की गणना में सामान्य प्रावधान घटाये जाते हैं।

टियर 2 पूंजी : - अर्हक गौण ऋण पूंजी, समेकित क्षतिभत्ता तथा बिक्री हेतु उपलब्ध इक्विटी लिखतों के उचित मूल्यांकन पर अप्राप्त उगाही।

जोखिम भारित आस्तियों को पाँच जोखिम भारों के अनुक्रम द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। जोखिम-भार का वर्गीकरण, किसी पात्र संपार्श्विक या गारंटी की गणना करते हुए, आस्ति की प्रकृति, ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और प्रत्येक आस्ति एवं प्रतिपक्ष से जुडे जोखिम के आधार पर किया जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया, संभावित हानियों की अधिक आकस्मिक प्रकृति को परिलक्षित करते हुए कुछ आशोधनों के साथ, ऑफ़-बैलेन्स शीट एक्सपोज़र के लिए भी की जाती है।

4. बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. (अनुषंगी)

पर्यवेक्षण उद्देश्य हेतु रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड (आरबीएनज़े) के दिशानिर्देशों पर आधारित नियोजित तकनीक पर पूंजी पर्याप्ताता तथा नियामक पूंजी के प्रयोग की निगरानी प्रतिदिन बैंक के प्रबंधन द्वारा की जाती है। आवश्यक सूचना का प्रकटन तिमाही आधार पर सामान्य प्रकटन विवरण द्वारा किया जाता है। बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रबंधित नियामक पूंजी में केवल टियर 1 पूंजी शामिल है।

टियर 1 पूंजी : शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षितियाँ।

जोखिम भारित आस्तियों को पाँच जोखिम भारों के अनुक्रम द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। जोखिम-भार का वर्गीकरण, किसी पात्र संपार्श्विक या गारंटी की गणना करते हुए, आस्ति की प्रकृति, ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और प्रत्येक आस्ति एवं प्रतिपक्ष से जुड़े जोखिम के आधार पर किया जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया, ऑफ़-बैलेन्स शीट एक्सपोज़र के लिए भी की जाती है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

(राशि रु. मिलियन में)

ऋण जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताएं :(#)	
➢ मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की शर्त पर पोर्टफोलियो	2,28,866.40
➢ प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	
बाज़ार जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताएं :मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (#)	17,810.00
➢ ब्याज दर जोखिम	13,085.21
➢ विदेशी मुद्रा जोखिम (सोना सहित)	354.37
➢ इक्विटि जोखिम	4,371.75
परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकता (#): ➢ बेसिक इंडिकेटर दृष्टिकोण ➢ मानकीकृत दृष्टिकोण (यदि लागू हो)	28,230
कॉमन इक्विटी टियर 1, टियर 1 और कुल पूंजी अनुपात : **(शीर्ष समेकित समूह हेतु)**	
➢ आम इक्विटी टियर 1 पूंजी (CET 1)	9.90
➢ टियर 1 पूंजी (T 1)	9.92
➢ कुल पूंजी अनुपात	13.10
# आवश्यक पूँजी को आरडब्ल्यूए की 9% की दर से न्यूनतम नियामक आवश्यकता पर गणना की जाती हैं।	

तालिका डीएफ 3 - ऋण जोखिम

सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

क) ऋण जोखिम सहित सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता जिसमें सम्मिलित हैं:

- पिछले देय तथा अपसामान्य की परिभाषा (लेखांकन प्रयोजन हेतु)

1.0 बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों का अनुपालन करता है, जिसका सारांश निम्नलिखित है:

1.1 अनर्जक आस्तियाँ

ऐसी आस्ति जिसमें पट्टा आस्ति शामिल है, जब बैंक के लिए आय उत्पन्न नहीं करती है तब वह अनर्जक हो जाती है।

अनर्जक आस्ति (एनपीए) एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जिसमें :

- मीयादी ऋण के संबंध 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए मूलधन का ब्याज और/या किस्त अतिदेय रहता है।
- किसी ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के सम्बन्ध में, नीचे दर्शाए गए अनुसार "अनियमित" हुआ खाता।
- क्रय तथा बट्टागत बिल के मामले में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहने वाले बिल।
- अल्पावधि फसलों हेतु दो फसली मौसमों के लिए, अतिदेय रहने वाले मूलधन की किस्त अथवा ब्याज।
- दीर्घावधि फसलों हेतु एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहने वाले मूलधन की किस्त अथवा उस पर ब्याज।
- दिनांक 1 फरवरी, 2006 के प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देशों के अनुसरण में किसी प्रतिभूतिकरण लेन देन चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है तो।
- बैंक किसी भी खाते को एनपीए के रूप में तब ही वर्गीकृत करेगा जब ब्याज तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह चुकाया नहीं जाए।।
- बुनियादी/गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण, यदि उसे पुनःसंरचित नहीं किया जाता और "मानक आस्ति" के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार (90 दिन का अतिदेय होने पर) वाणिज्यिक परिचालन शुरु होने से पहले किसी भी समय एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- किसी बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुनःसंरचित नहीं किया जाता और "मानक आस्ति" के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से दो वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरु करने में असफल रहता है तो उसे एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- किसी गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुनःसंरचित नहीं किया जाता और "मानक आस्ति" के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से छः माह के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरु करने में असफल रहता हैं तो उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

1.2 "अनियमित" स्थिति

कोई खाता तब "अनियमित" माना जाता है जब उसमें स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से ज्यादा बकाया लगातार बना रहे। उन मामलों में जहाँ प्रधान परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृति सीमा/आहरण अधिकार से कम है किन्तु तुलन पत्र की तिथि तक 90 दिनों तक लगातार कोई जमा नहीं है या उस अवधि के दौरान ब्याज नामे करने की राशि न हो तो, इन खातों को "अनियमित" खाता माना जाता है।.

1.3 "अतिदेय"

किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि तब अतिदेय होती है जब बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

1.4 अनर्जक निवेश

प्रतिभूतियों के मामले में, जहाँ ब्याज/मूलधन बकाया है तथा बैंक प्रतिभूतियों पर आय की गणना नहीं करता है तथा निवेशमूल्य में मूल्यह्रास हेतु यथोचित प्रावधान करता है।

एक अनर्जक निवेश (एनपीआई) एक अनर्जक अग्रिम (एनपीए) के समान है जहाँ :

- ब्याज/किस्त (परिपक्वता आगम सहित) देय है तथा 90 दिनों से अधिक तक अदत्त है।
- अधिमानी शेयरों के यथोचित परिवर्तनों सहित जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है।
- इक्विटी शेयरों के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुरूप नवीनतम तुलन पत्र के अनुपलब्धता पर किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य रु. 1 प्रति कंपनी है तो ऐसे इक्विटी शेयर अनर्जक निवेश माने जाएंगे।
- निर्गमकर्ता द्वारा यदि कोई ऋण सुविधा प्राप्त की जाती है जो बैंक की बही में अनर्जक अग्रिम है तब इस निर्गमकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश को अनर्जक अग्रिम माना जाएगा तथा विलोमतः।
- डिबेन्चर/बॉण्ड में निवेश, जिसे अग्रिम प्रकृति का समझा जाए वह निवेशों पर लागू अनर्जक अग्रिम के अध्यधीन है।

2.0 पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

ऋण गुणवत्ता का अभिनिर्धारण, कारोबार की संभावना, ऋणी का कार्यनिष्पादन और चुकौती क्षमता जैसे तथ्यों के आधार पर किया जाता है। यह प्रत्येक अभिनिर्धारण, तथ्य और घटकों तथा संबंधित ऋणी की विशिष्टताओं से संबद्ध अभिनिर्धारण तथ्यों के आधार पर किया जाता है। तदनुसार आस्तियों को चालू, विशेष उल्लेख, अवमानक, संदिग्ध और हानि प्रवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है।

"आस्तियाँ", अर्जक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों में वर्गीकृत की जाती हैं। अर्जक आस्तियाँ, राजस्व अर्जित करने के लिए किसी बैंक द्वारा निधियों का प्रावधान है। "अनर्जक आस्तियाँ" बैंक की अर्जक आस्तियों के अलावा हैं जिसमें हानि की संभावना है।

कोई आस्ति अनर्जक तब होती है जब वह बैंक के लिए राजस्व उत्पन्न करना बंद कर देती है। अनर्जक आस्ति ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ मूलधन और/या ब्याज 90 दिन से अधिक के लिए बकाया है।

गत देय : किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय राशि गतदेय होती है यदि उसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित की गई तिथि को नहीं किया जाता है।

2010 में पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके ने नई लेखांकन नीति पीएसएके 50 तथा 55 के कार्यान्वयन को आरम्भ किया जो अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक आईएएस 32 तथा 39 के समान है जिसके अनुसार वित्तीय आस्तियों को उचित मूल्य पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। पीएसएके 50

तथा 55 के कार्यान्वयन के दौरान बैंक इण्डोनेशिया ने दिशा-निर्देश जारी किया है कि यदि ट्रांजिशन अवधि के दौरान अर्थात् 2011 तक बैंक पूर्व कि हानि के डाटा रखरखाव नहीं करता है तो वह उपर्युक्त वर्णितानुसार ह्रासित वित्तीय आस्ति की गणना कर सकता है। पीएसएके परिकलन को बैंक की कोर बैंकिंग में शामिल करने की प्रक्रिया में है जो प्रौद्योगिकी उन्नतिकरण के हमारे कारोबारी योजना के अनुरूप है।

मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा समीक्षित बकाया ऋण और अग्रिम निम्नानुसार वर्गीकृत किए जाना चाहिए :

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
90-120	अवमानक	15%
120-180	संदिग्ध	50%
180 और ज्यादा	हानि	100%

3.0 बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड), बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. एवं बैंक ऑफ़ इंडिया युगांडा

ऋण जोखिम बैंक के लिए वित्तीय हानि का जोखिम हो जाता है जब कोई ग्राहक या किसी वित्तीय लिखत का प्रतिपक्षी अपने संविदागत दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पाता है और वह प्रमुख रूप से ग्राहकों एवं अन्य बैंकों को बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों एवं अग्रिमों तथा नामे प्रतिभूतियों में निवेश के कारण होता है।

निदेशक मंडल ने अपनी ऋण समिति को ऋण जोखिम की चूक के लिए जिम्मेदारी प्रत्यायोजित की है। ऋण समिति को रिपोर्ट करने वाला ऋण विभाग बैंक के ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, इसमें निम्नलिखित शामिल है:-

- संपार्श्विक आवश्यकताओं को कवर करते हुए ऋण नीतियों का प्रतिपादन, ऋण निर्धारण, जोखिम ग्रेडिंग तथा रिपोर्टिंग, प्रलेखी तथा विधिक प्रक्रियाएं, विनियामक तथा सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन।
- ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए प्राधिकृत करने का ढ़ाँचा स्थापित करना। बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऋण नीति द्वारा ऋण सीमाएँ शामिल होती हैं।
- ऋण जोखिम की समीक्षा एवं अभिनिर्धारण।
- प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम का संकेन्द्रण, भौगोलिक एवं औद्योगिक (ऋणों एवं अग्रिमों के लिए) सीमित करना।

3.1 गत देय एवं अनर्जक की परिभाषा (लेखांकन उद्देश्य के लिए)

ओवरड्राफ्ट एवं अन्य ऋण सुविधा बिना विशिष्ट नियत तारीखों के गत देय माने जाएंगे यदि

- ग्राहक का उधार सीमा से अधिक हो जाए।
- ग्राहक की उधार सीमा समाप्त हो जाए।
- गणना किए गए ब्याज और अवधि के लिए नियत ब्याज को पूरा करने के लिए जमाराशियों का अपर्याप्त होना।
- बिल अनादृत कर दिए गए हों।
- बिल या खाते का भुगतान नियत तारीख पर न किया गया हो।
- ऋण जिनकी चुकौती किस्तों में की जानी होती है, समूचे रूप से गतदेय माने जाते हैं, यदि कोई भी किस्त जो देय हो चुकी है और तीस दिन या ज्यादा अवधि के लिए भुगतान नहीं की गई हो।

4.0 बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. :

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा करके निम्नानुसार वर्गीकृत की जानी चाहिए:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-180	अवमानक	10%
181-270	संदिग्ध	50%
271 और अधिक	हानि	100%

5.0 बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि.

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर निम्नानुसार वर्गीकृत की जानी चाहिए:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
30-90	विशेष उल्लेखनीय	3%
91-180	अवमानक	20%
181-360	संदिग्ध	50%
361 और अधिक	हानि	100%

6.0 बैंक ऑफ़ इंडिया युगांडा

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर निम्नानुसार वर्गीकृत की जानी चाहिए:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-179	अवमानक	20%
180-365	संदिग्ध	50%
365 और अधिक	हानि	100%

ख) बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा :

क. बैंक ऑफ़ इंडिया :

- किसी बैंक के पोर्टफोलियों में, किसी ग्राहक अथवा प्रतिपक्ष का उधार, व्यापार समझौता और अन्य वित्तीय लेन-देन की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने की अक्षमता या अनिच्छा से अथवा ऋण नीति में वास्तविक या संभावित ह्रास से पोर्टफोलियों के बढ़ते मूल्य की एकमुश्त चूक से हानि उत्पन्न होती है।
- इन कमियों के विरुद्ध बैंक के दीर्घावधि वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक दृढ़ जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। ऋण जोखिम प्रबंधन में पहचान, मापन, निगरानी तथा ऋण जोखिम नियंत्रण सम्मिलित है।
- ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में सामान्य स्तर पर बैंक ने विभिन्न प्रकार के ऋण जोखिम की पहचान की है। उत्पाद/प्रक्रियाओं के स्तर पर अधिक सूक्ष्मता से पहचान होती है। नए उत्पादों/प्रक्रियाओं को आरम्भ करने से पहले विभिन्न

जोखिमों का आकलन किया जाता है, जिसे जोखिम दृष्टिकोण से जोखिम रहित किया जाता है।

➢ ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क में तीन विशिष्ट खण्डों को इसकी नीति में समाहित किया गया है जो है- नीति एवं कार्यनीति, संस्थागत ढ़ांचा और परिचालन/प्रणाली।

i) नीति और कार्यनीति:

बैंक संतुलित जोखिम के दर्शन को अपनाता रहा है, जिससे कठिन समय में भी बैंक अपने संतुलन के बनाए रख पाया। यद्यपि नए तथा अनछुए क्षेत्रों के संबंध में बैंक की एक खुली नीति रही है तथा नए अवसरों को बैंक ने हमेशा पहचाना है। इस दर्शन के महत्वपूर्ण पक्षों को परिपत्रों में दर्शाया गया है तथा समय-समय पर अनुदेश पुस्तिका रूप में संहिताबद्ध किया गया है।

लाभप्रदता, सामना किए जाने वाले विभिन्न जोखिमों के स्तर, पूँजी स्तर, बाजार परिदृश्य तथा प्रतियोगिता को दृष्टिगत रखते हुए बैंक के कारोबारी उद्देश्यों और कार्यनीतियों का निर्णय लिया जाता है। बैंक की सोच हमेशा आस्ति गुणवत्ता तथा अर्जन पर रहती है अतएव वह विवेकपूर्ण ढ़ंग से जोखिम नियंत्रण सहित लाभप्रदता को अधिक करने का प्रयास करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति तथा सार्थक ऋण जोखिम संबंधी नीति जैसे ऋण नीति तथा ऋण अनुप्रवर्तन नीति का अनुमोदन तथा आवधिक तौर पर समीक्षा, निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। ऋण नीति विभिन्न क्षेत्रों का ध्यान रखती जैसे ग्राहक, विपणन, उधार के क्षेत्रवार अभिगम, ऋण सुपुर्दगी, ऋण पर जोर, ऋण अवधि, ऋण अर्जन, जोखिम श्रेणी निर्धारण (जोखिम स्वीकार मानदंड सहित), कीमत निर्धारण, ऋण मूल्यांकन, सीमाओं का निर्धारण, ऋण जोखिम मानदंड, उद्योग मानदंड, संपार्श्विक और मार्जिन, रिश्तों की समीक्षा, प्रत्यायोजन की परिपाटी, सांविधिक तथा अन्य नियंत्रण तथा प्रलेखीकरण। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों हेतु ऋण नीति है और प्रत्येक केन्द्र की अपनी क्रेडिट नीति है जो मुख्य नीति से मेल खाती है। ऋण मामले में शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए एक अलग नीति है। इसके अतिरिक्त ऋण जोखिम की पहचान तथा निगरानी ऋण अनुप्रवर्तन नीति के अंतर्गत की जाती है। पुनर्गठन नीति, बट्टे खाते में डालने की नीति तथा वसूली नीति, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण नीति, बैंक एक्सपोजर नीति, देश जोखिम नीति तथा ऋण लेखापरीक्षा नीति भी है। निवेश समिति द्वारा अनुमोदन के बाद तथा निवेश नीति में दिए गए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश अनुबंधित होता है।

ii) संस्थागत ढांचा:

ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य हेतु बैंक के संस्थागत ढांचे में शीर्ष स्तर पर निदेशक मंडल है जो जोखिम प्रबंधन पर व्यापक पर्यवेक्षण रखता है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर. कॉम) जो कि बोर्ड की उप-समिति है तथा जिसके अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष और इसके सदस्य के रूप में ऋण, मार्केटिंग और परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति के प्रमुख हैं जो ऋण जोखिम सहित समेकित जोखिम प्रबंधन की नीति और कार्यनीति निर्धारित करते हैं। परिचालनात्मक स्तर पर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) ऋण जोखिम का दायित्व संभालते हैं। इसके मुख्य कार्यों में बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन, बृहत आधार पर बैंक के ऋण जोखिम की निगरानी, ऋण प्रत्यायोजन, बृहत ऋण जोखिम पर विवेकपूर्ण सीमा, पोर्टफोलियो प्रबंधन आदि सहित ऋण मामलों से संबंधित सभी नीतियों का बोर्ड से अनुमोदन हेतु अनुशंसा करना है।

जोखिम प्रबंधन विभाग के महाप्रबंधक पद के मुख्य जोखिम अधिकारी के देखरेख में कार्यरत है जो जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर व्यापक रूप से ऋण जोखिम का मापन, नियंत्रण तथा प्रबंधन करते हैं तथा बोर्ड/आर.कॉम/सीआरएमसी द्वारा तय जोखिम मानदंडों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। महाप्रबंधक के अंतर्गत कार्यरत ऋण निगरानी विभाग ऋण पोर्टफोलियो का अनुप्रवर्तन करते हैं, समस्याओं की पहचान करते है तथा कमियों को दूर करने के उपाय करते हैं। ऋण लेखापरीक्षा कार्यों में ऋण समीक्षा/ऋण लेखापरीक्षा का समावेश है।

iii) परिचालन/प्रणाली/प्रक्रियाएं

बैंक ऋण प्रदान करने के लिए निरंतर एक मानक, तुलन पत्र में शामिल न होने वाली मदों सहित सभी ऋण जोखिमों का अनुरक्षण तथा प्रलेखीकरण, आवधिक व्यक्तिगत बाध्यताधारी समीक्षा, आवधिक निरीक्षण तथा संपार्श्विक प्रबंधन प्रणाली जैसी स्वत: पहल कर ऋण जोखिम प्रबंधन करता है।

ऋण जोखिम सीमा में उद्योग द्वारा बाध्यताधारी सीमा व संकेन्द्रण सीमा, ग्राहकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन हेतु प्रणाली व प्रक्रिया हेतु निगरानी तथा सीमा में बकाया नियंत्रण सम्मिलित है। ऋण विस्तार हेतु जांच तथा अधिशेष है यथा ऋण स्वीकृति से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, सीआरएमसी द्वारा जोखिम दृष्टिकोण से नए उत्पादों तथा प्रणाली का पुनरीक्षण, बहु ऋण अनुमोदक, जोखिम निर्धारण करने की प्रणाली, ग्राहक के जोखिम ग्रेडिंग पर आधारित कीमत सुविधाओं की प्रणाली, जोखिम दृष्टिकोण से ऋण प्रस्तावों के पुनरीक्षण हेतु ऋण जोखिम मूल्यांकन समिति, ऋण प्रक्रिया लेखापरीक्षा, स्वीकृति पूर्व संवितरण पूर्व समीक्षा तथा स्वीकृति पूर्व समीक्षा प्रणाली तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षा व जोखिम समीक्षा कार्य निवेशों हेतु प्रस्ताव ऋण जोखिम विश्लेषण, विस्तृत मूल्यांकन तथा क्रम निर्धारण के अध्यधीन है। प्रवेश स्तर के मामले में, न्यूनतम क्रमनिर्धारण/गुणवत्ता मानक, उद्योग, परिपक्वता, अवधि, निर्गम अनुसार मामले निवेशों हेतु विनिर्धारित किए गए हैं जिससे कि तरलता के जोखिम तथा संकेन्द्रण के विपरीत प्रभाव को कम कर सकता है। किसी ग्राहक को एक्सपोजर की गणना करते समय निवेश एक्सपोजर पर ध्यान दिया जाता है। अन्य बैंकों पर सकल जोखिम पर केन्द्रीयकृत परिदृश्य प्रदान करने हेतु एक उचित फ्रेमवर्क तथा अर्धवार्षिक समीक्षा की गई है। देश के जोखिम का अनुप्रवर्तन अर्धवार्षिक आधार पर होता है।

जोखिम आस्तियों के विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो का अनुरक्षण किया जाता है तथा पोर्टफोलियो के नियमित विश्लेषण करने की एक प्रणाली है जिससे कि जोखिम संकेन्द्रण के जोखिम नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। अनर्जक अग्रिमों के संबंध में एक संतुलित नीति प्रक्रियागत है। ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली के आरम्भ सहित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को उन्नतिशील किया गया है जिससे कि बैंक की क्षमताएं बढ़ेगी तथा तुलन पत्र में न आने वाली या आने वाली सभी गतिविधियों के ऋण जोखिम का बैंक प्रबंधन करेगा।.

iv) ऋण जोखिम प्रबंधन/न्यूनीकरण हेतु निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया जाता -

➢ **ऋण अनुमोदित करने संबंधी प्राधिकार अधिकारों का प्रत्यायोजन :**

बैंक में बहु स्तरीय जोखिम आधारित अनुमोदित प्रणाली वाली सुस्पष्ट प्रत्यायोजन अधिकार की योजना है जिसकी आवधिक समीक्षा की जाती है और कारोबार के वातावरण की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए जब एवं जैसा आवश्यक होता है, उसे संशोधित किया जाता है।

अधिकारियों का प्रत्यायोजन उधारकर्ताओं के रेटिंग के साथ लिंक की हुई है जहां बेहतर रेट वाले ग्राहकों को उच्चतर सीमा की मंजूरी देने का अधिकार है। वर्तमान में सभी ऋण प्रस्तावों पर जो महाप्रबंधक और उससे उच्चतर प्राधिकारी को प्रत्यायोजित प्राधिकारमें आते हैं। "ऋण जोखिम मूल्यांकन समिति (सीआरईसी)" के माध्यम से कार्रवाई की जाती है जिससे ऋण प्रस्तावों में जोखिमों को स्वतंत्र एवं परोक्ष रूप से मूल्यांकन समझा जा सके। जोखिम प्रबंधन विभाग के महाप्रबंधक जिसे कोई मात्रात्मक या लाभ का लक्ष्य नहीं है सीआरईसी का अनिवार्य सदस्य होता है।

वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर प्रत्यायोजित अधिकारों के प्रयोग हेतु स्वीकृति के अधिकारी सहित गठित की गई हैं। प्रधान कार्यालय स्तर पर फील्ड में कार्यरत अधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों से परे प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए तीन ऋण समितियाँ (जीएमएलसीसी, ईडीएलसीसी एवं सीएसी) कार्यरत हैं। आंचलिक कार्यालय/ एनबीजी कार्यालय में उनके अधिकारों में आनेवाले ऋण प्रस्तावों पर विचार करने के लिए इसी प्रकार ऋण समितियाँ (एसजेडएलसीसी/जेडएलसीसी/एनबीजीएलसीसी) का गठित की गई है।

- **विवेकपूर्ण सीमाएँ**

विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं के लिए ऋण/निवेश के विविध पहलुओं जैसे एकल/समूह उधारकर्ता सीमाओं के संबंध में उपयुक्त विवेकपूर्ण सीमाएँ हैं।

- **जोखिम श्रेणी निर्धारण/मूल्य निर्धारण**

काऊन्टर पार्टी के विभिन्न जोखिम घटकों के लिए एकल बिन्दु इन्डीकेटर तथा क्रेडिट तथा मूल्य निर्धारण में सहायता हेतु बैंक ने विभिन्न खण्डों में श्रेणी निर्धारण माडल आरंभ किया है।

- **ऋण लेखा परीक्षा/ऋण समीक्षा व्यवस्था (एलआरएम)**

ऋण लेखा परीक्षा/ऋण समीक्षा व्यवस्था ऋण बही की गुणवत्ता के लगातार मूल्यांकन करने और ऋण प्रबंध में गुणात्मक सुधार लाने हेतु एक प्रभावी साधन है।

v) विश्लेषण के माध्यम से संविभाग प्रबंधन:

विभिन्न ऋण पोर्टफोलियों एवं निवेशों की समग्र संरचना और गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक उपयुक्त प्रणाली होना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से शुरुआत के लिए बैंक ने एक सरल पोर्टफोलियों निगरानी फ्रेमवर्क प्रारंभ किया है। आगे चलकर बैंक और अधिक परिष्कृत पोर्टफोलियों प्रबंधन मॉडल तैयार करेगा। रु 10 लाख और इससे अधिक वाले खातों में रेटिंग माइग्रेशन छः माही किया जा रहा है और बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट साफ्टवेयर (सीआरएमएस) चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। बैंक एडवांस एप्रोच को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा है।

vi) जोखिम मापांकन:

वर्तमान में ऋण जोखिम का निर्धारण जोखिम श्रेणी निर्धारण व्यक्तिशः स्तर पर करने और पोर्टफोलियो स्तर पर आस्तियों के भारांक एवं जोखिम भारांको के आधार पर रखी गई पूँजी के माध्यम से किया जाता है। 31 मार्च 2008 से प्रभावी नवीन पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल II) के अन्तर्गत बैंक ने मानक दृष्टिकोण को अपना लिया है।

vii) जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली:

सभी ऋण संबंधी नीतियाँ अनुमोदन के लिए उचित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले सीआरएमसी (जो ऋण जोखिम के लिए परिचालन स्तर की समिति है) द्वारा अनुमत की जाती है। उचित निगरानी करने के लिए विभिन्न ऋण संबंधी सूचनाएँ सीआरएमसी को प्रस्तुत की जाती है।

viii) जोखिम समीक्षा:

लेखापरीक्षा-ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली एवं साधन भी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के अध्यधीन हैं।

ix) विशेषकर उल्लिखित खाते/एनपीए खातों के अनुवर्तन हेतु उपाय :

एनपीए की निगरानी/निवारण हेतु सामान्यतः बैंक में उपलब्ध विभिन्न उपाय नीचे सूचीबद्ध किए गए है :

I. एनपीए होने से पहले खाता [(विशेष रूप से उल्लिखित खाता (एसएमए)]:

क. आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वीकृत अवधि के अनुपालन हेतु सघन निगरानी।

ख. जहाँ भी अनियमितताएँ पाई गई है वहां तत्परता से अनुस्मारकों का भेजा जाना।

ग. एनपीए प्रवर्ग में खाते का न जाना सुनिश्चित करने हेतु तुरंत अतिदेयों की वसूली करना।

घ. वित्तीय डाटा के विश्लेषण के साथ इकाई का आवधिक निरीक्षण एवं आस्ति प्रभार।

ङ. खातों को एनपीए होने से पहले प्राप्य राशियों को पुनर्संरचित करना, अधिस्थगन अवधि, ब्याज निधि एवं किश्तों के आस्थगन की वृद्धि सहित सुधारात्मक कार्रवाई।

II. एनपीए होने के बाद खाता:

- बकाया को कम करने हेतु अर्थ सुलभ प्रतिभूतियों (टीडीआर, शेयर, मार्जिन राशि आदि) एवं गिरवी वस्तुओं का विनियोजन
- उधारकर्ताओं के सहयोग से अन्य प्रतिभूतियों का निपटान
- समझौता वार्ता के माध्यम से प्राप्य राशियों का समझौता निपटान
- अग्रिम को रीकॉल करना
- अदालत में मुकदमा दाखिल - डिक्री निष्पादन
- अंत में, प्राप्य राशियों की वसूली हेतु सभी उपाय करने के पश्चात्,खाता को नियत शेष के बट्टे खाते में डाला जाता हैं ।

ख. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी):

पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी) ने संपूर्ण जोखिम प्रबंधन को स्वीकृत लक्षित, समन्वित और सतत बनाने की आशा से जोखिम जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) तथा जोखिम प्रबंधन इकाई (आरएमयू) स्थापित की है जो परिचालन इकाई और आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई ("आंतिरक लेखा-परीक्षा") से स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त आरएमसी और आरएमयू के कार्यों के कार्यान्वयन के प्रभाव की निगरानी के लिए बैंक ने जोखिम निगरानी समिति बनाई है जो सीधे बोर्ड ऑफ कमीशनर्स को उत्तरदायी है।

बैंक ऑफ इंडोनेशिया के अनुसार बैंक ने 8 (आठ) प्रकार के जोखिमों को संभाला है। ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, अनुपालन जोखिम, विधि जोखिम, जोखिम के साथ संभाव्य जोखिम

वाली गतिविधियाँ जो बैंक की कारोबार निरन्तरता को खंडित करती है । जोखिम प्रकार का आकलन किसी भी कार्यात्मक गतिविधि (निहित जोखिम) और जोखिम नियंत्रण प्रणाली में निहित जोखिमों का संयोजन है।

बैंक नए ऋणों का अनुमोदन करने में चयनात्मक है और नियामक द्वारा आवश्यक ऋण के प्रावधान से अधिक बनाए रखता है। संपार्श्विक आधारित उधार में, संपार्श्विक के मूल्य पर हेयरकट लगाई जाती है। बैंक का जोखिम अधिकारी निदेशक अनुपालन को रिपोर्ट करता है। जोखिम प्रबंधन इकाई (आरएमयू) ऋण अनुमोदन प्रक्रिया की देखभाल/निगरानी रखते हैं।

ग. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. एवं बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. (अनुषंगी) तथा बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि.:

मासिक आधार पर ब्याज लगाया जाना, मानक आस्तियों में संभाव्य ऋण चूक या व्यतिक्रम से निपटने का एक उपयोगी साधन बन गया है। आस्ति की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु बैंक ने निम्नलिखित नीति अपनाई है जिस पर शाखाओं को तुरंत अमल करना चाहिए और :

- उधारकर्ता के साथ सक्रिय अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से अतिदेय या कम से कम संकटपूर्ण राशि को वसूल करना।
- अस्थायी बेमेल रोकड़ प्रवाह के मामलों में खातों में परिचालन को बनाए रखना।
- अपेक्षित नकदी प्रवाह के अनुसार चुकौती मीयाद को पुनर्निर्धारित करना।
- पुनर्रचना नीति में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार नकदी प्रवाह में यदि कोई अंतर हो तो अपेक्षित नकदी प्रवाह को दृष्टिगत रखते हुए देय राशि की पुनर्रचना की जाए।
- एनपीए होने से पहले खातों में बैंक द्वारा उपरोक्त में एक या अधिक कार्रवाई की गई है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन:

ए. कुल सकल ऋण जोखिम निम्नानुसार :

प्रवर्ग	(राशि मिलियन रुपयों में)
निधि आधारित	44,68,660.00
गैर-निधि आधारित *	4,67,660.00
कुल	**49,36,320.00**

* क्रेडिट छोड़कर डेरिवैटिव के समतुल्य

बी. जोखिम का भौगोलिक वितरण:

(रु. मिलियन में)

	स्वदेशी	विदेशी	वैश्विक
निधि आधारित	38,60,700	6,07,960	44,68,660
गैर-निधि आधारित	4,13,390	54,270	4,67,660

सी. उद्योगवार जोखिम का वितरण (निधि आधारित और गैर- निधि आधारित)निम्नलिखित है :

(रु. मिलियन में)

उद्योग का नाम	निधि आधारित (बकाया राशि) राशि मिलियन में	गैर निधि आधारित (बकाया राशि) राशि मिलियन में
कोयला	1,577.70	0.00
खदान	40,055.64	0.00
लौह एवं इस्पात	1,14,570.00	1,237.89
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	25,795.65	8,347.60
सभी इंजीनियरिंग	16,947.67	3,554.37
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	1,936.19	446.95
विद्युत	3,19,448.44	47,594.51
सूती वस्त्र उद्योग	31,007.64	432.86
जूट वस्त्र उद्योग	1,010.90	15.72
अन्य वस्त्र उद्योग	39,907.36	2,097.44
खाद्य प्रसंस्करण	35,457.32	2,182.47
जिसमें वनस्पति तेल	3,639.09	1,132.40
जिसमें चीनी	12,860.04	544.15
जिसमें अन्य खाद्य प्रसंस्करण	18,564.94	491.87
जिसमें चाय	11.26	14.05
तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	6,008.26	26.35
पेपर एवं पेपर उत्पाद	10,116.17	467.24
रबर एवं रबर उत्पाद	16,842.09	1,618.63
केमिकल, डाई, पेंट्स आदि	33,282.04	6,056.72
जिसमें से फर्टिलाइजर्स	9,195.56	250.52
जिसमें से पेट्रोकेमिकल्स	7,279.93	1,523.89
जिसमें से ड्रग्ज और फार्मास्युटिकल्स	8,854.99	3,518.46
जिसमें अन्य		
सीमेंट	14,447.77	202.30
चर्म एवं चर्म उत्पाद	4,196.57	174.07
रत्न एवं आभूषण	36,037.78	271.62
निर्माण	63,024.32	22,065.44
पेट्रोलियम	39,139.12	2,998.60
ऑटोमोबाइल्स, ट्रक सहित	18,640.95	1,206.90
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	0.00	0.00
आधारभूत संरचना*	4,83,061.84	91,491.32
जिसमें से पॉवर	3,20,871.58	51,764.58
जिसमें से दूरसंचार	1,466.39	47.87
जिसमें से सड़के और पत्तन	1,09,007.73	27,688.00
अन्य उद्योग	52,092.87	14,133.14

उद्योग का नाम	निधि आधारित (बकाया राशि) राशि मिलियन में	गैर निधि आधारित (बकाया राशि) राशि मिलियन में
शेष अन्य अग्रिम(सकल अग्रिमों सहित तुलन के लिए)	33,85,440.35	3,09,079.32
कुल	**44,68,660.00**	**4,67,660.00**
बुनियादी संरचना क्षेत्र के 10.96% के दर से एक्सपोज़र कुल निधि आधारित अग्रिमों के 5% से अधिक है		
बुनियादी संरचना क्षेत्र के 15.10% के दर से एक्सपोज़र कुल गैर-निधि आधारित बकाया के 5% से अधिक है		

डी. आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण निम्नलिखित है:

(रु. मिलियन में)

	अग्रिम	निवेश	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ
पहला दिन	1,45,878.32	40,936.82	3,366.07
2 से 7 दिन	55740.29561	1,42,540.97	33,622.97
8 से 14 दिन	57,853.21	21,982.06	54,724.91
15 से 30 दिन	96,922.34	28,097.27	72,346.25
31 दिन और 2 माह तक	91,688.30	37,122.27	62,785.46
>2 माह और 3 माह तक	1,67,662.44	38,535.31	62,785.46
> 3 माह और 6 माह तक	1,61,454.96	38,857.28	62,785.46
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	2,21,024.23	63,370.09	80,039.20
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	14,08,253.17	4,73,996.22	39,957.97
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	4,47,407.24	1,77,127.19	-
5 वर्ष से अधिक	8,94,282.53	5,67,238.91	-
कुल	**37,48,167.03**	**16,29,804.38**	**4,72,413.74**

ई. सकल एनपीए इस प्रकार हैं:

(रु. मिलियन में)

प्रवर्ग	
अवमानक	64,234.97
संदिग्ध-1	84,052.34
संदिग्ध - 2	1,07,992.15
संदिग्ध - 3	2,04,077.35
हानि	1,55,142.49
कुल	**6,15,499.30**

एफ. निवल एनपीए की राशि रू. 1,43,201.01 मिलियन है।

जी. एनपीए अनुपात निम्नानुसार है :

- सकल अग्रिमों पर सकल एनपीए : **14.78%.**
- निवल अग्रिमों पर निवल एनपीए : **3.88%.**

एच. सकल एनपीए का उतार चढ़ाव निम्नप्रकार है :

(रु. मिलियन में)

i) वर्ष के प्रारंभ में यथा शेष	6,06,611.20
ii) वर्ष के दौरान किया गया परिवर्धन	1,63,288.10
iii) वर्ष के दौरान की गई कटौती	1,54,400.00
iv) वर्षान्त मे इतिशेष (i+ii-iii)	**6,15,499.30**

आई. एनपीए हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव निम्नानुसार है :

(रु. मिलियन में)

i) वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष (फ्लोटिंग प्रावधान को छोड़कर)	3,93,916.90
ii) वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	1,42,484.10
iii) अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बट्टे खाते में डालना	85,587.60
iv) वर्षान्त मे इतिशेष (i+ii-iii)	**4,50,813.40**

जे. अनर्जक आस्ति निवेश की राशि रु.18,038.94 मिलियन है।

के. अनर्जक आस्ति निवेश हेतु किए गए प्रावधान की राशि रु.17,312.00 मिलियन है।

एल. निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव निम्न प्रकार है :

(रु. मिलियन में)

i) वर्ष के प्रारंभ में यथा शेष	35,707.13
ii) वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	8,949.33
iii) अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बट्टे खाते में डालना	8,935.53
iv) विनियम अंतरण	-
v) वर्षान्त में इतिशेष (i+ii-iii+iv)	35,720.93

एम. बैंक ऑफ़ इंडिया के लिए प्रमुख उद्योग या प्रतिपक्ष प्रकार द्वारा किया गया प्रावधान एवं एन.पी.ए :

(रु. मिलियन में)

उद्योग का नाम	एनपीए	प्रावधान
कोयला	353.60	345.70
खदान	620.70	316.60
लौह एवं इस्पात	11,592.30	6,267.00
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	10,518.80	8,234.80
सभी इंजीनियरिंग	5,365.90	3,802.10

उद्योग का नाम	एनपीए	प्रावधान
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	884.90	701.10
विद्युत	0.00	0.00
सूती वस्त्र उद्योग	11,868.70	4,918.40
जूट वस्त्र उद्योग	603.60	499.50
अन्य वस्त्र उद्योग	13,268.70	9,515.30
खाद्य प्रसंस्करण	12,516.40	11,350.10
जिसमें वनस्पति तेल	2,527.60	2,353.10
जिसमें चीनी	1,638.40	1,287.10
जिसमें अन्य खाद्य प्रसंस्करण	8,350.40	7,709.90
जिसमें चाय	0.00	0.00
तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	1,495.80	1,118.30
पेपर एवं पेपर उत्पाद	3,556.10	2,773.00
रबर एवं रबर उत्पाद	1,829.00	785.90
केमिकल, डाई, पेंट्स आदि	8,978.00	6,246.30
जिसमें से फर्टिलाइजर्स	2,334.00	2,313.90
जिसमें से पेट्रोकेमिकल्स	1,750.70	1,410.80
जिसमें से ड्रग्ज और फार्मास्युटिकल्स	1,915.30	1,089.70
जिसमें अन्य	2,978.00	1,431.90
सीमेंट	2,159.90	1,478.10
चर्म एवं चर्म उत्पाद	628.90	338.30
रत्न एवं आभूषण	28,595.90	9,346.80
निर्माण	5,148.90	3,105.40
पेट्रोलियम	4,177.20	3,433.40
ऑटोमोबाइल्स, ट्रक सहित	10,433.00	7,755.80
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	0.00	0.00
आधारभूत संरचना*	88,434.30	64,680.10
जिसमें से पॉवर	44,634.40	35,746.30
जिसमें से दूरसंचार	1,066.70	618.20
जिसमें से सड़के और पत्तन	32,867.10	20,977.30
अन्य उद्योग	9,866.10	7,338.30
शेष अन्य अग्रिम(सकल अग्रिमों सहित तुलन के लिए)	3,92,468.70	3,03,801.40
कुल	6,15,499.30	4,50,813.40

एन. भूगोलवार एनपीए एवं प्रावधान (बैंक ऑफ़ इंडिया के लिए सोलो)

(रु. मिलियन में)

	घरेलू	विदेशी	कुल
सकल एनपीए	5,15,384.20	1,00,115.10	6,15,499.30
एनपीए हेतु प्रावधान	3,62,890.10	87,923.30	4,50,813.40

तालिका डीएफ-4

ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

i. गुणात्मक प्रकटीकरण:

क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभागों के लिए :

- किसी भी परिवर्तन हेतु कारणों सहित, उपयोग की गई ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों का नाम
- ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेन्सी का उपयोग किया गया है; एवं
- बैंकिंग बही में लोक निर्गम श्रेणी निर्धारण का तुलनीय आस्तियों में अंतरण हेतु प्रयुक्त की गई प्रक्रिया का वर्णन।

1.0 बैंक ऑफ इंडिया:

ए. बैंक ने सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए निम्नलिखित ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों की सामान्य श्रेणी निर्धारण के उपयोग किए जाने हेतु अनुमोदन किया है। स्वदेशी दावों के लिए सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग्स, ब्रीकवर्क, एसएमईआरए एवं सीएआरई तथा अनिवासी कार्पोरेट्स, विदेशी बैंको एवं विदेशी प्रभुसत्ता पर दावों के लिए एस एंड पी, फिच एवं मूडी। एसएमई श्रेणी निर्धारण का उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

बी. इन सभी एजन्सियों के श्रेणी निर्धारण का उपयोग, बासेल-II के अंतर्गत सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोणान्तर्गत, श्रेणीकरण के अधीन समस्त ऋण जोखिमों के जोखिम भार प्रयोजनार्थ किया जा रहा है।

सी. बैंकिंग बही में तुलनीय आस्तियों पर सार्वजनिक निर्गम श्रेणी निर्धारण अंतरण हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया आरबीआई की नियामक आवश्यकताओं के अनुसार है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई लोक श्रेणी निर्धारण इस प्रयोजनार्थ उपयोग की गई है। श्रेणी निर्धारण जो केवल संबद्ध श्रेणी निर्धारण एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार प्रभावी है एवं पूर्व 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार पुनरीक्षित की गई है, का उपयोग किया जाता है।

डी. विशेष दूसरे पक्ष पर समस्त ऋण जोखिमों के लिए बैंक द्वारा श्रेणी निर्धारण के लिए केवल एक ही एजेन्सी का प्रयोग किया जाता है, यद्यपि इस अपवाद सहित कि जहाँ केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा ऋण जोखिमों का एक से अधिक बार श्रेणी निर्धारण किया जाता है।

ई. जोखिम भार प्रयोजनार्थ पात्रता के लिए, यह सुनिश्चित किया जाता है कि, बाह्य ऋण निर्धारण पर विचार किया जाता है एवं बैंक द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण ऋण राशि के संबंध में ऋण जोखिम को प्रतिबिंबित करें। एक ही पार्टी के दूसरे पक्ष को किसी अन्य ऋण जोखिम के लिए विशिष्ट श्रेणी निर्धारण एक निर्गमकर्ता या निर्गम को विस्तारित करते समय, यह ऋण जोखिम एक्सपोजर की संपूर्ण राशि के लिए विस्तारित की जाती है, अर्थात दोनों मूल राशि एवं ब्याज हेतु। एक कार्पोरेट समूह के अंतर्गत एक कंपनी के बाह्य निर्धारण का उपयोग जोखिम भार हेतु उसी समूह की अन्य कंपनियों के लिए नहीं होता है।

एफ. उन आस्तियों के लिए जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से कम या एक वर्ष के बराबर होती है, अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का उपयोग किया जाता है, जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण प्रयोग की जाती है। नकद उधार एक्सपोजर के लिए दीर्घ अवधि श्रेणी निर्धारण ली जाती है।

जी. जहाँ एक जारीकर्ता की बाह्य दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण सहित दीर्घावधि एक्सपोजर है जो 150% जोखिम भारिता का समर्थन करता है, तथा उसी काउन्टरपार्टी के सभी अमूल्यांकित दावे चाहे वह अल्पावधि की हो अथवा दीर्घावधि की हो, भी 150% जोखिम भारिता वहन करती है, सिवाय उसके जहाँ ऋण जोखिम घटाव तकनीक इन दावों के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्पावधि श्रेणी निर्धारण के मामले भी एकसमान होंगे ।

एच. दीर्घावधि एक्सपोजर हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भारिता का सीधा आकलन अनुमोदित रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण समनुदेशित किया जाता है। इसके विपरीत, प्रतिपक्ष का अमूल्यांकित अल्पावधि दावा उसके प्रतिपक्ष के मूल्यांकित अल्पावधि दावों पर लागू जोखिम भारिता से कम से कम एक स्तर ज्यादा जोखिम भारिता वहन करता है। बैंकों तथा निगमों के विरुद्ध मूल्यांकित सुविधा से उत्पन्न दावों हेतु जोखिम भारिता निर्गम विशिष्ट अल्पावधि मूल्यांकन जनित है जो अमूल्यांकित दीर्घावधि दावों हेतु जोखिम भारिता का समर्थन नहीं करता है।

आई. यदि योग्य ऋण निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दो निर्धारण दिए जाते हैं जो विभिन्न ऋण भारिता दर्शा रहा है तो वहाँ उच्च जोखिम भारिता लागू होगा। यदि योग्य ऋण निर्धारण एजेंसियों द्वारा तीन या उससे अधिक मूल्यांकन विभिन्न जोखिम भारिता दर्शा रहे हैं तब दो न्यूनतम जोखिम भारिता का परवर्ती मूल्यांकन संदर्भित किया जाता है तथा उन दोनों जोखिम भारिताओं में से उच्च जोखिम भारिता लागू होता है यथा द्वितीय न्यूनतम जोखिम भारिता ।

जे. निवेश दावे का आरडब्ल्यू चयनित ऋण निर्धारण एजेन्सी द्वारा विशिष्ट श्रेणी निर्धारण पर आधारित होता है, जहाँ एक विशिष्ट निर्धारित निर्गम में दावा एक निवेश नहीं होता है:

i. विशिष्ट उधार (जहाँ जोखिम भार में श्रेणी निर्धारण का आकलन, जो अमूल्यांकित दावे पर लागू से कम हो) पर लागू श्रेणी निर्धारण बैंक के केवल अनिर्धारित दावे पर लागू होती है। यदि यह दावा समरूप श्रेणी अथवा सभी दृष्टि से विशेष दर आधारित उधार से वरीय हो एवं जहाँ दर आधारित दावा लघु अवधि दायित्व होता है, को छोड़कर अनिर्धारित दावे की परिपक्वता, दर आधारित दावे की परिपक्वता के बाद न आती हो।

ii. यदि निर्गमकर्ता अथवा एकल निर्गम की श्रेणी निर्धारित की गई हो, जो गैर निर्धारित दावों पर लागू की जाती है, के जोखिम भार के बराबर हो अथवा उच्चतर हो, वही दूसरे पक्ष पर गैर निर्धारित दावे, वही जोखिम भार का निर्धारण किया जाता है, जैसा कि दर आधारित एक्सपोजर में लागू होता है, यदि सभी दृष्टि से यह दावा दर आधारित ऋण जोखिम से समरूप या कनिष्ठ श्रेणी का हो।

2.0 पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी):

देश में मौजूदा मानदंडो के अनुसार कोई भी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग किया जाना अपेक्षित नहीं है।

3.0 बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लि., बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.:

देश में मौजूदा मानदंडो के अनुसार कोई भी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग किया जाना अपेक्षित नहीं है। देश में कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी परिचालन /कार्यरत नहीं है।

4.0 बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. (अनुषंगी) :

आवश्यकतानुसार तिमाही के आधार पर सामान्य प्रकटीकरण विवरणी द्वारा ऋण जोखिम का प्रकटीकरण किया जाता है ।

ii. मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(रु. मिलियन में)

मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम के कम होने के पश्चात एक्सपोजर की राशि के लिए बैंक की बकाया राशि (दर आधारित एवं गैर दर आधारित) निम्नलिखित तीन बृहत जोखिम क्षेत्रों एवं जिनकी कटौती की जाती है उन क्षेत्रों, का मात्रात्मक प्रकटीकरण किया जाता है।	
(मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन) बीओआई का कुल ऋण एक्सपोजर जोखिम के अंतर्गत वर्गीकृत प्रमुख जोखिम क्षेत्र निम्नानुसार है:-	
100% जोखिम भार से कम	63,38,000.00
100% जोखिम भार	9,00,350.00
100% से अधिक जोखिम भार	3,19,000.00

तालिका डीएफ-5 ऋण जोखिम न्यूनीकरण मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

(क) ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकताओं में यह शामिल है:

- ऑन एंड ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ और बैंक द्वारा इनका किस हद तक प्रयोग किया जाता है उसका संकेत;
- संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन हेतु नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं;
- बैंक द्वारा लिए गए संपार्श्विक के प्रमुख प्रकारों का विवरण;
- गारंटीकर्ता काउंटर पार्टी के प्रमुख प्रकार और उनकी ऋण पात्रता; एवं
- लिए गए न्यूनीकरण के भीतर (बाजार अथवा ऋण) जोखिम केंद्रीकरण के बारे में सूचना

क. बैंक ऑफ़ इंडिया

1. ऋण जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन का एक अनुकूल साधन है, जो अच्छे एवं बुरे दोनों समय में राजस्व हानि से कंपनी का रक्षण करता है। बैंक उसके दैनिक परिचालनों में आने वाले ऋण जोखिम के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न पद्धति और तकनीक अपनाता है। ऐसी प्रक्रिया को ऋण जोखिम न्यूनीकरण का नाम दिया गया है और ऋण जोखिम न्यूनीकरण के कुछ तकनीक को पर्यवेक्षकों द्वारा मूल्य, मुद्रा असंतुलन और परिपक्वता असंतुलन के लिए समायोजन के पश्चात पूंजी प्रभार कटौती करने हेतु उपयोग करने की अनुमति दी गई हैं। नयी पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल ।।) के अंतर्गत पहचाने गए विभिन्न ऋण जोखिम प्रशामक (सीआरएम) निम्नानुसार है:

- संपार्श्विकृत संव्यवहार
- ऑन - बैलन्स शीट नेटिंग
- गारंटियाँ

2. पात्र वित्तीय संपार्श्विक:

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी संपार्श्विकों को ऋण जोखिम प्रशामक के रूप में स्वीकारा नहीं गया है। निम्नलिखित वित्तीय संपार्श्विक को स्वीकार किया गया है।

i. नकदी एवं जमाराशियाँ विदेशी मुद्रा की जमाराशियों सहित

ii. स्वर्ण : 99.99% शुद्धता वाले बेंचमार्क सहित

iii. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ

iv. किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

v. जीवन बीमा पॉलिसियाँ

vi. ऋण प्रतिभूतियाँ- श्रेणीकृत शर्तों के अध्यधीन

vii. ऋण प्रतिभूतियाँ-गैर श्रेणीकृत, बैंकों द्वारा जारी, शर्तों के अध्यधीन

viii. म्यूचुअल फंडों की यूनिट शर्तों के अध्यधीन

ix. संपार्श्विक संव्यवहारों के लिए पूंजी सहायता उपलब्ध करने हेतु कतिपय अतिरिक्त मानदंड हैं, जिनका संपार्श्विक के प्रबंधन पर प्रत्यक्ष वहन है और संपार्श्विक प्रबंधन के दौरान इस पहलू का ध्यान रखा जाता है।

3. ऑन-बैलेंस-शीट- नेटिंग :

ऑन बैलेंस शीट नेटिंग को ऋणों/अग्रिमों (एक्सपोजर के रूप में माने गए) और जमाराशियों (संपार्श्विक के रूप में) तक सीमित रखा जाए, जहाँ पर दस्तावेजो के सबूतों के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार सहित बैंक का कानूनी प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था है और जिसका नेट आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. गारंटियाँ :

जहाँ प्रत्यक्ष, निर्धारित, अविकल्पी और बिना शर्त गारंटियाँ हो, बैंक पूँजी आवश्यकताओं की गणना करने हेतु ऐसे ऋण संरक्षण को मान सकता है। पात्र गारंटीदाताओं/काउंटर गारंटीदाताओं की श्रेणी में ये शामिल हैं:

i. शासक, शासकीय संस्था (बीआईएस, आइएमएफ, यूरोपियन सेन्ट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ-साथ कतिपय विनिर्दिष्ट एमडीबी, ईसीजीसी और सीजीटीएसएमई), बैंक और काउंटर पार्टी से अन्य निम्न जोखिम भार सहित बैंक और प्राथमिक व्यापारी;

ii. एए अथवा उससे बेहतर श्रेणी की अन्य संस्थाएं ।

5. बैंक की सुपरिभाषित संपार्श्विक प्रबंधन नीति है जो संपार्श्विक के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित फ्रेमवर्क प्रदान करती है। यह उधार में अंतर्निहित ऋण जोखिम के न्यूनीकरण का प्रमुख घटक है। बैंक मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। मूर्त प्रतिभूतियाँ या तो भौतिक स्वरूप की होती है अथवा अन्य सामग्री प्रारूप में जैसे कि नकद मार्जिन, बैंक के पास जमाराशियाँ, स्वर्ण अथवा अन्य मूल्यवान धातु, शेयर्स, एनएससी/केवीपी/जीवन बीमा पॉलिसियाँ। अमूर्त प्रतिभूतियाँ हैं - बैंक गारंटियाँ/साख पत्र, बही ऋण, आश्वासन पत्र, नकारात्मक पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र, अपंजीकृत प्रभार इत्यादि। उधार दिए गए धन हेतु प्रतिभूति प्राप्त करने के सामान्य तरीके हैं - बंधक, गिरवी, दृष्टिबंधक और पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र। बैंक द्वारा ऋण एक्सपोजर से सृजित की गई संपत्ति पर प्रथम प्रभार/अथवा समरूप आधार पर सामान्य नियम के अनुसार बैंक का प्रभार दर्ज किया जाए।

सामान्यतः जब भी लागू हो/अनुमत होने पर गारंटी का आग्रह किया जाए। गारंटीकर्त्ता के प्रमुख प्रकार हैं:

i. केंद्र/राज्य सरकार और डीआईसीजीसी, सीजीटीएमएसई और ईसीजीसी जैसी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एजेन्सियाँ

ii. कारपोरेट्स के प्रोमोटर/प्रमुख स्वामी

iii. व्यक्तियों के मामले में रिश्तेदारों की व्यक्तिगत गारंटी

6. संपार्श्विक प्रबंधन के विभिन्न पहलू इस प्रकार हैं :

संपार्श्विक को स्वीकार करने हेतु न्यूनतम शर्तें: संपार्श्विक को वैध और प्रवर्तनीय बनाने के लिए बैंक यह सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक के रूप में स्वीकार की गई आस्तियाँ बिक्री योग्य, कानूनी प्रवर्तनीय और आवश्यकता पड़ने पर उसको नियंत्रण में लिये जा सकने योग्य है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आस्ति का बाजार मूल्य सहज निर्धारण योग्य हो अथवा उसे उचित रूप से स्थापित और सत्यापित किया जा सके। आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य से संपार्श्विक के रूप में स्वीकार्य आस्तियों के प्रकार और प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली इन प्रत्येक आस्तियों के मूल्य अनुपात के अधिकतम ऋण की सूची बैंक के पास है। संपार्श्विक लेते समय बैंक सांविधिक बाध्यताओं का भी ध्यान रखता है।

क) संपार्श्विक की वैधता:

i) प्रवर्तनीयता:

बैंक सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक के समर्थन में ऋण दस्तावेजीकरण सभी संबंधित क्षेत्राधिकारों में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय हो और उधारकर्ता की बाध्यताओं को विमुक्ति हेतु निर्बाध रूप से संपार्श्विक को लागू करने हेतु बैंक को अधिकार देता हो।

ii) हक और स्वामित्व:

बैंक हमेशा संपार्श्विक के रूप में आस्ति को स्वीकार करने से पूर्व उसके अस्तित्व तथा स्वामित्व का सत्यापन करता है और सुनिश्चित करता है कि किसी अन्य पक्ष का कथित संपार्श्विक पर कोई पूर्व दावा नहीं है। ऋण सुविधा के ड्रॉ डाउन से पूर्व ही बैंक संपार्श्विक के नियंत्रण को सुरक्षित करता है। ऋण

जोखिम के प्रबंधन के सरलीकरण के लिए शीर्ष प्रबंधन को संपार्श्विक पर सूचना आवधिक रूप से दी जाती है। संपार्श्विक पर प्रभार तत्परता से, जहाँ भी लागू है, संबंधित प्राधिकारियों के पास पंजीकृत किए जाते हैं।

ख) लोन टू वैल्यू अनुपात :

बैंक ने प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार की जाने वाली प्रमुख आस्तियों के लिए अधिकतम लोन टू वैल्यू अनुपात (मार्जिन) निर्धारित किया है। ऐसे अनुपात आस्ति के संबंधित जोखिम के आनुपातिक होते हैं और संपार्श्विक की वसूली के समय होनेवाली संभाव्य हानि के विरूद्ध पर्याप्त बफर प्रदान करते हैं।

ग) मूल्यांकन:

बैंक के एक्सपोजर हेतु स्वीकार की गई संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए बैंक की बोर्ड अनुमोदित नीति है जिसमें मूल्यांकन का आधार, मूल्यांकक की अर्हता और पूनर्मूल्यांकन की बारंबारता बैंक में अनुपालन हेतु निर्धारित की गई है।

घ) संपार्श्विक को सुरक्षित रखना तथा उसमें पहुँच का नियंत्रण:

संपार्श्विक के स्वीकारने, निगरानी अथवा सुरक्षित अभिरक्षा के अनुमोदन का प्राधिकार और उत्तरदायित्व संबंधित व्यक्तियों और विभागों को दिया गया है।

ङ) संपार्श्विक का प्रतिस्थापन/अतिरिक्त संपार्श्विक :

अतिरिक्त संपार्श्विक के अनुरोध की कार्यविधि का स्पष्ट दस्तावेजीकरण किया गया है।

च) बीमा:

सभी पात्र संपार्श्विक, जिन्हे विशेष रूप से छूट दी गई है उन्हें छोड़कर, संबंधित जोखिम हेतु बीमा द्वारा संरक्षित हैं और इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

छ) संपार्श्विक की बिक्री;

संपार्श्विक के समय पर परिसमापन के लिए बैंक की सुस्पष्ट और सख्त कार्यविधि है।

ख: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके :

संपार्श्विक मूल्यांकन हेतु पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके की नीति एवं कार्यविधि है जो बैंक ऑफ़ इंडोनेशिया विनियमन और बंधक ऋण हेतु राष्ट्रीय विवेक पर आधारित है। यदि संपार्श्विक का मूल्य रु.2.79 करोड़ से अधिक है तो संपार्शिक का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाता है। संपार्श्विक के स्वरूप पर आधारित परिसमापन मूल्य की गणना की जाती है। संपार्श्विक मूल्य की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। भूमि एवं भवन के रूप में प्रमुख रूप से संपार्श्विक स्वीकार किया जाता है। सामान्यता व्यक्तिगत एवं अन्य पक्ष गारंटी नहीं ली जाती। केंद्रीकरण हेतु उधार देने की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित की जाती है। बैंक को संपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम शामकों की प्रमुख जोखिम की चिंता नहीं है।

ग: बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैण्ड) लि.:

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों; अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टिप्रबंधक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर आदि संपार्श्विक प्राप्त किया जाता है।

नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर सीमा निम्नानुसार है।

संपार्श्विक स्थिति	सीमा (कोर पूँजी के % के रूप में)
1) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	
क) उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव का 125% (पूर्णतः प्रतिभूत)	25
ख) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	10
ग) अप्रतिभूत	5

घ. बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.:

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों; अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टिप्रबंधक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर आदि संपार्श्विक प्राप्त किया जाता है।

नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर निम्नानुसार है :

संपार्श्विक स्थिति	सीमा (कोर पूँजी के % के रूप में)
1) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	एकल उधारकर्ता एक्सपोज़र सीमा, पूंजी के 25% है और इसे बढ़ाकर कोर पूंजी के 50% किया जा सकता है
क) उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव का 125% (पूर्णतः प्रतिभूत)	
ख) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	
ग) अप्रतिभूत	

ii. मात्रात्मक प्रकटन :

(रु. मिलियन में)

(क) पृथक रूप से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्सपोजर (जहां लागू के बाद ऑन-ओर -ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर की गई है : मार्जिन (हेयर कट) लागू करने के बाद।	3,51,120.00

(ख) पृथक रूप से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्सपोजर (जहां लागू के बाद ऑन-ओर-ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग) जो गारंटी/क्रेडिट व्युत्पन्न (जब कभी आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई है) द्वारा कवर की गई है।	6,90,320.00

तालिका डीएफ-6

प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन:-

समेकित स्तर पर यथा 31.03.2020 बैंक का कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन :-

लागू नहीं ।

तालिका डीएफ-7

लेन-देन बही में बाजार जोखिम

i. गुणात्मक प्रकटन

क. मानक दृष्टिकोण को कवर करते हुए पोर्टफोलियो को शामिल करते हुए बाजार जोखिम हेतु सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता ।

ए. बैंक ऑफ़ इंडिया:

लेन-देन बही में बैंक निवेशों के "लेन-देन हेतु धारित" (एचएफटी) एवं "बिक्री हेतु उपलब्ध" (एएफएस) पोर्टफोलियो को धारित करता है। शेष आस्तियों- अर्थात परिपक्वता हेतु धारित पोर्टफोलियों और अग्रिमों के अंतर्गत निवेशों को बैंकिंग बही के रूप में माना जाता है। नीचे बाजार जोखिम प्रबंधन प्रयोजन एवं नीतियों का संक्षिप्त ब्योरा दिया गया है।

i. कार्यनीतियाँ एवं प्रक्रियाएं:

बाजार जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम एवं इक्विटी कीमत जोखिम की निगरानी की जाती है। बैंक वर्तमान में जिन्स (कमाडिटी) में लेन-देन नहीं कर रहा है।

ए . चलनिधि जोखिम:

चलनिधि जोखिम की निगरानी के लिए गैप विश्लेषण का पाक्षिक आधार पर पालन किया जाता है। संचयी गैप से संचयी आउटफ्लो का प्रतिशत निकालने के लिए विवेकपूर्ण सीमा का उपयोग किया जाता है। 28 दिनों तक के अल्पावधि बकेट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अध्यधीन निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार उधार-दैनिक एवं औसत मांग उधार, आंतर बैंक देयताएं, खरीदी गयी निधियां आदि के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं काम करती हैं।

ऊँचे मूल्य की एकमुश्त जमाराशियों की निगरानी साप्ताहिक आधार पर की जाती है। अल्पावधि डायनामिक चलनिधि विवरण चलनिधि स्थिति का आकलन करने के लिए पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है जो व्यवसाय वृद्धि को ध्यान में रखकर चलती है।

एक आकस्मिक निधि योजना तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गयी है। योजना का तिमाही आधार पर परीक्षण किया जाता है। चलनिधि संकट के समय और आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए यदि बाजार से निधि उठाई जानी हो तो बैंक की संभावित हानि का आकलन करने के लिए तिमाही आधार पर स्ट्रेस परीक्षण भी किया जाता है।

बी. ब्याज दर जोखिम:

पिछले 12 माह के दौरान एवं अगले वित्तीय वर्ष तक बैंक की निवल ब्याज आय पर प्रभाव का आकलन करने के लिए गैप विश्लेषण उपयोग में लिया जाता है। बैंक ड्यूरेशन गैप विश्लेषण का भी उपयोग करता है। देयताओं की अवधि के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं नियत की गयी हैं। बैंक के निवेश पोर्टफोलियों की ड्यूरेशन आधार पर निगरानी की जाती है।

एसएलआर एवं गैर एसएलआर (घरेलू) विवेकपूर्ण सीमाओं के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए वीएआर पद्धति अपनायी जाती है क्योंकि वीएआर के लिए विवेकपूर्ण सीमा नियत की गयी है एवं दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है एवं उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट की जा रही है। दिनांकित प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश सामान्यतया हैज किए जाते हैं एवं ब्याज दर जोखिम निम्नतम है। विदेशी मुद्रा विनिमय स्थिति में भी वीएआर सीमा नियत की गई है।

निर्धारित आय, इक्विटी,फोरेक्स आदि सहित बाजार जोखिम की स्थिति के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का आकलन स्ट्रेस टेस्टिंग से किया जाता है।

सी. विदेशी विनिमय जोखिम:

बैंक ने यूएसडी के साथ अन्य मुद्राओं में एग्रीगेट गैप लिमिट नियत की है । बैंक के विभिन्न मुद्राओं में विदेशी विनिमय एक्सपोजर के लिए अधिकतम डेलाइट एवं ओवरनाइट एक्सपोजर नियत किया है। हमने अवधि वार इंडिविजुअल करेंसी वाइस गैप लिमिट भी नियत किया है इसके अलावा, नुकसान रोक सीमा, लाभ सीमा लेना एवं एकल व्यवहार सीमाएं डीलरों के फोरेक्स परिचालनों पर निगरानी रखने के लिए बनायी गयी हैं।

नेट ओपन पोजीशन हेतु विवेकपूर्ण सीमा नियत करके डेरिवेटिव संव्यवहार की निगरानी की जाती है और बकाया डेरिवेटिव पर पीवी 01 का केप रखा जाता है।

डी. इक्विटी कीमत जोखिम:

बैंक की घरेलू निवेश नीति के इक्विटी डीलरों के लिए नुकसान रोक सीमाएं नियत की हैं। कोषागार की दैनिक सीमा , अधिकतम निवेश सीमा , ईक्विटी संविभाग (ट्रेडिंग) के लिए धारण अवधि के संव्यवहारों की उच्चतम प्रबंधन को दैनिक आधार पर रिपोर्टिंग की जाती है।

ई. बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का ढांचा एवं संगठन:

जोखिम प्रबंधन बोर्ड संचालित कार्य है जिसे तीन स्तरों पर सपोर्ट किया जाता है: देखभाल करने एवं निर्देश जारी करने के लिए बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, जहाँ कहीं आवश्यक हो/जोखिम प्रबंधन नीतियां आदि अनुमोदित करने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) जो नीति विषयों पर विचार करती है एवं एएलएम कक्ष के साथ जमीनी स्तर पर सपोर्ट प्रदान करती है। आस्ति देयता प्रबंधन समितियां विदेशी केन्द्रों में भी परिचालन में हैं। नीतियों, सीमाओं आदि पर चर्चा के लिए मार्केट जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी) एक मूलभूत स्तरीय समिति है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), तरलता जोखिम प्रबंधन के संबंध में नीतिगत मामलों पर विचार करती है। एएलएम कक्ष ग्राउंड लेवल पर समर्थन प्रदान करता है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति विदेशी केन्द्रों पर भी परिचालन में हैं।

ii. जोखिम रिपोर्टिंग का स्कोप एवं प्रकृति और/अथवा मापांकन प्रणाली:

स्वदेशी कारोबार के संबंध में बाजार जोखिम का प्रबंधन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है - जैसे कि मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाना-दैनिक आधार पर लेन-देन बही में निवेशों का अवधि विश्लेषण-दैनिक आधार पर वीएआर लेन-देन बही निवेश ईक्विटी पोर्टफोलियों को छोड़कर-तिमाही आधार पर तरलता जोखिम/बाजार जोखिम के लिए स्ट्रेस परीक्षण करना, स्वदेशी तुलन पत्र का अवधि विश्लेषण और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर तिमाही आधार पर प्रभाव पर समीक्षा की जाती है ।एएलसीओ द्वारा मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा की जाती है।

बाजार उधार लेन-देन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानर्देशों के अनुरूप तरलता जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न विवेकपूर्ण उपाय किए गए हैं। मासिक आधार पर ढांचागत तरलता विवरणी तैयार की जाती है और पाक्षिक आधार पर अल्पावधि डायनमिक तरलता विवरणी तैयार की जाती है और उच्च प्रबंधन/ एएलसीओ को रिपोर्ट की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों की ढांचागत तरलता कार्पोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर की जा रही है।

स्ट्रेस परीक्षण एवं इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का परिणाम एएलसीओ को रिपोर्ट किया जाता है। लेन-देन बही स्थिति - ड्यूरेशन एवं वीएआर दैनिक आधार पर उच्चतम प्रबंधन को रिपोर्ट किया जाता है।

iii. हैजिंग और/अथवा जोखिम न्यूनीकरण के लिए नीतियां :

आस्ति देयता प्रबंधन एवं बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित विस्तृत नीतियां कार्यरत हैं जो बाजार जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न रणनीतियों एवं प्रक्रियाओं पर विस्तार से प्रकाश डालती है।

iv. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी):

वाणिज्यिक बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता से संबंधित बैंक इंडोनेशिया के विनियमन के अनुसार, पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के परिकलन हेतु बाज़ार जोखिम के मापन के लिए अनिवार्य श्रेणी में बैंक शामिल नहीं है। यह इसलिए है कि बैंक विदेशी विनिमय बैंक है जिसके ट्रेडिंग बुक में प्रतिभूतियों और/अथवा डेरिवेटिव संव्यवहार के रूप में वित्तीय लिखत आईडीआर 20 बिलियन (यूएसडी 1.7 मिलियन अनुमानित) से कम की रकम है।

बी. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि., (अनुषंगी) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड)लि. (अनुषंगी) और बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.

क. बाज़ार जोखिम के सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता जिसमें मानकीकृत दृष्टिकोण के संविधान भी शामिल है।

i. बाजार जोखिमः ब्याज दर, मुद्रा तथा इक्विटी उत्पाद में खुली स्थिति से बाजार जोखिम उत्पन्न होती है। बोर्ड सीमा निर्धारित करता है तथा जो स्वीकार की जा सकती है, नियमित अंतराल पर उसकी समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त दैनिक आधार पर एक्सपोजर की निगरानी की जाती है।

ii. तरलता जोखिमः ओवरनाइट जमा से नकदी संसाधन, चालू खाते, परिपक्व जमाराशियां, ऋण आहरण और गारंटियों से उपलब्ध नकद स्त्रोतों से दैनिक मांग के लिए तथा मार्जिन और अन्य नकद समझौतों पर मांग से बैंक को नकद आरक्षित रखना पडता है। ऐसे मांग की पूर्ति करने के लिए परिपक्व निधि के उपलब्ध अंश के आधार पर बोर्ड ने उनके अनुभव पर सीमा निर्धारित की है और अंतर बैंक तथा अन्य उधार सुविधा के न्यूनतम स्तर पर जो मांग की अपेक्षित आहरण को कवर कर सके।

iii. ब्याज दर जोखिम- बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति तथा नकदी प्रवाह पर प्रचलित बाजार ब्याज दर में उतर चढाव के परिणाम के साथ जुड़ी विभिन्न जोखिमों को उठाना पड़ता है। बैंक को जमा राशि ऋण तथा बाजार प्रवृत्ति के परिवर्तन के अनुरूप दरों को परिवर्तित करने का विवेकाधिकार है। यह उपाय ब्याज दर जोखिम को बैंक एक्सपोजर न्यूनतम रखते है।

iv. मुद्रा जोखिम : बैंक को विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव की जोखिम उठानी पड़ती है। बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में केवल जितनी आवश्यक मुद्रा की खरीदी तथा बिक्री के आधार तक शामिल रहती है। बैंक विदेशी मुद्रा वायदा बाजार में शामिल नहीं होता है और इस प्रकार जोखिम सीमित हो जाती है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन :-

(रु. मिलियन में)

निम्नलिखित के लिए पूंजी आवश्यकता	
ब्याजदर जोखिम	13,085.21
विदेशी विनिमय जोखिम (गोल्ड सहित)	354.37
ईक्विटी जोखिम	4,371.75

पूंजी आवश्यकता का परिकलन आरडब्ल्यूए की 9% की दर पर न्यूनतम विनियामक आवश्यकता पर किया जाता है।

तालिका डीएफ-8

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटन

साधारण गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता के अतिरिक्त जिसके लिए बैंक अर्हता प्राप्त है उस परिचालन जोखिम पूंजी मूल्यांकन हेतु बैंक का (के) दृष्टिकोण ।

ए. बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंक जोखिम प्रबंधन की सर्वोत्कृष्ट प्रक्रिया अपनाता है। बैंक कारोबार की विभिन्न पद्धतियों के तहत समस्त आर्थिक उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के परिचालन जोखिम का सतत निर्धारण और अभिनिर्धारण करता है। समस्त नये उत्पाद, गतिविधियाँ और प्रणालियाँ पहले नया उत्पाद समूह और फिर परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (सीओआरएम) अथवा क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), जो लागू हो के माध्यम से कार्यान्वित होती है। सभी नीतियां बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर. काम) द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद ही बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है। मुख्य जोखिम अधिकारी, आरकॉम के निदेशों को कार्यान्वित करते है और दिन-प्रतिदिन के परिचालन गत जोखिम प्रबंधन की देखभाल करते है।

जोखिम प्रबंधन विभाग, कारोबार परिचालन जोखिम प्रबंधकों (बीओआरएम) तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ (ओआरएमएस) के नज़दीकी सहयोग से कार्य करता है। बीओआरएम तथा ओआरएमएस की समिति

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन प्रभाग को आवधिक आधार पर जोखिम और नियंत्रण निर्धारण करना, हानि की रिपोर्टिंग करना तथा की मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई) में सहायता करता है।

अर्धवार्षिक आधार पर लॉस डेटा विश्लेषण के रूप में जोखिम रिपोर्टिंग की जाती है जिससे उच्च जोखिम प्रवणता वाले उत्पाद और कारोबार लाइन का निर्धारण किया जा सके और न्यूनीकरण उपाय अपनाए जा सके। शाखा स्तर के केआरआई और बैंक स्तर के केआरआई को तिमाही आधार पर ट्रैक किया जाता है।सभी बैंक के उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए वार्षिक आधार आरसीएसए कार्रवाई की जाती है।

बैसिक इंडिकेटर दृष्टिकोण द्वारा ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज की गणना की जाती है। वर्तमान में बैंक ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज के परिकलन के लिए उन्नत मापन के प्रयास अपना रहा है। परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार की गणना के लिए समानान्तर रन के लिए बैंक को द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच(टीएसए) में माइग्रेट करने के लिए अनुमोदन मिला है ।

बी. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

कार्यों का पृथक्करण, प्रशिक्षण, स्पष्ट रूप से निर्धारित कार्यवाहियां, इत्यादि जैसे परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक ने श्रेष्ठ प्रक्रिया अपनाई है।

परिचालन जोखिम के प्रबंधन में, नीतियों और कार्यविधियों के नियंत्रण और रूटीन पर्यवेक्षण के संदर्भ में प्रत्येक इकाई जिम्मेदार है। अपरिहार्य परिस्थितियों से बचने प्रणाली के लिए उत्पाद का विकास, प्रणाली, मानव संसाधन और "अपने ग्राहक को जानिए" से संबंधित क्षेत्र शामिल है।

परिचालन जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने संव्यवहार प्रोसेसिंग में नियंत्रण कार्य को बढ़ा दिया है जिसमें संव्यवहार के समय के अंदर पूरा करना, लागू मानकों के अनुवाद लेखांकन पद्धति का समायोजन,ठीक ढंग से रिकार्ड का अनुरक्षण, आस्ति तथा डेटा के लिए सुरक्षित ऐक्सेस क्रियान्वित करने हेतु कार्य विधि सुनिश्चित करना है। आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई का कार्य जो परिचालन गतिविधियों की नियमित जांच करती है, आवश्यक सुधार को बेहतर बना रही है। बैंक परिचालन जोखिम के परिकलन के लिए बेसिक इंडिकेटर एप्रोच इन रिस्क वेटेड एसेट्स (एटीएमआर) का प्रयोग कर रही है।

बैंक में एक आंतरिक नियंत्रण इकाई भी है जो सुनिश्चित करता है कि सभी कारोबार इकाई बैंक की प्रक्रिया का और साथ ही स्थानीय सरकार के विनियमों का भी अनुपालन करते हैं।

सी. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी) , बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैण्ड) लि. (अनुषंगी) और बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.

परिचालनात्मक जोखिम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हानि का जोखिम है जो विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती है जो बैंक की प्रक्रिया, कार्मिक, प्रौद्योगिकी और आधार संरचना से संबद्ध है और क्रेडिट, बाजार, तरलता जोखिम छोड़कर बाह्य कारक जैसे विधिक और विनियामक जरूरतों और कारपोरेट व्यवहार के आम स्वीकृत मानकों से उत्पन्न होते है। परिचालनात्मक जोखिम बैंक की सभी गतिविधियों से उत्पन्न होती है।

वित्तीय हानि एवं कुल लागत प्रभावशीलता सहित बैंक की प्रतिष्ठा धूमिल होने से बचाव को संतुलित करने और नियंत्रण कार्रवाई जो पहल एवं रचनात्मकता को सीमित करती है, से बचाव के लिए परिचलनात्मक जोखिम का प्रबंध करना बैंक का उद्देश्य है।

परिचालनात्मक जोखिम का ध्यान रखने के लिए प्रबंधन विकास एवं कार्यान्वयन हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व प्रत्येक शाखा स्तर पर वरिष्ठ प्रबंधन हेतु निर्धारत किया गया है। परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन हेतु कुल मानकों के विकास उत्तरदायित्व में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायक है :

- संव्यवहार के स्वतंत्र प्राधिकार सहित कार्य के उचित पृथक्करण की आवश्यकता;
- संव्यवहार के समाधान एवं निगरानी की आवश्यकता;
- नियामक एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं सहित अनुपालन;
- नियंत्रण एवं प्रक्रिया का प्रलेखीकरण;
- महसूस किए गए परिचालनात्मक जोखिमों के निर्धारण की आवश्यकता तथा पहचान किए गए जोखिमों का ध्यान रखने के लिए नियंत्रण एवं प्रक्रिया की पर्याप्तता;
- परिचालनात्मक हानि की रिपोर्टिंग एवं प्रस्तावित निवारणात्मक कार्रवाई की आवश्यकता;
- आकस्मिकता योजना का विकास;
- प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास;
- नैतिक एवं कारोबार मानक;
- बीमा सहित जोखिम कमी, जहां यह प्रभावी है।

तालिका - डीएफ -9

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

i. गुणात्मक प्रकटन

साधारण गुणात्मक प्रकटन अपेक्षा में आईआरआरबीबी और प्रमुख धारणाओं के ऋण भुगतान और अ-परिपक्व जमा का परिचालन संबंधी धारणाओं का स्वरूप तथा आईआरआरबीबी मापने की बारंबारता शामिल है।

ए. बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम की आम तौर पर तिमाही आधार पर गणना की जाती है। बैंकिंग बही में परिपक्वता हेतु धारित (एचटीएम) संविभाग में धारण किए सभी अग्रिम और निवेश सम्मिलित है।

कार्यनीति और प्रणालियाँ/संरचना और संगठन/जोखिम रिपोर्टिंग संबंधी कार्यक्षेत्र और स्वरूप/नीतियों आदि वही हैं जो टेबल डीएफ-7 के तहत रिपोर्ट की गई है।

आईआरआरबीबी मेजरमेंट की प्रणाली और प्रमुख धारणाएँ निम्नानुसार है;

- अग्रिमों तथा जमा राशियों, जो बैंक का 100% कारोबार कवर करती है, की शेष परिपक्वता पर नेटवर्क की शाखाओं से प्राप्त मासिक सूचना के आधार पर विभिन्न समय बकेट के साथ ब्याज दर संवेदनशील और विभिन्न आस्तियों व देयताओं की शेष परिपक्वता को ध्यान में लेते हुए संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाता है।

- प्रत्येक आस्ति एवं देयता की अवधि, प्रत्येक टाईम बकेट के मध्यबिंदु को परिपक्वता दिनांक के रूप में एवं औसत प्राप्ति को कूपन के रूप में तथा भुनाई प्रयोजन के लिए बाजार दर को लेकर परिचालित की जाती है। निवेशों के लिए, वास्तविक अवधि ली जाती है, जैसा कि डाटा संपूर्ण ब्योरों सहित उपलब्ध रहता है। निवेशों के संबंध में इस प्रयोग के लिए एएफएस एवं एचएफटी संविभागों को अलग रखा जाता है, जैसा कि बैंकिंग बही में आईआरआर पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।
- उक्त के उपयोग से, प्रत्येक बकेट के लिए देयताओं और आस्तियों की आशोधित अवधि परिकलित की जाती है और ब्याज दर में 1% से परिवर्तन के लिए उनके मूल्य पर प्रभाव माना जाता है। उसमें जोड़कर निवल स्थिति परिकलित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि है या अन्यथा।

धारणाएँ :

i. समस्त टाइम बकेट और समस्त आस्तियों के लिए ब्याज दर सभी समान रूप से चालित होता है।

ii. मांग जमा राशियों - बचत तथा चालू के संदर्भ में इसे भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसरण में स्ट्रेस परीक्षण पर विभाजित किया जाता है।

iii. आम तौर पर, बैंक आईआरआरबीबी की गणना करते समय कूपन दर/भुनाई दर का चयन/परिपक्वता तारीख के रूप में प्रत्येक टाईम बकेट के मध्यबिंदु, को लेना आदि सहित रिज़र्व बैंक के तनाव परीक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करता है।

iv. बीपीएलआर लिंकड अग्रिमों/बेस रेट के पुनर्मूल्य निर्धारण को 3 से 6 माह के बकेट में लिया गया है।

v. एमसीएलआर से संबद्ध अग्रिमों का पुनर्मूल्यन, उस एमसीएलआर परिपक्वता अवधि के आधार पर किया गया है जिससे ये एमसीएलआर संबद्ध है।

बी. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके, बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि., बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. तथा बैंक ऑफ इंडिया युगांडा लि. (अनुषंगियाँ)

बैंक अपनी वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह पर बाजार ब्याज दरों के वर्तमान स्तरों में अस्थिरता के प्रभाव सहित शामिल विभिन्न जोखिमों से युक्त है। बाजार प्रवृत्ति में परिवर्तन के साथ-साथ बैंक को जमा राशियों, ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज दर में संशोधन करने का विवेकाधिकार है। इन उपायों के कारण बैंक के ब्याज दर जोखिम का क्षेत्र कम होता है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

आईआरआरबीवी मापने के लिए प्रबंधन की प्रणाली के अनुसार उर्ध्वमुखी और अधोमुखी रेट शॉक के लिए उपार्जन और आर्थिक मूल्य (अथवा प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संबद्ध उपाय) में वृद्धि (ह्रास), मुद्रा द्वारा खंडित (जहां कुल पण्यावर्त के 5% से अधिक पण्यावर्त होता है)

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (बीओआई सोलो)

(रु. मिलियन में)

	कुल	जिसमें से, यूएसडी में (जहाँ कारोबार कुल कारोबार के 5% से अधिक है)
1. जोखिम पर अर्जन (एनआईआई)		
1 वर्ष के लिए 0.50% परिवर्तन	-15081.70	(5464.3)
2. जोखिम पर ईक्विटी का आर्थिक मूल्य		
200 बेसिक पॉईंट शॉक	(15954.69)	7441.23
% ता के रूप में इक्विटी मूल्य में कमी	-7.44%	3.47%

तलिका - डीएफ 10

प्रतिपक्षी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोज़र के लिए सामान्य प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

बैंक तुलन पत्र की मदों के साथ प्रतिपक्षी कारोबार के उद्देश्य से हैजिंग के लिए व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करता है। व्युत्पन्न परिचालन के जोखिम प्रबंधन के शीर्ष में वरिष्ठ कार्यपालक रहते हैं जो उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट करते है, यह लाइन कार्यों से स्वतंत्र है। ट्रेडिंग की स्थिति दैनंदिन आधार पर बाज़ार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है (मार्कड टू मार्केट)।

जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा व्युत्पन्न नीति बनाई जाती है जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम को आंकना शामिल है।

तुलन पत्र प्रबंधन के लिए हैज संव्यवहार किया जाता है जोखिमों के सही रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए उचित प्रणाली है। हैजिग की नीति और उसकी निगरानी की प्रक्रिया भी उसी प्रकार से है।

हैज तथा गैर-हैज संवयवहारों को रिकार्ड करने के लिए लेखांकन नीति है जिसमें आय, प्रीमियम और छूट का निर्धारण शामिल है। बकाया संविदा, प्रावधानीकरण, संमार्श्विक और जोखिम न्यूनीकरण का मूल्यांकन किया जा रहा है।

कंरट एक्सपोज़र मेथोडोलज़ी (सीईएम) के अनुरूप क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी परिकलित की गई है। संभाव्य एक्सपोज़र का परिकलन क्रेडिट कनवर्जन फैक्टर के साथ कल्पित मूलधन को गुणा करके किया जाता है। प्रतिस्थापन लागत सकारात्मक बाजार मूल्य है। चालू एक्सपोज़र प्रतिस्थापन लागत के समान है। क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी संभाव्य एक्सपोज़र और चालू एक्सपोज़र का जोड़ है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

क. संविदाओं का सकल सकारात्मक उचित मूल्य,लाभ की निवल राशि, चालू ऋण एक्सपोज़र की निवल राशि, धारित संपार्श्विक (यथा नकदी,सरकारी

प्रतिभूतियां आदि प्रकार सहित) और निवल व्युत्पन्न ऋण एक्सपोज़र । इसमें चूक वाले एक्सपोज़र के लिए उपाय की रिपोर्ट अथवा सीईएम के तहत एक्सपोज़र राशि भी है। ऋण व्युत्पन्न हेज की कल्पित शून्य और ऋण एक्सपोज़र के प्रभार द्वारा चालू ऋण एक्सपोज़र का वितरण।

ख. ऋण व्युत्पन्न संव्यवहार जो सीसीआर (कल्पित मूल्य) में एक्सपोज़र सृजित करती है, संस्था के अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो के साथ प्रयोग किए गए क्रेडिट व्युत्पन्न उत्पादों के वितरण सहित उसकी मध्यवर्ती गतिविधियों के बीच पृथक किया जाता है, जिसे आगे प्रत्येक उत्पाद समूह के मध्य खरीदे और बेचे गए संरक्षण में विखंडित किया जाता है।

(रु. मिलियन में)

काउंटर पार्टी ऋण जोखिम (सीसीआर)	
कल्पित मूलधन रकम	5,20,863.68
संभाव्य एक्सपोज़र	8,880.28
प्रतिस्थापन लागत	4,591.35
चालू एक्सपोज़र	4,591.35
क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी	13,471.63
आरडब्ल्यूए	6,718.52
पूँजी प्रभार	537.48

(रु. मिलियन में)

मदें	कल्पित रकम	चालू ऋण एक्सपोज़र	क्रेडिट समतुल्य
मुद्रा विकल्प	0	0	0
क्रॉस सीसीवाई ब्याज दर स्वैप	0.00	0.00	0.00
वायदा दर करार	4,11,225.38	8,258.94	12,837.97
ब्याज दर भविष्य	0	0	0
ऋण चूक स्वैप	0	0	0
एकल सीसीवाई ब्याज दर स्वैप	1,09,638.30	621.34	633.66
कुल	**5,20,863.68**	**8,880.28**	**13,471.63**

तालिका डीएफ -11

पूंजी का विन्यास

		31.03.2020
		(रु मिलियन में)
		यह राशि, बासेल-III लागू होने से पहले के मानदंडों के अध्यधीन है
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत तथा आरक्षित	
1	प्रत्यक्ष जारी विशेषक सामान्य शेयर पूंजी के साथ संबंधित अतिरिक्त स्टॉक (शेयर प्रीमियम)	3,91,031.59
2	प्रतिधारित उपार्जन	(2,38,882.33)
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षितियां)	2,56,857.06
4	सीईटी 1 से फेस आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)	
	सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी लगाना जिसकी देखरेख 1 जनवरी 2018 तक की जाएगी	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी और थर्ड पार्टियों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत रकम)	1514.16
6	विनियामक समायोजन के पहले सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी	4,10,520.48
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	
9	बंधक सर्विसिंग अधिकारों को छोड़कर अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	-
10	आस्थगित कर आस्तियां	96,569.48
11	नकदी प्रवाह हैज आरक्षित	
12	अपेक्षित हानि के प्रावधान में कमी	
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ	
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानियां	
15	परिनिश्चित- लाभ पेंशन फंड निवल आस्तियां	
16	अपने शेयरों में निवेश (रिपोर्ट की गई तुलन-पत्र में यदि पहले ही प्रदत्त पूंजी समायोजित न किया गया हो)	
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक क्रॉस-धारिता	175.76
18	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	

		31.03.2020
		(रु मिलियन में)
		यह राशि, बासेल-III लागू होने से पहले के मानदंडों के अध्यधीन है
19	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के कॉमन स्टाक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार4 (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	
21	अस्थायी अंतरों5 से उभरे आस्थगित कर आस्तियां	
22	(10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि, कर देयता से संबंधित का समायोजन)	
23	15% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि6	
24	जिसमें से: वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरो से उभरे आस्थगित कर आस्तियां	
26	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन7	
	(26ए+26बी+26सी+26डी)	
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों के इक्विटी पूंजी में निवेश	0.00
26बी	जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों8 के इक्विटी पूंजी में निवेश	0
26सी	जिसमें से: बहुलांश स्वामित्व वित्तीय संस्थाएं जिन्हें बैंक9 के साथ समेकित नहीं किया गया है के इक्विटी पूंजी में कमी	0
26डी	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय पूर्व बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लगाएं गए विनियामक समायोजन।	
	जिसमें से: (समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें)	
	उदाहरण के लिए: एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अप्राप्त हानियों को फिल्टर किया जाना (भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई संबंध नहीं)	
	जिसमें से: (समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें)	
	जिसमें से : (समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें)	
27	कटौतियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लगाए गए विनियामक समायोजन	

		31.03.2020
		(रु मिलियन में)
		यह राशि, बासेल-III लागू होने से पहले के मानदंडों के अध्यधीन है
28	सामान्य इक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन	96,745.24
29	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)	3,13,775.23
	अतिरिक्त इक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखतें	
30	प्रत्यक्ष जारी सापेक्ष अतिरिक्त टियर 1 लिखतों के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+32)	600.00
31	जिसमें से: लागू लेखांकन मानको के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)	0.00
32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानक के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी ऋण लिखत)	600.00
33	अतिरिक्त टियर 1 से फेज़ आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	0.00
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखतें (और सीईटी 1 लिखत जो रो 5 में शामिल नहीं) (ग्रुप एटी 1 में अनुमत रकम)	
35	जिसमें से: अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें जो फेज़ आउट के अधीन है।	
36	विनियामक समायोजन के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	600.00
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन	
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस धारिता	0.01
39	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	0.00
40	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय स्थिति को घटाकर)10	
41	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियो के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	

		31.03.2020
		(रु मिलियन में)
		यह राशि, बासेल-III लागू होने से पहले के मानदंडों के अध्यधीन है
41बी	बैंक में समेकित न किए गए बहुलांश स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी	
	पूर्व-बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में अतिरिक्त टियर 1 पर लगाए गए विनियामक समायोजन	
	जिसमें से: (समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें यथा डीटीए)	
	जिसमें से: (समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें जैसे वर्तमान समायोजन जो टियर 1 से 50% पर कटौती की जाती है)	
	जिसमें से: (समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें)	
42	कटौतियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 में लगाए गए विनियामक समायोजन	
43	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी पर कुल विनियामक समायोजन	0.01
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)	599.99
44ए	पूंजी पर्याप्तता 11 के लिए माना गया अतिरिक्त टियर 1 पूंजी 11	599.99
45	टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44ए)	3,14,375.22
	टियर 2 पूंजी: लिखते एवं प्रावधान	
46	प्रत्यक्ष जारी पात्र टियर 2 लिखतों के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष	64,000.00
47	टियर 2 से फेज़ आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखत	2,000.00
48	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित (ग्रुप टियर 2 में अनुमत राशि) टियर 2 लिखते (और रो 5 अथवा 34 में शामिल न किए गए सीईटी 1 ओर एटी 1 लिखतें)	
49	जिसमें से: फेज़ आउट के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें	
50	प्रावधान12	28,238.28
51	विनियामक समायोजन के पहले टियर 2 पूंजी	94,238.28
	टियर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन	
52	अपने टियर 2 लिखतों में निवेश	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-धारिता	50.00

		31.03.2020
		(रु मिलियन में)
		यह राशि, बासेल-III लागू होने से पहले के मानदंडों के अध्यधीन है
54	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है(10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	
55	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश13 (पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाकर)	0.00
56	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	
56ए	जिसमें से: असमेकित अनुषंगियों के टियर 2 पूंजी में निवेश	
56बी	जिसमें से: बैंक में समेकित न किए गए बहुलांश स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में कमी।	
	पूर्व बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में टियर 2 पर लगाए गए विनियामक समायोजन	
	जिसमें से: (समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें यथा वर्तमान समायोजन जो 50% पर टियर 2 से कटौती की जा रही है)	
	जिसमें से: (समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें)	
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	50.00
58	टियर 2 पूंजी (टी 2)	94,188.28
58ए	पूंजी पर्याप्तता के लिए माना गया टियर 2 पूंजी	94,188.28
58बी	एक्सेस अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जिसे टियर 2 पूंजी माना जाता है।	0
58सी	पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58ए+ 58बी)	94,188.28
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58सी)	4,08,563.50
	पूर्व बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में जोखिम भारित आस्तियां	
	जिसमें से: (समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें)	
	जिसमें से: ...	
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)	29,74,422
60ए	जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	24,56,537
60बी	जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	1,97,904

		31.03.2020
		(रु मिलियन में)
		यह राशि, बासेल-III लागू होने से पहले के मानदंडों के अध्यधीन है
60सी	जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	3,19,982
	पूंजी अनुपात	
61	सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.55%
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.57%
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	13.74%
64	संस्था निर्दिष्ट बफ़र आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता के साथ पूंजी संतुलन और प्रतिचक्रीय बफ़र आवश्यकता, जोखिम धारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	
65	जिसमें से: पूंजी संतुलन बफर आवश्यकता	
66	जिसमें से: बैंक निर्दिष्ट प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता	
67	जिसमें से: जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	
68	बफर को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम धारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)	
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासेल III से भिन्न है)	
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न है)	7.375%
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न है)	8.875%
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न है)	10.875%
	कटौती के लिए थ्रेसहोल्ड से कम रकम (जोखिम भारिता के पहले)	
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश	
73	वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता से घटाकर)	
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता से घटाकर)	
	टियर 2 में प्रावधान को शामिल करने पर लागू सीमा	
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोज़र के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने के पहले)	28,238.28
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधान शामिल करने की सीमा	
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोज़र के संबंध में टियर-2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने के पहले)	
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधान शामिल करने के लिए सीमा	
	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखत (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)	
80	फेज़ आउट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान सीमा	
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)	
82	फेज़ आउट व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों पर चालू सीमा	600.00
83	सीमा के कारण एटी 1 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)	0.00
84	फेज़ आउट व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों पर चालू सीमा	2000.00
85	सीमा के कारण टी 2 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)	0.00

तालिका डीएफ-12
पूंजी की संरचना- समाधान संबंधी आवश्यकताएं यथा 31.03.2020

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलनपत्र
		यथा रिपोर्टिंग तिथि (रू. मिलियन में)	यथा रिपोर्टिंग तिथि (रू. मिलियन में)
ए	पूंजी एवं देयताएं		
i	प्रदत्त पूंजी	32,776.62	32,776.62
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	4,17,954.86	4,16,808.26

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलनपत्र
		यथा रिपोर्टिंग तिथि (रू. मिलियन में)	यथा रिपोर्टिंग तिथि (रू. मिलियन में)
	अल्प संख्यक हित	1,514.16	1,514.16
	कुल पूंजी	**4,52,245.65**	**4,51,099.05**
ii	**जमाराशियां**	**55,73,864.27**	**55,73,899.38**
	जिसमें से : बैंकों से जमाराशियां	3,63,241.98	3,63,241.98
	जिसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां	52,10,622.29	52,10,657.40
	जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृ. उल्लेख करें)	-	-
iii	**उधार**	**3,97,524.66**	**3,97,524.66**
	जिसमें से : आरबीआई से	1,88,770.00	1,88,770.00
	जिसमें से : बैंकों से	0.00	0.00
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेन्सियों से	22,936.83	22,936.83
	जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें)	1,02,817.83	1,02,817.83
	जिसमें से : पूंजी लिखत	83,000.00	83,000.00
iv	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान**	**2,06,553.82**	**1,80,471.55**
	कुल	**66,30,188.40**	**66,02,994.63**
बी	**आस्तियां**		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	2,94,465.45	2,94,380.61
	बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	5,71,625.14	5,71,638.90
ii	**निवेश:**	**16,23,229.08**	**15,97,577.38**
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	14,51,366.66	14,42,525.22
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	3,835.74	-
	जिसमें से : शेयर	11,353.24	7,764.03
	जिसमेंसे : डिबेंचर एवं बॉण्ड	80,188.15	78,124.83
	जिसमें से :अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियां	16,131.77	16,881.77
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक कागजात, म्यूचुअल फण्ड इत्यादि)	60,353.52	52,281.53
iii	**ऋण एवं अग्रिम**	**37,06,440.85**	**37,06,410.52**
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	98,762.09	98,762.09
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	36,07,678.76	36,07,648.43
iv	अचल आस्तियां	90,579.85	90,510.40
v	अन्य आस्तियां	3,43,848.03	3,42,476.83
	जिसमें से : सद्भाव एवं अमूर्त आस्तियां	-	-
	जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां	1,37,603.95	1,37,603.95
vi	समेकन पर सद्भाव	-	-
vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	-	-
	कुल आस्तियां	**66,30,188.40**	**66,02,994.63**
	चरण -2		

चरण 2 के अंतर्गत, बैंको को तालिका डीएफ - 11 (भाग I/II, जो भी लागू हो) में वर्णित पूँजीगत प्रकटन टैम्पलेट की परिभाषा में उपयोग किए गए सभी घटकों की पहचान के लिए तुलन पत्र में विनायमक सीमा का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। नीचे कुछ घटकों के उदाहरण दिए गए है जिन्हें बैंकिंग समूह विशेष के लिए विस्तृत करने की आवश्यकता है। बैंक का तुलनपत्र जितना जटिल होगा उसे उतनी ही ज्यादा मदों को प्रकटित करने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक घटक को एक संदर्भ संख्या/वर्ण दिया जाए जिसे चरण 3 में उपयोग किया जा सकेगा ।

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलनपत्र
		यथा रिपोर्टिंग तिथि (रू. मिलियन में)	यथा रिपोर्टिंग तिथि (रू. मिलियन में)
ए	पूंजी एवं देयताएं		
i	प्रदत्त पूंजी	32,776.62	32,776.62
	जिसमें से : सीईटी 1 हेतु पात्र राशि	32,776.62	32,776.62
	जिसमें से : एटी 1 हेतु पात्र राशि	-	-
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	4,17,954.86	4,16,808.26
	अल्प संख्यक हित	1,514.16	1,514.16
	कुल पूंजी	4,52,245.65	4,51,099.05
ii	जमाराशियां	55,73,864.27	55,73,899.38
	जिसमें से : बैंकों से जमाराशियां	3,63,241.98	3,63,241.98
	जिसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां	52,10,622.29	52,10,657.40
	जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)	-	-
iii	उधार	3,97,524.66	3,97,524.66
	जिसमें से : आरबीआई से	1,88,770.00	1,88,770.00
	जिसमें से : बैंकों से	0.00	0.00
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेन्सियों से	22,936.83	22,936.83
	जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें)	1,02,817.83	1,02,817.83
	जिसमें से : पूंजी लिखत	83,000.00	83,000.00
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	2,06,553.82	1,80,471.55
	जिसमें से : सद्भाव से संबंधित डीटीएल	0.00	0.00
	जिसमें से : अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	0.00	0.00

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलनपत्र
		यथा रिपोर्टिंग तिथि (रू. मिलियन में)	यथा रिपोर्टिंग तिथि (रू. मिलियन में)
	कुल	**66,30,188.40**	**66,02,994.63**
बी	आस्तियां		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष	2,94,465.45	2,94,380.61
	बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	5,71,625.14	5,71,638.90
ii	निवेश:	16,23,229.08	15,97,577.38
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	14,51,366.66	14,42,525.22
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	3,835.74	-
	जिसमें से : शेयर	11,353.24	7,764.03
	जिसमें से : डिबेंचर एवं बॉण्ड	80,188.15	78,124.83
	जिसमें से : अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियां	16,131.77	16,881.77
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक कागज़ात, म्यूचुअल फण्ड इत्यादि)	60,353.52	52,281.53
iii	ऋण एवं अग्रिम	37,06,440.85	37,06,410.52
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	98,762.09	98,762.09
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	36,07,678.76	36,07,648.43
iv	अचल आस्तियां	90,579.85	90,510.40
v	अन्य आस्तियां	3,43,848.03	3,42,476.83
	जिसमें से:सद्भाव एवं अमूर्त आस्तियां		
	जिसमें से :		
	सद्भाव		

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलनपत्र
		यथा रिपोर्टिंग तिथि (रू. मिलियन में)	यथा रिपोर्टिंग तिथि (रू. मिलियन में)
	(अन्य अमूर्त (एमएसआर को छोड़कर)		
	आस्थिगित कर आस्तियां	1,37,603.95	1,37,603.95
vi	समेकन पर सद्भाव		
vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष		
	कुल आस्तियां	**66,30,188.40**	**66,02,994.63**

चरण 3 के अंतर्गत, बैंकों को प्रत्येक इनपुट का स्त्रोत दिखाने के लिए तालिका डीएफ- 11 (भाग I / II, जो भी लागू हो) में जोडे गए कॉलम को पूर्ण करने की आवश्यकता है।

(i) उदाहरणार्थ, पूँजीगत प्रकटन टैम्पलेट में "संबंधित आस्थगित कर आस्तियों के सद्भाव" की पंक्ति शामिल है। तालिका डीएफ -11(भाग I / II, जो भी लागू हो) के अंतर्गत प्रकटन टैम्पलेट में इस मद के प्रकटन के बाद, बैंक को समेकन की विनियामकीय सीमा के अंतर्गत तुलन पत्र के घटक 'ए', उदाहरण चरण 2 में, तथा घटक 'सी' में अंतर को टैम्पलेट की पंक्ति 8 की गणना दिखाने के लिए 'ए-सी' दर्शाना होगा।

	आम प्रकटन टैम्पलेट बासेल III का सार (जोड़े गए कॉलम सहित) - तालिका डीएफ - 11 (भाग आई/भाग II, जो भी लागू हो)		
	आम इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत एवं आरक्षितियां		
		बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया विनियामक पूंजी का अंश	**चरण 2 से विनियामक के समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलन पत्र के संदर्भ संख्या/पत्रों पर आधारित स्त्रोत**
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी किए गए पात्र आम शेयर (और गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा साथ में संबंधित स्टॉक अधिशेष	391,031.59	e
2	प्रतिधारित अर्जन	- 238,882.33	

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलनपत्र
		यथा रिपोर्टिंग तिथि (रू. मिलियन में)	यथा रिपोर्टिंग तिथि (रू. मिलियन में)
3	संचित अन्य समेकित आय (एवं अन्य आरक्षितियां)	2,56,857.06	
4	सीईटी 1 से फेज आउट की शर्त के अध्यधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी (केवल संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं थर्ड पार्टियों द्वारा धारित आम शेयर पूंजी (समूह सीईटी 1 में अनुमत राशि)	1514.16	
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व आम इक्विटी टियर 1 पूंजी	410,520.48	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	सद्भाव (संबंधित कर आस्तियां कम कर)		ए-सी

तालिका डीएफ-13

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

टियर - I बॉण्ड

1	**जारीकर्ता**	**बैक ऑफ इंडिया**
2	यूनीक आईडेन्टिफायर (जैसे- निजी प्लेसमेंट के हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग आईडेन्टिफायर)	INE084A09225
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय विधि
	विनियामक व्यवहार	
4	संक्रामणकालीन बासेल III नियम	अतिरिक्त इक्विटी टियर 1
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल III नियम	अतिरिक्त इक्विटी टियर 1
6	सोलो/ग्रुप /ग्रुप एवं सोलो में पात्र	एकल एवं समूह
7	लिखत प्रकार	स्थायी कर्ज लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्य की गई राशि (रु. मिलियन में , नवीनतम रिपोर्टिंग तारीख)	600

9	लिखत का सममूल्य (रु.मिलियन) यथा नवीनतम रिपोर्टिंग तारीख	3,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी किए जाने की मूल तारीख	09.09.2010
12	दिनांकित या सर्वकालिक	स्थायी
13	मूल परिपक्वता तारीख	स्थायी
14	पर्यवेक्षी अनुमोदन के अध्यधीन पहले इश्यूअर कॉल	हाँ
15	मूल कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन राशि	कॉल ऑप्शन डेट
16	तदुपरांत की कॉल तारीखें, यदि लागू हों	09.09.2020 के बाद
	कूपन /लाभांश	कूपन
17	स्थिर या अस्थिर (फ्लोटिंग) लाभांश /कूपन	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित इन्डेक्स	कॉल से पहले 9.05%, यदि कॉल नहीं की गई हो तो 9.55%
19	डिविडेन्ड स्टॉपर की उपलब्धता	हाँ
20	पूर्णत: विवेकपूर्ण, आंशिकरूप से विवेकपूर्ण या अनिवार्य	आंशिक रूप से विवेकपूर्ण
21	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य किसी प्रोत्साहन की उपलब्धता	हाँ
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो, कन्वर्जन ट्रिगर्स	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो, किसी प्रकार के लिखत में परिवर्तन किया जाएगा उल्लेख करें।	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो, जिस लिखत में परिवर्तित होगा उसके जारीकर्ता का उल्लेख करें।	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशेषता	नहीं
31	यदि अस्थायी राइट डाउन हो तो, राइट डाउन ट्रिगर ।	लागू नहीं
32	यदि राइट डाउन हो तो, पूर्णत: है या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि राइट डाउन हो तो, वह स्थायी है या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि राइट डाउन हो तो, राइट अप तंत्र का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में सबऑर्डिनेशन व्यवस्था में स्थिति (लिखत से तुरंत अधिमानी लिखत के प्रकार का उल्लेख करें।)	स्थायी कर्ज
36	गैर-अनुपालित पारगमन विशेषता	हाँ
37	यदि हाँ, तो कृपया गैर-अनुपालित विशेषताओं का उल्लेख करें	हानि के एब्ज़ोर्प्शन कोई व्यवस्था नहीं

कॉमन इक्विटि (सीईटी 1 पूँजी)

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया
2	यूनीक आईडेन्टिफायर (जैसे- निजी प्लेसमेंट के हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग आईडेन्टिफायर)	INE084A01016
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय विधि
	विनियामक व्यवहार	
4	संक्रामणकालीन बासेल III नियम	आम इक्विटी टियर - I
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल III नियम	आम इक्विटी टियर - I
6	एकल / समूह / समूह एवं एकल में पात्र	एकल एवं समूह
7	लिखत प्रकार	आम शेयर
8	विनियामक पूंजी में मान्य की गई राशि (रु. मिलियन में , यथा नवीनतम रिपोर्टिंग तारीख)	32776.625
9	लिखत का सममूल्य (रु.मिलियन)	लागू नहीं
10	लेखांकन वर्गीकरण	इक्विटी शेयर
11	जारी किए जाने की मूल तारीख	विभिन्न
12	दिनांकित या सर्वकालिक	सर्वकालिक
13	मूल परिपक्वता तारीख	लागू नहीं
14	पहले इश्यूअर कॉल पर्यवेक्षीय अनुमोदन के अध्यधीन से	नहीं
15	ऑप्शनल कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन	लागू नहीं
16	तदुपरांत की कॉल तारीखें, यदि लागू हों	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	लाभांश
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश/कूपन	लागू नहीं
18	कूपन दर और कोई संबंधित इन्डेक्स	लागू नहीं
19	डिविडेन्ड स्टॉपर की उपलब्धता	लागू नहीं
20	पूर्णत: विवेकपूर्ण, आंशिकरूप से विवेकपूर्ण या अनिवार्य	लागू नहीं
21	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य किसी प्रोत्साहन की उपलब्धता	नहीं
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	लागू नहीं

24	यदि परिवर्तनीय हो तो, कन्वर्जन ट्रिगर्स	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो, किस प्रकार के लिखत में परिवर्तन होगा उल्लेख करें।	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो, जिस लिखत में परिवर्तित होगा उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशेषता	नहीं
31	यदि राइट डाउन हो तो, राइट डाउन ट्रिगर्स।	लागू नहीं
32	यदि राइट डाउन हो तो, पूर्णत: है या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि राइट डाउन हो तो, वह स्थायी है या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि राइट डाउन हो तो, राइट अप तंत्र का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में सबऑर्डिनेशन व्यवस्था में स्थिति (लिखत से अधिमानी लिखत के प्रकार का तत्काल उल्लेख करें)	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और उधारकर्ता
36	गैर-अनुपालित पारगमन विशेषता	नहीं
37	यदि हाँ, तो कृपया गैर-अनुपालित विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

टियर - II बॉण्ड

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया
2	यूनीक आईडेन्टिफायर(ह्लद्वह३॰ निजी प्लेस्मेंट के हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग आईडेन्टिफायर)	INE084A09217
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय विधि
	विनियामक व्यवहार	
4	संक्रामणकालीन बासेल III नियम	टियर 2
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल III नियम	टियर 2
6	एकल / समूह / समूह एवं एकल में पात्र	एकल एवं समूह
7	लिखत प्रकार	अपर टियर 2
8	विनियामक पूंजी में मान्य की गई राशि (रु. मिलियन में , यथा नवीनतम रिपोर्टिंग तारीख)	2,000
9	लिखत का सममूल्य (रु.मिलियन)	10,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी किए जाने की मूल तारीख	11/06/2010
12	दिनांकित या सर्वकालिक	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	11/06/2025
14	पहले इश्यूअर कॉल	11/06/2020
15	ऑप्शनल कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन	11/06/2020
16	तदुपरांत की कॉल तारीखें, यदि लागू हों	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	कूपन
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश/कूपन	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित इन्डेक्स	8.48%
19	डिविडेन्ड स्टॉपर की उपलब्धता	नहीं
20	पूर्णत: विवेकपूर्ण, आंशिकरूप से विवेकपूर्ण या अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य किसी प्रोत्साहन की उपलब्धता	हां
22	गैर-संचयी या संचयी	संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर- परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो, कन्वर्जन ट्रिगर्स	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो, किस प्रकार के लिखत में परिवर्तन होगा उल्लेख करें।	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो, जिस लिखत में परिवर्तित होगा उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशेषता	नहीं
31	यदि राइट डाउन हो तो, राइट डाउन ट्रिगर्स।	लागू नहीं
32	यदि राइट डाउन हो तो, पूर्णत: है या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि राइट डाउन हो तो, वह स्थायी है या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि राइट डाउन हो तो, राइट अप तंत्र का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में सबऑर्डिनेशन व्यवस्था में स्थिति (लिखत से अधिमानी लिखत के प्रकार का तत्काल उल्लेख करें)	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और उधारकर्ता
36	गैर-अनुपालित पारगमन विशेषता	हां
37	यदि हाँ, तो कृपया गैर-अनुपालित विशेषताओं का उल्लेख करें	हानि के एब्जोर्प्शन की सुविधा

टियर - I I बॉण्ड (जारी...)

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया
2	विशिष्ट आईडेन्टिफायर (जैसे - निजी प्लेस्मेंट के हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग आईडेन्टिफायर)	INE084A08037	INE084A08045	INE084A08060	INE 084A08094	INE 084A08110
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि
	विनियामक व्यवहार					
4	संक्रामणकालीन बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल III नियम	पात्र	पात्र	पात्र	पात्र	पात्र
6	एकल / समूह / एकल एवं समूह में पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
7	लिखत प्रकार	टियर 2 कर्ज लिखत	टियर 2 कर्ज लिखत	टियर 2 कर्ज लिखत	टियर 2 कर्ज लिखत	टियर 2 कर्ज लिखत
8	विनियात्कम पूंजी में मान्य की गई राशि (रु. मिलियन में , यथा सबसे हाल की रिपोर्टिंग तारीख)	6,000	3,000	30,000	15,000	10,000
9	लिखत का सममूल्य (रु.मिलियन)	10,000	5,000	30,000	15,000	10,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार
11	जारी किए जाने की मूल तारीख	25.09.2013	30.09.2013	31.12.2015	07.07.2016	27.03.2017
12	दिनांकित या सर्वकालिक	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	25.09.2013	30.09.2013	31.12.2015	07.07.2016	27.03.2017
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अध्यधीन इश्यूअर कॉल	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
15	मूल कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	07.07.2021	27.03.2022
16	तदुपरांत की कॉल तारीखें, अगर लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	आरबीआई के अनुमोदन के अध्यधीन मोचन तक प्रत्येक वर्षगांठ पर (अर्थात 07 जुलाई)	आरबीआई के अनुमोदन के अध्यधीन मोचन तक प्रत्येक वर्षगांठ पर (अर्थात 27 मार्च)
	कूपन/डिविडेंड	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन
17	स्थिर या फ्लोटिंग कूपन/डिविडेंड	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित इन्डेक्स	9.80%	9.80%	8.52%	8.57%	8.00%
19	डिविडेन्ड स्टॉपर की उपलब्धता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
20	पूर्णत: विवेकपूर्ण, आंशिकरूप से विवेकपूर्ण या अनिवार्य	पूर्णत: विवेकाधीन	पूर्णत: विवेकाधीन	पूर्णत: विवेकाधीन	पूर्णत: विवेकाधीन	पूर्णत: विवेकाधीन
21	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य किसी प्रोत्साहन की उपलब्धता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी

23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	अगर परिवर्तनीय हो तो, कन्वर्ज़न ट्रिगर्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	अगर परिवर्तनीय हो तो, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	अगर परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	अगर परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	अगर परिवर्तनीय हो तो, किसी प्रकार के लिखत में परिवर्तन किया जाएगा उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	अगर परिवर्तनीय हो तो, जिस लिखत में परिवर्तित होगा उसके जारीकर्ता का उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशेषता	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
31	अगर राइट डाउन हो तो, राइट डाउन ट्रिगर्स।	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित
32	अगर राइट डाउन हो तो, पूर्णत: है या आंशिक	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित
33	अगर राइट डाउन हो तो, वह स्थायी है या अस्थायी	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित
34	अगर राइट डाउन हो तो, राइट अप तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में सबऑर्डिनेशन व्यवस्था में स्थिति (लिखत के प्रकार का तत्काल उल्लेख करें)	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता और उधारकर्ता	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता और उधारकर्ता	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता और उधारकर्ता	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता और उधारकर्ता	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता और उधारकर्ता
36	गैर-अनुपालित पारगमन विशेषता	अनुपालन किया गया	अनुपालन किया गया	अनुपालन किया गया	अनुपालन किया गया	अनुपालन किया गया
37	अगर हाँ, तो कृपया गैर-कम्प्लायंट विशेषताओं का उल्लेख करें	-	-	-	-	-

तालिका डीएफ -14

विनियामक पूंजी लिखतों के सम्पूर्ण निबंधन एवं शर्तें

➢ हमारे वेबसाइट पर विनियामक प्रकटन खंड के अंतर्गत पृथक प्रकटन ।

तालिका डीएफ -15

पारिश्रमिक के लिए प्रकटन की आवश्यकता

निदेशक मण्डल और उच्चतम कार्यपालको के पारिश्रमिक का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है। यह योजना स्टेटमेन्ट ऑफ इन्टेन्ट (एसओआई) के आधार पर बनाई गई है जो भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित है।

तालिका डीएफ -16

बैंकिंग बहियों के लिए इक्विटी का प्रकटन

(राशि रु. मिलियन में)

	गुणात्मक प्रकटन	
1.	इक्विटी जोखिम से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता (इस अनुलग्नक का पैरा 2.1) जिसमें शामिल है :	
	धारित जिस पर पूँजीगत लाभ अपेक्षित है और वे जो अन्य उद्देश्यों के लिए धारित किए गए हैं, के बीच अंतर जिसमें संपर्क और कार्यनीतिक कारण शामिल हैं; और	ट्रेजरी द्वारा इक्विटी में निवेश अलग-अलग उद्देश्यों से परिचालित होता है। सहायक कंपनियों, अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और आरआरबी में किए गए सभी इक्विटी निवेश एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत हैं। इस प्रकार के निवेश परिपक्वता तक रखने के लिए प्राथमिक इरादे से किए जाते हैं। इसके अलावा, ट्रेजरी विभिन्न कंपनियों की इक्विटी में कार्यनीतिक निवेश भी करता है, जो एएफएस श्रेणी में बुक हैं। ऐसे निवेश शीघ्र निर्मित नहीं होते। ऐसे भी मामले हैं जहां ऋण आस्तियों को उधारकर्ता के इक्विटी में बदला जाता है, ऐसी कंपनियां एएफएस श्रेणी में वर्गीकृत हैं। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे निवेश सभी विवेकपूर्ण सीमाओं की परिधि से बाहर रखे गए हैं। पूंजीगत लाभ के उद्देश्य से इक्विटी में निवेश को एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत बुक किया गया है एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति में निर्धारित हानि रोध सीमा के अध्यधीन है। एएफएस एवं एचएफटी में सभी इक्विटी निवेश मार्क टू मार्केट (एम.टी.एम.) के अध्यधीन है।
	बैंकिंग बही में इक्विटी धारिता के मूल्यांकन और लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों पर विचार विमर्श। इसमें प्रयोग लेखांकन तकनीक और मूल्यांकन पद्धति शामिल है साथ ही मुख्य धारणाएं और मूल्यांकन प्रभावित करने वाली पद्धति के साथ इन पद्धतियों में परिवर्तन भी शामिल है।	इक्विटी धारिता के लेखांकन एवं मूल्यांकन के लिए, ट्रेजरी को मास्टर परिपत्र "बैंक निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड" में दिये गए आरबीआई के दिशानिर्देश के साथ बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक बही में इक्विटी होल्डिंग में निवेश को मार्क टू मार्केट होना आवश्यक नहीं है तथा अधिग्रहण लागत पर कैरी किया गया है। इक्विटी निवेश के मूल्य में क्षणिक को छोडकर यदि कोई ह्रास होता है। एच.टी.एम. श्रेणी में निवेश की बिक्री से कोई हानि,लाभ एवं हानि खाते में दर्ज की जाती है तथा बाद में कर को हटाकर आरक्षित पूंजी तथा वैधानिक पूंजी में विनियोजित की जाती है। लागत में शामिल ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूत संव्यवहार कर, आदि इक्विटी निवेश के अधिग्रहण पर भुगतान किया गया । इक्विटी निवेश को स्वीकार करने के लिए ट्रेजरी, ट्रेड डेट लेखांकन नीति बनाए रखता है।
	मात्रात्मक प्रकटन	
1.	निवेश के तुलन पत्र में प्रकट किए गए मूल्य के साथ-साथ उन निवेशों का उचित मूल्य, उद्धृत शेयर मूल्य से तुलना जहां शेयर मूल्य भौतिक रूप से उचित मूल्य से भिन्न है।	
	निवेश का बही मूल्य	14787.20
	तुलन पत्र के अनुसार बही मूल्य	14459.02
2.	निवेश के प्रकार और प्रकृति, जिसमें निम्नानुसार श्रेणीकृत की जाने वाली राशि शामिल है :	
	· सार्वजनिक रूप से व्यापार ;	
	· निजी रूप से धारित	14459.02
3.	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री और परिसमापन से उत्पन्न संचयी प्राप्त लाभ (हानि) ।	
4.	कुल अप्राप्य लाभ (हानि) 13	

	गुणात्मक प्रकटन	
5.	कुल प्रकट पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानि)14	
6.	उपरोक्त में से कोई राशि टियर 1 और/या टियर 2 पूंजी में शामिल	
7.	उचित इक्विटी समूहन द्वारा विघटित पूंजी आवश्यकताएं, बैंक की पद्धति के साथ समनुरूप के साथ-साथ संकलित राशि और इक्विटी निवेशों का प्रकार बशर्ते कि पर्यवेक्षी ट्रैन्जिशन या विनियामक पूंजीगत आवश्यकताओं से संबंधित पूर्ववर्ती (ग्रैंडफादरिंग) प्रावधानों की देखभाल।	लागू नहीं

तालिका डीएफ -17
लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र उपाय का सारांश यथा 31.03.2020 (समेकित स्थिति)

	मद	(राशि रू. मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल समेकित आस्तियाँ	6,630,188.40
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा और वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश के लिए समायोजन जिसका लेखांकन उद्देश्य के लिए समेकन किया जाता है लेकिन विनियामक समेकन की सीमा के बाहर है।	(-) 750.00
3	परिचालन लेखा संरचना के अनुसरण में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन लेकिन लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र उपाय में शामिल नहीं	-
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	13,471.98
5	प्रतिभूतियों के वित्तपोषण संव्यवहार के लिए समायोजन (अर्थात रेपो और समान प्रतिभूत उधार)	115,480.88
6	तुलन पत्र बाहय मदों के लिए समायोजन (अर्थात् तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर के क्रेडिट समतुल्य राशि में परिवर्तन)	398,246.50
7	अन्य समायोजन	(-)211,476.14
8	**लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र**	**6,945,161.62**

तालिका डीएफ -18
लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटन टैंपलेट

	मद	लीवरेज अनुपात संरचना (रु.मिलियन में)
	तुलन पत्र के एक्पोज़र	
1	तुलन पत्र के अंदर के मद (डेरिवेटिव और एसएफटी छोड़कर, लेकिन संपार्श्विक शामिल)	6,514,707.52
2	(बासेल III टियर 1 पूंजी निर्धारण में आस्ति राशि घटाई गई)	(-) 96,745.26
3	**तुलन-पत्र पर कुल एक्सपोज़र** (डेरिवेटिव और एसएफटी छोड़कर) (पंक्ति 1 और 2 का जोड़)	**6,417,962.26**
	डेरिवेटिव एक्सपोज़र	
4	सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों के साथ सम्बद्ध प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकद अंतर मार्जिन का निवल)	4,591.35

	मद	लीवरेज अनुपात संरचना (रु.मिलियन में)
5	सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों के साथ सम्बद्ध पीएफई के लिए एड ऑन राशि	8,880.63
6	परिचालन लेखा संरचना के अनुसरण में तुलन-पत्र आस्ति से घटाये जाने पर दिए गए डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए ग्रॉस अप	
7	(डेरिवेटिव संव्यवहार में दिए गए नकद अंतर मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों में कमी)	
8	(ग्राहक का छूट प्राप्त सीसीपी लेग - स्पष्ट व्यापार एक्सपोज़र)	
9	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव से समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि	
10	(लिखत क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित ऑफ सेट और एड ऑन घटाना)	
11	**कुल डेरिवेटिव एक्सपोज़र (लाइन 4 से 10 का जोड़)**	**13,471.98**
	संव्यवहार एक्सपोज़र वित्तपोषित प्रतिभूतियां	
12	सकल एसएफटी आस्ति (नेटिंग को मान्यता दिए बिना), बिक्री लेखा संव्यवहारों के लिए समायोजन के बाद	115,480.88
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के नकद देय और नकद प्राप्य का निवल राशि)	
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	
15	एजेंट संव्यवहार एक्सपोज़र	
16	**कुल प्रतिभूति वित्तपोषित संव्यवहार (पंक्ति 12 से 15 का जोड़)**	**115,480.88**
	अन्य तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोज़र	
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलन पत्र बाह्य एक्सपोज़र	893,475.19
18	(क्रेडिट समतुल्य राशि के परिवर्तन के लिए समायोजन)	(-) 495,228.69
19	**तुलन पत्र से बाह्य मदें (पंक्ति 17 और 18 का जोड़)**	**398,246.50**
	पूंजी और कुल एक्सपोज़र	
20	**टियर 1 पूंजी**	**314,375.22**
21	**कुल एक्सपोज़र (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का जोड़)**	**6,945,161.62**
	लीवरेज अनुपात	
22	**बासेल III लीवरेज अनुपात**	**4.53%**

Basel III (Pillar 3) - Disclosures (Consolidated) March,2020

Table DF 1
Scope of Application

Name of the top bank in the group to which the Framework applies- BANK OF INDIA

i. Qualitative Disclosures

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity/Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the Method of consolidation	Whether the Entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the Method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Bank of India New Zealand Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India (Uganda) Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India (Tanzania) Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
PT Bank of India Indonesia, TBK	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Shareholding Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Axa Investment Managers Pvt Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Axa Trustee Services Pvt Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Merchant Bankers Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd	Yes	Joint Venture	No	Joint Venture	NA	NA
STCI Finance Ltd	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
ASREC (India) Ltd	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
Indo Zambia Bank Ltd	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB Vidharbha Konkan Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB Aryavart Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB Madhya Pradesh Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA

* Bank of India sold its overseas subsidiary Bank of India (Botswana) Ltd and same ceased to be subsidiary w.e.f. November 22, 2019

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no group entities that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity & reserves (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) (Equity + Reserve) (Rs Mn)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) (Rs Mn)
Bank of India (New Zealand) Ltd	Banking	2,476.62	3,880.14
Bank of India (Uganda) Ltd	Banking	823.26	4,627.01
Bank of India (Tanzania) Ltd	Banking	972.23	3,245.93
PT Bank of India Indonesia, TBK	Banking	5,229.58	18,670.84
BOI Shareholding Ltd	Clearing & Settlement of Stock Exchange	324.28	358.50
BOI Axa Investment Managers Pvt Ltd	Assets Management	528.09	577.79
BOI Axa Trustee Services Pvt Ltd	Trusteeship Services	2.11	2.27
BOI Merchant Bankers Ltd	Merchant Banking services	148.18	150.98
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd	Life Insurance	6,569.17	96,613.68
STCI Finance Ltd	NBFC- NDSI	19,004.53	112,202.36
ASREC (India) Ltd	Assets Recovery Company	1,450.41	1,982.34
Indo Zambia Bank Ltd	Banking	5,028.16	29,387.09
RRB Vidharbha Konkan Gramin Bank	Banking	(-)1967.78	47,611.27
RRB Aryavart Bank	Banking	20,506.02	3,33,283.51
RRB Madhya Pradesh Gramin Bank	Banking	3,505.01	1,73,131.85

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no deficiency in the subsidiaries.

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total Balance Sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) Rs Mn	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method (Rs Mn)
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company LTD	Life Insurance	2589.64	28.96	1875.00 (Risk weight 250%)

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group are as governed by RBI

No

Table DF - 2

Capital Adequacy

i. Qualitative disclosures:

a. A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.

1. Bank of India:

The Bank carries out regular assessment of its Capital requirements from time to time reviewed on an annual basis to take care of the future growth in business, capital requirements, policy guidelines, macro-economic scenarios, risk appetite etc. The Bank has also developed Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to comprehensively address all risks and maintain necessary additional capital.

2. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary):

In accordance with Regulation of Bank Indonesia, Bank's Tier-1 Capital should be minimum IDR 1 trillion in order to run foreign exchange business.

3. Bank of India (Tanzania) Ltd and Bank of India (Uganda) Ltd - Subsidiary:

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored regularly by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines developed by the Basel Committee, as implemented by the Bank of Tanzania (BOT) and Bank of Uganda (BOU), for supervision purposes. The required information is filed with the BOT and BOU, the local regulators on a quarterly basis. IFRS- 9 has been implemented with effect from 1st January, 2018.

The bank's regulatory capital as managed by its management is divided into two tiers:

Tier 1 Capital: - Share capital and Retained Earnings, Deferred Charges, Statutory Reserves, and General Provisions are deducted in arriving at Tier 1 Capital.

Tier 2 Capital: - Qualifying subordinate loan capital, collective impairment allowances and unrealized gains arising on the fair valuation of equity instruments held as available for sale.

The risk-weighted assets are ensured by means of a hierarchy of five risk weights classified according to the nature and reflecting an estimate of credit, market and other risks associated with each asset and counterparty, taking into account any eligible collaterals or guarantees. A similar treatment is adopted for off- balance sheet exposure, with some adjustments to reflect the more contingent nature of the potential losses.

4. Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiary):

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored regularly by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines of the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), for supervision purposes. The required information is disclosed in General Disclosure Statement on quarterly basis. The bank's regulatory capital as managed by its management solely consists of Tier 1 Capital

Tier 1 capital: - Share capital, retained earnings and reserves created by appropriation of retained earnings

The risk-weighted assets are ensured by means of a hierarchy of five risk weights classified according to the nature and reflecting an estimate of credit, market and other risks associated with each asset and counterparty, taking into account any eligible collaterals or guarantees. A similar treatment is adopted for off-balance sheet exposure.

ii. Quantitative disclosures:-

(Amount in Rs. Mn.)

Capital requirements for Credit Risk (#):	
➢ Portfolios subject to standardized approach	2,28,866.40
➢ Securitisation exposures	
Capital requirements for Market Risk: Standardized duration approach: (#)	17,810.00
➢ Interest rate risk	13,085.21
➢ Foreign exchange risk (including gold)	354.37
➢ Equity risk	4,371.75
Capital requirements for Operational Risk (#): ➢ Basic Indicator Approach ➢ The Standardized Approach (if applicable)	28,230
Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios: **(For the top consolidated group)**	
➢ Common Equity Tier 1 Capital (CET 1)	9.90
➢ Tier 1 Capital (T 1)	9.92
➢ Total Capital Ratio	13.10
# Capital requirement is calculated at Minimum Regulatory Requirement @ 9% of RWA.	

Table DF 3 - Credit risk

General Disclosures For All Banks

i. Qualitative Disclosures

a. The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk, including:

- ***Definition of past due and impaired (for accounting purposes)***

1.0 Bank of India

The Bank follows Reserve Bank of India regulations, which are summed up below:

1.1 Non-performing Assets

An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank.

A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

➢ Interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,

- the account remains 'out of order' as indicated below, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.
- Bank should classify an account as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.
- A loan for infrastructure/non-infrastructure project will be classified as NPA during any time before commencement of commercial operations as per record of recovery (90 days overdue) unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"
- A loan for an infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within two years from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"
- A loan for a non-infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within twelve months from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"

1.2 'Out of Order' status:

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

1.3 Overdue:

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

1.4 Non Performing Investments:

In respect of securities, where interest/ principal is in arrears, the Bank does not consider depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:

- Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.
- Any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.
- The investments in debentures / bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are subjected to NPI norms as applicable to investments.

2.0 PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary):

The Credit Quality is assessed based on the factors such as business prospects, performance of the debtor and repayment capacity. It is undertaken depending upon the materiality and significance of each assessment factor and components and the relevance of the assessment factors and components to the characteristics of the debtor concerned. Accordingly, the assets are classified into current, special mention, sub-standard, doubtful and loss category.

"Assets" are classified into Earning Assets and Non-earning Assets. Earning Assets are provision of funds by a bank to earn revenues. "Non-Earning Assets" are assets of the Bank other than Earning Assets with potential for Loss.

An asset becomes non-performing when it ceases to generate revenue for the bank. A non-performing asset is a loan or an advance where the arrears in principal and / or interest exceed 90 days.

Past due: Any amount due to the bank under any credit facility is "past due" if it is not paid on the due date fixed by the bank.

In 2010, PT Bank of India Indonesia Tbk started implementation of the New Accounting Policy i.e. PSAK 50 & 55 which is similar to the International Accounting Standards IAS 32 & 39 according to which the financial asset must be presented at the fair value. During the implementation of PSAK 50 & 55, Bank Indonesia issued the guidelines that if the bank does not maintain historical loss data, during the transition period i.e. until the year 2011, it can compute the financial asset impaired as described above. We are now in progress to integrate PSAK calculation into bank's core banking, which is in line with our business plan that is up-gradation technology.

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
90-120	Substandard	15%
120-180	Doubtful	50%
180 and More	Loss	100%

3.0 Bank of India (New Zealand) Ltd, Bank of India (Tanzania) Ltd, and Bank of India Uganda

Credit risk is a risk of financial loss to the bank, if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations and arises principally from the bank's loans and advances to customers and other banks, and investment debt securities.

The Board of Directors has delegated responsibility for the oversight of credit risk to its Credit committee. The credit

department of the bank, reporting to the Credit committee is responsible for management of the bank's credit risk, including:-

- Formulating credit policies covering collateral requirements, credit assessment, risk grading and reporting, documentary and legal procedures, and compliance with regulatory and statutory requirements.
- Establishing the authorization structure for approval and renewal of credit facilities. The credit limits are governed by the Credit policy, as approved by the board.
- Reviewing and assessing credit risks.
- Limiting concentrations of exposure to counterparties, geographies and industries (for loans and advances).

3.1 Definitions of Past Due and Impaired (for accounting purposes):

Overdrafts and other credit facilities without specific due dates shall be considered past due if:

- Exceeds the customer's borrowing limit.
- Customers borrowing limit is expired.
- Deposits are insufficient to cover the interest calculated and due for the period
- Bill has been dishonoured
- Bill or account is not paid on due date
- Loans which are payable in instalments are considered as past due in their entirety if any of the instalments have become due and unpaid for thirty days or more.

4.0 Bank of India (New Zealand) Ltd:

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-180	Substandard	10%
181-270	Doubtful	50%
271 and More	Loss	100%

5.0 Bank of India (Tanzania) Ltd:

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
30-90	Especially Mentioned	3%
91-180	Substandard	20%
181-360	Doubtful	50%
361 and more	Loss	100%

6.0 Bank of India Uganda

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-179	Substandard	20%
180-365	Doubtful	50%
365 and more	Loss	100%

b. Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy:

A. Bank of India:

- In a bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions or from reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality.
- Against this backdrop a robust risk management framework is necessary for the long-term financial health of a bank. Credit Risk Management encompasses identification, measurement, monitoring and control of the credit risk exposures.
- The Bank has identified various types of credit risk at a generic level in the Credit Risk Management policy. More granular identification is done at the product /process level. Various risks are looked into before introducing new products/ processes, which are cleared from the risk angle.
- The Credit Risk Management framework outlined in the policy is built on three distinct building blocks namely Policy & Strategy, Organizational Set up and Operations/Systems.

i) Policy and Strategy:

The Bank has been following a conservative risk philosophy, which has steered the bank through difficult times. However the Bank has an open policy regarding new and unexplored areas and new opportunities are not lost sight of. The important aspects of this philosophy are embodied in the circulars and are periodically codified in the form of Manual of Instructions.

The business objectives and the strategy of the Bank is decided taking into account the profit considerations, the level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. The Bank is always conscious of its asset quality and earnings and hence judiciously matches profit maximization with risk control.

The Credit Risk Management policy and significant credit risk related policies like Credit Policy, and Credit Monitoring Policy are approved and periodically reviewed by the Board of Directors. The Credit Policy covers various areas of credit like Clientele, Marketing, Segmented Approach to Lending, Credit Delivery, Credit Thrust, Tenure of Credit, Credit Acquisition, Risk Rating (including risk acceptance criteria), Pricing, Credit appraisal, Assessment of Limits, Exposure Norms, Industry Norms, Collateral and Margins, Review of Relationship, Scheme of Delegation, Statutory and other Restrictions and Documentation. Credit Policy for International Operations is in place and each center has its own credit policy dovetailed to the main policy. The delegation of powers for credit matters is covered by a separate policy. In addition Credit Risk is tracked and monitored as per the Credit Monitoring Policy. Restructuring Policy, Write Off and Recovery Policy, Asset Classification and Provisioning Policy, Bank Exposure Policy, Country Risk policy and Credit Audit Policy are also in place. Investments are contracted as per the policy guidelines laid down in the Investment Policy and after clearance by the Investment Committee.

ii) Organizational Set up:

The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex levels that have the overall oversight of management of risks. The Risk Management Committee of the Board (R. Com) which is the sub-committee of the Board headed by the MD & CEO and whose members also include heads of Credit, Market & Operational Risk Management Committees, devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk. At the operational level the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main functions includes implementation of credit risk management policy approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit matters including delegation of credit, prudential limits on large credit exposures, portfolio management, etc.

The Risk Management Department headed by the Chief Risk Officer of General Manager rank, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/R. Com/M.Com. The Credit Monitoring Department headed by a General Manager, monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

iii) Operations/Systems/Processes

The Bank has proactive Credit Risk Management practices like consistent standards for the credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items, periodic individual obligor reviews, periodic inspections and collateral management systems.

Credit risk limits including obligor limits and concentration limits by industry, systems and procedures for monitoring financial performance of customers and for controlling outstanding within limits are followed. Checks and balances are in place for extension of credit viz. separation of credit risk management from credit sanction, vetting of new products and systems from risk angle by the CRMC, multiple credit approvers, system of assigning risk rating, vetting of ratings, mechanism to price facilities depending on the risk grading of the customer, Credit Risk Evaluation committee for vetting credit proposals from risk angle, credit process audit, post sanction pre disbursement review and post sanction review systems and an independent audit and risk review function. Proposals for investments are subjected to credit risk analysis, detailed appraisal and rating. As a matter of entry level, minimum ratings/quality standards, industry, maturity, duration, issue-wise limits are stipulated for investments to mitigate the adverse impact of concentration and risk of liquidity. Investment exposure is taken into consideration while computing exposure to a customer/group**.** A suitable framework is in place to provide a centralized overview on the aggregate exposure on other banks and half-yearly reviews are undertaken at a single point. The country exposures are monitored on half yearly basis.

A diversified portfolio of risk assets is maintained and a system to conduct regular analysis of the portfolio so as to ensure on going control of risk concentrations is in place. A conservative policy for provisioning in respect of non-performing advances is followed. Management Information System (MIS) is being upgraded with introduction of Credit Risk Management System, which would enhance the capabilities of the bank to manage and measure the credit risk inherent in all on- and off-balance sheet activities.

iv) The following tools are used for credit risk management/ mitigation –

- **Credit Approving Authority – Delegation of Powers:**

The Bank has a well-defined scheme of risk based delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment.

The delegation of powers is linked to the rating of the borrower with powers for sanction of higher limits to better-rated customers. At present, all credit proposals falling within the delegated authority of the General Manager and above are being routed through the "Credit Risk Evaluation Committee (CREC)" to bring in an element of independence and off-site evaluation of risks perceived in credit proposals. The General Manager, Risk Management Department, who has no volume or profit targets, is mandatory member of the CREC.

As per Ministry of Finance Guidelines, Credit Committees with sanctioning powers have been formed at various administrative levels to exercise delegation of powers. At Head Office level, three Credit Committees (GMLCC, EDLCC and CAC) are functioning to deal with proposals falling beyond the delegated powers of the field functionaries. Such Credit Committees (SZLCC/ZLCC/NBGLCC) have also been set-up at Zonal Office/NBG office for considering the credit proposals falling within their powers.

- **Prudential Limits:**

Prudential limits on various aspects of credit/investment like Single/Group borrower limits for various types of borrowers are in place.

- **Risk Rating/Pricing:**

The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.

- **Credit Audit/Loan Review Mechanism (LRM):**

Credit Audit/LRM is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration

v) Portfolio Management through analysis:

It is also important to have in place a system for monitoring the overall composition and quality of various credit portfolios and investments. With this objective, to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model. Rating Migration of accounts with Rs. 10 lacs and above is being done on half yearly and submitted to Board. Credit Risk Management Software (CRMS) is being implemented phase-wise. Bank is getting prepared for adopting Advanced Approaches.

vi) Measurement:

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets

at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights. The Bank has migrated to the Standardized approach under the New Capital Adequacy Framework (Basel II), effective 31st March 2008.

vii) Risk Reporting System:

All credit related policies are cleared by the CRMC (which is the operational level committee for credit risk) before submission to the appropriate authorities for approval. Various Credit Related reporting's submitted to CRMC to enable proper monitoring.

viii) Risk Review:

Audit –Credit Risk Management Systems procedures and Tools are also subjected to internal audit for ensuring effectiveness.

ix) Measures for follow up of Special Mention Accounts (SMA) / NPA Accounts

The various means of monitoring / resolving NPAs undertaken by the Banks are listed below:

I. Before the account becoming NPA [Special Mention A/c (SMA)]:

a. Close monitoring for compliance of sanction terms to maintain asset quality.

b. Reminders are sent promptly whenever irregularities are observed.

c. To recover overdues quickly to ensure that account does not slip to NPA category.

d. Periodic inspection of the unit and charged assets along with analysis of financial data.

e. To restructure the dues before accounts become NPAs. Remedial action includes enhancement of moratorium period, funding of interest, and deferment of installments.

II. After the account becoming NPA:

a. Appropriation of liquid securities (TDR, shares, margin money etc.) and pledged goods, to reduce outstanding.

b. Disposal of other securities, with the co-operation of borrowers.

c. Compromise and settlement of dues through negotiation.

d. Re-calling the advance.

e. Filing suit in Court– Execution of decree.

f. After all the chances of recovery of dues are exhausted, account is written off of the balance dues.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary):

PT Bank of India Indonesia Tbk has established a Risk Management Committee (RMC) and the Risk Management Unit (RMU) which is independent of the Operational Unit and the Internal Audit Unit ("Internal Audit") in the hope of overall risk management can be integrated, targeted, coordinated and sustainable. Furthermore, to monitor the effectiveness of implementation of tasks RMC and RMU, the Bank established a Risk Monitoring Committee which is directly responsible to the Board of Commissioners.

The Bank has managed 8 (eight) types of risk according to Bank of Indonesia which are credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputation risk and strategic risk. Banks also create risk profiles which can broadly map the activity that has risks as well as potential risks that disrupt the Bank business continuity. Assessment of risk type is a combination of the risks inherent in any functional activity (inherent risk) and risk control systems.

The Bank is selective in approving new credits and maintains higher loan provisions than that required by the Regulator. In collateral based lending, hair cut is applied to the value of collateral. The Risk Manager of the bank reports to the Director Compliance. Risk Management Unit (RMU) supervises/ has oversight of the credit approval process.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd, Bank of India (New Zealand) Ltd, and Bank of India (Uganda) Ltd:

Monthly interest application has become a useful tool to tackle potential delinquencies or defaults in standard accounts. To retain the asset quality, the Bank has adopted the following policy, Branches should promptly act and:

- Recover the overdue or at least the critical amount through active follow up with borrowers;
- Put the accounts under holding on operations in case of temporary cash flow mismatches;
- Reschedule the repayment terms as per expected cash flows;
- Restructure the dues in keeping with the expected cash flows and gaps in cash flows, if any as per guidelines given in the restructuring policy.

Any one or more of the above actions are taken by the Bank before the account becomes NPA.

ii. Quantitative Disclosures:

a. The total gross credit exposures is:

Category	(Rs. In Mn)
Fund Based	44,68,660.00
Non Fund Based*	4,67,660.00
TOTAL	**49,36,320.00**

**Excluding Credit Equivalent of Derivatives*

b. The geographic distribution of exposure is:

(Rs.in Mn)

	Domestic	Overseas	Global
Fund Based	38,60,700	6,07,960	44,68,660
Non Fund Based	4,13,390	54,270	4,67,660

c. Industry type distribution of exposure (Fund Based & Non Fund Based) is as under:

(Rs. in Mn)

Industry Name	O/S Fund Based	O/S NFB
Coal	1,577.70	0.00
Mining	40,055.64	0.00
Iron & Steel	1,14,570.00	1,237.89

Industry Name	O/S Fund Based	O/S NFB
Other Metal & Metal Products	25,795.65	8,347.60
All Engineering	16,947.67	3,554.37
Of which Electronics	1,936.19	446.95
Electricity	3,19,448.44	47,594.51
Cotton Textiles	31,007.64	432.86
Jute Textiles	1,010.90	15.72
Other Textiles	39,907.36	2,097.44
Food Processing	35,457.32	2,182.47
Of which Vegetable Oil & Vanaspati	3,639.09	1,132.40
Of Which Sugar	12,860.04	544.15
Of Which Other Food Processing	18,564.94	491.87
Of Which Tea	11.26	14.05
Tobacco & Tobacco Products	6,008.26	26.35
Paper & Paper Products	10,116.17	467.24
Rubber & Rubber Products	16,842.09	1,618.63
Chemical, Dyes, Paints etc.	33,282.04	6,056.72
Of which Fertilisers	9,195.56	250.52
Of which Petro-chemicals	7,279.93	1,523.89
Of which Drugs & Pharmaceuticals	8,854.99	3,518.46
Of which others		
Cement	14,447.77	202.30
Leather & Leather Products	4,196.57	174.07
Gems & Jewellery	36,037.78	271.62
Construction	63,024.32	22,065.44
Petroleum	39,139.12	2,998.60
Automobiles including Trucks	18,640.95	1,206.90
Computer Software	0.00	0.00
Infrastructure*	4,83,061.84	91,491.32
Of which Power	3,20,871.58	51,764.58
Of which Telecommunications	1,466.39	47.87
Of which Roads & Ports	1,09,007.73	27,688.00
Other Industries	52,092.87	14,133.14
Residuary Other Advances (to balance with Gross Adv.)	33,85,440.35	3,09,079.32
Total	**44,68,660.00**	**4,67,660.00**
Exposure to Infra Sector at 10.81% exceeds 5% of total fund based advances		
Exposure to Infra Sector at 19.56% exceeds 5% of total non-fund based outstanding.		

d. The residual contractual maturity break down of assets is:

(Rs in Mn)

	Advances	Investments	F. C. Assets
Day 1	1,45,878.32	40,936.82	3,366.07
2 to 7 days	55740.29561	1,42,540.97	33,622.97
8 to 14 days	57,853.21	21,982.06	54,724.91
15 to 30 days	96,922.34	28,097.27	72,346.25
31 Days & upto 2 months	91,688.30	37,122.27	62,785.46
> 2 months & upto 3 months	1,67,662.44	38,535.31	62,785.46
>3 months & upto 6 months	1,61,454.96	38,857.28	62,785.46
Over 6 months & upto 1 year	2,21,024.23	63,370.09	80,039.20
Over 1 year & upto 3 years	14,08,253.17	4,73,996.22	39,957.97
Over 3 years & upto 5 years	4,47,407.24	1,77,127.19	-
Over 5 years	8,94,282.53	5,67,238.91	-
Total	**37,48,167.03**	**16,29,804.38**	**4,72,413.74**

e. The Gross NPAs are:

(Rs. in Mn)

Category	
Sub Standard	64,234.97
Doubtful – 1	84,052.34
Doubtful – 2	1,07,992.15
Doubtful – 3	2,04,077.35
Loss	1,55,142.49
Total	**6,15,499.30**

f. The amount of Net NPAs is Rs. 1,43,201.01Mn.

g. The NPA ratios are as under:

- Gross NPAs to Gross Advances: **14.78%.**
- Net NPAs to Net Advances: **3.88%.**

h. The movement of Gross NPA is as under:

(Rs in Mn)

i) Opening balance at the beginning of the year	6,06,611.20
ii) Additions during the year	1,63,288.10
iii) Reductions during the year	1,54,400.00
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	**6,15,499.30**

i. The movement of provision for NPAs is as under:

(Rs in Mn)

i) Opening balance at the beginning of the year	3,93,916.90
ii) Provisions made during the year	1,42,484.10
iii) Write-off/write-back of excess provisions	85,587.60
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	**4,50,813.40**

j. The amount of Non-Performing Investment is Rs. 18,038.94 Mn.

k. The amount of provision held for Non-Performing Investment is Rs17,312.00 Mn.

l. The movement of provisions for depreciation on investments is as under:

(Rs in Mn)

i) Opening balance at the beginning of the year	35,707.13
ii) Provisions made during the year	8,949.33
iii) Write-off/write-back of excess provisions	8,935.53
iv) Exchange Difference	-
v) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii+iv)	35,720.93

m. NPA and Provisions maintained by Major Industry or Counterparty type for Bank of India :

(Rs. in Mn.)

Industry Name	NPA	Provision
Coal	353.60	345.70
Mining	620.70	316.60
Iron & Steel	11,592.30	6,267.00
Other Metal & Metal Products	10,518.80	8,234.80
All Engineering	5,365.90	3,802.10
Of which Electronics	884.90	701.10
Electricity	0.00	0.00
Cotton Textiles	11,868.70	4,918.40
Jute Textiles	603.60	499.50
Other Textiles	13,268.70	9,515.30
Food Processing	12,516.40	11,350.10
Of which Vegetable Oil & Vanaspati	2,527.60	2,353.10
Of Which Sugar	1,638.40	1,287.10
Of Which Other Food Processing	8,350.40	7,709.90
Of Which Tea	0.00	0.00
Tobacco & Tobacco Products	1,495.80	1,118.30
Paper & Paper Products	3,556.10	2,773.00
Rubber & Rubber Products	1,829.00	785.90
Chemical, Dyes, Paints etc.	8,978.00	6,246.30
Of which Fertilisers	2,334.00	2,313.90
Of which Petro-chemicals	1,750.70	1,410.80
Of which Drugs & Pharmaceuticals	1,915.30	1,089.70
Of which Others	2,978.00	1,431.90
Cement	2,159.90	1,478.10
Leather & Leather Products	628.90	338.30
Gems & Jewellery	28,595.90	9,346.80
Construction	5,148.90	3,105.40
Petroleum	4,177.20	3,433.40
Automobiles including Trucks	10,433.00	7,755.80
Computer Software	0.00	0.00
Infrastructure*	88,434.30	64,680.10
Of which Power	44,634.40	35,746.30
Of which Telecommunications	1,066.70	618.20
Of which Roads & Ports	32,867.10	20,977.30
Other Industries	9,866.10	7,338.30
Residuary Other Advances (to balance with Gross Adv.)	3,92,468.70	3,03,801.40
Total	6,15,499.30	4,50,813.40

n. Geography wise NPA and Provision [for Bank of India Solo]:

(Rs. in Mn)

	Domestic	Overseas	Total
Gross NPA	5,15,384.20	1,00,115.10	6,15,499.30
Provision for NPA	3,62,890.10	87,923.30	4,50,813.40

Table DF-4

Credit Risk: Disclosures For Portfolios Subject To The Standardised Approach

i. Qualitative Disclosure:

a) For portfolios under the standardized approach:

- Names of Credit Rating agencies used, plus reasons for any changes
- Types of exposure for which each agency is used; and
- A description of the process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book;

1.0 BANK OF INDIA:

a. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, INDIA RATINGS, BRICKWORK, SMERA, and CARE for domestic claims and S&P FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns. SME ratings are not being used, as they are not approved by RBI.

b. The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II.

c. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.

d. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.

e. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it. Even while extending an issuer or an issue specific rating to any other exposure on the same counterparty it is extended to the entire amount of credit risk exposure i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.

f. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.

g. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except in cases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.

h. The long-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardized Approach for long-term exposures. On the contrary, the unrated short-term claim on counter-party attracts a risk weight of at least one level higher than the risk weight applicable to the rated short-term claim on that counter-party. Issue-specific short-term ratings are used to derive risk weights for claims arising from the rated facility against banks and a corporate's short-term rating is not used to support a risk weight for an unrated long-term claim.

i. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.

j. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:

i. The rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un- assessed claim only if this claim ranks pari passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.

ii. If either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks pari passu or junior to the rated exposure in all respects.

2.0 PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary):

As per prevailing norms in the Country credit rating is not required to be done by any external credit rating agency.

3.0 Bank of India (Tanzania) Ltd, and Bank of India (Uganda) Ltd) :

As per prevailing norms in the Country credit rating is not required to be done by any external credit rating agency. There is no credit rating agency operating/working in the Country.

4.0 Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary):

Credit risk is disclosed through General Disclosure Statement on quarterly basis as per the requirements.

ii. Quantitative Disclosures

(Rs in Mn)

For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted;	
The total credit exposure of BOI (subject to standardized approach), are classified under major risk buckets are as under: -	
Below 100 % risk weight:	63,38,000.00
100 % risk weight:	9,00,350.00
More than 100 % risk weight:	3,19,000.00

Table DF-5 Credit Risk Mitigation

Disclosures For Standardised Approaches

i. Qualitative Disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:

- Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting;

- Policies and processes for collateral valuation and management;
- A description of the main types of collateral taken by the bank;
- The main types of guarantor counterparty and their credit worthiness; and
- Information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken

A. Bank of India:

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to protect entity's earnings from loss both in good and bad times. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Such a process is termed as credit risk mitigation and some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. The Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) are as follows:

- Collateralized transactions
- On-balance-sheet-netting
- Guarantees

2. Eligible Financial Collateral:

All collaterals are not recognized as credit risk mitigants under the Standardized Approach. The following are the financial collaterals recognized.

i. Cash and Deposits including deposits in foreign currency.

ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.

iii. Securities issued by Central and State Governments

iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates

v. Life insurance policies

vi. Debt securities -Rated subject to conditions.

vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions

viii. Units of mutual funds subject to conditions

ix. There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting:

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. Guarantees:

Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors/ counter guarantors includes:

i. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as certain specified MDBs, ECGC and CGTSME), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

ii. Other entities rated AA or better.

5. The Bank has a well-defined Collateral Management policy, which provides the controlling framework to ensure collateral is used optimally. This is a key component in mitigating the credit risks inherent in lending. The Bank accepts both tangible and intangible securities. Tangible Securities are either in physical form or such other material form like cash margin, Deposits with Banks, Gold or such other precious metals, Shares NSC/KVP/Life Insurance Policies. The intangible securities are –Bank Guarantees / Letters of Credit, book debts, Letter of Comfort, Letter of Negative Lien, Unregistered Charge etc. The common ways for obtaining security for moneys lent are Mortgage, Pledge, Hypothecation and lien. The assets created out of the bank's credit exposure are as a general rule charged to the bank by way of first charge on pari-passu basis.

Guarantees are normally insisted upon whenever available/ permissible. The main type guarantors are:

i. Central/State Government and Central Government sponsored agencies like DICGC, CGTMSE, and ECGC.

ii. Promoters/Major owners of corporates.

iii. Individual Guarantees of relatives in case of individuals.

6. The various aspects of collateral management are:

Minimum conditions for the acceptance of collateral: For collateral to be valid and enforceable the bank ensures that the assets accepted as collateral are marketable, legally enforceable and can be taken control of if necessary .It is also ensured that the market value of the asset is readily determinable or can be reasonably established and verified. For internal control purposes, the bank has a list of types of assets acceptable as collateral and the maximum loan to value ratio for each of these assets taken as primary security. The bank also takes into account statutory restriction while taking collaterals.

a) Validity of collateral:

i) Enforceability:

Bank ensures that credit documentation supporting the collateral, is legally enforceable in all relevant jurisdictions and empowers the Bank to apply the collateral freely to discharge the borrower's obligations.

ii) Title and ownership:

Bank always verifies the existence and ownership of the assets being received as collateral before acceptance and ensures that there is no prior claim by any other party on the said collateral. Bank secures its control of the collateral prior to the drawdown of credit facilities. Information on collaterals is provided to Top Management periodically to facilitate management of credit risk. Charges on collaterals

are promptly registered with the relevant authorities wherever applicable.

b) Loan-to-value ratios:

Bank has specified the maximum loan-to-value ratio (margin) for major types of asset to be accepted as primary security. Such ratios are commensurate with the relative risk of the assets and should be able to provide an adequate buffer against potential losses in realizing the collateral.

c) Valuation:

Bank has a Board approved policy in place for valuation of properties accepted for bank's exposures, where Basis of valuation, Qualification of Valuer and Frequency of revaluation are laid down for compliance across the bank.

d) Safe Keeping Of Collateral And Control To Their Access:

Authority and responsibility has been delegated to relevant individuals and departments for approving the acceptance, monitoring or safe custody of collaterals.

e) Additional / Replacement of Collateral:

Procedures for requesting additional collateral are clearly documented

f) Insurance:

All eligible collaterals except those specially exempted are covered by insurance for relevant risks and detailed guidelines for the same are in place.

g) Sale of Collateral:

The Bank has clear and robust procedure for the timely liquidation of collateral.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk:

PT Bank of India Indonesia Tbk has policy and processes for collateral valuation, based on Bank of Indonesia Regulation and national discretions for mortgage loan. Independent appraisal of the collateral is made if the sanction limit of the loan is above Rs. 2.79 Crores. Liquidation value is calculated based on type of collateral. Collateral value is reviewed every year. The main type of collateral taken is Land & Buildings. Generally personal or third party guarantee is not taken. Sectoral caps in lending are in place to take care of concentrations. The Bank has no major risk concentrations of collaterals or credit risk mitigants.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd and Bank of India (New Zealand) Ltd:

The collaterals are obtained in the form of Bank's own Term Deposit receipts, Legal Mortgage over Immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, Pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/group are as detailed under

Collateral position	limit (as % of core capital)
1) Secured by collateral the value of which is at least	
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	25
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	10
c) Unsecured	5

D. Bank of India (Uganda) Ltd.:

The collaterals are obtained in the form of Bank's own term deposit receipts, Legal mortgage over immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/ group as per detailed under:

Collateral position	limit (as % of core capital)
1) Secured by collateral the value of which is at least	Single borrower exposure limit is 25% of the Capital and can be extended to 50% of core Capital.
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	
c) Unsecured	

ii. Quantitative Disclosures:-

(Amount in Rs. Mn)

(a) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral: after the application of haircuts.	3,51,120.00
(b) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI).	6,90,320.00

Table DF - 6

Securitisation Exposures :- Disclosure for Standarised Approach

i. Qualitative Disclosures:-

On consolidated level the Bank has no Securitization Exposure as on 31.03.2020

ii. Quantitative Disclosures :-

Not Applicable.

Table DF - 7

Market Risk in Trading Book

i. Qualitative Disclosures

a. The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardized approach.

A. Bank of India:

In Trading book the Bank holds" Held for Trading"(HFT) and "Available for Sale" (AFS) portfolios of investments. The rest of the assets–i.e. Investments under Held to Maturity (HTM) portfolio and advances; are treated as Banking Book. Given below is brief description of the Market Risk Management objectives and policies.

i. Strategies and Processes:

Under Market Risk Management; Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Foreign Exchange Risk, and Equity Price risk are monitored. Bank is not currently trading in commodities.

a. Liquidity Risk:

Gap analysis is followed for monitoring Liquidity risk on a fortnightly basis. Prudential limit-for percentage of cumulative gap to cumulative outflow-based on Reserve Bank of India guidelines for the short-term buckets up-to 28 days is monitored. Besides, prudential limits are in place for market borrowing– Daily and average call borrowing–Inter Bank Liabilities, Purchased funds etc.

High value bulk deposits are monitored on a weekly basis. Short-term dynamic liquidity statement is prepared on a fortnightly basis to assess the liquidity position, which takes in to account the business growth.

A contingency funding plan is in place to meet the emergencies. The plan is tested on a quarterly basis. Stress Testing is also done on a quarterly basis to assess possible loss to Bank if there is any liquidity crisis and if funds are to be raised from the market to meet the contingencies.

b. Interest Rate Risk:

Gap analysis is used to assess the impact on the Net Interest Income of the bank for the next 12 months and till the next financial year. The Bank also uses duration gap analysis. Prudential limits have been fixed for duration of liabilities. Bank's investments portfolio is monitored on basis of duration analysis.

VaR methodology is followed for dated securities under SLR and Non-SLR(Domestic). Prudential limits for VaR have been fixed and daily monitoring is being done and reported to Top Management. Foreign investments in dated securities are normally hedged and the interest rate risk is minimal. VaR limits are also fixed for Foreign Exchange position.

Stress Testing is done to assess the impact on Economic Value of Market Risk positions including Fixed Income, Equity, Forex etc.

c. Foreign Exchange Risk:

The Bank has fixed Aggregate Gap Limit in USD as well as in other currencies, Maximum Aggregate daylight and overnight exposure limits for foreign exchange exposure in various currencies. We have also fixed period-wise Individual Currency-wise Gap Limits. Stop loss limits, take profit limit and single deal limits are in place for monitoring the forex operations of the dealers.

Derivative transactions are monitored by fixing prudential limit for net open position and a cap for PV01on the outstanding derivatives.

d. Equity Price Risk:

The bank's domestic investment policy has fixed stop loss limits for equity dealers. Daily Limits to Treasury, Maximum Investment Limit, Holding Period for Equity Portfolio (Trading). Daily reporting is done to Top Management on the transactions.

e. Structure and Organization of Market Risk Management function:

Risk Management is a Board driven function supported by three levels-.Risk Management Committee of the Board for overseeing and issuing directions, wherever necessary approving Risk Management Policies etc. Market Risk Management Committee (MRMC) is a basic level committee for discussion on policies, limits, exceeding etc.

Asset Liability Management Committee(ALCO) consider policy issues for Liquidity Risk Management. ALM Cell provides support at the ground level. Asset Liability Management Committees are operational at foreign centers also.

ii. Scope and nature of risk reporting and/ or measurement systems:

In respect of domestic business the guide lines stipulated by RBI for managing Market Risk is followed such as–Preparation of Interest Rate Sensitivity statement on a monthly basis–Duration analysis of investments in the Trading book on a daily basis–VaR calculation of trading book investments on a daily basis excepting the equity portfolio–conducting stress test for liquidity risk/market risk on a quarterly basis.–Duration analysis of global balance sheet and impact on the Economic Value of Equity on a monthly basis. Interest Rate sensitivity is reviewed on a monthly basis by ALCO.

Various prudential measures have been put in respect to market borrowing and lending in conformity with RBI guidelines for monitoring liquidity risk. Structural Liquidity statement is prepared on daily basis and Short Term Dynamic Liquidity statement on a fortnightly basis and reported to Top Management / ALCO. Structural liquidity of international operations is being done on a quarterly basis at the corporate level.

The results of the Quarterly study on Stress-Testing and Impact on Economic Value of Equity is reported to ALCO. Trading book position–Duration and VaR is reported daily to Top Management.

iii. Policies for Hedging and / or Mitigating Risk:

Detailed policies are operational for Asset Liability Management and Market Risk Management, which deal in detail the various strategies and processes for monitoring Market Risk.

iv. PT Bank of India IndonesiaTbk (Subsidiary):

In accordance with Regulation of Bank Indonesia regarding Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Bank, Bank is not included in the mandatory category for measuring the market risk in the calculation of the value of capital adequacy ratio (CAR). This is due to Bank is a foreign exchange Bank with financial instrument position in the form of securities and/or derivative transaction in the form of a Trading Book with amount below IDR 20 billion (USD 1.7 Million approximately).

B. Bank of India (Tanzania) Ltd. (Subsidiary), Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary), & Bank of India (Uganda) Ltd.

a. The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardized approach.

i. Market risk: Market risk arises from open positions in interest rate, currency and equity products. The board sets limits and reviews it at regular interval on the risk that may be accepted. Further the exposure is monitored on daily basis.

ii. Liquidity risk: The bank is exposed to daily calls on its available cash resources from overnight deposits, current accounts, maturing deposits, loans drawn and guarantees, from margin and other calls on cash settlement. The board has set limit based on their experience of the minimum proportion of maturing funds available to meet such calls and on the minimum level of inter-bank and other borrowing facility that should be in place to cover withdrawals at unexpected levels of demand.

iii. Interest rate risk: The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.

iv. Currency risk: The bank is exposed to the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rate. The bank is involved in foreign currency market only to the extent of buying and selling to the extent of required currency. The bank is not involved in foreign currency forward contracts and thus the risk is limited.

ii. Quantitative Disclosure :-

(In INR Million**)**

The capital requirements for	
Interest rate risk	13,085.21
Foreign exchange risk (including gold)	354.37
Equity risk	4,371.75

Capital requirement is calculated at Minimum Regulatory Requirement @ 9% of RWA.

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative Disclosures

In addition to the general qualitative disclosure requirement, the approach(es) for operational risk capital assessment for which the bank qualifies.

A. BANK OF INDIA

The Bank adopts best practices in Risk Management. The Bank assesses and identifies operational risks inherent in all the material products, processes and systems under different Business Lines on an ongoing basis. All new products, activities and systems are being first routed through the New Product Group Committee and then through Committee on Operational Risk Management (CORM) or Credit Risk Management Committee (CRMC), as applicable. All policies related to Risk Management are approved by the Board only after clearance by the Risk Management Committee of the Board (R Com). The Chief Risk Officer implements the directives of R.Com and overseas day-to-day Operational Risk Management functions.

Risk Management function works in close coordination with the committee of Business Operational Risk Managers (BORM) and Operational Risk Management Specialists (ORMS). The committee of BORM and ORMS assists the Operational Risk Management Division in undertaking the Risk and Control Self-Assessments (RCSA), reporting Operational Risk Losses and tracking Key Risk Indicators (KRIs) on a periodical basis.

Risk reporting in the form of Loss Data Analysis is done on half yearly basis to assess the high-risk prone product and business lines and mitigation measures are adopted. Branch levels KRIs and Bank Level KRIs are tracked on a quarterly basis. RCSA exercise is undertaken for all the Bank's products and processes on an annual basis.

Operational Risk Capital Charge is calculated through Basic Indicator Approach. At present, the Bank is in the process of moving towards Standardised Measurement Approaches for computation of Operational Risk Capital Charge. The Bank has already got parallel run approval for migration to The Standardised Approach (TSA) for calculation of Operational Risk Capital Charge.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

Bank adopts best practices in operational risk management, like segregation of duties, trainings, clear laid down procedures etc.

In managing operational risk, each unit is responsible for the risks in its daily operations by referring to policies and procedures, control and routine supervision. Managing operational risks also include areas related to product development, system, human resources and "know your customer" principles to prevent unavoidable circumstances.

To minimize the operational risk, the bank has increased the control function in the transaction processing which conducted among others by implementing the procedures to ensure timely completion of the transaction, adjustment the accounting method to the applied standards, maintain records in orderly, secure access to the asset and data. Function of the Internal Audit Unit who conducts regular checks to the operational activities is also adding value to the improvement needed. Bank use Basic Indicator Approach in Risk Weighted Assets (ATMR) calculation for Operational Risk.

Bank also has Internal Control unit which has job to ensure all business unit comply to bank procedure and local government regulation as well.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd. (Subsidiary), Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary), & Bank of India (Uganda) Ltd.

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a variety of causes associated with the bank's processes, personnel, technology and infrastructure, and from external factors other than credit, market, liquidity risks such as those arising from legal and regulatory requirements and generally accepted standards of corporate behavior. Operational risk arises from all the bank's activities.

The bank's objective is to manage the operational risk so as to balance the avoidance of financial losses and damage to the bank's reputation with overall cost effectiveness and to avoid control procedures that restrict initiate and creativity.

The primary responsibility for the development and implementation of controls to address operational risk is assigned to the senior management at each branch level. The responsibility is supported by the development of overall standards for management of operational risks in the following areas:

- Requirements for appropriate segregation of duties, including the independent authorization of transactions;
- Requirements for the reconciliation and monitoring of transactions;
- Compliance with regulatory and other legal requirements;
- Documentation of controls and procedures;
- Requirements for the periodic assessment of operational risks faced, and the adequacy of controls and procedures to address the risks identified;
- Requirements for the reporting of operational losses and proposed remedial action;
- Development of contingency plans;
- Training and professional development;
- Ethical and business standards;
- Risk mitigation, including insurance where this is effective

Table DF-9

Interest Rate Risk In The Banking Book (IRRBB)

i. Qualitative Disclosures

The general qualitative disclosure requirement, including the nature of IRRBB and key assumptions, including assumptions regarding loan prepayments and behavior of non-maturity deposits, and frequency of IRRBB measurement.

A. Bank Of India

Interest Rate Risk in banking book is calculated generally on a quarterly basis. Banking book includes all advances and investments held in Held to Maturity (HTM) portfolio.

The strategies & processes /structure & organization / scope and nature of risk reporting/ policies etc. are the same as reported under Table DF –7.

The methodology and key assumptions made in the IRRBB measurement are as follows:

- Based on monthly information from data centre on the residual maturity of the advances and the deposits covering around 100% of bank's business, Interest Rate Sensitivity statement is prepared with various time buckets, having regard to the rate sensitivity as well as residual maturity of different assets and liabilities.
- The duration for each asset and liability is arrived at taking the midpoint of each time bucket as the maturity date and the average yield as coupon and taking the market rate for discounting purpose. For investments, the actual duration is taken, as data is available with full particulars. In respect of investments, the AFS and HFT portfolios are excluded for this exercise as the focus is on IRR in the Banking Book.
- Using the above, Modified duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 1% is reckoned By adding up, the net position is arrived at to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

Assumptions:

i. The interest rate moves uniformly across all time buckets and for all assets.

ii. In respect of demand deposits – savings and current – the same are distributed as per their behavioral analysis as suggested by RBI.

iii. Generally the bank follows RBI guidelines on stress testing while calculating the IRRBB including selection of coupon rate / discount rate / taking midpoint of each time bucket as the maturity date etc.

iv. Re-pricing of Base Rate/BPLR linked advances has been taken in the 3 to 6 months bucket.

v. Re-pricing of MCLR linked advances has been taken as per the MCLR tenor they are linked to.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk, Bank of India (Tanzania) Ltd, Bank of India (New Zealand) Ltd and Bank of India Uganda Ltd (Subsidiaries)

The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.

ii. Quantitative Disclosures

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5 per cent of the total turnover.

Interest Rate Risk In Banking Book (BOI Solo)

(Rs in Mn)

	Total	Of which in USD (where turnover is more than 5% of total turnover)
1. Earnings At Risk (NII)		
At 0.50% change for 1 year	-15081.70	(5464.3)
2. Economic Value of Equity at Risk		
200 basis point shock	(15954.69)	7441.23
Drop in equity value in %age terms	-7.44%	3.47%

Table –DF 10

General Disclosure For Exposures Related To Counterparty Credit Risk

i. Qualitative Disclosure

The bank uses derivatives products for hedging its own balance sheet items as well as for trading purposes. The risk management of derivative operation is headed by a senior executive, who reports to top management, independent of the line functions. Trading positions are marked to market on daily basis.

The derivative policy is framed by the Risk Management Department, which includes measurement of credit risk and market risk.

The hedge transactions are undertaken for balance sheet management. Proper system for reporting and monitoring of risks is in place. Policy for hedging and processes for monitoring the same is in place.

Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions are in place, which includes recognition of income, premiums and discounts. Valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and risk mitigation are being done.

Credit equivalent or EAD has been computed in accordance with the Current exposure methodology (CEM). Potential exposure is computed by multiplying Credit conversion factor with Notional principal. Replacement cost is the positive market value. Current exposure is the same as the replacement cost. Credit equivalent or EAD is the sum of potential exposure and current exposure.

ii. Quantitative Disclosure

a. Gross positive fair value of contracts, netting benefits, netted current credit exposure, collateral held (including type, e.g. cash, government securities, etc.), and net derivatives credit exposure. Also report measures for exposure at default, or exposure amount, under CEM. The notional value of credit derivative hedges, and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure.

b. Credit derivative transactions that create exposures to CCR (notional value), segregated between use for the institution's own credit portfolio, as well as in its intermediation activities, including the distribution of the credit derivatives products used, broken down further by protection bought and sold within each product group.

(Rs in Mn)

Counter Party Credit Risk (CCR)	
Notional Principal Amount	5,20,863.68
Potential Exposure	8,880.28
Replacement Cost	4,591.35
Current Exposure	4,591.35
Credit Equivalent or EAD	13,471.63
RWA	6,718.52
Capital Charge	537.48

(Rs. In Mn)

Item	Notional Amount	Current Credit Exposure	Credit equivalent
Currency Option	0	0	0
Cross CCY Interest Rate Swaps	0.00	0.00	0.00
Forward rate agreements	4,11,225.38	8,258.94	12,837.97
Interest rate future	0	0	0
Credit default swaps	0	0	0
Single CCY interest Rate Swaps	1,09,638.30	621.34	633.66
Total	**5,20,863.68**	**8,880.28**	**13,471.63**

Table DF-11:

Composition of Capital

		31.03.2020
		(Rs. in million)
		Amount subject to pre-Basel III treatment
	Common Equity Tier 1 Capital : Instruments and Reserves)	
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	3,91,031.59
2	Retained earnings	(2,38,882.33)
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	2,56,857.06
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	
	Public sector capital injections grandfathered until January 1, 2018	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	1514.16
6	Common Equity Tier1 capital before regulatory adjustments	4,10,520.48
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments	
7	Prudential valuation adjustments	
8	Goodwill (net of related tax liability)	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	-
10	Deferred tax assets	96,569.48
11	Cash-flow hedge reserve	
12	Shortfall of provisions to expected losses	

		31.03.2020
		(Rs. in million)
		Amount subject to pre-Basel III treatment
13	Securitisation gain on sale	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	
15	Defined-benefit pension fund net assets	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	175.76
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)3	
20	Mortgage servicing rights4 (amount above 10% threshold)	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences5	
22	(amount above 10% threshold, net of related tax liability)	
23	Amount exceeding the 15% threshold6	
24	of which: significant investments in the common stock of financial entities	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	
26	National specific regulatory adjustments 7	
	(26a+26b+26c+26d)	
26a	of which:Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	0.00
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries8	0
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank9	0
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	
	For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	96,745.24
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	3,13,775.23
	Additional Tier 1 capital: instruments	
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	600.00
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	600.00
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	600.00
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments	
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.01
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00

		31.03.2020
		(Rs. in million)
		Amount subject to pre-Basel III treatment
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)10	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	0.01
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	599.99
44a	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy11	599.99
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)	3,14,375.22
	Tier 2 capital: instruments and provisions	
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	64,000.00
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	2,000.00
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	
50	Provisions12	28,238.28
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	94,238.28
	Tier 2 capital: regulatory adjustments	

		31.03.2020
		(Rs. in million)
		Amount subject to pre-Basel III treatment
52	Investments in own Tier 2 instruments	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	50.00
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	
55	Significant investments13 in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT	
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	50.00
58	Tier 2 capital (T2)	94,188.28
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy	94,188.28
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	0
58c	Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a+58b)	94,188.28
59	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)	4,08,563.50
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre Basel III Treatment	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	
	of which: …	
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	29,74,422

		31.03.2020
		(Rs. in million)
		Amount subject to pre-Basel III treatment
60a	of which: total credit risk weighted assets	24,56,537
60b	of which: total market risk weighted assets	1,97,904
60c	of which: total operational risk weighted assets	3,19,982
	Capital ratios	
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	10.55%
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	10.57%
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	13.74%
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	
65	of which: capital conservation buffer requirement	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	
67	of which: G-SIB buffer requirement	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	
	National minima (if different from Basel III)	
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.375%
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.875%
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	10.875%
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)	
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2	
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	28,238.28

		31.03.2020
		(Rs. in million)
		Amount subject to pre-Basel III treatment
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)	
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	600.00
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	2000.00
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00

Table DF-12
Composition of Capital-Reconciliation Requirements as on 31.03.2020.

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date (Rs. in million)	As on reporting date (Rs. in million)
A	Capital and Liabilities		
i	Paid-up Capital	32,776.62	32,776.62
	Reserves & Surplus	4,17,954.86	4,16,808.26
	Minority Interest	1,514.16	1,514.16
	Total Capital	**4,52,245.65**	**4,51,099.05**
ii	**Deposits**	**55,73,864.27**	**55,73,899.38**
	of which: Deposits from banks	3,63,241.98	3,63,241.98
	of which: Customer deposits	52,10,622.29	52,10,657.40

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date (Rs. in million)	As on reporting date (Rs. in million)
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	-
iii	**Borrowings**	**3,97,524.66**	**3,97,524.66**
	of which: From RBI	1,88,770.00	1,88,770.00
	of which: From banks	0.00	0.00
	of which: From other institutions & agencies	22,936.83	22,936.83
	of which: Others (pl. specify)	1,02,817.83	1,02,817.83
	of which: Capital instruments	83,000.00	83,000.00
iv	**Other liabilities & provisions**	**2,06,553.82**	**1,80,471.55**
	Total	**66,30,188.40**	**66,02,994.63**
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	2,94,465.45	2,94,380.61
	Balance with banks and money at call and short notice	5,71,625.14	5,71,638.90
ii	**Investments:**	**16,23,229.08**	**15,97,577.38**
	of which: Government securities	14,51,366.66	14,42,525.22
	of which : Other approved securities	3,835.74	-
	of which: Shares	11,353.24	7,764.03
	of which: Debentures & Bonds	80,188.15	78,124.83
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	16,131.77	16,881.77
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	60,353.52	52,281.53
iii	**Loans and advances**	**37,06,440.85**	**37,06,410.52**
	of which: Loans and advances to banks	98,762.09	98,762.09
	of which: Loans and advances to customers	36,07,678.76	36,07,648.43
iv	Fixed assets	90,579.85	90,510.40
v	Other assets	3,43,848.03	3,42,476.83
	of which: Goodwill and intangible assets	-	-
	of which: Deferred tax assets	1,37,603.95	1,37,603.95
vi	Goodwill on consolidation	-	-
vii	Debit balance in Profit & Loss account	-	-
	Total Assets	**66,30,188.40**	**66,02,994.63**

Step 2

Under Step 2 banks are required to expand the regulatory-scope balance sheet (revealed in Step 1) to identify all the elements that are used in the definition of capital disclosure template set out in Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable). Set out below are some examples of elements that may need to be expanded for a particular banking group. The more complex the balance sheet of the bank, the more items would need to be disclosed. Each element must be given a reference number/letter that can be used in Step 3.

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reportingdate	As on reporting date
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital	32,776.62	32,776.62
	of which: Amount eligible for CET1	32,776.62	32,776.62
	of which: Amount eligible for AT1	-	-
	Reserves & Surplus	4,17,954.86	4,16,808.26
	Minority Interest	1,514.16	1,514.16
	Total Capital	4,52,245.65	4,51,099.05
ii	Deposits	55,73,864.27	55,73,899.38
	of which: Deposits from banks	3,63,241.98	3,63,241.98
	of which: Customer deposits	52,10,622.29	52,10,657.40
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	-
iii	Borrowings	3,97,524.66	3,97,524.66
	of which: From RBI	1,88,770.00	1,88,770.00
	of which: From banks	0.00	0.00
	of which: From other institutions & agencies	22,936.83	22,936.83
	of which: Others (pl. specify)	1,02,817.83	1,02,817.83
	of which: Capital instruments	83,000.00	83,000.00
iv	Other liabilities & provisions	2,06,553.82	1,80,471.55

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date (Rs. in million)	As on reporting date (Rs. in million)
	of which: DTLs related to goodwill	0.00	0.00
	of which: DTLs related to intangible assets	0.00	0.00
	Total	**66,30,188.40**	**66,02,994.63**
B	Assets		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	2,94,465.45	2,94,380.61
	Balance with banks and money at call and short notice	5,71,625.14	5,71,638.90
ii	Investments	16,23,229.08	15,97,577.38
	of which: Government securities	14,51,366.66	14,42,525.22
	of which: Other approved securities	3,835.74	-
	of which: Shares	11,353.24	7,764.03
	of which: Debentures & Bonds	80,188.15	78,124.83
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	16,131.77	16,881.77
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	60,353.52	52,281.53
iii	Loans and advances	37,06,440.85	37,06,410.52
	of which: Loans and advances to banks	98,762.09	98,762.09
	of which: Loans and advances to customers	36,07,678.76	36,07,648.43
iv	Fixed assets	90,579.85	90,510.40
v	Other assets	3,43,848.03	3,42,476.83
	of which: Goodwill and intangible assets		
	Out of which:		
	Goodwill		
	(Other intangibles (excluding MSRs)		
	Deferred tax assets	1,37,603.95	1,37,603.95
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	Total Assets	66,30,188.40	66,02,994.63

Step 3: Under Step 3 banks are required to complete a column added to the Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable) disclosure template to show the source of every input.

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date (Rs. in million)	As on reporting date (Rs. in million)

(i) For example, the definition of capital disclosure template includes the line "goodwill net of related deferred tax liability". Next to the disclosure of this item in the disclosure template under Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable), the bank would be required to put 'a – c' to show that row 8 of the template has been calculated as the difference between component 'a' of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation, illustrated in step 2, and component 'c'.

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable)

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	391,031.59	e
2	Retained earnings	- 238,882.33	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	2,56,857.06	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non- joint stock companies)	0	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	1514.16	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	410,520.48	
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		a-c

Table DF-13

Main Features of Regulatory Capital Instruments

Tier – I Bonds

1	**Issuer**	**Bank of India**
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A09225
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	600
9	Par value of instrument (Rs. in million, as of most recent reporting date)	3,000
10	Accounting classification	Borrowing
11	Original date of issuance	09.09.2010
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Call Option Date
16	Subsequent call dates, if applicable	after 09.09.2020
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Before Call 9.05% if call not exercised 9.55%
19	Existence of a dividend stopper	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA
25	If convertible, fully or partially	NA
26	If convertible, conversion rate	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA
30	Write-down feature	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA
32	If write-down, full or partial	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Perpetual Debt Instruments
36	Non-compliant transitioned features	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorption Feature

Common Equity (CET 1 Capital)

1	Issuer	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A01016
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
7	Instrument type	Common Shares
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	32776.625
9	Par value of instrument (Rs. Mn)	NA
10	Accounting classification	Equity Share Capital
11	Original date of issuance	Various
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	NA
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	NA
	Coupons / dividends	Dividend
17	Fixed or floating dividend/coupon	NA
18	Coupon rate and any related index	NA
19	Existence of a dividend stopper	NA

20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	NA
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative
23	Convertible or non-convertible	NA
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA
25	If convertible, fully or partially	NA
26	If convertible, conversion rate	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA
30	Write-down feature	NO
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA
32	If write-down, full or partial	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA

Tier- II Bonds

1	Issuer	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A09217
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
7	Instrument type	Upper Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	2,000
9	Par value of instrument (Rs. Mn)	10,000
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	11/06/2010
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	11/06/2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	11/06/2020
16	Subsequent call dates, if applicable	NA
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.48%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA
25	If convertible, fully or partially	NA
26	If convertible, conversion rate	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA
30	Write-down feature	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA
32	If write-down, full or partial	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	Loss Absorption Feature

Tier- II Bonds (Cont...)

1	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A08037	INE084A08045	INE084A08060	INE 084A08094	INE 084A08110
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment					
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible	Eligible	Eligible	Eligible	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	6,000	3,000	30,000	15,000	10,000
9	Par value of instrument (Rs. Mn)	10,000	5,000	30,000	15,000	10,000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	25/09/2013	30/09/2013	31/12/2015	07/07/2016	27/03/2017
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	25/09/2023	30/09/2023	31/12/2025	07/07/2026	27/03/2027
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA	NA	07/07/2021	27/03/2022
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA	On every anniversary date (i.e. 7th July) till redemption, subject to RBI approval	On every anniversary date (i.e. 27th March) till redemption, subject to RBI approval
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.80%	9.80%	8.52%	8.57%	8.00%
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Convertible	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Non-Convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA	NA

29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	Yes	Yes	Yes	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI
32	If write-down, full or partial	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Compiled	Compiled	Compiled	Compiled	Compiled
37	If yes, specify non-compliant features	--	--	--	--	--

Table DF - 14

Full terms and Condition of Regulatory Capital Instrument

➢ Disclosed separately under Regulatory Disclosure Section on our website.

Table DF - 15

Disclosure Requirement for Remuneration

The remuneration of Board of Directors and Top executives are decided by the Government of India. In addition to that there is one performance linked Incentive Scheme for whole time directors. The scheme is formulated on the basis of Statement of Intent (SOI) which is signed by the Government of India.

Table DF -16

Equities Disclosure for Banking Books

(Amount in Rs. Mn)

	Qualitative Disclosure	
1.	The general qualitative disclosure requirement (Para 2.1 of this annex) with respect to equity risk, including:	
	Differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons; and	Investments in Equity by Treasury are driven by different motives. All equity investments made in Associates, Subsidiaries, Joint Venture and RRBs are classified in HTM category as such investments are made with a primary intention to hold them till maturity. Apart from these, Treasury also make strategic investments in equities of various companies which are booked in AFS category as such investments are not churned frequently. There are also cases of loan assets converted into equities of the borrower companies which are classified in AFS category. As per RBI guidelines, such investments are kept outside the purview of all prudential limits. Investments in equity made with an objective of capital gains are booked under HFT category and are subject to stop loss limit as prescribed in the Board approved Investment Policy. All equity investments in AFS and HFT are subject to Marking to Market (MTM).
	Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices.	For valuation and accounting of equity holdings, Treasury is guided by Board approved Investment Policy along with the RBI guidelines as laid down in Master circular- 'Prudential Norms for classification, valuation and operation of investments portfolio by Banks'. In accordance with these guidelines, investments in equity holding in the banking book need not be marked to market and are carried at acquisition cost. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognized in the profit and loss account. Any profit on sale of investments under HTM category is recognized first in the profit and loss account and is then appropriated to capital reserve, net of taxes and statutory reserve. Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost. Treasury maintains trade date accounting policy for recognising equity investments.

	Quantitative Disclosures	
1.	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value	
	Book value of investment	14787.20
	Value as per Balance sheet	14459.02
2.	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as:	
	• Publicly traded;	
	• Privately held	14459.02
3.	The cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	
4.	Total unrealized gains (losses)13	
5.	Total latent revaluation gains (losses)14	
6.	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	
7.	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements	N.A.

Table DF 17

Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure: 31.03.2020 (Consolidated Position)

	Item	(Rs. in Million)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	6,630,188.40
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	(-) 750.00
3	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-
4	Adjustments for derivative financial instruments	13,471.98
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	115,480.88
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	398,246.50
7	Other adjustments	(-)211,476.14
8	**Leverage ratio exposure**	**6,945,161.62**

Table DF-18

Leverage Ratio Common Disclosure Template

	Item	Leverage Ratio framework (Rs. in million)
	On-balance sheet exposures	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	6,514,707.52
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(-) 96,745.26
3	**Total on-balance sheet exposures** (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	**6,417,962.26**
	Derivative exposures	
4	Replacement cost associated with all *derivatives* transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	4,591.35
5	Add-on amounts for PFE associated with *all* derivatives transactions	8,880.63
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	
11	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	**13,471.98**
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT *assets* (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	115,480.88
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	
14	CCR exposure for SFT assets	
15	Agent transaction exposures	
16	**Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)**	**115,480.88**
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	893,475.19
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(-) 495,228.69
19	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	**398,246.50**
	Capital and total exposures	
20	**Tier 1 capital**	**314,375.22**
21	**Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)**	**6,945,161.62**
	Leverage ratio	
22	**Basel III leverage ratio**	**4.53%**

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

प्रधान कार्यालय : प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई -400 051
Head Office : Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051

सूचना

एतद्-द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की चौबीसवीं वार्षिक आम बैठक 11 अगस्त, 2020 को प्रात: 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") अन्य ऑडियो वीजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए आयोजित की जायेगी:

मद सं. 1 -

"31 मार्च, 2020 के लिए बैंक के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ व हानि खाते, लेखा द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के कार्य तथा गतिविधियों के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र और लेखे पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उन्हें अनुमोदित करना तथा अंगीकृत करना।"

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

ए. के. दास
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 जून, 2020

नोट्स :-

1. कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय ("एमसीए") अपने परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 (समेकित रूप से "एमसीए परिपत्र") के माध्यम से तथा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने और एक ही स्थान पर सभी सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक का आयोजन करने की अनुमति दी है। सेबी(सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी विनियम") के प्रावधानों तथा एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में बैंक की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।
2. लागू प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार शेयरधारक स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में

NOTICE

Notice is hereby given that the Twenty Fourth Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of India will be held on Tuesday, August 11, 2020 at 11.00 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the following business:

Item No. 1

"To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2020, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2020, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

By Order of the Board of Directors

A. K. Das
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : June 25, 2020

Notes:

1. In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs("MCA") has vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars"), approval received from Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars, the AGM of the Bank is being held through VC / OAVM. The Head Office of the Bank is the deemed venue of the AGM.
2. Pursuant to the applicable provisions, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to

उपस्थित होने और मतदान करने के लिए नियुक्त कर सकता है। परोक्षी को बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। कॉरपोरेट मामले मंत्रालय/वित्त मंत्रालय के परिपत्रकों के अनुसार चूंकि यह वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अत: सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी को नियुक्त करने की सुविधा नहीं होगी और इसलिए परोक्षी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची को इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

3. बैंक की शेयरधारक किसी कंपनी या किसी अन्य बॉडी कॉर्पोरेट के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं हो सकता, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की प्रति उस बैठक, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न करा दी जाए या headoffice.share@Bankofindia.co.in ई-मेल द्वारा प्रेषित न कर दी जाए। इसकी एक प्रति scrutinizer@snaco.net तथा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भी भेजी जानी चाहिए।

4. बैंक ऑफ़ इंडिया के विनियम 12 (शेयर एवं मीटिंग) तथा लागू सेबी विनियम (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के अनुसार शेयरधारकों के रजिस्टर को बुधवार, 5 अगस्त, 2020 से मंगलवार 11 अगस्त 2020 (दोनों दिन मिलाकर) एजीएम हेतु बंद किया जाएगा।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेना

5. शेयरधारक, नोटिस में उल्लिखित निर्धारित समय से 15 मिनट पहले तथा 15 मिनट बाद तक वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम द्वारा ईजीएम/एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आने वाले कम से कम 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

6. उपर्युक्त बाध्यता बड़े शेयरधारक (2% या उससे अधिक शेयरधारिता वाले), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा शेयरधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि आदि हेतु लागू नहीं होगी।

7. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की उपस्थिति को बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं मीटिंग) विनियम, 2007 के तहत गणपूर्ति की गणना के लिए गिना जाएगा।

8. उपर्युक्त एमसीए परिपत्र तथा सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई 2020 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 तथा वार्षिक आम बैठक का नोटिस उन शेयरधारकों को केवल इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा ही भेजा जा रहा है जिनके ई-मेल पते बैंक/डिपॉजिटरीज़ में पंजीकृत हैं। शेयर धारक नोट करें कि नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in , स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट https.www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध रहेगी।

attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Bank. Since this AGM is being held pursuant to the MCA / MOF Circulars through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

3. No person shall be entitled to participate or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank or through email : headoffice.share@bankofindia.co.in with a copy marked to the Scrutinizer by email to scrutinizer@snaco.net with a copy also marked to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

4. Pursuant to Regulation 12 of the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations and applicable Regulation of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Shareholders will be closed from Wednesday , August 5, 2020 till Tuesday, August 11, August 2020 (both days inclusive) for AGM.

ATTENDING AGM THROUGH VC/OAVM

5. The Shareholders can join the EGM/AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in this Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 members on first come first served basis.

6. The aforesaid restriction will not be applicale for large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.

7. The attendance of the Shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007.

8. In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020, Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 is being sent only through electronic mode to those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depositories. Shareholders may note that the Notice and Annual Report 2019-20 will also be available on the Bank's website www.bankofindia.co.in. websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, on the website of CDSL https:www.evotingindia.com

9. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, अत: इस नोटिस में मार्ग का मानचित्र संलग्न नहीं है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

10. शेयर धारकों को सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी/ओएवीएम द्वारा ईजीएम/एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शेयरधारक https://www.evotingindia.com पर शेयरधारक/सदस्य के अंतर्गत रिमोट ई-वोटिंग ब्यौरे का प्रयोग कर इसमें भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम हेतु लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगइन में उपलब्ध होगा, जहाँ कम्पनी का ईवीएसएन दर्शाया जाएगा।

11. शेयरधारकों से विशेष अनुरोध है कि वे बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में भाग लें।

12. तत्पश्चात्, शेयरधारकों को कैमरा को अनुमति देने और बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने के लिए अच्छी गति का इंटरनेट प्रयोग करने की आवश्यकता होगी।

13. कृपया नोट करें कि मोबाइल हॉटस्पॉट से जोड़कर लेपटॉप या टेबलेट या मोबाइल डिवाइस के माध्यम से भाग लेने वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क की अस्थिरता के कारण ऑडियो/वीडियो में बाधा का अनुभव कर सकते हैं। अत: उपर्युक्त किसी भी प्रकार की त्रुटियाँ कम से कम हों इसके लिए हम स्थिर वाईफाई या एलएएन (लैन) कनेक्शन का प्रयोग करने की सलाह देते हैं।

14. ऐसे शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने के इच्छुक हों, वे सोमवार 3 अगस्त 2020 को या उससे पहले अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नम्बर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर headoffice.share@Bankofindia.co.in पर प्रेषित कर स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं।

15. जिन शेयरधारकों ने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है केवल उन्हें ही बैठक के दौरान विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

16. जो शेयरधारक एजीएम में बोलने के इच्छुक नहीं हैं, परन्तु प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे सोमवार 3 अगस्त 2020 को या उससे पहले अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नम्बर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर का उल्लेख करते हुए headoffice.share@Bankofindia.co.in पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं। बैंक द्वारा एजीएम में या ई-मेल के माध्यम से इन प्रश्नों का यथोचित रूप से उत्तर दिया जाएगा।

बैठक में रिमोट ई-वोटिंग एवं ए-वोटिंग

17. बैंक को प्रसन्नता है कि वह नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए बैंक के शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। बैंक उन शेयरधारकों के लिए एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान मतदान नहीं किया था। बैंक ने मेसर्स एस.एन.अनंतसुब्रमणियन एवं कंपनी, पेशेवर कंपनी सचिव को रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायोचित और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है।

9. Since the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this Notice.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE EGM/ AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

10. Shareholder will be provided with a facility to attend the EGM/AGM through VC/OAVM through the CDSL e-Voting system. Shareholders may access the same at https://www.evotingindia.com under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVSN of Company will be displayed.

11. Shareholders are encouraged to join the Meeting through laptops / IPads for better experience.

12. Further Shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

13. Please note that participants connecting from mobile devices or tablets or through laptop connecting via mobile hotspot may experience audio/video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable wi-fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

14. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance on or before Monday 3rd August 2020 mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number by sending an email to headoffice.share@Bankofindia.co.in.

15. Those Shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

16. The Shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance on or before Monday 3rd August 2020 mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number by sending an email to headoffice.share@Bankofindia.co.in. These queries will be replied to by the Bank at the AGM or by email.

REMOTE E-VOTING & EVOTING AT THE MEETING

17. The Bank is pleased to provide remote e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice The Bank will also provide e-voting facility during the AGM for those shareholders who have not casted their votes during the remote e-voting process. The Bank has appointed M/s. S N ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Practising Company Secretaries as the Scrutinizer for both remote evoting and e-voting for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग हेतु अनुदेश निम्नलिखित हैं:-

i. मतदान की अवधि 07 अगस्त, 2020 , शुक्रवार प्रात: 10.00 बजे से आरम्भ होगी तथा 10 अगस्त, 2020 सोमवार सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, जो शेयरधारक भौतिक रूप में कम्पनी के शेयरों को धारण करते है, वे 04 अगस्त 2020, मंगलवार की कट-ऑफ दिनांक (रिकॉर्ड दिनांक) को इलैक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा मतदान हेतु ई-वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।

ii. बहु फोलियो/डीमैट खाता रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए पृथक रूप से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे।

यद्यपि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2ई) के अनुसार भारत सरकार को छोडकर कोई भी शेयरधारक बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के वोटिंग अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।

iii. शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना होगा।

iv. "shareholders" मॉड्यूल पर क्लिक करें।

v. अब अपने यूज़र आईडी की प्रविष्टि करें

(ए) सीडीएसएल के लिए: 16 डिजिट की बेनिफिशिएरी आईडी

(बी) एनएसडीएल के लिए: 8 कैरेक्टर का डीपीआईडी और उसके बाद 8 डिजिट का क्लायंट आईडी

(सी) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हों उन्हें कंपनी में पंजीकृत फोलियो नंबर की प्रविष्टि करनी होगी।

अथवा

वैकल्पिक रूप से, यदि आप सीडीएसएल की EASI/EASIEST ई-सेवाओं हेतु पंजीकृत है, तो आप अपने लॉगइन विवरण का प्रयोग कर Login-Myeasi के माध्यम से https://www.cdslindia.com पर लॉगइन कर सकते हैं। सीडीएसएल की EASI/EASIEST ई-सेवाओं पर सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें और सीधे इलेक्ट्रोनिक रूप से अपना मतदान कर दें।

vi. डिस्प्ले किए गए वेरिफिकेशन इमेज की प्रविष्टि करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

vii. यदि आपके पास डीमैट रूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.comपर लॉग-ऑन किया है और किसी कंपनी/निकाय पर ई-वोट किया है, तब आप अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।

viii. यदि आप पहली बार ई-वोटिंग कर रहे हैं तो निम्नलिखित का पालन करें :-

THE INTRUCTIONS FOR SHAREHOLDRES FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:

(i) The Remote evoting period begins on 10.00 a.m. on Friday, August 07, 2020 and ends on 5.00 p.m. on Monday, August 10, 2020. During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of Tuesday, August 04, 2020 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account.

However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.

(iii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(iv) Click on "Shareholders" module.

(v) Now enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.

OR

Alternatively, if you are registered for CDSL's EASI/EASIEST e-services, you can log-in at https://www.cdslindia.com from Login - Myeasi using your login credentials. Once you successfully log-in to CDSL's EASI/EASIEST e-services, click on e-Voting option and proceed directly to cast your vote electronically.

(vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.

(viii) If you are a first time user follow the steps given below:

	डीमैट और भौतिक रूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए
पीएएन (PAN)	आयकर विभाग द्वारा जारी अपने 10 डिजिट के अल्फ़ा न्यूमेरिक पैन की प्रविष्टि करें (डीमैट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए लागू) • जिन सदस्यों ने कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी में अपना पीएएन अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे पैन फील्ड में दर्शाए गए पोस्टल बैलेट/उपस्थिती पर्ची पर छपी क्रम संख्या का प्रयोग करें।।
लाभांश बैंक विवरण एवं जन्मतिथि (DOB)	लॉगइन करने के लिए आपके डीमैट खाते या कंपनी के रिकॉर्ड में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप में) प्रविष्ट करें। • यदि डिपॉजिटरी या कंपनी में ये दोनों ब्यौरे रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं तो, कृपया अनुदेशों (v) में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक ब्यौरों के फील्ड में मेम्बर आईडी/फोलियो नंबर का उल्लेख करें।

ix. इन ब्यौरों की उचित प्रविष्टि के पश्चात -"SUBMIT" पर क्लिक करें।

x. जिन शेयरधारकों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों वे सीधे company selection स्क्रीन पर पहुंचेंगे। तथापि, डीमैट स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब password creation मेन्यू में पहुंचेंगे, जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों को किसी अन्य कंपनी के संकल्प हेतु वोटिंग करने के लिए भी इसी पासवर्ड का प्रयोग करना होगा बशर्ते वह कंपनी सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुने। विशेष रूप से यह सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी और को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।

xi. जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों, उनके ब्यौरे का उपयोग केवल इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-वोटिंग हेतु किया जा सकता है।

xii. कृपया बैंक ऑफ इंडिया के ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिसे आप वोट करना चाहते हैं।

xiii. वोटिंग पृष्ठ पर, आपको "Resolution Description" दिखेगा और उसी विकल्प के सामने वोटिंग हेतु "Yes/No" दिखेगा। इच्छानुसार "Yes" या "No" विकल्प चुनें। "Yes" विकल्प चुनने से तात्पर्य है कि आप इस संकल्प से सहमत हैं और "No" विकल्प मतलब आप इस संकल्प से सहमत नहीं हैं।

xiv. यदि आप संकल्प के पूर्ण ब्यौरे देखना चाहें तो "RESOLUTION FILE LINK" पर क्लिक करें।

xv. आप ने जिस संकल्प पर वोट करने का निर्णय लिया है उसका चयन करने के पश्चात "SUBMIT" क्लिक करें। एक "confirmation box" प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने नोट की पुष्टि करना चाहें तो "OK" पर क्लिक करें अन्यथा आपका नोट बदलने के लिए "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।

	For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on Postal Ballot / Attendance Slip indicated in the PAN field.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).

(ix) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(x) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(xi) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xii) Click on the EVSN for the relevant Bank of India on which you choose to vote.

(xiii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiv) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

xvi. संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने पर आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।

xvii. वोटिंग पेज पर "click here to print" विकल्प पर क्लिक कर आप अपने द्वारा की गई वोटिंग का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

xviii. यदि डीमैट खाताधारक पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज नोटिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करें तथा "Forget Password" पर क्लिक करें और सिस्टम जो ब्यौरे मांगे उनकी प्रविष्टि करें।

xix. शेयरधारक सीडीएसएल के "m-Voting" मोबाइल एप्प के माध्यम से भी मतदान कर सकते हैं। m-Voting एप्प को संबंधित स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कृपया मोबाइल से मतदान करते समय मोबाइल एप्प के अनुदेशों का पालन करें।

xx. गैर-एकल शेयरधारकों और अभिरक्षकों हेतु नोट :-

- गैर एकल शेयर धारक (अर्थात एकल व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और अभिरक्षक को www.evotingindia.comपर लॉग ऑन करना होगा और कॉरपोरेट के मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।
- संस्था का स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई मेल की जानी चाहिए।
- लॉग इन ब्योरा प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का प्रयोग करके एक अनुपालन यूजर सृजित करना होगा। अनुपालन यूज़र उन खातों को लिंक कर सकेगा, जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
- लॉगइन खाते की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदित होने पर वे अपना वोट दे सकेंगे।
- अभिरक्षक के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और पॉवर ऑफ एटॉर्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, पीडीएफ फॉर्मेट में सिस्टम में अपलोड की जानी चाहिए ताकि स्क्रूटिनाइजर इसकी जांच कर सके।
- गैर-एकल शेयरधारकों को विकल्पत: संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी, जो मतदान के लिए प्राधिकृत है, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित स्क्रूटिनाज़र तथा बैंक को ई-मेल पता अर्थात् headoffice.share@Bankofindia.co.in पर भेजना अपेक्षित होता है, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से मतदान किया है तथा उसे सत्यापन हेतु स्क्रूटिनाज़र के लिए सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में अपलोड नहीं किया है।

एजीएम/ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु शेयरधारकों के लिए अनुदेश निम्नलिखित हैं :-

1. ईजीएम/एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग हेतु ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार ही है।
2. जो शेयरधारक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम/ईजीएम में उपस्थित थे तथा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर मतदान नहीं किया है और ऐसा करने से उन्हें अन्यथा रोका नहीं गया है, वे ही ईजीएम/एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे।
3. यदि शेयरधारकों द्वारा एजीएम/ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से कोई मतदान किए गए हैं तथा यदि उन्हीं शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा किए गए मतदन को अवैध माना जाएगा क्योंकि बैठक के

(xvi) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvii) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xviii) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xix) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app "m-Voting". The m-Voting app can be downloaded from respective Store. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while Remote Voting on your mobile.

(xx) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; headoffice.share@Bankofindia.co.in , if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR E-VOTING DURING THE AGM/EGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the EGM/AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
2. Only those shareholders, who are present in the EGM/AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the EGM/AGM.
3. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the EGM/AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility , then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the

दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में उपस्थित शेयरधारकों के लिए ही उपलब्ध है।

4. जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे ईजीएम/एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। यद्यपि, वे ईजीएम/एजीएम में मतदान हेतु पात्र नहीं होंगे।

ऐसे शेयरधारकों हेतु प्रक्रिया, जिनके ई-मेल पते इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्प हेतु ई-वोटिंग के लिए लॉगइन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है :

1. भौतिक शेयरधारकों हेतु - कृपया आवश्यक ब्यौरे, जैसे फोलियो सं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति) को **कम्पनी/ आरटीए को ई-मेल द्वारा** प्रेषित करें।

2. डीमैट शेयरधारकों हेतु : कृपया डीमैट खाते के आवश्यक ब्यौरे (सीडीएसएल-16 अंकों की लाभार्थी आईडी या एनएसडीएल-16 अंक की डीपीआईडी+सीएलआईडी), नाम, ग्राहक के मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति) को **कम्पनी/आरटीए को ई-मेल आईडी** पर ई-मेल द्वारा प्रेषित करें।

3. कम्पनी/आरटीए सीडीएसएल के साथ समन्वय करेगी तथा ऊपर उल्लिखित शेयरधारकों के लॉग-इन संबंधी ब्योरे उपलब्ध कराएगी।

 यदि आपको ई-वोटिंग सिस्टम में एजीएम और ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है तो आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और www.evotingindia.com में उपलब्ध हेल्प खण्ड के तहत ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk@deslindia.comको ई मेल लिख सकते हैं या श्री नितिन कुंदर (022-23058738) या श्री महबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दलवी (022-23058542) से संपर्क कर सकते हैं।

 इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, प्रबंधक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउन्ड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर प्रेषित की जा सकती हैं या 022-23058542/43 पर कॉल करें।

18. स्क्रूटिनाइजर,एजीएम में मतदान के परिणाम के तुरन्त बाद, पक्ष या विपक्ष में किए गए कुल मतदान, यदि कोई है, की समेकित स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट बनाएगा तथा उसे अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराएगा।

19. स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तुरंत कम्पनी की वेबसाइट www.bankofindia.co.in तथा सीडीएसएल की वेबसाइट https:www.evotingindia.com पर रखे जाएंगे। कम्पनी उसी समय परिणामों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया तथा बीएसई लिमिटेड, जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को प्रेषित करेगी।

20. सेबी सूचीकरण विनियम यथा संशोधित विनियम 40 के अनुसार यदि प्रतिभूतियों के प्रेषण या प्रतिस्थापना हेतु अनुरोध प्राप्त होता है, तो सूचीबद्ध कम्पनियों की प्रतिभूतियाँ 1 अप्रैल, 2019 से केवल डीमैट रूप में ही स्थानान्तरित की जा सकती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए तथा भौतिक शेयर

meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

4. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the EGM/AGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM/AGM.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING NOTICE OF THE MEETING AND ANNUAL REPORT LOGIN CREDENTIALS/ FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTION PROPOSED IN THIS NOTICE:

1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to **Company/RTA email id.**

2. For Demat shareholders -, please provide Demat account detials (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to **Company/RTA email id.**

3. The company/RTA shall co-ordinate with CDSL and provide the Notice and Annual Report / login credentials to the above mentioned shareholders.

 If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

 All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

18. The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the AGM, make a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same.

19. The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.bankofindia.co.in and on the website of CDSL https: www.evotingindia.com immediately. The Company shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Company are listed.

20. As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listing companies can be transferred only in dematerialized form with effect from April 1, 2019 in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and eliminate all risks associated

से जुड़े सभी जोखिमों का उन्मूलन करते हुए तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन को सरल बनाने के लिए भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमैट रूप में बदलने पर विचार करें। सदस्य इस संबंध में किसी भी सहायता हेतु कम्पनी बिगशेयर सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड या कम्पनी के रजिस्ट्रारों तथा ट्रांस्फर एजेंटों से संपर्क कर सकते हैं। सदस्य बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी संदर्भ ले सकते हैं।

21. "ग्रीन इनिशिएटिव" का समर्थन करने के लिए ऐसे सदस्य, जिन्होंने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और यदि वे भौतिक शेयरों के धारक हैं तो उनसे अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल डीपी में पंजीकृत करें।

22. यदि सदस्य इलेक्ट्रॉनिक शेयरों के धारक हैं तो उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम, डाक का पता, ई-मेल का पता, टेलीफोन/मोबाइल नम्बर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी, बैंक का विवरण जैसे बैंक का नाम एवं शाखा का विवरण, बैंक की खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएसई कोड आदि में कोई भी बदलाव हो तो अपने डीपी में तथा यदि वे भौतिक शेयरों के धारक हैं तो बैंक ऑफ़ इंडिया में सूचित करें।

23. जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप से शेयर हैं, समान नाम पर वे एकाधिक फोलियो में हैं, उनसे अनुरोध है कि ऐसे फोलियो का विवरण शेयर प्रमाण पत्र सहित बैंक को भेजें ताकि ऐसे फोलियो के विवरण को एक ही फोलियो में समेकित किया जा सके। अपेक्षित परिवर्तन करने के पश्चात् ऐसे सदस्यों को एक समेकित शेयर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

24. संयुक्त शेयर धारक होने पर, जिनका नाम, बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में प्रथम शेयरधारक के रूप में दर्ज है, वे वार्षिक आम बैठक में मतदान करने के हकदार होंगे।

25. सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोट करें कि ऐसे लाभांश जिनका बैंक के अदत्त लाभांश खाते में ट्रांसफर की तारीख से लगातार 7 वर्ष की अवधि तक नकदीकरण नहीं कराया गया है, वे इन्वेस्टर एजुकेशन एवं प्रोटेक्शन फंड ("आईईपीएफ") में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। ऐसे लाभांश जिनका दावा नहीं किया गया है, उनसे संबंधित शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकारी के डीमैट खाते में स्थानांतरण किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर कम्पनी से अपने लाभांश का दावा करें। ऐसे सदस्य, जिनके दावा न किए गए लाभांश/शेयर आईईपीएफ को स्थानांतरित कर दिये गए हैं, वे इसके दावे के लिए www.iepf.gov.in पर उपलब्ध वेब फॉर्म सं. आईईपीएफ-5 में आईईपीएल प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया कॉरपोरेट प्रशासन रिपोर्ट, जो कि इस वार्षिक रिपोर्ट का अंश है तथा बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर निवेशक पृष्ठ के प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्नों का संदर्भ लें।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

ए. के. दास
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 जून, 2020

with physical shares and for ease of portfolio management, members holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form. Members can contact the Company or Company's Registrars and Transfer Agents, Bigshare Services Private Limited For assistance in this regard. Members may also refer to Frequently Asked Questions ("FAQs") on Bank's website www.bankofindia.co.in.

21. To support the `Green Initiative', Shareholders who have not yet registered their email addresses are requested to register the same with the DPs in case the shares are held by them in physical form.

22. Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to BOI in case the shares are held by them in physical form.

23. Shareholders holding shares in physical form, identical order of names, in more than one folio are requested to send to the Bank, the details of such folios together with the share certificates for consolidated their holdings in one folio. A consolidated share certificated will be issued to such Members after making requisite changes.

24. In case of joint holders, the shareholders whose name appears as their first holder in order of names as per the Register of shareholders of the Bank will be entitled to vote at the AGM.

25. Shareholders are requested to note that, dividends if not encashed for a consecutive period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account of the Bank, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF"). The shares in respect to such unclaimed dividends are also liable to be transferred to the demat account of the IEPF Authority. In view of this, Members are requested to claim their dividends from the Company, within the stipulated timeline. The Members, whose unclaimed dividends/shares have been transferred to IEPF, may claim the same by making an online application to the IEPF Authority in web Form No. IEPF-5 available on www.iepf.gov.in. For details, please refer to corporate governance report which is a part of this Annual Report and FAQ of investor page on Bank's website http:www.bankofindia.co.in.

By Order of the Board of Directors

A. K. Das
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : June 25, 2020

बैंक ऑफ़ इंड़िया
Bank of India

हमारा दृष्टिकोण

''कंपनियों, मध्यम श्रेणी व्यापारियों और दूरदाराज के छोटे आम ग्राहकों का मनपसंद बैंक बनना, छोटे व्यापारियों, ग्रामीण बाजारों और सामान्य बाजार को लागत प्रभावी विकासमान बैंकिंग प्रदान''।

Our Vision

"To become the bank of choice for corporates, medium businesses and upmarket retail customers and to provide cost effective developmental banking for small business, mass market and rural markets".

हमारा लक्ष्य

''सर्वश्रेष्ठ और व्यावहारिक बैंकिंग भूमंडलीय बाजारों में प्रदान करने के लिए एक विकास बैंक की भूमिका निभाते हुए लागत प्रभावी और दायित्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना और ऐसा करते हुए हमारे पूंजी निवेशकों की अपेक्षाओं को पूरा करना''।

Our Mission

"To provide superior, proactive banking services to niche markets globally, while providing cost-effective, responsive services to others in our role as a development bank, and in so doing, meet the requirements of our stakeholders".

हमारी गुणवत्ता नीति

हम, बैंक ऑफ़ इंडिया को पसंदीदा बैंक बनाने हेतु अपने ग्राहकों और सरंक्षकों को, **उत्कृष्ट, व्यवहार्य, नवोन्मेषी, अत्याधुनिक** बैंकिंग सेवाएं तत्परता और शालीनता से प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं।

Our Quality Policy

We, at Bank of India, are committed to become the Bank of Choice by providing SUPERIOR, PROACTIVE, INNOVATIVE STATE OF THE ART Banking Services with an attitude of Care and Concern for the Customers and Patrons.

महत्वपूर्ण सूचना

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के सॉफ्ट कॉपी को प्राप्त करने हेतु बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट **www.bankofindia.co.in** या **www.nseindia.com** या **www.bseindia.com** का अवलोकन करें।

शेयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि ई मेल के जरिए जल्द नोटिस, सूचना आदि प्राप्त करने के लिए अपना ई मेल आई डी **headoffice.share@bankofindia.co.in,** पर सूचित करें

IMPORTANT NOTICE

Shareholders are requested to visit Bank of India website **www.bankofindia.co.in** or website of **www.nseindia.com** or **www.bseindia.com** to get the soft copy of Annual Report 2019-2020

Shareholders are requested to register their E-mail ID, with the Bank at headoffice.share@bankofindia.co.in, for quick/early receipt of Notice, information, communication through E-mail.



BOI offers hassle free MSME Loans with attractive interest rate!

BOI STAR DOCTORS PLUS | BOI STAR VYAPAR | STAR SME LIQUID PLUS
SRTO | MUDRA LOANS | STAND UP INDIA LOANS WORKING CAPITAL FINANCE & LOANS TO
MSME ENTERPRENEURS | STAR SME CONTRACTOR LINE OF CREDIT
STAR PRIYADARSHINI YOJANA | STAR SME AUTO EXPRESS
STAR SME EDUCATION PLUS

BRAND EQUITY MOST TRUSTED BRANDS 2018

Visit : **www.bankofindia.co.in**
Follow us on

Bank of India

Relationship beyond banking

बैंक ऑफ इंडिया (प्रधान कार्यालय)
स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
फोन: 022-6668 44 44, वेबसाइट: www.bankofindia.co.in

Bank of India (Head Office)
Star House, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400 051.
Phone: 022-6668 44 44,
Website: www.bankofindia.co.in